शुक्रवार, 13 मार्च 1981

22 फाल्गुन 1902 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पाँचवा सत्र



[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

अंक 20, शुक्रवार, 13 मार्च, 1981/22 फाल्गुन, 1902 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या : 353 से 355, 358 से 360 और 363 से 366	...	1—28
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
तारांकित प्रश्न संख्या : 352, 356, 357, 361, 362 और 367 से 371	...	29—40
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3370 से 3386, 3388 से 3393, 3395 से 3452, 3454 से 3462, 3464 से 3469, 3471 से 3513, 3515 से 3522, 3524 से 3526 और 3528 से 3569	...	41—216
ध्यानाकर्षण आदि के बारे में	...	217—234
सभा पटल पर रखे गये पत्र	...	222—225
सामान्य बजट, 1981-82 सामान्य चर्चा		
श्री आर० वेंकटरामन	...	235—248
लेखानुदानों की मांगें (सामान्य), 1981-82	...	249—255
विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1981—पुरःस्थापित किया गया		
विचार करने का प्रस्ताव :	...	—256
श्री आर० वेंकटरामन	...	—256
श्री ज्योतिर्मय बसु	...	256—275
खंड 2 से 4 और 1	...	—275
पारित करने का प्रस्ताव		
श्री आर० वेंकटरामन	...	—276

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय		पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	....	276—284
बंगलौर में मलयाली और तमिल विरोधी पोस्टर लगाये जाने का समाचार और बम्बई में हुई घटनाएं		
प्रो० पी० जे० कुरियन	...	276—281
श्री योगेन्द्र मकवाना	...	281—284
श्री रामविलास पासवान	....	—285
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति		
सत्रहवां प्रतिवेदन	...	—285
खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने संबंधी उपायों के बारे में संकल्प		
श्री उत्तम राठौर	...	286—288
राव वीरेन्द्र सिंह	...	288—297
शिक्षित युवकों में व्याप्त बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन करने संबंधी संकल्प	....	—298
श्री फूल चन्द वर्मा	...	298—304
श्री मूल चन्द डागा	....	304—307
श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत	...	307—310
श्री मुकुन्द मण्डल	...	310—312
श्री गिरधारी लाल व्यास	...	312—317
श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी	....	317—319
श्री पी० हन्नाम मोल्लाह	...	320—322
श्री पी० नामग्याल	...	322—323
श्री नवल किशोर शर्मा	...	323—324
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—जारी		
बंगलौर में मलयाली और तमिल विरोधी पोस्टर लगाये जाने का समाचार और बम्बई में हुई घटनाएं—जारी		
श्री राम विलास पासवान—जारी	...	324—327
श्री योगेन्द्र मकवाना	...	327—334
श्री जनार्दन पुजारी	...	328—330
आचार्य भगवान देव	...	332—334
सभा का कार्य	...	335—344

लोक सभा

शुक्रवार, 13 मार्च, 1981/22 फाल्गुन, 1902 (शक)

लोकसभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

वाणिज्यिक बैंकों के लिए नए मानक

*353 श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों के लिए नए मानक निर्धारित किए हैं ;

(ख) यदि हां तो उसका विवरण क्या है ; और

(ग) इन नए मानकों से सरकार और ऋण प्राप्त करने वालों को किस हद तक सहायता मिली है ?

वित्त मन्त्रालय में उप वित्त मन्त्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है ।

विवरण

(क) और (ख) संभवतः प्रश्न का आशय, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिसम्बर, 1980 में, नगदी ऋण पर कार्यकारी दल की सिफारिशों से कार्यान्वयन के सम्बन्ध में अनुदेश जारी करने से हैं । इन अनुदेशों की मुख्य-मुख्य बातें नीचे दी गई हैं :—

1. दस लाख रुपए और इससे अधिक की कार्यकारी पूंजीगत सीमाओं (लिमिट्स) की वार्षिक समीक्षा ।

2. पचास लाख रुपए और इससे अधिक की कार्यकारी पूंजी वाले सभी एककों द्वारा बैंकों को तिमाही विवरणियां भेजना जिनमें उस तिमाही के दौरान अपेक्षित निधियों का संकेत किया जाए ।

3. बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को निम्नलिखित छमाही विवरणियां भेजना :—

(i) वे खाते जिनकी सीमा अतिकालिक (ओवरड्यू) हो गया है ।

(2) वे एकक जिन्होंने तिमाही विवरणियां नहीं भेजी ।

4. ऋण सीमाओं के माँग ऋण और नगद ऋण में विभाजन को समाप्त करना ।

5. व्यस्त (पीक) और गैर-व्यस्त (नान पीक) अवधियों के लिए अलग-अलग ऋण सीमाएं ।

6. जो एकक तिमाही विवरणियां न भेजें उनके कुल अविशेषों पर एक प्रतिशत का दण्डात्मक ब्याज वसूल करना । यदि यह व्यतिक्रम बराबर बना रहे और कठोर कार्रवाई करना आवश्यक लगे तो ऐसे खातों को स्थगित (फ्रीज) करना ।

7. बर्तमान बैंकरों से परमर्श किये बगैर किसी बैंक द्वारा किसी एकक को ऋण सुविधा न देना ।

8. तदर्थ (एडहाक) ऋण सीमाओं पर एक प्रतिशत का अतिरिक्त ब्याज वसूल करना और ऐसी तदर्थ ऋण-सीमाएं केवल असामान्य परिस्थितियों में ही स्वीकृत करना ।

9. कार्यकारी पूंजीगत आवश्यकताओं के लिए अपनी निधियों और सावधि, वित्त से ऋणकर्ता का अंशदान कुल चालू परिसम्पत्तियों के कम से कम 25 प्रतिशत के बराबर होना चाहिए ।

10. जहां संभव हो, नकद ऋण सीमाओं को हुण्डी (बिल) ऋण सीमाओं में बदल दिया जाना चाहिए ।

(ग) ये अनुदेश सभी वाणिज्यिक बैंकों को दिसम्बर, 1980 में ही जारी किए गए हैं। इस प्रकार, इनकी कार्यक्षमता का अभी आंकलन करना समय से पूर्व होगा ।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : गोरे समिति की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंको को अनुदेश दिये थे कि किसी भी ऐसे विकास के मामले में जिसका पहले निर्धारण न किया गया हो तदर्थ भुगतान को ऋण माना जाना चाहिए ।

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इससे बड़े उद्योगों को काफी कठिनाई हुई है और उद्योगों के उत्पादन में काफी कमी आई है ।

श्री मगन भाई बरोट : अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और इन अभ्यावेदनों में कहा गया है कि इससे व्यापार और वाणिज्य पर प्रभाव पड़ेगा । लेकिन सम्पूर्ण वित्तीय आवश्यकताओं को देखते हुए और बैंकों की ऋण देने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए कुछ मार्गदर्शी निर्देश दिए जाने आवश्यक थे और इसलिए उन्हें जारी किया गया है ।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : देश में सभी जगह यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि नकद ऋण प्रणाली से केवल बड़े उद्योगों को लाभ पहुंच रहा है । इस बात को ध्यान में रखते

हुए मैं माननीय मन्त्री जी से इस प्रणाली का लाभ उठा रहे बड़े और मंझोले उद्योगों का ब्यौरा जानना चाहता हूं और यह कि उनसे किस दर पर ब्याज लिया जाता है।

श्री मगनभाई बरोट : इस ब्यौरे के लिए एक अलग नोटिस दिया जाना चाहिए।

प्रो० मधु दंडवते : हाल के बजट प्रस्तावों में यह कहा गया है कि लघु उद्योग क्षेत्र की परिभाषा बदल दी गई है और पूंजी निवेश की सीमा 10 लाख से बढ़ा कर 20 लाख कर दी गई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या यह संभव नहीं है कि अनेक तथाकथित लघु उद्योग बड़े उद्योग से सम्बद्ध हो जायेंगे और लघु उद्योग क्षेत्र की परिभाषा का लाभ उठाते हुए वे विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों तथा सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं से ऋण लेने की कोशिश करेंगे। ऐसी स्थिति में क्या इस प्रकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई स्पष्ट मानदंड निर्धारित किए जायेंगे ?

श्री मगनभाई बरोट : यह एकक जो लाभ उठायेंगे वे ज्यादातर आयकर अधिनियम के अधीन होंगे। जो रियायतें वे देंगे वे यह होंगी कि ये एकक 10 लाख रुपए की मशीनों और संयंत्रों की क्षमता के साथ जो कर अदा करेंगे वे 20 लाख के लिए उपलब्ध होंगे। मैं नहीं समझता कि बड़े उद्योग जिनके बारे में माननीय सदस्य ने कहा है 10 लाख रुपये की सीमा को बढ़ा कर 20 लाख रुपए करने से किसी प्रकार का कोई लाभ उठा सकेंगे।

प्रो० मधु दंडवते : प्रश्न यह नहीं है। क्षमा करें। इस बात की बहुत संभावना है कि ये लघु एकक बड़े उद्योगों से सम्बद्ध हो जायें। विगत में ऐसा हुआ है। इसलिए इस परिभाषा का सहारा लेते हुए यदि ये लाभ उठाना चाहें और वाणिज्यिक बैंकों से अधिक ऋण लेना चाहें तो ऐसी स्थिति में क्या आप यह सुनिश्चित करेंगे कि उपबन्धों का ऐसा दुरुपयोग न होने पाए।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप के ध्यान में ऐसे कोई मामले आये है ?

श्री मगनभाई बरोट : इसे हम सुझाव के रूप में ले लेते हैं किन्तु मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये लाभ आय कर के सम्बन्ध में लाभ हैं। जहां तक ऋण देने और लेने का प्रश्न है उनका संचालन अपने नियमों द्वारा ही होता है। फिर भी इस सुझाव पर ध्यान दिया जाएगा।

श्री वी० वी० देसाई : ऐसा प्रतीत होता है कि रिजर्व बैंक द्वारा हाल में जारी किये गए मार्गदर्शी निर्देश बड़े एककों से सम्बन्धित हैं। मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवधिक वित्त की बात कही है। यदि इस प्रकार का आवधिक वित्त रिजर्व बैंक या वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बड़े एककों को उपलब्ध कराया जाता है और यदि वे कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस का उपयोग करते हैं तो यह कार्यशील पूंजी के लिए दिए जाने वाले आवधिक ऋण की एक नई प्रणाली है। क्या इससे लघु उद्योगों की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए आवधिक वित्त समाप्त नहीं हो जाएगा ?

श्री मगनभाई बरोट : नहीं, महोदय ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न, श्री लकप्पा ।

एक माननीय सदस्य : यह पारले समूह के बारे में है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री लकप्पा, क्या आप सो रहे हैं ?

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : महोदय, क्या उनके नाम का सम्बन्ध किसी प्रकार से लक (भाग्य) से है ?

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए उनके प्रश्न आ जाते हैं ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : ऐसा कैसे होता है कि एक ही प्रश्न बार-बार आ जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : इसके कई तरीके हैं । कई बार आय कर से, कई बार स्वर्ण से और कई बार यह प्रश्न किन्हीं नियमों के उल्लंघन से संबंधित होता है ।

गृह मन्त्रालय और संसदीय कार्यविभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : महोदय यह सचिवालय पर आरोप है । इसे रिकार्ड में नहीं जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मत मत ही है । सचिवालय निष्पक्ष है । हमारे लिये सभी सदस्य माननीय हैं ।

पार्ले समूह की कम्पनियों द्वारा कर-अपवंचन और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम तथा स्वर्ण नियंत्रण का उल्लंघन

*354 **श्री के० लकप्पा** :

श्री धर्मदास शास्त्री : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पार्ले समूह की कम्पनियों ने कई बार करोड़ों रु० के आय कर, बिक्री कर, उत्पादन शुल्क का अपवंचन किया है और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम तथा स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन किया है ;

(ख) यदि हां, तो गत दस वर्षों के दौरान किए गए कर-अपवंचन और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम तथा स्वर्ण नियंत्रण उल्लंघन का पूरा ब्यौरा क्या है ;

(ग) आय-कर और उत्पादन-शुल्क पदाधिकारियों ने कितनी बार पार्ले समूह की कम्पनियों के कार्यालयों और इसके मैनेजिंग पार्टनर तथा डा० रोमी तथा श्री चौहान के परिसरों पर छापे मारे हैं ;

(घ) छापों के परिणामस्वरूप जब्त की गई नकदी और आराधात्मक दस्तावेजों का पूर्ण ब्यौरा क्या है ;

(ङ) उपर्युक्त सभी मामलों में जांच की वर्तमान स्थिति क्या है और उनके बारे में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(च) सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है जिससे कि यह कम्पनी समूह भविष्य में ऐसी गतिविधियों में शामिल न हो ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री स्वाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ङ) एक विवरण-पत्र सदन-पटल पर रखा गया है ।

(च) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा आयकर विभाग और राजस्व विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय तथा विशेषज्ञता प्राप्त प्रवर्तन अभिकरण भी इस संबंध में सतर्क रहते हैं और ऐसे मामलों में वे उपयुक्त कार्यवाही करते हैं ।

विवरण

प्रवर्तन निदेशालय : प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने नवम्बर 1977 में पार्ले समूह की एक कम्पनी मैसर्स बिस्लेरी (इंडिया) प्रा०लि०, बम्बई के परिसरों, इसके निदेशक, डा० सी० रोसी और श्री रमेश जे० चौहान के परिसरों और कुछ अन्य संबद्ध परिसरों की तलाशियां ली थी । इन तलाशियों में दस्तावेज, और थोड़ी सी विदेशी मुद्रा पकड़ी गयी थी । जाँच के बाद निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किये गये थे :—

1. मैसर्स बिस्लेरी (इण्डिया) प्रा० लि० बम्बई और उसके निदेशकों श्री रमेश जे० चौहान तथा श्री एच.एम. गोलवाला को, 2-3-78 को । क्योंकि उन्होंने, 14336 पौंड की विदेशी मुद्रा का प्रयोग उस प्रयोजन के लिए नहीं किया जिस प्रयोजन के लिए वह ली गयी थी, जोकि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 4 (3) का उल्लंघन था ।

2. 14-4-78 को श्री रमेश जे० चौहान को क्योंकि उन्होंने 2 लाख रु० का एक ऋण स्वीकार करके डा० सी० रोसी को भुगतान पाने हेतु प्रासंगिक अधिकार का सृजन किया था जो कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियमन 1947 की धारा 5 (1) (च) का उल्लंघन था ।

3. 15-12-77 को श्रीमती मीना श्री जसदान वाला (श्री रमेश जे० चाहान की बहिन) को, उनके द्वारा रिजर्व बैंक की अनुमति के

बिना संयुक्त अरब अमीरात के 500 दिरहैम की विदेशी मुद्रा प्राप्त करके विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 8 (1) का उल्लंघन करने के लिए ।

ऊपर (1) पर कारण बताओ नोटिस वाले मामले में 25-9-78 को न्याय-निर्णय करने पर कम्पनी पर 1,50,000 रु० और इसके निदेशक श्री रमेश जे० चौहान और श्री एच०एम० गोलवाला पर, पन्द्रह-पन्द्रह हजार के अर्थदन्ड लगाए गए । ऊपर (2) पर कारण बताओ नोटिस के मामले में श्री रमेश जे० चौहान पर लगाया गया आरोप साबित नहीं हुआ और 20-10-78 को खारिज कर दिया गया । 1 जनवरी 1978 की हवाई दुर्घटना में श्रीमती जसदानवाला का देहान्त हो गया और इसलिए उसके खिलाफ कार्यवाही समाप्त करदी गयी । कम्पनी और इसके दो निदेशकों ने ऊपर कारण बताओ नोटिस (1) के संबंध में न्याय निर्णय आदेश के विरुद्ध विदेशी मुद्रा विनियमन अपीलीय बोर्ड में अपील दायर की है और वह अभी अनिर्णीत पड़ी है । ऊपर (II) पर कारण बताओ नोटिस के संबंध में न्याय निर्णय आदेश के विरुद्ध विदेशी मुद्रा विनियमन अपीलीय बोर्ड में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 52 (4) के अन्तर्गत आदेश की समीक्षा करने के लिए एक दरख्वास्त दायर की है जो अनिर्णीत पड़ी है ।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो : मैसर्स बिस्लेरी (इंडिया) प्रा०लि० द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन के बारे में प्राप्त प्रवर्तन निदेशालय से शिकायत पर उक्त कम्पनी और इसके दो निदेशकों अर्थात श्री रमेश जे० चौहान और श्री एच० एम० गोलवाला के विरुद्ध भारतीय दंड सहिता की धारा 420 के साथ पठित भारतीय दंड सहिता की धारा 120 ख और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 की धारा 22/23 (2-क) और 23-ग और भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 22/23(1-क)/53-ग के अन्तर्गत वहुत अधिक अपराधों के लिए 5-4-1980 को एक मामला सं० आर०सी० 1/80 एस० आई० यू० II दर्ज किया ।

आपराधिक षड्यंत्र के अनुसार, अभियुक्त ने गलत तथ्य पेश करके बैंक आफ बड़ौदा के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक को धोखा देकर वर्ष 1971 में 14336 पाउन्ड इटली को भेजने की इजाजत ली थी जिससे विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 और भारतीय दंड सहिता का उल्लंघन हुआ ।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अप्रैल, 1980 में, पार्ले कम्पनी समूह के कार्यालय और इसके निदेशकों, अर्थात श्री रमेश चौहान, श्री प्रकाश चौहान

तथा श्री एच० एम० गोलवाला के आवासीय परिसरों और डा० सी० रोसी के कार्यालय पर भी छापे मारे थे। उपर्युक्त स्थानों से काफी मात्रा में अपराध आरोपणीय दस्तावेज पकड़े गए थे। श्री प्रकाश चौहान के निवास से थोड़ी विदेशी मुद्रा भी पकड़ी गयी थी। विदेशी मुद्रा पकड़ने का मामला आवश्यक कार्यवाही करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को भेजा गया है। मामले की जांच की जा रही है।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क : सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, जहां तक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का सम्बंध है, अभी तक कोई छापे नहीं मारे गए हैं। तथापि पार्ले बेवरेजिज प्रा० लिमिटेड, बम्बई द्वारा किए गए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के कथित अपवचन के कुछ मामले सरकार के नोटिस में आए है। 1-8-73 से 31-31980 तक की अवधि के दौरान केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ के टैरिफ मद 1-ख के अन्तर्गत आने वाले वातित जल और तैयार अथवा परिरक्षित खाद्यों के संबंध में कथित रूप से कम लगाये गये लगभग 123.92 लाख रु० के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के सम्बन्ध में कुछ कारण बताओ एवं मांग नोटिस जारी किए गये। उसके बाद की अवधि के लिए भी वैसी ही मांगे जारी की गयी हैं। इसमें अन्तर्ग्रस्त विवाद यह है कि उत्पादित तथा फैक्टरी द्वारा तैयार करके निकाली गयी उपर्युक्त वस्तुओं का सही निर्धारण योग्य मूल्य क्या हो ? 1974 में जारी किए गए प्रथम कारण बताओ एवं मांग नोटिस पर न्याय-निर्णय की कार्यवाही पूरी करली गयी है और समाहर्ता में आवश्यक आदेश भी जारी कर दिए हैं। उसके बाद के कारण बताओ एवं मांग नोटिसों पर कार्यवाही की जा रही है।

मैसर्स पार्ले (एक्सपोर्ट्स) प्रा० लिमि० अहमदाबाद के विरुद्ध एक अन्य मामले के सम्बन्ध में न्याय-निर्णय, समाहर्त्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क बड़ौदा ने 12-8-80 को कर दिया था। यह मामला फर्म द्वारा 18-6-77 से 5-10-78 तक की अवधि में लगभग 1.87 करोड़ रु० मूल्य के सान्द्रीकृत सुगन्धित द्रव्यों की, उन पर लगने वाले लगभग 7.02 लाख रु० के शुल्क की अदायगी किये बिना की गई निकासी से सम्बन्धित था। न्याय-निर्णय के आदेश में समाहर्त्ता ने आदेश दिया है कि वस्तुओं को टैरिफ मद सं० 68 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाए और शुल्क अदा किए बिना जिन वस्तुओं की निकासी की गयी है, उन पर शुल्क वसूल किया जाए। पार्टी पर 7000 रु0 का वैयक्तिक अर्थदण्ड भी लगाया गया। कम्पनी ने समाहर्त्ता के आदेश के विरुद्ध केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड में अपील दायर की है और उस पर अभी निर्णय नहीं हुआ है। कम्पनी

ने गुजरात उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर करके समाहर्त्ता का आदेश लागू करने के खिलाफ स्थगन प्राप्त कर लिया है।

1-3-1975 से 18-4-79 तक की अवधि के लिए, इस कम्पनी को, बम्बई में 3.5 लाख रु० का एक कारण-बताओ एवं मांग-नोटिस भी जारी किया गया है। मामला न्याय निर्णयाधीन है।

आयकर : जहां तक आयकर विभाग का सम्बन्ध है, उसके अधिकारियों ने, पार्ले कम्पनी समूह अथवा डा० रोसी और श्री रमेश चौहान में से किसी के भी परिसरों पर, कोई छापे नहीं मारे हैं। इसलिए आयकर विभाग द्वारा किसी प्रकार की वस्तुओं के पकड़े जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि आयकर विभाग ने, केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों से कुछ लेखा वहियां अपने अधिकार में ली हैं और उनकी जांच की जा रही है।

बिक्रीकर : किसी राज्य के अन्तर्गत होने वाली वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाना संविधान के अन्तर्गत राज्य का विषय है। माल की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत लगने वाले केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का प्रशासन भी राज्यों द्वारा किया जाता है, वे ही इस प्रकार के कर की वसूली करके उससे होने वाली प्राप्तियों को अपने पास रखते हैं। पार्ले कम्पनी समूह द्वारा बिक्री कर का अपवंचन किये जाने के सम्बन्ध में, केन्द्रीय सरकार को कोई सूचना नहीं मिली है।

स्वर्ण नियंत्रण : सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम के अन्तर्गत कोई छापे नहीं मारे गए हैं।

श्री के० लकप्पा : मुझे मूंदड़ा-केस याद है। ये नेहरू जी के समय में हुआ था और श्री फिरोज गांधी ने इसका मामला उठाया था। यह मामला भी उसी प्रकार का है। जो जानकारी यहां दी गई है उसके अनुसार ये विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, सीमा शुल्क नियमों का आयकर नियमों का, उल्लघंन करता है प्रवर्तन निदेशालय द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की सभी धाराओं के अन्तर्गत मामले दर्ज कराये गये हैं। इस सम्बन्ध में की गई जांच से पता चलता है कि इस कम्पनी द्वारा बहुत अधिक राशियों का अपवंचन किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए।

श्री के० लकप्पा : इस सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की गई है और मुकदमा चलाया गया है।

अध्यक्ष महोदय : यह तो ठीक है।

श्री के० लकप्पा : केन्द्रीय जांच ब्यौरो की जांच के अनुसार उनके पास आपत्तिजनक कागजात हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए।

श्री के० लकप्पा : मैं जानता हूं कि (क) आयकर विभाग ने इस कम्पनी पर छापा क्यों नहीं मारा है। (ख) क्या यह सच है कि श्री रमेश चौहान तथा *...*... इस मामले में शामिल हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं देता। इसके लिए पहले नोटिस दिया जाना चाहिए। मैं इसकी अनुमति नहीं देता।

श्री रतनसिंह राजदा : यह प्रश्न बार बार क्यों उठाया जा रहा है। इसकी क्यों अनुमति दी जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी गई। किसी का नाम लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी का नाम नहीं लिया जाना चाहिए।

श्री रतन सिंह राजदा : जब भी मैं आपसे प्रश्न करता हूं आप के कार्यालय से मुझे यह ज्ञापन दिया जाता है कि "उसका उत्तर पहले दिया जा चुका है"।

श्री के० लकप्पा : इसकी अनुमति प्रदान कर दी गई है। मैं किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप नहीं लगा रहा हूं। क्या मैं वक्तव्य को पढ़ कर सुनाऊं।

अध्यक्ष महोदय : इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। आप प्रश्न पूछिए। आपका समय निकल जाएगा। यह चर्चा नहीं है। यह प्रश्न है।

श्री के० लकप्पा : क्या यह सच है कि चार कम्पनियों पर मारे गए छापे से पता चला है कि उन्होंने विनियमों और नियमों का पूर्णतया उल्लघंन किया था। यह भी पता चला है कि कोयम्बतूर में एक **...जोकि इस मामले में शामिल है।

अध्यक्ष महोदय : आप किस बात का पता लगाना चाहते हैं।

श्री के० लकप्पा : क्या पारले ग्रुप और इन कम्पनियों में कोई संबंध है। इसका क्या कारण है कि आय कर अधिकारियों ने इन पर तभी छापा मारा जब केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच के द्वारा उनकी जानकारी में लाया गया था। इसमें इतना विलम्ब होने के क्या कारण हैं ? क्या यह सच है कि.....।

अध्यक्ष महोदय : आप इस सम्बन्ध में इतना क्यों बोल रहे हैं।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री के० लक्कप्पा : (ग) बम्बई में सीमा शुल्क अधिकारी पारले ग्रुप के साथ मिले हुए हैं। वे कानून में उलझन डालते हैं और उनका उल्लघंन करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे प्रश्न के रूप में क्यों नहीं पूछते हैं।

श्री के० लक्कप्पा : मैंने सीमा शुल्क अधिकारियों के सम्बन्ध में एक प्रश्न का नोटिस दिया है। आप कृपया एक मिनट रुकिए। क्या मैं एक प्रश्न करूं ? आप अध्यक्ष हैं आपने मुझ पर नियंत्रण रखना है। मैं अनुशासन को मानने वाला सदस्य हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि सीमा शुल्क अधिकारी पारले ग्रुप के साथ मिले हुए हैं और वे उनके मुकदमे में उलझन पैदा कर रहे हैं उन पर शीघ्र मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया है जैसा कि अन्य मामलों में किया जाता है।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : यह एक तथ्य है। इसकी ब्यौरेवार जानकारी सभापटल पर रख दी गई है। अपने माननीय मित्र द्वारा मांगी गई पूर्व जानकारी का उत्तर दूंगा। पहली बात यह है कि उन्होंने आयकर विभाग के रूपों के बारे में जानना चाहा है। आयकर विभाग की ओर से कोई छापा नहीं मारा गया था। प्रवर्तन निदेशालय से प्राप्त जानकारी के आधार पर कि उन्होंने पारले ग्रुप कम्पनी की तलाशी के दौरान कुछ लेखा पुस्तकें अपने कब्जे में की थीं, ये पुस्तकें आयकर विभाग ने प्रवर्तन विभाग के सहायक निदेशक से अपने कब्जे में ले ली थी। उसके पश्चात केन्द्रीय जांच ब्यूरो की विशेष जांच कक्ष नई दिल्ली द्वारा मांगे जाने पर ये पुस्तकें आगे जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्योरो को सौंप दी गई थी। ये जब्त की गई लेखा पुस्तकें अभी भी केन्द्रीय जांच ब्यूरों के पास है। इसलिए आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

प्रो० एन० जी० रंगा : इसमें इतना समय क्यों लग रहा है।

अध्यक्ष महोदय : सभी चीजों की लिखित जानकारी दे दी गई है।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : विलम्ब और उनके मिले होने के संबंध में मैं यह बताना चाहता हूं कि उनके मिले होने का आरोप गलत है। जैसे कि तथ्य हमारे सामने हैं। अधिकारियों को अधिनियम और विभिन्न विनियमों के अन्तर्गत कार्य करना होता है। उन्हें उचित प्रक्रिया का पालन करना होता है। इस संबंध में उचित प्रक्रिया अपनाई गई है। समय आने पर अधिनिर्णय, निर्णय अथवा फैसला बता दिया जाएगा।

श्री के० लक्कप्पा : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राजस्व के विभिन्न विभागों के करोड़ों रुपये के अपवंचन का पता चला है क्या इसके लिए कि कलक्टर कानून की उलझन डाल कर विभिन्न तरीकों से अपने को न बचा सके इसके लिए क्या माननीय वित्त मंत्री आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना सुनिश्चित करेंगे और उन पर मुकदमा चलायेंगे।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : ऐसे भी विशेष न्यायालय स्थापित है जो आर्थिक अपराधों की जांच करते हैं। ये न्यायालय विशेष रूप से बम्बई तथा अन्य महानगरों में स्थापित किए गए हैं। और उनमें आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों पर मुकदमें चल रहे हैं। वह पूछना चाहते हैं कि क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई निदेश दिये गए हैं। मैं फिर यह बताना चाहता हूं कि कलक्टर तथा सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के अधिनियम के अन्तर्गत अन्य अधिकारियों को अर्धन्यायिक रूप में कार्य करना होता है। हम उन्हें निदेश नहीं दे सकते हैं। उन्हें नियमों तथा संबंधित कानून का पालन करके यथासम्भव शीघ्र न्याय निर्णय देना होता है।

श्री धर्मदास शास्त्री : अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा उन्होंने अपने नोट में पूरी बात दी है कि सी० बी० आई० ने छापे मारे डायरेक्टरों के घरों पर ...।

अध्यक्ष महोदय : यह तो हो गया।

श्री धर्मदास शास्त्री : मैं यही जानना चाहता हूं कि वह छापे मारे गये, उसकी कोई तारीख का इसमें जिक्र नहीं है। बेशुमार कागजात पकड़े गए, विदेशी मुद्रा पकड़ी गई। ऐसे इकोनामिक ऑफैंसेज में हमेशा उनको गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन इन दोषी लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया। आखिर उनके साथ यह रियायत क्यों बरती जा रही है? और यह भी जानना चाहता हूं कि इस कम्पनी के कितने मामले...(व्यवधान)।

एक माननीय सदस्य : मिस्टर जेठमलानी**...(व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल कर लीजिये जो करना है। क्या कर रहे हैं आप लोग।

श्री धर्मदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रश्न कर रहा हूं कि इस कम्पनी के कुल कितने मामले ऐडजुडिकेशन में हैं और कितने मामलों में निर्णय हो चुका है? इसका पूरा ब्यौरा हमको अभी नहीं मिला है और वह कौन कौन सी दूसरी कम्पनियां हैं जो इन मामलों में शामिल हैं, उन कम्पनियों का भी जिक्र आना चाहिए। अहमदाबाद में एक नई फर्म का जिक्र आया है, जिसका मतलब है कई और फर्में हैं जिनके नाम मैं जानना चाहता हूं।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : माननीय सदस्य ने दो सवाल पूछे हैं। पहला प्रश्न है कि सी० बी० आई० ने कब केस रजिस्टर किया और उसका क्या परिणाम निकला। मेरा निवेदन है कि केस रजिस्टर किया है 5 अप्रैल, 1980 को और जो पहला केस है वह एफ० ई० आर० ए० के वायलेशन के सम्बन्ध में था और उसका इनवेस्टीगेशन पूरा नहीं हुआ है क्योंकि दूसरे मुल्कों में भी इनवेस्टीगेशन होना बाकी है, वहां से सूचना आनी है। यह इनवेस्टीगेशन पूरा नहीं हुआ, अभी बाकी है। दूसरे के बारे में मेरा निवेदन यह है कि आयात और निर्यात के अन्तर्गत

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

मामला...जांच पूरी हो जाने के पश्चात 15 नवम्बर 1980 को बम्बई के एडीशनलचीफ मैट्रोपालिटन मैजिस्ट्रेट के न्यायालय में अभियुक्त के विरुद्ध शिकायत दर्ज करा दी गई है।

इसके अतिरिक्त इन्होंने जानकारी मांगी है कि इसके खिलाफ कुल कितने केसेज हैं एडजुडिकेशन में। मेरा कहना है कि 32 केसेज हैं।

1-7-74 से 31-3-80 की अवधि के सम्बन्ध में शीतल पेयजल तथा तैयार अथवा संसाधित खाद्य पदार्थ के सम्बन्ध में कम मूल्यांकन के 32 मामले जिनमें 17 लाख रुपए का शुल्क तथा बाद की अवधि के बाकी समय की मांग की राशि शामिल है। न्याय निर्णय यह है 1-8-1973 से 30-6-1976 तक की अवधि का एक मामला जो 7.28 लाख के शुल्क के सम्बन्ध में था। 3, मार्च, 1981 को उस पर निर्णय दे दिया गया। इस सम्बन्ध में 6.69 लाख शुल्क लगाया गया और 8 लाख रुपए तथा एक हजार रुपए उस पर दण्ड लगाया गया। भूमि भवन, सयंत्र और मशीनिरी इस शर्त पर जब्त कर ली गई कि 25 लाख रुपये का जुर्माना देने पर उन्हें वापिस कर दिया जाएगा। इसी प्रकार एक पारले एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी है।

अध्यक्ष महोदय : यह तो लिख कर भेज दीजिए आप।

श्री के० लकप्पा : सदन को इसके बारे में जानकारी मिल जानी चाहिए।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : इस मामले में भी 12-8-1980 को 8-6-1977 से 1978 तक की अवधि के सम्बन्ध में 7 लाख रुपए शुल्क की मांग की गई थी। 70 हजार जुर्माना लगाया गया था। ये सभी मामले अपीलीय और न्याय निर्णय प्राधिकारियों के पास लम्बित हैं।

श्री राम जेठमलानी : क्या माननीय मंत्री महोदय हमें यह बतायेंगे कि क्या पारले ग्रुप कम्पनियों का सारा दुर्भाग्य कोका कोला का सारा कामकाज ठप हो जाने के बाद और सारे मामलों की जांच कर दिये जाने के बाद आरम्भ हुआ था।**

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति प्रदान नहीं करता हूं।

श्री राम जेठमलानी : कृपया इस सदन को बताइए कि क्या सभी शिकायतें कोका कोला द्वारा की गई हैं।** (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति प्रदान नहीं करता हूं। आप आक्षेप न लगाएं। (व्यवधान)। मैं इसकी अनुमति प्रदान नहीं कर सकता। किसी के नाम पर उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। (व्यवधान)। मैं इसकी अनुमति प्रदान नहीं करता हूं। आप आक्षेप मत कीजिए (व्यवधान)। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप बैठते क्यों नहीं? (व्यवधान)। आप क्या कर रहे हैं। (व्यवधान)।

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : कानून अपने तरीके से चल रहा है। और यह कार्यवाही 1974 में आरम्भ हुई थी और यह जनता शासन के दौरान भी जारी रही। (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न पूछिए --श्री नारायण चन्द्र पराशर (व्यवधान)। ऐसा नहीं होने जाएगा। मैं इसकी अनुमति नहीं करता हूं। (व्यवधान)। इसकी अनुमति प्रदान नहीं की गयी है। जो कुछ मेरी अनुमति के बिना कहा गया है उसे रिकार्ड नहीं किया जाएगा। (व्यवधान)। आप क्या चाहते हैं। बैठ जाइए। (व्यवधान)। ** उन्होंने आपके नाम पर उल्लेख नहीं किया है। आपका नाम रिकार्ड में नहीं किया गया है। ** (व्यवधान)। कुछ भी और किसी का भी नाम रिकार्ड नहीं किया गया है।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : यह आपकी बड़ी कृपा है कि आपने उसका नाम रिकार्ड नहीं होने दिया है। यह ठीक है अन्यथा ।

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा कर चुका हूं।

श्री बूटा सिंह : धन्यवाद।

राज्य की राजधानियों का विमान सेवा द्वारा दिल्ली से जोड़ा जाना

*355. प्रो० नारायण चन्द्र पराशर : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी सहित सभी राज्यों की राजधानियों को विमान सेवा द्वारा केन्द्रीय राजधानी से जोड़ा जाएगा ; और

(ख) यदि हां, तो शिमला को दिल्ली से जोड़ने सहित यह कार्य कब तक कर दिए जाने की सम्भावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) हिमाचल प्रदेश, सिक्किम तथा नागालैंड को छोड़कर सभी राज्यों की राजधानियां पहले से ही दिल्ली के साथ विमान सेवा से जुड़ी हुई हैं। जैसे ही इन क्षेत्रों में वायुदूत सेवाएं परिचालित की जाएगी तो इन राज्यों की राजधानियों को भी विमान सेवा से जोड़ देने का प्रस्ताव है।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : मैं, मन्त्री महोदय से यह बात जानना चाहूंगा कि क्या शिमला में, जो राज्य की राजधानी ही नहीं अपितु भारत सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी रहा है हवाई अड्डा स्थापित किए बिना ही विमान सेवा से उसका सम्पर्क स्थापित कर दिया जाएगा।

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री ए. पी. शर्मा) : मुख्य प्रश्न के उत्तर में यह स्पष्ट बताया गया है कि जब इन स्थानों को, विशेषतया शिमला को, विमान सेवा से सम्बद्ध करने का निर्णय लिया जाएगा तभी शिमला में हवाई अड्डा बनाने का भी विचार किया जाएगा। वास्तव में हिमाचल प्रदेश सरकार की मांग पर शिमला में हवाई अड्डा बनाने के लिए वर्ष 1976 में 7.60 करोड़ रुपये का एक अनुमान तैयार किया गया था परन्तु धनाभाव के कारण इस प्रस्ताव को पांचवी और छठी योजना में कोई स्थान नहीं मिल सका। शिमला में हवाई अड्डे के निर्माण के लिए कोई कार्यवाही करना इसलिए सम्भव नहीं हुआ। परन्तु जैसे ही फीडर सेवा, अर्थात तीसरी एयरलाइन सेवा आरम्भ करने का निर्णय लिया जाएगा हम शिमला में हवाई अड्डे का निर्माण कार्य आरम्भ करेंगे। मैं, माननीय मित्र की जानकारी के लिए यह बताना चाहूंगा कि हम अप्रैल के तीसरे सप्ताह में कुल्लु के लिए इंडियन एयर लाइन की सेवा आरम्भ कर रहे है।

प्रो. नारायण चन्द पराशर : राज्य सरकार ने शिमला में हवाई अड्डा बनाने का प्रश्न अब फिर से उठाया है और माननीय मुख्य मन्त्री श्री राम लाल, मन्त्री महोदय श्री ए. पी. शर्मा से मिल चुके हैं इस बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ? छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शिमला में हवाई अड्डा बन जाएगा।

श्री ए. पी. शर्मा : मैं, बता चुका हूं कि छटी पंचवर्षीय योजना में, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यदि हम शिमला में हवाई अड्डा बनाने की बात सोचते है तो इस पर 14 करोड़ रुपये की लागत आने की सम्भावना है। धन की कमी के कारण इस समय इसका निर्माण कार्य आरम्भ करना सरकार के लिए सम्भव नहीं है।

श्री एम. एम. लारेंस : कोचीन से त्रिवेन्द्रम के लिए यात्रियों की बहुत भारी भीड़ हो जाती है। मन्त्री महोदय ने दिल्ली से त्रिवेन्द्रम और कोचीन के लिए विमान सेवा आरम्भ करने का आश्वासन दिया है। क्या मन्त्री महोदय यह बताएंगे कि यह विमान सेवा कब तक आरम्भ हो जाएगी ?

श्री ए. पी. शर्मा : यह प्रश्न मूल प्रश्न से नहीं उठता है।

श्री एम. एम. लारेंस : त्रिवेन्द्रम राज्य की राजधानी है।

श्री ए. पी. शर्मा : यह पहले ही विमान सेवा से सम्बद्ध है।

श्री रतन सिंह राजदा : दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जामनगर के निकट खम्बालिया में एक हवाई अड्डा बनाया गया था यह बड़े ही सामरिक महत्व का हवाई अड्डा है। इस हवाई अड्डे से हमारे विमान पांच से सात मिनट के अन्दर कराची पहुंच सकते हैं। इस समय हवाई यह अड्डा चालू नहीं है। क्या मंत्री महोदय इस हवाई अड्डे को चालू कराने के लिए कदम उठायेंगे ?

श्री ए. पी. शर्मा : मूल प्रश्न राज्यों की राजधानियों को विमान सेवा से सम्बद्ध करने के बारे में है। माननीय मित्र का यह प्रश्न मूल प्रश्न से नहीं उठता है। परन्तु मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री रतन सिंह राजदा : लेकिन हवाई अड्डा पहले ही बनाया जा चुका है। अब प्रश्न इसे उपयोग में लाने का है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न—श्री रामप्यारे पान्निका अनुपस्थित। प्रश्न संख्या 357 श्री अरुणाचलम अनुपस्थित। हमें इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा।

पश्चिम महाराष्ट्र के आयकर अधिकारियों द्वारा प्रदर्शन

*358. श्री जी० एम० बनातवाला : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे पश्चिम महाराष्ट्र के आयकर अधिकारियों ने 9 फरवरी, 1981 को अथवा इसके आसपास अपने कार्यालयों के सामने प्रदर्शन किए थे ;

(ख) इन अधिकारियों की मांगे क्या हैं ; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) एक विवरण-पत्र सदन-पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) आयकर आयुक्त, बम्बई अधिकार-क्षेत्र के आयकर अधिकारियों ने 9 फरवरी से 13 फरवरी 1981 तक मनाये गए 'विरोध सप्ताह' के दौरान प्रदर्शन किए थे।

(ख) उनकी मांगे इस प्रकार हैं :—

(1) अन्त : परिवर्तनीय पदों पर कार्य कर रहे आयकर अधिकारियों के बीच श्रेणी भेद भाव समाप्त करना ;

(2) पांच वर्ष अथवा उससे अधिक की सेवा वाले समूह 'ख' के सभी आयकर अधिकारियों की समूह 'क' वरिष्ठ वेतनमान में तत्काल पदोन्नति ;

(3) समूह 'ख' के आयकर अधिकारियों को 840-1200 रु० का वेतनमान प्रदान करना ;

(4) 1973 के वरिष्ठता सम्बन्धी नियमों को समाप्त करना ;

(5) विभाग के सभी ग्रेडों के अधिकारियों के लिए युक्तिसंगत तथा वैज्ञानिक कार्य-प्रतिमानों का निर्धारण ; तथा

(6) महा संघ के साथ परामर्श करके सभी अधिकारियों के लिए उचित संवर्ग व्यवस्था।

(ग) इन मांगों की समय समय पर सावधानीपूर्वक जांच की गई है किन्तु जिस रूप में ये मांगे प्रस्तुत की गई हैं उन्हें उस रूप में स्वीकार करना संभव नहीं पाया गया है। लेकिन, आयकर विभाग में अधिकारियों की पदोन्नति के अवसरों को सुधारने के प्रश्न की बराबर समीक्षा की जाती है और जब भी आवश्यक समझा जाता है, इस सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही की जाती है।

श्री जी. एम. बनातवाला : सरकार के विवरण में बताया गया है कि मांगों को उनके वर्तमान रूप में स्वीकार करना सम्भव नहीं है। यह बहुत ही भ्रामक विवरण है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे इस मुद्दे को स्पष्ट करें। परिवर्तनीय पदों पर कार्य कर रहे आयकर अधिकारियों के बीच श्रेणीभेद समाप्त करना, विभाग के सभी ग्रेडों के अधिकारियों के लिए युक्तिसंगत तथा वैज्ञानिक कार्य-प्रतिमानों का निर्धारण नहीं हैं? जब सरकार यह कहती है कि मांगों को उनके वर्तमान रूप में स्वीकार करना सम्भव नहीं है तब सरकार का इससे क्या अभिप्राय है और किस रूप में मांगे सरकार को स्वीकार्य होंगी ?

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : विवरण बिल्कुल स्पष्ट है। इसमें अस्पष्टता जैसी कोई बात नहीं है। फिर भी माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं उनका ध्यान विवरण के अन्तिम पैरा की ओर दिलाना चाहता हूं जहां यह उल्लेख किया गया है।

> "लेकिन आयकर विभाग में अधिकारियों की पदोन्नति के अवसरों को सुधारने के प्रश्न की बराबर समीक्षा की जाती है और जब भी आवश्यक समझा जाता है इस सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही की जाती है"।

श्री जी. एम. बनातवाला : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय समस्त स्थिति को अस्पष्ट रखना चाहते हैं। अधिकारियों ने अपना आन्दोलन तेज करने की इच्छा जाहिर कर दी है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार और इन अधि-अधिकारियों के बीच क्या बातचीत चल रही है। मामले को शान्तिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : चार मांग की गई है, इन चारों मांगों से सम्बन्धित कुछ और मांगे भी हैं। श्रीमन्, यदि आप अनुमति दें तो मैं इसका ब्यौरा दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : वह केवल यह जानना चाहते है कि क्या विवाद को निपटाने के लिए कोई विशेष कदम उठाए जा रहे हैं।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : यह मामला सरकार के विचाराधीन है और फेडरेशन से विचार विमर्श करने के पश्चात् यदि सम्भव पाया गया तो कार्यवाही की जायेगी। मैं पूरी जानकारी दे सकता हूं परन्तु इसमें समय लगेगा।

श्री जेवियर अराकल : मंत्री महोदय ने कहा है कि मांगों पर विचार किया जा रहा है। साथ ही अधिकारियों ने हड़ताल करने की धमकी दी है। मैं यह बात जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस विभाग से बातचीत करने के लिए क्या कदम उठाये हैं और क्या सरकार ने उन्हें यह सुनिश्चित कराने के लिए कि सरकारी विभिन्न विभागों के मामले में समानता अपनाई जाएगी कोई ठोस कदन उठाए है ?

श्री सवाई सिह सिसोदिया : विभिन्न विभागों के बीच समता रखने का प्रश्न इस प्रश्न से पैदा नहीं होता है। सरकार ने फेडरेशन आफ इन्कम टैक्स गजैटिड सर्विसीज एसोसिएशन के राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपनाई गई आन्दोलनकारी प्रवृति के विरुद्ध विशेषतया जबकि सरकार उनकी शिकायतों पर ध्यान दे रही है सरकार ने गम्भीर दृष्टिकोण अपनाया है फेडरेशन का ध्यान, धरना, कमल रोको अभियान, और बाहर निकल जाने जैसे आन्दोलन के तरीकों की ओर आकर्षित किया था और उन्हें परामर्श दिया गया कि वे दबाव डालने के ऐसे तरीके न अपनाए जो केन्द्रीय नियमों के विरुद्ध है। इसके साथ ही आयकर आयुक्तों को परामर्श दिया गया था कि वे अनुशासन बनाए रखें और यह सुनिश्चित कराएं कि जनता को कोई असुविधा न हो। फेडरेशन के नेताओं ने सदबुद्धि से अपनी हड़ताल वापस ले ली है।

प्रो. एन. जी. रंगा : मैं इस प्रश्न पर एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्पादन शुल्क अधिकारियों/आयकर अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों, को उनकी सेवा शर्तों के बारे में संतुष्ट रखने की आवश्यकता के विचार से क्या सरकार इस ओर विशेष ध्यान देगी। ताकि इन्हें अन्य राजपत्रित अधिकारियों की तुलना में अधिक कुछ न भी दिया जाए तो भी उनकी न्यायोचित मांगों पर सामान्य धीमी गति के विपरीत शीघ्र ध्यान दिया जा सके क्योंकि हम राज्य के लिए राजस्व प्राप्ति के लिए इन्हीं लोगों पर निर्भर करते है और हमें यह भी ध्यान रखना है कि कर दाताओं को कोई किसी प्रकार की परेशानी न हो।

अध्यक्ष महोदय : ग्रामीण लोगों का क्या होगा।

श्री सवाई सिह सिसोदिया : माननीय सदस्य सदन के एक वरिष्ठ सदस्य है और जो कुछ उन्होंने कहा है उस पर ध्यान दिया जाएगा।

अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन पर "वाक थ्रू" व्यवस्था

*359. **श्री जर्नादन पुजारी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तनों पर "वाक थ्रू" व्यवस्था लागू की है ; और

(ख) यदि हां, तो तस्करी रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जिन पर्यटकों और यात्रियों के पास शुल्क लगने योग्य कोई सामान नहीं हो अथवा जिन के पास सीमाशुल्क विभाग के समक्ष घोषणा लायक कुछ नहीं हो, उनकी शीघ्र निकासी के लिए "ग्रीन चैनल" में "वाक थ्रू व्यवस्था" चालू की गयी है।

(ख) इस व्यवस्था के दुरुपयोग को समाप्त करने तथा तस्करी को रोकने की दृष्टि से कुछ चुने-चुने यात्रियों की प्रतिशत अनुपात के आधार पर जांच की जायेगी। अपेक्षाकृत कड़ी निगरानी रखना, गुप्त सूचना इकट्ठी करना तथा चौकसी की बेहतर व्यवस्था करना जैसे अन्य उपाय भी किए गये हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं मन्त्री महोदय से यह बात जानना चाहता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर "वाक थ्रू व्यवस्था" आरम्भ करने के पश्चात विभागीय तन्त्र को सुदृढ़ बनाने के क्या कोई कदम उठाए गए हैं ; यदि हाँ, तो उनका विवरण क्या है ?

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : विभाग जो सावधानी बरतना चाहता है उसके बारे में मैंने अभी-अभी पढ़ा है और उसका ब्यौरा भी दिया गया है।

श्री जनार्दन पुजारी : हवाई अड्डों पर अद्यतन सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और क्या मैं यह भी जान सकता हूं ——।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मूल प्रश्न से नहीं उठता है।

श्री जनार्दन पुजारी : क्या सरकार ने वर्ष 1973 में नियुक्त की गई हवाई अड्डों की सुविधाएं संबंधी, समिति की सिफारिशें स्वीकार करली हैं।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : वर्ष 1973 में कोई समिति नियुक्त नहीं की गई थी। वर्ष 1978 में एक समिति की नियुक्ति की गई थी और समिति सभी सिफारिशों पर ध्यान दिया गया है।

चाय के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी

*360. **श्री निहाल सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चाय संघ, कलकत्ता के तत्वावधान में जनवरी, 1981 में चाय के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें किन-किन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी हाँ।

(ख) जिन मुख्य मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया वे थे। सन् 2000 तक चाय का उत्पादन बढ़ाकर 1,400 मि० किग्रा करना, चाय उद्योग को निवेश सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए वित्त जुटाने हेतु प्रबन्ध करना, राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों द्वारा चाय उद्योग पर कर लगाना पतनों तथा गोदामों पर हड़तालों तथा धीमे कार्य करने पर, जिससे चाय के निर्यातों पर प्रभाव पड़ता है, रोक लगाना तथा परम्परागत और गैर-परम्परागत दोनों क्षेत्रों में चाय की खेती का विस्तार करने के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराना।

श्री निहाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या केन्द्रीय सरकार चाय बागानों की भूमि की सीमा बाँधने की बात सोच रही है ; यदि हां, तो तब तक और नहीं तो क्यों ?

श्री खुर्शीद आलम खान : प्रश्न गोष्ठी की सिफारिशों के बारे में है। गोष्ठी में सिफारिश की गई है कि क्षेत्र का विस्तार भी किया जाना चाहिए और मामले पर विचार किया जाएगा।

श्री निहाल सिंह : क्या केन्द्रीय सरकार चाय के दामों में एकरूपता लाने के लिए तथा मजदूरों के शोषण की रोक-थाम के लिए चाय बागानों का राष्ट्रीयकरण करने की बात सोच रही है ?

श्री खुर्शीद आलम खान : चाय उद्योग के राष्ट्रीयकरण के लिए कोई सामान्य नीति नहीं है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : किस्म के सुधार के बारे में गोष्ठी ने क्या सुझाव दिए थे और रुग्ण चाय बागानों के बारे में सरकार क्या कदम उठाने जा रही है।

श्री खुर्शीद आलम खान : इस गोष्ठी में विचार-विमर्श विशेषकर उद्योग में सुधार लाने, उत्पादन बढ़ाने और उत्पादन के लिए क्षेत्र का विस्तार करने तक सीमित रहा। गोष्ठी में विचार-विमर्श के दौरान चाय की किस्म और उसके उत्पादन में सुधार के बारे में भी चर्चा हुई। (व्यवधान) औपचारिक रूप से गोष्ठी की सिफारिशें प्राप्त होने पर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे-निश्चय ही हम उन पर उचित ध्यान देंगे।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : रुग्ण चाय बागानों के बारे में आपका क्या ख्याल है ?

श्री माधव राव सिन्धया : समिति को अधिक आपूर्ति की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए चाय उत्पादन और निर्यातक देशों को आपस में यह निर्णय करना होगा कि किस प्रकार अधिक आपूर्ति को नियंत्रित अथवा कम किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में तथा आपूर्ति प्रबन्ध प्रक्रिया के बारे में खाद्य और कृषि संगठन तथा अंकटाड के तत्वाधान में विचार-विमर्श होते रहते हैं। क्या कलकत्ता में हुई अन्तर्राष्ट्रीय चाय गोष्ठी में इसी प्रकार की चर्चा हुई थी ? आपूर्ति प्रबन्ध और कोटा पाबंदियों को लागू करने में चाय उत्पादन राष्ट्रों का एक संयुक्त संगठन बनाने और समझौता करने के बारे में क्या प्रगति हुई ताकि चाय निर्यातक राष्ट्रों को लाभ प्रद मूल्य मिल सके ?

श्री प्रणव मुखर्जी : माननीय सदस्य ने दो प्रश्न किए हैं।

चाय के मूल्य को हम किस प्रकार कम करने जा रहे हैं ताकि यह अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगी बन सके ? उत्पादक देशों में किसी प्रकार का समझौता करने के लिए हम क्या कदम उठाने जा रहे हैं ?

प्रश्न के दूसरे भाग के उत्तर में मैं यह कह सकता हूं कि माननीय सदस्य हमारे द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। अंकटाड के तत्वाधान में कुछ बैठकें हुई हैं और हमारे लिए विभिन्न उत्पादक देशों के बीच किसी प्रकार की कोई व्यवस्था करना संभव होगा। किन्हीं कारणों से मैं उन देशों के नाम नहीं बताऊंगा जिनकी कुछ आपत्तियां हैं, किन्तु हम उन्हें राजी करने का प्रयास करेंगे।

मूल्य के सम्बन्ध में मैं यह कह सकता हूं कुछेक राज्य सरकारों द्वारा जहां चाय का उत्पादन होता है, उठाए गए वित्तीय उपायों से, जैसे हाल ही में बंगाल सरकार ने चाय बागान बाह्य बिक्री पर शुल्क लगा दिया है, हमारे लिए समस्या पैदा हो जाती है और हमारी चाय मंहगी हो रही है।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : इस्पात और कोयले के मूल्य में वृद्धि के बारे में आप क्या कहेंगे ? आप पश्चिम बंगाल में चाय की बात कर रहें हैं।

श्री प्रणव मुखर्जी : आप इस्पात और कोयला नहीं पीते हैं, चाय पीते हैं।

श्री नारायण चौबे : अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी में आपने उत्पादन के मामले में आपके सामने आने वाली कुछ रुकावटों की चर्चा की थी। विस्तार के मामले में आने वाली रुकावटों की भी आपने चर्चा की। वह कौनसी रुकावटें अथवा कठिनाईयां हैं, जो आपके सामने आती हैं ? आप उन्हें किस प्रकार हल करने जा रहे हैं ?

श्री खुर्शीद आलम खान : प्रमुख बाधा गोष्ठी में चर्चा विषय था। गोष्ठी में कलकत्ता बन्दरगाह की कठिनाइयों और उस क्षेत्र में स्थित गोदामों पर विचार किया गया। कठिनाई यह है कि इस अनिश्चितता के कारण कुछ खरीददार यह महसूस करते हैं कि भारतीय सप्लायरों के लिए उनको की जाने वाली सप्लायें की मात्रा की दे सकना सम्भव नहीं है और, इसलिए, हम डरते हैं कि अगर यही हाल रहा तो वे अपनी खरीददारी अन्य देशों से करने लगेंगे।

श्री अमर राय प्रधान : गम्भीर समस्या करों की नहीं है किन्तु समस्या की गम्भीरता चाय बागानों को प्राकृतिक विपदाओं और वित्त सम्बन्धी है। माननीय मन्त्री महोदय से मैं यह पूछना चाहूंगा कि बागानों को प्राकृतिक विपदाओं, विशेषकर सूखे से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए है। क्या सरकार चाय के लिए अलग से एक वित्त निगम स्थापित कर रही है ? चाय की खेती के विस्तार हेतु, विशेषकर दार्जलिंग क्षेत्र में, क्योंकि वहां की चाय विश्व बाजार में उत्तम चाय है, क्या विशेष कदम उठाए गए हैं ?

श्री खुर्शीद आलम खान : अलग से चाय निगम अथवा वित्त निगम की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है। हाल ही में निर्णय लिया गया है कि रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित समिति चाय उद्योग के वित्त सहित सभी पहलुओं का अध्ययन करेगी।

जहां तक प्राकृतिक विपदाओं का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि अगर हम भगवान से प्रार्थना करें कि कोई प्राकृतिक विपदा न आए तो ज्यादा अच्छा होगा।

संयुक्त उद्यम स्थापित करने में फिलिप्पीन की रुचि

*363. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिलिप्पीन ने इन्जीनियरी उत्पादों के निर्माण के लिए संयुक्त उद्यम स्थापित करने में रुचि दिखाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

फिलीपीन में संयुक्त उपक्रम स्थापित करने के लिए हाल ही में कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, फिलीपीन सरकार द्वारा प्रायोजित एक अध्ययन-सह-व्यापार प्रतिनिधि मंडल अक्तूबर,-नवम्बर, 1980 के दौरान भारत आया। इस प्रतिनिधिमण्डल ने लघु मत्स्य ग्रहण नौकाओं के लिए डीजल इंधन, हस्त-निर्मित कागजों, छतरियों, नक्काशी की वस्तुओं तथा आभूषणों, चमड़ा, दस्ती औजारों, साइकिलों, लघु धातु पुर्जों के लिए फाउन्ड्री, इलेक्ट्रानिक संगठनों तथा चिकित्सा उपकरणों, कार्यालय उपकरणों तथा वस्त्र मिल जैसे क्षेत्रों में फिलीपीन में भारतीय पक्षकारों के साथ सहयोग करके संयुक्त उपक्रम स्थापित करने में रुचि दिखायी। फिलीपीन काजू खेती में संयुक्त उपक्रम स्थापित करने के लिए भी वार्ता कर रहा है। फिलीपीन प्रतिनिधि मण्डल की रिपोर्ट अभी भारत सरकार को प्राप्त होनी है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : माननीय मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या अन्वेषणात्मक बातचीत शुरू हो गई है। संयुक्त उपक्रम में कुल कितना पूंजी निवेश होगा ? उसमें हमारा हिस्सा कितना होगा और फिलिपीन का हिस्सा कितना होगा ?

श्री प्रणव मुखर्जी : सदन के सभा पटल पर रखे गए विवरण के पाठ में मैंने उल्लेख किया है कि हम भारत के दौरे पर आये अध्ययन दल की सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनकी सिफारिशें प्राप्त होने के बाद हमारे लिए विशेष परियोजनाओं का चयन करना सम्भव होगा। तभी निवेश का तथा उन विशेष क्षेत्रों में हमारे हिस्से का प्रश्न उठेगा।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : अध्ययन दल की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ? क्या उन्होंने पाया है कि जहां तक भारत का सम्बन्ध है इन्जीनियरी उद्योग के लिए फिलिपी में काफी अच्छा बाजार है ? जहां तक फिलिपाइन में निवेश का सम्बन्ध है क्या इससे हमें अधिक आय होगी ? कब तक वे अपनी पूरी सिफारिशें दे देंगे ?

श्री प्रणव मुखर्जी : माननीय सदस्य का ध्यान मैं अपने विवरण के अन्तिम वाक्य की ओर दिलाना चाहूंगा :—

"फिलीपीन प्रतिनिधि मण्डल की रिपोर्ट अभी भारत सरकार को प्राप्त होनी है।"

यह अभी हमें प्राप्त नहीं हुई है और मैं यह नहीं कह सकता कि उनकी प्रमुख सिफारिशें क्या हैं। किन्तु कुछ क्षेत्रों का चयन किया गया है और उनका उल्लेख विवरण के मध्य में किया गया है। माननीय सदस्य इसे पढ़ सकते हैं।

1981-82 के लिए खाद्य तेलों की अनुमानित मांग

*364. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 के लिए खाद्य तेलों की अनुमानित मांग कितनी है; और

(ख) मांग को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने की संभावना है जिससे कि मूल्यों को उचित स्तर तक नीचे लाया जा सके ?

नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) व (ख) तेल वर्ष 1981-82 (नवम्बर 81 अक्तूबर, 1982) के लिए वनस्पति सहित खाद्य तेलों की अनुमानित मांग 40 लाख मीटरी टन के लगभग है।

खाद्य तेलों के मूल्यों में स्थिरता बनाये रखने के लिये सरकार मांग तथा आपूर्ति के बीच के अन्तर को खाद्य तेलों का आयात करके तथा उन्हें उचित दर की दुकानों के माध्यम से अधिक मात्रा में उचित मूल्यों पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध करा कर पूरा कर रही है। इस प्रयोजन के लिये, राज्य सरकारों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को निरन्तर मजबूत बनाया जा रहा है, ताकि आयातित खाद्य तेलों की अधिक मात्रा सप्लाई की जा सके। इस दिशा में जो अन्य उपाय किए जा रहे हैं वे ये हैं :— कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा तैयार की गई "कार्यवाही योजना" के कार्यान्वयन द्वारा देशी खाने योग्य तिलहनों/तेलों की उपलभ्यता बढ़ाना;

पारम्परिक तेलों, वनस्पति तथा अन्य गैर पारम्परिक तेलों के उत्पादन में वृद्धि करना ; जमा किए गए भण्डारों को बाहर निकलवाने के लिए अधिक सख्त कार्यवाही करना ; आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, उसके तहत जारी किए गए आदेशों और चोर बाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय बनाये रखना अधिनियम, 1980 के विभिन्न उपबन्धों को लागू करना ।

श्री हरिनाथ मिश्र : क्या यह सच है कि इस वर्ष फरवरी के अन्त तक खाद्य तेलों के मूल्य पिछले वर्ष से 30% बढ़ गये हैं। जबकि देश में उत्पादन कम नहीं हुआ है और बाहर से आयात 10 लाख टन पर ही ठहरा हुआ है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : इस वर्ष विभिन्न पकवानों में प्रयुक्त होने वाले देश में उत्पादित तेलों और तिलहन के मूल्यों में वृद्धि के दो प्रमुख कारण हैं। पहला मूंगफली की उपज, विशेषकर गुजरात,रायलासीमा और तेलंगाना में औसत से काफी कम हुई। और दूसरे हमने वनस्पति उद्योग को आयातित तेल की सप्लाई की मात्रा कम करदी ताकि वनस्पति के उत्पादन में गैर-पारम्परिक तेलों का प्रयोग बढ़े। इसलिए, वनस्पति उद्योग ने वनस्पति के उत्पादन में आयातित तेलों के स्थान पर, जो उन्हें पहले दिये जा रहे थे, बिनौले के तेल की खरीद शुरू कर दी है। इन दो कारणों से देश में खाद्य तेलों के मूल्य में वस्तुतः वृद्धि हुई है।

श्री हरिनाथ मिश्र : क्या यह सच है कि भारत सरकार के निर्देश के बावजूद गुजरात सरकार ने मूंगफली के तेल को राज्य से बाहर ले जाने पर कुछ अनौपचारिक प्रतिबन्ध लगा दिया है अगर हां तो क्या मूल्य वृद्धि का यह एक कारण नहीं है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : माननीय सदस्य का यह कथन ठीक है कि गुजरात सरकार ने कुछ अनौपचारिक प्रतिबन्ध लगाया था। किन्तु हमारे हस्तक्षेप से वह प्रतिबन्ध समाप्त कर दिया गया । इससे अस्थायी तौर पर बाजार में मूंगफली का तेल मंहगा हुआ था।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : माननीय मंत्री महोदय के उत्तर से क्या हम यह समझ सकते हैं कि खाद्य तेलों की कीमतें बढ़ती जायेंगी और सरकार कुछ नहीं कर सकती ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : यदि मैंने ऐसा कहा तो मैं क्षमा चाहता हूं। मैंने ऐसा नहीं कहा है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मूल्यों को नियंत्रित करने, तथा खाद्य तेलों के मूल्यों को कम करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : मुझसे यह पूछा गया था कि मूल्य क्यों बढ़ रहे है जो मैं बता चुका हूं। हम असमर्थ नहीं हैं। हम प्रभावकारी ढंग से मूल्यों पर नियंत्रण कर रहे हैं।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : अध्यक्ष महोदय, राशन की दुकानों पर एडिबल-आयल अवेलेबिल नहीं है। कल आप ने वनस्पति मैन्यूफैक्चरर्स के साथ मीटिंग कर प्राइसेज के बारे में कुछ निर्णय लिया है, लेकिन साथ ही आप ने प्रीवेन्शन आफ एडल्ट्रेशन एक्ट में तबदीली कर के एक नोटिफिकेशन निकाला है जिस के अनुसार 1953 में जो इन्टर नेशनल यूनिट के अनुसार 25 ग्राम विटामिन ए मिलाने के लिए मजबूर किया गया था, वह अब आप वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इसके खिलाफ आप के पास कन्ज्यूमर्स आर्गेनिजेशन्ज तथा प्रीवेन्शन-आफ्लाइडनेस आर्गेनिजेशन्ज की तरफ से कोई शिकायत आई है ? यदि यह बात सही है तो इसके बारे में आप क्या करने वाले हैं ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : अध्यक्ष जी, राशन की दुकानों पर वनस्पति तथा जो खाने के तेल हैं, उनकी उपलब्धि साधारण तौर पर ठीक है क्योंकि राज्य सरकारें जितना खाने का तेल उठाती थीं, उससे अधिक मात्रा में ले रही हैं तथा हम को जो सूचना मिली है उसके अनुसार राशन शाप्स के द्वारा इसकी उपलब्धि पहले से अधिक सन्तोषप्रद होती जा रही है।

जहां तक विटामिन ए का प्रश्न है, स्वास्थ्य विशेषज्ञों की यह राय है कि वनस्पति में विटामिन ए मिलाने से कोई फायदा नहीं होता है। जब कढ़ाई में डाल कर फ्राइंग-मीडियम के रूप में उसका उपयोग किया जाता है तो उसका मूल्य शून्य के बराबर हो जाता है। इसीलिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसी आधार पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। उस के ऊपर कुछ आपत्तियां आई हैं और मैं समझता हूं कि उन आपत्तियों पर विचार करने के बाद जो निर्णय लिया जाएगा, वह हमें मान्य होगा।

डल्ली राजहरा लौह-अयस्क खानों का विभागीयकरण

*365. **श्री ए० के० राय** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अधीन डल्ली राजहरा लौह अयस्क खानों में चिरस्थायी किस्म का काम कर्मचारियों का विभागीयकरण किये बिना ठेका-प्रणाली से किया जा रहा है ;

(ख) : क्या खानों के क्रमिक विभागीयकरण के बारे में प्रबन्धकों और छत्तीसगढ़ माइन्स श्रमिक संघ के बीच कोई समझौता हुआ था और इस सम्बन्ध में एक संसद सदस्य ने मंत्री जी को वर्ष 1980 में एक ज्ञापन भेजा था ;

(ग) : क्या यह सच है कि आश्वासन के बावजूद इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है ; और

(घ) : यदि हां, तो तत्संबन्धी कारण क्या हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) भिलाई इस्पात कारखाने के प्रबन्धकों ने दल्ली-राजहरा की लौह-अयस्क की अपनी खानों में उन कार्यों का पहले ही विभागीयकरण कर दिया है, जिन्हें ठेका-श्रमिक (विनियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम के अन्तर्गत स्थायी तथा वर्षानुवर्षी आधार पर चलने वाला घोषित कर दिया गया है। कारखाने की लौह-अयस्क की खानों में विभिन्न कार्यों का उत्तरोत्तर विभागीयकरण करने के बारे में कारखाने के प्रबन्धकों तथा छत्तीसगढ़ माइन्स श्रमिक संघ के बीच ऐसा कोई करार नहीं हुआ था। 11.8.1980 को संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित एक त्रिपक्षीय ज्ञापन, जिसमें मुख्य-श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) द्वारा ली गई बैठक के कार्यवृत संलग्न थे, के अनुसार प्रबन्धकों ने दल्ली के क्रशिंग संयंत्र के लिए लौह-अयस्क की उत्पादन प्रणाली के कार्यकरण की आर्थिक दृष्टि से समीक्षा करना स्वीकार कर लिया था और अपनी योजना के अनुसार कार्यों के विभागीयकरण के बारे में अपना निर्णय 15-9-1981 तक देने को कहा था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री ए० के० राय : महोदय, डल्ली राजहरा लौह-अयस्क खानों के बारे में मन्त्री महोदय के उत्तर में बहुत कम तथ्य बताये गए हैं और बहुत से तथ्यों को छिपाया गया है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि डल्ली राजहरा के सभी 9000 खान मजदूर इस समय हड़ताल पर हैं। उसके नेता श्री शंकर नियोगी तथा यूनियन के कुछ अन्य नेताओं को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है।

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि केन्द्रीय मन्त्री श्री विद्याचरण शुक्ल जो यहां पर बैठे हुए हैं, डल्ली राजहरा गए और वहां उन्होंने इस गिरफ्तारी तथा खान मजदूरों के साथ किए गए बर्ताव की निन्दा की। यह समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था।

इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि 1977, 1978 और नवीनतम जून 1980 तक श्रमिकों की वरिष्ठता सूची तैयार करने के लिए कोई समझौता किया गया है और यह कि सूची को 5-9-1981 तक अन्तिम रूप दे दिया जाएगा जिसमें सेवा प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का कार्ड मेडिकल की प्रति आदी दी जाएगी जिससे श्रमिकों के विभागीकरण के लिए आधार तैयार किया जाएगा।

श्री प्रणब मुखर्जी : महोदय, इसमें छिपाने वाली कोई बात नही है क्योंकि जिन तथ्यों का जिक्र माननीय सदस्य ने किया है, वे सभी हमें मालूम हैं और यह बात बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि श्री शुक्ल ने किसी विशेष मजदूर नेता की गिरफ्तारी की निन्दा की या नहीं। हम विभागीकरण के बारे में चर्चा कर रहे हैं, किसी एक मजदूर यूनियन कार्यकर्त्ता के गिरफ्तारी के बारे में नहीं। केन्द्रीय श्रम आयोग के सामने एक त्रिपक्षीय ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए। मैंने अपने वक्तव्य में स्थिति स्पष्ट कर दी है।

जहां तक इस खनन क्षेत्र के कार्य के विभागीकरण का सम्बन्ध है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अनुसार विस्फोट के कार्य का बिभागीकरण पहले ही किया जा चुका है। जहां तक ड्रिलिंग के कार्य का सम्बन्ध है, विभागीकरण 11 अगस्त 1980 को पूरा किया जा चुका है और कुछ अन्य प्रकार के कार्यों को निर्दिष्ट किया जाना है और यह काम 15 सितम्बर, 1981 तक निश्चित रूप से पूरा किया जाना है।

अपने मुख्य उत्तर में मैं यह बता चुका हूं कि इस सम्बन्ध में कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ है और पहले केन्द्रीय श्रम प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक विभागीकरण के लिए कार्य को अधिसूचित किया जाएगा अथवा स्वयं संयंत्र कार्य को निर्दिष्ट करेगा। तत्पश्चात कार्य के स्वरूप का पता लगाने के लिए मान्यता प्राप्त है यूनियन के साथ विचार विमर्श करना होगा। अगर यह मालूम होता है कि कार्य निरन्तर चलते रहने वाला, स्थायी स्वरूप का है तो उसका विभागीकरण कर दिया जाता है और यही प्रक्रिया इस सम्बन्ध में भी अपनाई जा रही है।

श्री ए० के० राय : निरन्तर चलते रहने वाले कार्य का अर्थ है स्थायी कार्य तथा उत्पादन प्रक्रिया सम्बन्धी प्रत्येक कार्य का स्थायी होना। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कोयला खनन में, कोयला निकालने, लादने और उत्पादन के कार्य निरन्तर चलते रहने वाले कार्य समझे जाते है और उनका विभागीकरण किया गया है। वही सरकारी क्षेत्र इस्पात मन्त्रालय द्वारा चलाया जा रहा है जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं इस्पात मन्त्रालय के दबाव के कारण ही यह उत्पादन कार्य, लदान कार्य जो कि निरन्तर चलते रहने वाले उत्पादन कार्य का एक अभिन्न अंग है के बारे में इस सम्बन्ध में अब तक विचार नहीं किया गया है। अतः क्या मैं पूछ सकता हूं कि कि कोयला खान क्षेत्र में और लोहा खनन क्षेत्र में अलग अलग मानदण्ड अपनाने का क्या कारण है ? क्या हम यह मान लें कि मन्त्री महोदय हमें यह आश्वासन देंगे कि इस तरह का भेद-भाव नहीं किया जाएगा और लोहा निकालने और उसके लदान कार्य को भी निरन्तर चलते रहने वाला कार्य मान कर उनका विभागीकरण किया जाएगा।

श्री प्रणव मुखर्जी : महोदय, मैं सभा में यह बता चुका हूं कि कोई कार्य निरन्तर चलते रहने वाला अथवा स्थायी व अस्थायी कार्य में है या नहीं, इस बात का पता निर्धारित प्राधिकारियों द्वारा लगाया जाना होता है और तदनुसार हमें उसकी सिफारिश करनी होती है और यदि वे उस कार्य के विभागीकरण की सिफारिश करते हैं तो हम उसका भी विभागीकरण कर देते हैं।

श्री ए० के० राय : महोदय, मेरा एक प्रश्न है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपको यह पता है कि कोयला खनन में किसी तरह के कार्य को निरन्तर चलते रहने वाला कार्य घोषित किया गया है और उसका विभागीकरण कर दिया गया है।

श्री प्रणव मुखर्जी : महोदय, मेरे लिए यह बताना कठिन है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, हमारा आमतौर पर यह अनुभव होता है कि सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में प्रबंधक केन्द्रीय ठेका श्रमिक विनियमन तथा उन्मूलन अधिनियम को

लागू नहीं करते । मेरा ख्याल है कि मन्त्री महोदय को इस बात की पूरी जानकारी है कि इस मामले में इस समय जमशेदपुर, टिस्को में क्या हो रहा है । लेकिन मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं ।

उन्होंने बताया है कि राजहरा खानों में भी विभागीकरण की प्रक्रिया चल रही है और छत्तीसगढ़ माइन्स श्रमिक संघ समझौते के अपनी व्याख्या के अनुसार उसका और विभागीकरण करने की मांग को लेकर आन्दोलन कर रहा है । प्रबंधको ने स्थानीय प्रशासन को भड़का कर या उससे सांठगांठ करके इस यूनियन के नेताओं को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार करवाया है । मन्त्री महोदय को इस सम्बन्ध में क्या कहना है । इन प्रयोजनों के लिए, मजदूर यूनियन आन्दोलनों को दबाने के लिए इस अधिनियम का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए । क्या आप यह पता लगाएंगे कि आपके प्रबंधक क्या कर रहे हैं और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर उन्होंने इस यूनियन के नेताओं को बिना मुकदमा चलाए कैसे गिरफ्तार करवाया है ।

श्री प्रणव मुखर्जी : जहां तक राज्य सरकार द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का सम्बन्ध है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है । किन्तु एक बात में माननीय सदस्य को बता सकता हूं कि जहां तक इस्पात संयंत्र के प्रबधकों का संबंध है उनकी कोई सांठगांठ नहीं है । विभागीकरण की प्रक्रिया के सम्बन्ध में मैं पहले बता चुका हूं उसके लिए 15 सितम्बर, 1981 तक का समय है ।

श्री ए० के० राय : क्या आप इन गिरफ्तारियों का समर्थन करते हैं ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : पहले वाले प्रश्न का क्या हुआ ? ऐसा लगता है कि इस विवाद के सम्बन्ध में मजदूर यूनियन नेताओं की गिरफ्तारी का उन्होंने समर्थन किया है। इस सम्बन्ध में कुछ नहीं बताया ।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं यह बताने के लिए सक्षम नहीं हूं ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा डूबी रकम को बट्टे खाते डाला जाना

*366. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री सुभाष यादव : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केवल 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों की डूबी रकम कुल मिला कर औसतन प्रतिवर्ष 50 करोड़ रुपए से अधिक हो जाती है ;

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों/कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनके मामलों में 5 लाख रुपए से अधिक की डूबी रकम बट्टे खाते डाली गई है ; और

(ग) प्रति वर्ष डूबी रकम की इतनी बड़ी राशि बट्टे खाते डाले जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है ।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंक अपने वार्षिक तुलनपत्रों को, प्रत्येक वर्ष की दिसम्बर के अन्त की स्थिति के अनुसार तैयार करते समय अशोध्य और संदिग्ध ऋणों का जायजा लेते हैं । उसके बाद वे अपने सांविधिक लेखा परीक्षकों की सन्तुष्टि के अनुसार अपनी वार्षिक आय में से अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए व्यवस्था करते हैं । बैंक अपनी प्राप्य राशियों की वसूली के सभी सम्भव प्रयासों के निष्फल हो जाने के बाद ही इस प्रकार उपलब्ध करायी गयी राशियों में से सभी अशोध्य और संदिग्ध ऋणों को बट्टे खाते डालते हैं । बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के अन्तर्गत तुलनपत्र के लिए विनिर्दिष्ट प्रपत्र (फार्मेट) के अनुसार सभी बैंकों को अपने तुलनपत्र में विशेष रूप से उन ऋणों को दिखाना पड़ता है जो संदिग्ध अथवा अशोध्य समझे जाते हैं और जिनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई होती है। वर्ष 1977, 1978 और 1979 के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रकाशित तुलनपत्रों के अनुसार किसी बैंक द्वारा ऐसे ऋणों को आगे नहीं ले जाया गया है जो संदिग्ध अथवा अशोध्य समझे गये हों और जिनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी थी ।

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1947 की तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट तुलनपत्र पत्रों तथा लाभ-हानि लेखों के अनुसार बैंकों को अपने लेखा परीक्षकों की सन्तुष्टि के अनुसार उन अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के ब्योरे प्रकट न करने के लिए सांविधिक सुरक्षा प्रदान की गयी है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों को शासित करने वाले विधानों तथा बैंकरों में प्रचलित प्रथाओं और रीति-रिवाजों के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों से कानूनन यह अपेक्षित है कि वे अपने ग्राहकों से सम्बन्धित अथवा उनके कार्यों के बारे में सूचना प्रकट न करें ।

उपर्युक्त सांविधिक उपबन्धों को देखते हुए, उन अशोध्य ऋणों के बारे में, जिनके लिए व्यवस्था की गयी है अथवा उन ग्राहकों के नाम और कारण जिनके ऋण बट्टे खाते डाले गये हैं, प्रकट नहीं किए जा सकते ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं इस वक्तव्य को चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि उन्होंने बताया है कि कानूनी उपबंधों के अनुसार यह जानकारी प्रकट नहीं की जा सकती । मैं संबंधित व्यक्तियों के बारे में जानकारी नहीं मांग रहा हूं । मैं जानता हूं कि वे नाम बताए नहीं जा सकते किन्तु मैं इसलिए जानना चाहता हूं कि उन्होंने अपने वक्तव्य में बताया कि 1977, 1978, और 1979 में सरकारी क्षेत्र 28 बैंकों में से किसी भी बैंक द्वारा ऐसे ऋणों को आगे नहीं ले जाया गया है जो संदिग्ध अथवा अशोध्य समझे गये हों ।

श्री मगन भाई बरोट : इसकी व्यवस्था नहीं की गई है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसका मतलब है उन्हें बटटे खाते डाल दिया गया है। व्यवस्था की गई है का अर्थ हुआ बटटे खाते डाल दिया, यही न ? इनकी व्यवस्था कैसे की जाती है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : मैं इसे थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं। महोदय बैंकों के लाभ में से दूसरी व्यवस्था की जाती है। सांविधिक लेखापरीक्षक यह पता लगाते हैं कि कौन से ऋण अशोध्य तथा संदिग्ध हैं और यदि बैंक लाभ में से संदिग्ध और अशोध्य ऋणों की व्यवस्था कर लेते हैं तो उसे तुलनपत्र में नहीं दिखाया जाता। यदि वे अपने लाभ में से ऐसे संदिग्ध और अशोध्य ऋणों की व्यवस्था नहीं कर पाते तो यह लोगों पर प्रकट कर दिया जाता है ताकि वे यह जान सकें कि बैंक की स्थिति अच्छी नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कुटीर दियासलाई निर्माता के केरल राज्य संघ से प्राप्त ज्ञापन

* 352. श्री के० ए० राजन : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें कुटीर दियासलाई निर्माता संगठन के केरल राज्य संघ (केरल स्टेट फेडरेशन आफ काटेज मैच मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन) द्वारा 4 जनवरी, 1981 में पेश किया गया कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या हैं और उस पर सरकार का क्या निर्णय है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) केरल स्टेट फेडरेशन आफ काटेज मैच मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन से दिनांक 11 जनवरी, 1981 का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था उक्त अभ्यावेदन बजट-पूर्व प्राप्त होने वाले अभ्यावेदन के स्वरूप का है, जिसमें यह कहा गया है कि वह केरल राज्य के ऐसे लगभग 425 कुटीर माचिस एककों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है जिनके पास खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा जारी किए गये "वास्तविक" प्रमाण-पत्र हैं। उक्त ज्ञापन में की गई मुख्य मांगें ये हैं :—

(एक) कुटीर क्षेत्र के माचिस एककों को उत्पादनशुल्क में दी गयी रियायत अगले वर्ष भी जारी रखी जानी चाहिए।

(दो) खादी ग्रामोद्योग आयोग का नियंत्रण उत्पादन शुल्क संबन्धी रियायत का लाभ प्राप्त करने के लिए लगाया जाय और उचित मजदूरी तथा अच्छी क्वालिटी के संबंध में उनके नियंत्रण को सीमित रखा जाय, क्योंकि खादी ग्रामोद्योग आयोग

द्वारा चलाया गया एक ही लेवल लगने संबंधी अभियान और वसूली का एकाधिकार व्यवहार नहीं है और वह असफल साबित हुआ है ।

(तीन) उत्पादनशुल्क रियायत पाने के प्रयोजनार्थ खादी ग्रामोद्योग आयोग का लेवल लगाने और खा० ग्रा० आ० द्वारा माचिसों की वसूली संबन्धी शर्तें समाप्त की जाए ।

(चार) उत्पादन शुल्क रियायत के संदर्भ में कुटीर क्षेत्र के माचिस एककों के उत्पादन की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाए । सहकारी क्षेत्र के एककों के मामले में भी इसी प्रकार का प्रतिबन्ध लगाया जाए ।

(पांच) खादी ग्रामोद्योग आयोग को सहकारी समितियों पर भी नियंत्रण रखने का अधिकार दिया जाए, जैसाकि अलग-अलग एककों के मामले में प्राप्त है ।

(छः) माचिस उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न (रंगों के) बैण्डरोल लागू किये जाएं ।

2. पिछले कई वर्षों से माचिसों के संबन्ध में उत्पादनशुल्क की विभेदी दरों की योजना लागू रही है । सरकार ने हाल ही में इस योजना की समीक्षा करके उसमें वर्ष 1981-82 के बजट प्रस्तावों के अंग के रूप में आवश्यक संशोधनों की घोषणा की है । जिन परिवर्तनों की घोषणा की गई है उनमें ये शामिल हैं :--

(एक) 1 जुलाई, 1981 से (खादी ग्रामोद्योग आयोग के एककों के मामले में) उत्पादन शुल्क की रियायती दर केवल उन्हीं कुटीर एककों तक ही सीमित कर दी गयी है, जो खा० ग्रा० आ० द्वारा विभागीय रूप से चलाए जाते हैं अथवा जो खा० ग्रा० आ० की मान्यता प्राप्त अथवा सहायता प्राप्त संस्थाओं द्वारा या उनके अन्तर्गत चलाए जाते हैं ।

(दो) खा० ग्रा० आ० के ऐसे एककों के संबंध में लेबल लगाने और विपणन संबन्धी वर्तमान शर्तें 1 जुलाई, 1981 से समाप्त कर दी गयी हैं ।

(तीन) कुटीर एककों द्वारा निकासी की गयी माचिसों के संबन्ध में, जिनमें सरकारी क्षेत्र के एकक भी शामिल हैं, शुल्क की रियायती दरों पर निकासी की जाने वाली मात्रा पर, 1 जुलाई, 1981 से, प्रतिवर्ष 1200 लाख माचिसों की अधिकतम सीमा लागू कर दी गई है । शुल्क की रियायती दर का लाभ उठाने योग्य बनने के लिए प्रति माह 150 लाख माचिसों के अधिकतम उत्पादन की शर्त भी लगा दी गई है ।

इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि कुटीर क्षेत्र में उत्पादित माचिसों पर 1.60 रु० प्रति ग्रुस के हिसाब से लगने वाली उत्पादन शुल्क की वर्तमान रियायती दर फिलहाल जारी रखी गई है।

3. विभिन्न रंगों के बेण्डरोल चालू करने के प्रश्न की जांच पिछले वर्ष की गई थी। उस समय व्यावहारिक कारणों के आधार पर, ऐसी योजना को कार्यान्वित करना उपर्युक्त नहीं समझा गया था।

कोलार में सोने के निक्षेप

* 356. श्री राम प्यारे पनिका : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोलार में सोने के निक्षेपों की सम्भावना का पता लगाने सम्बन्धी काम को तेज करने के लिए कोई निदेश जारी किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके परिणामस्वरूप क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ;

(ग) क्या भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण विभाग ने इस काम में कुछ प्रगति की है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ) सोने के प्रचलित विश्व मूल्य के कारण स्वर्ण उत्पादन में अधिक लाभकारिता को देखते हुए सरकार ने स्वर्ण की और अधिक गहन खोज का काम शुरू किया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, खनिज गवेषण निगम और भारत गोल्ड माइन्स लि० ने कोलार पट्टी में अतिरिक्त स्वर्ण भंडारों की खोज के लिए एक समन्वित कार्यक्रम तैयार किया है। ये कार्यक्रम 1981-82 में भी चालू रखा जाएगा। इसके अन्तर्गत भूभौतिकी तथा भूरासायनिक सर्वेक्षण, आवश्यक मानचित्रण, गर्तन एवं खन्दक निर्माण और उसके बाद खोजी ड्रिलिंग के कार्य किए जाएंगे। अब तक के खोज कार्य से उक्त पट्टी में अनेक स्थानों पर स्वर्ण खनिजीकरण के संकेत मिले हैं। गहन खोज के सभी पहलुओं से पूरा हो जाने के बाद ही दोहन योग्य भंडारों की दृष्टि के रूप में परिणाम ज्ञात हो सकेंगे।

माचिसों पर उत्पादन शुल्क में छूट

* 357. श्री एम० अरूणाचलम :

श्री ए० ए० रहीमा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माचिसों में बाहरी और भीतरी परतों (स्लाइडों) के लिए गत्ता प्रयुक्त किये जाने पर और केवल भीतरी परत के लिए गत्ते का प्रयोग करने पर उत्पादन शुल्क में छूट दी जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो केवल बाहरी परत के लिए गत्ते का प्रयोग करने पर आनुपातिक छूट न देने के क्या कारण है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां ।

(ख) जब पहली बार वर्ष 1968 में "बाहरी और भीतरी दोनों स्लाइडों" और "केवल भीतरी स्लाइड" के लिए रिबेट की अनुमति दी गई थी अथवा जब वर्ष 1977 में दरों में संशोधन किया गया था, उस समय केवल बाहरी स्लाइड के लिए गत्ते के इस्तेमाल की बाबत आनुपातिक रिबेट दिए जाने के सम्बन्ध में व्यापारी वर्ग से कोई दरख्वास्त प्राप्त नहीं हुई थी ।

विदेशों से धन का आना

*361. **श्रीभीखा भाई** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईरान-इराक युद्ध के कारण खाड़ी के देशों से भारतीय राष्ट्रिकों के आने के कारण विदेशों से धन के आने में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं हुई है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों की तुलना में विदेशों से धन के आने के (वर्ष-वार) आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार की खाड़ी के क्षेत्रों से धन के आने को प्रोत्साहित करने की कोई योजना है ?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) वर्ष 1980 के दौरान आवक प्राप्तियों (अदृश्य) के त्वरित और अनन्तिम अनुमानों के महीने-वार आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

महीना	निर्यात-भिन्न (प्राप्तियां)
	(करोड़ रुपए)
जनवरी	400.47
फरवरी	285.58
मार्च	311.42
अप्रैल	308.66
मई	232.16

जून	223.12
जुलाई	230.05
अगस्त	599.13
सितम्बर	689.04
अक्टूबर	643.37
नवम्बर	231.37
दिसम्बर	312.91

ये आंकड़े कुल निर्यात-भिन्न प्राप्तियों के हैं। केवल खाड़ी के देशों से प्राप्त राशियों के संबंध में ठीक-ठीक सूचना उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि चालू नियमों के अन्तर्गत प्राधिकृत डीलरों के लिए 10,000 रुपए या इससे कम की राशियों के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक को सूचना देना जरूरी नहीं है। उपर्युक्त आंकडे आवक राशियों से सम्बन्धित प्राप्तियों के चार शीर्षों अर्थात् (एक) परिवार भरण पोषण, (दो) अनिवासियों की बचतें, (तीन) "प्रवासी अन्तरण" और (चार) "मनीआर्डर प्राप्तियां के अलावा जहाजी कम्पनियों की प्राप्तियों, बीमा प्राप्तियों, लाभांश प्राप्तियों, पर्यटन आदि जैसी सकल निर्यात-भिन्न प्राप्तियों के द्योतक हैं।

ईरान-इराक युद्ध सितम्बर 1980 के अन्त में शुरू हुआ था। ऊपर दिए गए आंकड़ों से खाड़ी के देशों से भारतीय राष्ट्रिकों के चले आने और निर्यात-भिन्न प्राप्तियों के बीच किसी आवश्यक संबन्ध का पता नहीं चलता।

(ख) पिछले तीन वर्षों की निर्यात-भिन्न प्राप्तियों के त्वरित अनुमानों के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

	(करोड़ रुपए)
1978	2218.75
1979	2775.28
1980	4467.28

(ग) सरकार ने विदेशों में रहने वाले भारतीयों को भारत में नियमित रूप से वैद्य राशियों को आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं बनाई हैं :—

(एक) पूंजी और आय के प्रत्यावर्तन के अधिकारों के बिना किसी भी कार्य-क्षेत्र में बिना किसी प्रतिबन्ध के पूंजी निवेश की योजना।

(दो) अनिवासी भारतीयों और विदेशों में रहने वाले भारतीयों मूल के व्यक्तियों द्वारा प्रत्यावर्तन के विकल्प सहित नई भारतीय कम्पनियों के नए इक्विटी शेयरों में 20 प्रतिशत तक पूंजी निवेश की अनुमति की योजना ;

(तीन) अनिवासी भारतीयों और विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा प्रत्यावर्तन के विकल्प सहित कतिपय औद्योगिक उपक्रमों में 74 प्रतिशत तक राशि के निवेश की अनुमति की योजना ;

(चार) विदेशी मुद्रा से स्कूटरों, कृषि ट्रेक्टरों और सीमेंट की प्राथमिकता के आधार पर आवंटन की योजना ;

(पांच) अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के व्यक्तियों को उनके द्वारा लाई गई विदेशी मुद्रा के 25 प्रतिशत तक की राशि अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति की योजना (आर. आई. एफ० ई. ई. स्कीम) ;

(छः) अनिवासी (बाह्य) खाता योजना, जिसके अन्तर्गत अनिवासी भारतीय खाताधारी अपने खातों की राशियों को अपनी इच्छा से प्रत्यावर्तित कर सकते है ; और

(सात) विदेशी करेंसी (अनिवासी) खाता योजना जिसके अन्तर्गत उपर्युक्त मद (चार) में उल्लिखित लाभों के अलावा खाताधारी को विनिमय दरों में होने वाली घट-बढ़ के कारण किसी हानि की जोखिम नहीं उठानी पड़ती ।

सरकारी उद्यम ब्यूरो के ढांचे का पुनर्गठन

*362. **श्री चित्त बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नीति बनाने और उसका कार्यान्वयन करने के दोनों स्तरों पर श्रमिकों को प्रभावी सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकारी उद्यम ब्यूरो का पुनर्गठन करने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) सरकारी उद्यम कार्यालय, सरकार के वित्त मंत्रालय का एक अभिन्न अंग है और श्रमिकों जैसे गैर-सरकारी प्रतिनिधियों को सहयोजित करने के लिए इसके पुनर्गठन का प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

इन्डियन एयरलाइन्स के बोइन्ग-737 की उड़ानें बन्द करना

*367. **श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव :**

श्री हीरालाल आर० परमार : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयरलाइन्स के तीन बोइंग-737 विमानों की उड़ानें बन्द करने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या इन विमानों की पहले जांच की गई थी और उन्हें उड़ान भरने योग्य पाया गया था ; और

(ग) इन्हें काम में लाए जाने के योग्य बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) विमानों को "लीडिंग एज फ्लैप एकचुएटर अटेचमेंट फिटिंग" में एक तकनीकी खराबी को दूर करने के लिए भूमिस्थ किया गया था ।

(ख) जी हां ।

(ग) विमानों का विस्तृत निरीक्षण किया गया तथा खराबियों को दूर किया गया और उसके बाद उन्हें पुना सेवा में लगा दिया गया ।

बिक्री-कर को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में बदला जाना

*368. **श्री ई० बालानन्दन :**

श्री अमर राय प्रधान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य-मंत्रियों के हाल में हुए सम्मेलन में कुछ मुख्य-मंत्रियों ने केन्द्रीय सरकार के 5 और ऐसी मदों को केन्द्रीय अतिरिक्त उत्पादन शुल्क के अंतर्गत लाने संबंधी प्रस्ताव का विरोध किया था, जिन पर राज्य बिक्री-कर की वसूली कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन्होंने इसके क्या-क्या कारण बताए ;

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) बिक्री-कर ढांचे में सुधार लाने के लिए सरकार ने किन-किन उपायों पर विचार किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (घ) क्योंकि संविधान के अन्तर्गत बिक्री कर मुख्यतः राज्य कराधान का विषय है, इसलिए मौजूदा बिक्री कर

प्रणाली में कोई भी सुधार राज्यों के परामर्श और सहयोग के साथ ही किया जा सकता है। देश में विभिन्न वाणिज्य मंडलों, उद्योग तथा व्यापार संघों, आम जनता, आदि की ओर से बिक्री कर ढांचे में मूलभूत सुधार करने की एक व्यापक और चिरकालिक मांग को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न संवैधानिक, सांविधिक, प्रक्रियात्मक तथा प्रशासनिक पहलुओं पर विचार करने के लिए 16 और 17 सितम्बर 1980 को दिल्ली में मुख्य-मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसके समापन सत्र में सम्मेलन ने निम्नलिखित संकल्प पारित किया था :—

(क) हाथी समिति द्वारा सूची-बद्ध जीवन रक्षक औषधियों और वनस्पति पर लगने वाले बिक्री-कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाया जाए और राज्यों के वर्तमान तथा भावी तर्कसंगत राजस्व हितों की रक्षा के लिए तदर्थ उपयुक्त रीति निर्धारित की जाए ;

(ख) (I) वस्तुओं की जिस सूची पर बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने की योजना लागू करनी है उसमें वृद्धि करने और (II) घोषित वस्तुओं की सूची में वृद्धि करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के लिए मुख्य मंत्रियों की एक नामिका तैयार की जाए ;

(ग) विधि आयोग से निवेदन किया जाए कि वह राज्यों के विचारार्थ आदर्श बिक्री कर का एक मसौदा उच्च प्राथमिकता के आधार पर तैयार करे ; और

(घ) केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह संविधान (49 वां संशोधन) विधेयक के अपरूप, संविधान (संशोधन) विधेयक शीघ्र पेश करने हेतु विचार करे।

1. लेकिन, केरल, तमिलनाडु, त्रिपुरा और प० बंगाल के मुख्य मंत्रियों ने संकल्प के (क), (ख) और (ग) भागों से अपनी असहमति प्रकट की थी।

2. उपर्युक्त सम्मेलन की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में, उपर्युक्त संकल्प के भाग (ख) के अनुसार गठित नामिका के सदस्यों सहित मुख्यमंत्रियों का एक और सम्मेलन, अन्य बातों के साथ-साथ घोषित माल की सूची में वृद्धि करने और वनस्पति, भेषज और सीमेंट औषध, कागज, गत्ता और पैट्रोलियम उत्पादों पर बिक्री करने के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए नई दिल्ली में 15-2-81 को एक बैठक बुलाई गयी। कुछ मुख्य-मंत्रियों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया क्योंकि उनकी राय में राज्य के राजस्व पर इसका असर पड़ेगा और राज्य सरकारों की कर लगाने की शक्तियों पर प्रतिबंध लगेगा। इसके अतिरिक्त, पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी असहमति जाहिर की क्योंकि राज्य सरकार ने संघ सरकार के खिलाफ़ यह मुकदमा दायर किया हुआ था एक जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 को चुनौती दी थी और मामला अभी सर्वोच्च न्यायालय में अनिर्णीत पड़ा था। सम्मेलन ने वित्त मंत्री के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए कि प्रस्तावित योजना को ऐसे ढंग से तैयार करके लागू किया जाएगा कि उन वस्तुओं से राज्यों के वर्तमान और भावी राजस्व हितों की रक्षा हो सके, निम्नलिलित संकल्प पारित किए :

(i) पूर्वोक्त प्रस्ताव के वित्तीय प्रभावों और उस पद्धति का अध्ययन करने के लिए कि जिससे राज्यों के वित्तीय हितों की सुरक्षा की जा सके, एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए, जिसका अध्यक्ष, वित्त आयोग का अध्यक्ष बनने योग्य कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हो और जिसके सदस्य एक अर्थशास्त्री और एक प्रशासक हों।

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति, अपने कार्य के प्रयोजनार्थ, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों से यथावश्यक सूचना मांग सकती हैं और समिति अपनी रिपोर्ट 3 महीने के अन्दर प्रस्तुत कर देगी ;

(iii) समिति की रिपोर्ट, समुचित विचार करने के लिए, इस प्रयोजन के लिए बुलाये गये मुख्यमंत्री-सम्मेलन के समक्ष प्रस्तुत की जाए।

पश्चिम बंगाल, केरल तथा जम्मू और कश्मीर राज्य, सिद्धान्ततः इस संकल्प से सहमत नहीं हुए हैं।

3. बिक्री कर संरचना में सुधार करने के लिए मुख्य मंत्रियों के दोनों सम्मेलनों द्वारा पारित संकल्पों पर अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है।

दुर्गापुर इस्पता संयंत्र का आधुनिकीकरण

*369. **श्री नीरेन घोष** : क्या इस्पात और खान मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन के इस्पात विशेषज्ञों ने दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण करने के लिए योजनाओं का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इन सुझावों पर विचार किया गया है ; और

(घ) इन सुझावों को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रवण मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) ब्रिटिश स्टील कारपोरेशन (ओवरसीज सर्विसेज) द्वारा किए गए अध्ययन के मुख्य-मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :—

1. कारखानों की वर्तमान स्थिति तथा संचालन का मूल्यांकन करना और इसमें सुधार लाने के लिए अल्पकालिक आधार पर सिफारिशें करना (संचालन प्रणाली में परिवर्तन तथा संयंत्र में मामूली फेरबदल भी शामिल है ; और

2. दुर्गापुर इस्पात कारखाने के आधुनिकीकरण तथा बिकास हेतु पूंजी के विकास के विकल्पों का तकनीकी तथा आर्थिक मूल्यांकन करना जिससे मध्यावधि तथा दीर्घावधि उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके।

उनकी रिपोर्ट के आधार पर वर्तमान स्थिति में दुर्गापुर इस्पात कारखाने की स्टील सेल्टिंग शाप की पिण्डों के बेलन की क्षमता 11.5 लाख टन आंकी गई है । इसे उत्पादन का मूल आधार स्तर समझा जाएगा। बी० एच० सी० (ओ० सी०) की राय में उत्पादन के इस मूल आधार स्तर को बनाये रखने के लिए अगले कुछ वर्षों में वर्तमान उपस्करों में से कुछ उपस्करों की मरम्मत करानी होगी और कुछ को बदलना होगा ।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो दूसरे बिकल्प दिए गये हैं, वे इस प्रकार हैं :—

1. अधिकाधिक उत्पादन-क्षमता बनाने के लिए संयंत्र को पुनः सज्जित करना होगा परन्तु कोई नया मुख्य प्रोसेस प्लांट नहीं लगाना पड़ेगा। इसे वर्धित मूल आधार माना जाएगा; और

2. इस समूचे प्रक्रय-चित्र को संतुलित करने के लिए नए-मेन प्रोसेस संयंत्र लगाकर कारखाने की उत्पादन-क्षमता में विस्तार किया जाएगा और इसका आधुनिकीकरण किया जाएगा।

बी० एस० सी० (ओ० एस०) के द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर वर्धित मूल आधार तथा विकसित आधार के अन्तर्गत अन्ततः पिण्डों के बेलन तथा द्रव इस्पात की वार्षिक क्षमता क्रमशः 14.4 लाख टन तथा 20 लाख टन तक की जा सकती है।

विकास की अन्तिम अवस्था को दो चरणों में विकसित करने का प्रस्ताव है। द्रव-इस्पात के उत्पादन और पहले चरण में पूंजी-निवेश का अनुमान क्रमशः 15.6 लाख टन तथा 596.2 करोड़ रुपए लगाया गया है। 20 लाख टन की अन्तिम क्षमता दूसरे चरण में लगाई जाएगी और इस पर 491.1 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। इस कार्य को चरणों में करने की परिकल्पना इसलिए की गई है कि खर्च कई चरणों में बंट जाएगा और तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से पहले चरण का कार्य एक अलग विकल्प के रूप में विकसित नहीं किया जा सकता।

(ग) और (घ) सेल इस समय इस रिपोर्ट पर गहराई से बिचार कर रही है।

समुद्री-उत्पाद उद्योग

*370. **श्री मनमोहन दुडु** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या 1981-82 के दौरान समुद्री उत्पाद उद्योग को स्थिरता प्रदान करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : जी हां । हमारे समुद्री उत्पादों के निर्यातों के विकास के लिए समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा जिन विभिन्न स्कीमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है उनके अलावा, सरकार ने हाल ही में अनेक उपाय किए हैं जैसे कि पौम्फ्रेट्स के निर्यात सम्बन्धी नीति का उदार बनाया जाना, डिब्बाबन्द श्रिम्प के निर्यात पर नकद प्रतिपूर्ति सहायता का बढ़ाया जाना, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए विदेशी पोतों को किराए पर लेने की नई नीति की घोषणा और हमारे निर्यात बाजारों तथा उत्पाद समूह का विविधीकरण करने के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को बिक्री-सह अध्ययन दल का भेजा जाना । सरकार ने समुद्री उत्पाद उद्योग के विकास के लिए उपायों का सुझाव देने के लिए समुद्री उत्पादों पर एक कृतिक बल भी स्थापित किया है ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए परिवार पेंशन योजना

*371. **श्री चन्द्रपाल शेलानी** : क्या वित्त मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए परिवार पेन्शन योजना कब शुरू की गई थी और उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की परिवार पेन्शन योजना की दरें क्या हैं ;

(ग) क्या जीवन-निर्वाह सूचकांक की सतत-वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार का परिवार पेन्शन योजना की दरों को बढ़ाने के लिए इनमें संशोधन करने का विचार है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए परिवार पेन्शन योजना शुरू करने की तारीख तथा उनकी मुख्य-मुख्य बातें ।

(ख) कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए परिवार पेंशन योजना की दरें :

परिवार पेंशन योजना 1-1-64 से शुरू की गई थी । इसकी मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित थी :—

(एक) वह योजना अंशदाई स्वरूप की थी तथा प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को उसके दो महीने की परिलब्धियों की राशि के बराबर अथवा 5000/- रुपए, इनमें से जो भी कम हो, अंशदान करना होता था । इस अंशदान की मृत्यु-तथा-सेवा-निवृति उपदान अथवा देय अन्य किसी उपदान में से कटौती की जानी होती थी ।

(दो) परिवार पेंशन विधवा/विधुर को जीवन-पर्यन्त अथवा पुनः विवाह तक के लिए और उसके बाद अवयस्क पुत्रों को 18 वर्ष तक की आयु और अवयस्क पुत्रियों को 21 वर्ष की आयु अथवा विवाह होने तक के लिए, जो भी पहले हो, स्वीकार्य थी ।

परिवार पेंशन योजना, 1964 लागू होने से पहले, समय-समय पर यथा-संशोधित उदारीकृत पेंशन नियमावली, 1950 में सीमित आधार पर परिवार पेंशन की व्यवस्था थी । इन नियमों के अन्तर्गत, किसी भी ऐसे सरकारी कर्मचारी के परिवार को, जिसकी कम से कम 20 वर्ष की सेवा के पश्चात सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाए, अधिवर्षिता पेंशन के आधे से अनधिक अथवा 150/- रुपए, इनमें से जो भी कम हो, परिवार पेंशन देय थी । परिवार पेंशन अधिक से अधिक 10 वर्ष के लिए किन्तु उस तारीख से जिसको सरकारी कर्मचारी अधिवर्षिता पर सेवा-निवृत हुआ होता, 5 वर्ष तक के लिए सीमित थी । यदि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु सेवा-निवृत के बाद होती तो परिवार पेंशन पाँच वर्ष की उक्त अवधि के केवल शेष भाग के लिए ही देय थी । उन विधवाओं को, जिन्हें इन नियमों के अन्तर्गत 31-12-1963 को परिवार पेंशन मिल रही थी, जीवन-पर्यन्त अथवा पुनर्विवाह तक के लिए, इसमें जो भी पहले हो, आधी दर पर इसे लेने की अनुमति थी ।

(तीन) परिवार पेंशन की दर निम्न प्रकार थी :—

सरकारी कर्मचारी का वेतन	मासिक परिवार पेंशन
800 रुपए और उससे ऊपर	वेतन का 12% किन्तु कम से कम 150 रुपए
200 रुपए और उससे ऊपर तथा 800 रुपए से नीचे	वेतन का 15% किन्तु अधिक से अधिक 96/-रुपए और कम से कम 60/रुपए
200 रुपए से नीचे	वेतन का 30% किन्तु कम से कम 25 रुपए

(चार) एक वर्ष की न्यूनतम लगातार सेवा (अस्थाई अथवा स्थाई) परिवार पेंशन की मंजूरी के लिए एक शर्त थी ।

(ग) क्या जीवन-निर्वाह की लगातार बढ़ती हुई लागत को ध्यान में रखते हुए सरकार का परिवार पेंशन योजना की दरों को बढ़ाने के लिए इसमें संशोधन करने का विचार है ;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

परिवार पेंशन योजना 1964 को लगातार समीक्षा की जा रही है और समय-समय पर इसे उदार बनाया जाता रहा है । इसके विवरण निम्न प्रकार हैं :—

(एक) 1-1-66 से परिवार पेंशन उन सरकारी कर्मचारियों के लिए जिनकी मृत्यु कम से कम 7 वर्ष की सेवा करने के पश्चात हो जाती थी, सामान्य दरों के दुगनी दरों पर देय थी ; सामान्य दर की दुगनी दर 7 वर्ष अथवा उस तारीख तक के लिए लागू थी जिस तारीख को अधिकारी अधिवर्षिता आयु प्राप्त कर लेता, यदि वह जीवित रहता, इसमें जो भी अवधि कम होती ।

(दो) 1-3-70 से न्यूनतम परिवार पेंशन को बढ़ाकर 40/रुपए प्रतिमास कर दिया गया था । तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1-1-73 से इन दरों में आगे और संशोधन किया गया है । न्यूनतम और अधिकतम पेंशन को बढ़ाकर क्रमशः 60/-रुपए और 250/-रुपए कर दिया गया है । इसके अलावा उसी तारीख से सामान्य दर की दुगनी दर पर परिवार पेंशन 7 वर्ष की अवधि अथवा कर्मचारी/पेंशनभोगी की 65 वर्ष की आयु होने तक, इसमें जो भी कम हो, देय है ।

(तीन) 22 सितम्बर, 1977 से इस योजना को गैर-अंशदायी बना दिया गया है, और मृत्यु तथा- सेवा निवृति उपदान में से दो मास की परिलब्धियों की कटोती बन्द कर दी गई है ।

(चार) मूल परिवार पेंशन योजना में परिवार पेंशन में अस्थाई/तदर्थ वृद्धि अथवा राहत के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी । 1-10-75 से परिवार पेंशन-भोगियों को तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पेंशन भोगियों को समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई राहत की किस्त के लिए पात्र बना दिया गया है । अब तक, परिवार पेंशन के 55% के बराबर किन्तु न्यूनतम 55 रुपए और अधिकतम 275 रुपए मंहगाई राहत की 11 किस्तें स्वीकृत की गई हैं । इसके अलावा 1-1-73 से पूर्व के परिवार पेंशन-भोगियों को 15 रुपए से लेकर 35 रुपए प्रतिमास तक की तदर्थ राहत दी जाती है ।

(पांच) 29 मार्च, 1978 पुत्रियों की परिवार पेंशन प्राप्त करने की पात्रिता के लिए उच्चतर आयु 21 से बढ़ाकर 24 वर्ष कर दी गई है और पुत्रों के लिए 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई हैं । इसके अतिरिक्त यदि परिवार में परिवार पेंशन की हकदारी अशक्त बालक को प्राप्त होती है तो उसे जीवन-पर्यन्त पेंशन मिलती है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

उड़ीसा में राज्य के पर्यटन केन्द्रों और राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्रों के समीप अतिथि-गृह

3370. **श्री रामचन्द्र रथ** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में राज्य के पर्यटन केन्द्र और राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र कितने-कितने हैं और वे (जिले-वार) किन-किन स्थानों पर स्थित है ;

(ख) क्या प्रत्येक राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र के समीप कोई पर्यटन-बंगले अथवा सरकारी अथिति-गृह भी स्थित है ;

(ग) पर्यटकों के लाभार्थ राज्य में कितने पर्यटक केन्द्र खोले गए हैं ;

(घ) क्या सरकार पर्यटन केन्द्रों की तथा कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद) : (क) राज्य में पर्यटन के विकास के लिए एक जनरल परस्पेक्टिव प्लान तैयार करने के वास्ते 1979-80 में भारत पर्यटन विकास निगम ने उड़ीसा राज्य में पर्यटक संभाव्यता सम्बन्धी एक सामान्य सर्वेक्षण कराया था। अन्तर्राष्ट्रीय अथवा स्वदेशी/स्थानीय पर्यटन के दृष्टिकोण से विकास के लिए महत्वपूर्ण समझे गए केन्द्र संलग्न विवरण-एक में सूचीबद्ध किए गए हैं ।

(ख) पिछली योजना अवधियों के दौरान केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत उड़ीसा में विभिन्न पर्यटक केन्द्रों पर जुटाई गई सुविधाएं यथा पर्यटक बंगले, विश्राम-गृह परिवहन सुविधाएं आदि को दर्शाने वाला एक विवरण-दो संलग्न है ।

(ग) से (ङ) चूंकि केन्द्रीय पर्यटन विभाग का उड़ीसा में कोई पर्यटक कार्यालय नहीं है, अतः कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने का प्रश्न ही नहीं उठता । तथापि, राज्य सरकार से यह पता चला है कि पर्यटकों की सहायता के लिए उन्होंने राज्य में 16 पर्यटक कार्यालय खोले हैं। इनमें से 13 जिला-स्तर के कार्यालय हैं और तीन क्षेत्रीय-स्तर के। क्षेत्रीय कार्यालय पर्यटक दृष्टि से विशिष्ट महत्व के प्वाइंटों, यथा, भुवनेश्वर, कोणार्क और चिल्का में खोले गए हैं ।

जहां तक उड़ीसा में नए पर्यटक केन्द्रों के विकास का सम्बन्ध है, पर्यटक यातायात को देश भर में और अधिक समान रूप से वितरित करने के लिए राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों से परामर्श करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि यात्रा परिपथ अभिनिर्धारित किए जाएं । अतः उपलब्ध सभी, संसाधनों को एकत्र करते हुए इन यात्रा परिपथों के साथ-साथ पड़ने वाले पर्यटक केन्द्रों का पर्यटन के संवर्धन के लिए सघन रूप से विकास किया जा सकेगा । उड़ीसा सरकार से प्राप्त इस संकल्पना पर आधारित प्रस्तावों पर, केन्द्रीय तथा राज्य सेक्टरों में शुरू की जाने वाली स्कीमों को अन्तिम रूप देने के लिए इस महीने राज्य सरकार के पर्यटक अधिकारियों के साथ की आयोजित जाने वाली एक बैठक में विचार-विमर्श किया जाएगा ।

विवरण —1

भारत पर्यटन विकास किए द्वारा गए सर्वेक्षण के पश्चात अन्तर्राष्ट्रीय और स्वदेशी/स्थानीय महत्व के अभिनिर्धारित पर्यटक केन्द्रों का दर्शाने वाला विवरण :

क्रम संख्या	केन्द्र का नाम और जिला	अन्तर्राष्ट्रीय/स्वदेशी महत्व
1.	भुवनेश्वर जिला: पुरी	अन्तर्राष्ट्रीय
2.	पुरी, जिला: पुरी	— वही —
3.	कोणार्क, जिला पुरी	— वही —
4.	चिल्का झील जिला: पुरी	— वही —
5.	सिमली पाल नेशनल पार्क जिला: बालासौर	— वही —
6.	रत्नगिरि, उदयगिरि, ललितगिरि (जिला: कटक)	— वही —
7.	जाजपुर, जिला: कटक	स्वदेशी/स्थानीय
8.	कांटिलो, जिला: पुरी	— वही —
9.	हरिशंकर, जिला: बालनगीर	— वही —
10.	रानीपुर झरियाल, जिला: बालनगीर	— वही —
11.	सोनपुर, जिला: बालनगीर	— वही —
12.	हूमा, जिला: सम्बलपुर	— वही —
13.	बृसिहनथा, जिला: सम्बलपुर	स्वदेशी/स्थानीय
14.	हीराकुंड, जिला: सम्बलपुर	— वही —
15.	उषा कोठी, जिला: सम्बलपुर	— वही —
16.	टिकरपारागढ़, जिला: ढेनकनांल	— वही —
17,	राउरकेला, जिला: सम्बलपुर,	— वही —
18.	खिचिंग, जिला: मयूरमज	— वही —

19.	अटरी, जिला: पुरी	— वही —
20.	बाक्रा—वाटरफोल जिला: कोरापुट	स्वदेशी/स्थानीय
21.	चांदीपुर-आन-सी, जिला: बालासोर	— वही —
22.	चाकपद जिला: फूल बानी	— वही —
23.	धौली, जिला: पुरी	— वही —
24.	दुदमा, जिला: कोरापुट	— वही —
25.	गोपालपुर-आन-सी, जिला: गंजम	— वही —
26.	गुप्तेश्वर गुफा, जिला: कोरापुट	— वही —
27.	जोरांदा, जिला: ढेनकनाल	— वही —
28.	कपिलास, जिला: ढेनकनाल	— वही —
29.	प्रधानपात, जिला: सम्बलपुर	— वही —
30.	रेमुना, जिला: बालासोर	— वही —
31.	सप्त सजा, जिला: ढेनकनाल	— वही —
32.	सारंग, जिला: ढेकननाल	— वही —
33.	सीताबिंगी, जिला: कुंझार	— वही —
34.	तप्तपानी, जिला: गंजम	— वही —

विवरण—2

केन्द्रीय सेक्टर में सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु उड़ीसा में विकसित किए गए पयटक केन्द्रों को दर्शाने वाला विवरण :

पर्यटक केन्द्र	प्रदान की गई सुविधाएं
1. भुवनेश्वर	*i) विश्राम गृह
	**ii) पर्यटक बंगला
	***iii) पर्यटक ब्यूरो
	@iv) यात्री गृह
	v) परिवहन यूनिट

2.	कोणार्क	*i) विश्राम गृह
		**ii) पर्यटक बंगला
		@iii) यात्री गृह
3.	पुरी	*i) विश्राम गृह
		**ii) पर्यटक बंगला
		***iii) पर्यटक ब्यूरो
		*iv) यूथ होस्टल
4.	रम्भा	**i) पर्यटक बंगला
5.	चिल्ला* झील	£ मोटर लांच
6.	राउरकेला/और हीराकुंड	*** पर्यटक ब्यूरो

*विश्राभ गृह राज्य पर्यटन विभाग द्वारा केन्द्रीय पर्यटन विभाग से 100 प्रतिशत आर्थिक सहायता लेकर निर्मित किए गए। संस्थापनाओं का प्रबंध राज्य पर्यटन विभाग/पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जाता है।

** पर्यटक बंगले राज्य पर्यटन विभाग द्वारा केन्द्रीय पर्यटन विभाग से 50 प्रतिशत आर्थिक सहायता लेकर निर्मित किए गए और अब इनका प्रबंध राज्य पर्यटन विभाग/पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जाता है।

*** पर्यटन ब्यूरो सरकार द्वारा केन्द्रीय पर्यटन विभाग से 100 प्रतिशत आर्थिक सहायता लेकर दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान खोले गए थे और अब इनका प्रबंध राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

@ भुवनेश्वर में यात्री गृह को अब एक होटल में परिवर्तित कर दिया गया है जिसका नाम होटल कलिंग अशोक है। कोणार्क में यात्री-गृह भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाया जा रहा है।

£ लांच केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा खरीदा गया और उसे परिचालन हेतु राज्य सरकार को सौंप दिया गया।

मद्रास नगर में सार्वधिक जमा योजनाएं

3371. श्री ए० नींलालोहियादसन नाडार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कुछ समय पूर्व (1) मैसर्स व्यूम्मुडीयर्स फाइनेंस, (2) मैसर्स बी० पान्डुरंगैया एण्ड सन्स और (3) व्युश्मुडीयर्स शापिंग सेन्टर ने मद्रास नगर में सावधिक जमा जो योजनायें शुरू की थी ;

(ख) क्या सरकार को यह पता है कि उनके पास रखी गई सावधिक जमा की धनराशियों का निर्धारित भुगतान निधि के बाद भी भुगतान नहीं किया गया ;

(ग) जमाकर्त्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ; और

(घ) जाली योजनाओं की रोकथाम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) तथा (ख) संबन्धित कम्पनियों द्वारा सावधि जमा स्कीमें शुरू की जाने की कोई प्रत्यक्ष सूचना, भारतीय रिजर्व बैंक के पास नहीं है। परन्तु, इन कम्पनियों द्वारा परिपक्व होने पर जमा राशियों की अदायगी न करने/उन पर ब्याज की अदायगी न करने के आरोपों से सम्बन्धित कुछ शिकायतें, भारतीय रिजर्व बैंक को प्राप्त हुई हैं।

(ग) तथा (घ) प्रश्न से सम्बन्धित कम्पनियां अनिगमित संस्थाएं प्रतीत होती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय - 111 ख तथा कंपनियां (निक्षेप स्वीकार करना) नियम, 1975 के अधीन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेश केवल, कम्पनी अधिनियम, 1956 में यथापरिभाषित कम्पनियों पर ही लागू होते हैं न कि ऐसी अनिगमित संस्थाओं पर जमाओं का स्वीकार किया जाना सम्बन्धित फर्म/व्यक्तियों तथा जमाकर्ता के बीच एक संविदा जैसा होता है तथा संविदा भंग होने की स्थिति में, न्यायालय के माध्यम से उसका उपचार किया जा सकता है।

वनस्पति घी निर्माताओं को वनस्पति के उत्पादन में प्रयुक्त आयातित खाद्य तेल का प्रतिशत कम करने के लिए निदेश

3372. **श्री दौलत राम सारण :**

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में वनस्पति घी निर्माताओं को वनस्पति के उत्पादन में प्रयोग किये जाने वाले आयातित खाद्य तेल का प्रतिशत 95 से घटा कर 70 प्रतिशत करने का निदेश दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इसके परिणाम स्वरूप देशी तेल से और वनस्पति के मूल्यों में हुए अत्याधिक वृद्धि की जानकारी है।

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त भाग (क) के क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार ने तेलों और वनस्पति के मूल्यों में वृद्धि को रोकने की दृष्टि से निर्माताओं को देशी तेलों की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बृज मोहन महन्ती) : (क) से (घ) वनस्पति उत्पादन के लिए आयातित तेलों के उपयोग की अधिकतम सीमा को पहली जनवरी, 1981 से 95 प्रतिशत से घटाकर 70 प्रतिशत कर दिया गया है। यह कार्य इस दृष्टि से किया गया है कि देश में देशीय तेलों, विशेषकर गैर पारम्परिक तेलों के अधिक उत्पादन को बढ़ावा मिल सके तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सीधी खपत के लिए आयातित तेलों को अतिरिक्त मात्रा आबंटित की जा सके।

उत्पादकों द्वारा लिए जा रहे वनस्पति के मूल्यों में दिसम्बर, 1980 की समाप्ति के करीब वृद्धि हुई थी। सरकार ने बनस्पति उत्पादकों से तुरन्त बातचीत प्रारंभ की थी, जिसके फलस्वरूप उद्योग ने 28 फरवरी, 1981 तक स्वैच्छिक मूल्य नियंत्रण का पालन करना स्वीकार किया। सरकार पर्याप्त मात्रा में तथा उचित मूल्यों पर वनस्पति उपलब्ध कराने के बारे में वनस्पति उत्पादकों से अपनी बातचीत जारी रखे हुए है।

भारत का ब्रिटेन से आयात और निर्यात

3373. श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत द्वारा ब्रिटेन से आयात में भारी वृद्धि हुई है और भारत द्वारा ब्रिटेनको निर्यात में कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1976-77 से भारत द्वारा ब्रिटेन से आयात में कितना तुलनात्मक वृद्धि हुई है और भारत द्वारा ब्रिटेन को कितना निर्यात किया गया ;

(ग) भारत द्वारा ब्रिटेन को निर्यात में कमी के क्या कारण हैं ; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप व्यापारिक घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) जी हां। 1976-77 से 1979-80 तक की अवधि के दौरान ब्रिटेन से भारत के आयातों तथा ब्रिटेन को किये गये निर्यातों के आंकड़े निम्नोक्त प्रकार रहे :

(मूल्य करोड़ रु० में)

वर्ष	ब्रिटेन से भारत के आयात	ब्रिटेन को भारत के निर्यात	व्यापार शेष
1976-77	366.67	521 44	+ 154.77
1977-78	461.07	525.27	+ 64 20
1978-79	569 90	534.02	— 35.88
1979-80	683.50	473.60	— 189.90

(ग) ब्रिटेन को भारत के निर्यातों में हाल की कमी के कारणा ये हैं, मुद्रा स्फीति की दर में तीव्र वृद्धि, संरक्षणवादी नीतियों में वृद्धि तथा ब्रिटेन में मंदी की स्थिति, जिससे विशेष रूप से वस्त्रों, तम्बाकू, चमड़ा तथा इन्जीनियरी माल के निर्यात पर प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा चांदी के निर्यात पर रोक लगने से भी ब्रिटेन को होने वाले हमारे निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(घ) व्यापार मेलों में भाग लेने, बाजार सर्वेक्षण करने तथा व्यापार प्रतिनिधिमंडलों को भेजने-बुलाने जैसे व्यापार संवर्धन उपायों के अलावा इन्जीनियरी संघटकों के भारतीय निर्यातकों का ब्रिटेन के खरीदारों के साथ घनिस्ठतर सम्पर्क करना, चाय तथा कालीनों के लिए सामान्य संवर्धन अभियान, चमड़े से बनी वस्तुओं के क्षेत्र में सहयोग की संभाव्यताओं का पता लगाना तथा भारत तथा ब्रिटेन के बीच जहाजरानी सेवाओं को सुधारने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा हाल की भारत ब्रिटेन आर्थिक समिति की बैठक के दौरान ब्रिटेन को एक उच्च स्तरीय व्यापार मिशन की यात्रा करने का सुझाव दिया गया है ताकि उन विशिष्ट क्षेत्रों का पता लगाया जा सके जिनमें निर्यात बढ़ाये जा सकते हों।

भारतीय पटसन निगम का कार्य निष्पादन

3374. **श्री बी० डी० सिंह**
श्री राजेश कुमार सिंह

श्री छांगुर राम : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पटसन उत्पादकों के हितों की रक्षा करने में भारतीय पटसन निगम के कार्य निष्पादन के बारे में कोई मूल्यांकन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) भारतीय पटसन निगम के कार्यचालम की सरकार द्वारा निरन्तर समीक्षा की जा रही है।

(ख) चालू वर्ष के दौरान भारतीय पटसन निगम के कार्य निष्पादन की प्रमुख विशेषताएं निम्नोक्त प्रकार रही हैं :

1. 15-2-81 को लगभग 10.22 लाख गांठों की अधिप्राप्ति हुई जब कि गत वर्ष 8.68 लाख गांठों की थी ;

2. भाण्डागार क्षमता गत वर्ष की लगभग 12 लाख गांठों से बढ़कर 20.29 लाख गाठें हो गई है ;

3. चालू वर्ष के दौरान लगभग 80 प्रतिशत खरीदारियां उपज कर्ताओं से की गई हैं । भारतीय पटसन निगम ने पश्चिम बंगाल के कुछ चुनिन्दा जिलों में पंचायतों द्वारा प्राधिकृत उपज कर्ताओं से सीधी खरीदारियों की एक योजना परीक्षण के आधार पर कार्यान्वित की है ; और

4. भारतीय पटसन निगम ने देश की पटसन मिलों के कच्चे पटसन की लगभग 11.25 लाख गांठें बेची हैं और लगभग 87,000 गांठों के निर्यातों की संविदा भी की है ।

निगम के कार्यचालन में सुधार लाने के लिये उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए सरकार ने एक अध्ययन दल नियुक्त किया है । पटसन उपजकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सहकारी ऋण और विपणन के बीच कारगर संबन्ध स्थापित करने के बारे में सुझाव देने के लिए एक कार्यकारी दल का भी गठन किया गया है ।

हल्दिया में तट पर आधारित इस्पात संयंत्र

3375. **श्री कृष्ण चन्द हाल्दर :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तट पर आधारित इस्पात संयंत्रों में से एक इस्पात संयंत्र हल्दिया में लगाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब तक लगाया जायेगा, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धि के कारण हल्दिया में एक नया इस्पात कारखाना लगाने पर विचार करना सम्भव नहीं हो सका है ।

मद्रास हवाई अड्डे का विस्तार

3376. **श्री इरा मोहन :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास हवाई अड्डे पर बढ़ते हुए अन्तर्राष्ट्रीय यातायात को देखते हुए, इस के विस्तार के लिए कोई योजना तैयार की गई है ;

(ख) तत्संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है, यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उक्त विस्तार योजना सम्भवत: कब पूरी हो जायेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) अंतरिम उपाय के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय आगमन हाल का 1982 तक 1015 वर्ग मीटर और विस्तार किया जाएगा दीर्घावधि उपाय के रूप में ,सभी अन्तर्देशीय परिचालनों को 1984-85 तक निर्माण किए जाने वाले एक नए कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट करने का प्रस्ताव है ताकि वर्तमान टर्मीनल के पूरे क्षेत्र का अन्तर्राष्ट्रीय यातायात के लिए उपयोग किया जा सके ।

(ग) और (घ) नये अन्तर्देशीय टर्मीनल कांम्प्लेक्स के 1984-85 तक पूरा हो जाने की आशा है । वर्तमान टर्मीनल में अन्तरिम परिवर्तन 1982 में पूरे हो जाएंगे ।

पलाइंग तथा ग्लाइडिंग क्लबों में प्रशिक्षणार्थियों द्वारा पालन किये जाने वाले नियम

3377. **श्री डी. पी. जदेजा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में फ्लाइंग क्लबों और ग्लाइडिंग क्लबों की संख्या कितनी है और वे कहां कहां पर स्थित हैं ;

(ख) इन क्लबों द्वारा प्रतिवर्ष कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाता है ;

(ग) दाखिला देने का मानदन्ड क्या है ; और

(घ) प्रशिक्षणार्थियों को किन नियमों का पालन करना होता है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) विवरण एक के अनुसार ।

(ख) विवरण दो के अनुसार ।

(ग) और (घ) उम्मीदवारों को मैट्रीक्युलेशन परीक्षा पास की होनी चाहिए । उनके लिए नागर विमानन विभाग द्वारा निर्धारित डाक्टरी जांच कराना और उसमें स्वस्थ (फिट)

घोषित किया जाना भी आवश्यक है । उनकी आयु ग्लाइडर उड़ाने के लिए 16 वर्ष तथा, "पावर" चालित विमानों की उड़ानों के लिए 17 वर्ष की होनी चाहिए । उन्हें ग्लाइडिंग फ्लाइंग क्लबों में सदस्यों के रूप में अपना नाम दर्ज कराना होता है तथा उनके लिए क्लब को आर्टिकल्स आफ एसोसिएशन" में निर्दिष्ट अनुदेशों का अनुपालन भी आवश्यक है ।

विवरण—1

भारत में सिविल फ्लाइंग क्लबों/संस्थाओं की सूची

क्रम सं०	क्लब का नाम	स्टेशन
1.	आन्ध्र प्रदेश फ्लाइंग क्लब	हैदराबाद
2.	आसाम फ्लाइंग क्लब, लि०	गोहाटी
3.	अमृतसर एविएशन क्लब	अमृतसर
4.	बम्बई फ्लाइंग क्लब	बम्बई
5.	बनस्थली विद्यापीठ फ्लाइंग एंड ग्लाइडिंग क्लब	वनस्थली विद्यापीठ
6.	कोयम्बटूर फ्लाइंग क्लब	कोयम्बटूर
7.	को-आपरेटिव हिन्द फ्लाइंग क्लब लि०	लखनऊ (कानपुर एवं वाराणसी में ब्रांच)
8.	दिल्ली फ्लाइंग क्लब लि०	नई दिल्ली
9.	ईस्टर्न मध्य प्रदेश फ्लाइंग एंड ग्लाइडिंग क्लब	रायपुर
10.	गुजरात फ्लाइंग क्लब	बड़ौदा (ब्रांच सूरत में)
11.	हिसार एविएशन क्लब	हिसार
12.	केरल एविएशन ट्रेनिंग सैन्टर	त्रिवेन्द्रम
13.	करनाल एविएशन क्लब	करनाल
14.	जमशेदपुर कोआपरेटिव फ्लाइंग क्लब	जमशेदपुर
15.	लुधियाना एविएशन क्लब	लुधियाना
16.	मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब लि०	इन्दौर (ब्रांच भोपाल में)
17.	मद्रास फ्लाइंग क्लब लि०	मद्रास

क्रम सं०	क्लब का नाम	स्टेशन
18.	नारदर्न इन्डिया फ्लाइंग क्लब	जलन्धर छावनी
19.	नागपुर फ्लाइंग क्लब लि०	नागपुर
20.	पटियाला एविएशन क्लब	पटियाला
21.	बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट	पटना (ब्रांच मुजफ्फरपुर में)
22.	राजकीय एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	भुवनेश्वर
23.	राजस्थान राज्य फ्लाइंग स्कूल	जयपुर
24.	राजकीय फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल	बंगलौर
25.	राजकीय फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	कलकत्ता

ध्यान दें : क्रम संख्या 21 से 25 पर दी गई संस्थायें विभागीय संस्थाओं के रूप में सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा संचालित की जा रही हैं ।

भारत में सिविल ग्लाइडिंग क्लबों/स्कन्धों की सूची

क्रम सं०	क्लब का नाम	स्टेशन
1.	आगरा ग्लाइडिंग क्लब	आगरा छावनी
2.	अहमदाबाद ग्लाडिंग व फ्लाइंग क्लब	अहमदाबाद
3.	बिरला ग्लाइडिंग क्लब	पिलानी
4.	दिल्ली ग्लाइडिंग क्लब	नई दिल्ली
5.	देवलाली ग्लाइडिंग क्लब	नासिक
6.	ईस्टर्न मध्य प्रदेश फ्लाइंग व ग्लाइडिंग क्लब लि०	रायपुर
7.	ग्लाइडिंग एंड सोरिंग सैन्टर, आई. आई. टी.	कानपुर
8.	सैन्ट्रल ग्लाइडिंग क्लब	हैदराबाद
	ग्लाइडिंग स्कन्ध	
1.	अमृतसर एविएशन क्लब (ग्लइडिंग स्कन्ध)	अमृतसर
2.	हिसार एविएशन क्लब (ग्लाइडिंग स्कन्ध)	हिसार

क्रम सं०	क्लब का नाम	स्टेशन
3.	नारदर्न इंडिया फ्लाइंग क्लब (ग्लाइडिंग स्कन्ध)	जालन्धर छावनी
4.	पटियाला एविएशन क्लब (ग्लाइडिंग स्कन्ध)	पटियाला
5.	राजस्थान स्टेट फ्लाइंग स्कूल (ग्लाइडिंग स्कन्ध)	जयपुर
6.	बिहार फ्लाइंग इंसटीच्यूट (ग्लाइडिंग स्कन्ध)	पटना
7.	लुधियाना एविएशन क्लब (ग्लाइडिंग स्कन्ध)	लुधियाना

ध्यान दें: क्रम संख्या 5 और 6 पर दी गई ग्लाइडिंग स्कन्ध विभागीय संस्थाओं के रूप में सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही हैं।

विवरण—2

वर्ष 1976 से 1980 के दौरान फ्लाइंग क्लबों द्वारा (पी०पी०एल० एवं सी०पी० एल०) तथा ग्लाइडिंग क्लबों द्वारा (जी० पी० एल०) जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या का विवरण

	वर्ष 1976	वर्ष 1977	वर्ष 1978	वर्ष 1979	वर्ष 1980
(I) फ्लाइंग क्लब					
(i) निजी पायलट लाइसेंस	123	139	184	189	95
(ii) वाणिज्य पायलट लाइसेंस	33	27	26	32	41
(II) ग्लाइडिंग क्लब					
ग्लाइडर पायलट लाइसेंस	35	31	38	42	32

मैसर्स प्योर ड्रिंक्स (नई दिल्ली) लिमिटेड

3378. श्री पीयूष तिरकी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्योर ड्रिंक्स (नई दिल्ली) लिमिटेड के विज्ञापन में वर्ष 1979 के लिए कर दिये जाने से पूर्व का लाभ 78-69 लाख रुपए का तथा कर दिये जाने के बाद लाभ 64.77 लाख रुपए दर्शाया गया था और इस तरह 13.92 लाख रुपये आयकर का भुगतान किया सही हैं ;

(ख) क्या ये आंकड़े सही हैं ;

(ग) यदि हां, तो किस आधार पर कर दिये जाने के बाद लाभ 64-77 लाख रुपये पहुंच गया जब कि कर दिए जाने से पूर्व यह लाभ 78.69 लाख रुपए था ; और

(घ) यदि ये आंकड़े सही नहीं हैं तो क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) आगे लाई गई हानियों और नई बोतलों पर हुए मूल्यह्रास को हिसाब में लेने के बाद कर देयता को पूरा करने के लिए निम्नलिखित आधार पर उपबन्ध किया गया है :—

कराधान से पूर्व शुद्ध लाभ	78, 69, 174 रु०
जोड़ें — बोतलों की टूट फूट जिस पर अलग से विचार किया गया	22, 25, 343 रु०
	1, 00, 94, 517 रु०
जोड़ें — धारा 37 (2क) के अन्तर्गत विज्ञापन खर्चों में से वह रकम जिस पर छूट नहीं दी गई	8, 30, 519 रु०
(55, 37, 461 रु० का 15 प्रतिशत)	1, 09, 25, 136 रु०
घटायें — खरीदी गई नई बोतलों पर 100 प्रतिशत की दर पर मूल्य-ह्रास की रकम, क्योंकि प्रत्येक बोतल की लागत 750/-रु० से कम है	40, 26, 931 रु०
	68, 98, 205 रु०
घटायें — कर निर्धारण वर्ष 1978-79 और 1979-80 के संबंध में आगे लाई गई हानियां	50, 46, 968 रु०
आय कर लगने योग्य शुद्ध आय	18, 51, 237 रु०
7-1/2 प्रतिशत की दर पर अधिकार	83, 306 रु०
	14, 94, 050 रु०

ऊपर आंकी गई 11-94 लाख रु० की रकम की तुलना में 13-93 लाख रु० पर कराधान के लिए किया गया उपबन्ध अपेक्षाकृत अधिक है ।

इन आंकड़ों की यथार्थता की जांच नियमित कर निर्धारण कार्यवाही के दौरान की जाएगी, जो अभी विचाराधीन हैं ।

आस्ट्रेलिया, अमरीका और कनाडा से कोकिंग कोल का आयात

3379. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आस्ट्रेलिया, अमरीका और कनाडा से कोकिंग कोल के आयात के सौदे में कितना माल भाड़ा लगेगा और उससे खर्च में कितनी कमी होगी ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : आस्ट्रेलिया, कनाडा तथा अमरीका से आयातित कोककर कोयले का प्रति लाख टन भाड़ा क्रमश: 35,45 और 54 डालर के लगभग बैठेगा ।

धमन भट्टियों में देशीय कोककर कोयले तथा राख की कम मात्रा वाले बढ़िया किस्म के आयातित कोककर कोयले के मिश्रण का उपयोग करने से न केवल कोयले में राख की मात्रा में कमी, कोक-दर तथा धातु-मल-दर में कमी होती है । बल्कि इसके साथ-साथ धमन-भट्टी के उत्पादन और उत्पादिता में वृद्धि होती है । इसलिए आयातित कोककर कोयले की अपेक्षाकृत अधिक कीमत होते हुए भी इस्पात कारखानों में इसका प्रयोग आर्थिक दृष्टि से लाभदायक रहा है ।

एल्यूमिनियम पन्नी उद्योगों की समस्यायें

3380. **श्री के. प्रधानी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के एल्यूमिनियम पन्नी उद्योगों की समस्याओं के बारे में जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास विद्यमान उत्पादन-शुल्क के ढांचे का राष्ट्रीयकरण करने और एल्यूमिनियम पन्नी आयात नीति पुन: बनाने के लिए तात्कालिक कार्यवाही करने हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) एल्यूमिनियम पन्नी निर्माताओं ने प्रतिवेदन किया है कि उन्हें आयातित पन्नियों और देश में उत्पादित पन्नी-स्थापन्नों के कम मूल्यों के कारण अपना माल बेचने में कठिनाई हो रही है ।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा मामले पर विचार किया जा रहा है और आवश्यकता पड़ने पर समुचित कार्रवाई की जाएगी ।

विदेशों में चाय केन्द्र

3381. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेश स्थित चाय केन्द्रों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने और चाय के निर्यात में वृद्धि करने की योजनाएं बनाई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो योजनाओं का ब्यौरा क्या है और केन्द्र कहां स्थित हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) जी हां। लन्दन, सिडनी तथा काहिरा में चाय बोर्ड के चाय केन्द्रों को चलाने के लिए चाय बोर्ड तथा भारतीय होटल निगम, सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम के बीच एक संयुक्त उद्यम स्थापित किया जा रहा है जो आर्थिक रूप से अर्थक्षम एककों के रूप में इन केन्द्रों को चलाने के लिए इन केन्द्रों की स्थापना के उद्देश्य की आधारभूत संवर्धनात्मक भूमिका को पूरा करते हुए होटल निगम के व्यावसायिक विशेषज्ञता का उपयोग करेगा ।

बीडियो कैसेट रिकार्डर बनाने वाली एक फर्म द्वारा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क का अपवंचन

3382. **श्री के० लकप्पा :**

श्री एच० एन० गौडा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्व गुप्तचर विभागने हाल ही में, वीडियो कैसेट रिकार्डर बनाने वाली एक फर्म द्वारा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क का बड़े पैमाने पर अपवंचन किए जाने का पता लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) राजस्व आसूचना द्वारा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के अपवंचन का ऐसा कोई मामला नहीं पकड़ा गया है अतः उसका ब्यौरा पेश करने और उसके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

अधिकारियों की सेवा अवधि बढ़ाया जाना

3383. **श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाशम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के किसी अधिकारी को गत तीन वर्षों के दौरान सेवा अवधि बढ़ाने की अनुमति दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उन अधिकारियों के नाम तथा पदनाम क्या हैं ; और

(ग) सेवा अवधि बढ़ाए जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वित्त मंत्रालय (सचिवालय विभागों) में पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा अवधि लोक हित में तथा वास्तविक रूप से असाधारण परिस्थितियों में बढ़ाई गयी थी।

(1) श्री एस० नारायण, अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड तथा पदेन अपर सचिव।

(2) श्री एम० डी० वर्मा, सदस्य, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड तथा पदेन अपर सचिव।

(3) श्री गंगा राम, जमादार।

मद्रास नगर में आय-कर के छापे

3384. **श्री सी० टी० दंडपाणि :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास नगर में वर्ष 1979 और 1980 के दौरान आय-कर विभाग ने अनेक छापे मारे थे ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों के नाम, दर्जे और ब्यौरे क्या हैं, जिन पर ये छापे मारे गए ;

(ग) प्रत्येक व्यक्ति के पास से क्या क्या वस्तुएं, बेनामी खाते और दस्तावेज बरामद हुए ; और

(घ) प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई अथवा किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (घ) जी, हां। वर्ष 1979 तथा 1980 के दौरान ली गई तलाशियों की संख्या को देखते हुए, प्रत्येक मामले में अधिग्रहण, नाम, हैसियत, आदि के ब्यौरे प्रस्तुत करना व्यवहार्य नहीं होगा। तथापि, यदि माननीय सदस्य तलाशी के किसी मामले विशेष के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करना चाहते हों तो वह सूचना प्रस्तुत कर दी जाएगी।

इन सभी मामलों में कानून के अनुसार समुचित कार्यवाही की जा रही है।

कांच संगमरमर (ग्लास मार्बल) पर उत्पादन शुल्क

3385. **श्री राजेश पायलट :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खेल के काम आने वाले ग्लास मार्बल (कंचे), जो बच्चों के लिए खेल के लिए खेल का सब से सस्ता साधन हैं, पर 35 प्रतिशत उत्पादन शुल्क लगाया गया है जबकि वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए व्यापक रूप से प्रयोग में आने वाली वस्तुओं, अर्थात् कांच की बोतल, जड़ाऊ कांच तथा दूसरी तरह के कांच और कांच के बर्तनों आदि पर 10 से 15 प्रतिशत तक ही उत्पादन-शुल्क लगाया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ;

(ग) देश में कंचे बनाने वाले लघु ओर बड़े एककों के नाम क्या हैं और प्रत्येक एकक द्वारा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के रूप में 1979 से कितनी राशि का भुगतान किया गया है ; और

(घ) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि "कंचे" खिलौने हैं और वे गरीब लोगों के बच्चों के खेलने के काम आते हैं. इस वस्तु को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से पूरी तरह मुक्त न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसौदिया) : (क) प्रश्न में उल्लिखित विभिन्न उत्पादों पर लगने योग्य मूल उत्पादन शुल्क की दरें नीचे दिए अनुसार हैं :—

कांच मार्बल :	मूल्यानुसार 35 प्रतिशत
चादर कांच (शीट ग्लास) :	मूल्यानुसार 35 प्रतिशत
कांच और कांच का सामान :	मूल्यानुसार 35 प्रतिशत

तथा मुंह से फुलाने की प्रक्रिया अथवा अर्द्धस्वत: चालित प्रक्रिया या हस्ताचालित प्रैस द्वारा उत्पादित कांच के सामान पर मूल्यानुसार 25 प्रतिशत से लेकर 15 प्रतिशत तक की दर से शुल्क लगता है ।

(ख) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित कांच के सामान पर निचली दर से शुल्क लगाए जाने का कारण मशीन का इस्तेमाल न किया जाना या सीमित इस्तेमाल किया जाना है ।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सदन-पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) जिन एककों की, एक वर्ष में, कुल निकासियां 15 लाख रुपए से अधिक नहीं होती, उनके द्वारा निर्मित कांच और कांच के सामान पर, जिसमें कांच मार्बल भी शामिल है, निम्नलिखित रियायतें उपलब्ध हैं :—

(i) एक साल में 5 लाख रुपए तक के मूल्य की निकासियों के लिए पूर्णतः शुल्क मुक्त हैं ; और

(ii) एक साल में 5 लाख और 15 लाख रुपए के बीच की अगली निकासियों (अर्थात 10 लाख रुपए की अतिरिक्त मात्रा) पर सामान्य का केवल 3/4 शुल्क ही लगता है ।

एक अप्रैल 1981 से पूर्ण छूट के लिए पात्र मूल्य-खण्ड को बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए किया जा रहा है । "कंचों" अथवा कांच मार्बलों का अधिकतर इस्तेमाल सोडावाटर की बोतलों में किया जाता है । वर्तमान छूटों और कांच मार्बल के विविध प्रयोग को देखते हुए, इन्हें उत्पादन शुल्क की अदायगी से पूरी छूट देना जरूरी नहीं समझा गया है ।

मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा जमा की गयी राशियां और दिये गए ऋण

3386. **श्री शिव कुमार सिंह** : क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, मध्यप्रदेश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा जमा की गई राशियों और दिए गए ऋणों का अनुपात क्या है और इसका राष्ट्रीय औसत कितना है तथा राज्यों में इसका अनुपात क्या है ;

(ख) क्या हाल ही के वर्षों में मध्यप्रदेश में इस अनुपात में गिरावट आई है ;

(ग) ब्याज की अधिमान्यदरों के अंतर्गत वर्ष 1978 और 1979 के दौरान मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए कुल ऋणों की प्रतिशतता क्या है ; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार उपरोक्त योजना के अंतर्गत उन्हें दी जाने वाली राशि की प्रतिशतता क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) तथा (ख) जून, 1977, 1978 तथा 1979 के अंतिम शुक्रवारों की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के राज्यवार ऋण अनुपातः जमा तथा ऋण तथा निवेश जमा राशियां अनुबंध में दर्शायी गई हैं। मध्य प्रदेश में ऋण जमा अनुपात (स्वीकृति के अनुसार), जून, 1977 के 51.4 प्रतिशत से बढ़कर जून 1979 में 54.4 प्रतिशत हो गया । अग्रिमों के उपभोग के अनुसार ऋण जमा अनुपात में समनुरूप वृद्धि 53.7 प्रतिशत के मुकाबले 57.9 प्रतिशत थी जबकि बैंकों के सरकारी प्रतिभूतियों तथा राज्य सहकारी निकायों में निवेशों को हिसाब में लेने के बाद उपभोग के अनुसार ऋण जमा निवेशः जमा अनुपात जून, 1977 के 71.8 प्रतिशत से बढ़कर जून, 1979 में 75.5 प्रतिशत हो गया ।

(ग) दिसम्बर, 1977 तथा 1979 की अंत की स्थिति के अनुसार, मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के, त्रिभेदी ब्याज दर योजना के समग्र बकाया अग्रिम क्रमशः 5.20 करोड़ रुपये तथा 7.42 करोड़ रुपये के थे। इस प्रकार पिछले वर्ष की अन्त की स्थिति के अनुसार, राज्य में, इन बैंकों के, त्रिभेदी ब्याज दर योजना के अधीन, कुल अग्रिम 1.6 प्रतिशत तथा 1.9 प्रतिशत बैठते हैं।

(घ) बैंकों से यह आशा की जाती है कि विभेदी ब्याज दर योजना के अधीन वे अपने समग्र उधारों को, पिछले वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार राशि से अखिल भारतीय स्तर पर एक प्रतिशत तक बढ़ा दें।

विवरण

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का राज्यवार ऋण : जमा अनुपात तथा ऋण+निवेश जमा अनुपात (जून के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार)

(प्रतिशत)

राज्यों के नाम	स्वीकृति के अनुसार-ऋण जमा अनुपात			उपभोग के अनुसार					
				ऋण जमा			ऋण+निवेश जमा अनुपात		
	1977	1978	1979	1977	1978	1979	1977	1978	1979
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
हरियाणा	58.8	60.9	63.9	108.3	90.8	108.7	133.4	116.7	129.7
हिमाचल प्रदेश	21.2	24.2	27.1	21.8	24 9	27.9	3 1.7	42.2	42.6
जम्मू व कश्मीर	32.0	23.0	37.1	27.6	19.8	30.5	41.1	34.4	44.4
पंजाब	32.5	36.1	37.9	76.2	77.9	70.5	85.8	86.9	77.9
राजस्थान	60.3	59.2	66.7	67.5	65.1	72.8	98.2	98.7	103.2
असम	44.9	43.1	41.2	62.9	63.9	63.0	89.7	91.0	88 3
नागालैंड	34.6	28.6	28.3	39.7	31.8	37.0	181.4	135.9	135.8
सिक्किम	3.2	6.1	2.5	3.3	6.3	2.5	5.1	8.8	3.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
बिहार	38.4	41.2	39.2	54.2	53.4	49.6	69.5	70 8	64.5
उड़ीसा	61.3	60.8	64 2	70.8	70.0	73.0	120.7	118.9	112.6
प० बंगाल	66.1	64 2	60.6	60.5	58.0	55.2	69.4	67 2	63.2
मध्य प्रदेश	51.4	53.6	54.4	53.7	55.8	57.9	71.8	74.8	75.5
उत्तर प्रदेश	46.6	46.1	48.2	52 2	49.9	52.9	67.3	65.7	65.6
गुजरात	52.4	51.1	52.1	57.3	54.9	55.9	72.6	70.9	70.7
महाराष्ट्र	71.6	73.8	76.4	65.2	67.5	70.6	73.8	76.4	78.7
आंध्र प्रदेश	66.4	70.0	70.4	69.1	72.3	72.5	91.0	92.2	88.1
कर्नाटक	87 9	80 0	77.7	91.4	82.4	79.7	110.4	98.3	92.9
केरल	64.0	62.1	65.8	65.6	60.7	67.8	83.3	77.7	82.6
तमिलनाडु	100.9	93.4	91.3	99.7	92.8	90.8	122.4	112.7	106.5
समस्त भारत	72.5	69.8	69.1	72.5	69.8	69.1	85.8	83.1	80.6

टिप्पणी : निवेश राशियों पर आधारित जो कि अगले वर्ष के मार्च के अन्त से संबंधित है सिवाय जून, 1977 के, जहां ये वर्ष के मार्च के अन्त से सम्बन्धित हैं।

देश में कार्यरत जीवन बीमा निगम के कार्यालय

3388. श्री मतिलाल हसदा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, कार्य कर रहे जीवन बीमा निगम के कार्यालयों की राज्यवार संख्या कितनी है ;

(ख) चालू वर्ष के दौरान खोले जाने वाले कार्यालयों की संख्या, राज्यवार कितनी है ; और

(ग) चालू वर्ष में पश्चिम बंगाल में खोले जाने वाले कार्यालयों की संख्या कितनी है और उनके जिलेवार आंकड़े क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) और (ख) 31 मार्च 1980 को देश में जीवन बीमा निगम के 788 कार्यालय थे अर्थात् केन्द्रीय कार्यालय 1, जोनल कार्यालय 5, डिवीजन कार्यालय 41, शाखा कार्यालय 738 और उप कार्यालय 4/वर्ष 1980-81 में जीवन बीमा निगम ने एक डिवीजनल कार्यालय सहित 91 नए कार्यालय खोलने का निर्णय किया जिनका राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	31 मार्च, 1980 को कार्यालयों की संख्या	1980-81 में खोले गए/ खोले जाने वाले कार्यालय
(1)	(2)	(3)
राज्य		
आंध्र प्रदेश	58	9
असम	22	—
बिहार	48	5
गुजरात	55	6
हरियाणा	14	1
हिमाचल प्रदेश	4	1
जम्मू तथा कश्मीर	4	1
कर्नाटक	55	8
केरल	35	4
मध्य प्रदेश	42	6

1	2	3
महाराष्ट्र	121	8
मणिपुर	1	—
मेघालय	1	—
नागालैंड	1	—
उड़ीसा	14	8
पंजाब	29	2
राजस्थान	34	4
सिक्कम	1	—
तमिलनाडु	62	9
त्रिपुरा	1	—
उत्तर प्रदेश	96	11
पश्चिम बंगाल	60	3
संघ राज्य क्षेत्र		
दिल्ली	25	3
गोआ, दमन और द्वीव	25	3
पांडिचेरी	1	—
चण्डीगढ़	5	—
अंडमान और निकावार द्वीप समूह	1	—
जोड़ :	789	91

(ग) पश्चिम बंगाल में हुगली, जलपाइगुड़ी और मिदनापुर के जिलों में 3 नए शाखा कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है।

बेरोगर संयंत्र (डुप्ले संयंत्र) का आधुनिकीरण

3389. **श्री सोमनाथ चटर्जी:** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोगर संयंत्र (डुप्ले संयंत्र) के आधुनिकीकरण का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) क्या सरकार को पता है कि यदि किसी संयंत्र का आधुनिकीकरण नहीं किया जायेगा तो अच्छे किस्म के इस्पात का उत्पादन करने की लागत अधिक आयेगी और इस्पात के उत्पादन की क्षमता पूरी नहीं की जायेगी ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) इस्पात बनाने की डुप्लेक्स प्रक्रिया पुरानी हो चुकी है तथा देश में इस समय केवल टिस्को तथा इस्को के कारखानों में ही इसका प्रयोग किया जा रहा है। टिस्को के आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में सरकार द्वारा स्वीकृत योजना में इस्पात बनाने की डुप्लेक्स प्रक्रिया के स्थान पर एल० डी० प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। इस्को की कठिनाइयों तथा सक्षमताओं के सम्बन्ध में गहराई से अध्ययन किए जा रहे हैं। इसमें इस्पात बनाने की प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण तथा सुविधाओं की व्यवस्था भी शामिल है। इस सम्बन्ध में फ्रांस के एक दल तथा सोवियत रूस के साथ बातचीत चल रही है।

आयकर कार्यालय वेतन सर्किल, नई दिल्ली में आयकर हेतु मूल्यांकन के विचाराधीन मामले

3390. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अधिकारी के कार्यालय वेतन सर्किल, मयूर भवन, नई दिल्ली में आयकर हेतु मूल्यांकन के हजारों मामले विचाराधीन पड़े हैं ; और

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में पेश किए गए 1979-80 और इसके बाद के आयकर हेतु मूल्यांकन के विचाराधीन मामलों को शीघ्र निपटाने और उक्त सर्किल के कार्यकरण में सुधार करने हेतु उनका क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां।

(ख) वेतन परिमण्डल, नई दिल्ली में 31 जनवरी, 1981 की स्थिति के अनुसार बकाया पड़े कार्यभार के 30 प्रतिशत से कुछ ही कम कार्यभार 1 अप्रैल, 1980 से पहले दाखिल की गई विवरणियों का है। चालू वर्ष के दौरान संक्षिप्त कर-निर्धारणों को पूरा करने की प्रशासनिक सीमाओं को बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। कर-निर्धारण के जिन मामलों में विवरणी में दिखायी गयी आय 25,000/- रु० अथवा इससे कम हो उनका कर-निर्धारण-कार्य आयकर निरीक्षकों को सौंपा गया है। वापसी दावों आदि को तुरन्त निपटाने में कर-निर्धारितियों की सहायता करने के निमित्त वेतन परिमण्डल में एक जन सम्पर्क अधिकारी भी कार्य कर रहा है। आयकर आयुक्त, दिल्ली-6 के कार्यालय में एक शिकायत कक्ष भी कार्य कर रहा है जो कर-दाताओं की शिकायतों की इस दृष्टि से जांच करता है कि उन्हें दूर किया जा सके। परिमण्डल के कार्य को कारगर और सरल बनाने के लिए ये उपाय अपेक्षित हैं।

राज्यों की ऋण ग्रस्तता

3391. **श्री चिरन्जी लाल शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राज्यों की कुल ऋणग्रस्ता कितनी है और दिसम्बर, 1980 में यह कितनी बढ़ गयी थी ; और

(ख) केन्द्र की सब से अधिक धनराशि किस राज्य की और बकाया है ?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) सरकारी खाते 31 मार्च, को समाप्त होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए तैयार किए जाते हैं। 1978-79 के अन्त में केन्द्र सरकार के प्रति राज्य सरकारों की ऋण सम्बन्धी देनदारी 13876.35 करोड़ रुपए की थी। 1980-81 के संशोधित अनुमानों के अनुसार (जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तैयार नहीं किए जाते) 31.3.81 को, राज्यों की और केन्द्रीय ऋणों की 17047.65 करोड़ रुपए की राशि बकाया रहेगी। दिसम्बर, 1980 के दौरान ऋण सम्बन्धी देनदारी में हुई वृद्धि के सम्बन्ध में अलग से सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) सबसे हाल की राज्य-वार उपलब्ध सूचना के अनुसार, 31.3.1979 को उत्तर प्रदेश की ओर केन्द्र सरकार की सबसे अधिक राशि बकाया थी।

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की इन्गाट इस्पात उत्पादन की क्षमता

3392. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (इस्को) को इन्गाट इस्पात उत्पादन की वास्तविक क्षमता कितनी है (सीकोन की रिपोर्ट के अनुसार इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की उत्पादन क्षमता 0.8 मिलियन टन है) ;

(ख) यदि इसका उत्पादन 20 लाख टन कर दिया जाय तो क्या उत्पादन लागत कम होगी ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (इस्को) की इस्पात पिण्ड उत्पादन की वार्षिक निर्धारित क्षमता 10 लाख टन है। मेकन द्वारा अप्रैल, 1978 में किए गए मूल्यांकन के अनुसार इस्को की अनुमानित वार्षिक प्राप्य क्षमता 9.83 लाख टन है।

(ख) और (ग) यदि अतिरिक्त भूमि, उपस्कर, प्रौयोगिकी और डाउनस्ट्रीम सुविधाओं पर पूंजी-निवेश अधिक होता है, तो यह आवश्यक नहीं है कि क्षमता में वृद्धि होने के साथ ही उत्पादन की लागत भी कम हो जाए।

विदेशों में रहने वाले भारतीयों को लघु बचतों में पूंजी-निवेश करने के लिए रियायतें

3393. **श्री चिंतामणि जैना :**

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार विदेशों में रहने वाले भारतीयों को लघु बचतों में पूंजी-निवेश करने के लिए आकर्षित करने हेतु प्रोत्साहन के रूप में कुछ रियायतें देने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई वरोट) : (क) इस सम्बन्ध में इस समय कोई ठोस प्रस्ताव संघ सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में आक्सीजन संयंत्र का लगाया जाना

3395. **श्री सुशील मट्टाचार्य :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में आक्सीजन संयन्त्र लगाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कब तक ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (इस्को) के बर्नपुर स्थित कारखाने में भट्टियों तथा कन्वर्टरों में भविष्य में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर कारखाने को आक्सीजन की ठीक-ठीक कितनी आवश्यकता होगी, इस बारे में इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी इस समय विचार कर रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

"टूरिजम मिनिस्टर टू फ्लाई पास्ट वार्निंग" समाचार

3396. श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 जनवरी, 1981 के टाइम्स आफ इण्डिया (बम्बई) में प्रकाशित "टूरिज्म मिनिस्टर टू फ्लाई पास्ट वार्निंग" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या आस्ट्रेलिया को एयर इंडिया की उड़ानें बन्द करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का विस्तार

3397. श्री समर मुखर्जी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के समक्ष इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के विस्तार का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो कार्य कब प्रारम्भ होने की आशा है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्यकरण

3389. श्री हरीहर सोरेन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्यकरण संतोषजनक नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय का इन बैंकों के कार्यों को संतोषजनक बनाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) तथा (ख) जैसा कि निम्नलिखित सारणी से पता चलेगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने, शाखा विस्तार, ऋण प्रसार तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अपने लाभप्राप्तकर्ताओं को ऋण सुविधाएं प्रदान करने में अच्छी प्रगति की है :

सारणी

(जून के अन्त की स्थिति के अनुसार)

		1978	1979	1980
1.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या	48	56	73
2.	शाखाओं की संख्या	1424	1990	2735
3.	जमा (करोड़ रुपए)	45.25	98.26	163.68
4.	अग्रिम (करोड़ रुपए)	65.97	173.51	181.16
5.	लाभप्राप्तकर्ताओं की संख्या (लाखों में)	7.69	16.07	18.47

भारतीय रिजर्व बैंक में एक संचालन समिति स्थापित की गई है जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण से संबन्धित सभी पहलुओं की सावधिक समीक्षा की जाती है तथा उनके कार्यकरण में सुधार के समुचित उपाय अपनाने पर विचार किया जाता है ।

पश्चिम बंगाल में ग्राम्य बैंक

3399. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में, जिलावार कितने ग्राम्य बैंक काम कर रहे हैं ।

(ख) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान कुछ और नए ग्राम्य बैंक खोलने का है ;

(ग) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल के विभिन्न स्थानों पर जिलावार कितने बैंक खोले जाएंगे और कहां-कहां खोले जाएंगे ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) इस समय पश्चिम बंगाल राज्य के 15 में से 14 जिलों को व्याप्त करते हुए 7 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्य कर रहे हैं । इन बैंकों के बारे में ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य में किसी अन्य नए ग्रामीण बैंक की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते ।

विवरण

पश्चिम बंगाल में कार्य कर रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

क्रम संख्या	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	स्थापना की तारीख	व्याप्त जिले
1.	गोड़ ग्रामीण बैंक, माल्दा	2.10.1975	1. माल्दा 2. दिनाजपुर 3. मुर्शिदाबाद
2.	मल्लभूम ग्रामीण बैंक, बांकुरा	9.4.1976	1. बांकुरा 2. पुरूलिया 3. मिदनापुर
3.	मयूराक्षी ग्रामीण बैंक, सूरी	16.8.1976	1. बीरभूम
4.	उत्तर बंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूच बिहार	7.3.1977	1. कूच बिहार 2. जलपाईगुड़ी 3. दार्जिलिंग
5.	नादिया ग्रामीण बैंक, कृष्णानगर	27.8.1980	1. नादिया
6.	सागर ग्रामीण बैंक, अमताला	24.9.1980	1. चौबीस परगना
7.	बर्द्धमान ग्रामीण बैंक बर्दवान	25.11.1980	1. वर्दमान 2. हुगली

"फेरा" (विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम) कम्पनियों द्वारा निर्यात

3400. श्री वी. एन. गाडगिल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन "फैरा" कम्पनियों की संख्या क्या है जिन्होंने "फैरा" मार्गनिर्देशों के अन्तर्गत अपेक्षित 10 प्रतिशत निर्यात स्वीकार कर लिया है ;

(ख) चोटी की उन पांच "फैरा" कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने अधितम निर्यात किया है और उनके द्वारा 1978, 1979 और 1980 में किए गए निर्यात का मूल्य क्या है ;

(ग) क्या ये "फैरा" कम्पनियां देश के लिए विदेशी मुद्रा संसाधनों में अंशदान करती हैं ;

(घ) क्या उनके द्वारा निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा लाभांश के रूप में बाहर भेजी गई विदेशी मुद्रा से अधिक है ; और

(ङ) यदि हां, तो विदेशी मुद्रा कमाने तथा उसके बाहर भेजने का अनुपात क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) एक विवरण संलग्न है, जिसमें उन कम्पनियों के नाम दिए गए हैं, जिन पर विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के मार्ग निर्देशों के अन्तर्गत निर्यात सम्बन्धी दायित्व डाला गया है तथा जिसमें उन कम्पनियों द्वारा निष्पादित कार्य भी दिखाया गया है ।

(ख) से (ङ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और उसे अलग से सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

विवरण

संख्या	कम्पनी का नाम	निष्पादित कार्य
1.	क्लोराइड इंडिया लि०	16.75 % (अगस्त 1979)
2.	यूनियन कारबाइड इंडिया लि०	10.18 % (दिसम्बर 1979)
3.	डनलप इंडिया लि०	10.2 % (79-80)
4.*	फाइबर ग्लास पिलकिंगटन	5.76 % (अप्रैल 1979)
5.*	कंथल इंडिया लि०	— —
6.*	इंटरनेशनल कम्बशन (इंडिया) लि०	— —

* चूंकि ये कम्पनियां निर्यात सम्बन्धी दायित्व पूरा नहीं कर सकी हैं, इसलिए वे अनिवासी शेयरधारित को कम करके 40 प्रतिशत तक करने की कार्रवाई या तो कर चुकी हैं या कर रही हैं ।

कालीन बुरकरों को प्रशिक्षण देने की योजना का विस्तार

3401. श्री मार्तण्ड सिंह : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाथ से बुने कालीनों के निर्यात में वृद्धि के लिए सरकार का विचार कालीन बुनकरों को प्रशिक्षण देने की योजना को देश के अन्य उन भागों में भी लागू करने का है जहां ऐसी व्यवस्था नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो क्या रेवा तथा मध्य प्रदेश में भूतपूर्व विंध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी यह योजना शुरू की जाएगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो कालीन बुनकरों को प्रशिक्षण देने की योजना को विस्तृत न करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में जम्मू तथा काश्मीर के सिवाय कालीन बुनाई के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या में कोई वृद्धि करने का प्रस्ताव नहीं है। तथापि, प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण केन्द्रों के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को संचालन की व्यवस्था है। ऐसे संचलन के बारे में निर्णय सरकार द्वारा समय समय पर लिया जाता है। इसके अलावा राज्य सरकारें भी, जहां ऐसे केन्द्र खोलने की आवश्यकता महसूस हो, इच्छानुसार नए केन्द्र खोल सकती है।

पर्यटन, वन्य जीव और आधारभूत ढांचे के लिए उड़ीसा को केन्द्रीय सहायता

3402. **श्री के. वी. सिंह देव** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने पर्यटन, वन्य जीव और आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है जिनके लिए वह मांगी गई थी ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि केन्द्रीय पर्यटन विभाग को सिमलीपाल नेशनल पार्क में एक वन-गृह के निर्माण का प्रस्ताव है जिसके लिए 19-1-82 के दौरान 10.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

इसके अतिरिक्त, छठी पंच वर्षीय योजना 1980-85 के दौरान उड़ीसा पर्यटन विकास निगम के सहयोग से भारत-पर्यटन विकास निगम का पुरी में एक होटल के निर्माण और कोणार्क में कुटीरों के एक काम्पलेक्स के निर्माण का प्रस्ताव है। स्कीमों के लिए सहयोग और धनराशि जुटाने संबंधी ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

गणेश सिंधी बीड़ी कम्पनी, दिल्ली की और बकाया आयकर

3403. **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गणेश सिन्धी बीड़ी कम्पनी बहादुरगढ रोड, दिल्ली की और वर्ष 1979-80 के लिए कितना आयकर बकाया है ; और

(ख) बकाया राशि को वसूल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) कर-निर्धारण वर्ष 1979-80 के सम्बन्ध में मैसर्स गणेश सिन्धी बीड़ी-कम्पनी, बहादुरगढ़ रोड, दिल्ली की तरफ कोई आय-कर बकाया नहीं है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

चान्दवाड़ा (बिहार) में अभ्रक कागज कारखाने की स्थापना

3404. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चान्दवाड़ा (कोडरमा, बिहार) में एक अभ्रक कागज कारखाना स्थापित करने के बारे में अन्तिम रूप से कोई निर्णय कर लिया गया है;

(ख) उक्त कारखाने की स्थापना के लिए योजना आयोग ने कितनी राशि का नियतन किया है ; इस पर कुल कितनी लागत आएगी और यह कारखाना सम्भवत: कब तक चालू हो जाएगा ; और

(ग) उक्त कारखाने की रूपरेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) अभ्रक व्यापार निगम ने झुमरी-तलैय्या (चान्दवाड़ा, बिहार) में एक अभ्रक कागज कारखाने की स्थापना करने के लिए अगस्त, 1980 में विनिश्चय किया था।

(ख) योजना आयोग ने, विभिन्न अभ्रक आधारित परियोजनाओं के लिए मिटको की प्रस्थापनाओं को ध्यान में रखते हुए छठी योजना अवधि के दौरान 10 करोड़ रु० का सांकेतिक प्रावधान रखा है। बिहार में अभ्रक कागज परियोजना के लिए अनुमानित निवेश लगभग 22 करोड़ रु० है। ऐसी सम्भावना है कि यह अभ्रक पेपर कारखाना अगले तीन वर्षों के भीतर कार्य आरम्भ कर देगा।

(ग) इस कारखाने का 1200 मे० टन प्रति वर्ष अभ्रक कागज तैयार करने की क्षमता होगी, जिसमें से 600 मे० टन० मैकेनिकल पल्पिंग प्रोसेस पर आधारित होगा और बाकि 600 मे० टन० थर्मो-केमीकल प्रोसेस पर आधारित होगा। यह कारखाना लगभग 350 व्यक्तियों को रोजगार देने में सक्षम हो सकेगा।

दीव में हवाई अड्डा पुन: चालू करना

3405. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दीव को स्वाधीन कराने के समय वहां का हवाई अड्डा नष्ट हो गया था ; और

(ख) क्या सरकार का विचार उसे पुन: चालू करने का है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी ।

भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर में कटे-फटे नोटों का बदला जाना

3406. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या वित्त मंत्री कटे-फटे नोटों को बदलने के बारे में 23 मार्च, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4516 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारण है कि बार-बार अनुरोध करने और अभ्यावेदन के बावजूद भी सरकारी क्षेत्र के बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर द्वारा कटे-फटे और मामूली से खराब हुए नोटों को बदला नहीं जा रहा है ;

(ख) 10 दिसम्बर, 1979 को भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर को पेश किए गए सौ-सौ रु० के 112 नोटों को बार बार अनुरोध करने पर भी न बदले जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस कठिनाई और परेशानी को दूर करने के लिए सरकार का विचार क्या आवश्यक उपाय करने का है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों और भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर को नोट बदलने के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने का अधिकार है और वे बराबर ये सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं ।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि चूंकि विचाराधीन दावेदार द्वारा प्रस्तुत किए गए नोट अत्यधिक मैले कुचैले थे और भारतीय रिजर्व बैंक की प्रक्रिया के अनुसार सामान्य रूप में उठाने धरने योग्य नहीं थे इसलिए दावेदार को यह कहा गया था कि वह एक निर्धारित फार्म में और बातें विनिर्दिष्ट करते हुए यह वचन दे कि वह उन नोटों को उठाने-धरने व उनके सम्बन्ध में जांच किए जाने के दौरान नोटों को होने वाली किसी भी संभावित क्षति के संबन्ध में पूरी जिम्मेदारी लेता है, किन्तु कई अनुस्मरण-पत्र भेजने के बावजूद उसने अभी तक अपेक्षित वचन नहीं दिया है ।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक (नोटों का प्रत्यर्पण) नियमावली को मार्च 1980 में उदार बना दिया गया था और सरकारी क्षेत्र के बैंकों को कटे-फटे नोटों को बदलने के संबंध

में भी पर्याप्त अधिकार प्रदान किए गए हैं । सरकारी क्षेत्र के बैंकों और करेंसी चेस्टों का निरीक्षण करने वाले रिजर्व बैंक के अधिकारी इनका निरीक्षण करते समय इस बात का सत्यापन करते हैं कि जनता को नोटों को बदलने की काफी सुविधाएं दी गई हैं या नहीं । इस बात को सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए कि जनता को कोई परेशानी न हो । सभी विशिष्ट शिकायतों पर रिजर्व बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में कार्रवाई की जाती है ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उत्पादित माल का मूल्य

3407. **श्री बी०के० नायर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उत्पादित माल का कुल मूल्य क्या है ;

(ख) क्या इनमें से कुछ उत्पादों को लागत मूल्य से भी कम पर बेचा जाता है ;

(ग) यदि हां, तो ऐसी बिक्री की मात्रा "इस्टैबलिशमेंट" सूची, उत्पादन लागत, बिक्री मूल्य तथा अधिक महत्वपूर्ण मदों के बाजार मूल्य सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या लागत जमा उचित मुनाफे पर आधारित कोई मूल्य योजना लागू करने का विचार है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उत्पादित माल के कुल मूल्य का विवरण 27 फरवरी, 1981 को संसद के दोनों सभा-पटलों पर रखे गए "लोक उद्यम सर्वेक्षण,, अर्थात सरकारी उद्यमों को 1979-80 की वार्षिक रिपोर्ट के खण्ड 1 की विवरणी संख्या 2-5 (क) में दिया गया है ।

(ख) से (ङ) प्रत्येक चालू उद्यम में बिक्री पर लागत तथा उत्पादन व्यय का विवरण भी वर्ष 1979-80 के "लोक उद्यम सर्वेक्षण,, के खण्ड 3 में दिया गया है । वर्तमान मूल्य निर्धारण नीति सम्बन्धी मार्गनिर्देशों के अनुसार सरकारी उद्यमों को चाहिए कि वे अपनी कार्यकुशलता बढ़ाने तथा अपनी लाभकारिता कायम करने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम एकक बनें । माल का उत्पादन तथा सेवाएं प्रदान करने वाले उद्यम अन्य स्वदेशी उत्पादनकारी उद्यमों को स्पर्धा में सामान्य बाजार मांग और पूर्ति के आधार पर मूल्य निर्धारित कर सकते हैं । एकाधिकार अथवा अर्ध-एकाधिकार रखने वाले उद्यमों को चाहिए कि वे अपनी उत्पादन लागत निकालने के लिए अपने उत्पादों के मूल्य इस प्रकार निर्धारित करने का प्रयास करें जिससे कि वे उनके जैसे विदेशी माल की उतराई तक की लागत से अधिक न हो । जहां सरकार कुछ आधारभूत माल, जैसे इस्पात, उर्वरक, पेट्रोलियम आदि के मूल्य विनियमित या निर्धारित करती है, वहां उस मूल्य में क्षमता के अधिकतम उपयोग की लागत जमा समुचित मुनाफा शामिल होता है । जहां सरकार

के निदेश के अधीन उद्यम को बिना समुचित प्रतिलाभ के अथवा पूरी लागत निकाले बिना ही माल बेचना पड़ता है, वहां सरकार पूर्वनिर्धारित योजना के अधीन राज सहायता प्रदान करती है। केवल कुछ अपवादस्वरूप परिस्थितियों में जहां क्षमता का अधिक उपयोग नहीं किया जा सकता हो, वहां उद्यम बिक्री पर मामूली सा मुनाफा ले सकता है।

पीयरलैस जनरल फाइनेंस एण्ड इवेंस्टमेंट कम्पनी द्वारा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया में जमा करायी गयी राशि

3408. **श्री सुन्दर शर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पीयरलैस जनरल फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी वसूल की गयी अपनी राशि का 80 प्रतिशत रिजर्व बैंक आफ, इण्डिया में जमा कराती है ;

(ख) वर्ष 1979-80 तक इस कम्पनी की रिजर्व बैंक आफ इंडिया में कितनी धनराशि जमा हो गयी है ; और

(ग) क्या सरकार इस कम्पनी पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इनामी चिट तथा धन परिचालन स्कीमें (प्रतिबंध) अधिनियम, 1978 जो 12 दिसम्बर, 1978 से प्रभावी हुआ था, के उपबन्धों के अनुसरण में, तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत, पश्चिम बंगाल सरकार ने, इस कम्पनी को अपना परिसमापन कार्यक्रम भेजने के लिए, 10 सितम्बर, 1979 को एक नोटिस भेजा था। कम्पनी ने तर्क दिया कि उसका कारबार उक्त अधिनियम द्वारा व्याप्त नहीं होता तथा उसने केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के विरुद्ध कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक समादेश याचिका दायर कर दी तथा स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। मामला अभी न्यायाधीन है।

हथकरघा उद्योग

3409. **श्री जेवियर अराकल :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परम्परागत हथकरघा उद्योग, विशेषकर केरल में, गम्भीर आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहा है ;

(ख) भारत के इस परम्परागत उद्योग की सहायता करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(ग) इस उद्योग को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है और किस रूप में ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) भारत सरकार को ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है ।

(ख) भारत सरकार ने पूरे देश में हथकरघों के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई है जो निम्न प्रकार हैं :

(1) सहकारी क्षेत्र के बाहर बुनकरों के लाभ के लिए गहन विकास परियोजनाएं ;

(2) प्राथमिकता हथकरघा सहकारी समितियों को शेयर पूंजी सहायता ;

(3) हथकरघा बुनकरों की शीर्ष विपणन समितियों को शेयर पूंजी सहायता;

(4) हथकरघा पूर्व तया करघा पश्चात प्रोसेसिंग सुविधाओं के सृजन के लिए सहायता ;

(5) राज्य हथकरघा विकास निगमों को शेयर पूंजी सहायता ;

(6) करघों के सुधार एवं आधुनिकीकरण के लिए सहकारी क्षत्र में हथकरघा बुनकर को ऋण तथा सहायता देना ;

(7) हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों को प्रबन्धकीय उपादान ;

(8) हथकरघा बुनकरों को लगातार रोजगार तथा समाज के कमजोर वर्गों को सस्ता कपड़ा देने के लिए हथकरघा जनता कपड़ा योजना ।

(9) हथकरघा कपड़े की बिक्री पर विशेष छूट देना ।

(ग) सभी राज्यों एवं केरल को दी गई वित्तीय सहायता दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्रमांक	योजना	1976-77 से 1-3-81 तथा रिलीज की गई वित्तीय सहायता (लाख रु० में)	
		केरल राज्य	सभी राज्य
1.	प्राथमिक बुनकर समितियों को शेयर पूंजी ऋण सहायता।	40.61	986.06
2.	राज्य शीर्ष समितियों को शेयर पूंजी सहायता।	57.00	1344.00
3.	राज्य हथकरघा विकास निगमों को शेयर पूंजी सहायता।	37.00	783.00
4.	करघा पूर्व तथा करघा पश्चात प्रोसेसिंग सुविधाओं के लिए सहायता।	8.00	871 09
5.	बुनकर समितियों को प्रबन्धकीय उपदान।	3.00	75.00
6.	आधुनिकीकरण नवीकरण के लिए सहायता।	6.00	100.00
7.	निर्यात अभिमुख उत्पादन परियोजनाएं।	37.00	568.00
	योग	1ः8.61	4727.15

भारत रूमानियां संयुक्त आयोग

3410. डा० वसंत कुमार पंडित : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर, 1980 में भारत-रूमानियां संयुक्त आयोग की बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो बैठक में हुए विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है ;

(ग) अगले तीन वर्षों के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में कितनी वृद्धि होने की संभावना है और इससे भारत को कितना लाभ होने की आशा है ; और

(घ) 1981-83 के दौरान रूमानियां को कौन सी नई वस्तुओं का, कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया जाएगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी हां ।

(ख) विचार-विमर्श निम्नलिखित पर हुआ :

(1) द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार तथा दोनों देशों के बीच रुपया व्यापार प्रबन्धों का जारी रखा जाना ;

(2) पावर, मशीनी औजारों, डीजल इलैक्ट्रिक लोकोमोटिव्स, एकीकृत इस्पात संयंत्र (पारादीप), सीमेंट संयंत्रों, आटोमोटिव उद्योग, इलैक्ट्रानिक्स, कृषि आदि के क्षेत्र में सहयोग ;

(3) ट्रामवे उपस्करों का उत्पादन ;

(4) चमड़े के उत्पादन में संयुक्त उपक्रम ;

(5) पेट्रोलियम, पेट्रो-केमिकल्स, भेषजों तथा तेल क्षेत्र उपस्करों के क्षेत्र में सहयोग ;

(6) बुखारेस्ट में एक भारतीय रेस्तरां की स्थापना ; और

(7) तीसरे देशों के बाजारों में सहयोग ।

(ग) गत प्रवृत्तियों को देखते हुए आगामी वर्षों के दौरान द्विपक्षीय व्यापार में काफी विस्तार होने की आशा है । इससे भारत को उर्वरक, रोल्ड स्टील उत्पाद पेट्रोलियम उत्पाद, अखबारी कागज, रसायन आदि प्राप्त करने और रूमानिया में भारतीय लौह अयस्क, चमड़ा उत्पादों और कृषि सम्बन्धी वस्तुओं के अच्छे बाजार आफर करने में मदद मिलेगी ।

(घ) 1981 के लिए वैगनों के ब्रेक उपस्कर, रेलवे कोचों, सेन्टर बफर कपलर्स और बोगियों जैसा नई मदों को भारत से निर्यात के लिए अभिज्ञात किया गया है । इन मदों के निर्यात भारत में उपलब्धता और रूमानिया में उनकी आवश्यकता पर निर्भर करते हुए हो सकते हैं । 1982 तथा 1983 के दौरान निर्यात की नई मदों पर वार्षिक व्यापार वार्ताओं के दौरान विचार-विमर्श किया जाएगा ।

अखिल भारतीय सेवा परीक्षा, 1980

3411. **श्री टी० नागरत्नम** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंट्रल बैंक आफ इंडिया में अधिकारी-संवर्ग में पदोन्नति के लिए कितने सामान्य कर्मचारियों तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों ने बैंक द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सेवा परीक्षा, 1980 की लिखित परीक्षा में भाग लिया ;

(ख) इनमें से कितने कर्मचारियों पर परीक्षा में अबंध तरीके अपनाने का आरोप लगाया गया है ;

(ग) क्या उक्त परीक्षा हेतु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण देने का आल इण्डिया सेंट्रल बैंक एम्पलाइज फेडरेशन, मिजोरिटी यूनियन तथा अन्य सामान्य उम्मीदवारों ने विरोध किया था ;

(घ) क्या बैंक ने मेजोरिटी यूनियन तथा अन्य कर्मचारी संघों की यह बात स्वीकार कर ली थी कि अखिल भारतीय सेवा परीक्षा में बैठने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों को कोई परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा ; और

(ङ) क्या बैंक का विचार भविष्य में उन जातियों के उम्मीदवारों को परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण देने का है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के अनुसार, 1980 में हुई अखिल भारतीय सेवा परीक्षा (आल इंडिया सर्विस टेस्ट) में बैठे 3597 उम्मीदवार सामान्य वर्गों से सम्बन्धित थे तथा 451 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से ।

(ख) ऐसे उम्मीदवारों द्वारा गलत साधन अपनाए जाने की कोई शिकायत बैंक को प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) बैंक ने बताया है कि आल इण्डिया सेंट्रल बैंक एम्पलाईज फैडरेशन ने सभी उम्मीदवारों को परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण देने का अनुरोध किया था ।

(घ) प्रबन्धकों द्वारा ऐसा कोई समझौता नहीं किया गया ।

(ङ) बैंक, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण देना जारी रखेगा ।

भारतीय पर्यटकों को प्रोत्साहन

3412. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार की पर्यटन संबंधी विकास योजनाओं में भारतीय पर्यटकों की अवहेलना जानबूझकर की जाती है ; और

(ख) यदि नहीं, तो भारतीय पर्यटकों को प्रोत्साहन देने तथा सहायता करने के बारे में नीति में मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री आनन्द प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार स्वदेशी पर्यटन को मुनासिब महत्व दे रही है। विभिन्न योजना अवधियों के दौरान स्वदेशी पर्यटकों के लिए पहले से ही अनेक सुविधाएं जुटाई जा चुकी हैं। मध्य-आय-वर्ग के पर्यटकों और हमारे युवाओं के लिए यूथ ट्रैवल का संवर्धन करने हेतु सस्ते आवास प्रदान करने के लिए पर्यटक बंगलों और यूथ होस्टलों की एक श्रृंखला निर्मित की गई है। छठी पंच वर्षीय योजना के दौरान अतिरिक्त यूथ होस्टलों का निर्माण जारी रखा जाएगा।

इस समय भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा नई दिल्ली में 1200 बैड वाले एक यात्री निवास का निर्माण किया जा रहा है। यह सस्ती बोर्ड और लाजिंग सुविधाएं प्रदान करेगा। नई दिल्ली में यात्री निवास के प्रथम 2/3 वर्षों के परिचालन परिणामों से सरकार के संतुष्ट हो जाने के बाद ही अन्य केन्द्रों पर इस प्रकार की परियोजनाओं पर विचार किया जाएगा।

बड़ी संख्या में तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अधीन भारतीय यात्री आवास विकास समिति नामक एक सोसाइटी स्थापित की गई है। समिति राष्ट्रीय महत्व के तीर्थ केन्द्रों पर धर्म शालाओं/सरायों/मुसाफिरखानों के रख-रखाव/सुधार/विस्तार के लिए अनुदान ऋण प्रदान करेगी। यदि आवश्यकता हुई तो समिति इस प्रकार की स्थापनाओं का निर्माण भी करेगी। 1979-80 में केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने समिति को अपने कार्य जारी रखने के लिए 5,00 लाख रुपए का अनुदान दिया।

भारत पर्यटन विकास निगम संचालित दृश्यावलोकन कोच टूअर्ज और पैकेज टूअर्ज का भी परिचालन करता है जिनका स्वदेशी और अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक दोनों ही लाभ उठाते हैं।

खनिजों पर आधारित परियोजना प्रतिवेदन

3413. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के विभिन्न खनिजों और धातुओं पर आधारित उड़ीसा सरकार और उनके मंत्रालय द्वारा अब तक तैयार किए गए परियोजना प्रतिवेदन क्या हैं ;

(ख) छठी योजना में शामिल करने के लिए उनके मन्त्रालय द्वारा विचार किए गए परियोजना प्रतिवेदन कौन-कौन से हैं ;

(ग) भारत सरकार द्वारा उनमें से अब तक कितने स्वीकृत किए गए हैं और कितने अनुमोदित किए जाने की संभावना है ;

(घ) राज्य की छठी योजना के कार्यक्रमों में शामिल करने के लिए प्रस्तावित संयंत्रों के बारे में राज्य द्वारा किए गए उपाय क्या हैं ; और

(ङ) उनमें से कितने सरकारी क्षेत्र, गैर-सरकारी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र में होंगे और इनके नाम क्या हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रवण मुखर्जी) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

संसद सदस्यों/मंत्रियों के विदेश। ८।

3414. **श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी :**
श्री चतुर्भुज : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में विदेशों में गये सरकारी शिष्टमण्डलों में संसद सदस्यों की संख्या क्या है ;

(ख) उनके दौरों पर कितना खर्च हुआ ;

(ग) उनकी यात्रा का उद्देश्य क्या था ;

(घ) विदेश भेजे गए सदस्यों के नाम तथा जिन देशों का उन्होंने दौरा किया उनके नाम सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ? और

(ङ) पिछले तीन वर्षों में मन्त्रियों द्वारा जिन देशों का दौरा किया गया उनके नाम क्या हैं तथा उनके दौरों से देश का क्या लाभ हुआ ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ङ) अप्रैल, 1978 से मार्च, 1981 तक की अवधि के सम्बन्ध में मन्त्रालयों/ विभागों से सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

हिन्दुस्तान लीवर द्वारा कृषि कार्यों के लिए करों में मांगी गई रियायत

3415. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अब तक के कृषि सम्बन्धी कार्यों के लिए, ग्रेट ब्रिटेन की यूनी लीवर की सहायक कम्पनी हिन्दुस्तान लीवर ने करों में रियायतें मांगी हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो पिछली बार उक्त रियायत कब मांगी गई थी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35ग के अधीन नवीनतम कर निर्धारण वर्ष 1980-81 तक कृषि विकास छूट का दावा किया है ।

हिन्दी-कर्मचारियों के पद बनाने पर रोक

3416. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नए पद बनाने पर लगाई गई रोक से हिन्दी अधिकारियों/अनुवादकों के पदों को छूट देने का निर्णय किया है ताकि राजभाषा अधिनियम के सांविधिक प्रावधानों तथा उनके अन्तर्गत बने नियमों को क्रियान्वित किया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में लिए गए निर्णय सभी मंत्रालय तथा उनसे सम्बद्ध एवम् उनके अधीनस्थ कार्यालयों को परिचालित कर दिए गए हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा उत्पादित डालडा का मूल्य

3417. **श्री ज्योतिमय बसु** : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनी हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा उत्पादित डालडा वनस्पति के मूल्य अन्य उत्पादकों की तुलना में अधिक है ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकारी स्वामित्व वाली कम्पनी गणेश फ्लोर मिल्स के सबसे कम मूल्य हैं ;

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ; और

(घ) हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने के क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री व्रज मोहन महन्ती) : (क) से (घ) फरवरी, 1981 में, जब उद्योग द्वारा स्वैच्छिक मूल्य नियन्त्रण का पालन किया गया था, हिन्दुस्तान लीवर लि० द्वारा बेचे जाने वाले छोटे डिब्बों के मूल्य अन्य प्रचलित ब्रांडों के मूल्यों के बराबर अथवा लगभग बराबर ही थे। तथापि, उन्होंने मार्च के प्रथम सप्ताह में छोटे डिब्बों के मूल्य बढ़ाये हैं, और अन्य ब्रांडों के मूल्यों की तुलना में अब उनके मूल्य सबसे अधिक हैं। गणेश फ्लोर मिल्स के छोटे डिब्बों के मूल्य सबसे कम हैं, क्योंकि सरकार द्वारा प्रबन्धित कम्पनी होने के कारण यह अपने उत्पादकों को यथासम्भव कम मूल्य पर बेचने की कोशिश कर रही है।

सरकार पर्याप्त मात्रा में तथा उचित मूल्यों पर वनस्पति उपलब्ध कराने के बारे में वनस्पति उत्पादकों से बातचीत जारी रखे हुए है और समय-समय पर स्थिति की मांग के अनुसार उपयुक्त कदम उठाती रहेगी।

राजस्थान में पाए गए खनिज भंडार

3418. श्री सतीश अग्रवाल : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूसर्वेक्षण संस्थान ने पता लगाया है कि राजस्थान का रेगिस्तान खनिजों से भरपूर है जिन्हें उर्वरकों के उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है ;

(ख) यदि हां, तो पता किए गए भंडारों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने उनके दोहन की कोई योजना तैयार की है और इस सम्बन्ध में तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) भारतीय भूसर्वेक्षण (जी० एस० आई०) द्वारा विरमानियों में 12.9% फास्फोरस पेन्ट आक्साइड वाले निम्न ग्रेड फास्फोराइट के 3.5 मिलियन टन भंडारों का आकलन किया गया है। फतेगढ़ इलाके में भी घटिया ग्रेड फास्फोराइट जोनों का पता चला है। जी० एस० आई० के हाल ही के सर्वे से संकेत मिलता है कि मरू क्षेत्र में भी पोटाश फास्फोराइट चट्टानें हो सकती हैं, जिनके लिए जी० एस० आई० की क्षेत्रीय खोज जारी है। लेकिन पोटाश खनिज के अब तक कोई खास भंडार नहीं मिले है।

राजस्थान में जिप्सम के 107 मिलियन टन से अधिक भंडार होने का अनुमान है जो मुख्यतः नागौड़ जिले में हैं। सीकर जिले में भी जी० एस० आई० ने लगभग 112 मिलियन टन पाइराइट भंडारों का पता लगाया है।

(ग) जिप्सम का खनन इस समय राज्य निगम और भारतीय उर्वरक निगम द्वारा किया जा रहा है। पाइराइट, फास्फेट एंड केमिकल्स लि० नामक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम भी सल्फर अम्ल और फास्फेट उर्वरक की उत्पादन सुविधाओं की स्थापना हेतु पाइराइट निक्षेपों के बारे में विस्तृत प्रौद्यो-आर्थिक साध्यता अध्ययन कर रहा है। राक-फास्फेट निक्षेपों में खनिज की घटिया किस्म को देखते हुए उसके खनन की कोई योजना नहीं बनायी जा सकी है। लेकिन यह खनिज की परिष्करण विशेषताओं के अध्ययन के लिए परीक्षण शुरू किए गए हैं, जो अभी जारी हैं।

पिछड़े राज्यों में शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों की स्थापना

3419. श्री तारीक अनवर :

श्री केशवराव पारधा : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों का स्थापना का निर्णय किया है ; और

(ख) क्या सरकार के निर्यातोन्मुख एककों की स्थापना के मामले में पिछड़े राज्यों को प्राथमिकता देने का निर्णय किया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क)तथा(ख) सरकारी संकल्प दिनांक 31 दिसम्बर, 1980 की एक प्रति, जिसमें शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों की योजना का ब्यौरा दिया गया है, पहले ही लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं० 79 के उत्तर में 20 फरवरी, 1981 को सभा पटल पर रखी जा चुकी है। ऐसे एकक भारत में पिछड़े राज्यों सहित कहीं भी स्थापित किए जा सकते हैं।

एल्यूमिनियम के उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता

3420. **श्री आर० के० महालगी** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एल्यूमिनियम के उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है ;

(ख) गैर-सरकारी क्षेत्र में एल्यूमिनियम के उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है ;

(ग) इन दोनों क्षेत्रों में क्षमता का कितना उपयोग किया जाता है ;

(घ) क्या यह सच है कि 1980-81 के दौरान एल्यूमिनियम की मांग और सप्लाई में लगभग 1,35,000 टन तक की कमी है ;

(ङ) क्या यह सच है कि विद्युत की कमी के कारण मुख्यतया उत्पादन में कमी हुई है ; और

(च) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिए उचित देखभाल करने का है जिन क्षेत्र में विद्युत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है वहाँ नए एल्यूमिनियम संयंत्र आरम्भ किए जाएं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) अब तक स्थापित लायसेंस क्षमता 321,170 टन वार्षिक है।

(ख) 221,170 टन वार्षिक।

(ग) वर्तमान क्षमता उपयोग सरकारी क्षेत्र में लगभग 29% और गैर-सरकारी क्षेत्र में लगभग 76% है।

(घ) जी हां।

(ङ) ज हां।

(च) एल्यूमिनियम कारखानों की परियोजनाएं, अन्य बातों के साथ, बिजली की पर्याप्त उपलब्धि के आश्वासन पर अनुमोदित की जाती हैं। उड़ीसा में प्रस्तावित एल्यूमिनियम कम्पलैक्स के प्रसंग में प्रद्रावक की समूची बिजली जरूरत को पूरा करने के लिए एक ग्रहीत ताप बिजली घर लगाने का फैसला किया गया है।

विदेशों में परियोजनाओं का क्रियान्वित

3421. **श्री राम अवध :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन परियोजनाओं के नाम क्या है जिन्हें भारत सरकार विदेशों में क्रियान्वित कर रही है ;

(ख) इन में से कितनी परियोजनाओं का संचालन गैर सरकारी फर्में कर रही हैं ; और

(ग) तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) स्वयं भारत सरकार अन्य देशों में परियोजनाएं क्रियान्वित नहीं कर रही है। विदेशों में की जाने वाली परियोजना संविदाएं सरकारी क्षेत्र और गैर सरकारी क्षेत्र के एककों द्वारा की जाती हैं।

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार जनवरी 1981 के शुरू में भारतीय कम्पनियों द्वारा क्रियान्वित की जा रही विदेशों में लगभग 203 परियोजना संविदाओं में से 128 गैर सरकारी क्षेत्र की फर्मों द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं।

(ग) गैर सरकारी क्षेत्र की फर्मों द्वारा क्रियान्वित की जा रही परियोजनाएं विभिन्न क्षेत्र से सम्बन्धित है। गैर-सरकारी क्षेत्र की फर्मों द्वारा क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं की मुख्य श्रेणियां नीचे दी गई हैं। इन परियोजनाओं का कुल मूल्य लगभग 2,492 करोड़ रु० है।

परियोजना की किस्म	परियोजनाओं की संख्या
— आवासीय तथा अन्य भवनों व अनुषंगी सिविल निर्माण	77
— पानी तथा सीवरेज	13
— सड़कें तथा पुल	11
— डैम	1
— टैंकी	11
— प्रबन्ध, सेवाएं तथा निर्माण	9
— परामर्श	8

पटसन पर आधारित विभिन्न किस्म के उद्योग

3422. **श्री डूमरलाल बैठा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु तथा बहुत छोटे स्तर के पटसन पर आधारित अनेक प्रकार के उद्योगों तथा उनमें प्रत्येक पर लगी पूंजी सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार के पास पटसन उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में ऐसे उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन देकर प्रोत्साहित करने की कोई योजना है ; और

(ग) यदि हां, तो योजना सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खांन) : (क) पटसन के बोरे ही केवल, चाहे वे परत वाले हों अथवा साधारण, पटसन वस्त्रों पर आधारित उत्पाद है जिसका उत्पादन लघु क्षेत्र में पटसन मिलों द्वारा विनिर्मित पटसन रेशे को प्राप्त करके किया जा रहा है ।

(ख) तथा (ग) पटसन उत्पादक क्षेत्रों में लघु क्षेत्र में पटसन के बोरों के विनिर्माण के लिए यूनिट स्थापित करने के इच्छुक उद्यमी लघु यूनिटों को मिलने वाले सामान्य प्रोत्साहन पाने के पात्र हैं ।

बेलाडिला लौह अयस्क परियोजना के मुख्यालय का हैदराबाद से रायपुर को स्थानान्तरण

3423. **श्री लक्ष्मण कर्मा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश स्थित बेलाडिला लौह अयस्क परियोजना का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है ;

(ख) यदि हां, तो वार्षिक किराये में कितनी राशि का भुगतान किया गया ; इस मुख्यालय को हैदराबाद में रखने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या कार्यालय के लिए भवन किराये पर लिया हुआ है और यदि हां, तो उसका मासिक किराया क्या है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस कार्यालय को हैदराबाद से रायपुर स्थानान्तरित करने के प्रश्न पर विचार करने का है ताकि मुख्यालय और परियोजना कार्यालय के बीच दूरी कम की जा सके और यात्री भत्ते पर खर्च कम किया जा सके ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं । राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की बैलाडिला लौह अयस्क परियोजना का मुख्यालय बैलाडिला में ही स्थित है ।

(ख), (ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठते ।

भारतीय व्यापार मडल (चेम्बर) द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सक्षम कार्यनिष्पादन के लिए सुझाव

3424. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय व्यापार मंडल ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सक्षम कार्यनिष्पादन के लिए स्वतन्त्र, स्वायत्त और व्यापारिक बोर्डों का सुझाव दिया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) भारतीय व्यापार मण्डल के अध्यक्ष ने 13.1.81 को दिये गए अपने भाषण की प्रति सरकार को भेजी है । भारतीय व्यापार मण्डल के अध्यक्ष के भाषण में अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी उद्यमों के बारे में निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया गया है :

1. सरकारी उद्यमों का स्वामित्व और प्रबन्ध अवश्य ही पृथक किया जाना चाहिए ;

2. सरकारी उद्यमों को मण्डियों पर भरोसा रखना चाहिए और राजकोष पर निरन्तर भार बनने की बजाय सामान्य शेयर पूंजी जुटानी चाहिए ;

3. इन उद्यमों का प्रचालन उच्च अधिकार प्राप्त स्वतन्त्र, स्वायत्त और व्यापारिक बोर्डों को सौंपा जाना चाहिए । इन उद्यमों की जवाबदेही प्रचालन-लाभकारिता और उत्पाद की किस्म पर आधारित होनी चाहिए ; और

4 सभी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां राष्ट्रीय नियुक्ति मण्डल द्वारा की जानी चाहिए जिसमें विशिष्टता सम्पन्न सुविख्यात एवं निष्ठावान सदस्य हों तथा जिसका एक स्वतन्त्र अध्यक्ष हो ।

सरकार यह भली भान्ति जानती है कि सरकारी उद्यमों को स्वायत्तता देना आवश्यक है ताकि वे अपना काम कुशलता पूर्वक एवं कारगर ढंग से कर सकें । इसके लिये उन्हें पर्याप्त वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं । सरकारी उद्यम सामान्यत: सरकार द्वारा प्रदत सामान्य शेयर पूंजी से वित्तपोषित हैं तथा उन्हें सामान्य शेयरों के रूप में अपनी आवश्यकतानुसार बाजार से पूंजी जुटाने की अनुमति नहीं दी जाती है । सरकार ने यह स्वीकार किया है कि उद्यमों के प्रबन्धकों को व्यवसायीकृत किया जाना आवश्यक है । मण्डल के

पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति के बारे में नीति यह है कि प्रत्येक पद की विशिष्ट आवश्यकता के अनुरूप आवश्यक अर्हता वाले और अनुभवी व्यक्तियों को चुना जाए । अंशकालिक निदेशकों के रूप में सरकार उद्योग, वाणिज्य, वित्त प्रशासन और मजदूर संघ संचालन क्षेत्र आदि से प्रमाणित योग्यता सम्पन्न व्यक्तियों का चयन करती है । सरकार पूर्णकालिक निदेशकों का का चयन इसके लिए गठित सरकारी उद्यम चयन मण्डल नामक विशेषज्ञ संस्था की सलाह के आधार पर करती है । सरकार ने 30 अगस्त, 1974 को इस चयन मण्डल का गठन किया था ।

एल्यूमिनियम का उत्पादन

3425. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे देश में एल्यूमिनियम का उत्पादन पहले से ही कम है और अब इसमें बिजली संकट के कारण और कमी आ गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार को एल्यूमिनियम का आयात करना होता है ;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आयात किए गए एल्यूमिनियम का ब्योरा क्या है ; और

(घ) एल्यूमिनियम का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) एल्यूमिनियम के उत्पादन में बिजली की अपर्याप्त सप्लाई सबसे बड़ी बाधा रही है । 1979-80 में बिजली की कमी के कारण 192 हजार टन उत्पादन हुआ जबकि लाइसेंस क्षमता 321 हजार टन थी । चालू वर्ष में कुछ अधिक उत्पादन होने की आशा है ।

(ख) जी हां ।

(ग) गत तीन वर्षों में आयातित एल्यूमिनियम की मात्रा निम्नलिखित है :

	टनों में
1977-78	8,991
1978-79	32,974
1979-80	85,788

(घ) एल्यूमिनियम का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से संबंधित राज्य सरकारों से एल्यूमिनियम प्रद्रावकों के लिए पर्याप्त बिजली की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तर पर अनुरोध किया गया है ।

आयकर अधिकारियों की दिल्ली में पुन: नियुक्ति

3426. **श्री सोमजी भाई दामोर** : क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) उन आयकर आयुक्तों, सहायक आयकर आयुक्तों और आयकर अधिकारियों के नाम क्या है जिनका 1979-80 और 1980-81 के दौरान दिल्ली में ठहरने की सामान्य अवधि पूरी करने के बाद दिल्ली में बाहर स्थानान्तरण किया गया था और बाहर थोड़े समय की नियुक्ति के बाद फिर से जिन्हें दिल्ली स्थानान्तरित कर दिया गया ;

(ख) उपरोक्त प्रत्येक अधिकारी द्वारा दिल्ली में बाहर कितना समय बिताया गया ;

(ग) इन में से प्रत्येक अधिकारी को कुछ समय के पश्चात फिर से दिल्ली में नियुक्त करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार का इन अधिकारियों को दिल्ली से स्थानान्तरित करने के लिए क्या कार्यवाई करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) ऐसे पांच अधिकारी हैं, जिन्हें 1979-80 और 1980-81 के दौरान दिल्ली से बाहर स्थानांतरित किया गया था और थोड़े समय के बाद पुन: दिल्ली में तैनात कर दिया गया। इनमें से केवल निम्नलिखित अधिकारियों ने ठहरने की अपनी सामान्य अवधि पूरी करली थी :

क्र० सं०	नाम	कार्यभार छोड़ने का महीना	कार्यभार पुनः ग्रहण करने का महीना
1.	श्री एम० तलवार, आयकर अधिकारी निरीक्षण प्रभाग, दिल्ली	अप्रैल 79	सितम्बर 79
2.	श्री के० के०.कपिला, आयकर अधिकारी (केन्द्रीय परिमंडल), दिल्ली	सितम्बर 80	नवम्बर 80
3.	श्री गुज्जरमल, आयकर अधिकारी, (केन्द्रीय परिमंडल), दिल्ली	मई 80	जून 80

(ग) और (घ) श्री एस० तलवार और श्री के० के० कपिला को दयाजनक कारणों के आधार पर पुनः स्थानांतरित किया गया था। श्री गुज्जरमल, जिन्हें आयकर अधिकारी (सेन्ट्रल) के रूप में मेरठ स्थानांतरित किया गया था, दिल्ली में तब वापस आये जब उनका पद कार्यसहित दिल्ली स्थानांतरित किया गया।

इन अधिकारियों को दिल्ली से बाहर स्थानांतरित करने के प्रश्न पर या तो तभी विचार किया जायगा जब उनके स्थानांतरण का उपयुक्त समय आयगा अथवा प्रशासनिक कारणों के आधार पर विचार किया जायगा।

पटसन के उत्पादों का निर्यात

3427. **श्री मुकुन्द मंडल** : क्या वाणिज्य मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटसन के उत्पादों का गत दो वर्षों में कितनी मात्रा में निर्यात किया गया ;

(ख) इन उत्पादों का किन देशों को निर्यात किया गया और विदेशी मुद्रा की कितनी आय हुई ; और

(ग) कौन-कौन से राज्य इनका उत्पादन कर रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : विगत दो वर्षों के दौरान निर्यात उत्पादों की मात्रा नीचे दी जाती है :

वर्ष अप्रैल-मार्च	मात्रा (हजार टन)	मूल्य (लाख रु० में)
1979-80	290.2	33272
1980-81	267.2	21308
(अप्रैल से नवम्बर, 80)		

अनन्तिम

(ख) पटसन माल का अधिकांश निर्यात सं० रा० अमरीका, सोवियत संघ, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, जापान तथा आस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड को किया गया। 1979-80 में सं० रा० अमरीका को लगभग 800 लाख रु० के ब्रिटेन को 125 लाख रु० के, सोवियत संघ को 110 लाख रु० के जापान को 144 लाख रु० के, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को 202 लाख रु० के निर्यात किये गये।

(ग) निर्यात योग्य अधिकांश पटसन माल पश्चिम बंगाल में स्थित मिलों में निर्मित होता है। टाट भी आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, त्रिपुरा आदि जैसे राज्यों में तैयार किया जाता है।

पटसन आयुक्त को पटसन बोर्ड में बदला जाना

3428. **श्री सुधीर गिरि :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पटसन आयुक्त को समाप्त कर, पटसन बोर्ड स्थापित करने का है ; और

यदि हां, तो पटसन बोर्ड के गठन का क्या विवरण है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) पटसन उद्योग सम्बन्धी कार्य दल ने पटसन बोर्ड की स्थापना की सिफारिश की है जिसके अध्यक्ष पटसन आयुक्त हों। कार्य दल की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

अखबारी कागज का आयात और उसका रक्षित भण्डार

3429. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम द्वारा पिछले अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर, 1980 और जनवरी, 1981 में कितने अखबारी कागज के आयात की योजना थी और आयात की वास्तविक मात्रा कितनी थी ;

(ख) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम ने 30,000 टन का आरक्षी भन्डार बनाने का प्रस्ताव किया था और यदि हां, तो पिछली पांच महीनों के दौरान इसके रक्षित भंडार की मात्रा कितनी थी ; और

(ग) राज्य व्यापार निगम के कार्य निष्पादन का समाचार पत्रों की अर्थ व्यवस्था पर आम तौर से और विशेष रूप से छोटे समाचार पत्रों की अर्थ व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा।

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क)

	राज्य व्यापार निगम द्वारा प्राप्त मांग के अनुसार आयात करने के लिए प्रस्थापित	वास्तविक आयात
अक्तूबर, 1980	2[illegible]000 मे० टन	24819 मे० टन
नवम्बर, 1980	26000 मे० टन	25216 मे० टन
दिसम्बर, 1980	26000 मे० टन	21674 मे० टन
जनवरी, 1981	26000 मे० टन	23898 मे० टन

(ख) सरकार ने 30,000 मे० टन का बफर स्टाफ रखने के लिए प्राधिकृत किया है। पिछले पांच महीनों के दौरान बफर स्टाक स्तर, निकासी किए जा रहे सहित निम्नोक्त प्रकार है :

सितम्बर, 1980	18176 मे० टन
अक्तूबर, 1980	19989 मे० टन
नवम्बर, 1980	18482 मे० टन
दिसम्बर, 1980	16912 मे० टन
जनवरी, 1981	13534 मे० टन

निर्धारित बफर स्टाक स्तर से कम स्टाक का कारण सप्लाईकर्ता देशों में हड़ताल तथा गोदी में अप्रत्याशित देरी के कारण जहाजों के देर से आना है।

(ग) किसी खास महीने में आवती में गिरावट के बावजूद समाचारपत्रों का, छोटे समाचारपत्रों सहित, आवश्यकताओं को कुल मिलाकर वास्तविक आयातों तथा बफर स्टाक से पूरा किया गया है। एक्स-बफर बिक्रियों के मामले में राज्य सरकारें बिक्री कर लगाती हैं। तथापि कुछ राज्य सरकारों ने पहले ही अखबारी कागज को बिक्री कर से मुक्त कर दिया है।

मादक वस्तुओं की तस्करी

3430. **श्री रामगोपाल रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मादक वस्तुओं की तस्करी की रोकथाम के लिए कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाईसिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) नारकोटिक औषधियों की तस्करी को रोकने के लिए यद्यपि कोई अलग योजना नहीं है, तथापि सीमाशुल्क विभाग के निवारक और आसूचना तन्त्र को, तस्करी के सुगम-क्षेत्रों और तस्करी के लिए विशेष आकर्षण वाली वस्तुओं, जिनमें नारकोटिक औषधियां भी शामिल हैं, के संदर्भ में सुदृढ़ बनाया गया है। नारकोटिक औषधियों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए, राजस्व गुप्तचर्या निदेशालय अन्य प्रवर्तन एजेन्सियों अर्थात भारत का नारकोटिकस आयुक्त और पुलिस अधिकारियों के साथ निकट संपर्क भी बनाए रखता है।

महाराष्ट्र के निकट आधुनिक स्पंज लौह संयंत्र की स्थापना

3431. **श्री बी०वी० देसाई** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय महाराष्ट्र के निकट बम्बई हाई से प्राप्त गैस पर आधारित एक आधुनिक स्पंज लौह संयंत्र की स्थापना के बारे में गम्भीर रूप से विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संयंत्र में कुद्रेमुख में बनी गोलियों (पेटिल) का उपयोग हो सकेगा ;

(ग) यदि हां, तो क्या मत्रालय ने इस संयंत्र के लिए गैस हेतु पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय ने अनुरोध किया है; और

(घ) क्या योजना आयोग ने भी इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान कर दी है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) महाराष्ट्र में एक स्पंज लोहा संयंत्र लगाने के लिए आश्रय-पत्र जारी करने के बारे में महाराष्ट्र के स्टेट इन्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन से प्राप्त आवेदन पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) आवेदन में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) पैट्रोलियम मंत्रालय ने इस्पात विभाग को सूचित किया है कि प्रतिवर्ष 4 से 5 लाख टन स्पंज लोहे का उत्पादन करने के लिए गैस उपलब्ध हो जाएगी ।

(घ) योजना आयोग इस बात पर विचार कर रहा है कि इस प्रकार के संयंत्र को स्थापित करने के लिए कौन सा स्थल तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से अधिक उपयुक्त रहेगा ।

सोने की तस्करी

3432. **श्री राजेश कुमार सिंह :**

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय से देश से बाहर की जाने वाली सोने की तस्करी में वृद्धि होती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले पकड़े गए हैं और वर्ष 1979 के दौरान पकड़े गए सोने की मात्रा (कीमत सहित) की तुलना में वर्ष 1980 के अन्त तक देश से बाहर जाने वाले विभिन्न स्थानों पर सोने की कितनी मात्रा (कीमत सहित) पकड़ी गई ;

(ग) सोने की अनुमानत: कितनी मात्रा (कीमत सहित) का पता न चल सका और उसकी देश के बाहर तस्करी कर दी गई ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी नहीं। सरकार को मिली रिपोर्टों से यह पता नहीं चलता कि इस समय सोने का देश से तस्कर-निर्यात किया जा रहा है।

(ख) और (ग) वर्ष 1979 और 1980 के दौरान भारत से तस्कर निर्यात किए गए सोने की मात्रा और उसके मूल्य के बारे में कोई अधिकृत अनुमान उपलब्ध नहीं है। वर्ष 1979 और 1980 में तस्कर-निर्यात किये जाने के प्रयास के दौरान, सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा सोना (जिसमें सोने के जवाहिरात भी शामिल हैं) पकड़ने की संख्या तथा सोने की मात्रा और मूल्य नीचे दिए गए हैं :—

1979			1980		
पकड़े गए मामलों की संख्या	लगभग मात्रा (कि० ग्रा० में)	लगभग मूल्य (लाख रुपयों में)	पकड़े गए मामलों की संख्या	लगभग मात्रा (कि०ग्रा० में)	लगभग मूल्य लाख रु० में)
7	0.66	0.59	24	33.10	49.32

(घ) सोने की तस्करी के किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सीमाशुल्क विभाग के निवारक और गुप्तसूचना तंत्र को सुदृढ़ बनाया गया है और सीमा शुल्क प्राधिकारियों को चौकस कर दिया गया है।

दक्षिण भारत में ऐतिहासिक महत्व के मन्दिरों में विदेशियों को प्रवेश करने की अनुमति न दिया जाना

3433. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दक्षिण भारत में ऐतिहासिक महत्व के अनेक मन्दिरों में उन विदेशियों को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती है जो विशेष रूप से इन मन्दिरों को देखने आते हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मन्दिरों के नाम क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार इस पर गम्भीर रूप से विचार करेगी ; और विदेशियों को भी इन मन्दिरों के दर्शन करने दिए जायेंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (ग) दक्षिण भारत के मन्दिरों में जिनकी पूजा के लिए प्रयोग हो रहा है, विदेशियों की प्रविष्टि के नियम इन

मन्दिरों के ट्रस्टी/ट्रस्ट द्वारा शासित किए जाते हैं, जिन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। उपलब्ध सूचना के अनुसार विदेशियों को, सिवाय सैंक्टम सैंक्टोरियम के, सामान्यत: इन मंदिरों में जाने की अनुमति है। चूंकि अभिरुचि के विषय जैसे मूर्तियां (स्कल्पचर्ज), पेंटिंग आदि सैंक्टम सैंक्टोरियम के बाहर अवस्थित हैं विदेशी पर्यटक इन्हें देख सकते हैं।

राष्ट्रीय बैंकों द्वारा विभिन्न उद्योगों को दिए गए ऋण

3434. **श्री जैनुल बशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अर्थात् 1977 से 1980 तक, वर्षवार प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा कितना ऋण दिया गया था ; और

(ख) बड़े उद्योगों, छोटे उद्योगों, कुटीर उद्योगों कृषि, हथकरघा और अन्य क्षेत्रों के मामले में इनके अलग-अलग आंकड़ों की प्रतिशतता क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) वर्ष 1977, 1978, 1979 तथा 1980 के दिसम्बर के अन्तिम शुक्रवारों की स्थिति के अनुसार प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के अग्रिमों से सम्बन्धित आंकड़ें विवरण-एक में दिए गए हैं।

(ख) जून, 1977 जून, 1978 तथा जून, 1979 के अन्तिम शुक्रवारों की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया अग्रिमों के क्षेत्रवार विवरण के बारे में उपलब्ध आंकड़े विवरण-दो में दिए गए हैं।

विवरण-1

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बैंकवार अग्रिम (बैंकों से बकाया छोड़कर) (करोड़ रुपये)

बैंक का नाम	दिसम्बर, 1980 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार			
	1977	1978	1979	1980*
(क) भारतीय स्टेट बैंक	3424	4371	5134	6207
(ख) भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक	921	1104	1301	1439
(ग) राष्ट्रीयकृत बैंक				
1. सेन्ट्रल बैंक आफ इन्डिया	1070	1132	1325	1465
2. बैंक आफ इण्डिया	923	1042	1213	1323
3. पंजाब नेशनल बैंक	883	1037	1194	1390
4. बैंक आफ बड़ौदा	880	1025	1175	1285
5. यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	583	686	770	821
6. केनरा बैंक	683	840	1011	1071
7. यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	519	576	699	721
8. देना बैंक	335	372	440	471
9. सिंडीकेट बैंक	562	674	783	927

*आंकड़े अन्तिम है।

1	2	3	4	5
10. यूनियन बैंक आफ इण्डिया	528	616	715	762
11. इलाहाबाद बैंक	283	348	398	460
12. इण्डियन बैंक	381	427	517	579
13. बैंक आफ महाराष्ट्र	310	332	413	467
14. इण्डियन ओव·सीज बैंक	346	443	557	651
15. पंजाब एण्ड सिंध बैंक**	205	259	321	367
16. आंध्र बैंक**	194	265	319	326
17. न्यू बैंक आफ इण्डिया**	168	219	245	250
18. विजया बैंक**	148	179	208	226
19 कारपोरेशन बैंक**	73	116	130	145
20. ओरियंटल बैंक आफ कामर्स**	82	109	150	166

**1977-79 के आंकड़े उस अवधि से संबंधित हैं जब वे निजी क्षेत्र में थे।

टिप्पणी : 1979 तथा 1980 के आंकड़ों में भागीदारी प्रमाणपत्र शामिल हैं।

विवरण-2

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के अग्रिमों का क्षेत्रवार वर्गीकरण

(करोड़ रुपए)

क्षेत्र	निम्नलिखित की स्थिति के अनुसार बकाया					
	24 जून, 1977		30 जून, 1978		29 जून, 1979	
	रकम	जोड़ का प्रतिशत	रकम	जोड़ का प्रतिशत	रकम	जोड़ का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1. उद्योग	6,241	46.4	7,610	47.7	8.963	46.8
(क) बड़े तथा मझोले उद्योग	4,779	35.5	5,762	36.1	6,686	34.9
(ख) लघु उद्योग	1,462	10.9	1,848	11.6	2,277	11.9
2. कृषि तथा सहायक क्रियाकलाप, जिसमें से	1,400	10.4	1,961	12.3	2,521	13.2
(क) प्रत्यक्ष वित्त	949	7.1)	1,405	8.81	1,946	10.2
(ख) बागान	150	1.1)		1		
3. आंतरिक व्यापार	3,828	28.4	4,198	26.3	4,864	25.4
(क) थोक व्यापार, जिसमें से	3,485	25.9	3,734	22.4	4,282	22.3

1	2	3	4	5	0	7
खाद्य वसूली	2,536	18.8	2,525	15.8	2 996	15.6
(ख) खुदरा व्यापार	343	2.5	464	2.9	582	3.1
4. सेवायें	831	6.2	892	5.6	1,211	6.3
5. व्यक्तिगत ऋण	401	3.0	486	3.0	605	3.2
6. सभी अन्य	756	5.6	814	5.1	999	5.1
7. जोड़	13,457	100.0	15,961	100.0	19,163	100.0

टिप्पणी : दिसम्बर 1977 से " बागानों का विकास ऋणों" को "प्रत्यक्ष वित्त" में विलीन कर दिया गया है तथा "विद्युत उत्पादन" "पारेषण तथा वितरण" और " निर्माण कार्य" जो पहले "सेवाओं" का भाग थे, अब "उद्योग" में शामिल कर दिये गये हैं।

मेसर्स उत्तम सिंह दुगल एन्ड कम्पनी, नई दिल्ली को कुद्रेमुख परियोजना के निर्माण के ठेके

3435. **श्री डी० एम० पुत्ते गौडा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेसर्स उत्तम सिंह दुगल एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली को कर्नाटक में कुद्रेमुख परियोजना के निर्माण के ठेके दिए गए हैं ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ;

(ख) क्या इस कम्पनी को उनके मंत्रालयाधीन अनेक इस्पात संयंत्रों और अन्य सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में निर्माण ठेके दिए गए हैं, यदि हां, तो पूर्ण ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस कम्पनी के कार्यों में कुछ गम्भीर अनियमितताओं का पता लगा है और इस कारण इनके कुछ ठेकों को रद्द कर दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा और राय क्या है और इस कम्पनी के प्रबन्धकों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रवण मुखर्जी) : (क) से (घ) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय रुपये का अवमूल्यन

3436. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन महीनों के दौरान पौंड स्टर्लिंग अमरीकी डालर और अन्य विदेशी मुद्राओं की तुलना में अपने विनिमय मूल्य के सन्दर्भ में भारतीय रुपए का और अवमूल्यन हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो कितना ; और

(ग) रुपए के सामान्य अवमूल्यन को लागू करने के लिए इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर घोषित पौण्ड स्टर्लिंग रुपया-दर से है। 22 दिसम्बर, 1980 से 4 मार्च, 1981 तक की अवधि में रुपया-पौण्ड स्टर्लिंग दर में चौदह बार संशोधन किया गया है। इस अवधि के दौरान पौन्ड स्टर्लिंग के मुकाबले रुपए का मूल्य छः बार घटा है और आठ बार बढ़ा है। रुपया-स्टर्लिंग की दरों में ये परिवर्तन सरकार द्वारा 25 सितम्बर, 1975 से

अपनाई गई विनियम दर की व्यवस्था के अनुसार किए जाते है ; जिसके अन्तर्गत रुपए की विनियम दर, उन विभिन्न देशों की करेंसियों की समुचित रूप से व्यवस्थित डाली (बास्केट) की विनियम दरों के दैनिक उतार-चढ़ाव के सन्दर्भ में निर्धारित की जाती है जिनके साथ भारत का अधिकांश व्यापार होता है ।

2. रुपए और अन्य विदेशी करेंसियों के बीच विनियम दरों में लगभग हर रोज ही उतार-चढ़ाव होता रहता है, जो लन्दन के बाजार में इन करेंसियों के मूल्य में होने वाली घटबढ़ पर निर्भर करता है ।

3. इस बात को ध्यान में रखते हुए कि संसार की बड़ी-बड़ी करेंसियों की विनियम दरें घटती-बढ़ती रहती हैं, अवमूल्यन तथा पुनर्मूल्यन की पुरानी धारणाओं की अब कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है और रुपया-स्टर्लिंग दर में समय-समय पर ऊपर या नीचे की ओर जो परिवर्तन किए जाते हैं उनका अभिप्राय केवल अन्तर्राष्ट्रीय करेंसी बाजरों में घटती-बढ़ती विनिमय दरों के अनुरूप समायोजन माना होता है। घटने-बढ़ने वाली विनिमय दरों की व्यवस्था में करेंसियों के मूल्यों में घट-बढ़ होना अनिवार्य है और ऐसे सभी समायोजनों की उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए ।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिनमें अन्य मुख्य विदेशी करेंसियों के मुकाबले भारतीय रुपए में किए गए समायोजनों का ब्यौरा दिया गया है ।

(ग) उत्तर के भाग (क) को देखते हुए रुपए के आम अवमूल्यन का सवाल पैदा ही नहीं होता ।

विवरण

विदेशी करेंसियों की तुलना में रुपए का सममूल्य

तारीख	पौन्ड	अमेरिकी डालर	ड्यूशमार्क	येन	फ्रांसीसी फ्रांक
22-12-1980	18.70	7.9846	4.0391	0.0385	1.7420
29-12-1980	18.85	7.9536	4.0834	0.0381	1.7607
6-1-1981	19.10	7.9064	4.0802	0.0397	1.7630
21-1-1981	19.30	7.9843	3.9950	0 0398	1.7219
27-1-1981	19.40	8 0273	3.9156	0 0395	1.6975
2-2-1981	19 30	8.1607	3.8163	0.0397	1.6616
8-2-1981	19.10	8.1329	3.8340	0.0400	1.6622

तारीख	पौण्ड	अमेरिकी डालर	ड्युशमार्क	येन	फ्रांसीसी फ्रांक
13-2-1981	18.90	8.1606	3.7315	0 0398	1.6224
16-2-1981	18.75	8 2120	3.7046	0.0396	1.6060
17-2-1981	18 60	8.2410	3.6676	0 0397	1.5863
20-2-1981	18.85	8.3005	3.8822	0.0402	1.6612
24-2-1981	18.55	8.2591	3.9079	0.0397	1.6766
26-2-1981	18.45	8 2800	3.9394	0.0400	1.6758
2-3-1981	18.00	8.1633	3.8362	0.0390	1.6290
4-3-1981	18.10	8 2012	3.8090	0.0394	1.6196

सोने और हीरे की खोज

3437. डा० कृपा सिंधु भोई : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में कुछ क्षेत्रों में सोने एवं हीरे होने का पता लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां इस तरह की खोज की गई है और उन स्थानों पर इन वस्तुओं का कितना अनुमानित भंडार होगा ; और

(ग) इन स्थानों से सोने एवं हीरों का पता लगाने और निकालने की और उनका निर्यात करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) देश में स्वर्ण खोज के लिए पंचवर्षीय कार्यक्रम के अनुसरण में, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कुछ स्वर्णधारी जोनों का पता लगाया है। ये जोन मुख्यतया ज्ञात स्वर्ण पट्टियों जैसे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कोलार शिस्ट पट्टी तथा कर्नाटक में हट्टी मस्की शिस्ट पट्टी तथा कोलार और हट्टी की मौजूदा खानों के विस्तार क्षेत्रों में हैं। अब तक अनुमानित मुख्य स्वर्ण स्रोतों में, चित्तूर जिले के मालप्पा-कोंडा क्षेत्र में 5.5 ग्राम प्रतिटन स्वर्ण वाली 0.3 मिलियन टन चट्टानें तथा कर्नाटक के कोलार स्वर्ण क्षेत्र में 3.1 मि० टन से अधिक स्वर्ण चट्टानें हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा अन्य एजेंसियों ने गदाग स्वर्ण क्षेत्र के मोपला लोड में 0.56 मि० टन, हट्टी स्वर्ण क्षेत्र में 0.06 मि० टन तथा अनन्तपुर स्वर्ण क्षेत्र (आ० प्र०) में 1.64 मि० टन स्वर्ण स्रोतों का अनुमान लगाया है। इनमें स्वर्ण की मात्रा प्रायः 5 से 8 ग्राम प्रति टन है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, खनिज

गवेषण निगम लि० तथा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि० द्वारा सयुक्त, रूप से बना ईगई एक राष्ट्रीय हीरा अन्वेषण योजना भी अप्रैल, 1980 से शुरू की गई है। इन एजेंसियों ने प्राथमिकता के आधार पर एक तीन वर्षीय समयबद्ध कार्यक्रम भी शुरू किया है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के जंगल क्षेत्र में 4 हीरक पाइप चट्टानों का भी पता लगाया गया है। एक पाइप से दो हीरे—एक रत्न कोटि का 27 सेंट भार का तथा दूसरा रंगहीन 38 सेंट भार का, पाए गए हैं, जिससे उन चट्टानों के हीरकमय होने की पुष्टि होती है। आगे का खोज कार्य जारी है। पहले से खनित हीरक क्षेत्रों— यथा मझगावन पाइप और रामखेरिया—द्रोणी क्षेत्र को छोड़कर, दोहन योग्य अन्य क्षेत्रों की अभी पुष्टि नहीं हुई है।

संसद में तारांकित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सरकार का खर्चा

3438. **श्री आनन्द सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 में संसद में तारांकित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सरकार का कुल और औसत कितना खर्चा हुआ ;

(ख) इस अवधि में कौन कौन से प्रश्न पर सबसे अधिक खर्चा हुआ और वह कितना था ;

(ग) जन शक्ति, संचार और मुद्रण आदि पर इस सम्बन्ध में हुए खर्च का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार खर्च में कमी करने के लिए कोई कदम उठा रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (घ) संसद में तारांकित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले खर्चे के बारे में आंकड़े संकलित करने के लिए इस समय कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। इस सम्बन्ध में ब्यौरे इकट्ठे करना व्यावहारिक नहीं होगा विशेषतः इस कारण से कि किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपेक्षित प्रयत्न उस बात पर निर्भर करते हुए अलग-अलग होंगे कि वह प्रश्न किस तरह का है।

निर्यात कर्त्ताओं को नकद सहायता देने के मानदण्ड

3439. **प्रो० अजित कुमार मेहता :**

श्री बी० डी० सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात बढ़ाने के लिए निर्यातकर्त्ताओं को नकद सहायता और अन्य प्रकार की सहायता देने के लिये यदि कोई मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं तो वे क्या हैं ;

(ख) क्या कुछ ऐसे मामले भी हुए हैं जहां इस प्रयोजन के लिये निर्धारित मानदण्डों की उपेक्षा कर दी गई अथवा निर्यात से विदेशी मुद्रा में कोई वृद्धि नहीं हुई हो या नकद सहायता से बहुत कम विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए नकद सहायता दी गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) निर्यातों पर नकद मुआवजा सहायता निर्धारित करने के लिये 1-4-79 से प्रभावी प्रमुख मानदण्ड निम्नोक्त प्रकार हैं :

1) निर्यातकों द्वारा निम्नलिखित रूप में अनुभव की गई कठिनाइयों को निष्प्रभावी करना ;

क) अप्रत्यक्ष कर, जिनमें आयातित अथवा देश में खरीदे गये अन्तर्निविष्ट साधनों पर बिक्री कर शामिल है जो शुल्क वापसी के बाद बिना लौटाये रह जाते हैं ;

ख) निर्यात उत्पादन पर कार्यकारी पूंजी पर भारत में देय ब्याज की ऊंची दर ;

ग) निर्यात उत्पादन में अपेक्षित पूंजीगत माल की उच्चतर लागत ।

2) इन मदों का उत्पादन करने वाले उद्योग का स्वरूप क्या वह लघु तथा कुटीर क्षेत्र आदि में हैं ।

3) श्रम प्रधान उद्योग तथा कृषि पर आधारित उत्पाद ;

4) नये बाजार में प्रवेश की लागत ;

5) नये उत्पादों के विकास की लागत ।

तथापि, उपर्युक्त कसौटियों के आधार पर निर्धारित नकद मुआवजा सहायता की दरें, मूल्य वर्धन के 25 प्रतिशत कट-आफ प्वाइंट के अध्यधीन हैं ।

(ख) उपर्युक्त मानदण्डों के आरम्भ होने से अब तक ऐसा कोई उदाहरण नहीं रहा है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

'माडलिंग एग्जिबिशन' पर हुआ खर्च

3440. **श्री फूल चंद वर्मा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रगति मैदान में एक 'माडलिंग एग्जिबिशन' का आयोजन किया गया है ;

(ख) माडलिंग के लिए अब तक बुलाए गए कलाकारों पर कितना व्यय हुआ है और उनसे कुल कितनी धनराशि एकत्र की गई है ; और

(ग) तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी नहीं। तथापि, अक्तूबर, 1980 से जनवरी, 1981 तक प्रगति मैदान में हुए वस्तु मेलों के साथ फैशन शो आयोजित किये गये थे।

(ख) इस शो को आयोजित करने में 10.43 लाख रु० का कुल व्यय हुआ जबकि टिकटों की बिक्री से कुछ राजस्व 38,779 रु० प्राप्त हुआ। प्रति व्यक्ति 1 रु० के प्रवेश शुल्क का मुख्य उद्देश्य सम्बन्धित रंगशाला में सीमित बैठने की क्षमता को देखते हुए भीड़ को विनियमित करना था।

(ग) राष्ट्रीय हथकरघा मेला, और राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला, और राष्ट्रीय उपभोक्ता सामग्री मेला के साथ-साथ तीस-तीस शो वाले फैशन शो की तीन सीरीज को प्रगति मैदान के सक्रियता कार्यक्रम के एक भाग के रूप में आयोजित किया गया था। इन शो का विषय हथकरघा उत्पादों, हस्तशिल्प तथा उपभोक्ता सामान से सम्बन्धित था।

बिहार में राजगीर, नालन्दा, गया और पावापुरी का विकास

3441. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार स्थित राजगीर, नालन्दा, गया और पावापुरी, देश के प्रसिद्ध पर्यटक-स्थलों में से हैं ; और

(ख) क्या सरकार ने इन पर्यटक-स्थलों का और आगे विकाश करने तथा उन्हें पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाने हेतु कोई योजना बनाई है ; और यदि हां, तो उसके ब्यौरा क्या हैं और उस पर कितनी राशि खर्च होगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने पहले से ही 19.54 लाख रुपये की लागत पर बोधगया में महाबोधि मन्दिर के आस-पास 21.56 एकड़ भूमि को अधिग्रहण कर रखा है ताकि बौद्ध तीर्थ यात्रियों और इस केन्द्र की यात्रा करने वाले अन्य पर्यटकों के लिए सुविधाओं का विकास किया जा सके। भारत पर्यटन विकास निगम की छठी पंच वर्षीय योजना के दौरान बोधगया में अपने यात्री गृह का विस्तार करने का प्रस्ताव है। इसने अपनी छठी योजना में विभिन्न केन्द्रों पर जिसमें बोधगया स्थित यात्री लाज शामिल है, यात्री गृहों का विस्तार करने के लिए 50 लाख रुपए का एकमुस्त प्रावधान कर रखा है। इसी प्रकार, राजगीर में एक पर्यटक काम्पलेक्स को विकसित करने का प्रस्ताव है जिसमें विभिन्न श्रेणियों का आवास, एक सूचना केन्द्र, एक कैफेटेरिया, पार्किंग क्षेत्र और पर्यावरण सम्बन्धी आयोजना शामिल होंगे। नालन्दा में एक कैफेटेरिया का निर्माण करने का प्रस्ताव है। इन स्कीमों के ब्यौरे अभी तैयार किए जाने हैं। जिसमें छठी पंच वर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयन पर आने वाली लागत शामिल है।

जहां तक बिहार में अन्य केन्द्रों, जिनमें पावापुरी शामिल है, का सवाल है, इसके बारे में इस महीने के दौरान बिहार सरकार के पर्यटक अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा, जब अभिनिर्धारित यात्रा परिपथों के साथ साथ पड़ने वाले केन्द्रों के विकास की रूपरेखा को अन्तिम रूप दिया जाएगा और केन्द्रीय तथा राज्य सेक्टरों में शुरू की जाने वाली स्कीमों के लिए खर्च और संसाधन निर्धारित किए जायेंगे ।

आवश्यक पदार्थों के खुदरा मूल्यों का मूल्य सूचकांक

3442. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, दिसम्बर, 1980 तक (महीने-वार) आवश्यक पदार्थों के खुदरा मूल्यों का सरकारी मूल्य-सूचकांक कितना-कितना था ; और

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि मूल्यों की वृद्धि का आम आदमी के जीवन-स्तर पर प्रभाव नहीं पड़ा है ?

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) मांगी गई सूचना दे पाना सम्भव नहीं है, क्योंकि आवश्यक वस्तुओं का खुदरा मूल्य सूचकांक केन्द्र सरकार द्वारा तैयार नहीं किया जा रहा है ।

(ख) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में होने वाली वृद्धि से आम आदमी पर पड़ने वाले भार को कम करने का प्रयास सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करके किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत कुछ आवश्यक वस्तुएं उपभोक्ताओं को नियत मूल्य पर बेची जाती हैं । 1980 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 40,000 दुकानें और खोली गई । चालू वर्ष के दौरान, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचने के लिए खाद्यान्नों, आयातित खाद्य तेलों, मिट्टी के तेल आदि की अधिक मात्रा उठाई गई है । आवश्यक वस्तुओं, विशेषकर वे जो कम मात्रा में उपलब्ध हैं, का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं, ताकि उनकी उपलभ्यता में सुधार लाया जा सके ।

जोधपुर में इस्पात स्टाकयार्ड की स्थापना करना

3443. **श्री अशोक गहलोत** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जोधपुर में स्टील स्टाक यार्ड की मांग करते हुए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार जोधपुर में स्टाकयार्ड की स्थापना के मामले पर विचार करने का है ;

(घ) यदि हां, तो वहां पर इसकी स्थापना कब तक हो जाने की संभावना है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां ।

(ख) से (ङ) चूंकि ये मामले वाणिज्यिक किस्म के हैं तथा उत्पादक स्वयं इन मामलों पर निर्णय लेते हैं, इसलिए प्राप्त हुए इन अभ्यावेदनों को स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० (सेल) को उनके विचारार्थ भेज दिया गया था । वर्ष 1979 में सेल ने एक शक्यता अध्ययन किया था । उस समय यह पता चला था कि उस क्षेत्र की लोहे और इस्पात की कुल मांग, जो जोधपुर के स्टाकयार्ड से पूरी की जानी थी, सीमित थी और यह मांग मुख्यत: छड़ों और गोल छड़ों की थी जिसकी आपूर्ति अन्य उत्पादकों द्वारा भी की जा सकती थी । अत: सेल का निम्नलिखित कारणों से इस समय जोधपुर में एक स्टाकयार्ड खोलने का प्रस्ताव नहीं है :—

1. राजस्थान के जयपुर और कोटा में सेल के पहले ही स्टाकयार्ड कार्य कर रहे हैं ?
2. इस क्षेत्र की लघु उद्योग इकाइयों की मांग कुछ हद तक राजस्थान लघु उद्योग निगम के कच्चे माल के डिपो द्वारा पूरी की जा सकती है ;
3. मांग सीमित है तथा कुछ श्रेणियों तक ही सीमित है ; और
4. मीटर गेज की रेल लाइन पर स्टाकयार्ड खोलने से परोक्ष रूप से हानि होती है, क्योंकि इसमें बड़ी रेल लाइन के वैगनों से छोटी रेल लाइन के वैगनों में माल बदलना पड़ता है ।

बिक्री कर के लिए एक नमूना-विधेयक

3444. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कराधान में समरूपता का सुनिश्चय करने तथा इसे जनता के लिए सुविधाजनक बनाने हेतु, बिक्री-कर के लिए एक नमूना-विधेयक तैयार करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) नई दिल्ली में 16 और 17 सितम्बर 1980 को बिक्री कर के सम्बन्ध में हुए मुख्य मन्त्री सम्मेलन में एक संकल्प पारित किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की गयी थी कि विधि

आयोग से अनुरोध किया जाय कि वह राज्यों के विचारार्थ उच्च प्राथमिकता आधार पर आदर्श बिक्री कर कानून का मसौदा तैयार करें।

चूंकि विधि आयोग के पुनर्गठन का मामला फिलहाल विचाराधीन है, इसलिए आयोग से यह निवेदन करने का प्रस्ताव है कि पुनर्गठित आयोग द्वारा औपचारिक रूप से कार्य शुरू करते ही, सम्मेलन द्वारा की गयी सिफारिश के अनुसार आयोग आदर्श बिक्री कर कानून का मसौदा बनाने का कार्य उच्च प्राथमिकता आधार पर करे।

रुग्ण मिलों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को देय राशि

3445. **श्री आर० प्रभु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक रुग्ण मिलों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को एक करोड़ रुपये से भी ज्यादा राशि देनी है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कम्पनियों की कुल संख्या क्या है तथा उन्हें सरकार को कुल कितनी राशि देनी है ;

(ग) इनमें से कितनी कम्पनियों को सरकार को पांच करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि देनी है ;

(घ) ऐसी कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्हें पांच करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि देनी है तथा उनमें से प्रत्येक द्वारा कितनी राशि देनी है ; और

(ङ) क्या सरकार का प्रस्ताव इन राशियों का पुनर्भुगतान करने के लिए कोई बोर्ड में सरकारी निदेशक नियुक्त करने, इन कम्पनियों की जांच अथवा निरीक्षण करने जैसे कोई बड़े उपाय करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के पास हाल के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 31 दिसम्बर, 1979 की स्थिति के मुताबिक उन 357 रुग्ण औद्योगिक एककों की ओर जो सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बकाया राशि के अग्रिमों के एक करोड़ रुपये तथा इससे अधिक के बैंक ऋणों का उपभोग कर रहे थे कुल रकम 1094.28 करोड़ रुपए बकाया थी। इनमें से, 49 रुग्ण औद्योगिक इकाइयाँ ऐसी थी जिनमें से प्रत्येक 5 करोड़ रुपए से अधिक के बैंक ऋणों का उपभोग कर रही थी।

(घ) बैंकरों में प्रचलित प्रथा तथा रीति-रिवाजों और सरकारी क्षेत्र के बैंकों को शासित करने वाले विधानों के उपबन्धों के अनुसार भी बैंकों के अलग-अलग ग्राहकों के बारे में सूचना प्रकट नहीं की जा सकती तथा इस प्रकार ; उन रुग्ण औद्योगिक एककों के नाम, जो 5 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक ऋण का उपभोग कर रहे थे, प्रकट नहीं किए जा सकते।

(ङ) बैंक, लगातार अनुवर्ती कार्रवाई करके, सावधिक निरीक्षणों की आवृत्ति को बढ़ा कर, व्यतिक्रमी प्रतिष्ठानों आदि के प्रवर्तकों मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ प्राय: बातचीत करके देय राशियों की समय से अदायगी कराने के प्रयास किए जाते है । न्यायोचित तथा व्यवहार्य मामलों में सहायताप्राप्त कम्पनियों से प्राप्त अनुरोधों की व्यापक रूप से जांच करने के बाद, ऋण किश्तों तथा ब्याज के भुगतान का कार्यक्रम फिर से निर्धारित किया जाता है । रुग्ण एककों के सम्बन्ध में, व्यापक परीक्षण के पश्चात उपर्युक्त मामलों में पुर्नवास कार्यक्रम शुरू किये जाते हैं। उचित मामलों में, बैंकों द्वारा अग्रिमों को वसूलने तथा प्रतिभूतियों को लागू करने के लिए कानूनी उपचारों का सहारा लेना पड़ता है । औद्योगिक एककों के मामलों पर नजदीकी नजर बनाए रखने की दृष्टि से बैंक सहायता प्राप्त उनके बोर्डों मे निदेशकों की नियुक्ति भी करते हैं ।

टिस्को द्वारा रक्षित खानों से कोककारी कोयले का धीमी गति से उत्पादन किया जाना

3446. **श्री के० के० तिवारी :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टिस्को कोयला भंडारों को बचाने के लिए रक्षित कोयला खानों से कोयले को धीमी गति से निकाल रहा है और कोककारी कोयले के उत्पादन में कमी कर रहा है ;

(ख) क्या टिस्को देश के प्रमुख कोककारी कोयला के कुल भण्डार का 30 प्रतिशत दबाये बैठा है ;

(ग) क्या टिस्को अपने कोककारी कोयले का केवल 70 प्रतिशत उत्पादन कर रहा है और सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के लिए आरक्षित कोल इन्डिया के उत्पादन को प्राप्त कर रहा है ;

(घ) क्या सरकारी क्षेत्र के कोयले की सप्लाई टिस्को को जारी रखने की दृष्टि से हमारे कोयले के चार गुणा मूल्य वाले कोककारी कोयले का निर्यात सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों को किया जा रहा है ;

(ङ) क्या टिस्को रक्षित कोयला खानों का इस आधार पर राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था कि टिस्को अपनी जरूरत के कोककारी कोयले का पूरा उत्पादन स्वयं करेगा ; और

(च) यदि हां, तो देश के कोककारी कोयले की भारी कमी तथा इसके परिणाम स्वरूप आयात में अन्तर्ग्रस्त भारी विदेशी मुद्रा को ध्यान में रखते हुए सरकार का टिस्को के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) देश के पूर्वी क्षेत्र में बिजली की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण चालू वर्ष के पहले छः महीनों में टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड (टिस्को) और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की खानों में कोयले के उत्पादन पर

प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था लेकिन सरकार को न तो इस बात की जानकारी है और न ही इस बात पर विश्वास किया जा सकता है कि टिस्को जान.बूझकर झरिया क्षेत्र की अपनी कोयला खानों से कोककर कोयला धीमी गति से निकाल रहा है और उसका उद्देश्य इस कोयले को बचाना है।

(ख) एक रिपोर्ट के अनुसार 600 मीटर की गहराई तक कोककर कोयले का अनुमानित भण्डार 5,600 मिलियन टन है। टिस्को के पास लीज पर जो क्षेत्र है उसके भण्डारों के बारे में कोयला विभाग द्वारा भारतीय सर्वेक्षण संस्थान से जांच कराई जा रही है। लेकिन टिस्को के अनुसार बढ़िया कोककर कोयले के उसके प्रमाणित भण्डारों में 306 मिलियन टन कोयला है। उपर्युक्त आंकड़ों के आधार पर टिस्को के कोककर कोयले के भण्डार कुल भण्डार का 30 प्रतिशत नहीं बैठता है।

(ग) यह सच है कि टिस्को कोल इन्डिया लिमिटेड के संसाधनों से काफी मात्रा में शोधित तथा सीधे धमन भट्टी में डालने वाला कोककर कोयला लेता है। वर्ष 1979-80 में कोल इन्डिया लिमिटेड से टिस्को को कुल आपूर्ति का 38 प्रतिशत कोयला दिया गया था और इस वर्ष 31-12-1980 तक कम्पनी ने 41 प्रतिशत तक कोयला प्राप्त किया है। चूंकि टिस्को की अपनी खानों में केवल बढ़िया और मध्यम दर्जे का कोककर कोयला है अतः कम्पनी को हर हालत में कोयले के मिश्रण की अपनी आवश्यकताओं के लिए कोल इन्डिया लिमिटेड पर निर्भर रहना पड़ता है। कोककर कोयले में कम से कम 10 प्रतिशत कोयले का मिश्रण वांछित माना गया है। अतः टिस्को अपनी रक्षित खानों से कोककर कोयले की आवश्यकताओं का अधिक से अधिक 90 प्रतिशत कोयला इस्तेमाल कर सकती है। फिर भी बढ़िया और मध्यम दर्जे की कोककर कोयले की अपनी आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर होने के लिए टिस्को ने आवश्यक उपाय किए हैं और आशा है दिसम्बर, 1982 तक टिस्को इस मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगी। उसके बाद उन्हें आशा है कि वह कोल इन्डिया लिमिटेड से बढ़िया अथवा मध्यम दर्जे का कोककर कोयला नहीं खरीदेगी।

(घ) चूंकि देशीय कोककर कोयले में राख की मात्रा अधिक हैं अतः मिश्रण के लिए देशीय कोयले की मात्रा में वृद्धि करने हेतु सेल राख की कम मात्रा वाले कोककर कोयले का सीमित मात्रा में आयात कर रही है। इससे हमारे कोककर कोयले के सीमित भण्डार को बचाने में मदद मिलती है। यह कहना सच नहीं है कि आयातित कोयले के मूल्य देशीय कोयले के मूल्यों से 4 गुना अधिक हैं अथवा इसका आयात सरकारी क्षेत्र के कोयले को टिस्को को सप्लाई जारी रखने के लिए किया जा रहा है।

(ङ) कोककर कोयले की खानों का राष्ट्रीयकरण करने का उद्धेश्य लोहे और इस्पात उद्योग की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक कोककर कोयले के भण्डारों को बचाने, उनका संरक्षण करने और उनका वैज्ञानिक तरीके से विकास करना है। चूंकि टिस्को की कोककर कोयले अपनी खानों के बारे में यह उद्देश्य पहले ही पूरा हो जाता है अतः इन खानों

को कोककारी कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया था।

(च) सरकार ने पहले ही टिस्को को बता दिया है कि वह शीघ्रातिशीघ्र कोककर कोयले की अपनी आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर हो जाए। कोयला विभाग ने भी टिस्को को लिखा है कि वह यथाशीघ्र कोककर कोयले के बारे में आत्मनिर्भर हो जाए। टिस्को ने इस परामर्श को स्वीकार कर लिया है अतः टिस्को के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किए गए कारोबार में कमी

3447. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान गैर सरकारी बैंकों की तुलना में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किए गए कारोबार में आई कमी की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक कोई प्रभावशाली उपाए किए है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कारबार में, निजी बैंकों (विदेशी बैंकों समेत) की तुलना में कोई गिरावट नहीं आयी है। इस सम्बन्ध में लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं० 3705 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसका उत्तर 12 दिसम्बर, 1980 को दिया गया था।

(ख) से (ङ) ये प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के कार्यालयों के वेतनमानों सम्बन्धी विषमतायें

3448. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर के (क) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों (ख) राज्य सरकारों के कार्यालयों (ग) स्टेट बैंकों (घ) जीवन बीमा निगम और (ङ) राज्यों की राजधानियों में स्थित सभी राज्य सरकारी कार्यालयों में (एक) चपरासी (दो) अवर श्रेणी लिपिक (तीन) सहायक तथा (चार) अनुभाग अधिकारी को कुल कितनी राशि की मासिक परिलब्धियां प्राप्त होती है ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के विभिन्न कार्यालयों में तथा राज्य/राष्ट्रीयकृत बैंकों और भारतीय खाद्य/उर्वरक निगम, जीवन बीमा निगम तथा राज्य व्यापार निगम

आदि जैसे अन्य सरकारी उपक्रमों, एक ही स्वरूप के कार्य वाले एक समान पदों के वेतन-मानों में विषमताओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रखा जाता है ।

(ख) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों का वर्तमान वेतन ढांचा तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर अधारित है । उक्त आयोग का यह भी विचार था कि इस बात को सुनिश्चित करने के लिए एक तन्त्र होना चाहिए कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के वेतनमानों को अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारों के अपने वेतनमानों पर होने वाली सम्भावित प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए नियत किया जाये । सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को इस आशय के अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि वे अपने कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों के किसी सामान्य संशोधन के सम्बन्ध में सरकार की पुर्वानुमति प्राप्त करें । ऐसे प्रस्तावों की जांच करने में सरकार तीसरे वेतन आयोग की उपर्युक्त सिफारिश को ध्यान में रखती है ।

जीवन बीमा निगम और अन्यों के कर्मचारियों के वेतन ढांचे के बीच विषमताओं और विकृतियों को और आगे रोकने के लिए 31-1-1-1981 को एक अध्यादेश अर्थात जीवन बीमा निगम (संशोधन) अध्यादेश 1981 प्रख्यापित किया गया जिसमें जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की सभी श्रेणियों की सेवा शर्तों के नियम बनाने की शक्तियां केन्द्रीय सरकार को दे दी गई है । इस प्रकार प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने प्रथम कार्यवाही के रूप में 2-2-1981 को नियमों को अधिसुचित किया । इन नियमों के अनुसार श्रेणी III और श्रेणी IV के कर्मचारियों के लिए प्रत्येक 4 अंकों की वृद्धि के लिए मंहगाई भत्ते की अधिकतम सीमा 15.80 रुपये नियत की गई है । इसी प्रकार, जीवन बीमा निगम के श्रेणी III/IV के कर्मचारी अब बोनस अधिनियम की अदायगी के द्विमुखी परिमाण द्वारा नियंत्रित होंगे ।

अधिकारी सेवा विनियम, 1979 के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पिल्ले समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के परिणामस्वरूप सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों के वेतन-मानों भत्तों आदि का संशोधन और मानकीकरण कर दिया गया है । अधिनिर्णय वाले कर्मचारी अर्थात सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतन-मान भत्ते आदि बैंक के प्रबन्धकों जिनका प्रतिनिधित्व भारतीय बैंक संघ ने किया, और कामगार संघों के बीच हुए द्विपक्षीय समझोते से अनुशासित होते हैं । हालांकि बैंक कर्मचारियों की सेवा शर्तों और कार्य के स्वरूप की तुलना सरकारी और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के साथ पूरी तरह से नहीं की जा सकती, फिर भी अनेक वर्षों में विकसित हुई बैंकिंग प्रणाली के विशिष्ट स्वरूप के कारण उनके वेतन और भत्तों में कुछ हद तक भिन्नता हो सकती है । फिर भी सरकार को बैंकों के कर्मचारियों के बारे में युक्तिसंगत वेतन नीति की आवश्यकता के बारे में अच्छी तरह मालूम है ।

संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची की 41वीं प्रविष्टि के अन्तर्गत राजकीय सार्वजनिक सेवाएं पूरी तरह से सरकारों के क्षेत्र में आती हैं। इसलिए राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन-मानों के संशोधन के प्रश्न पर केवल राज्य सरकार, को ही विचार करना है। उपर्युक्त सवैधानिक स्थिति होने के कारण राज्य सरकारें, अन्य बातों के साथ-साथ अपने अपने संसाधन की स्थिति पर विचार करते हुए अपने कर्मचारियों के वेतन मानों में संशोधन करती हैं। केवल केन्द्र और राज्यों के बीच ही वेतन-मानों में अन्तर नहीं है, बल्कि स्वयं राज्यों के बीच भी इनमें अन्तर है और इसलिए राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के वेतनमानों की तुलना करना व्यवहारिक नहीं है।

विवरण

1-11-1980 की स्थिति के अनुसार

(क) केन्द्रीय सरकार के कार्यालय (सचिवालय) :

क्रम सं०	श्रेणी	वेतन	अतिरिक्त मंहगाई भत्ता प्रति मास सहित कुल मंहगाई भत्ता	कुल परिलब्धियां (कालम 3 और 4 का जोड़)
				रुपये
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. चपरासी	न्यूनतम	196.00	168.30	364.30
	अधिकतम	232.00	198.30	430.30
2. अवर श्रेणी लिपिक	न्यूनतम	260.00	222.30	482.30
	अधिकतम	400.00	282.00	682.00
3. सहायक	न्यूनतम	425.00	292.70	717.70
	अधिकतम	800.00	508.00	1308.00
4. अनुभाग अधिकारी	न्यूनतम	650.00	142.80	1062.80
	अधिकतम	1200.00	550.00	1750.00

(ख) और (ङ) राज्य सरकार के कार्यालय :

वित्त मंत्रालय के पास सभी राज्य सरकारों के कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के वेतनमानों और भत्तों के सम्बन्ध में पूर्ण तथा अद्यतन सूचना नहीं है। इसलिए राज्य सरकार के कार्यालयों के सम्बन्ध में प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित श्रेणियों द्वारा ली जा रही मासिक परिलब्धियों का उल्लेख करना सम्भव नहीं है।

(ग) स्टेट बैंक (सरकारी क्षेत्र का बैंक)

1. अधीनस्थ कर्मचारी	न्यूनतम	245.00	254 80	499.80
	अधिकतम	455.00	473.20	928.20
2. लिपिक	न्यूनतम	325.00	267.02	592.02
	अधिकतम	1040.00	821.60	1861.60
3. अधिकारी*	न्यूनतम	700.00	546 00	1246.00
	अधिकतम	1800.00	720.00**	2520.00

*(सबसे कनिष्ठ ग्रेड अर्थात कनिष्ठ प्रबन्ध ग्रेड, स्केल-1) **(408 के औसत सूचकांक पर)

(घ) भारतीय जीवन बीमा निगम :

(1-11-80 की स्थिति के अनुसार)

1. चपरासी	न्यूनतम	125.00	370.00	495.00
	अधिकतम	269.00	796.00	1065.00
2. रिकार्ड क्लर्क	न्यूनतम	150.00	333.00	483 00
	अधिकतम	435.00	966.00	1501.00
3. सहायक	न्यूनतम	175.00	389.00	564.00
	अधिकतम	660 00	1465.00	2125.00
4. अधीक्षक	न्यूनतम	370.00	821.00	1191.00
	अधिकतम	920.00	2042.00	2962.00

विदेशी सहयोग से फार्मास्युटिकल तथा औषध फर्में

3449. श्री दिग्विजय सिंह : क्या वित्त मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी सहयोग से बनी अन्तर्राष्ट्रीय ब्रांड-नामों वाली फार्मास्युटिकल और औषध फर्में कौन-कौन सी हैं ;

(ख) इनमे से कितनी फार्मों में 40 प्रतिशत से अधिक की विदेशी शेयरधारिता है;

(ग) क्या सरकार ने उन्हें 40 प्रतिशत से अधिक की शेयरधारिता की अनुमति देकर नियमों में कोई विशेष छूट दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इन सभी फर्मों के लायसेंस रद्द करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) से (ग) अनिवासी शेयरधारिता के ग्राह्य स्तर के निर्धारण के मामले में औषध क्षेत्र की कम्पनियों पर नई औषध नीति के उपबन्धों के साथ पठित विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के मार्गनिर्देश लागू होते हैं। उन कम्पनियों के नाम जो कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आती हैं तथा उनकी अनिवासी शेयरधारिता को कम करने से सम्बन्धित प्रगति का एक विवरण संलग्न है। उनको कोई विशेष छूट नहीं दी गई है। अभी तक केवल लगभग 20 कम्पनियों को विदेशी शेयरधारिता के अनुज्ञेय स्तर का निर्धारण नहीं किया गया है।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

विवरण

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत औषध कम्पनियों की अनिवासी सामान्य शेयरधारिता में कमी किए जाने के कार्य की प्रति का विवरण

1. कम्पनियां जिनके मामलों का निर्णय हो चुका है

(क) विरुद्ध फार्मूलेटर

1. एंग्लो फ्रेंच ड्रग कम्पनी (ईस्टर्न) लि० बम्बई।
2. एवट लैबोरेट्रीज (ई) प्रा० लि० बम्बई।
3. कार्टर वैलेस एण्ड कं० लि० बम्बई।
4. सी० ई० फुनफोर्ड (आई) प्रा० लि० बम्बई।
5. इंडियन ड्रोरिंग लि० बम्बई।
6. निकोलस आफ ई० लि० बम्बई।
7. स्मिथ, क्लाइन एण्ड फ्रेंच (आई) लि०।

उपर्युक्त समस्त कम्पनियों से यह अपेक्षा की गई थी कि वे अनिवासी सामान्य शेयरधारित को कम करके 40 प्रतिशत तक करें। क्रम संख्या (1) से (6) तक उल्लिखित कम्पनियों ने या तो पहले ही अपनी अनिवासी शेयरधारिता में कमी करदी है अथवा कमी किए जाने की योजनाओं को अनुमोदित कर दिया गया है तथा उनको भी कार्यान्वित किया जा रहा है। क्रम संख्या 7 में उल्लिखित कम्पनी की योजना हाल ही में प्राप्त हुई है और उसकी जांच की जा रही है।

(ख) अन्य

1. जाफरी मैसर्स एण्ड कं० बम्बई-40 प्रतिशत तक की कमी करने के लिए निदेश जारी कर दिया गया है। अनिवेशित शेयरों के मूल्यनिर्धारण का कार्य विचाराधीन है।

2. रिचर्डसन हिन्दुस्तान लि०- 40 प्रतिशत तक की कमी करने के लिए निदेश जारी कर दिया गया है। कम्पनी के अभ्यावेदन पर विचार किया जा रहा है।

3. सुहृढ़ गोगी लि० कम्पनी के पास, अपने ही यत्न से, पूर्णतया अनिवेशित विदेशी पूंजी है।

कम्पनियों के नाम, जिनमें विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत अनिवासी सामान्यशेयरधारिता के ग्राह्य स्तर को अभी निर्धारित किया जाना है।

कम्पनी का नाम	वर्तमान अनिवासी शेयरधारिता
1. बेयर इंडिया लि०	51.96
2. बरजि बैलकम एण्ड कं० लि०	100.00
3. सिवा मीवी आफ इं० लि०	65.00
4. बूटख कं० (इं) लि०	53.00
5. सिनामिड इं० प्रा० लि०	65.00
6. इं० मार्क इंडिया प्रा० लि०	60.00
7. ग्लैस्को लेबोरेट्रीज (इं) लि०	75.00
8. जानसन एण्ड जानसन लि०	75 00
9. हाईस्ट फार्मास्युटिकल्स लि०	50.00
10. नेमे एण्ड बेयर	60.00
11. मर्क शार्प ढौग्म (इं) लि०	60.00
12. आर्गनन इं० लि०	49.00
13. मार्क डेविस (इं) लि०	83.30
14. फाइजर लि०	75.04 †

†इस कम्पनी पर जारी किए औद्योगिक लाइसेंसों के अनुसरण में विदेशी सामान्य शेयरधारिता को कम करने का दायित्व है।

15. कोशा प्रोडेक्ट्स लि०	89 00
16. सेंडोज डूण्ड लि०	60 00
17. ऊनी साक्यो लि०	49.00
18. वार्नर हिन्दुस्तान लि०	50.00
19. वाइथ लेबोरेटरीज लि०	74.00
20 वाइथ (इं) प्रा० लि०	100 00 ††
21. जान वाइथ ब्रादर्स लि०	शाखा

††न्यायालय को दी गई विलय की एक योजना के अनुसार, इन कम्पनियों को मिलाकर एक कम्पनी बना दिया जायेगा और नई कम्पनी की सामान्य शेयर पूंजी निर्धारित की जाएगी।

लन्दन में हीथ्रों हवाई अड्डे पर विमान उतारने के लिए एयर इंडिया द्वारा शुल्क का बकाया भुगतान किया जाना

3450. **श्री धर्मवीर सिंह :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इंडिया को लन्दन में हीथरो हवाई अड्डे पर विमान उतारने की सुविधाओं के लिए शुल्क की बकाया राशि का भुगतान करना था ;

(ख) यदि हां, तो शुल्क का भुगतान पहले क्यों नहीं किया गया,

(ग) इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या ब्रिटिश न्यायालय ने इस शुल्क का भुगतान करने के लिए आदेश दिए हैं ; और

(ड़) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) बिटिश एयरपोर्ट्स ऑथोरिटी ने, जो हीथ्रो एयरपोर्ट का प्रबंध व देख-रेख करती है, 1.4.1980 से लैंडिंग और पार्किंग प्रभारों में पचास प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि कर दी थी। यू. के. में एयरलाइनों के प्रतिनिधियों के बोर्ड ने' जिसका एयर इंडिया भी एक सदस्य है, कानूनी अदालत से इसका प्रतिकार कराने का फैसला किया और 1979 से पूर्व के स्तर पर ही प्रभारों का भुगतान करने का निर्णय किया।

(ग) से (ङ) : अदालत ने आदेश किया था कि एयर लाइनें पूरी देय राशि का 11.3.1981 तक भुगतान कर दें। एयर इंडिया ने अदालत के आदेश का अनुपालन कर दिया है।

मुक्त व्यापार जोन

3451. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुक्त व्यापार जोनों का वैज्ञानिक ढंग से मूल्यांकन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के जोनों की निर्यात संवर्धन के बढ़े साधन बनाने के लिए क्या अतिरिक्त कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) दो मुक्त व्यापार जोनों, अर्थात् कांडला मुक्त व्यापार जोन तथा सान्ताक्रुज इलैक्ट्रोनिक्स निर्यात प्रोसेसिंग जोन बम्बई के कार्यकलापों की निर्यात बढ़ाने की दृष्टि से लगातार समीक्षा की जा रही है। कांडला मुक्त व्यापार जोन के मामले में कौल समिति ने इस जोन की प्रगति में बाधक विभिन्न समस्याओं पर विचार किया है।

(ख) इन दो मुक्त व्यापार जोनों में उपलब्ध विद्यमान सुविधाओं तथा रियायतों के अलावा सरकार ने मुक्त व्यापार जोनों में स्थित एककों को आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन उपलब्ध विद्यमान रियायतों के बदले टैक्स हालिडे की घोषणा की है ; पिछले वर्षों, 1977-78, 1978-79 तथा 1979-80 में स्थापित विद्यमान एककों को कुल 5 वर्षों की अवधि में से शेष अवधि के लिए सुविधा का लाभ उठाने का विकल्प दिया गया है।

भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मन्डल संघ के एक शिष्टमण्डल द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का दौरा

3452. **श्री भीकूराम जैन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ के एक शिष्टमंडल के दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के हाल के दौरे के दौरान भारतीय उद्योग में हांगकांग द्वारा पूंजी निवेश किये जाने, भारत में परियोजनाओं के लिए वित्त की व्यवस्था किये जाने और दोनों देशों के बीच व्यापार सम्बन्ध घनिष्ट बनाये जाने जैसे प्रस्ताव रखे गये थे ; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में ग्रामीण बैंकों की स्थापना

3454. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में किन-किन स्थानों पर ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गयी है और ऐसे बैंकों की स्थापना का मानदण्ड क्या है ;

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गयी सुविधाओं के अतिरिक्त ग्रामीण बैंकों द्वारा ग्रामीण लोगों की और क्या अन्य विशेष सुविधाएं प्रदान की गयी हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि ग्रामीण लोगों को ऋण देकर किसानों की आर्थिक दशा सुधारने में बैंकों ने राष्ट्रीयकृत बैंकों की अपेक्षा ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाई है ;

(च) राजस्थान के सीमावर्ती जिले बाड़मेर और जैसलमेर जो देश के सबसे ज्यादा पिछड़े जिले हैं और जहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पिछड़ी हुई है, में ग्रामीण बैंकों के खोले जाने में भेदभाव बरते जाने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) ग्रामीण लोगों की आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए इन पिछड़े जिलों में किस निश्चित तिथि तक ग्रामीण बैंक खोले जायेंगे ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) राजस्थान में 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए हैं जिनके कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत 10 जिले आते हैं। जिन स्थानों में ये बैंक कार्यरत हैं और जो जिले इनके कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

इस प्रकार के बैंकों की स्थापना के लिए अपनाए जाने वाले स्थल सिद्धान्त ये हैं ।

(I) वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं द्वारा क्षेत्र की अपर्याप्त व्याप्ति (II) छोटे/सीमान्तिक किसानों तथा अन्य कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने में ऋण अन्तराल और (III) सहकारी ऋण ढांचे की स्थिति ।

(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक विशेष रूप से ग्रामोन्मुख संस्थाओं के रूप में बनाए गए हैं और इनकी स्थापना, छोटे और सीमांतिक किसानों, खेतिहर मजदूरों, कारीगरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के अन्य कमजोर वर्गों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जा रही है । वाणिज्यिक बैंकों के विपरीत, इनका परिचालन क्षेत्र आमतौर पर किसी राज्य विशेष के एक अथवा दो जिलों तक ही सीमित होता है, और वे ऐसे क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराते हैं जो दूरस्थ हों और अब तक बैंक रहित तथा कम बैंकिंग सुविधा वाले रहे हैं । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जमा रकमों पर वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में 1/2 प्रतिशत अधिक ब्याज भी देते हैं ।

(ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने अपने ग्राहकों को ऋण प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके द्वारा दिए जाने वाले अग्रिमों की बकाया राशियों में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई देती रही है ; इस प्रकार के अग्रिमों की राशि जो जून 1978 के अन्त में 66 करोड़ रुपये थी 1979 में बढ़ कर 173.5 करोड़ रुपये और 1980 में वह और अधिक बढ़ कर 181.1 करोड़ रुपए हो गई। ये बैंक ऐसे बैंक रहित अथवा कम बैंकिंग सुविधा वाले क्षेत्रों में सेवा प्रदान कर रहे हैं जहां सहकारी ऋण व्यवस्था भी कमजोर है।

(घ) और (ङ) : राजस्थान के सीमावर्ती जिले बाड़मेर और जेसलमेर में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने का प्रस्ताव इस समय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों विषयक संचालन समिति के विचाराधीन हैं। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से और सूचना मांगी गई है तथा इसलिए इस समय कोई निश्चित तारीख बताना संभव नहीं है।

विवरण

राजस्थान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम	स्थापना की तारीख	व्याप्त जिले
1. जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक, जयपुर	2-10-1975	1. जयपुर 2. नागौर
2. मारवाड़ ग्रामीण बैंक, पाली	6-9-1976	1. पाली 2, सिरोही 3. जालोन
3. देखावटी ग्रामीण बैंक सीकर	7-10-1976	1. सीकर 2. झुन झुन
4. मरुधर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, चुरू	24-3-1979	1. चुरु
5 अलवर-भरतपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक भरतपुर	20-2-1981	1. अलवर 2 भरतपुर

'इन्डिया टू एक्सपोर्ट राइस टू रशिया' शीर्षक से समाचार

3455. **श्री एन० के० शेजबलकर** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 जनवरी, 1981 के 'इकोनोमिक टाइम्स' में 'इन्डिया टू एक्सपोर्ट ५०,000 मीट्रिक टन राइस टू रशिया' शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस निर्यात में वह चावल भी शामिल है जो आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा से निर्यात किया गया है क्या यह एक पृथक समझौता है ;

(ग) चावल के बदले में भारत कितने पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करेगा और क्या इस पेट्रोलियम का मूल्य आर्थिक मूल्य। दोस्ताना मूल्य। इकनोमिक मूल्य होगा या वह मूल्य होगा जिस पर सोवियत रूस पेट्रोलियम अपने मित्र देशों को सप्लाई करता है;

(घ) भारत की यात्रा करने वाले रूसी शिष्टमंडल के नेता और सदस्यों के नाम और दर्जे क्या हैं और अपने समकक्ष भारतीयों के साथ उनके द्वारा की गई बातचीत का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) चालू वर्ष 1981 में सोवियत रूस को कितना और चावल निर्यात किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) जून, 1980 में भारत सरकार और सोवियत संघ सरकार के बीच हस्ताक्षरित करार के अनुसरण में भारत द्वारा 500,000 मै० टन चावल की सप्लाई सोवियत संघ द्वारा सप्लाई किये जाने वाले 200,000 मै० टन कच्चे तेल तथा 500,000 मै० टन डीजल तेल के लिए भुगतान के रूप में की जानी थी। करार के अन्तर्गत 1 दिसम्बर, 1980 तक 250,000 मै० टन चावल और जनवरी तथा जून ,1981 के बीच और 250,000 मै० टन चावल की सप्लाई की व्यवस्था है।

इस करार के अनुसरण में चावल का निर्यात भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य राज्य सरकार के अभिकरणों द्वारा किया जा रहा है। संविधाएं सम्पन्न करने के लिए भारत के संगठनों और सोवियत विदेश व्यापार संगठनों के बीच बातें की जाती हैं। उनके बीच प्रत्येक मामले में कीमतों पर वार्ता की जाती है।

नाविकों को आयकर से छूट देने का प्रस्ताव

3456. **श्री बापूसाहिब पारूलेकर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय जहाजों से विदेश जाने वाले नाविकों को विदेशों में नियुक्त अन्य भारतीय नागरिकों को दी जा रही, अथवा विदेश सेवा से प्राप्त आय पर जितनी आयकर की छूट दी जाती है; उसी प्रकार से आयकर से छूट देने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ;

(ख) क्या इस बारे में सरकार द्वारा कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं; और

(ग) क्या इस बारे में एन० एम० वी० ने सरकार को कोई सिफारिश की है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) तथा (ख) जी, नहीं ।

(ग) राष्ट्रीय जहाजरानी बोर्ड की, 5 फरवरी, 1981 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि समुद्री नाविकों के लिए आयकर से छूट के मामले पर आगे विवेचन किया जाना चाहिये और बोर्ड के अध्यक्ष को वित्त मंत्री से मिलने के लिए एक ऐसे प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व करना चाहिए जिसमें संसद सदस्य तथा बोर्ड में अन्य सम्बन्धित हितों प्रतिनिधि शामिल हों । ऐसा करने से पहले बोर्ड चाहता है कि जहाजरानी महानिदेशक, इस विषय पर शिप ओनर्स एसोसिएशन और मेरीटाइम यूनियन आफ इण्डिया तथा नेशनल यूनियन आफ सीफेयरर्स आफ इण्डिया से भी एक व्यापक ज्ञापन प्राप्त करने की व्यवस्था करें । अध्यक्ष को, इस सम्बन्ध में अपनी पसन्द का प्रतिनिधि-मण्डल गठित करने के लिए प्राधिकृत किया गया । जहाज रानी महा निदेशक को, इस विषय पर, मरीटाइम यूनियन आफ इण्डिया तथा नेशनल यूनियन आफ सीफेयरर्स आफ इण्डिया द्वारा तैयार की गई संयुक्त टिप्पणी प्राप्त हुई है और उन्हें इस सम्बन्ध में आगे कार्यवाही करने से पूर्व शिपओनर्स एसोसिएशन से इसी तरह की टिप्पणी की प्रतीक्षा है ।

उद्यमियों की काली सूची बनाया जाना

3457. **श्री के० मालन्ना** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे उद्यमियों की, जो वित्तीय कठिनाई के दौरान अपना घाटा पूरा करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों तथा अन्य वित्तीय एजेंसियों की शरण लेते हैं गतिविधियों तथा कार्यों के बारे में एक काली सूची तैयार करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की जानकारी में आए ऐसे अच्छे तथा बुरे उद्यमियों के बारे में ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में सरकार का क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) इस समय उद्यमियों की काली सूची तैयार करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है । फिर भी, सहायता स्वीकृत करते समय बैंक, पक्षों की ऋण सक्षयता को ध्यान में रखते हैं । बैंक ऋणकर्त्ताओं की केवल उचित तथा तर्कसंगत आवश्यकताओं की पूर्ति करके तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऋण-कर्त्ताओं द्वारा ली गई राशि वास्तव में उनकी तत्काल वैध आवश्यकताओं के अनुरूप है तथा राशियां उसी प्रयोजन के लिए प्रयोग के लिए प्रयोग की जा रही हैं जिसके लिए वे निकाली गयी थीं, भरसक सावधानी बरतते हैं ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते ।

लघु एककों के निर्यात को बढ़ाने के लिए 'फ्रैन्याइजिंग हाउसों' की स्थापना

3458. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र में लघु एककों के निर्यात बढ़ाने के लिए "फ्रैन्याइजिंग हाउसों" की स्थापना करने का निर्णय सिद्धांत रूप में कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने उच्च निर्यात गृहों की कोई बैठक बुलाई थी और यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खाँन) : (क) से (ग) निर्यात नीति सम्बन्धी समिति (टण्डन समिति) ने निर्यात विपणन की मदद के लिए फ्रैन्याइजिंग कारपोरेशन्स स्थापित करने की सिफारिश की है। समय समय पर निर्यात सदनों और निर्यात संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ निर्यात संवर्धन से सम्बन्धित अन्य मामलों सहित इस विषय पर विचार-विमर्श किये गए हैं। मामला अभी विचाराधीन है।

टसर काकून का जमा हो जाना

3459. **श्री धर्मवीर सिंह :**

प्रो. पी. जे. कुरियन : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कच्चे माल के बैंक और राज्य सरकार की विभिन्न ऐजेंसियों में टसर काकून के भारी भडार जमा हो गए हैं ;

(ग) यदि हां, तो उनके निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए है ; और

(ग) क्या प्राधिकारियों ने काकून के निर्यात की सम्भावनाओं का पता लगाया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्यक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) जी हां। स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए भारत सरकार ने काकून के जमा भंडार को निपटाने के लिए 28-2-1981 से तीन महीने की अवधि के लिए 20 प्रतिशत छूट की घोषणा की है। इस छूट का खर्च केन्द्रीय रेशम बोर्ड तथा राज्य सरकारों द्वारा आधा-आधा वहन किया जाएगा।

(ग) नीति के अनुसार यह वांछनीय नहीं है कि 'काकून' का निर्यात किया जाए जोकि रेशम वस्त्रों के उत्पादन के लिए कच्चा माल है।

स्थानान्तरण पर यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते की दरें

3460. **श्री सतीश प्रसाद सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यात्रा और स्थानान्तरण के सम्बन्ध में दी गई यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते की धनराशि, किराए पर टैक्सी स्कूटर लेने, भोजन एवं आवास व्यवस्था आदि जैसे आकस्मिक खर्चे पूरे करने में अपर्याप्त होती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या मूल्यों में चहुंमुखी वृद्धि और यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते की दरों को व्ययउन्मुखी बनाए जाने को ध्यान में रखते हुए इन दरों की पुनरीक्षा करने का सरकार का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री स्वाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) तीसरे वेतन आयोग ने दैनिक भत्ते की कुछ दरों की सिफारिश की थी । नियमों के सरलीकरण/युक्तिकरण के लिए गठित टास्क फोर्स की सिफारिशों पर इन दरों में 1-2-1978 में सुधार किया गया था जिसके द्वारा बम्बई/कलकत्ता में लागू दैनिक भत्ते की उच्चतर दरों को सभी 'क' श्रेणी नगरों और दिल्ली/शिमला की दरों को सभी 'ख-1' श्रेणी नगरों में लागू कर दिया गया था । दैनिक भत्ते की दरों में संशोधन करने का प्रश्न भी संयुक्त परामर्शदाता तन्त्र की राष्ट्रीय परिषद में कर्मचारी पक्ष द्वारा उठाया गया है । दैनिक भत्ते की दरों में मामूली सी वृद्धि का भी भारी वित्तीय प्रभाव होता है । तथापि कर्मचारी पक्ष के साथ वहां पर हुए विचार-विमर्श के परिणामों को ध्यान में रखते हुए ही सरकार द्वारा इस मामले में निर्णय किया जाएगा ।

(ग) सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात ही मील दूरी भत्ते की दरों में समय-समय पर संशोधन किया जाता है ।

सीतापुर में पटसन से डोरी बनाने की योजना

3461. **श्री रामलाल राही** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले के प्रशासन ने जिले में पटसन से डोरी बनाने की एक योजना राज्य सरकार के माध्यम से केन्द्र सरकार को भेजी है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की स्वीकृति के पश्चात् कितने समय से उक्त उद्योग स्थापित किये जाने का का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) पटसन आयुक्त को, जोकि रजिस्ट्री प्राधिकारी है, अभी तक ऐसी कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

खाड़ी के देशों को अण्डों का निर्यात

3462. **श्री टी० दामोदर रेड्डी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि खाड़ी के देशों में भारतीय अण्डों की बहुत मांग है ;

(ख) यदि हां, तो भारत से खाड़ी के देशों को अण्डों का निर्यात करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि खाड़ी के देशों को अण्डों के निर्यात की कितनी संभाव्यता है और उसके बदले में उनसे कितनी मात्रा में अशोधित तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किया जा सकता है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी हां ।

(ख) अंडों का निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत किया जाता है बशर्ते कि एफ० ओ० बी० प्रति सैंकड़ा न्यूनतम निर्यात कीमत 40 000 (चालीस रुपए) हो । निर्यात बढ़ाने के लिए एक उपाय के रूप में नगद मुआवजा सहायता तथा आयात प्रतिपूर्ति दी जाती है । साधित खाद्य निर्यात संवर्धन परिषद भी 1981-82 में खाड़ी के देशों को बिक्री-सह-अध्ययन दल प्रायोजित करने का विचार रखती है ।

(ग) तथा (घ) निर्यात की बहुत ही कम मात्रा को देखते हुए अभी इस बात की संभावना नहीं उठती ।

हिन्दुस्तान लीवर द्वारा उत्पादों के निर्यात से आय

3464. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान लीवर अपने उत्पादों में से 60 प्रतिशत उत्पाद निर्यात करता है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके द्वारा 1979-80 और 1980-81 के दौरन भारत को विदेशी मुद्रा में कुल कितनी निर्यात-आय भेजी गई ?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) वर्ष 1978 तथा 1979 के दौरान कम्पनी ने अपने उत्पादों के निर्यात से क्रमशः 5.77 करोड़ रुपए तथा 18.11 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित की । इन वर्षों के दौरान भारत में प्रेषित विदेशी मुद्रा के रूप में कुल निर्यात सम्बन्धी आय क्रमशः 17.57 करोड़ रुपए तथा 32.02 करोड़ रुपए थी । जहां तक 1980 का सम्बन्ध है, कम्पनी का वित्तीय वर्ष 31.12.1980 को समाप्त हुआ है और लेखापरीक्षित आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं है ।

पाकिस्तान से छुहारों का आयात

3465 श्री सी० चिन्तास्वामी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान से अपरिष्कृत ओषधि के रूप में छुहारों के आयात की अनुमति प्रदान कर दी गई है क्योंकि इनको आयुर्वेदिक या यूनानी औषधियों में उपयोग में नहीं लाया जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि छुहारों के हमारे परम्परागत सप्लायरों की तुलना में हमें उन्हें अधिक विदेशी मुद्रा की अदायगी करनी पड़ती है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मूल्य पर छुहारों के आयात के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) आयुर्वेदिक एवं यूनानी दवाईयां बनाने के लिए खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत सभी व्यक्तियों को, अपरिष्कृत औषधियों आयात करने की अनुमति है । आयात के लिए स्वीकृत अपरिष्कृत औषधियों की सूची में "छुहारे" शामिल हैं । इस व्यस्था के अन्तर्गत आयात पाकिस्तान से भी किया जा सकता है । यूनानी दवाईयां बनाने के लिए 'छुहारों' की आवश्यकता होती है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सिक्योरिटी प्रेसों में कार्यरत कर्मचारियों को बोनस

†3466. श्री सूरज भान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे, डाक व तार तथा रक्षा विभागों के कर्मचारियों को बोनस के रूप में कुल कितनी राशि अदा की गई और किस तारीख से दी गई ;

(ख) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय के अधीनस्थ सिक्यूरिटी प्रेसों के कर्मचारियों को वर्ष 1977-78 से बोनस दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो किस तारीख से प्रत्येक कर्मचारी को कितना-कितना न्यूनतम एवं अधिकतम बोनस दिया गया और क्या तत्सम्बन्धी आदेश की एक प्रति सभापटल पर रखी जाएगी ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री भगतभाई बरोट) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) और (ग) वर्ष 1980-81 से इण्डिया सिक्यूरिटी प्रेस और करेंसी नोट प्रेस नासिक रोड में उत्पादकता सम्बद्ध बोनस योजना चालू की गई है। योजना शुरू करते समय सद्भावना बनाए रखने के लिए पहली अप्रैल 1980 को प्रैसों में कार्यरत पात्र कर्मचारियों को, 1980-81 से पहले की अवधि के लिए एक तदर्थ अदायगी की गई जो प्रत्येक दशा में 15 दिन के वेतन के बराबर थी और उस राशि की अधिकतम सीमा 375 रुपए थी। इस प्रकार अदा की गई कुल राशि लगभग 23 लाख रुपय थी। वर्ष 1980-81 के लिए वास्तव में कितनी राशि प्राप्त करने का हक होगा इसका पता 31 मार्च 1981 के बाद चलेगा जब उत्पादकता सम्बद्ध बोनस योजना के अन्तर्गत गणना की जाएगी।

शीघ्र ही, इंडिया सिक्यूरिटी प्रेस और करेंसी नोट प्रेस नासिक रोड में उत्पादकता सम्बद्ध बोनस योजना चालू किए जाने से संबंधित आदेशों की प्रतियां सभा पटल पर रख दी जाएंगी।

डाकघर बचत

3467. **श्री जार्जफर्नान्डीज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक घर बचतों के संबंध में विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत जिलावार ब्यौरे क्या है; और

(ख) इनमें से कितनी धनराशि जिलों में विकास प्रयोजनों के लिए जिला अधिकारियों को उपलब्ध की जाती है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) केन्द्र द्वारा विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत डाक बचतों के जिलावर आंकडे नहीं रखे जाते। विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत डाक बचतों के जिलावार आंकड़े इकट्ठे करने में लगने वाले समय और श्रम को देखते हुए इनसे निकलने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होंगे।

(ख) राज्यों में अल्प बचत संग्रह की निवल रकमों का दो तिहाई भाग संबंधित राज्य सरकारों को उनके विकास सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए दीर्घावधिक ऋणों के रूप में दे दिया जाता है। बचत संग्रह का कोई भाग जिला प्राधिकारियों को सीधे ही नहीं दे दिया जाता। विभिन्न जिलों की विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं पर विचार करने का काम राज्य सरकारों का है और वे ही अपने कुल संसाधनों, जिनमें केन्द्रीय सरकार द्वारा अल्प बचतों के सम्बन्ध में दिए जाने वाले ऋण शामिल है, को ध्यान में रखते हुए राज्य आयोजनाओं/बजटों में इनके लिए उपयुक्त रकमों की व्यवस्था करती है।

केन्द्रीय सरकारी पेंशन भोगी कर्मचारियों को अन्तरिम राहत देना

3468. **श्री रघुनंदन लाल भाटिया :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकारी पेंशनभोगी कर्मचारियों को दी गई अन्तरिम राहत जीवन निर्वाह सूचकांक से सम्बन्धित फार्मूले पर परिगणित की जाती है और यदि हां, तो क्या पेंशन भोगी कर्मचारियों पर लागू होने वाला फार्मूला सेवा कर रहे सरकारी कर्मचारियों पर लागू होने वाले फार्मूले से अलग है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस भेदभाव के खिलाफ पेंशनभोगी कर्मचारियों और उनके संगठनों द्वारा सरकार को बहुत से अभ्यावेदन दिये गए हैं कि जीवन निर्वाह सूचकांक पेंशन भोगी कर्मचारियों और सेवा कर रहे कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होता है ;

(ग) क्या सरकार ने किसी चरण में सेवा कर रहे कर्मचारियों को दिए गए मंहगाई भत्ते के सामान स्तर पर ही पेंशनभोगी कर्मचारियों को उनका भुगतान करने से सम्बद्ध अनुमानित राशि की संगणना की है ; यदि हां, तो इसमें सम्बद्ध देय राशि कितनी है ; और

(घ) इस बारे में सेवा निवृत कर्मचारियों की कठिनाइयां दूर करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) जी हां। कुछ मोटे तौर पर मूल्यांकन किया गया है। इसके अलावा, जैसा कि वित्त मन्त्री ने 28-2-81 को अपने बजट-भाषण में घोषणा की है, भविष्य में पेंशन भोगियों को मंहगाई संबंधी राहत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में प्रत्येक 16 अंकों की वृद्धि के लिए कुछ न्यूनतम और अधिकतम की शर्त के अधीन रहते हुए, 5% की दर की बजाय, जैसा कि वर्तमान में है, प्रत्येक 8 अंकों की वृद्धि के लिए पेंशन के 2.5% की दर पर दी जाएगी। पेंशन भोगियों को मंहगाई सम्बन्धी राहत की अदायगी के लिए कार्यविधि को भी सुव्यवस्थित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, आयकर में मानक कटौती की बर्धित दर पेंशन भोगियों पर भी लागू होगी। इन परिवर्तनों से पेंशनभोगियों को हो रही कठिनाईयां और कम हो जाएंगी।

बैंकिंग क्षेत्र द्वारा लगाए गए ऋण सम्बन्धी प्रतिबन्ध

3469. **श्री रशीद मसूद :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बैंकिंग क्षेत्र ने ऋणों पर और आगे प्रतिबन्ध लगा दिए है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) विशेष रूप से लघु क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र पर इनका क्या प्रभाव पड़ सकता है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) और (ख) सम्भवत: प्रश्न का आशय, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिसम्बर, 1980 में, नकदी ऋण पर कार्यकारी दल की सिफारिशों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में अनुदेश जारी करने से हैं। इन अनुदेशों की मुख्य-मुख्य बातें नीचे दी गयी हैं : —

(1) दस लाख रुपये और इससे अधिक की कार्यकारी पूंजीगत सीमाओं (लिमिट्स) की वार्षिक समीक्षा।

(2) पचास लाख रुपये और इससे अधिक की कार्यकारी पूंजी वाले सभी एककों द्वारा बैंकों को तिमाही विवरणियां भेजना जिनमें उस तिमाही के दौरान अपेक्षित निधियों का संकेत किया जाए।

(3) बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को निम्नलिखित छमाही विवरणियां भेजना :-
(i) वे खाते जिनकी समीक्षा अतिकालित (ओवरड्यू) हो गयी है।

(ii) वे एकक जिन्होंने तिमाही विवरणियां नहीं भेजीं।

(4) ऋण सीमाओं के मांग ऋण और नकद ऋण में विभाजन को समाप्त करना।

(5) व्यस्त (पीक) और गैर-व्यस्त (नान-पीक) अवधियों के लिए अलग-अलग ऋण की सीमाएं।

(6) जो एकक तिमाही विवरणियां न भेजें उनके कुल अधिशेषों पर एक प्रतिशत का दण्डात्मक ब्याज वसूल करना। यदि यह व्यतिक्रम बराबर बना रहे और कठोर कार्रवाई करना आवश्यक लगे तो ऐसे खातों को स्थगित (फ्रीज) करना।

(7) वर्तमान बैंकरों से परामर्श किये बगैर किसी बैंक द्वारा किसी एकक को ऋण सुविधा न देना।

(8) तदर्थ (एडहाक) ऋण सीमाओं पर एक प्रतिशत का अतिरिक्त ब्याज वसूल करना और ऐसी तदर्थ ऋण-सीमाएं केवल असामान्य परिस्थितियों में ही स्वीकृत करना।

(9) कार्यकारी पूंजीगत आवश्यकताओं के लिए अपनी निधियों और सावधि वित्त से ऋणकर्ता का अंशदान कुल चालू परिसम्पत्तियों के कम से कम 25 प्रतिशत के बराबर होना चाहिए।

(10) जहां सम्भव हो, नकद ऋण सीमाओं को हुण्डी (बिल) ऋण सीमाओं में बदल दिया जाना चाहिए।

ये अनुदेश उन रुग्ण एककों को छोड़कर जो पोषण कार्यक्रम के अन्तर्गत आते हैं, बैंकिंग प्रणाली से कुल 50 लाख रुपये और उससे अधिक की कार्यकारी पूंजी संबंधी ऋण सीमाएं प्राप्त करने वाले सभी एककों पर लागू होते हैं। बैंकों द्वारा उन ऋण कर्ताओं पर भी इसी प्रकार के अनुदेश विभिन्न चरणों में लागू करने की कार्रवाई की जानी है, जो बैंकिंग प्रणाली से 50 लाख रुपये से कम की ऋण सीमाओं का उपभोग कर रहे हैं।

(ग) ऋण देने की प्रणाली में संशोधन का मूल अभिप्राय बैंक ऋण पर से मध्यम तथा बड़े ऋणकर्ताओं की अधिक निर्भरता में कमी करना, किन्तु साथ ही इस बात का ध्यान रखना है कि कुछ शर्तों के तहत, कार्यकारी पूंजी के बारे में उनकी आवश्यकता-आधारित जरूरतें पूरी हो जायें।

शहर, बम्बई में नये अन्तर्राष्ट्रीय यात्री टर्मिनल पर सुविधाओं का अभाव

3471. **श्री राम विलास पासवान :**

श्रीमती प्रमिला दंडवते : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शहर, बम्बई में 18 करोड़ रुपये की लागत पर बनाये गए अन्तर्राष्ट्रीय यात्री टर्मिनल में यातायात से मुक्त पहुंच मार्ग सार्वजनिक परिवहन सुविधा, मूल्य उचित और स्वच्छता वाला कैण्टीन, पर्याप्त शौचालय सुविधाएं, केन्द्रीय सूचना केन्द्र आदि जैसी मूल सुविधाओं का अभाव पाया जाता है जिसके परिणामस्वरूप यात्रियों को भारी असुविधा होती है ;

(ख) यदि, हां तो नये अन्तर्राष्ट्रीय यात्री टर्मिनल के निर्माण का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब लाया गया था और इस पर अन्तिम रूप से स्वीकृति कब दी गई तथा निष्पादन के लिए कार्य कब आरम्भ किया गया ;

(ग) एयर टर्मिनल को पूरा करने में किन-किन केन्द्रीय और राज्य सरकार के प्राधिकारियों का समन्वय अपेक्षित था तथा पहुंच मार्ग सार्वजनिक परिवहन सुविधा और ऐसी ही अन्य सुविधाओं की साथ-साथ व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए यदि कोई मशीनरी उत्तरदायी थी तो वह कौन सी है तथा एयर टर्मिनल का निर्माण पूरा होने के साथ-साथ वहां इन सुविधाओं की व्यवस्था करने में विफलता के क्या कारण हैं ; और

(घ) मूल सुविधाओं में कमियों को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

राज्यों द्वारा ओवरड्राफ्ट

3472. श्री के० राममूर्ति : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने 1977, 1978 और 1979 के दौरान ओवर ड्राफ्ट का सहारा लिया है और इन ओवर ड्राफ्टों की राशि कितनी होगी ;

(ख) क्या इस तरह का ओवर ड्राफ्ट किए जाने के मामले में लगाए गए प्रतिबन्धों का राज्यों द्वारा उल्लंघन किया गया है और यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने उनका अतिक्रमण किया ; और

(ग) वे प्रतिबन्ध रोक कौन से है जो अभी राज्यों द्वारा ओवर डाफ्ट निकाले जाने के सम्बन्ध में लगी हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक पर राज्य सरकारों के ओवर डाफ्ट उनकी दैनिक नकदी स्थिति को दर्शाते हैं तथा दिन-प्रति दिन इनकी मात्रा भिन्न भिन्न होती है । इसलिए उनकी मात्रा को किसी विशेष तारीख के संदर्भ में ही बताया जा सकता है । एक विवरण-पत्र सभापटल पर रख दिया गया है जिसमें 1977 78 1978-79 और 1979-80 के वित्तीय वर्षों के अन्तिम कार्य दिवस का राज्य सरकारों के समायोजित ओवर डाफ्टों का ब्यौरा दिया गया है ।

(ख) चालू वर्ष में असम, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल 7 कार्य दिवसों से अधिक दिनों के लिए ओवर-ड्राफ्ट में थे ।

(ग) राज्यों के ओवर ड्राफ्टों के विनियमन की योजना के अन्तर्गत यह आशा की जाती है कि राज्य सरकारें व्यय की गति को प्राप्तियों की गति के साथ समायोजित करेगी और 7 कार्य दिवसों से अधिक अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के साथ अपने-अपने खाते में ओवरड्राफ्टों की स्थिति को टालेगीं ।

विवरण

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ राज्य सरकारों के समायोजित ओवर ड्राफ्ट

(करोड़ रुपये)

राज्य	31.3.1978 की स्थिति के अनुसार	31.3.1979 की स्थिति के अनुसार	31.3.1990 की स्थिति के अनुसार
1. बिहार	69.81	—	—
2. हरियाणा	—	—	1.95
3. केरल	4.62	—	—
4. मध्य प्रदेश	49.60	—	1.27
5. मणीपुर	3.35	6.59	11.06
6. नागालैंड	7.80	1.94	6.81
7 उड़ीसा	0.98	—	—
8. पंजाब	56.36	—	9.53
9. राजस्थान	8 89	—	22.10
10. त्रिपुरा	0 38	—	2 66
11. उत्तर प्रदेश	145.68	—	—
12. पश्चिमी बंगाल	91.40	—	41.16

भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटलों की आवश्यकता के अनुरूप कर्मचारियों को काम करने का प्रशिक्षण

3473. **श्री गुफरान आजम :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटलों के कर्मचारियों की संख्या राजधानी के विभिन्न होटलों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु पर्याप्त है ;

(ख) अशोका, अकबर, जनपथ, रंजीत एवं लोधी होटलों में काम करने वाले कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उनकी दक्षता को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) नए होटलों की मांग को पूरा करने हेतु क्या प्रशिक्षण सुविधाएं हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) अशोक, अकबर, जनपथ, रंजीत और लोधी होटलों में तैनात कर्मचारियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

होटल का नाम	कर्मचारियों की संख्या
अशोक होटल	1575
अकबर होटल	555
जनपथ होटल	657
लोधी होटल	338
रंजीत होटल	340

(ग) कर्मचारियों की कार्य-कुशलता को बढ़ाने की दृष्टि से सेवाकालीन पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का लगातार संचालन किया जाता है, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, कार्यकरण के सुधरे तथा सरलीकृत तरीके, कार्य-ज्ञान और कार्यकौशल शामिल होते है। वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए एक्जिक्यूटिव विकास कार्यक्रमों और पर्यवेक्षी कौशलों पर पुनर्विन्यास कार्यक्रम भी शुरू किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए विविध इन्सेटिव दिए जाते हैं। इनमें व्यवसाय भत्ते की स्वीकृति, अच्छे कार्य-निष्पादन के लिए स्वतः उन्नति, मकान निर्माण ऋण की स्वीकृति, पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं, कैंटीन सुविधाएं मुफ्त चाय तथा स्नैक्स की व्यवस्था, बर्दियां, आदि शामिल हैं इन होटलों में कर्मचारी सहभागिता स्कीम भी लागू कर दी गई है।

(घ) नए होटलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्पोरेशन में एक ट्रेनिंग विंग भी है, जो नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करता है और कार्यकारी, पर्यवेक्षी और क्राफ्ट स्तरों पर जन-शक्ति की व्यवस्था करता है। नये होटलों में तैनात करने से पूर्व सभी कर्मचारियों को प्रचालन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जहां तक संभव होता है, नव-नियुक्त कर्मचारियों को होटल चालू करने से 3-4 मास पूर्व एक्सटेंसिव ओन-दि-जाब-ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वे नई इकाइयों में अपना कार्य कुशलतापूर्वक पूरा कर सकें। वर्तमान तथा नए होटलों के लिए प्रशिक्षित जन-शक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक प्रशिक्षण अकादमी भी स्थापित की जा रही है।

निर्यात प्रस्तावों को स्वीकृति देने के लिए एक विशेष खिड़की को खोलने का प्रस्ताव

3474. **श्री केशवराव पारधी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निर्यात प्रस्तावों पर स्वीकृति देने, विदेशी, मुद्रा में वृद्धि के लिए निर्यातकों को स्वीकृति देने और टण्डन समिति की सिफारिशों के अनुरूप-शिपमेंट से पूर्व रियायती ऋणों को बढ़ाए जाने के लिए एक विशेष खिड़की खोलने का है।

(ख) क्या सरकार का विचार निर्यात उत्पादन में धन लगाए जाने को प्रोत्साहन देने और छोटे निर्यातकों को विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कुछ वित्तीय सहायता देने का है ;

(ग) क्या कृषि क्षेत्र में सरकार की योजना निर्यातोन्मुखी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक आवर्ती निधी की व्यवस्था करने का है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस खिड़की के माध्यम से पिछड़े राज्यों के निर्यातकों को प्रोत्साहन देने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) 1981-82 के लिए वित्त मन्त्री के बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुसार एक सांविधिक निगम के रूप में स्थापित किए जाने वाले एक निर्यात-आयात बैंक की स्थापना के लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने में टण्डन समिति द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखा गया था।

(ख) 1981-82 के बजट में निम्नलिखित कर सम्बन्धी, रियायतें घोषित की गई हैं :—

1. नए उद्योगों के 14 समूहों को, जिनमें से कुछ निर्यात संभाव्यता रखते हैं, निवेष भत्ते का लाभ अथवा कर-अवकाश का लाभ किया गया है ;

(2) मुख्य व्यापार जोनों में उद्योगों को पांच वर्ष की प्रारम्भिक अवधि के लिए पूर्ण कर अवकाश की अनुमति दी गई है ;

(3) आय कर अधिनियम की धारा 35ख के अधीन भारित कटौती की अनुमति देने के लिये अनेक विशिष्ट गतिविधियों का पता लगाने का भी निर्णय किया गया है।

(ग) तथा (घ) 1981-82 के बजट में ये पहले ही घोषित किया जा चुका है कि ग्रामीण समुदाय की ऋण सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक शीर्ष संस्थान के रूप में कृषि तथा ग्रामीण विकास हेतु एक राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की जा रही है।

कोयला भंडारों की खोज

3475. **श्री अनादि चरण दास** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था ने वर्ष 1979-80 के दौरान विभिन्न कोयला क्षेत्रों में सर्वेक्षण करके कुल 500 लाख टन कोयला भंडारो का पता लगाया है ;

(ख) उन कोयला क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां कोयला मिल रहा है ;

(ग) क्या भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने उड़ीसा के सुकिण्डा क्षेत्रों में किसी कोयला क्षेत्र की खोज की है ;

(घ) यदि हां, तो इन कोयला क्षेत्रों में खनन कार्य कब शुरू किया जायगा ; और

(ङ) इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) काला सोना के नाम से कोई खनिज नहीं है। लेकिन भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 1979-80 के फील्ड सत्र में अपने क्षेत्रीय खोज कार्यों के दौरान देश के विभिन्न कोयला क्षेत्रों में 190 मिलियन टन कोयला भंडारों का अनुमान लगाया है। इसमें से बिहार के संथाल परगना के सहारजूरी कोयला क्षेत्र में 140 मिलियन टन, पालामऊ जिले के आरंगा कोयला क्षेत्र में 4 मिलियन टन आन्ध्र प्रदेश के वारंगल जिले की गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र में 44 मिलियन टन मध्य प्रदेश के बिलासपुर और सरगुजा जिलों के हसदो-अरंड कोयला क्षेत्र में 1.5 मिलियन टन कोयला भंडार हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) सुकिन्दा क्षेत्र के सम्बन्ध में प्रश्न नहीं उठता।

अन्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में, भन्डारों का दोहन व्यापक खोज कार्य के परिणामों पर निर्भर करेगा, जो कोल इंडिया लि० द्वारा किया जाएगा तथा उनकी आर्थिक उपादेयता का मूल्यांकन भी कोल इंडिया लि० द्वारा किया जायगा।

चाय और काफी के प्यालों की दरों का निर्धारण

3476. **श्री एन० ई० होरो :**

श्री जी. आई. कृष्णन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजधानी में चाय और काफी की (प्रति प्याला) दर निर्धारण की है ;

(ख) यदि हां, तो राजधानी में एक कप चाय और काफी का मूल्य कितना है ;

(ग) क्या विभिन्न दुकानों, रेस्टोरेंटों और सार्वजनिक उपयोग के अन्य स्थानों पर दरें भिन्न भिन्न हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का इस सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार करने का प्रस्ताव है क्योंकि दिल्ली में इसका उपयोग विशेष रूप से जन साधारण द्वारा किया जाता है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तथा (घ) दुकानों, रेस्टोरेंन्टों आदि द्वारा चाय/काफी की कीमतें (प्रति प्याला) दूध, चीनी चाय/काफी की क्वालिटी, सेवा का स्तर, उपरि व्यय की लागत आदि जैसे विभिन्न अन्तर्निवष्टों की लागत के आधार पर निर्धारित की जाती हैं इस स्थिति को देखते हुए चाय/काफी (प्रति प्याला) की समान दरें निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

काला बाजार करने वालों की गिरफ्तारी

3477. **श्री जय नारायण रोट :**

श्री मूल चन्द डागा : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान देश में गिरफ्तार किए गए काला-बाजार करने वालों की राज्यवार संख्या कितनी है ;

(ख) उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) उपर्युक्त अवधि में पकड़ी गई वस्तुओं की मात्रा कितनी है और उनका मूल्य कितना है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बृज मोहन महन्ती) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा लाक्षा के निर्यातकों से सेवा प्रभार लिया जाना

3478. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लाक्षा के निर्यात को सरकारी एजेंसी के माध्यम से किए जाने को समाप्त कर दिए जाने के बाद भी राज्य व्यापार निगम द्वारा लाक्षा के निर्यात पर 1/2 प्रतिशत की दर पर सेवा प्रभार लिए जाने के क्या कारण हैं ; और

(ख) राज्य व्यापार निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों में लाक्षा के निर्यातकों से सेवा प्रभार के रूप में कितनी राशि वसूल की गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) कपड़े का निर्यात राज्य व्यापार निगम की मार्फत सरणीबद्ध किया जाता रहा। 1-11-79 से राज्य व्यापार निगम सरलीकरण अभिकरण के रूप में दी गई सेवाओं के लिए आधा प्रतिशत सेवा प्रभार लगा रहा है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य व्यापार निगम द्वारा वसूल किये गये सेवा प्रभारों की मात्रा निम्नोक्त प्रकार है :

वर्ष	लाख रु० में
1977-78	14.27
1978-79	17.14
1979-80	13.83

इण्डियन एयरलाइंस की बोइंग सेवा शुरू करने के मानदण्ड

3479. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्डियन एयरलाइन्स द्वारा बोइंग सेवा शुरू करने के बारे में क्या मानदण्ड है ;

(ख) राजस्थान के उन शहरों के नाम क्या हैं जो नियमित बोइंग सेवा से जुड़े हुए हैं तथा उन स्थानों के नाम क्या हैं जिन्हें जोड़े जाने की सम्भावना है ;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव इस सेवा को औद्योगिक नगर कोटा तथा पर्यटन स्थल चित्तौड़गढ़ से जोड़े जाने का है ; और

(घ) राजस्थान में उन शहरों के नाम क्या हैं जिन्हें तीसरी विमान सेवा से जोड़े जाने की सम्भावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) इन्डियन एयरलाइंस द्वारा बोइंग सेवा परिचालित करने के लिए मूल कसौटी जोड़े जाने वाले प्रस्तावित स्टेशनों के बीच संभावित यातायात की मात्रा है।

(ख) फिलहाल इन्डियन एयरलाइंस राजस्थान में जयपुर तथा उदयपुर के लिए दैनिक बी-737 सेवाएं परिचालित करती है। जोधपुर को बी-737 सेवाओं द्वारा जोड़े जाने की संभावना है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि वायुदूत सेवाओं का विस्तार करके उन्हें देश के अन्य भागों में भी परिचालित करने पर सरकार विचार कर रही है। राजस्थान में विमान सेवा से जोड़े जाने के लिए सिफारिश किए गए स्टेशन हैं : जयपुर, बीकानेर, कोटा तथा अलवर।

काठगोदाम में स्पंज लौह संयंत्र

3480. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार काठगोदाम में स्पंज लौह संयंत्र के परिणामों को देखते हुए उसे एक सफल उद्यम मानती है ; और

(ख) यदि हां, तो देश में ऐसे संयंत्रों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) यह संयंत्र वस्तुतः एक प्रदर्शन-संयंत्र है और इसका हाल ही में 31-12-1980 को उद्घाटन किया गया था। 100 प्रतिशत अकोकर कोयले का उपयोग करके स्पंज लोहे का उत्पादन करने का पहली बार प्रयास किया जा रहा है। हमको एक सफल प्रयास केवल तभी माना जा सकता है जब यह संयंत्र बिना किसी रुकावट के लम्बी अवधि तक चलता रहे।

(ख) उपर्युक्त प्रदर्शन संयंत्र के अलावा सरकार ने उड़ीसा और बिहार में क्रमशः 300,000 टन और 120,000 टन वार्षिक क्षमता के स्पंज लोहे के कारखाने लगाने के बारे में भी आशय-पत्र जारी किए हैं। उड़ीसा के लिए स्वीकृत 150,000 टन की क्षमता का एक कारखाना पहले ही लगाया जा रहा है। सरकार पहले इन कारखानों का कार्यकरण देखनी चाहती है। सरकार ने एक अन्तः मंत्रालय समिति भी गठित की है जो अन्य बातों के साथ-साथ कारखाने के अति-मितव्ययी आकार, उनके स्थल आदि जैसे मामलों पर विचार करेगी।

बैंकों में डकैतियां

3481. **श्री रामजी भाई मावणि** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1977 से 1979 के दौरान तथा 1 फरवरी, 1980 से 31 जनवरी, 1981 की अवधि के दौरान देश के विभिन्न बैंकों में डकैतियों की घटनाएं हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उक्त डकैतियों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) प्रत्येक बैंक से कितनी राशि चुराई गयी ;

(घ) उक्त डकैतियों के दौरान कितने कर्मचारी मारे गए और जख्मी हुए;

(ङ) प्रत्येक मामले में कर्मचारियों को कितना मुआवजा दिया गया; और

(च) सरकार ने उक्त डकैतियों को रोकने और कर्मचारियों और गारद के बचाव के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई वरोट) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथा उपलब्ध सूचना सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

बिहार में काम कर रहे बैंकों में कुल जमा पूंजी

3482. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कार्य कर रहे प्रत्येक बैंक में कुल जमा पूंजी कितनी है तथा उनके द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान क्रमश: कितना ऋण दिया गया ;

(ख) सम्पूर्ण बिहार विशेषकर मधुबनी, दरभंगा जिलों में इन बैंकों द्वारा कृषि, बाग बानी, पशु-सवर्द्धन, कुटीर उद्योग, छोटे लघु उद्योग, छोटे उद्यग, मध्यम उद्योग, बड़े उद्योग, थोक व्यापार तथा फुटकर व्यापार में इनके द्वारा किए गए ऋणों का अलग अलग प्रतिशत क्या है ; और

(ग) मधुबनी और दरभंगा जिलों की प्रत्येक शाखा में 4 सप्ताह से ज्यादा अवधि से विचाराधीन पड़े ऋण-आवेदन पत्रों की कुल संख्या क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) बिहार राज्य में कार्य कर रहे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कुल जमाओं तथा सकल बैंक ऋणों (स्वीकृति के अनुसार) के, बैंक समूहवार वितरण के आंकड़े नीचे दिये गए हैं :

(करोड़ रुपए)

मार्च के अंतिम शुक्रवार की स्थिति की अवधि	भारतीय स्टेट बैंक तथा इसके सहयोगी		14-राष्ट्रीयकृत बैंक		क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों समेत अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक		जोड़	
	जमा	अग्रिम	जमा	अग्रिम	जमा	अग्रिम	जमा	अग्रिम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1978	395.25	197.27	454.60	165.94	15.75	9.65	865.60	372.86
1979	496.85	230.64	568.49	203.33	26.61	16.13	1091.95	450.10
1980	566.07	287.82	701.06	250.65	44.98	25.31	1312.11	563.78

(ख) आंकड़े जिस रूप में मांगे गये हैं, उस रूप में सूचना प्रणाली द्वारा इकट्ठे नहीं किए जाते। बिहार राज्य तथा मधुबनी और दरभंगा जिलों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया ऋणों के क्षेत्रवार विस्तार से संबन्धित उपलब्ध आंकड़े विवरण में दिये गए हैं।

(ग) जिला स्तर पर बकाया ऋण आवेदनपत्रों के सम्बन्ध में सूचना देने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, पिछले वर्ष एक संशोधित आंकड़ा सूचना प्रणाली विकसित की गई है। लेकिन, सभी बैंकों के संबंध में विस्तृत एवं पूर्ण, आंकड़ों का संग्रह सभी सम्भव नही हो पाया है।

विवरण

उपभोग के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया ऋणों का राज्यवार/जिलावार/व्यवसायवार वर्गीकरण।

(जून, 1979 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार)

(लाख रुपए)

	बिहार	मधुबनी	दरभंगा
1. कुल ऋण, जिसमें से	56074.36	247.00	806.01
एस०एस०आई०	5398.30	17.28	57.60
2. कृषिः जिसमें से	10153.90	117.43	242.33
(क) प्रत्यक्ष वित्त	7664.84	114.12	228.12
(ख) अप्रत्यक्ष वित्त	2489.06	3.31	14.21
3. उद्योग	31402.45	22.44	349.44
4. व्यापार, जिसमें से	4596.36	23.44	74.55
(क) थोक व्यापार	2038.94	1.39	21.52
(ख) फुटकर व्यापार	2557.42	22.05	53.03
5. अन्य सभी	4023.35	66.41	82.09

आयात लाइसेंस

3483. श्री रास बिहारी बेहरा : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा अप्रैल, 1980 से फरवरी, 1981 की अवधि के दौरान जारी किए गए आयात लाइसेंसों में कितनी विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त है ; और

(ख) इन आयातों की मदद से सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा अर्पित किए जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खांन) : (क) अप्रैल 1980 से जनवरी, 1981 की अवधि के दौरान जारी किए गए आयात लाइसेंसों का मूल्य 4298 करोड़ रु० था।

(ख) आयात लाइसेंस, घरेलु बाजार तथा निर्यात उत्पादन दोनों के लिए आयातित कच्चे माल संबंधी उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा उन आवश्यक वस्तुओं का आयात करके, जिनकी देश में कम सप्लाई है, कीमत स्थिर बनाए रखने के दोहरे उद्देश्यों से जारी किए जाते हैं। इसलिए, विदेशी मुद्रा आय पर आयात लाइसेंसिंग के प्रभाव का अनुमान लगाना संभव नहीं होगा।

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा सरकरी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के उपबन्धों के अधीन दायर मुकदमे

3484. श्री आरिफ मोहम्मद खान : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम ने सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के उपबन्धों के अधीन बेदखली के कितने मुकदमे दायर किये ; और

(ख) कितने मामलों में डिक्रियां जारी की गई, कितने मामलों में समझौते किये गये और कितने मामले अभी भी न्यायलयों में लम्बित हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) 425

(क) मामलों का वर्गीकरण	संख्या
डिक्री हुए मामले	67
समझौता हुए मामले	98
विखंडित हुए मामले	6
न्यायालयों में विचाराधीन मामले	42
सम्पदा अधिकारी के सम्मुख विचाराधीन मामले	212
	425

निजी क्षेत्रों को दी गई रियायतों और प्रोत्साहन को समाप्त किया जाना

3485. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि औद्योगिक समुदाय अर्थ-व्यवस्था में औद्योगिक निवेश को पुनः सक्रिय करने के लिए सरकार द्वारा दी गई विभिन्न रियायतों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं ?

(ख) यदि हां, तो क्या निजी क्षेत्र को दी गई रियायतों तथा प्रोत्साहन को समाप्त करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है तो सरकार इस समस्या से कैसे निपटेगी ?

वित्त मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) से (ग) सरकार ने 1980-81 के दौरान अर्थव्यवस्था में औद्योगिक निवेश को पुनः सक्रिय करने के लिए विभिन्न राजकोषीय, मौद्रिक और अन्य उपाय किए हैं। इसके परिणामस्वरूप 1980-81 के मध्य से औद्योगिक उत्पादन और निवेश में स्थिति को बदलना संभव हुआ। आशा है कि यह सुधार जारी रहेगा और 1981-82 में इसकी गति में वृद्धि होगी। उभरती हुई आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निवेश और बचत को बढ़ावा देने के लिए दिए जाने वाले राजकोषीय, मौद्रिक और अन्य प्रोत्साहनों की बराबर पुनरीक्षा की जाती है।

महाराष्ट्र के मछुआरों द्वारा किए गए अभ्यावेदन

3486. **श्री ए० टी० पाटिल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के मछुआरों द्वारा दिए गए उन अभ्यावेदनों पर सरकार ने क्या निर्णय किया है जिसमें भारत सरकार से (एक) निर्यात योग्य सिल्वर फास्फेट के भार की न्यूनतम सीमा को (500 ग्राम की वर्तमान सीमा के स्थान पर) घटा कर 300 ग्राम करने; और (दो) निर्यात योग्य मछली पर निरीक्षण शुल्क में उचित कमी करने का अनुरोध किया गया है ; और

(ख) उक्त निर्णय के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) समुद्री खाद्य पदार्थ निर्यातकों से प्राप्त अभ्यावेदनों तथा समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण तथा महाराष्ट्र राज्य सरकार की सिफारिश पर 5000 मी० टन के कोटे के भीतर 300 ग्राम से 500 ग्राम आकारों के बीच के सिल्वर फास्फेट के निर्यात की अनुमति देने का विनिश्चय किया गया था। इसके अतिरिक्त 500 ग्राम तथा उससे अधिक के निर्यात की अनुमति ओ. जी. एस. के आधार पर दी जाती है। यह विनिश्चय समुद्री उत्पादों के निर्यात बढ़ाने के लिए किया गया है। निर्यात योग्य मछली पर निरीक्षण फीस को उनके वास्तविक मानदण्ड के समकक्ष कर दिया गया है।

आवश्यक वस्तुओं के खुदरा मूल्यों में बढ़ती हुई प्रवृत्ति और थोक मूल्यों में कमी होने की प्रवृत्ति

3487. श्री कृष्ण प्रताप सिंह : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि खुले बाजार में आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में अभी तक वृद्धि हो रही है हालांकि इन्होंने थोक मूल्यों में कमी होने की प्रवृत्ति दिखाई है ; और

(ख) जनसाधारण को उचित मूल्यों पर आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) थोक मूल्यों में होने वाली कमी के खुदरा स्तर पर प्रतिबिंबित होने में लगने वाले समय तथा संचलन सम्बन्धी अस्थाई बाधाओं जैसी कुछ बातों को देखते हुए, आवश्यक वस्तुओं के खुदरा मूल्यों का रुख सामान्यतया उनके थोक मूल्यों के रुख के अनुरूप ही रहा है।

(ख) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के रुख को रोकने के लिए सरकारी नीति में मुख्य रूप से उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार किया जा रहा है। चालू तेल वर्ष के लिए खाद्य तेलों का आयात करने की व्यवस्था कर दी गई है, ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उनकी आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। आवश्यक वस्तुओं के निर्यात का नियमन किया जा रहा है और कम मात्रा में उपलब्ध कुछ आवश्यक वस्तुएं आयात की जा रही हैं। मुद्रा आपूर्ति तथा ऋण के अनावश्यक प्रसार को नियन्त्रित किया जा रहा है। राज्यों द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा उसके तहत जारी किए गए आदेशों और चोर बाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय बनाए रखना अधिनियम, 1980 के उपबंधों को सख्ती से लागू किया जा रहा है।

दिल्ली में उचित दर की दुकानों में गेहूं, चीनी तथा मिट्टी के तेल की सप्लाई न होना

3488. श्री छोटू भाई गामित :

श्री पी. एम. सईद :

श्री एन. ई. होरो :

श्री के. प्रधानी :

श्री अर्जुन सेठी :

श्री के. मालन्ना : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दो महीनों से दिल्ली में उचित दर की दुकानों को गेहूं, चीनी तथा मिट्टी के तेल की नियमित सप्लाई प्राप्त नहीं हो रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली के नागरिकों को इसके लिए लम्बी लाईन में प्रतीक्षा करनी पड़ती है ;

(ग) क्या समय पर मिट्टी के तेल के उपलब्ध न होने तथा कुकिंग गैस के खत्म होने पर गैस कनेक्शन धारियों को कोयले की कम सप्लाई होने के कारण उन्हें भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : दिल्ली प्रशासन के अनुसार, गत दो महीनों के दौरान मिट्टी के तेल की कोई कमी नहीं थी । तथापि, गेहूं और चीनी की अस्थाई कमी हुई थी ।

(ख) सामान्यतया, दिल्ली में लोगों को लम्बी लाइनों में प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है । तथापि, हर पखवाड़े के शुरू में, जब उचित दर की दुकानों से वस्तुएं लेने के लिए भीड़ हो जाती है, तब कभी-कभी लाइनें लगती हैं ।

(ग) पिछले दो महीनों के दौरान मिट्टी के तेल और साफ्ट कोक की कोई कमी नहीं थी ।

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर राज्यों, जिसमें संघ शासित क्षेत्र दिल्ली भी शामिल है, को संभव सीमा तक आवश्यक वस्तुओं का अतिरिक्त आबंटन किया जा रहा है ।

आय-कर छापे

3489. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में सारे देश में आय-कर छापों में तेजी की है ;

(ख) यदि हां, तो गत छः महीनों के दौरान कितनी लेखा वाह्य नकदी तथा घोषित न की गई सार्वाधिक जमाराशियों की रसीदें पकड़ी गई हैं ; और

(ग) कौन कौन सी श्रेणी के व्यवसायियों से घोषित न की गई विशाल धनराशियां बरामद की गई हैं और कितने मामलों में कर-वंचकों पर जुर्माने किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 1 अप्रैल 1980 से 28 फरवरी 1981 तक आयकर विभाग ने 3339 तलाशियां ली हैं,

जबकि 1 अप्रैल 1978 से 31 मार्च 1979 तक तथा 1 अप्रैल 1979 से 31 मार्च 1980 तक की अवधि के दौरान क्रमशः 1345 तथा 2109 तलाशियां ली गई थीं। इससे पता चलता है कि इस वित्तीय वर्ष में ली गई तलाशियों की संख्या पिछले दो वर्षों में से किसी भी वर्ष में ली गई तलाशियों की संख्या से अधिक है।

(ख) 1 सितम्बर 1980 से 28 फरवरी 1981 तक की अवधि में ली गई तलाशियों के दौरान, प्रथम दृष्टया लगभग 10.21 करोड़ रु० की लेखा-वाह्य परिसम्पतियां पकड़ी गई हैं।

(ग) उद्योगपतियों, व्यावसायिकों, व्यष्टियों, फर्मों आदि सहित सभी श्रेणियों के कर-निर्धारितियों से परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण किया गया है। इन सभी मामलों में कानून के अनुसार समुचित कार्यवाही की जा रही है।

बिहार के पूर्णिया, कटिहार और सहरसा जिलों में न खरीदे गए पटसन के स्टाक का होना

3490. **श्रीमती कृष्णा शाही :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1980-81 में भारतीय पटसन निगम द्वारा अब तक बिहार में की गई पटसन की खरीद 1979-80 के दौरान की गई खरीद की तुलना में बहुत कम है ;

(ख) क्या यह सच है कि पूर्णिया, कटिहार और सहरसा जिलों में विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों के पास अभी तक न खरीदे गये पटसन का भारी स्टाक पड़ा हुआ है ;

(ग) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1980 से भारतीय पटसन निगम द्वारा खरीद कार्यों को बन्द किए जाने से बिहार में पटसन उत्पादकों के लिए गंभीर विपणन समस्यायें उत्पन्न हो गयी हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि जूट आयुक्त द्वारा निर्धारित किए गए पटसन के न्यूनतम सांविधिक मूल्य लाभप्रद नहीं हैं ; और

(ङ) बिहार में पटसन उत्पादकों की विपणन कठिनाइयां दूर करने के लिए कौन से कदम विचाराधीन हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) भारतीय पटसन निगम ने 1980-81 में बिहार में कच्चे पटसन की 301.3 हजार गांठों की अधिप्राप्ति की है जबकि 1979-80 के दौरान 263.1 हजार गांठों की अधिप्राप्ति की थी।

(ख) छोटे तथा सीमान्त किसान सामान्यतः अपनी उपज का निपटान दीवाली, दशहरा तथा ईद त्यौहारों की अवधि के दौरान करते हैं क्योंकि उस समय उन्हें नकद राशि की जरूरत

होती है और उनमें इतनी क्षमता नहीं होती कि फसल [illegible] रखें और बाजार में न ले जाएं। अत: ऐसी संभावना नहीं है कि अब उनके पास भारी मात्रा में उनकी उपज पड़ी होगी।

(ग) भारतीय पटसन निगम ने पहले ही 1980-81 में बिहार में पटसन के कुल उत्पादन के 26.2 प्रतिशत की अधिप्राप्ति कर ली है जबकि अखिल भारतीय औसत अधिप्राप्ति 12.9 प्रतिशत ही रही।

(घ) पटसन की कानूनी न्यूनतम कीमत कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर निश्चित की गई है जो अन्य बातों के साथ साथ खेती की लागत को भी ध्यान में रखता है।

(ङ) 1981-82 के दौरान भारतीय पटसन निगम के अधिप्राप्ति प्रचालनों सम्बन्धी कार्यवाही योजना के अन्तर्गत बिहार में पटसन उपजकर्ताओं की विपणन कठिनाइयों को भी ध्यान में रखा जाएगा।

विदेशी मुद्रा रिजर्व

3491. **श्री बी० वी० देसाई :**
श्री पी० एम० सईद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस० डी० आर० को छोड़कर भारत का विदेशी मुद्रा भण्डार चालू वर्ष के दौरान 800 करोड़ रुपए के लगभग कम होने की संभावना है और आगामी वर्ष के प्रारम्भ में 4,600 करोड़ रुपए तक रह जाने की संभावना है ;

(ख) क्या विदेशी मुद्रा रिजर्व भंडारों में ह्रास की स्थिति चिन्ताजनक है ;

(ग) यदि हां तो उसके मुख्य कारण क्या हैं ; और

(ग) इस स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) अनुमान है कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार (सोने और विशेष आहरण अधिकारों को छोड़कर) में अगले वित्तीय वर्ष के शुरू में लगभग 600 करोड़ रुपए की कमी हो जाएगी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) विदेशी मुद्रा भण्डार में होने वाले परिवर्तन अन्य देशों के साथ भारत लेन देनों का निवल परिणाम होते हैं जिनका ब्यौरा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भुगतान शेष के आंकड़ों का संकलन कर लिए जाने के बाद ही उपलब्ध होगा। लेकिन मोटेतौर पर विदेशी मुद्रा भंडार (सोने और विशेष आहरण अधिकारों को छोड़कर) में कमी के मुख्य कारण ये हैं :—

दिसम्बर, 1978 और जनवरी, 1981 के बीच तेल के आयात के बिल में भारी वृद्धि हो गई है ; आयात की जाने वाली बहुत सी अन्य वस्तुओं की कीमतों में भी तेजी से वृद्धि हुई है ।

विदेशों में मंदी की परिस्थितियां बने रहने और औद्योगिक देशों में प्रतिबन्धात्मक व्यापारिक प्रथाओं पर जोर देने के संदर्भ में निर्यात की गति, जो 1976-77 तक बहुत गतिशील थी, शिथिल रही है । इसके अलावा, घरेलू उत्पादन को रुकावटों और विशेष रूप से आधारभूत ढांचे से सम्बन्धित रुकावटों के कारण भी निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ।

(घ) सरकार विदेशी मुद्रा भण्डार पर पड़ने वाले दबावों को कम करने और इस भंडार को बढ़ाने के मार्ग में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए कोई कदम उठा रही है उनमें ये शामिल हैं :—

(1) आधारभूत ढांचे के कार्यचालन में सुधार करने, उत्पादन में आने वाली रुकावटों को दूर करने, क्षमता का बेहतर उपयोग करने और आयात में कमी करने के लिए उत्पादन के आवश्यक क्षेत्रों में क्षमता का विस्तार करने के विभिन्न उपाय (2) (क) देश में तेल और गैस के अन्वेशण और उत्पादन के काम में तेजी लाकर आयातित कच्चे तेल पर भारी निर्भरता को कम करने, (ख) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास करने, और (ग) निर्यात के कार्यनिष्पादन में वृद्धि करने के लिए भी प्रयत्न किए जा रहे हैं ताकि देश विकास और आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर अर्थव्यवस्था की आयात सम्बन्धी बढ़ती हुई आवश्यकताओं के लिए अदायगी कर सके ।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों द्वारा मैनेजरों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार

3492. **श्री राजेश कुमार सिंह :**
श्री जगपाल सिंह :
प्रो० अजित कुमार मेहता : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 के दौरान देश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों द्वारा मैनेजरों और वरिष्ठ अधिकारियों पर आक्रमण करने, उनका घेराव करने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने के कितने मामले हुए हैं ;

(ख) इन घटनाओं के लिए सरकार किन कारणों को जिम्मेदार समझती है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों से सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

सीमा शुल्क द्वारा प्रतिबंधित वस्तुएं पकड़ा जाना

3493. **श्री राजेश कुमार सिंह :**

श्री चिरंजी लाल शर्मा :

श्री बी० डी० सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमाशुल्क तथा अन्य तस्करी विरोधी विभागों द्वारा वर्ष 1980 में पकड़ी गई प्रतिबंधित वस्तुओं का मूल्य भारत में वस्तुत: तस्करीकृत वस्तुओं के मूल्य से कहीं कम था ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1979 की तुलना में वर्ष 1980 के दौरान पकड़ी गई प्रतिबंधित वस्तुओं का मूल्य कितना था और इस अवधि में भारत में वस्तुत: तस्करी करके लाई गई वस्तुओं का मूल्य कितना था ;

(ग) भारत में तस्करी करके लाई गई वस्तुएं कम मात्रा में पकड़े जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) भारत बड़े-बड़े तस्कर गिरोहों का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं और उसके क्या परिणाम निकले ; और

(ङ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) वर्ष 1980 के दौरान देश में तस्करी द्वारा लाए गए अथवा ले जाए गए माल के मूल्य का कोई अधिकृत अनुपात उपलब्ध नहीं है । तथापि, वर्ष 1980 में सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा 52.83 करोड़ रुपये का मूल्य का माल पकड़ा गया जबकि वर्ष 1979 में 40.42 करोड़ रुपये मूल्य का माल पकड़ा गया था ।

(घ) और (ङ) तस्करी के विरुद्ध अभियान एक सतत प्रक्रिया है और तस्करी को रोकने के लिए सीमाशुल्क अधिकारी निरन्तर सतर्क रहते हैं । अत: सीमा शुल्क विभाग का आसूचना तथा निवारक तंत्र निरन्तर, तस्करी के संगठित क्रियाकलापों के पीछे जो प्रमुख गिरोह होते हैं, उनकी शिनाख्त करने तथा उन्हें निष्क्रिय बनाने में लगा रहता है ।

केरल में पर्यटन के लिए परियोजनाएं/योजनाएं

3494. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पर्यटन विभाग, पर्यटन मन्त्रालय, भारत सरकार तथा भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा केरल में शुरू की गई परियोजनाओं के अन्तर्गत कितना क्षेत्र आया और उन से योजनाओं तथा परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : पर्यटन विभाग और भारत पर्यटन विकास निगम ने संयुक्त रूप से केरल में त्रिवेन्द्रम के निकट कोवलम को समुद्र तट बिहार के रूप में विकसित किया है । इस परियोजना पर अब तक 271.75 लाख रुपये का खर्चा किया जा चुका है । कोवलम लाख रुपए में 11.30 लाख रुपये की लागत से योगा-कम-मसाज सेन्टर जैसी अतिरिक्त सुविधा की व्यवस्था की गई है । कोबलम में बीच सर्विस सेन्टर के निर्माण के लिए 11.16 लाख रुपए की वित्तीय मंजूरी दे दी गई है । कार्य के शीघ्र ही शूरू हो जाने की आशा है ।

भारत पर्यटन विकास निगम ने अपने कोवलम होटल में सुधार करने तथा नवीकरण के लिए 1980-81 के दौरान 8.66 लाख रुपए खर्च किए हैं ।

जहां तक केरल में अन्य केन्द्रों के विकास का सवाल है, अभिनिर्धारित यात्रा परिपथों के साथ-साथ केन्द्रीय और राज्य सेक्टर में विकास के लिए प्रारम्भ की जाने वाली स्कीमों को अंतिम रूप देने के लिए इसी माह केरल सरकार के पर्यटक अधिकारियों के साथ विचार-बिमर्श तय किया गया है ।

भारतीय पर्यटन विकास निगम की गतिविधियों को विभाजित करने की योजना

3495. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय पर्यटन विकास निगम को दो पृथक-पृथक संगठनों में विभाजित करने की कोई योजना बना रही है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और ऐसा निर्णय लेने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बैंगनों के लिए, सोवियत रूस का आर्डर

3496. **श्री बसंत कुमार पंडित** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 नवम्बर, 1980 के "फाइनांशियल एक्सप्रेस" में "स्पीज 4 करोड़ यू. एस. एस. आर. आर्डर फार सी. ई. सी." नामक शीर्षक के समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न देशों द्वारा बनाए गए सवारी डिब्बों और माल डिब्बों का विवरण क्या है और उनकी कीमत क्या है और उनका निर्यात कब तक किया जाएगा ;

(ग) क्या रेल के सवारी डिब्बों और माल डिब्बों के निर्यात के कुछ और आर्डर भी प्राप्त हुए हैं ; यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है ;

(घ) यदि नहीं, तो विश्व के बाजारों में बिक्री न कर पाने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) अन्य देशों को सवारी डिब्बों और माल डिब्बों तथा इंजनों आदि के निर्यात में वृद्धि के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय परियोजना तथा उपस्कर निगम द्वारा इस समय क्रियान्वित की जा रही संविदाएं निम्नोक्त हैं :—

देश	मद	जिस तारीख को सुपर्दगी पूरी की जानी है	माल का कुल मूल्य (करोड़ रु० में)
नाइजीरिया	32 ब्रेक वैनें (सवारी डिब्बे)	31-5-82	
	50 माल डिब्बे	31-3-82	
आम्बिका	30 माल डिब्बे	31-10-81	
बंगला देश	(1) 135 माल डिब्बे (33 माल डिब्बे अभी सुपुर्द किए जाने हैं)	30-6-81	38.91
	(11) 50 माल डिब्बे	30-4-81	,,
वियतनाम	980 माल डिब्बे		
	50 सवारी डिब्बे (133 माल डिब्बे अभी सुपुर्द किए जाने हैं)	30-6-81	,,

(ग) से (ङ) भारतीय परियोजना तथा उपस्कर निगम लि० विभिन्न देशों के साथ वार्ताएं कर रहा है और उन्हें माल डिब्बों की सप्लाई के लिए पेशकश की है । इसके अलावा परियोजना तथा उपस्कर निगम का अन्य देशों द्वारा भेजे गए अन्तर्राष्ट्रीय टेण्डरों के आधार पर भी पेशकश करने का विचार है । क्रयादेश प्राप्त करने में मिलने वाले सफलता की सीमा कीमतों ऋण शर्तों तथा विशिष्टियों, प्रतियोगियों द्वारा पेश की गई शर्तों आदि जैसे कारकों पर निर्भर करती है ।

परियोजना तथा उपस्कर निगम माल डिब्बों आदि के निर्यात बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रहा है, जैसे कि :

—विदेशी खरीदारों के साथ व्यक्तिगत संपर्क बनाए रखना ;

—भावी खरीदारों को भारतीय सक्षमताओं से परिचित कराने के वास्ते उन्हें आमंत्रित करना ; तथा

—विदेशों में मेलों व प्रदर्शनियों में भाग लेना ।

ब्रिटिश सरकार द्वारा थाल उर्वरक परियोजना के लिए वित्तीय सहायता

3497. **श्री सी. टी. दण्डपाणी** : क्या वित मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश सरकार ने थाल उर्वरक परियोजना के लिए वित्तीय सहायता देने की पेशकश की है ; और

(ख) क्या ग्रेट ब्रिटेन की सरकार ने उक्त सहायता देने के बारे में कोई शर्तें लगाई हैं और यदि हां, तो वे क्या हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) तथा (ख) थाल उर्वरक परियोजना की लागत के एक भाग की पूर्ति के लिए ब्रिटिश अनुदान के संबंध में हमने जो अनुरोध किया है, वह युनाइटेड किंगडम की सरकार के विचाराधीन हैं ।

यशोदा फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड बम्बई

3498. **श्री निहाल सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यशोदा फैक्टरी प्राइवेट लिमिटेड, हमान स्ट्रीट फोर्ट, बम्बई-23 ने जिसका स्थायी लेखा संख्या 3400-सी. एन.-0219/वी० एम० वाई०/कोमसर 1 (5) 78-79 है, वर्ष 1973-74, 1974-75 तथा 1975-76 के गत तीन वर्षों के दौरान भारी घाटा दिखाया गया है और एस० वाई० 2033 तथा एस० वाई० 20.34 ने उक्त अवधि में भारी मुनाफा कमाया था जिसके लिए विवरणियां पेश नहीं की गई थी तथा आयकर अदा नहीं किया था, और इस प्रकार

अर्जित किए गए मुनाफे को (एक) एशियन इलेक्ट्रानिक्स, (दो) हम्सा ट्रेडिंग कम्पनी, (तीन) एवरेस्ट विल्डर्स, तथा (चार) चिराग एन्टरप्राइज कम्पनियों में निवेशित किया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई जाँच कराई है तथा उसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) यह बात सत्य है कि मैसर्स यशोदा फैक्टरी प्रा० लि० ने कर निर्धारण वर्ष 1973-74, 1974-75 तथा 1975-76 के दौरान काफी हानि दिखाई है । कम्पनी ने लेखा वर्ष सम्वत् 2033 से संगत कर-निर्धारण वर्ष 1978-79 की कोई विवरणी दाखिल नहीं की । इस वर्ष का कर-निर्धारण कुल 8 लाख रुपए की आय पर एक तरफा पूरा कर दिया गया है । कम्पनी ने न तो कोई विवरणी ही दाखिल की है और न लेखा वर्ष सम्वत् वर्ष 2034 से संगत कर-निर्धारण वर्ष जो वर्ष 1979-80 है । से संबंधित कोई कर-निर्धारण अभी तक पूरा किया है । कम्पनी ने, एशियन इलेक्ट्रानिक्स कम्पनी लि० हम्सा ट्रेडिंग कम्पनी, मैसर्स एवरेस्ट विल्डर्स कम्पनी तथा चिराग एण्टरप्राइजेज में कुल 4.15 लाख रुपये की रकम लगाई है । एशियन इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनी लि० तथा मैसर्स हम्सा ट्रेडिंग कम्पनी में सन 1977 तथा 1978 में लगाई गई पूंजी क्रमश: सन् 1979 तथा 1980 में वापस प्राप्त हो गयी है । बताया गया है कि ये पेशगी रकमें बारूद तथा बानी स्थित कारखानों की बिक्री से हुई आमदनी में से अदा की गई हैं ।

(ख) जांच के बाद कर-निर्धारण पूरे कर लिये गये हैं और इसके अतिरिक्त और कोई जांच पड़ताल आरम्भ नहीं की गई है ।

छठी योजना अवधि के दौरान पटसन का उत्पादन बढ़ाने का प्रस्ताव

3499. **श्री रामचन्द्र रथ** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में छठी योजना अवधि के दौरान पटसन का उत्पादन बढ़ाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या देश में कुछ नई पटसन मिलों की स्थापना करने का भी सरकार का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो उड़ीसा में सरकार कितनी पटसन मिलें लगायेगी ।

(घ) ये मिलें कहां-कहां पर होंगी ; और

(ङ) नई मिलों में प्रति वर्ष अनुमानत: कितना उत्पादन होने की आशा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) से (ङ) मामला विचाराधीन है ।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा श्रमिकों की छंटनी

3500. **श्री रामचन्द्र रथ** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने अपनी श्रम राष्ट्रीयकरण योजनाओं के क्रियान्वयन पर बहुत बड़ी संख्या में श्रमिकों की छंटनी की है ;

(ग) क्या इन राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों द्वारा छंटनी किए गए श्रमिकों को पूरा मुआवजा तथा टर्मिनल लाभ दिया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो इन कपड़ा मिलों से समुचे देश में कुल कितने श्रमिकों की छंटनी की गई ;

(घ) निगम अथवा सरकार ने मुआवजे के रूप में कुल कितनी राशि अदा की है ; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा चलाई गई श्रमिक सुव्यवस्थीकरण योजना के अन्तर्गत 31 दिसम्बर, 1980 को 4,742 श्रमिकों की छंटनी की गई थी । यह योजना पूर्ण रूप से स्वैच्छिक है तथा इस पर श्रमिक यूनियनों के साथ पूर्व परामर्श आवश्यक है । इन श्रमिकों को दिए गए मुआवजे तथा टर्मिनल लाभ निगमवार निम्नोक्त प्रकार हैं :—

	लाख रु० में
1. राष्ट्रीय वस्त्र निगम (दिल्ली, पंजाब तथा राजस्थान) लि०	13.07
2. राष्ट्रीय वस्त्र निगम (उत्तर प्रदेश) लि०	85.69
3. राष्ट्रीय वस्त्र निगम (मध्य प्रदेश) लि०	295.95
4. राष्ट्रीय वस्त्र निगम (महाराष्ट्र नार्थ) लि०	122.06
5. राष्ट्रीय वस्त्र निगम (साउथ महाराष्ट्र) लि०	138.53
6. राष्ट्रीय वस्त्र निगम (गुजरात) लि०	123.40

7. राष्ट्रीय वस्त्र निगम (आंध्र प्रदेश)कर्नाटक, केरल तथा माही) लि०	242.80
8. राष्ट्रीय वस्त्र निगम (तमिलनाडू तथा पांडिचेरी) लि०	176.85
9. राष्ट्रीय वस्त्र निगम (प० बंगाल, आसाम, बिहार तथा उड़ीसा) लि०	90.41
योग	1338.76

कर्नाटक में सरकारी क्षेत्र के उद्योग की स्थापना करना

3501. **श्री जर्नादन पुजारी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 1981-82 के दोरान कर्नाटक में सरकारी क्षेत्र में नए उद्योगों की स्थापना करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) 1981-82 में कर्नाटक स्थित केन्द्रीय सरकार की कुछ प्रमुख औद्योगिक एवं खनिज परियोजनाओं के अनुमानित पूंजी परिव्यय का बिवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

1981-82 में कर्नाटक प्रस्तावित केन्द्रीय औद्योगिक एवं खनिज परियोजनाओं का अनुमानित पूंजी परिव्यय

क्रमांक	परियोजना/योजना	(करोड़ रुपयों में) 1981-82 परिव्यय
1.	विजयनगर इस्पात कारखाना	0.60
2.	कुद्रेमुख आइरन ओर कं० लि०	15.10
3.	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम	
	(1) डोनीमलाई खानें	0.10

4. भारत गोल्ड माइन्स लि०	5.12
5. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०	
(1) सी० ई० डी० चरण-I	1.50
(2) मृद्भाण्ड प्रभाग	0.10
(3) प्रतिस्थापन, नवीयन, आधुनिकीकरण बस्ती* आदि	1.10
6. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि०	
(1) हथघड़ी परियोजना, तुम्कुर	1.07
(2) क्वार्ट्स क्रिस्टल्स प्रोजेक्ट	0.20
(3) मशीनी औजार कक्ष	0.50
(4) लघु शृंखला परियोजना	0.50
(5) एल० सी० डी० पेनल परियोजना	0.20
(6) पुर्नस्थापन, आधुनिकीकरण,* बस्ती आदि	3.00
(7) एस० एण्ड० टी० कार्यक्रम	0.75
(8) समतुल्य हथघड़ी परियोजना	0.30
7. तुंगभद्रा स्टील प्रोड्क्ट्स लि०	0.61
8. एस० एण्ड० टी० कार्यक्रम (सी० एम० टी० आई० बंगलोर)	0.83

*अनुमानित परिव्यय

ब्रिटेन की नागरिकता प्राप्त भारतियों को पूंजी निवेश की अनुमति

3502. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन भारतियों को, जिन्होंने ब्रिटेन की नागरिकता स्वीकार कर ली थी, भारत में अपने उपक्रम प्रारम्भ करने के लिए भारत के विभिन्न उपक्रमों में उन्हें अपना पूंजी निवेश —करने की अनुमति दे दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) अनिवासी भारतीयों को देश में पूंजी निवेश करने के सम्बन्ध में उन भारतीयों को भी सुविधाएं दी गई हैं जो विदेशों के नागरिक हैं। अधिकतर अनिवासी भारतीय एक लम्बे अरसे से विदेशों में रह रहे हैं और वे लोग या तो वहां के नागरिक हैं अथवा उनके पास विदेशी पासपोर्ट हैं।

(क) जिन मामलों में निवेशित राशियों को वापस लौटाए जाने का अधिकार नहीं है उनमें अनिवासी भारतीयों को, किसी सीमा तक की शेयरधारिता बिना किसी प्रतिबन्ध के रखते हुए किसी भी कार्य क्षेत्र में पूंजी निवेश करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं दी गई हैं। जहां स्वदेश लौटाए जाने का अधिकार दिया गया हो, वहां एक चयनात्मक सूची में दी गई नई कम्पनियों के नए निर्गमों में 20 प्रतिशत तक निवेश करने की अनुमति है और परिशिष्ट 1 के क्षेत्रों तथा निर्यात प्रधान उद्यमों में 74 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति दी जाती है।

चाय, पटसन, काफी और रबड़ बागान को सरकारी नियन्त्र में लेने का प्रस्ताव

3503. **श्री के.ए. राजन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पटसन मिलों, जाय बागान, काफी बागान और रबड़ बागाद को अपने नियंत्रण में लेने सम्बन्धी किन्ही और प्रस्तावों पर विचाक कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो सत्तम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) सरकार, पटसन मिलों, चाय बागानों, काफी बागानों तथा रबड़ बागानों के सामान्म अधिग्रहण सम्बन्धी किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत में चाय की उत्पादन लागत का अपेक्षाकृत अधिक होना

3504. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व के अन्य उत्पादक देशों की तुलना में भारत में चाय की उत्पादन लागत अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ;

(ग) क्या चाय के मूल्य में हुई वृद्धि के कारण अन्तर्राष्ट्रीय चाय बाजार में भारत का प्रमुख स्थान समाप्त हो जाने की संभावना है ; और

(घ) इस मामले में प्रस्तावित आवश्यक कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खांन) : (क) तथा (ख) भारत में चाय की उत्पादन लागत अन्य अन्तर्राष्ट्रीय उत्पादकों जैसे कि श्री लंका, बगलादेश, इन्डोनेशिया और कीनिया की तुलना में उच्चतर है। उपलब्ध रिपोर्टों के आधार पर 1979 के दौरान भारत, श्रीलंका, बंगलादेश और इन्डोनेशिया की चाय की प्रति कि० ग्रा० अनुमानित औसत उत्पादन लागत क्रमश: 11 55,6 86,7.92 तथा 9.05 रु० थी। 1978 में कीनिया की चाय को प्रति कि० ग्रा० औसत उत्पादन लागत 8.38 रु० थी।

(ग) हालांकि अन्य निर्यातक देशों से कीमतों में प्रतिस्पर्द्धा है फिर भी भारत अंतर्राष्ट्रीय चाय बाजार में प्रधान स्थान बनाये हुए है और प्रवृत्ति निराशाजनक नहीं है।

(घ) सरकार ने भारत से चाय के निर्यात में सुधार लाने के लिए पहले ही निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(1) 14.2.79 से चाय पर निर्यात शुल्क का हटाया जाना,

(2) जनवरी, 1979 से पैकेट चाय के निर्यातों पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क की वापसी की प्रणाली का पुनः लागू किया जाना ;

(3) चाय बैगिंग मशीनरी के आयात को ओ० जी० एल० के अन्तर्गत लाना,

(4) 1 जनवरी, 1979 से चाय बैगिंग मशीनरी पर आयात शुल्क को 75 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करना ; (V) अप्रैल, 1979 से पैकेट चाय और चाय बैग्स् के निर्यात पर नकद प्रतिपूर्ति सहायता दर को 10 प्रतिशत बढ़ाकर 12½ प्रतिशत करना,

(5) 19,980 से चाय बैग्स् के निर्यातों के लिए आयातित माल पर वापसी को सर्व उद्योग दर का लागू किया जाना। इसके अलावा, चाय बोर्ड के विदेश स्थित कार्यालय विभिन्न संवर्धनात्मक उपाय अर्थात् सामान्य संवर्धन, एक राष्ट्रीय संवर्धन, व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना आदि भी करते हैं।

घटिया किस्म की चाय का उत्पादन

3505. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत उस किस्म की चाय का उत्पादन नहीं कर रहा है जिसकी विदेशों में —हुत मांग है ; और

(ख) चाय उद्योग के वर्तमान अकुशल आयोजन में सुधार के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) विदेशों में चाय की मांग, प्रत्येक देश की भिन्न भिन्न किस्म की चाय की होती है और उसी देश में उपभोक्ता प्रति उपभोक्ता भी उसमें भिन्नता होती है। भारत निर्यात तथा घरेलू दोनों बाजारों में मांग के अनुरूप विभिन्न किस्म की चाय का उत्पादन कर रहा है। सभी किस्मों की चाय में भारत के निर्यात 1979 में 199.93 मि. कि. ग्रा. से बढ़कर 1980 में 229.49 मि. कि. ग्रा. के अनन्तिम स्तर पर पहुंच गए।

(ख) बोर्ड ने उत्पादन, खपत, मूल्य वर्धित मदों सहित निर्यातों के लक्ष्यों, लक्ष्यों की प्राप्ति के उपायों, वित्तीय परिव्यय, लघु उपजकर्ताओं के विकास के लिए उपायों, गैर-परंपरायगत क्षेत्रों में चाय रोपण और विभिन्न गैर-योजना कार्यक्रमों के सम्बन्ध में छठी योजना अवधि (1980-81 से 84-85) के लिए पहले ही प्रस्ताव तैयार कर लिया है। प्रस्ताव समय समय पर सरकार द्वारा स्थापित निर्यात समितियों द्वारा की गई सिफारिशों का ध्यान रखते हुए गत प्रवृतियों तथा भावी आवश्यकताओं के आधार पर और साथ ही चाय उद्योग के साथ परामर्श करके तैयार किये गए हैं। इन प्रस्तावों के कार्यान्वयन से चाय उद्योग के निष्पादन में और सुधार होगा। भौतिक तथा वित्तीय दोनों की दृष्टि से उद्योगों के निष्पादन तथा आवश्यकताओं की सरकार द्वारा निरन्तर समीक्षा की जाती है। चाय उद्योग के लिए छठी योजना अवधि के दौरान अनुमोदित परिव्यय राशि 41 करोड़ रु० है। चाय रोपण वित्त योजना के अन्तर्गत मैदानी बागानों के लिए 20,000 रु० प्रति हेक्टार और पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित बागानों के लिए 25,000 रु० की सीमा तक ऋण दिये जाते हैं। पुनर्रोपण उपदान योजना के अन्तर्गत मैदानी क्षेत्रों में स्थित बागानों के लिए 10,400 रु० प्रति हेक्टार, पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित बागानों के लिए 12,400 रु० प्रति हेक्टार और दार्जिलिंग क्षेत्र स्थित बागानों के लिए 15,000 रु० प्रति हेक्टार उपदान के रूप में दिये जाते हैं।

वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए वन लगाने हेतु उदार ऋण देने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का फार्मूला

3306. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उद्योगों के कच्चे माल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए वन लगाने हेतु उदार ऋण देने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक एक फार्मूला तैयार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त योजना के अधीन उड़ीसा के मयूरभंज जिले में संनाई घास लगाने हेतु उनके मंत्रालय का एक व्यापक कार्यक्रम चलाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) यह योजना कब तक क्रियान्वित की जाएगी ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) ये प्रश्न उपस्थित नहीं होते ।

इण्डियन आयरन और स्टील कम्पनी में स्थापित नये पावर वायलरों में कम ऊर्जा उत्पादन

3507. **श्री निरेन घोष** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में बीस-बीस मेगावाट क्षमता के दो नए पावर वायलर लगाए गए हैं परन्तु कुल विधुत उत्पादन 50 प्रतिशत के लगभग है ;

(ख) यदि हां, तो उसके पीछे क्या कारण हैं ;

(ग) क्या वायलर कोयले में राख की अधिक मात्रा के कारण खराब हो रहे हैं ; और

(घ) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

पिछले तीन वर्षों के दौरान इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया द्वारा किराए में वृद्धि

3508. **श्री शिव कुमार सिंह** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया ने वर्ष 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के दौरान अपने यात्री किराए और माल भाड़े में कोई वृद्धि की है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष-वार उसकी प्रतिशतता क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) इंडियन एयरलाइंस

इंडियन एयरलाइंस द्वारा यात्री किरायों, फ्युएल सरचार्ज तथा माल-भाड़ा दरों में की गयी वृद्धि निम्न प्रकार है :—

क. यात्री किरायों में वृद्धि

वर्ष	प्रतिशत वृद्धि		कारण
	अंतर्देशीय	अंतरर्राष्ट्रीय	
1978-79	—	7% (मई, 1978 से)	आय में वृद्धि करने के लिए एवियेशन टर्बाइन फ्यूएल के मूल्य में अत्याधिक वृद्धि होने के कारण।
1979-80	30% (नवम्बर, 1979 से)		
		7% (मई, 1979 से)	आय में वृद्धि करने के लिए
		9% (सितम्बर, 1979 से)	—यथोपरि—
		3% (फरवरी, 1980 से)	—यथोपरि—
1980-81		9% (अप्रैल, 1980 से)	—यथोपरि—
		3% (अक्तूबर, 1980 से)	—यथोपरि—

ख. फ्यूएल सरचार्ज

वर्ष	प्रतिशत वृद्धि		कारण
	अंतर्देशीय	डालर किराये	
1980-81	350/- रुपए से कम किरायों पर 25% तथा 350/- रु० से अधिक किरायों पर 20% (जून, 1980 से)	डालर किरायों पर 25% की समान वृद्धि	एवियेशन टर्बाइन फ्यूएल के मूल्य में वृद्धि।
	350/- रुपये से अधिक किरायों पर 5% (जनवरी, 1981 से)	—	—यथोपरि—

ग. माल-भाड़े

वर्ष	प्रतिशत वृद्धि		कारण
	अंतर्देशीय	अंतरराष्ट्रीय	
1979-80	30% (नवम्बर, 1979 से)	7% (मई, 1979 से)	आय में वृद्धि करने के लिए
		9% (सितम्बर, 1979 से)	—यथोपरि—
		3% (मार्च, 1980 से)	—यथोपरि—

1980-81	—	12% (मई 1980 से)	आय में वृद्धि करने के लिए
		3% (दिसम्बर, 1980)	—यथोपरि—

एयर-इंडिया

एयर इंडिया द्वारा यात्री किरायों तथा माल भाड़ा दरों में की गई वृद्धि निम्न प्रकार है :—

(क) यात्री किरायों में वृद्धि

वर्ष	प्रतिशत वृद्धि	वृद्धि के कारण
1978-79	यूरोप/भारत के बीच सामूहिक यात्रा किरायों में 8% की वृद्धि	आय में वृद्धि करने के लिए
	गल्फ/भारत के बीच भ्रमण किरायों में 7.5% की वृद्धि ।	—यथोपरि—
	यू० के०/भारत के बीच विभिन्न प्रोत्साहन किरायों में 8 से 17% की वृद्धि	—यथोपरि—

वर्ष	प्रतिशत वृद्धि	वृद्धि के कारण
1979-80	5 से 7%	ईंधन के मूल्य में वृद्धि (1-4-1979 से)
	9 से 12%	ईंधन मूल्य में वृद्धि (1-9-1979 से)
	3 से 5%	ईंधन के मूल्य में वृद्धि (1-1-1980 से)
1980-81	2 से 3%	ईंधन की लागत में वृद्धि (1-10-80 से—भारत के लिए) (भारत से 1-1-81 तथा 15-1-81)

(ख) माल भाड़ा दरों में वृद्धि

वर्ष	प्रतिशत वृद्धि	वृद्धि के कारण
1978-79	भारत/यूरोप के बीच सी. आर-2199 पर 5% वृद्धि	आय में वृद्धि करने के लिए (26-4-78 से)
	3 से 5%	वाणिज्य वृद्धि
	14 से 16%	वाणिज्य वृद्धि
1979-80	5 से 7%	ईंधन के मूल्य में वृद्धि (1-4-79 से)
	5 से 15%	ईंधन के मूल्य में वृद्धि (1-9-79 से)
	3 से 10%	ईंधन के मूल्य में वृद्धि (1-1-80 से)
1980-81	2 से 3%	ईंधन के मूल्य में वृद्धि (1-10-80 से)

प्रशासन पर खर्च की गई बजट की धनराशि की प्रतिशतता

3509. श्री शिव कुमार सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977 से अब तक प्रति वर्ष बजट में प्रशासन पर किए जाने वाले खर्च संबंधी कुल परिव्यय की प्रतिशतता कितनी कितनी रही है ;

(ख) इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है ;

(ग) क्या सरकार ने इस आशय का कोई आकलन किया है कि जनशक्ति का उपयोग प्रशासन पर खर्च की गई धनराशि के अनुरूप ही हुआ है ;

(घ) यदि हां, तो कब ; और

(ङ) उसके क्या परिणाम रहे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिय) : (क) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के परामर्श से यथा निर्धारित सरकार के खर्च के वर्गीकरण के अनुसार प्रशासन में निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत राजस्व व्यय को शामिल किया गया है ;— :

(1) राज्य के अंग

(2) करों और शुल्कों के संग्रहण प्रभार

(3) प्रशासनिक सेवाएं (इसमें विदेश कार्य पुलिस शामिल हैं परन्तु रक्षा सेवाएं शामिल नहीं हैं)

(4) सचिवालय—

सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं, आर्थिक सेवाएं ।

इस आधार पर, 1977-78 से प्रशासन पर किये जा रहे कुल पश्चिव्यय का प्रतिशत निम्न प्रकार है :—

वर्ष	प्रतिशत
1977-78.....	3.9
1978-79.....	3.5
1979-80.....	3.8
1980-81.....	3.7
(संशोधित अनुमान)	
1981-82.....	3.6
(बजट अनुमान)	

(ख) वास्तविक रूप में राष्ट्रीय आय में वृद्धि के सम्बन्ध में सूचना फिल-हाल 1979-80 तक की अवधि के लिए उपलब्ध हैं । यह नीचे दी गई हैं :—

वर्ष	राष्ट्रीय आय में प्रतिशत वृद्धि
1977 78	8.6
1978-79	5.8
1979-80	(—)4.9

(ग) से (ङ) प्रशासन पर किए गए व्यय की तुलना में जनशक्ति के उपयोग का मूल्यांकन बजट प्रस्तावों को तैयार करते समय किया जाता है। इसके अलावा, कर्मचारी निरीक्षण एकक जब विभिन्न सरकारी संगठनों की कर्मचारियों संबंधी आवश्यकताओं का निर्धारण करता है तो वह भी इस पहलू को ध्यान में रखता है।

पश्चिम बंगाल में स्थित पर्यटक स्थल

3510. **श्री मतिलाल हसदा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में स्थित पर्यटक स्थलों की संख्या और नाम क्या हैं ;

(ख) चालू वर्ष में कितने नए केन्द्र खोले जाने हैं ; और

(ग) हमारे देश में गत तीन वर्षों में वर्षवार तथा राज्यवार, पर्यटक स्थलों के लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) पश्चिम बंगाल में पर्यटक स्थलों का अभिनिर्धारण करने के लिए पर्यटन विभाग, भारत सरकार, ने कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं कराया है। तथापि वह पर्यटक स्थल जिनकी कि अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक यात्रा करते हैं, ये हैं : कलकत्ता, दार्जिलिंग, जल्दापारा वन्य जीव बिहार स्थल, बिष्णुपुर और शांतिनिकेतन।

(ख) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल में विकास के लिए किन्हीं भी नये केन्द्रों को नहीं लिया गया है।

(ग) पर्यटन विकास पर राज्य-वार आधार पर खर्च नहीं किया जाता है। पर्यटन विकास के लिए केन्द्रों को उनकी पर्यटकों को आकर्षित करने की संभाव्यता के आधार पर चुना जाता है और तदनुसार सकीमवार खर्चा किया जाता है।

पिछले तीन वर्षों में यथा 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान केन्द्रीय सेक्टर में विविध पर्यटक केन्द्रों पर सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए किया गया खर्च नीचे दर्शाया गया है :—

केन्द्रीय सेक्टर	1977-78	1978-79	1979-80
		(लाख रुपयों में)	
1. पर्यटन विभाग	396.81	197.35	155.20
2. भारत पर्यटन विकास निगम	294.96	438.42	840 42
जोड़	691.77	635.77	995.62

ग्राम्य बैंकों का कार्यकरण

3511. श्री मति लाल हसदा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कार्य कर रहे ग्राम्य बैंकों की राज्यवार संख्या क्या है ;

(ख) चालू वर्ष के दौरान खोले जाने वाले ग्राम्य बैंकों की राज्यवार संख्या क्या है ; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) इस समय, हमारे देश में 89 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्य कर रहे हैं । इन बैंकों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है ।

(ख) और (ग) चालू वित्तीय वर्ष (1980-81) में 35 अतिरिक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना करने की व्यवस्था की गई है जिससे कि ऐसे बैंकों की संख्या 100 तक पहुंच जाए । 1980-81 में अब तक, 24 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए जा चुके हैं । उनका राज्यवार विवरण ऊपर उल्लिखित विवरण के कालम 3 में दर्शाया गया है । शेष बने हुए 11 क्षेत्रीय बैंकों को स्थापित करने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है तथा आशा की जा रही है कि इन्हें जल्दी ही स्थापित कर दिया जाएगा । चूंकि बहुत से प्रस्ताव अभी विचार के विभिन्न स्तरों पर हैं, इसलिए मार्च, 1980 के अन्त तक स्थापित हो जाने वाले संभावित बैंकों का एक राज्यवार विवरण देना संभव नहीं है ।

विवरण

राज्य	स्थापित किए गए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या (ताजा स्थिति के अनुसार	1980-81 में स्थापित किए गए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या (ताजा स्थिति के अनुसार)
1	2	3
1. आंध्र प्रदेश	4	—
2. असम	2	1
3. बिहार	14	3
4. गुजरात	2	—
5. हरियाणा	2	—

1	2	3
6. हिमाचल प्रदेश	1	—
7. जम्मू तथा कश्मीर	2	—
8. कर्नाटक	4	—
9. केरल	2	—
10. मध्य प्रदेश	10	2
11. महाराष्ट्र	1	—
12. उड़ीसा	8	4
13. राजस्थान	5	1
14. तमिलनाडु	1	—
15. त्रिपुरा	1	—
16. उत्तर प्रदेश	23	10
17. पश्चिम बंगाल	7	3
जोड़ :	89	24

इस्पात के उत्पादन के लिए कोकिंग कोल का आयात

3512. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार को आगामी वित्तीय वर्ष में इस्पात उत्पादन के लिए पहले से नियोजित कोकिंग कोल की 10 लाख टन की मात्रा से भी अधिक मात्रा में इसका आयात करना पड़ सकता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बधी कारण क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुर्जी) : (क) आशा है वर्ष 1981-82 में 18 लाख टन कोककर कोयले का आयात किया जाएगा ।

(ख) कोककर कोयले की देशीय उपलब्धि तथा इस्पात कारखानों की आवश्यकताओं के अन्तर को पूरा करने तथा घमन-भट्टियों के उत्पादन तथा उत्पादिता में वृद्धि करने के लिए प्रतिवर्ष 20 लाख टन कोककर कोयला आयात करना आवश्यक समझा गया है ।

पालम पर कस्टम एराइवल लांज

3513. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि प्रभावशाली व्यापारी तथा व्यापारी कार्यकारी अधिकारी जो पालम हवाई अड्डे के कस्टम एराइवल लांज में पहुंचते हैं, अपने सम्पर्क अधिकारियों/बिचौलियों के जरिये अपने भेद्य माल को "यात्री द्वारा साथ न ले जाया गया माल" के रूप में घोषित करा देते हैं, जिसे गुड़गांव रोड केन्द्रीय भाण्डागार निगम को भेज दिया जाता है ।

(ख) क्या उन्हें मालूम है कि इस केन्द्र पर ऐसे माल की निकासी थोड़े प्रभाव तथा अधिकांशतः नाममात्र के शुल्क का भुगतान करने पर आसानी से कराई जा सकती है;

(ग) क्या बड़े औद्योगिक समूहों के बिचौलिए तथा सम्पर्क अधिकारियों का इस निकासी गृह पर धंधा जोरों पर चल रहा है ; और

(घ) आवक "यात्री द्वारा साथ न लाए गए माल" के लिए इस कस्टम निकासी केन्द्र पर विद्यमान अनेक कदाचारों को समाप्त करने तथा जांच एवं परवर्ती जांच पर निगरानी रखने के लिए उनका क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) यात्री द्वारा साथ नहीं लाया गया सामान, चूंकि, नियमित मालसूची में दाखिल कार्गो का अंग होता है, इसलिए इसकी निकासी सीमाशुल्क आगम लाउंज से नहीं होकर, गुड़गांव रोड स्थित केन्द्रीय भाण्डागारण निगम के गोदाम से होती है ।

(ख) किसी यात्री की हैसियत चाहे कुछ भी हो, साथ नहीं लाए गए सामान की निकासी दस्तावेजों के आधार पर तथा उसकी शतप्रतिशत जांच करने के पश्चात की जाती है । इसलिए, प्रभाव का इस्तेमाल करने अथवा केवल नाममात्र शुल्क अदा करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

(ग) सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि औद्योगिक गृहों के बिचौलियों और उनके सम्पर्क अधिकारियों का धंधा जोरों पर चल रहा है । परन्तु, कानून के अनुसार, किसी आयातकर्ता द्वारा एजेंट के रूप में मुक़र्रर किया गया कोई व्यक्ति माल के मालिक की ओर से कार्य कर सकता है ।

(घ) गोदाम स्थिति अनएकम्पनीड बैगेज यूनिट एक वरिष्ठ सीमाशुल्क अधिकारी की सीधी देख रेख में कार्य करता है । वरिष्ठ अधिकारी भी इस यूनिट के अचानक दौरे करते रहते हैं । इसके अतिरिक्त, शुल्क अपवंचन को रोकने और कदाचार का पता लगाने हेतु, यदि कोई हो, सीमाशुल्क अधिकारी सादे कपड़ों में गोदाम में तैनात रहते हैं । संदेह होने पर, ये अधिकारी निकासित माल की पुनः जांच आदि करवाते हैं ।

पर्यटन के लिए राज्यों को और अधिक धनराशि का नियतन

3515. **श्री राम चन्द्र रथ :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के पास पर्यटन विकास के लिए राज्यों को और अधिक धनराशि नियत करने के लिये कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या केन्द्र देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता भी देगा ;

(ग) यदि हां, तो उड़ीसा में राष्ट्रीय महत्व वाले कौन से पर्यटन स्थलों का इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाये जाने के लिए पता लगाया गया है ; और

(घ) गंजाम जिले के कौन-कौन से घरेलू पर्यटक स्थलोंका इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाये जाने के लिए पता लगाया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) पर्यटन परियोजनाओं के लिए कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी जाती क्योंकि पर्यटन सेक्टर के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें चौथी पंचवर्षीय योजना से समाप्त कर दी गई थीं। अत: पर्यटन स्कीमें या तो केन्द्रीय सेक्टर में या राज्य सेक्टर में शुरू की जाती है ।

(ग) और (घ) अतर्राष्ट्रीय और स्वदेशी दोनों प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यात्रा परिपथ संकल्पना के आधार पर आधारित संरचना सबंधी सुविधाओ का विकास करने का प्रस्ताव है । राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र से यह अनुरोध किया गया था कि वे अपने राज्य/संघ शासित क्षेत्र में इस संकल्पना के आधार पर तैयार किया गया पर्यटन विकास का एक ब्लू-प्रिंट प्रेषित करें। उड़ीसा सहित राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों पर राज्य पर्यटक अधिकारियों के साथ इस माह शुरू होने वाली बैठकों की श्रृंखला में विचार-विमर्श किया जाएगा जब स्कीमों को अन्तिम रूप दिया जाएगा और केन्द्रीय तथा राज्य सेक्टरों के बीच उनके विकास के दायित्व को निर्धारित किया जाएगा ।

हरियाणा में आयकर छापे

3516. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980 के दौरान हरियाणा में आयकर अधिकारियों द्वारा मालिकों के परिसर में कुल कितने छापे मारे गए और जिन व्यक्तियों के यहां छापे मारे गए उनके क्या नाम हैं और इन छापों में कुल कितनी उपलब्धि (छापे-वार) रही; और

(ख) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) महोदय, आयकर विभाग ने कैलेण्डर वर्ष 1980 के दौरान 25 व्यक्तियों के परिसरों की तलाशियां ली है। इन तलाशियों के ब्यौरे विवरण में दिए गए है। इन मामलों की जांच की जा रही है।

(ख) इन मामलों में आयकर अधिनियम तथा अन्य प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

जिन निर्धारितियों के परिसरों की तलाशियां ली गई उनके नाम	तलाशी की तारीख	जिन परिसरों की तलाशी ली गई उनकी संख्या	पकड़ी गई कीमती वस्तुएं		जवाहरात	
			नगदी	सोना चांदी	सोना सोने के जेवरात	चांदी चांदी के जेवरात
1	2	3	4	5	6	7
1. श्री रत्ती राम पुत्र श्री कुन्दन लाल, गांव बरना, तहसील कैथल	16-1-80	8	5000 रु०	—	—	—
2. सुरजीत सिंह वत्रा एण्ड कं० अम्बाला कैंट	15-2-80	1	—	—	—	—
3. डा० आर० के० धवन, रोहतक	20/21-6-80	5		—	1051 ग्राम	1200 ग्राम
4. डा० श्रीमती ऊषा धवन, रोहतक	20/21-6 80	2	15000 रु०	—	—	—
5. श्री लहना सिंह पुत्र श्री चन्दन, गांव अट्टा, तहसील पानीपत	10-7-80	1	—	—	—	—
6. श्री टीका राम, सेवा निवृत्त तहसीलदार, जींद	24/25-10-80	13	—	—	1387.500 ग्राम 7.500 ग्राम शुद्ध सोना	

1	2	3	4	5	6	7
7. मेसर्स हंस राज ओम प्रकाश एण्ड कं० डबवाली	30-10-80	6	—	—	523 ग्राम	—
8. श्री ओम प्रकाश मार्फत मैं० हंस राज ओम प्रकाश एंड कं डबवाली	24-11-80	5	221429 रु०	—	425 ग्राम 204 शुद्ध सोना	—
9. लेखराम रघुवर दयाल, फिरोजपुर झिरका						
10. श्री रघुवर दयाल मार्फत लेखराम रघुवर दयाल, फिरोजपुर झिरका						
11. श्री लेखराम मार्फत श्री रघुवर दयाल, फिरोजपुर झिरका						
12. श्री कैलाश मार्फत श्री लेखराम रघुबरदयाल, फिरोजयुर झिरका						
13. श्री कमलेश कुमार मार्फत श्री लेखराम रघुबरदयाल, फिरोजपुर झिरका						
14. मैसर्स रतन मिल्क सप्लायर, पुन्हाना						
15. निर्मल कुमार मार्फत मैं० रतन मिल्क सप्लायर, पुन्हांना	24-11-80	6	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7
16. सतीश कुमार मार्फत मैसर्स रतन मिल्क सप्लायर, पुन्हाना						
17. रमा डेरी फार्म बगीना						
18. एस० के० गुप्ता मार्फत रमा डेरी फार्म, बगीना	24-11-80	5	32000 रु०	—	677 ग्राम	—
19. राम अवतार गुप्ता मार्फत रमा डेरी फार्म, बगीना						
20. श्री नंदन मार्फत रमा डेरी फार्म बगीना						
21. मेहताब खान पुत्र श्री भोला, गांव शिकरवा	29-11-80	3	—	—	—	—
22. रहमत खान मार्फत मेहताब खान पुत्र श्री भोला, गांव शिकरवा						
23. शिताब खान मार्फत श्री भोला, गांव शिकरवा						
24. राम कुमार पुत्र श्री ठाकर दास, गांव खरक कलां	19-12-80	6	1,00,000 रु०	—	430 ग्राम	—
25. तारा चन्द मार्फत राम कुमार पुत्र श्री ठाकर दास, गांव खरक कलां						

पाकिस्तान को चोरी छिपे चान्दी और व्हिस्की का ले जाया जाना

3517. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान को चांदी और व्हिस्की की तस्करी बढ रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) सरकार को मिली रिपोर्टों से यह पता नहीं चलता कि बड़ी मात्रा में चांदी और व्हिस्की सीमा से चोरी-छिपे पाकिस्तान ले जायी जा रही है । वर्ष 1980 में सीमाशुल्क तथा सीमा सुरक्षा बल अधिकारियों ने लगभग 49.65 लाख रुपए मूल्य की चांदी पकड़ी जिसे सीमा से चोरी छिपे पाकिस्तान ले जाया जा रहा था ; इसकी तुलना में वर्ष 1980 के दौरान पूरे देश में लगभग 948 लाख रुपये की चांदी पकड़ी गई थी । वर्ष 1980 मे केवल 74,000 रु० मूल्य की व्हिस्की पकड़ी गई, जिसे सीमा से चोरी-छिपे पाकिस्तान भेजा जा रहा था ।

(ख) सीमा से चाँदी के तस्कर-निर्यात को रोकने के लिए 27 मार्च, 1980 से सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अध्याय IV 4-ख के उपबन्धों को, जिनमें चांदी के भण्डारण, उसे लाने ले जाने और उसकी बिक्री के बारे में विनियामक उपबन्ध शामिल हैं, भारत-पाकिस्तान सीमा के साथ-साथ पचास किलोमीटर पट्टी पर लागू किया गया था ।

सीमा से तस्करी के प्रयासों को रोकने के लिए इस क्षेत्र में सीमाशुल्क प्राधिकारियों और सीमा सुरक्षा बल को चौकस कर दिया गया है ।

संयुक्त उपक्रम स्थापित करने में कुवैत की रुचि

3418. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और कुवैत ने एक संयुक्त पूंजीनिवेश निगम बनाने का निर्णय किया है ;

(ख) कुवैत ने वाणिज्यिक बैंकिंग में एक संयुक्त उपक्रम स्थापित करने में भी रुचि दिखाई है ;

(ग) यदि हां, तो इन प्रस्तावित परियोजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) इनको कब तक क्रियान्वित किया जाएगा ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (घ) नई दिल्ली में फरवरी 1981 में हुई वार्ताओं के दौरान भारत तथा कुवैत एक संयुक्त निवेश निगम स्थापित करने के लिए सिद्धांत रूप में सहमत हुए। भारत ने गुणावगुण के आधार पर वाणिज्यिक बैंकिंग में एक संयुक्त उद्यम संबंधी कुवैत के प्रस्ताव पर विचार करने का भी वचन दिया है। दोनों प्रस्तावों की रूपरेखा कुवैत के अभिकरणों से अभी प्राप्त होनी है।

वास्तविक प्रयोक्ताओं द्वारा पालिस्टर यार्न का आयात

3519. **श्री एस. एम. कृष्ण** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आर्ट सिल्क उद्योग वास्तविक प्रयोक्ताओं द्वारा पालिस्टर यार्न का आयात किए जाने की अनुमति दिए जाने सम्बन्धी उनके मन्त्रालय के हाल के निर्णय का विरोध करने के लिए तत्पर है ;

(ख) कितनी मात्रा के आयात की अनुमति दी गई है ; और

(ग) देशी उत्पादन पर उनका प्रभाव क्या पड़ा है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी नहीं।

(ख) पालिस्टर फिलामेंट यार्न के आयात के लिए वस्त्र आयुक्त द्वारा अप्रैल 1980 तथा जनवरी 1981 के बीच 21885.5 मे. टन की मात्रा के लिए संविधाएं पंजीकृत की गई। तथापि, अप्रैल-दिसम्बर, 1980 के बीच वास्तविक आयात 4278 मे० टन के किए गए/राज्य रसायन तथा भेषज निगमद्वारा आयात की जाने वाली आंशिक रूप से उद्भूत पोलिएस्टर यार्न की मात्रा को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ग) देश में पालिएस्टर यार्न की मांग तथा उसके स्वदेशी उत्पादन के बीच अन्तराल को ध्यान में रखते हुए पोलिएस्टर यार्न के आयात के स्वदेशी उत्पादन पर कोई विशेष प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

कच्ची पटसन के विदेशी क्रेता

3520. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्ची पटसन के विदेशी क्रेता अनुबंधित मात्रा के लिए ऋण-पत्र जारी करने में विलम्ब कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप भारतीय पटसन निगम के पास पटसन का विपुल भण्डार इकट्ठा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का प्रस्ताव इस स्थिति को किस प्रकार हल करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) विदेशी खरीदारों द्वारा साख पत्रों के खोले जाने में कोई सामान्य देरी नहीं हुई है। तीन मामलों में कुछ देरी हुई है। भारतीय पटसन निगम ने पहले ही 15,064 गांठों का निर्यात किया है तथा 13,190 और गांठों का निर्यात करने के बारे में कार्यवाही चल रही है।

एशियन विकास बैंक से सहायता

3521. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को पिछले तीन वर्षों के दौरान एशियन विकास बैंक से कोई सहायता प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं के नाम क्या है जिनके लिए सहायता प्राप्त हुई है तथा प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी राशि प्राप्त हुई ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

हमीरपुर के लिए पर्वतीय स्थल प्रतिपूर्ति भत्ते की अदायगी

3522. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर के लिए, विशेष मामले के रूप में जैसा कि रायपुर बुशाहर के मामले में किया गया है, पर्वतीय स्थल प्रतिपूर्ति भत्ते की अदायगी के लिए कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां।

(ख) हमीरपुर में तैनात केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को पर्वतीय प्रतिपूर्ति भत्ते की अदायगी के लिए उसकी पात्रता का निर्धारण करने के लिए भारत के महासर्वेक्षक से हमीरपुर की ऊंचाई का पता लगाया जा रहा है। सूचना प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

राष्ट्रीयकृत बैंकों और स्टेट बैंक शाखा, वाराणसी द्वारा किसानों को दी गयी धनराशि

3524. **श्री निहाल सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों और स्टेट बैंक शाखा, वाराणसी ने चन्दौली क्षेत्र के किसानों और लघु उद्योगों को कितनी-कितनी धनराशि प्रदान की है ; और

(ख) क्या हरिजनों तथा अन्य निर्धन वर्ग के लोगों को अपनी निजी आवश्यकताओं के लिए धन राशि प्रदान की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) चंदौली क्षेत्र के बारे में आंकड़े तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं। परन्तु वाराणसी जिले, जिसका चंदौली एक भाग है, के बारे में आंकड़े निम्नलिखित विवरण में दिए गए हैं : -

(हजार रुपये)

	लेखों की संख्या	रकम
लघु क्षेत्र के औद्योगिक एकक	3,863	2288.86
कृषि	16,094	589 30

(ख) सम्भवत: आशय सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गये उपभोग ऋण से है। चंदौली क्षेत्र या वाराणसी जिले के अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं है। फिर भी, दिसम्बर, 1979 के अन्त की स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा 79 लाख रुपए के उपभोग ऋण की राशि, 5162 ऋणकर्ता खातों के अंतर्गत दी गयी थी ।

राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा मद्रास-हवाई अड्डे से कोकेन का पकड़ा जाना

3525. **श्री निहाल सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्व आसूचना निदेशालय ने हाल ही में मद्रास हवाई अड्डे में लगभग 60 लाख रुपए मूल्य की कोकेन पकड़ी थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति पकड़े गए हैं और उनके खिलाफ़ क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी. हां। राजस्व गुप्तचर्या निदेशालय के अधिकारियों ने 22 जनवरी, 1981 को मद्रास हवाई अड्डे पर लगभग 2.725 किलोग्राम कोकीन पकड़ी थी ।

(ख) इस मामले में ग्रस्त पाए गए एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके बाद में विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत नजरबंद किया गया था ।

लौह अयस्क निर्यात के लिए विदेशों से करार

3526. श्री हरिहर सोरन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 में लौह अयस्क की सप्लाई के लिए भारत द्वारा विदेशों के साथ कितने करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे ;

(ख) क्या वर्ष 1981-82 में कुछ अन्य देशों के साथ कुछ और करारों पर हस्ताक्षर किए जाने की सम्भावना है ;

(ग) यदि हां, तो क्या किसी नए देश ने भारत से लौह अयस्क खरीदने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है ; और

(घ) ऐसे देश कौन से हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) 1980-81 के दौरान खनिज व धातु व्यापार निगम तथा गोआ के निर्यातकों दोनों के द्वारा विभिन्न देशों को लौह अयस्क का निर्यात किए जाने के लिए भारत द्वारा 94 संविदाएं की गई हैं ।

(ख) लौह अयस्क की बिक्री के लिए करारों पर प्रायः विदेशी खरीदारों के साथ वर्ष प्रति वर्ष आधार पर हस्ताक्षर किए जाते हैं और 1981-82 के दौरान सप्लाई के लिए विचार विमर्श आरम्भ किए जा चुके हैं । इन वार्ताओं के पूरे होने के बाद सही स्थिति सामने आएगी ।

(ग) तथा (घ) मध्य पूर्व, पश्चिम यूरोप आदि के नए खरीदारों के साथ लौह अयस्क के निर्यात के लिए विचार विमर्श किए जा रहे हैं ।

यूनियन जूट मिल, कलकत्ता के श्रमिकों की शिकायतें

3528. श्री निरेन घोष : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में राष्ट्रीयकृत यूनियन जूट मिल्स, कलकत्ता में श्रमिक-विरोधी गतिविधियां चल रही है ;

(ख) क्या भारत सरकार यह भी जानती है कि उक्त प्रबन्धकों ने श्रमिकों की लम्बी अवधि से अनिर्णीय पड़ी उन शिकायतों को भी दूर करने से इन्कार कर दिया है जिन्हें प्रबन्धकों ने पश्चिम बंगाल सरकार के संयुक्त सचिव श्री कादर नवाज की उपस्थिति में स्वीकार कर लिया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खांन) : (क) यह मानना सही नहीं होगा कि हाल ही में राष्ट्रीयकृत यूनियन जूट मिल कलकत्ता के प्रबंधक श्रमिक विरोधी गतिविधियों में लगे हुए हैं।

(ख) तथा (ग) प्रबंधकों ने श्री कादर नवाज, भूतपूर्व संयुक्त सचिव, श्रम विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार, के कार्यालय में 9-11-1979 को हुई त्रिपक्षीय बैठक के दौरान दिए गए किसी भी आश्वासन को पूरा करने से मना नही किया है।

सरकारी कर्मचारियों की विधवाओं की वित्तीय स्थिति

3529. **श्री मुन्दर शर्मा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान परिवार पेंशन के उपबन्ध न होने के कारण अप्रैल 1964 से पूर्व सेवा-निवृत हुए सरकारी कर्मचारियों की विधवाओं की दयनीय वित्तीय स्थितियों की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में कोई कदम उठाये हैं और यदि नहीं, तो क्या उनकी सहायता करने के लिए कोई अन्य उपाय सोचे जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने, 1964 से पहले सेवा निवृत कर्मचारियों की विधवाओं को परिवार पेंशन की मंजूरी करने सम्बन्धी प्रश्न पर विचार किया है परन्तु इसे स्वीकार करना सम्भव नहीं पाया गया।

वनस्पति निर्माताओं को वनस्पति के मूल्य घटाने का निदेश

3530. **श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने वनस्पति निर्माताओं को निदेश दिया है कि वनस्पति के मूल्यों में कमी लाई जाये, जो कि फरवरी, 1981 के दौरान चिंताजनक स्तर तक बढ़ गए थे —

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने वनस्पति निर्माताओं की बैठक बुलाई थी ;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने भी केंद्र की प्रतिबन्ध हटाने की सलाह को स्वीकार कर लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो केंन्द्र सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) और (ख) सरकार द्वारा शुरू की गई बातचीत के फलस्वरूप, वनस्पति उद्योग ने 28 फरवरी, 1981 तक स्वेच्छित मूल्य नियंत्रण का पालन करना स्वीकार किया था। प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि इस अवधि के दौरान वनस्पति उद्योग द्वारा इस मूल्य नियंत्रण का क्रमोवेश पालन किया गया। तथापि, सरकार 28 फरवरी,1981 के बाद भी पर्याप्त मात्रा में तथा उचित मूल्यों पर वनस्पति उपलब्ध कराने के बारे में वनस्पति उत्पादकों से अपनी बातचीत जारी रखे हुए है।

(ग) और (घ) गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार के अनुरोध पर हाल ही में, गुजरात से बाहर बिक्री के लिए मूंगफली के तेल को ले जाने पर लगाये गये प्रतिबन्धों को हटा लिया है।

आम जनता को सरकारी यूनिटों के शेयर जारी करना

3531. **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शेयरधारियों द्वारा सतर्कता बरतने और बढ़ते हुए दायित्व को सुनिश्चित करने के लिए आम जनता को सरकारी यूनिटों के कुछ शेयर जारी करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

लिपिकों के रूप में पदोन्नति के पैनल में रखे गये उम्मीदवार

3532. **श्री भीखा भाई** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मौसम विज्ञान विभाग, लोदी रोड, नई दिल्ली द्वारा दिसम्बर, 1979 में ली गई विभागीय परीक्षा में कुल कितने उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए और लिपिक पद पर पदोन्नति के लिए पैनल में रखे गए और उनमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या कितनी है ;

(ख) उक्त परीक्षा के परिणाम के आधार पर कितने उम्मीदवारों को वास्तव में लिपिक नियुक्त किया गया और उनमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नियुक्त किए गए उम्मीदवारों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या नियोक्ता अधिकारी द्वारा सफल उम्मीदवारों की मैरिट सूची का पालन न किए जाने के विरुद्ध अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों में कुछ विभागीय उम्मीदवारों ने सम्बद्ध अधिकारियों को अभ्यावेदन दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो पैनल की अवधि समाप्त होने से पूर्व ही उन्हें नियुक्ति पत्र देने के लिए उनके अनुरोध पर क्या कार्रवाई की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) ग्रुप "घ" के 51 कर्मचारियों ने, जिनमें 15 अनुसूचित जातियों तथा 3 अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार भी सम्मिलित थे, परीक्षा उत्तीर्ण की।

(ख) ग्रुप "घ" के 8 कर्मचारियों को, जिनमें 2 अनुसूचित जाति तथा 1 अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार भी सम्मिलित थे, योग्यता क्रमानुसार अवर लिपिक नियुक्त किया गया।

(ग) जी, हां।

(घ) नियमानुसार अवर श्रेणी लिपिक की कुल रिक्तियों में से केवल 10% पद ही उत्तीर्ण हुए ग्रुप "घ" कर्मचारियों में से भरे जाने होते हैं। चूंकि यह कोटा पूरा हो चुका है, इसलिए पेनल में रखे गए शेष कर्मचारियों की नियुक्ति पर विचार नहीं किया जा सका पेनल केवल एक वर्ष के लिए वैध होता है और वह 31 दिसम्बर, 1980 को समाप्त हो चुका है ।

सामान्य बीमा निगम में पुनर्बीमा करने का कथित घोटाला

3533. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय सामान्य बीमा निगम के संचालन में पुनर्बीमा करने सम्बन्धी करोड़ों रुपए के घोटाले का पता चला है ;

(ख) क्या यह सच है कि वास्तव में जे० बी० बोडा एण्ड कम्पनी अन्य सभी फर्मों को एक तरफ करके पुनर्बीमा एजेंट और दलाल के रूप में कार्य करती रही है ;

(ग) क्या उपरोक्त कम्पनी पर प्रवर्तन निदेशालय, आयकर तथा सीमा शुल्क विभाग की ओर से अनेक छापे मारे गए थे जिनसे विदेशी मुद्रा संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन किए जाने और कर अपवंचन का पता चला है ; और

(घ) यदि हां, तो उनके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) जी, नहीं।

(ख) साधारण बीमा निगम और उसकी सहायक कम्पनियों द्वारा भारत से बाहर किए गए पुनर्बीमे के कुल कारबार में से लगभग 10 से 12 प्रतिशत तक कारबार ही जे. बी. बोडा एण्ड कम्पनी ने किया है।

(ग) और (घ) प्रवर्तन निदेशालय ने सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और आयकर विभाग के अधिकारियों की सहायता से 21 जनवरी, 1981 को मैसर्स जे. बी. बोडा एण्ड कम्पनी प्रा० लि० और जे. बी. बोडा मैरीन एण्ड सर्वे एजेंसीज प्रा० लि० के भवनों की तलाशी ली। जांच कार्य अभी चल रहा है।

कथित पुनर्बीमा धोखाधड़ी की जांच

3534. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कथित पुनर्बीमा धोखाधड़ी और सामान्य बीमा निगम के अन्तर्ग्रस्त होने की जांच करने के लिए उच्चस्तरीय आयोग नियुक्त करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) जनरल इंश्योरेंस एम्पलाइज आल इन्डिया एसोसिएशन की, जिसने सरकार को दो ज्ञापन प्रस्तुत किए है, मुख्य मांग क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) जी, नहीं।

(ख) जनरल इन्शयोरेंस एम्पलाइज आल इण्डिया एसोसिएशन से प्राप्त ज्ञापन की मुख्य मांगें ये है :

1. साधारण बीमा निगम को चाहिए कि वह पुनर्बीमा का अपना काम और सर्वेक्षण का काम दलालों और सर्वेक्षकों की मार्फत कराने के वजाए स्वयं करें।

2. "साधारण बीमा निगम" ने मैसर्स जे०बी० बोड़ा एण्ड कम्पनी नामक एक प्राइवेट एजेंन्सी को "हानि अतिरेक" पुनर्बीमा सम्बन्धी संधियां करने के मामले में प्रश्रय दे रखा है और उक्त फर्म में साधारण बीमा उद्योग के प्रभावशाली अधिकारी नौकर है और इसकी जांच की जानी चाहिए।

सोवियत संघ को अशोधित तेल के बदले चावल का निर्यात

3535. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सोवियत संघ को "75000 मी० टन चावल निर्यात करने के लिए विनिमय समझौते पर सहमत हो गई है ;

(ख) चावल की इतनी मात्रा के बदले सोवियत संघ से कितना अशोधित तेल आयात किया जायेगा और इससे भारत की आवश्यकता कहां तक पूरी होगी ;

(ग) क्या चावल की यह सप्लाई 1.5 मिलियन टन अशोधित तेल के बदले चावल की सप्लाई का भाग है अथवा यह एक पृथक समझौता है ;

(घ) यदि हां, तो 1.5 मिलियन टन अशोधित तेल प्राप्त करने के लिए सोवियत संघ को कितना और चावल निर्यात किया जायेगा ; और

(ङ) ऐसे निर्यात से भारत में चावल के मूल्य में कितनी वृद्धि होगी और सरकार मूल्य मूल्य-स्थिरता बनाये रखने के लिए किस प्रकार विचार कर रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (घ) 19 जून, 1980 के करार के अनुसार भारत द्वारा 200,000 मे.टन कच्चे तेल तथा 500,000 मे.टन एच० एस० डी० के मूल्य के लिए जो सोवियत संघ द्वारा सप्लाई किया जायेगा, सोवियत संघ को 500,000 मे. टन चावल की सप्लाई की जानी है यह एक अलग करार है ।

(ङ) अनुमोदन प्राप्त चावल निर्यात करने वाली एजेंसियों को अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे जहाँ पर्याप्त स्टाक उपलब्ध हो केवल "लेवी कोटे" से निर्यात के लिए चावल खरीदें । चूंकि खुले बाजार से कोई खरीद नहीं की जा रही है, इसलिए इन निर्यातों से प्रचलित बाजार कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

गत पांच वर्षों के दौरान निर्यात की गई चीनी की मात्रा

3536. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत पांच वर्षों के दौरान निर्यात की गई चीनी की मात्रा क्या है और यह चीनी किस दर पर निर्यात की गई थी और इससे, वर्षवार, अर्जित की गई विदेशी मुद्रा कितनी है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : पिछले पांच वर्षों के दौरान निर्यात की गई चीनी की मात्रा और साथ ही प्राप्त किया गया औसत इकाई मूल्य तथा अर्जित विदेशी मुद्रा नीचे दर्शाई गई है :—

वर्ष	मात्रा (लाख मे.टन)	अर्जित बिदेशी मुद्रा (करोड़ रु०)	औसत इकाई मूल्य (रु०/प्र.मे.टन)
1975-76	11.88	468.49	3943.5
1976-77	5.80	152.01	2620.8
1977-78	0.68	19.48	2864.7
1978-79	7.37	131.85	1789.0
1979-80	5.68	128.94	2270.0

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा नए चीनी कारखानों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता

3537. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को नए चीनी कारखानों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) सहायता की मंजूरी के लिए क्या मानदण्ड अपनाया जाता है और आवेदनों को निपटाने में कितना समय लिया जाता है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) नई चीनी परियोजनाएं स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को अक्तूबर, 1980 तक 33 आवेदनपत्र प्राप्त हुए थे। चीनी उत्पादन के लिए एक प्रोत्साहन योजना की घोषणा सरकार के विचाराधीन होने के कारण उस समय इन आवेदनपत्रों पर विचार नहीं किया गया था। अक्टूबर, 1980 में प्रोत्साहन योजना की घोषणा के बाद वित्तीय संस्थाओं ने 10 आवेदनपत्रों को निपटाया और 23 मामले शेष रह गए थे।

(ख) नई चीनी परियोजनाओं के मामले में मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित बातों की विशेषरूप से जांच की जाती है :—

(1) तकनीकी वित्तीय तथा आर्थिक सक्षमता ;

(2) स्थापना के स्थान की उपयुक्तता तथा आधारभूत सुविधाओं की पर्याप्तता ;

(3) कच्चे माल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए गन्ना उत्पादन के वास्ते संभावित क्षेत्र ;

(4) मानक विशिष्टियों (स्पेशिफिकेशनस) के अनुरूप सयंत्र और मशीनें ;

(5) उपयोगी वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता ;

(6) परियोजना की लागत और अनुमोदित प्रणाली के अनुसार उसके वित्तपोषण अर्थात सहकारी एककों के लिए 35 प्रतिशत सामान्य शेयर पूंजी और 65 प्रतिशत ऋण तथा अन्य क्षेत्रों के एककों के लिए 40 प्रतिशत सामान्य शेयर पूंजी और 60 प्रतिशत ऋण ; और

(7) प्रवर्तकों की क्षमता।

जो आवेदनपत्र विचार करने के लिए परिपक्व होते हैं तथा सब तरह से पूरे होते हैं इन आवेदनपत्रों को संस्थाएं 3-4 महीनों के अन्दर निपटाने का प्रयास करती है।

मध्य प्रदेश में स्वर्णयुक्त चट्टानों का पता लगाया जाना

3538. **श्री जर्नादन पुजारी :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के दो जिलों में स्वर्णयुक्त चट्टानों का पता लगाया गया है ; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके दोहन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रवण मुखर्जी) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश के रायगढ़ और रायपुर जिलों में स्वर्ण के कुछ छिट-पुट भंडार होने का पता चला है, जिनका समन्वेषण मध्य प्रदेश सरकार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से कर रही है । समन्वेषण कार्य चल रहा है ।

कृषि उत्पादों का निर्यात

3539. **श्री चित्त बसु :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि उत्पादों के निर्यात से विगत पांच वर्षों में (वस्तुवार) कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ;

(ख) क्या सरकार का विचार आगामी वर्षों में कृषि उत्पादों का निर्यात और बढ़ाने का है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने एक बहुत ही समन्वित तथा यथार्थ परक नीति तैयार की है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) तथा (ग) जी हां ।

विवरण

कृषि तथा संबद्ध उत्पादों का निर्यात

(प्रमुख समूहों/मदों के आधार पर) मूल्य करोड़ रु० में

1	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	अप्रैल-दिसम्बर, 1979 (अनन्तिम)
	2	3	4	5	6
कुल: कृषि तथा संबद्ध उत्पाद (अन्य मदों सहित)	1184.90	1105.66	907.67	1082.42	994.73
1. अविनिर्मित तम्बाकू	93.10	96.84	113.21	110.72	92.92
2. मसाले	70.96	75.00	137.09	148.05	99.06
3. मछली	86.12	2:4.37	133.27	115.79	102.06
4. वनस्पति तेल (गंध रहित)	33.29	50.44	220.68	13.58	32.94
5. चीनी अपरिष्कृत तथा परिष्कृत	472.33	148.12	19.47	131.92	88.86
6. फल, सब्जियां तथा दालें काजू गिरी के अलावा	37.27	56.96	47.31	53.10	42.30
7. काजू गिरी	96.13	106.10	149.54	80.23	88.01

1	2	3	4	5	6
8. चावल	13.04	6.12	11.47	38.71	85.80
9. मछली तथा मछली से बने पदार्थ	125.56	180.64	174.33	228·28	197.54
10. कपास	39.24	26 99	0.70	16.01	51.07
11. मांस तथा मांस से बने पदार्थ	10.28	20.87	25.18	34.87	29.65

सीमेंट के आयात के लिए ठेके

3540. **श्री ज्योतिमय बसु** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1978-79 से 1980-81 तक प्रत्येक पार्टी को वर्ष-वार सीमेंट के आयात के लिए कुल कितने ठेके दिए गए ;

(ख) उक्त अवधि में संबंधित प्रत्येक पार्टी ने वर्ष-वार वास्तव में सीमेंट की कितनी मात्रा का आयात किया और कितनी मात्रा बकाया है ; और

(ग) 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के दौरान आयातित सीमेंट के लिए कुल तथा प्रति टन कितनी कीमत दी गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) 1978-79, 1979-80 तथा 1980-81 (जनवरी तक) के दौरान संविदा की गई सीमेंट की कुल मात्रा क्रमशः 19.46 लाख मे० टन, 20.15 लाख मे० टन तथा 18.70 लाख मे० टन थी। प्रत्येक पार्टी के साथ सम्पन्न की गई संविदाएं विवरण-एक में दर्शायी गई हैं।

(ख) इस अवधि के दौरान संविदाओं से किए गए वास्तविक आयात तथा बचे शेष का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

लाख मे० टन

अवधि	वास्तविक आयात	बचा शेष
1978-79	18.01	1 99
1979-80	11.60	8 60
1980-81 (जनवरी तक)	5 02	11.71

नोट :—प्रत्येक वर्ष के वास्तविक आभ्यातों में पिछले वर्ष की संविदाओं की कुछ शेष मात्रा भी शामिल है।

पार्टी-वार आयात तथा बचे शेष का ब्यौरा विवरण-2 में दर्शाया गया है।

(ग) राज्य व्यापार निगम द्वारा विदेशी सप्लायरों के साथ संविदाएं सर्वाधिक प्रतियोगी अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर की गई थीं।

विवरण-I

सीमेंट का आयात

मात्रा : हजार मे० टन

1798-79 से 1980-81 के दौरान हस्ताक्षर की गई संविदाएं दर्शाने वाला विवरण

क्रमांक	सप्लायर	संविदा की गई मात्रा (मे० टन)	टिप्पणी
1978- 9			
1.	मै० कोरिया बिल्डिंग मैटीरियल एक्सपोर्ट एण्ड इंपोर्ट, प्योंगयांग	70	
2.	मै० कोरिया बिल्डिंग मैटीरियल एक्सपोर्ट एण्ड इंपोर्ट, प्योंगयांग ।	700	
3.	मै० कोरिया बिल्डिंग मैटीरियल एक्सपोर्ट एण्ड इंपोर्ट, प्योंगयांग ।	300	
4.	मै० सांगयोंग कार्पोरेशन सिओल ।	200	
5.	मै० सांगयोंग कार्पोरेशन, सिओल ।	300	
6.	मै० सांगयोंग कार्पोरेशन, सिओल ।	200	
7	मै० नोम्यूरा ट्रेडिंग कं० लि० टोकियो	40	
8.	मै० माइनेक्स सेन्ट्रला एक्सपोठोवा, पौलेंड	100	
9.	मै० नोम्युज्ञा ट्रेडिंग कं० लि० टोकियो	36	
	योग	1946	
1979-80			
1.	जापान नोम्यूज्ञा ट्रेडिंग कं०	50	
2.	मै० किचेन कं० प्रा० लि० इंडोनेशिया	60	
3.	मै० कोरिया बिल्डिंग मैटिरियल इंपोर्ट एण्ड एक्पोर्ट कार्पोरेशन	500+500	

4. मै० पी. टी. अम्स इंडाह इंटरनेशनल, जकार्ता	75
5 मै० साग्यांग कार्पोरेशन, सिओल	400
6. मै० दिऊ इंड कं०, साउथ कोरिया	100
7. मै यूहड्रूक इंड कं०, साउथ कोरिया ।	100
8. मै० पी. टी. एम्स इंडाह इंडोनेशिया ।	100
9. मै० वियतनाम नेशनल इंपोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट, वियतनाम	50
10. मै० पी. टी. एम्स इंडाह, इंडोनेशिया	50
11. मै० फिलीपीन सीमेंट कार्पोरेशन, मनीला	30
योग	2015

1980-81

1. मै० मार्को ट्रेड जिनेवा	0.20
2. मै० ज्यूमन कं० लि०, सिओल	2.00
3. मै० सीमेंट इस्ट वैस्ट, लंदन ।	0.50
4. मै० कोरिया बिल्डिंग, मैटिरियल एक्सपोर्ट, एण्ड इंपोर्ट कार्पोरेशन, पांग्योंग	5.00 5.00
5. मै० सांग्योंग कार्पोरेशन, सिओल	6.00
योग	18.70

विवरण-2

सीमेंट का आयात मात्रा : हजार मे० टन

प्रत्येक पार्टी द्वारा किए गए वास्तविक आयातों तथा 1978-79 से 1980-81 तक वर्षवार बचा शेष ।

क्रमांक	सप्लायर	संवदाकृत मात्रा मे० टन	अवधि के दौरान जितना सप्लाई किया गया	बचा शेष	टिप्पणी
1978-79					
1.	मैसर्स कोरिया बिल्डिंग मैटीरियल एक्सपो० इम्पो०, पियोग्यांग	70	65	5	1979-80 में पूरा किया गया ।
2.	,,	700	722	—	पूरा किया गया
3.	,,	300	324	—	,,
4.	मै० सांग्योंग कार्पोरेशन, सिओल	200	217	—	,,
5.	,,	300	293	—	,,
6.	,,	200	83	117	बकाया रद्द कर दिया गया ।
7.	मै० नौभूतरा ट्रेडिंग कं० लि० टोकियो	40	38	—	पूरा किया गया ।
8.	मै० मिनेक्स सैन्ट्राला एक्स-पोर्टोवो, पोलैंड	100	59	41	बकाया रद्द कर दिया गया ।
9.	मै० नौभूतरा ट्रेडिंग कं० लि० टोकियो	36	—	36	1979-80 में पूरा किया गया ।

1979-80

1. जापान-मोभूटा ट्रेडिंग कं०	50	—	50	1980-81 में पूरा किया गया ।
2. मै० किन यान कं० प्रा० लि०, इंडोनेशिया	60	28	32	बी. जी. इन्वोक्ड
3. मै० कोरिया बिल्डिंग मैट०	500	328	172	1980 81 में पूरा
इम्पो० एक्सपो० कोरोन	500	294	206	किया गया ।
4. मै० पी० टी० सम्स इंडाह, जकार्ता	75	80	—	पूरा किया गया ।
5. मै० सांग्योंग कार०, सिओल ।	400	243	157	80-81 में पूरा किया जाना है।
6. मै० दायबू इंडस्ट्रीयल कं० द० कोरिया	100	100	—	पूरा किया ।
7. मै० यूहडूक इंडस्ट्रियल कं० द० कोरिया	100	—	100	बी. जी. इन्वोक्ड, पूरी यात्रा के लिए
8. मै० पी. टी. एम्स. इंडाह,	100	41	59	बकाया 1980-81
इंडोनेशिया	50	—	50	में पूरा किया गया ।
9. मै० वियतनाम नेशनल इम्पो. एण्ड एक्सपो०	50	16	34	80-81 में निर्यात पूरा किया जाना है ।
10. फिलीपीन्स सीमेंट कारपोरेशन, मनीला	30	30	—	पूरा किया गया ।

1980-81 (जनवरी, 81 तक)

1. मै० मार्को ट्रेड, जेनेवा	0.10	0.23	—	
2. मै० जियुम्मुन कं० लि०, सियोल	2.00	0.91	1.09	

3. मै० सीमेंट ईस्ट वैस्ट, लन्दन	0.50	0 43	0.07
4. मै० कोरिया बिल्डिंग मैटीरियल एक्सपो० इम्पो० कारपोरेशन,	5.00	1.02	3.98
प्योग्यांग	5.00	1.26	3.74
5. मै० सांग्योंग कारपोरेशन, सिग्रोल	6.00	3.17	2.83

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की रुग्ण मिलों का आधुनिकीकरण

3541. **श्री सुभाष यादव :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वस्त्र मशीन निर्माताओं द्वारा राष्ट्रीय वस्त्र निगम की रुग्ण मिलों की तत्काल मांगों को पूरा करने में असमर्थता के कारण इनके आधुनिकीकरण की सुधारात्मक कार्यक्रम गति धीमी पड़ गई है ; और

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय वस्त्र निगम की रुग्ण मिलों का तेजी से आधुनिकीकरण करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) वस्त्र मशीनों विशेषत: कताई मशीनों की कम सप्लाई से राष्ट्रीय वस्त्र निगम मिलों के आधुनिकीकरण की गति कुछ हद तक धीमी पड़ गई है। तथापि, मशीन विनिर्माताओं को ऐसी मशीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए राजी कर लिया गया है और इसके परिणामस्वरूप सप्लाई स्थिति में सुधार होने की आशा है।

प्रत्यक्ष कर कानूनों को सरल बनाना

3542. **श्री जगदीश टाईटलर :**
श्री अर्जुन सेठी :
श्री रामप्यारे पनिका :
श्री के०मालन्ना :
श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार :
श्री चिरंजी लाल शर्मा :
प्रो० मधु दन्डवते : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रत्यक्ष कर कानूनों को सरल बनाने की दृष्टि से इनकी समीक्षा कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) तथा (ख) भारत सरकार ने, श्री एल० के० झा की अध्यक्षता में एक आर्थिक प्रशासन सुधार आयोग का गठन किया है। यह आयोग, अन्य मामलों के साथ-साथ, कर प्रशासन, उसे युक्ति संगत बनाने और उसमें सुधार करने पर विचार करेगा। प्रत्यक्ष कर कानूनों को सरल बनाने का प्रश्न भी उक्त आयोग को भेजा जायगा।

सी०डी०ए० कार्यालय का मेरठ से चण्डीगढ़ स्थानान्तरण

3543. **श्री भीखा भाई** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें सी. डी. ए. पश्चिम कमान के कार्यालय के मेरठ से चण्डीगढ़ स्थानान्तरित करने के संबंध में अखिल भारतीय रक्षा लेखा एसोसिएशन, मेरठ शाखा, मेरठ छावनी का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने इस अभ्यावेदन में उल्लिखित समस्याओं का अध्ययन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो कर्मचारियों के मेरठ से चण्डीगढ़ स्थानांतरण पर होने वाले अनावश्यक व्यय को रोकने तथा सी. डी. ए. पश्चिम कमान के कार्यालय को मेरठ से चण्डीगढ़ स्थानांतरित करने के परिणामस्वरूप कर्मचारियों को प्रत्याशित कठिनाइयों से बचाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) रक्षा लेखा नियंत्रक, पश्चिम कमान के कार्यालय को मेरठ से चण्डीगढ़ ले जाने से सम्बन्धित अभ्यावेदन में किये गये पहलुओं सहित, सभी संगत पहलुओं पर उस समय पूरी तरह विचार किया गया था जब इस मामले पर कुछ वर्ष पूर्व निर्णय किया गया था।

आयातित वाहनों का उपयोग करने वाले मंत्रालय

3544. **श्री राम अवध** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन मंत्रालयों और सरकारी कार्यालयों के क्या नाम हैं जो अभी भी अपने कर्मचारियों के लिए आयातित वाहनों का उपयोग कर रहे हैं ; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या ब्यौरा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) मंत्रालयों/विभागों से सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय पटसन निगम के बिहार राज्य एकक को कलकत्ता से बिहार स्थानान्तरित करना

3545. **श्री डूमर लाल बैठा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार राज्य के पुर्निया, सहरसा और कटिहार जिले राज्य के प्रमुख पटसन उत्पादक जिले हैं ;

(ख) क्या भारतीय पटसन निगम के बिहार एकक का मुख्य कार्यालय कलकत्ता में स्थित है और इसके फलस्वरूप प्रशासनिक नियंत्रण उचित तथा प्रभावी रूप से नहीं हो रहा है तथा उत्पादकों की कठिनाईयों को न तो समझाया जा रहा है और न उन्हें शीघ्रता से हल किया जा रहा है ; और

(ग) यदि उपरोक्त (ख) भाग का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार का विचार भारतीय पटसन निगम के बिहार राज्य के एकक के मुख्य कार्यालय को कलकत्ता से पुर्निया अथवा फोरबसगंज स्थानान्तरित करने का है जो कि पटसन के मुख्य उत्पादन क्षेत्र है तथा बिहार राज्य में बिक्री के महत्वपूर्ण केन्द्र हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) यद्यपि भारतीय पटसन निगम का प्रधान कार्यालय कलकत्ता में स्थित है तथापि, बिहार में खरीद कार्य पूर्णिया तथा सहरसा जिलों में स्थित दो क्षेत्रीय कार्यालयों की मार्फत पूरी तरह नियंत्रित किया जाता है ।

चाय उद्योग में संकट

3546. **श्री संतोष मोहन देव :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चाय उद्योग कोयला, उर्वरक और खाद्यान्न जैसे विभिन्न आदानों की सप्लाई के बारे में संकट का सामना कर रहा है ; और

(ख) तो कठिनाईयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) चाय उद्योग को अन्तर्विष्ट साधनों की सप्लाई के प्रश्न पर सरकार तथा चाय बोर्ड द्वारा सतत समीक्षा की जाती है और जहां आवश्यक होता है, भारत सरकार के सम्बद्ध विभागों के साथ इस मामले को उठाकर समय समय पर उपचारात्मक कार्यवाही की जाती है ।

चाय वित्त निगम

3547. श्री संतोष मोहन देव :
श्री के० पी० सिंह देव :
श्री चित्त महाटा :
श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लुरी :
श्री अमर राय प्रधान :
श्री बी० एस० विजय राघवन : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अपर्याप्त वित्तीय सुविधाओं के कारण चाय उत्पादन गम्भीर खतरों का सामना कर रहा है ;

(ख) क्या सरकार का विचार चाय उद्योग की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग से चाय वित्त निगम की स्थापना पर विचार करने का है ; और

(ग) चाय उद्योग को संस्थागत एजेंसियों से वित्त उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित तात्कालिक उपायों का क्या विवरण है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) यद्यपि वित्त की कमी के कारण कठिनाईयों के विशिष्ट मामले हो सकते हैं, फिर भी भारत ने 1980 में चाय का लगभग 575 मि०किग्रा. का अधिक उत्पादन किया है जबकि 1979 में यह लगभग 548 मि० किग्रा. था ।

(ख) तथा (ग) सरकार एक बागान वित्त निगम की स्थापना करने सम्बन्धी एक प्रस्थापना पर विचार कर रही है जो अन्य बातों के अलावा चाय उद्योग की विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं की व्यवस्था करेगा । भारतीय रिजर्व बैंक ने चाय उद्योग के लिए अल्पावधि तथा दीर्घावधि दोनों प्रकार के वित्त से संबंधित समस्याओं पर विचार करने के लिए अक्तूबर, 1980 में एक समिति गठित की । इस समिति को छः महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है और इसके विचारार्थ विषयों में चाय उद्योग के वित्त पोषण के विद्यमान तरीकों की समीक्षा करना भी शामिल है ।

बीड़ी को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से छूट दिया जाना

3548. श्री के० ए० राजन :
श्री जी० एम० बनातवाला :
श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में बीड़ी सहकारी समितियों से ज्ञापन मिला है जिसमें अनुरोध किया गया है कि उनको केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से छूट दी जाए अथवा उनके द्वारा अदा किए जाने वाले शुल्क की राशि के समतुल्य उनको राजसहायता दी जाए ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) सरकार को, बीड़ी वर्कर्स इण्डस्ट्रियल कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के निदेशक मण्डल (केरल दिनेश बीड़ी) से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने अनुरोध किया है कि या तो सोसाइटी को बीड़ियों पर लगने वाले केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से छूट दी जाय या उसके द्वारा प्रदत्त शुल्क की रकम के बराबर राज सहायता देकर उसकी मदद की जाय ।

उक्त सोसायटी द्वारा निर्मित बीड़ियों पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की अदायगी से छूट दिए जाने सम्बन्धी दरख्वास्त स्वीकार नहीं की गई है । सोसाइटी द्वारा प्रदत्त केन्द्रीय उत्तादन शुल्क के बदले किसी प्रकार की राहत देने की भी सरकार की कोई योजना नहीं है ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को भवन निर्माण हेतु ऋण के सम्बन्ध में महालेखाकार कार्यालय कर्मचारी यूनियन केरल में अभ्यावेदन

3549. **श्री के. ए. राजन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को भवन निर्माण हेतु ऋण के सम्बन्ध में महालेखाकार कार्यालय कर्मचारी यूनियन, केरल से 6 फरवरी, 1981 का अभ्यावेदन मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

अभ्यावेदन में उल्लिखित मुख्य-मुख्य बातें ये हैं कि महालेखाकार, केरल के कार्यालय में 71 ऐसे आवेदक है जो प्रयाप्त निधियों के अभाव में 1978-79 और उसके बाद से गृह-निर्माण अग्रिम के लिए प्रतिक्षा कर रहे हैं और उन्हें कुछ मामलों में भूमि मालिकों को उनके द्वारा दिए गए बयाने की अग्रिम राशि के जब्त हो जाने तथा निर्माण-सामग्री की लागत में हो रही निरन्तर

वृद्धि के कारण निर्माण के मूल अनुमानों के व्यर्थ एंव अपर्याप्त हो जाने जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। 1980 के लिए उस कार्यालय में लगभग 25 लाख रुपये की कुल अनुमानित आवश्यकता की तुलना में नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा अब तक आंवटित की गई राशि केवल 1.25 लाख रुपये है, और साथ ही यह विशेष निवेश दिए गए हैं कि इस राशि का उपयोग 1978-79 के केवल पांच आवेदकों को अग्रिम मंजूर करने के लिए किया जाएंगा और शेष राशि अभ्यार्पित की जाएगी। इस प्रकार 66 आवेदक शेष रह जाएंगे। यह अनुमान लगाया गया है कि इन 66 आवेदकों की मांग को पूरा करने के लिए 7.50 लाख रुपये की आवश्यकता होगी और यह आग्रह किया गया है कि महालेखाकार केरल के कार्यालय, को अवांटित करने के लिए मार्च, 1981 से पहले अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा अभ्यार्पित राशि में से उतनी ही राशि देने के आदेश जारी कर दिए जाएं।

2. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को गृह-निर्माण अग्रिम की मंजूरी के लिए निधियां उपलब्ध होने पर, भारतीय लेखा परीक्षक तथा लेखा विभाग सहित केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों को निर्माण और आवास मन्त्रालय द्वारा आबंटित की जाती है निर्माण और आवास मन्त्रालय ने भी निधियों के उपयोग के प्रयोजन के लिए मानदंड निर्धारित किया था। अगस्त, 1980 में किए गए आवंटन में इस बात का भी उल्लेख किया गया था कि विभाग को सुपुर्द की गई कुल निधियों का उपयोग, बचत-बद्ध देनदारियों के मामलों और ताजे/नए मामलों के अन्तर्गत 5.1 के अनुपात में अग्रिमों की स्वीकृति देने के लिए किया जाए। वचन-बद्ध देनदारियों के मामलों के लिए महालेखाकार, केरल के कार्यालय की 7:04 लाख रुपये की कुल आवश्यकता की तुलना में भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग को सरकार द्वारा सुपुर्द की गई 1.5 करोड़ रुपये की कुल राशि में से उस कार्यालय को 5.61 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई थी। ऐसा उस विभाग के सभी कार्यालयों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित अग्रता श्रेणी के अन्तर्गत एक समान मानदंड का अनुपालन करते हुए, किया गया था। सरकार ने 1981 में भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग को 1.1 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि सुपुर्द की थी, जिससे वर्ष के लिए आबंटन की कुल राशि बढ़ कर 2.6 करोड़ रुपये हो गई। महालेखाकार, केरल की आवश्यकताओं पर अन्य सभी कार्यालयों के साथ विचार किया गया था और सरकार द्वारा निर्धारित अग्रता श्रेणियों के अन्तर्गत इस बारे में अपनाई गई एक समान नीति का अनुसरण करते हुए महालेखाकार, केरल के कार्यालय को जनवरी और फरवरी, 1981 में क्रमशः 1.29 लाख रुपये और 2.86 लाख रुपये की और राशि आवंटित की गई थी। कुल क्षेत्रीय कार्यालयों से निधियों के अभ्यार्पण की सूचना प्राप्त होने पर स्थिति की फिर से समीक्षा की गई है और जिन आवेदकों ने 1980-81 के दौरान गृह निर्माण अग्रिम के लिए आवेदन किया था उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महालेखाकार, केरल के कार्यालय को 1.4 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि आबंटित की गई है। इस प्रकार भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के सुपुर्द की गई 2.6 करोड़ रुपये की कुल राशि में से 11.15 लाख रुपये की राशि महालेखाकार, केरल के कर्मचारियों के लिए आबंटित कर दी गई है। इस प्रकार किए गए आबंटन में उन सभी कर्मचारियों के मामले आ जाते है जिन्होंने 1979-80 तक गृह निर्माण अग्रिम के लिए आवेदन किया था। यह

आशा की जाती है कि इसके अलावा जिन कर्मचारियों ने 1990 के दौरान निर्माण अग्रिम (पहली किश्त) के लिए आवेदन किया था, उनमें से 25% कर्मचारियो के मामलों की पूर्ति हो जाएगी ।

क्योंझर खान और वन मजदूर संघ, उड़ीसा से प्राप्त ज्ञापन

3550. **श्री के. ए. राजन** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को क्योंझर खान और वन मजदूर संघ उड़ीसा से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने अपनी समस्याओं का उल्लेख किया है और उनके समाधान के लिए कुछ मांगे पेश की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रवण मुखर्जी) : (क) जी, हां ।

(ख) श्रमिक संघ ने कई मांगे रखी हैं जैसे खनिज तथा धातु व्यापार निगम लौह-अयस्क की अधिकाधिक खरीद करे, इस अयस्क के मूल्यों में वृद्धि की जाए, रेलवे तथा बन्दरगाह की सुविधाओं में सुधार किया जाए ताकि निर्यात में वृद्धि की जा सके तथा लौह-अयस्क और मैंगनीज अयस्क की खानों के मजदूरों के वेतनों में वृद्धि की जाए और उनके जीवन स्तर में सुधार किया जाए । रेल द्वारा काफी लम्बी दूरी तक ढुलाई और बन्दरगाह की क्षमता सीमित होने के कारण पारादीप से लौह-अयस्क का निर्यात करना खनिज तथा धातु व्यापार निगम के लिए लाभप्रद नहीं । विदेशी खरीददार भी अन्य बड़ी बन्दरगाहों की तुलना में पारादीप से लौह-अयस्क ले जाने के लिए तैयार नहीं है । इसीलिए इस क्षेत्र से निर्यात के लिए निकाले गए लौह-अयस्क की अपेक्षाकृत कम खरीद होती है । खनिज तथा धातु व्यापार निगम स्थिति से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है । जहां तक मैंगनीज अयस्क का सम्बन्ध है । फास्फोरस की कम मात्रा वाले उच्च श्रेत्री के अयस्क के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है इसीलिए आन्तरिक खपत के लिए मैंगनीज अयस्क का उत्पादन मांग को ध्यान में रखकर अधिकाधिक किया जाता है ।

जहां तक मजदूरों के वेतनों तथा जीवन-स्तर का सम्बन्ध है श्रमिक संघ को सामान्य प्रक्रिया के अनुसार, यथावश्यक, श्रम तंत्र की सहायता से बातचीत द्वारा समस्या का समाधान करना चाहिए ।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण

3551. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**
श्री सुधीर गिरि :
श्री नीरेन घोष : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से नया अधिक ऋण प्राप्त करने संबंधी बातचीत करने के बारे में विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अगस्त 1980 के दौरान भारत ने ऋण के रूप में धनराशि निकाली है ;

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि मंडल ने जनवरी, 1981 में भारत का दौरा किया था ;

(घ) यदि हां, तो क्या कोई बातचीत हुई थी ; और

(ङ) वर्ष 1980-81 में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कितनी धनराशि उधार ली गई और वर्ष 1981-82 में अनुमानत: कितना ऋण लिया जाएगा ?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) यह सूचना देना लोक हित में नहीं होगा।

(ख) और (ङ) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रशासित न्यास निधि से अगस्त 1980 में 52,546 करोड़ एस. डी. आर. के बराबर का एक ऋण लिया गया था जो निधि की प्रतिपूरक वित्त-पोषण-सुविधा के अन्तर्गत 26.6 करोड़ एस. डी. आर. के बराबर की गई विदेशी मुद्रा की खरीद के अलावा है। वर्ष 1981-82 में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिए जाने वाले उधारों के संबंध में कोई जानकारी देना संभव नहीं है।

(ग) और (घ) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक प्रतिनिधि मंडल ने 8 जनवरी से 12 जनवरी, 1981 तक भारत का दौरा किया था। सामान्य चलन के अनुसार, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ अर्थ-व्यवस्था की स्थिति तथा अन्य सम्बद्ध मामलों पर विचार-विमर्श किया गया था।

भारत की अभ्रक के मूल्य में वृद्धि करने की मांग

3552. **श्री एम. बी. चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री माधव राव सिंधिया : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ ने चालू कलेण्डर वर्ष के दौरान अभ्रक के मूल्य में वृद्धि करने के लिए भारत की मांग को स्वीकार नहीं किया है ;

(ख) इसके मुख्य कारण क्या हैं ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सोवियत संघ का कोई प्रतिनिधि मंडल जनवरी, में भारत आया था लेकिन बिना कोई करार किए ही वापस चला गया ; और

(घ) इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खाँन) : (क) से (घ) अभ्रक के निर्यात के लिए सरलीकरण अभि रण के रूप में, अभ्रक व्यापार निगम ने सितम्बर, 1980 में अपनी कीमतें बढ़ाई थी जो सभी विदेशी क्रेताओं, जिसमें सोवियत संघ भी शामिल है, पर लागू की गई थी। सोवियत संघ ने इन कीमतों को स्वीकार कर लिया है और उसके प्रतिनिधिमंडल ने, जिसने गत मास भारत की यात्रा की थी, संशोधित कीमतों पर मिटको के साथ संविदा सम्पन्न की है।

बौद्ध तीर्थ स्थलों का विकास और उन्हें विमान मार्ग से जोड़ा जाना

3513. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एशिया के बौद्ध देशों से पर्यटकों को बौद्ध तीर्थ स्थलों की तीर्थ-यात्रा करने के लिए आकर्षित करने के लिए कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का विवरण क्या है और क्या निकट भविष्य में बोध गया सारनाथ, कुशीनगर, सरस्वती, अजंता और एलोरा जैसे सभी महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थलों को विमान मार्ग से जोड़ा जाएगा ;

(ग) यदि हां, तो किस तारीख तक ऐसा कर दिए जाने की सम्भावना है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (घ) बौद्ध तीर्थ यातायात के संवर्धन की दृष्टि से, केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने बौद्ध देशों के प्रमुख केन्द्रों, यथा टोकियो, बैंकाक और सिंगापुर में अपने पर्यटक कार्यालय स्थापित किए हैं। इसके साथ-साथ, विभाग ने चुने हुए बौद्ध केन्द्रों, यथा बोध गया, राजगीर, नालन्दा, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती की महा योजनाएं (भूमि-प्रयोग योजनाएं) भी तैयार की हैं। कुशीनगर और श्रावस्ती में जुटायी जाने वाली सुविधाओं का माइक्रोप्लानिंग सम्बन्धी कार्य चालू है। कुशीनगर, श्रावस्ती, राजगीर, बोधगया और नालन्दा में पर्यटक सुविधाए देने से सम्बन्धित विकास योजनाओं के कार्यान्वयन को छठी पंच वर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ करने का प्रस्ताव है बशर्ते धनराशि उपलब्ध हो।

भारतीय होटल निगम, जो एयर-इण्डिया का एक सहायक संगठन है, जापान के होक्के क्लब के सहयोग से शीघ्र ही कुशीनगर और राजगीर में जापानी ढंग के एक-एक होटल का निर्माण कार्य प्रारंभ करेगा।

इंडियन एयरलाइंस औरंगाबाद, वाराणसी, गोरखपुर और पटना के लिए पहले ही हवाई सेवाओं का प्रचालन कर रहा है और इन स्थानों से अधिकांश बौद्ध केन्द्रों पर रेल अथवा सड़क द्वारा पहुंचा जा सकता है।

आयकर की बकाया राशि

3554. **श्री सुभाष यादव :**

श्री कृष्ण प्रताप सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान, प्रत्येक वित्त वर्ष के अन्त में देश में आयकर की कुल कितनी राशि बकाया रही ;

(ख) उन व्यक्तियों तथा निकायों के नाम क्या हैं जिनकी ओर आयकर की एक लाख रुपए से अधिक राशि बकाया है ;

(ग) आयकर की बकाया राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) गत पांच वर्षों के दौरान, प्रतिवर्ष, आयकर की कितनी बकाया राशि को बट्टे खाते में डाला गया और कितने लोगों के मामले में ऐसा किया गया तथा उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) पिछले 3 वित्तीय वर्षों के अन्त में विद्यमान स्थिति के अनुसार 'बकाया कर' तथा 'जारी की गई किन्तु वसूली के लिए देय नहीं बनी मांग' के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना निम्नानुसार है :

वित्तीय वर्ष	बकाया कर	(रकम करोड़ रुपयों में) जारी की गई किन्तु वसूली के लिए देय नहीं बनी मांग
1977-78	663 53	356 34
1978-79	554.90	355.74
1979-80	589.65	422.20

(ख) वित्तीय वर्ष	जिन व्यक्तियों तथा पार्टियों की ओर एक लाख रुपए से अधिक का आयकर बकाया था, उनकी संख्या
1977-78	10,183
1978-79	7,365
1979-80	8,459

(ग) कर की बकाया पड़ी रकमों की वसूली और उगाही करने के निमित्त आयकर अधिनियम, 1961 में अनेक उपायों की व्यवस्था है जैसे : अर्थदण्ड लगाना, चूककर्ता को प्राप्य

धन का अधिग्रहण चल सम्पत्ति को बन्धक रखना तथा उसे बेचना, अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण तथा बिक्री करना, आदि। प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थियों पर निर्भर करते हुए, कर की बकाया की वसूली के लिए, सम्बन्धित आयकर प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर उचित उपाय किए जाते हैं। हाल ही में जो महत्वपूर्ण प्रशासनिक उपाय किए गए हैं उनमें से कुछ 'विवरण' में दिए गए हैं।

(घ) वित्तीय वर्ष — मामले, जिनमें आयकर की बकाया को बट्टे खाते डाला गया

	मामलों की संख्या	रकम, करोड़ रुपयों में
1975-76	12,485	5.32
1976-77	87,296	9.79
1977-78	94,316	17.19
1978-79	96,641	21.76
1979-80	1,81,409	10.55

निम्नलिखित कारणों में से एक अथवा उससे अधिक कारणों से अप्राप्य बन जाने पर आयकर की बकाया को प्रायः बट्टे खाते डाल दिया जाता है;

(1) निर्धारिती का बिना कोई परिसम्पत्ति छोड़े मरना;

(2) निर्धारिती कम्पनियों का परिसमाप्त होना;

(3) निर्धारिती जो जीवित हैं परन्तु जिनके पास ऐसी कोई परिसम्पत्तियां नहीं हैं जिनसे बकाया कर की वसूली की जा सके;

(4) निर्धारिती का लापता होना;

(5) निर्धारितियों का, कोई परिसम्पत्तियां छोड़े बिना देश से बाहर चला जाना;

(6) निर्धारितियों के साथ समझौता हो जाने के परिणामतः बट्टे-खाते डाली गयी रकम; और

(7) रकम का बहुत कम होना, आदि।

विवरण

कर की बकाया को कम करने और काफी समय से बकाया पड़े करों की वसूली के लिए, हाल ही में किए गए महत्वपूर्ण प्रशासनिक उपायों में से कुछ उपाय निम्नलिखित हैं :—

(1) चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 1980-81 के लिए आयकर विभाग की 'कार्यवाही-योजना' में कर की वकाया वसूली को उच्च प्राथमिकता दी गई है ।

(2) मई 1980 में हुए आयुक्तों के सम्मेलन में, कर की वकाया की समस्या की व्यापक रूप से जांच की गयी थी और निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए थे :—

(क) बकाया मांग में 55 प्रतिशत तथा चालू मांग में 85 प्रतिशत की कमी करना ; और

(ख) 1979-80 में जारी की गई मांग की वकाया प्रविष्टियों में 85 प्रतिशत की कमी करना ।

(3) कर की वकाया की वसूली की मासिक प्रगति पर बोर्ड द्वारा निगरानी रखी जाती है । इस सम्बन्ध में आंकड़े, आयुक्तों से तार द्वारा मंगवाए जाते है और बोर्ड द्वारा इस सम्बन्ध में उपयुक्त उपचारी कार्यवाही की जाती है ।

(4) आयकर आयुक्त के ओहदे का एक वसूली निदेशक, कर की बकाया की वसूली, विशेषत: 10 लाख रुपये और उससे अधिक के वकाया के मामले में वसूली की प्रगति पर कड़ी निगरानी रखता है । उसके कार्य की प्रगति पर बोर्ड द्वारा निगरानी रखी जाती है ।

(5) परिसमापनाधीन कम्पनियों की ओर बकाया पड़ी कर की रकमों की वसूली में तेजी लाने के लिए कम्पनी कार्य विभाग ने बोर्ड के निवेदन पर 1979 में सभी सरकारी परिसमापकों के नाम अनुदेश जारी किया था जिसमें उनसे आयकर प्राधिकारियों से निकट सम्पर्क स्थापित करने और आयकर अधिकारियों को अपेक्षित सूचना भेजने के लिए कहा गया था। इस संबंध में आयकर अधिकारियों को भी उपयुक्त अनुदेश जारी किए जा चुक हैं ।

(6) आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में विचाराधीन पड़ी ऐसी अपीलों की एक सूची, प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के लिए वर्ष 1979-80 में विधि मंत्रालय के माध्यम से न्यायाधिकरण के अध्यक्ष को भेजी गयी थी जिनमें बकाया की बड़ी रकमें अन्तर्ग्रस्त थीं । आयकर आयुक्तों से निवेदन किया गया था कि वे न्यायाधिकरण की स्थानीय पीठों के उपाध्यक्षों/सदस्यों के साथ सम्पर्क बनाये रखें । उनसे यह भी निवेदन किया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्र के उच्च न्यायालयों के माननीय मुख्य न्यायाधीशों से मिलें तथा उच्च मांग वाले अनिर्णीत पड़े मामलों के निपटान के लिए शीघ्र ही सुनवाई करने का निवेदन करें । चालू वित्तीय वर्ष में भी इसी तरह

की कार्यवाही करने का निश्चय किया गया है और 5 जुलाई 1980 को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं ।

(7) जनवरी 1981 के दूसरे पखवाड़े में एक "कर की बकाया और वापसी निपटान पखवाड़ा" मनाया जाएगा जिसमें कर की बकाया को कम करने पर विशेष जोर दिया जाएगा ।

(8) वसूली के ऐसे मुश्किल मामलों में, जिनमें 25,000/- रु० अथवा इससे अधिक की रकम ग्रस्त थी, एकाग्र रूप से ध्यान देकर बकाया रकम को वसूल करने के लिए वर्ष 1979-80 में पृथक आयकर अधिकारी नियुक्त किए गए थे । चालू वर्ष में इन व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है और जहां व्यवहार्य होगा इन्हें सुदृढ़ किया जाएगा ।

(9) अनिर्णीत पड़ी अपीलों को तेजी से निपटाने के लिए अपीलीय सहायक आयुक्तों के 36 अतिरिक्त पद हाल ही में मंजूर किए गए हैं ।

(10) आयकर की बड़ी मांगों के खिलाफ की गई अपीलों की सूचियां, अर्थात् ऐसी अपीलें, जिनमें प्रत्येक में कर की बकाया रकमें । लाख रुपए अथवा उससे अधिक की होती हैं, बोर्ड द्वारा समय-समय पर आयकर आयुक्तों (अपील) को भेजी जाती हैं, जिनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे उनका निपटान प्राथमिकता के आधार पर करें । हाल ही में उनसे यह अनुरोध किया गया है कि वे 31 दिसम्बर 1980 तक दाखिल की गई ऐसी सभी अपीलों का निपटान चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक कर दें ।

(10) कर-निर्धारण वर्ष 1979-80 के लिए आयकर विवरणी फार्मों में आई० टी० एन० एस० 224 में एक अलग प्रोफार्मा दिया गया है जिसमें कर-निर्धारितियों से यह अपेक्षा की गई है कि वे भूलसुधार के अनिर्णीत पड़े मामलों, पूर्व-प्रदत्त करों के दावे, आदि के ब्यौरों का उल्लेख करें । आयकर अधिकारियों को अनुदेश जारी कर दिये गये हैं कि वे व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करें कि कि भूलसुधार के अनिर्णीत पड़े सभी मामलों को, विशेष कर वे जिनका उल्लेख कर-निर्धारित द्वारा आई. टी. एन. एस. 224 के प्रोफार्मा में किया गया है, बाकायदा पूरा कर लिया जाए ताकि शुद्ध कर की अदायगियों को शीघ्र वसूल किया जा सके और व्यर्थ की बकाया को समाप्त किया जा सके । बोर्ड, इस सम्बन्ध में हुई प्रगति पर निगरानी रख रहा है ।

(12) आयुक्तों को ऐसे अनुदेश जारी किए गए हैं जिनमें उनसे यह अपेक्षा की गई है कि वे अपने निरीक्षी सहायक आयुक्तों के हाथ समय-समय पर बैठकों का आयोजन करे और निरक्षी सहायक आयुक्त इसी प्रकार की बैठकें अपने रेंज आयकर अधिकारियों के साथ आयोजित करें जिनमें वसूली के सम्बन्ध में किए गए कार्य का जायजा लिया जाय । जैसा कि ऊपर बताया गया है, बोर्ड भी तार द्वारा मासिक रिपोर्टें मंगवाकर प्रत्येक आयुक्त द्वारा किए गए कार्य का जायजा लेता रहा है ।

विदेशी निवेश

3555. श्री राम प्यारे पनिका :
श्री नवल किशोर शर्मा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बड़ी विकास परियोजनाओं के लिए विदेशी निवेश को बढ़ावा देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं और किन परियोजनाओं में यह किया जाएगा उनके नाम क्या है ; और

(ग) क्या इससे परियोजनाओं की गति तेज होगी ?

वित्त मन्त्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) से (ग) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय तेल निर्यातक विकासशील देशों के लिए भारत में पूंजी के निवेश के लिए उपलब्ध की गई सुविधा के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने से है । यदि ऐसा ही आशय है तो माननीय सदस्य का ध्यान दिनांक 19-12-80 के तारांकित प्रश्न संख्या 483 के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है । सरकार को उम्मीद है कि इस सुविधा के प्रदान किए जाने से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में अधिक मूल्य वाली परियोजनाएं स्थापित करने में सहायता मिलेगी ।

कुद्रेमुख लौह अयस्क पर आधारित पेलटाइजेशन संयंत्र की स्थापना

3556. श्री जनार्दन पुजारी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी निवेश बोर्ड ने कुद्रेमुख लौह अयस्क पर आधारित पेलटाइजेशन संयंत्र की स्थापना करने का अनुमोदन कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है, अनुमानित लागत कितनी है और तैयार की गई परियोजना रिपोर्ट का ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो अन्तिम निर्णय करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां ।

(ख) इस परियोजना के लिए मेकन ने एक रिपोर्ट तैयार की थी । इस पैलेट संयंत्र में प्रतिवर्ष कुद्रेमुख सांद्रण से 30 लाख टन पैलेट बनाए जाएंगे । जुलाई, 1980 के मूल्यों के आधार पर इस परियोजना पर 87.05 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है । अनुमान है कि इस परियोजना का निर्माण कार्य आर्डर दिए जाने के पश्चात् 40 महीनों में पूरा हो जाएगा, जिसमें

परीक्षण के तौर पर उत्पादन तथा कारखाने को चालू करने में लगने वाले 4 महीने भी शामिल हैं इस कारखाने में उत्पादित पैलेट सीधे अपचयन श्रेणी के होंगे, जिनसे स्पान्ज लोहा बनाया जा सकेगा ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

तीसरे स्तर की विमान सेवा के लिए वायुयानों का चयन

3557. **श्री चित्त बसु** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तीसरे स्तर की विमान सेवा में उपयोग के लिए वायुयानों की खरीद के बारे में कोई अन्तिम निर्णय ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो चयन के लिए किन-मुद्दों पर विचार किया गया ;

(ग) अन्य किन देशों में इस प्रकार के वायुयानों की बिक्री की पेशकश की थी ;

(घ) पेशकश का तुलनात्मक मूल्यांकन क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सरकार को तीसरी वायु सेवाओं के लिए उपयुक्त विमान की सिफारिश करने के लिए गठित की गई मूल्यांकन समिति ने 14 विमान निर्माताओं से विमान के चयन के लिए आवश्यक तकनीकी सूचना प्रदान करने का अनुरोध किया था । परन्तु, विभिन्न प्रकार के 5 विमानों के केवल 5 निर्माताओं, अर्थात् ट्विन ओट्टर (कनाडा), नोमैड (आस्ट्रेलिया), स्काईवेन (यू० के०), कासा (स्पेन) तथा बांदेरांते (ब्राजील) ने ही पर्याप्त तकनीकी सूचना प्रस्तुत की ।

(घ) प्राप्त हुए आफर का तुलनात्मक मूल्यांकन, सरकार द्वारा फीडर सेवाओं के परिचालन के लिए विमान के चयन के बारे में निर्णय लेने के समय किया जाएगा ।

पटसन कृतिक बल का प्रतिवेदन

3558. **श्री चित्त बसु** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा नियुक्त पटसन कृतिक बल ने इस बीच अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदान की मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (ग) कार्य दल ने 26 फरवरी, 1981 को सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उसमें कच्चे पटसन की उत्पादन क्षमता और क्वालिटी में सुधार से लेकर उद्योग के आधुनिकीकरण तथा घरेलू बिक्री और निर्यातों के लिए समुचित नीति बनाने तक अनेक सिफारिशें की गई है। रिपोर्ट की एक प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है। कार्यदल की सिफारशों पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

इस्पात के आयात के लिए खुले सामान्य लाइसेंस

3559. **श्री चिन्तामणी पाणिग्रही** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस्पात, आयात के लिए खुला सामान्य लाइसेंस समाप्त करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) प्रश्न का विषय वर्ष 1981-82 के लिए घोषित की जाने वाली आयात नीति के एक भाग से सम्बन्धित है। जब कभी आयात नीति घोषित की जाती है, सामान्यतः इसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है बशर्ते कि संसद का अधिवेशन चल रहा हो।

मूल्य नियंत्रण आयोग की स्थापना

3560. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने मूल्य वृद्धि को रोकने के उपाय के लिए केन्द्र सरकार ने एक मूल्य नियंत्रण आयोग की स्थापना करने का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) तथा (ख) पंजाब के मुख्य मन्त्री द्वारा दिए गए सुझाव का सम्बन्ध बुनियादी उपभोक्ता वस्तुओं के लिए मूल्य नियंत्रण आयोग की स्थापना से था। इस सन्दर्भ में इस बात पर ध्यान दिया जाए कि कृषि और औद्योगिक उत्पादों की कीमतें निर्धारित करने के लिए आवश्यक तन्त्र पहले से ही विद्यमान है और बातों के साथ-साथ, आवश्यक वस्तु अधिनियम में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को 65 आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया है। काला-बाजारी की रोकथाम और आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति का अनुरक्षण अधिनियम, 1980 में जमाखोरों, काला बाजारियों और अन्य असामाजिक तत्वों के विरुद्ध निरोधक कार्रवाई करने की व्यवस्था है। इसलिए कोई अन्य मूल्य नियंत्रण आयोग स्थापित करने का स्पष्टतः कोई आधार नहीं है।

मध्य प्रदेश स्थित डल्ली राजहरा लौह अयस्क खानों में हड़ताल

3561. **श्री ए. के. राय :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1981 में मध्य प्रदेश में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अन्तर्गत डल्ली राजहरा लौह अयस्क खानों में हड़ताल हुई थी जिसमें खानों के हजारों श्रमिक सम्बद्ध थे ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विस्तृत तथ्य क्या हैं ;

(ख) क्या ठेकेदारों और पुलिस की सहायता से छत्तीसगढ़ खान श्रमिक संघ के नेतृत्व के अन्तर्गत श्रमिक सहकारिकता को तोड़ने के लिए प्रबन्धकों द्वारा प्रयास किया गया था जिससे मामला भड़क उठा ;

(ग) क्या एक संसद सदस्य ने उन्हें इस आशय का एक ज्ञापन भेजा था ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) 12 फरवरी, 1981 को दल्ली-राजहरा खान समूहों तथा दानीटोला क्वार्टिजाइट खानों में कार्य कर रहे ठेकेदारों के लगभग 7904 श्रमिक अचानक अपना कार्य-स्थल छोड़कर चले गए तथा उनकी मांग थी कि वे तब तक काम पर नहीं लौटेंगे जब तक कि श्री शंकर गुहा नियोगी सहित उनके नेताओं को रिहा नहीं कर दिया जाता । तब से ये श्रमिक काम पर नहीं लौटे हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) तथा (घ) अभी तक इस प्रकार का कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है ।

बैंकों में सेवानिवृत्ति के लिए आयु सीमा

3562. **श्री नीरेन घोष :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों में सेवा-निवृत्ति की स्वीकार्य आयु सीमा ६० वर्ष है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया, बैंक आफ इण्डिया और यूनियन बैंक के चेयरमैन की पदावधि वर्ष 1980 में समाप्त हो गयी थी ;

(ग) यदि हां, तो क्या उन सब की पदावधि बढ़ा दी गयी है या बढ़ा दी गयी थी ;

(घ) यदि हां, तो कितनी ;

(ङ) क्या उनके सम्बन्ध में बढ़ाई गयी अवधि में कोई अन्तर है ;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(छ) क्या बैंक आफ इंडिया के चेयरमैन की 60 वर्ष की आयु से पहले ही सेवानिवृत कर दिया गया है ; और

(ज) यदि हां, तो इस प्रकार का अपना प्रकार बरकरार किए जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मानभाई बरोट) : (क) से (ज) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पचाट कर्मचारियों के सेवा सम्बन्ध में आयु सीमा 60 वर्ष है। निवृत्ति अधिकारियों के मामले में स्थिति इस प्रकार है :

(1) जुलाई, 1969 में राष्ट्रीयकृत किए गए 14 बैंकों के सभी अधिकारी जो इन बैंकों में उस तारीख से पहले नियुक्त किए गए थे, नए अधिकारी सेवा नियमों के क्रियान्वयन से पहले उस समय लागू नियमों के अनुसार ही सेवा निवृत्ति होंगे। 14 में से 12 बैंकों में राष्ट्रीयकरण से पहले भर्ती हुए लोगों के लिए सेवा निवृत्ति आयु 60 वर्ष है। दो बैंकों, अर्थात इलाहाबाद बैंक तथा सिंडीकेट बैंक के अधिकारियों के मामले में यह 58 वर्ष है।

(2) जुलाई, 1969 में राष्ट्रीयकृत 14 बैंकों के वे सभी अधिकारी जो चाहे राष्ट्रीयकरण की तारीख को नियुक्त हुए चाहे उसके बाद, 58 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद सेवा निवृत्त होंगे।

(3) भारतीय स्टेट बैंक तथा इसके सहयोगी बैंकों के अधिकारियों की सेवा निवृत्ति की आयु 58 वर्ष अथवा 30 वर्ष की सेवा, जो भी पहले हो, है। वे अधिकारी जो जुलाई 1969 से पहले से आये थे, उनकी अवधि 2 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।

(4) अप्रैल, 1980 में राष्ट्रीयकृत किये गए छह बैंकों में अधिकारियों की सेवा-निवृत्ति आयु इस प्रकार है :—

1. आंध्र बैंक	58 वर्ष (1-1-73 से पहले नियुक्त होने वालों के लिए 60 वर्ष)
2. कारपोरेशन बैंक	58 वर्ष
3. ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	60 वर्ष
4. विजया बैंक	60 वर्ष
5. न्यू बैंक आफ इंडिया	60 वर्ष
6. पंजाब एंड सिंध बैंक	55 वर्ष

2. राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्षों तथा प्रबन्ध निदेशकों तथा भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक के सम्बन्ध में 60 वर्ष की आयु सीमा का पालन सरकार द्वारा सामान्यत;

किया जाता है, यद्यपि इन पदों पर नियुक्तियों के बारे में, उन बैंकों को शासित करने वाले विधानों में आयु सीमा सम्बन्धी कोई व्यवस्था नहीं है। ये नियुक्तियां निश्चित अवधि (टेन्योर) के लिए होती हैं।

प्रश्न के भाग (ख) में उल्लिखित 4 बैंकों के अध्यक्षों तथा प्रबन्ध निदेशकों का कार्यकाल 1980 में इस प्रकार समाप्त होना था :

1. पंजाब नेशनल बैंक	श्री ओ० पी० गुप्ता	31-7-80
2. यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	श्री ए०स नियोगी	31-7-80
3. बैंक आफ इंडिया	श्री एच० सी० सरकार	29-10-80
4. यूनियन बैंक आफ इंडिया	श्री बी० एल० परांजपे	25-5-80

श्री ओ० पी० गुप्ता, 21-6-80 को 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद 31 अगस्त, 1980 को बैंक से सेवा निवृत्त हो गये। श्री एस० नियोगी की अवधि 2, अक्टूबर, 1980 तक थोड़े समय के लिए बढ़ाई गई तथा उस तारीख को 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद उन्हें बैंक की सेवा से निवृत्त कर दिया गया। श्री एच.सी. सरकार की तीन वर्षीय नियुक्ति का कार्यकाल 29-10 80 को समाप्त हुआ। उनका कार्यकाल 29-11-80 तक अल्प-अवधि के लिए बढ़ाया गया, जिसके बाद वे सेवा-निवृत्त हो गए। वे 60 वर्ष की आयु 4-1-81 को पूरी करते। श्री बी. एल. परांजए ने 25 फरवरी, 1980 को 60 वर्ष की आयु पूरी की। उनकी नियुक्ति की अवधि 25 मई 1980 तक थी। श्री परांजपे को, लोकहित में 31-12-80 तक बैंक की सेवा में रख लिया गया।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालकों के पदों पर नियुक्तियां, एक विशिष्ट अवधि के वास्ते, रिजर्व बैंक से परामर्श करके, केन्द्र सरकार द्वारा की जानी अपेक्षित है। प्रत्येक मुख्य कार्यपालक का कार्यकाल, प्रत्येक मामले में, सभी सम्बन्धित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, रिजर्व बैंक के परामर्श से, सरकार द्वारा नियत किया जाता है।

स्टेट बैंक आफ इंडिया में काम करने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों द्वारा किये गये अभ्यावेदन

3563. **श्री चन्द्रपाल शैलानी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इण्डिया, नई दिल्ली में काम करने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को तंग परेशान और जबरदस्ती स्थानान्तरण आदि किये जाने के सम्बन्ध में बैंक के चीफ जनरल मैनेजर और जनरल मैनेजर (ओपरेशंस) को अनेक अभ्यावेदन भेजे गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष में भेजे गये ऐसे अभ्यावेदनों की संख्या कितनी है और प्रत्येक अभ्यावेदन का ब्योरा क्या है ;

(ग) इन अभ्यावेदनों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी है तो असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं और अभ्यावेदन करने वाले व्यक्तियों को सूचित करते हुए कब तक कार्यवाही की जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) भारतीय स्टेट बैंक के अनुसार, इसके नई दिल्ली कार्यालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों से, नौकरियों के कुछ मामलों से सम्बन्धित पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, इनमें से दो, दिल्ली में स्थानीय शाखाओं में स्थानांतरण किए जाने के सम्बन्ध में थे। तीसरा अभ्यावेदन, "आर्मरर" के पद पर काम करने वाले एक कर्मचारी के काम के घण्टों से सम्बन्धित था। चौथा अभ्यावेदन, एक कर्मचारी की वार्षिक वेतन वृद्धि स्थगित किए जाने से सम्बन्धित था।

(ग) और (घ) पहले दो अभ्यावेदनों के मामलों में, सम्बन्धित व्यक्तियों को नई दिल्ली मुख्य शाखा में तैनात किया जा चुका है। सूचना के अनुसार, शेष दो अभ्यावेदनों की जांच की जा रही है। बैंक ने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के अभ्यावेदनों के शीघ्र निपटारे की भरसक कोशिश की जाती है तथा इनमें विलम्ब यदि कभी होता भी है, तो वह केवल अपेक्षित तथ्यों को इकट्ठा करने तथा उनकी जांच के कारण होता है।

'न्यू इंडिया ऐश्योरेंस कम्पनी' का 'पीपुल्स इंश्योरेंस कम्पनी आफ चायना' के साथ समझौता

3564. **श्री सुधीर गिरि** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारत की 'न्यू इंडिया ऐश्योरेंस कम्पनी' ने 'पीपुल्स इंश्योरेंस कम्पनी आफ चायना' के साथ एक समझौता किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) और (ख) सामान्य वाणिज्यिक रीति के अंग के रूप में, न्यू इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड को पीपुल्स इंश्योरेंस कम्पनी आफ चाइना के साथ कुछ एक तरह के पुनर्बीमा संबंधी लेनदेन करने की अनुमति देदी गई है। ये करार प्रारम्भ में जहाजी माल से संबंधित कारबार तक ही सीमित थे और अब इनका क्षेत्र, ऐच्छिक आधार पर समुद्री हल, इंजीनियरी और अग्नि बीमा तक बढ़ा

दिया गया है। दोनों कम्पनियां अपने-अपने देशों में दावों के निपटान और सर्वेक्षण के काम में एक दूसरे की सहायता करने पर भी सहमत हो गई हैं।

गोआ में पर्यटन से वार्षिक आय

3565. **श्रीमती संयोगिता राणे :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ में पर्यटन से कुल कितनी वार्षिक आय होती है और पिछले तीन वर्षों में औसतन कितने पर्यटक प्रतिवर्ष गोआ में आए ; और

(ख) उपरोक्त अवधि में गोआ में पर्यटक एवं पर्यटक स्थलों के विकास के लिए केन्द्र द्वारा कितनी सहायता दी गई ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) पर्यटन से प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा आय का अनुमान अखिल भारतीय आधार पर लगाया जाता है। अतः 1979 के लिए 384 करोड़ रुपए और 1978 के लिए 338 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा आय की तुलना में वर्तमान कीमतों पर 1980 के लिए अनंतिम रूप से 482 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा आय होने का अनुमान है।

1976-77 के दौरान किए गए विदेशी पर्यटक सर्वेक्षण के अनुसार, उनमें से 7.15% विदेशी पर्यटकों ने गोआ की यात्रा की। उस आधार पर पिछले तीन वर्षों अर्थात 1978, 1979 और 1980 के दौरान गोआ की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों की अनुमानित संख्या क्रमशः 53,000 55,000 और 57,000 बैठती है।

(ख) पर्यटन परियोजनाओं के लिए कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी जाती क्योंकि पर्यटन सेक्टर के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें चौथी पंचवर्षीय योजना से समाप्त कर दी गई थीं। अतः पर्यटन स्कीमें या तो केन्द्रीय सेक्टर में या राज्य/संघ शासित क्षेत्र के सेक्टर में शुरू की जाती हैं।

यद्यपि केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा 2 होटल परियोजनाओं को दिए गए अनुमोदन के आधार पर केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत गोआ में कोई स्कीमें अभी तक शुरू नहीं की गई, तथापि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने गोआ में 2 होटल परियोजनाओं को 84.00 लाख रुपए के ऋण दिए हैं। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय पर्यटन विभाग गोआ दमन तथा दीव की सरकार को प्रति वर्ष 12,000/- रुपए की आर्थिक सहायता रिलीज करता रहा है ताकि पणजी में विभाग द्वारा निर्मित परन्तु राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित यूथ होस्टल के वार्डन और सहायक वार्डन के वेतन के खर्च को राज्य सरकार पूरा कर सके।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के लिए पृथक निगम

3566. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में शीघ्रतापूर्वक काम करने के लिए पृथक निगम की स्थापना के लिए केन्द्र का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रवण मुखर्जी) : (क) और (ख) सरकार द्वारा विशाखापत्तनम में एक इस्पात कारखाना लगाने की स्वीकृति प्रदान करने के तुरन्त बाद, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कारखाने को एक निर्धारित अवधि में चालू करना है, इस्पात विभाग में एक अलग कम्पनी अर्थात विशाखापत्तनम स्टील लि० की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव रखा गया था । आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मन्त्री ने इस्पात और खान मन्त्री को लिखे दिनांक 4-4-1980 के अपने पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ एक अलग कम्पनी बनाने का सुझाव भी दिया था । लेकिन सरकार को इस मामले में अंतिम रूप से निर्णय लेने में कुछ और समय लगेगा ।

अलाय स्टील प्लांट के आधुनिकीकरण की योजना

3567. **श्री बी० वी० देसाई :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलाय स्टील प्लांट की प्रौद्योगिकी को अवधन बनाने हेतु उसके आधुनिकीकरण की 57 करोड़ रुपये की लागत की योजना में इस संयंत्र की क्षमता को 1,00,000 टन से बढ़ाकर 2,60,000 टन करने की परिकल्पना की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस्पात मन्त्रालय इस योजना को पहले ही मंजूरी दे चुका है ;

(ग) इस प्रस्तावित योजना की अन्य मुख्य बातें क्या हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि वर्ष 1980-81 में विद्युत सप्लाई की स्थिति खराब होने के कारण 7 करोड़ रुपये का अपूर्व कल्पित घाटा हुआ था ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या अलाय स्टील प्लांट ने इस स्थिति का मुकाबला करने हेतु एक कैप्टिव पावर प्लांट लगाने का निर्णय किया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां। योजना में परिकल्पना की गई है कि इससे कारखाने की द्रव-इस्पात उत्पादन की वार्षिक क्षमता 160,000 टन से बढ़ाकर 260,000 टन कर दी जाएगी।

(ख) जी, नहीं। यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ग) योजना का मुख्य उद्देश्य कारखाने में एक वैक्यूम आक्सीजन डी-कार्बोनाइजेशन तथा एक वैक्यूम आर्क-डी गैसिंग सुविधाओं की स्थापना करना है। प्रस्ताव में निरन्तर ढलाई की एक मशीन तथा हैंडलिंग तथा फिनिशिंग से सम्बन्धित अन्य सम्बद्ध व्यवस्थाओं की स्थापना करने की भी परिकल्पना की गई है।

(घ) बिजली की कमी के परिणाम स्वरूप लगभग 4,300 टन विक्रेय इस्पात की हानि हुई है। लेकिन वर्ष 1980-81 के वास्तविक कार्य-परिणामों के बारे में वर्ष के अन्त में तथा लेखों के अन्तिम रूप तैयार हो जाने के पश्चात ही पता चल सकेगा।

(ङ) दुर्गापुर के इस्पात कारखाने द्वारा एक रक्षित तापीय विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है जिससे दुर्गापुर के मिश्र इस्पात कारखाने तथा दुर्गापुर इस्पात कारखाने दोनों को बिजली मिलेगी।

कागज का आयात

3568. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने अगले वर्ष के लिए कागज के आयात पर अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे यह अनुमान लगाया गया है कि निकट भविष्य में किसी बड़े आयात का विचार नहीं है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने 1981-82 के दौरान कागज के आयात के बारे में कोई अंन्तिम निर्णय किया है ;

(घ) यदि हां, तो क्या कागज के आयात के लिए कुछ देशों के साथ कोई बातचीत की गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (ङ) लिखाई तथा छपाई के कागज के आयात की व्यवस्था भारतीय राज्य व्यापार निगम लि० की मार्फत की गई है ताकि घरेलू माँग तथा उपलब्धता के बीच का अंतर पूरा किया जा सके। 1981-82

के लिए भी आयात की व्यवस्था इसी आधार पर की जाएगी । राज्य व्यापार निगम कागज की खरीद "खुली क्रेता योजना" के अन्तर्गत करता है और किसी विशिष्ट सप्लायर के साथ वार्ता करके नहीं ।

भारत और अमरीका के बीच व्यापार

3569. **श्री बी० वी० देसाई :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्रों में यह खबर छपी है कि अमरीका ने भारत को आश्वासन दिया है कि चालू वर्ष के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार में सुधार होगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में अमरीका सरकार से कोई पत्र प्राप्त हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(घ) सरकार का दोनों देशों के बीच व्यापार में किस हद तक सुधार करने का विश्वास है ; और

(ङ) 1980 के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार सम्बन्धों की क्या स्थिति थी ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) सरकार ने समाचार पत्रों में ऐसी खबरें देखी हैं जिनमें यह भविष्यवाणी की गई है कि संयुक्त राज्य अमरीका और भारत के बीच व्यापार में सुधार होगा ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) तथा (ङ) अमरीकी अर्थव्यवस्था में मन्दी की प्रवृत्तियों और बढ़ते हुए सरक्षात्मक उपायों से संयुक्त राज्य अमरीका को भारत से होने वाले निर्यातों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । तथापि, वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जनवरी से सितम्बर, 1980 की अवधि के दौरान 1979 की उसी अवधि की तुलना में अमरीका को भारत से होने वाले निर्यातों में कोई गिरावट नहीं आई ।

ध्यानाकर्षण आदि के बारे में

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : बिना मेरी इजाजत के कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। (व्यवधान)** आप बैठ जाइए, (व्यवधान)** बैठ जाइए। जिस तरीके से आप बात करना चाहते हैं, उस तरीके से बात नहीं बना करती। आपको सब पता है विधि आपके पास है। इसी बात पर 5 घंटे तक इसी सदन में बहस की गई है। (व्यवधान)** जब आप ही विधि को नहीं मानते ···। (व्यवधान)**।

आप रिप्रिजेंटेटिव्ज आफ दी पीपल···(व्यवधान) आप विधि को पढ़ते नहीं, उसका अनुसरण नहीं करते। अगर रूल्ज को आप ही फालो नहीं करेंगे तो मैं कैसे कराऊंगा ? आप जिस तरीके से है इससे क्या कोई फायदा पहुंचता है ? और कर लीजिए। यह आपका घर है। (व्यवधान) इसको नियम समझाइये। आप भी नहीं कर रहे हैं। आप अपनी व्यवस्था कायम कर लें। मैं बैठ जाता हूं। (व्यवधान)।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपने सही कहा है कि इस सदन में पांच घंटे तक डिबेट हुई और पांच घंटे की डिबेट के बाद और होम मिनिस्टर की एस्योरेंस के बाद भी मामला रुकने के बजाय और बढ़ गया है, जयपुर तक दूसरे प्रांतों में भी पहुंच गया है। आप सदन के मालिक हैं। सरकार भी चिन्तित है। सब लोग चिन्तित हैं। लेकिन उसके बाद भी बीमारी रुकने के बजाय बढ़ती जा रही है। सरकार की यह जवाबदेही है। वह सदन में बताए कि इसके लिए क्या इन्तजाम कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : मोशन देने से ही बात हो सकती है। आपने एक मोशन दिया। आप रूल 58(5) पढ़ें। उसमें मेरे लिए बंदिश नहीं है क्या ? मुझे आप बता दें। (व्यवधान)। और मोशन करिए। मैं मना नहीं करता हूं। मैंने मना किया भी नहीं, पांच घंटे एलाउ किया। (व्यवधान)। एडजर्नमैंट मोशन हो नहीं सकता। 58 (5) पढ़िए। किताब निकालिए (व्यवधान)। मैं हाउस में रूल्ज चलाऊंगा अगर आपने मुझे रखना है। मैंने एलाउ कब नहीं किया ? एक घंटे का मोशन था, पांच घंटे डिसकस कराया। कोई बन्द नहीं किया। इसके बाद और क्या चाहते हैं ? व्यवधान* मैंने उन्हें अनुमति दी है। मेरी आज्ञा के बिना कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। व्यवधान* कृपया शांत रहिए। व्यवधान * इतने लोग एक साथ बोल रहे हैं कि मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। मैं इसमें क्या, कर सकता हूं ?

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : यदि सदन मुझे अनुमति दे तो मैं बारी-बारी से सबको सुनूंगा। व्यवधान * नहीं कुछ नहीं। कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। आप किसी पर व्यंग नहीं कर सकते। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। ...(व्यवधान)* आप कोई भी प्रस्ताव दे सकते हैं ... (व्यवधान)* मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। आप मेरी अनुमति के बिना बोले चले जा रहे हैं। व्यवधान*।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : किस नियम के अन्तर्गत ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, नियम 376 को नियम 353 के साथ पढ़ा जाये। आप के सचिवालय ने एक पत्र लिखा है जो मुझे कल शाम देर से मिला''''।

अध्यक्ष महोदय : मैं उस पर तब बात करूंगा जब हम सभी उस बारे में विचार करेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जी नहीं, श्रीमान। यह ऐसा मामला है जिस पर अन्तिम रूप से निर्णय किया जाना आवश्यक है। यह नियम का उल्लंघन है। * मैं यह आरोप लगा रहा हूं। मैं इस आरोप लगाने की जिम्मेदारी भी ले रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। मैं इसे सुने लेता हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम लोग नियमों से बंधे हुए हैं,। आपका सचिवालय और आप स्वंय भी इसका अपवाद नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं भी और मेरा सचिवालय भी नियमों में बंधे हुये हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे यह कहने दीजिए। मैं अपना विचार स्वयं रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास वह पत्र है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : नियम 353 यह कहता है ''' ।

अध्यक्ष महोदय : नियम में क्या लिखा हुआ है मुझे शब्दश: मालूम है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे इसे सदन के सामने रखने तो दीजिए।

नियम 353 में कहता है :

"किसी सदस्य द्वारा किसी कार्य के विरुद्ध मान हानिकारक या अपराधा रोधक आरोप नहीं लगाया जायेगा जब तक भी सदस्य ने अध्यक्ष को तथा सम्बन्धित स्वरूप का मंत्री को भी पूर्व सूचना न दे दी हो ''' ।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। यह ऐसा मामला नहीं है जिसे उठाया जाय। उन्होंने ....के विरुद्ध कुछ कहा है।

संचार मन्त्री (श्री सी० एल० स्टीफन) : महोदय, सबसे पहले सदन के सामने कुछ होना तो चाहिए और तभी उस आधार पर वह कुछ कह सकते है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने अध्यक्ष महोदय को लिख कर दे दिया था।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। मैं अपना निर्णय दूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने अध्यक्ष महोदय को लिख कर दे दिया है। मुझे कह लेने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : में अपना निर्णय दे सकता हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे सिर्फ एक मिनट दीजिये। मुझे यह बात सदन में स्पष्ट करनी है। (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : मैं सदन को सूचित करूंगा कि इस पत्र में क्या लिखा हुआ है और तद्नुसार मैं अपना विनिर्णय दूंगा। मेरे पास उनका पत्र है। मैं जानता हूं कि उस पत्र में क्या लिखा है। मैं उसे सदन को बताऊंगा और उसी के अनुरूप अपना विनिर्णय दूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : हमें इस मामले का पता नहीं है। आपको इसे सदन को बताना चाहिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : यदि आप अपना विनिर्णय देते हैं तो हम इस मामले में अपनी बात नहीं कह पाएंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कृपया आप मुझे इजाजत दें।

अध्यक्ष महोदय : या तो मुझे निर्णय देने दीजिए और यदि आप कुछ कहना चाहते है तो फिर आप कहिए मैं सुनता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अपना निर्णय देने से पहले सदन को इस मामले की जानकारी दे दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे सदन को बताऊंगा क्योंकि मेरे पास उनका पत्र है।

---

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह मामला आपका और श्री ज्योतिर्मय बसु का कोई निजी मामला नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यदि वह मेरा विनिर्णय चाहते हैं तो मैं अपना विनिर्णय दे सकता हूं। (व्यवधान) देखिए जब मैं बोल रहा हूं तो आपको नहीं बोलना चाहिए कृपया बैठ जाइए। मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि भाई वह कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो सब से पहले उन्हें कार्य सूची की इस मद तक पहुंचना चाहिए और तभी वह ऐसा कर सकते हैं। यदि वह मेरा विनिर्णय चाहते हैं तो मैं उसे अभी भी दे सकता हूं। या फिर आप इन्तजार करें। जब यह मद आयेगी तब मैं इसका अवसर दूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे अभी कह लेने दीजिए।

श्री मलिक एम. एम. ए. खान (एटा) : अध्यक्ष जी गोल्ड आक्शन की रिपोर्ट अखबारों में आ गई है ···।

अध्यक्ष महोदय : नहीं साहब इस तरह से नहीं। आप मुझे एक प्रस्ताव क्यों नहीं दे देते। यह तरीका नहीं है।

श्री रतन सिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : जम्मू और कश्मीर के एक विधायक ने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : वह विचाराधीन है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप किस तरह सदन की कार्यवाही चला रहे है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं सदन चला रहा हूं। जब उस मद का नम्बर आयेगा तब आप उस पर बोल सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, मैंने आपको बहुत ही संक्षिप्त में लिखा है ताकि आप उसे सदन में पढ़कर सुना दें और फिर सदस्यों को अपनी अपनी ऐसी बात कहने दें।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं सदस्यों को अपनी बात कहने की अनुमति नहीं होगी।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : इस बीच क्या वह पत्र वापस ले लिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, वापस नही लिया गया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह पत्र से नियम 353 का उल्लंघन होता है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आपके टेलिफोन काम नहीं कर रहे हैं। सभा के कार्य करने की बात तो छोड़ें (व्यवधान)।

श्री ज्योतिर्मय बसु : पत्र से नियम 353 का उल्लंघन होता है।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना विनिर्णय दूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : यदि यह पत्र वापस नहीं लिया जाता तो उस सूरत में यह प्रश्न उठाया ही कैसे जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने नियम 353 के अन्तर्गत कुछ बात कही है। और वह बिल्कुल सच है। उन्होंने कुछ आरोप लगाए है। यदि आप मुझसे यह चाहते हैं कि मैं उस पत्र को पढ़ दूं तो मैं यह भी कर सकता हूं। जो पत्र जारी किया गया है उसके विरुद्ध जो पत्र उन्होंने लिखा है वह मेरे पास मौजूद है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : बिल्कुल ठीक है श्रीमन्। अब आप पढ़िए। उस सूरत में मैं यह कहूंगा।

श्री रवीन्द्र वर्मा (बम्बई-उत्तर) : क्या उन्हें इसका हवाला देने से रोका गया है।

अध्यक्ष महोदय : यही बात मैंने भी कही है। जब इसका नम्बर आए तो वह इसके बारे में बोल सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा आप से निवेदन है कि कृपा कर के आप पत्र पढ़ दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे पढ़ दूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा भी पत्र पढ़ें।

अध्यक्ष महोदय : मैं पढ़ूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : और तब आप सदस्यों को भी बोलने की इजाजत देंगे ...।

अध्यक्ष महोदय : यह ऐसा मामला नहीं है जिसकी चर्चा यहां पर की जाए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं आरोप लगा रहा हूं...।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, बिलकुल नहीं ...(व्यवधान) यदि वह यह आरोप लगाते हैं तो मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं आरोप लगा रहा हूं। मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं।

श्री सी० एम० स्टीफन : महोदय, संसदीय प्रणाली में सभा में इस प्रकार के आरोप लगाए जाना वर्जित है। ···आरोप लगाए जाएं। ऐसा सदन में नहीं किया जा सकता। ऐसा करना वर्जित हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह ऐसा नहीं कर सकते।

श्री सी० एम० स्टीफन : ऐसा करना वर्जित है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कृपया आप अपना विनिर्णय अभी मत दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी ऐसा ही कर रहा हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : ठीक है। इस तरह से मामला न्यायनिर्णयाधीन है और नियम में कोई परिवर्तन नहीं है। बस।

अध्यक्ष महोदय : पत्र भी वैसा का वैसा ही है। विनिर्णय मेरा भी है। जब इसका नम्बर आएगा तब मैं इसे पढ़ूंगा। और तभी मैं इस पर अपना विनिर्णय दूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : नियम 353 में कोई परिवर्तन नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। मैंने अभी तक अपना विनिर्णय नहीं दिया है। यह नियम लागू है। मैंने उस नियम का उल्लंघन नहीं किया है। यदि आप मेरी बात सुनें और यदि आप मेरे पास आएं तो मैं आपको बताऊंगा कि यह किसके बारे में हैं। मैं ऐसा अपनी मरजी से नहीं कर रहा हूं। मैं ऐसा क्यों करूं? मुझे आप से दुश्मनी थोड़े ही है। मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरे पास आइए। मैं एक बैठक भी बुलाऊंगा। मैं बैठक भी बुला सकता हूं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

काजू निर्यात संवर्धन परिषद, कोचीन का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा, परिष्कृत भोज्य पदार्थ निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली का वर्ष 1979-80 का प्रतिवेदन और समीक्षा, भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ, नई दिल्ली का 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण, निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण

अधिनियम, 1963 के अधीन अधिसूचनाएं, तम्बाकू बोर्ड, गुंटर का वर्ष 1979-80 निर्यात ऋण और गारन्टी निगम लि०, बम्बई का 31 दिसम्बर, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष और भारतीय काजू निगम लि०, नई दिल्ली का 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा और विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण।

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

1. (एक) काजू निर्यात संवर्धन परिषद, कोचीन के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

   (द) काजू निर्यात संवर्धन परिषद, कोचिन के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

2. उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल. टी. 2084/81] ।

3. (एक) परिष्कृत भोज्य पदार्थ निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा-परीक्षित लेखे ।

   (दो) परिष्कृत भोज्य पदार्थ निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

4. उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल. टी. 2085/81] ।

5. (एक) भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

   (दो) भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के कार्य-करण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल. टी. 2086/81] ।

6. निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

   (एक) निर्यात निरीक्षण परिषद अंशदायी भविष्य निधि (संशोधन) नियम, 1981 जो दिनांक 28 फरवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. 688 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) निर्यात निरीक्षण एजेन्सी अंशदायी भविष्य निधि (संशोधन) नियम, 1981, जो दिनांक 28 फरवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. आ. 689 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2087/-81]।

7. (एक) तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 19 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तम्बाकू बोर्ड गुन्टूर के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) तम्बाकू बोर्ड, गुन्टूर के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रथालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 2088/81]।

(8) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) निर्यात ऋण और गारन्टी निगम लिमिटेड, बम्बई के 31 दिसम्बर, 1979 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) निर्यात ऋण और गारन्टी निगम लिमिटेड, बम्बई का 31 दिसम्बर, 1979 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2089/81]।

(ख) (एक) भारतीय काजू निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय काजू निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरिक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2090/81]।

(9) उपर्युक्त 8(क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2089/81]।

दिल्ली वित्तीय निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की समीक्षा और ओरियन्टल फायर एण्ड जनरल इन्शोरेंस कम्पनी लि०, नई दिल्ली की वर्ष 1979 के लिए समीक्षा, वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे तथा हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखने के कारण बताने वाला विवरण

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बारोट) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 38 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिल्ली वित्तीय निगम के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन जो दिनांक 2 दिसम्बर, 1980 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ-6/7/79—पिन (जी) में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए एल० टी० संख्या 2091/81]।

(2) (एक) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 35 की उपधारा (3) के अन्तर्गत भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के 30 जून, 1980 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा निगम की आस्तियों और देयताओं का विवरण तथा लाभ और हानि खाता। [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए एल० टी० संख्या 2092/81]।

(दो) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के 30 जून, 1980 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए एल० टी० संख्या 2092/81]।

(3) भारतीय औद्योगिक@ विकास बैंक के 30 जून, 1981 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए एल० टी० संख्या 2093/81]।

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) ओरियन्टल फायर एण्ड जनरल इन्शोरेंस कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1979 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

@भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का 30 जून, 1979 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन 23 दिसम्बर, 1980 को सभा पटल पर रखा गया था।

(दो) ओरियन्टल फायर एण्ड जन ल इन्शोरेंस कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1979 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

5) उपर्युक्त (4) (दो) में उल्लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए एल० टी० संख्या 2094/81]।

ध्यानाकर्षण आदि के बारे में—जारी

अध्यक्ष महोदय : वित्त मन्त्री महोदय।

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : महोदय,.....(व्यवधान)*।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है। इसकी कोई सूचना नहीं दी गई है। मेरी अनुमति के बिना कुछ भी रिकार्ड नहीं होगा। (व्यवधान)* यह अव्यवस्था है। व्यवस्था कहां है? (व्यवधान)* पहले पाइंट आफ डिसआर्डर को खत्म कर दें, फिर पाइंट आफ आर्डर को लेंगे। (व्यवधान) हम आगे कैसे चल सकते हैं? (व्यवधान) अब काफी हो गया है। (व्यवधान) आप आकर मुझसे बात कीजिए। (व्यवधान)* ऐसा नहीं होगा। बहुत हो गया है। (व्यवधान)* मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। जो कुछ भी मेरी अनुमति के बिना हो रहा है वह सभा के रिकार्ड में नहीं जाना चाहिए। जो कुछ भी मेरी अनुमति के बिना बोला जाएगा वह रिकार्ड का अंग नहीं बन सकता। (व्यवधान)* बस कीजिए। आपको कोई तरीका निकालना चाहिए। (व्यवधान) मैंने पहले बहस करवा दी है, और करवा दूंगा। रास्ता बताइये। अगर आपको इससे कोई फायदा होता है, तो कीजिए। (व्यवधान)* आकर बताइए मुझे। पांच घंटे तो बहस करवाई, अब कोई और तरीका हो तो आकर बताइए। (व्यवधान)* क्या अच्छा लगेगा। (व्यवधान)।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : आप नियम 374 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करें। आप उनका प्रयोग क्यों नहीं करते हैं?

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता है मैं अपनी शक्तियां जानता हूं। (व्यवधान)* जैसा कि मैंने आपको बताया है, मेरी अनुमति के बिना कुछ भी रिकार्ड नहीं होगा। सब व्यर्थ है। (व्यवधान)* माननीय सदस्यगण सोचें कि डिसआर्डर से आर्डर क्रिएट नहीं होता। हम अव्यवस्था से व्यवस्था नहीं बना सकते। हमें धीरज रखना होगा; हमें कोई हल निकालना होगा जिससे कि हम परिणाम प्राप्त कर सकें। केवल एक ही प्रश्न हमारे सामने है; हम किसी उपाय पर विचार

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

करें ; हमने इस पर पहले ही पांच घण्टे विचार-विमर्श कर लिया है और मैं इस विषय पर और अधिक बहस के विरुद्ध भी नहीं हूं । किन्तु क्या आप यह समझते हैं कि इससे हम किसी नतीजे पर पहुंच पायेंगे ? अगर सदस्यगण ऐसा करने पर सहमत हैं, तो मैं एक दर्शक के रूप में अपने आसन पर बैठने को तैयार हू । यह कोई तरीका नहीं है । (व्यवधान)* कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा·····कुछ नियम हैं···(व्यवधान)* ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : यह बिल्कुल ठीक है कि अभी हाल ही में हम गुजरात की स्थिति पर पांच घण्टे की बहस कर चुके हैं । क्या माननीय सदस्य और हम सभी इससे चिंतित हैं — मैं उम्मीद करता हूं कि वे भी और निस्सन्देह अध्यक्ष महोदय आप भी चिन्तित होंगे । वास्तविकता यह है कि इन विचार विमर्श के बावजूद भी यह आरक्षण विरोधी आन्दोलन अथवा हरिजन-विरोधी अत्याचार पड़ौसी राज्य राजस्थान में भी फैल गये हैं । केवल जयपुर में ही नहीं, खेतड़ी में भी बहुत कुछ हुआ है जहां तांबा परियोजना स्थित है । वहां भी हरिजनों को सताया और उत्पीड़ित किया जा रहा है और उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं । अतः मैं आपको यह सुझाव दूंगा कि इससे पहले कि यह आंदोलन गुजरात के आस-पास के अन्य राज्यों में फैले, मैं समझता हूं कि इन पर उन्होंने कुछ कहा होगा, सरकार को चाहिए कि वह इसे रोके । किन्तु कुछ भी नहीं किया गया । मैं यह कहूंगा कि अगर सरकार इस मामले पर इसी प्रकार चुप बैठी रहीं और ऐसी घटनायें प्रतिदिन होती रही, तो सदस्य स्वभावतः ही उत्तेजित होगें और तब आपको इस पर दुबारा बहस के लिए समय अवश्य देना होगा ।

अध्यक्ष महोदय : यही तो मैं भी कह रहा हूं, गुप्त जी, मगर मुझे कोई सुने भी तो मैंने कहा है "मुझे और प्रस्ताव दें तब मैं कुछ कर सकूंगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह हम दे सकते हैं । (व्यवधान) वह पक्ष बिल्कुल भी चिन्तित नहीं है । ···(व्यवधान)··· ।

अध्यक्ष महोदय : मैं यही तो कह रहा हूं । पासवान जी, मैं आप से यही विनती कर रहा हूं कि आप रूल 58 का 5 पढ़िए फिर मेरे पास आइए ।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : सरकार चिन्तित है या नहीं ? अगर सरकार चिन्तित है ...(व्यवधान)··· ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है ।···(व्यवधान)··· ।

श्री जगजीवन राम (सासाराम) : महोदय, आपने बार-बार कहा है कि इस प्रश्न पर पांच घण्टे विचार किया गया है । मैं निश्चय ही यह कह सकता हूं कि आपने समाचार पत्र पढ़े होंगे । क्या यह राजस्थान में नहीं फैल गया है ? क्या यह एक नया रूप नहीं है ; और पांच घण्टे की बहस, पांच घण्टे की बहस दोहराने का क्या फायदा है ?

*कार्यवाही सारांश में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : बाबू जी नहीं, नहीं । मेरा आशय यह नहीं है मेरा आशय यह है कि इस पर बहस हो । मैं किसी बहस को रोक नहीं रहा हूं । यही कारण है कि मैंने कहा ।

श्री जगजीवन राम : मैं जानता हूं कि आप अध्यक्ष पद पर विराजमान हैं और मुझे आपकी अधीनता स्वीकार करनी है ।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, जी नहीं, मैं अधीनता नहीं चाहता, श्रीमान जी ।

श्री जगजीवन राम : किन्तु, अध्यक्ष महोदय, यह मामला एक सामान्य जानकारी का मामला है । एक नई परिस्थिति··· ।

अध्यक्ष महोदय : मैं माफी चाहता हूं, वह मुझ में नहीं है ।

श्री जगजीवन राम : और आपने कहा है ···(व्यवधान) देश में यह एक महत्वपूर्ण स्थिति है और एक स्वतः बयान ·· (व्यवधान) अब क्या सरकार का यही तरीका है ? मैं सरकार को आपके माध्यम से चेतावनी देता हूं श्रीमान जी···(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से सरकार को अपील करता हूं ...(व्यवधान) कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण मसले पर सरकार के द्वारा स्वंय ही बयान दिया जाना चाहिए । ···(व्यवधान) ।

श्री राम विलास पासवान : आप सरकार को कहिए··· ।

अध्यक्ष महोदय : सरकार सामने बैठी है, बहरी तो नहीं है ।

श्री राम विलास पासवान : आप कहते हैं, सरकार सुनती नहीं है । आप सरकार को कहिए कि वह स्टेटमेंट दे । ···(व्यवधान)··· ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : अगर केवल गृह मंत्री ही खड़े हों और सभा को आश्वासन दें, तो भी ठीक होगा ···(व्यवधान) अगर गृह मंत्री यह कदम उठाते हैं···(व्यवधान) गृह मंत्री को हमारी चिंता में भाग लेना चाहिए । ···(व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : आप इन पर दोबारा बहस कर सकते हैं । हमें कौन रोक रहा है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : तो वे खड़े हों और जवाब दें ··· (व्यवधान) ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं । मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि इस सभा में सभी जानते हैं कि हम इन पर एक बार बहस कर चुके हैं । किन्तु अब समस्या बढ़ रही है ।

अध्यक्ष महोदय : आप इस पर फिर से बहस कर सकते हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि अगर कोई रेलवे दुर्घटना होती है तो बिना किसी मांग के बयान दिया जाना चाहिए और यह एक प्रथा बन गई है कि हमेशा सम्बन्धित मन्त्री स्वंय ही बयान देते हैं।

संचार मन्त्री (श्री सी. एम. स्टीफन) : कौन कहता है कि हमने ऐसा नहीं किया ?

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, कृपया मंत्री जी को रोकिए। आपकी अनुमति से मैं खड़ा हुआ हूं। इसलिए मेरा नम्र अनुरोध है कि आप मंत्री महोदय को निदेश दें कि आकर अपना बयान दें। बाबू जी ने ठीक ही कहा है कि यह एक नई परिस्थिति बन गई है। अगर आप उन्हें निदेश दें तो मेरे विचार से यह स्थिति रोकी जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने बहस से मना नहीं किया है। मैंने कहा है कि हम दोबारा बहस कर सकते है। उसमें क्या है ?

प्रो० मधु दण्डवते : आप उन्हें स्वंय बयान देने का निदेश दें।

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे विवेकाधिकार में नहीं है। आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्यों नहीं लाते ?

प्रो० मधु दण्डवते : यह एक विशिष्ट सुझाव है जो हम कर रहे हैं ···(व्यवधान)।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : ये बड़ी देर से समय मांग रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपने नहीं देने दिया। ····(व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : न अब समय देने दे रहे हैं और न तब देने दिया। ···(व्यवधान)···।

एक माननीय सदस्य : इस तरह से हाऊस नहीं चलने देगें।

अध्यक्ष महोदय : मत चलने दीजिए।

इससे मुझे क्या सहायता मिलेगी ? ···(व्यवधान)··· मैं सुनना चाहता हूं लेकिन कोई सुनने तो दे। (व्यवधान)···।

श्री एन. कुदन्तई रामलिंगन (मयूरम) : अध्यक्ष महोदय, मैं पिछले एक घंटे से खड़ा हूं। अध्यक्ष महोदय, कृपया मुझे अनुमति दें। नियम काफी स्पष्ट है। कृपया नियम 378 देखें।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात सुनिए।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न है क्या ?

श्री मनीराम बागड़ी : मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं। यह जो सदन है, यह सारे राष्ट्र का सबसे उच्चतम सदन है और इसकी सबसे ज्यादा शक्ति है और यह बहुत शक्तिशाली है···(व्यवधान)···।

श्री एन. कुदन्तई रामलिंगम : मेरा भी एक अनुरोध है। कृपया मुझे भी सुनिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी एलाऊ करूंगा···(व्यवधान)···।

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : आपने वित मन्त्री जी को बुलाया है, ये कैसे बोल रहे हैं।····· (व्यवधान)···।

श्री एन. कुदन्तई रामलिंगम : मेरा अनुरोध है। कृपया मुझे भी सुन लें।

अध्यक्ष महोदय : किस नियम के अधीन ?

श्री एन. कुदन्तई रामलिंगम : नियम स्पष्ट हैं। थोड़े से सदस्य लगातार सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। श्री ज्योतिर्मय बसु पहले खड़े हुए···(व्यवधान)···वे हमेशा चिल्लाते ही रहते हैं। नियम बहुत स्पष्ट है। नियम 378···।

अध्यक्ष महोदय : मैं नियम जानता हूं।

श्री एन. कुदन्तई रामलिंगम : आपके पास अधिकार है ; आपको अधिकार दिए गए हैं। नियम में व्यवस्था है कि, "अगर वह आवश्यक समझे, किसी भी उस सदस्य का नाम ले सकते हैं जो पीठासीन अधिकारी की अवहेलना करता है।" आप ऐसे किसी भी सदस्य को सदन से चले जाने के लिए कह सकते हैं अथवा उसे निष्कासित किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : श्री बागड़ी क्या आपने पीठासन की अनुमति ली है ? (व्यवधान) उन्होंने मेरी अनुमति ले ली है। (व्यवधान) उन्होंने मेरी अनुमति ले ली है। (व्यवधान) उन्होंने मेरी अनुमति ले ली है। मैंने उन्हें अनुमति प्रदान की है। अब कृपया बैठ जाइए। उन्होंने मेरी अनुमति ले ली है। (व्यवधान)।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपनी अनुमति दे दी है। (व्यवधान) आप सब बैठिए, मनीराम जी आप भी बैठिए। देखिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। (व्यवधान) यह ऐसी समस्या है कि मेरे ख्याल से जिसमें थोड़ी-सी भी सज्जनता होगी, लेशमात्र भी देश प्रेम होगा, कामनसेंस है, वे सारे आदमी इस बात से चिंतित हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं। मेरे ख्याल से जितने भी सज्जन यहां बैठे हैं, प्लीज सिट डाउन।

श्री मनीराम बागड़ी : ये रूलिंग पार्टी के लोग···।

अध्यक्ष महोदय : मेरे लिए तो रूलिंग पार्टी और अ ा दोनों बराबर हैं और यही समझ कर के मैं चल रहा हूं। मैं इसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहता हूं।

इस सदन में मेरा केवल एक ही कर्तव्य है कि मैं अपनी योग्यतानुसार नियमों में की गई व्यवस्थाओं का अनुपालन कराऊं। जो कुछ भी हो रहा है उसमें मुझे भी दुःख हो रहा है। बाबूजी ने भी उसका उल्लेख किया था। आप क्यों उसका उल्लेख कर रहे हैं। मैंने 5 घन्टे की चर्चा की अनुमति दी थी। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम और बहस नहीं कर सकते।

श्री जगजीवन राम : गुजरात।

अध्यक्ष महोदय : यही तो मैं कह रहा हूं। मैं यही कहने जा रहा हूं। मेरे पास अन्य प्रस्ताव भी विचाराधीन हैं। मैंने उन्हें रोका नहीं है। मैं एक ओर बहस कराने जा रहा हूं। आप इस प्रकार की बातें क्यों करते हैं।

मैं आपकी बात को भी, मनीराम जी समझता हूं। अगर ऐसा हो जाएगा तो देश की पीढ़ियों पर सब से ज्यादा कुठाराघात यही होगा। इसको हम सब को मिल कर करना है। (व्यवधान) मेरी बात सुनिये। सरकार यहां बैठी है, आपकी बात को सुन रही है। इधर मेरे अख्तियारात हैं कि कोई भी मोशन में रूल के अधीन, कानून के अधीन एडमिट कर सकता हूं। मुझे किसी ने बांधा नहीं है। आप सारे मिल कर के अगर इस तरह से चलाइएगा, इस तरह से करते रहिएगा तो न तो एजीटेशन को रोकने में कोई मदद होगी, न हाउस चलाने में मदद होगी। फिर आप बताइए, क्या करें ? (व्यवधान) आप बैठ जाइए। मैं खड़ा हूं, आप बैठ जाइए। आपको थोड़ा बहुत भी ध्यान नहीं है। मैं समझता हूं कि आप इतने उतावले या उत्तेजित हो जाते हैं····। (व्यवधान)* नहीं, मेरी बात तो सुनिए। (व्यवधान)* कभी आग से आग बुझी है ? कभी आग से आग बुझती देखी है आपने ?कभी आग से आग बुझाई है ? (व्यवधान)* कोई लीडर है, कोई आदमी है इस हाउस में जो इनको समझा सके ? (व्यवधान)** देखिए, अगर आपके उतावलेपन से कुछ हो सकता है तो आप और कुछ कर लीजिए, उत्तेजना से कुछ नहीं होगा। उत्तेजना को शान्त करके ही कुछ करना पड़ेगा। आप चाहते क्या हैं ? मैं तो कह रहा हूं (व्यवधान)** मैं तो कह रहा हूं। आप क्या चाहते हैं ? जब मैं कह रहा हूं कि डिस्कशन देंगे तब मेरी समझ में बात नहीं आती (व्यवधान)** बाहर लोग क्या कहेंगे, आप यह नहीं समझ रहे हैं। आपको इतना भी ध्यान नहीं है कि मैं खड़ा हूं और आप भी खड़े हैं। (व्यवधान)**।

आप बैठ जाइए। इस पर डिस्कशन मैं करवा दूंगा। हां जी, आप कहिए, क्या कहना चाहते हैं। (व्यवधान)** मैंने, मनी राम जी को अलाऊ किया है। बाकी जो भी बोल रहे हैं वह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

आप समझते क्यों नहीं हैं। कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आप मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं। (व्यवधान)** ।

आप प्रजातंत्र-प्रणाली का गला घोंटने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज सिट डाउन। (व्यवधान)** ।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं पक्ष-विपक्ष की बात नहीं करता। आप कम दोषी हैं, या हम ज्यादा दोषी हैं, इस बारे में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन कम से कम इतनी ताकत हम में नहीं है कि हम देश में शांति स्थापित कर सकें। अध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि यह सबसे शक्तिशाली संगठन है, लोकसभा देश का सबसे शक्तिशाली संगठन है। अगर इस लोकसभा के पास कोई इलाज देश में शांति स्थापित करने का नहीं है या लोकसभा उसका इलाज नहीं कर सकती है तो लोकसभा चल नहीं सकती। (व्यवधान)।

श्री मनीराम बागड़ी : लोक सभा इसलिए है कि हमारे देश में जनतंत्र है। जनतन्त्र इसलिए है कि लोकसभा के माध्यम से, आप के माध्यम से, सारे देश की समस्याओं का हल निकाला जा सके। इससे लम्बी चौड़ी किसी की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ रही है। प्रतिष्ठा या अपमान का सवाल नहीं है। अगर अपमान की ही बात है तो इससे बड़ा और कोई अपमान हो नहीं सकता है कि गांधी के प्रदेश में, जिन्होंने नोवाखली तक में जाकर शांति स्थापित करने की कोशिश की थी, कत्लेआम हो रहा है। यह हम सबके लिए शर्म की बात है। एक प्लान है, एक बहुत बड़ा षड़यत्र है और वह यह है कि होली के बाद सारे देश में इस आन्दोलन को चलाया जाएगा। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं। होली के बाद सारे देश में····(व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ ये कह रहे हैं अथवा वे कह रहे हैं रिकार्ड नहीं किया जाएगा क्योंकि वे मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं।

श्री मनीराम बागड़ी : हम सबको सोचना होगा, ज्ञानी जी आपको सोचना होगा। अगर ऐसा होता है तो इसमें कोई नहीं बचेगा।

आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि सदन का काम रुका है और भले ही सदन का रुके लेकिन राष्ट्र की, गुजरात राजस्थान, लखनऊ आदि की जो समस्या है, जो जातीयता का विष फैल रहा है, इस पर हम सब लोग इकट्ठे बैठ कर कोई इसका हल निकालें। सारी पार्लियामैंट, लोक सभा प्रस्ताव पास करे। मेरी पार्टी का कोई मैम्बर जिम्मेवार है तो मुझे बताएं और हम उसको अपनी पार्टी से निकालें, उधर का कोई हो तो वे निकालें। बैठ कर हम इसका हल निकालें। मजाक से काम चलने वाला नहीं है। इस तरीके से बात चलने वाली नहीं है।

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : ठीक बात है।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं ज्ञानी जी की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि समय की कीमत को समझें। एक घंटा जो समय गया है इसको हमने खोया नहीं है, गंवाया नहीं है। यही हमारा काम है। आप लोगों की बात यहां पर चली है। कायदे कानून एक तरफ रह गए हैं और मजबूर होकर हम ऐसा करना पड़ा है। लोगों के खून और गांधी की आत्मा को अभिव्यक्ति मिली है। राज नारायण जी वहां गए हैं आमरण अनशन करने के लिये। उनकी जिन्दगी की रक्षा हो।

अध्यक्ष महोदय : हम इस मामले पर उचित तरीके से चर्चा करेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा व्यवस्था का प्रश्न आज की कार्य सूची में व्यवस्था करने से संबंधित है। निर्देश 2 की उल्लघंन होता है।

अध्यक्ष महोदय : किन्तु वहां यह उल्लेख है, अन्यथा अध्यक्ष कुछ अन्य निर्देश न दें। हमने इसकी घोषणा संसद में कल ही कर दी थी। यह मेरा विवेकाधिकार है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं यह कह रहा हूं कि यह उचित नहीं था।

अध्यक्ष महोदय : अब अगर अब भी समझ में नहीं आई तो किसको बुलाऊं समझाने के लिये। आप तीनों नहीं समझ सकते तो मैं क्या समझाऊं। मैंने कह दिया हम इस बात को डिस्कस करेंगे।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : कब डिस्कस करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : हे भगवान !

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा नहीं कर सकते। कृपया बैठ जाइए। जब मैं कुछ कहता तो उसका कुछ अर्थ होता है। यह तरीके की बात नहीं है। आप बैठिये रामनाथ जी। मैं आपको बता दूंगा, आप मेरे पास आ जाइए। आप मुझे मजबूर न कीजिए। मैंने बहुत सुना है, सारा कुछ सुना है और मैं आपकी हर बात को सुनता रहा। अब, श्री वेंकटरामन।

श्री आर० वेंकटरामन : महोदय, मैं इस सदन का आभारी हूं ....(व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना जो कुछ भी कहा जायेगा उसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा (व्यवधान)।*

(श्री मनीराम बागड़ी तथा अन्य सदस्य सदन त्याग कर चले गए। (व्यवधान)*।

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : अब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ? क्या मैं आपको उनकी ओर से कोई आश्वासन दे सकता हूं ···(व्यवधान) । क्या मैं आश्वासन दे सकता हूं कि यह सदन इस सम्बन्ध में ध्यान देगा मेरी अनुमति के बिना कुछ कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा (व्यवधान)* आपके कहने से कोई फायदा नहीं क्योंकि कोई भी शब्द कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा । इसका अन्यत्र भी प्रकाशन नहीं होगा । (व्यवधान)* ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी.पी.एन. सिंह) : अध्यक्ष महोदय, क्या मैं आपका ध्यान आकर्षित कर सकता हूं ? इस सदन में श्री बागड़ी एक घंटे खड़े रहे और आपने अध्यक्ष के रूप में उन्हें अनुमति दी जबकि उन्होंने प्रक्रिया नियमों के अधीन अनुमति नहीं मांगी, किन्तु इस पीठासन की अवज्ञा की । क्या इसकी अनुमति दी जाती रहेगी और जनता के पैसे को बेकार किया जाता रहेगा ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी । जब उन्होंने मेरी अनुमति मांगी तभी मैंने दी । यह रिकार्ड पर है ।

श्री सी० पी० एन० सिंह : श्री बागड़ी कम से कम एक घण्टा खड़े रहे·····।

अध्यक्ष महोदय : वह खड़े रहे होंगे, मैंने अनुमति नहीं दी, एक भी शब्द कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री सी० पी० एन० सिंह : किन्तु उन्हें अनुमति दी गई थी । इसी प्रकार, क्या सदस्य पीठासन की अवज्ञा करते हुए बोलते चले जायेंगे तो क्या आप इस सदन की कार्यवाही कुछ प्रक्रियाओं और नियमों के अधीन चला पायेंगे अथवा इसकी अनुमति दी जाती रहेगी ? मुझे यही कहना है । मैं आपसे स्पष्टीकरण चाहता हूं ।····(व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : अगर आपकी तरह सारे कहने लग गए, सारे अधिकार का इस्तेमाल करने लगे, 544 मेम्बर जो यहां बैठे हुए हैं तो कौन किसको रोकेगा, कैसे हाऊस चलेगा ? (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात कहें या नही कहें या क्या करें, अगर आपकी तरह से सारे कहने लगें, आपकी तरह से सारे अपने अधिकार का इस्तेमाल करने लगें, 544 मेम्बर यहां बैठे हैं, तो कौन रोकेगा, किस को रोकेगा, कैसे हाउस चलेगा ? (व्यवधान) फ़िर मेरी क्या जरूरत है ? क्या मैं चला जाऊं ? (व्यवधान) मैं कहता हूं यह गैर-जिम्मेदारी है । (व्यवधान) । इस पर बहस हो चुकी है और मैंने आश्वासन भी दिया है । (व्यवधान) क्या यहां कोई दल अथवा सदस्य है ? कोई दल होना चाहिए । (व्यवधान) ।

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

सामान्य बजट, 1981-82 सामान्य चर्चा

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन): मैं अपनी बात पुनः कहूंगा। बहस में दिए गए बहुमूल्य सहयोग के लिए मैं सदन का आभारी हूं। (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस सब का अध्ययन कर रहा हूं। उन्होंने 'धन्यवाद' तक भी नहीं कहा। (व्यवधान)।

श्री आर० वेंकटरामन : 1981-82 के बजट पर ...(व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति।

श्री आर० वेंकटरामन : बहस में 66 सदस्यों ने भाग लिया।

अध्यक्ष महोदय : 66 ?

श्री आर० वेंकटरामन : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा।

श्री आर. वेंकटरामन : और मैं समझता हूं यह एक रिकार्ड है।

मैं वास्तव में सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने बजट सम्बन्धी पत्रों का अध्ययन करने का कष्ट किया और बहस के दौरान अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। बहस का उत्तर देने के मेरे कार्य को मेरे दल के निष्ठावान सदस्यों विशेषकर प्रो० एन. जी. रंगा, श्री के. ब्रह्मानन्द रेड्डी, सुखाड़िया जी और अन्य सदस्यों ने सरल कर दिया। युवा सदस्यों जैसे श्री कमल नाथ, श्री मुखोपाध्याय, श्री महाजन, श्री अराकांल, अदम्य वक्ता, श्री लक्प्पा, श्री पटेल, श्री गिरधारी -लाल व्यास, श्री नामग्याल द्वारा बजट का दृढ़ समर्थन करने से मुझ में और बल मिला। मैं सदन की महिला सदस्यों विशेषकर डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत, श्रीमती उषा वर्मा द्वारा दिए गए मूल्यवान सहयोग और बजट का ठोस समर्थन करने के बारे में विशेष उल्लेख करूंगा। वास्तव में उन्होंने गृहणियों द्वारा बजट के समर्थन को ठोस बना दिया है।

मेरे सहयोगी श्री मगनभाई बरोट एक अति प्रतिभाशाली और विश्वसनीय मंत्री हैं। वास्तव में उन्होंने विपक्ष को जगन्नाथ की पौराणिक और रहस्यात्मक प्यार को खींचने के इस सामूहिक कार्य में शामिल होने का प्रस्ताव रखा। मैं नहीं जानता कि क्या वे सभी इस कार्य में मेरा साथ देने जा रहे हैं अथवा नहीं, किन्तु मैं उनका आभार अवश्य मानता हूं कि उन्होंने पारम्परिक तौर पर स्थिर माने जाने वाले वित्त मंत्रालय को गतिमान और जागरूक करने के

लिए मेरे कमजोर बाजुओं को अपने सुदृढ़ बाजुओं का सहारा दिया। विपक्षी सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रत्येक मुद्दे पर मैं अपनी टिप्पणियां बाद में दूंगा।

इससे पहले कि मैं देश की वास्तविक समस्याओं के बारे में चर्चा करूं, मैं उन एक दो मामलों पर बोलना चाहूंगा जिनका बजट बहस के साथ सम्बन्ध नहीं है इस विषय पर काफी जोशपूर्ण चर्चा हुई कि जनता-लोकदल पार्टी ने अपने कार्यकाल में अच्छा कार्य किया अथवा कांग्रेस पार्टी ने।

प्रो० मधु दन्डवते : जनता पार्टी और लोक दल पार्टी की कभी भी संयुक्त सरकार नहीं बनी।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं अपने कथन में संशोधन करता हूं क्योंकि मैं कभी भी यह नहीं समझ पाया कि इन दोनों दलों के बीच कौनसा रहस्यमयी रिश्ता है।

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहिब केवल जबरन विवाह के विरुद्ध हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं समझता हूं कि यह बहस अप्रांसंगिक हैं क्योंकि इसका फैसला भारत के प्रभुसत्ता सम्पन्न नागरिकों द्वारा इन दोनों सरकारों का कार्यनिष्पादन देखने के बाद 1980 में हमेशा के लिए कर दिया कि कांग्रेस (आई) ही वह दल है जिसे देश का शासन चलाने की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। जब श्री राम जेठ मलानी निरन्तर यह दलील देते रहे कि उनकी सरकार अथवा उनके दल कि सरकार ने कांग्रेस से अच्छा कार्य किया था तो मुझे उस वकील की याद आ गई जो अदालत में अपना मुकदमा हार जाने के बाद अपने मुवक्किल को अदालतों की महानता और महत्व तथा न्याय के बारे में बताता है।

मैं एक छोटी सी घटना का भी सदन को तनाव से मुक्त करने हेतु उल्लेख करूंगा। जब श्री अलादी, सर. एम. वर्दाशचेरियर और अन्य निष्ठावान तथा दिग्गजों के समय में मुझे मद्रास उच्च न्यायलय में वकालत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक वकील जो यह सोचता था कि उसका मुकदमा बहुत बजबूत है और वह इतना निश्चित हो चुका था कि न्यायाधीश महोदय के निरन्तर सिर हिलाने के बावजूद दलील देता रहा था कि। आखिरकार, न्यायाधीश ने दूसरे पक्ष को बुलाए बिना ही अपील खारीज कर दी। स्वभावतः वकील बहुत क्षुब्ध हुआ। निराशा में उसने पूछा," श्रीमन् मै अपने मुवक्किल को क्या जवाब दूंगा ?" न्यायाधीश ने शांत स्वभाव से उत्तर दिया, "उससे कह देना कि न्यायाधीश बेवकूफ था और बता देना कि वहां अपीलीय न्यायालय भी है" 1985 में एक अपीलीय न्यायालय होगा जिसका हम सब को सामना करना होगा।

श्री राम जेठमलानी (बम्बई-उत्तर पश्चिम) : इस आश्वासन से मुझे प्रसन्नता हुई है।

श्री आर० वेंकटरामन : महोदय, मैं अपने माननीय मित्र श्री बीजू पटनायक से भी थोड़ी सी मजाक करना चाहता था। किन्तु उनकी अनुपस्थिति में इसका गलत अर्थ लगाया जा सकता हैं। इसलिए मैं नहीं करना चाहता।

बजट पर बहस को दो भागों में बांटा जा सकता है —एक कर प्रस्तावों के सम्बन्ध में जिसमें कर लगाना तथा राहत देना शामिल है तथा दुसरे इस सरकार की अर्थव्यवस्था की स्थिति तथा आर्थिक नीति । जहां तक कर लगाने सम्बन्धी पहले भाग का सम्बन्ध है मेरे विचार से न तो उसकी यहां पर और न बाहर ही कोई आलोचना की गई है । किसी ने भी यह नही कहा है कि कर बहुत भारी मात्रा में लगाए गए हैं और न ही किसी ने यह कहा है कि इन करों से समाज के किसी एक वर्ग विशेष पर बुरा प्रभाव पडा है । इसके विपरीत सभी ने बजट प्रस्तावों का स्वागत किया है और समाज के सभी वर्गों ने महसूस किया है कि उसे कुछ ना कुछ राहत मिली है । अत: मैं कर प्रस्तावों तथा बजट में दी गई राहतों के बारे में अधिक समय नहीं लेना चाहता । मैं अर्थव्यवस्था की स्थिति का प्रश्न लेता हूं जिसके बारे में बहुत सोच विचार कर और उचित आलोचना की गई है । विभिन्न पहलूओं का स्पष्टीकरण करना मेरा कर्तव्य हो जाता है और मैं अपने ढ़ंग से सभी पहलुओं का स्पष्टीकरण करूंगा ।

आलोचना करने वाले सबसे पहले मेरे मित्र श्री रवीन्द्र वर्मा हैं । उन्होंने मेरी बड़ी प्रशंसा की है जो मेरे विचार से किसी पुरुष की तुलना में एक महिला के लिए अधिक उपयुक्त है । उन्होंने कहा है कि मैंने 1978 के आंकड़े छोड़कर जो मेरे लिए प्रतिकूल थे 1979 के आंकड़ों को लेकर जो तुलना की है उससे मैंने सदन को गुमराह किया है । वास्तव में उन्होंने मुझे एक डाक्टर बताया है और कहा है कि मैंने लोगों को बेहोश करने वाली औषधि दी है और लोगों की जानकारी के बिना ही एक बड़ा आपरेशन किया है । इस विचार को मैं थोड़ा और आगे ले जाना चाहता हूं । मुझे जो रोगी सौंपा गया था वह वर्ष 1979 का रोगी था जो मूल्यों में 22 प्रतिशत की वृद्धि से, 2700 करोड़ रु० के घाटे से और एक बहुत ही खराब आधारभूत ढांचे से परेशान था । मुझे वर्ष 1978 का रोगी नहीं दिया गया था । वास्तव में मुझे 1979 का रोगी दिया गया जिसकी स्थिति बहुत ही खराब थी परन्तु श्री रवीन्द्र वर्मा ने कहा है कि 1978 में वह स्वाथ्य था तब उसकी तुलना 1979 से क्यों की गई है । 1979 के आंकड़े क्यों लिए गए । मुझे उसी अर्थव्यवस्था के अनुसार कार्य करना है जो कि हमें सौंपी गई थी और श्री वर्मा ने स्वयं स्वीकार भी किया है कि 1979 में अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी । ऐसा कहकर उन्हें तथा उनके साथियों को सन्तोष अवश्य हो सकता है कि उन्होंने वर्ष 1979 में जो रोगी सौंपा था वह अपेक्षाकृत स्वस्थ था परन्तु 1979 में ही··· (व्यवधान) ।

श्री रविन्द्र वर्मा (बम्बई उत्तर) : आपने रोगी का अपहरण किया है ।

श्री आर० वेंकटरामन : मुझे एक ऐसी अर्थव्यवस्था के बारे में कार्यवाही करनी पड़ी जो बहुत खराब थी जिसमें सभी प्रकार की खामियां थी । उस समय बिजली नहीं थी, कोयला नहीं था, प्रमाप्त डाजल और परिवहन सुविधाएं नहीं थी, अर्थव्यवस्था सामान्य रूप से बहुत ही खराब स्थिति में थीं । अत: मैंने 1979 के आंकड़े देकर कोई गलत काम नहीं किया है (व्यवधान) श्री रवीन्द्र वर्मा ने भी कहा है कि मैंने सदन को बताया था कि यदि हमारा घाटा पिछली सरकार के घाटे से बढ़ जाता हैं अथवा मुद्रा-स्फीति पिछली सरकार की तुलना में अधिक हो जाती है तो मैं त्याग-पत्र दे दूंगा । उनके विचार से मेरे त्याग-पत्र देने का समय आ गया है ।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैंने कहा था कि इस सरकार में आप ही एक अच्छे व्यक्ति हैं। आपको त्याग-पत्र नहीं देना चाहिए।

श्री आर० वेंकटरामन : आपने जो कहा था मैं जानता हूं। इसलिए मैं सावधानी पूर्वक बोल रहा था। मैंने कहा है कि आपके विचार से मेरे त्याग-पत्र देने का समय आ गया है।

श्री रविन्द्र वर्मा : अंततः यह सब कुछ अन्तरात्मा पर निर्भर करता है।

श्री आर० वेंकटरामन : ऐसी बात नहीं है। तथ्यात्मक त्रुटियों के अतिरिक्त, मैंने ये कहा था कि मैं उस से एक भिन्न नीति का अनुसरण कर रहा हूं जो मुद्रा स्फीति के समय अर्थ-शास्त्रियों द्वारा अपनाने के लिए बताई जाती है। मैंने यह भी कहा था कि यदि जिस नीति का मैं अनुसरण कर रहा हूं वह असफल हो जाती है तो मैं त्याग-पत्र दे दूंगा। मैंने घाटे के बारे में कुछ नहीं कहा और मुद्रा-स्फीति के बारे में भी कुछ नहीं कहा है।

परन्तु साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आपके तथ्य गलत हैं। 1979 का घाटा 2700 करोड़ रु० का था और मैंने इस सभा को बताया था कि उनके द्वारा कायम किया गया यह रिकार्ड बनाया रखा जाएगा। इस तथ्य के उपरान्त भी कि वर्ष 1980-81 में राज्यों की योजनाओं के लिए अधिक नियतन किया गया था, हमने रक्षा सम्बन्धी आवश्यकताएं पूरी की तथा राज्यों में सूखे के कारण भी अतिरिक्त आवश्यकताएं भी पूरी करनी पड़ी। मैं बजट में घाटे को 1975 करोड़ रु० के लगभग रख पाया हूं। अतः तथ्यात्मक रूप से आप गलत हैं।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मुद्रा-स्फीति को लीजिए। आपको समान वस्तुओं की तुलना करनी चाहिए जो वस्तुएं समान नहीं हैं उनकी आपस में तुलना नही की जानी चाहिए। 13 जनवरी से अवधि लीजिए क्योंकि थोक मूल्य सूंचकांक में साप्ताहिक आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। 13 जनवरी, 1979 को थोक मूल्य सूचकांक 186 था, 16 जनवरी, 1980 को यह 231.7 हो गया। यदि आप वृद्धि दर का हिसाब लगाएं तो यह वृद्धि 24.6 प्रतिशत बैठती है। हमने 14 फरवरी, 1980 से सत्ता सम्भाली है। 15 जनवरी, 1980 से 14 जनवरी, 1981 तक सूचकांक 231.7 से बढ़कर 267.7 हो गया और इस प्रकार सूल्य वृद्धि 15.5 प्रतिशत हुई।

कुछ माननीय सदस्य विभिन्न अवधियों के आंकड़े लेते हैं और उनकी तुलना करने का प्रयास करते हैं। जब आप सत्ता में थे मैं उस समय के किन्हीं भी आंकड़ों से तुलना करने के लिए तैयार हूं। आप उस अवधि को बीच में न मिलायें जब हम और आप सत्ता में थे। हम जनवरी, 1980 से मार्च, 1981 तक सत्ता में रहे। आप वर्ष 1979, जब विपक्षी दल की सरकार सत्ता में थी, तो किसी भी अवधि की तुलना उस अवधि से कर सकते हैं जब यह सरकार सत्ता में थी। मैं आपको बताना चाहता हूं और आश्वासन देना चाहता हूं कि अब 1979 की तुलना में मुद्रा-स्फीति की दर कम है। अतः इस बारे में भी मेरे माननीय मित्र तथ्यात्मक रूप से गलत हैं।

मुद्रा-स्फीति के इस प्रश्न के पश्चात अब मैं एक ऐसे प्रश्न पर आता हूं जिसका उल्लेख बहुत से माननीय सदस्यों ने किया है वह है, प्रशासित वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि को कर की संज्ञा दी गई है। यह अर्थशास्त्र में एक नया सिद्धान्त है जो मैंने पहली बार ही सीखा है। प्रशासित वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को कर की संज्ञा दी जाती है, यदि टाटा बन्धु इस्पात का मूल्य बढ़ाते हैं तब यह कोई कर नहीं होता और यदि स्टील आथारिटी आफ इन्डिया लिमिटेड मूल्य बढ़ाती है तो यह कर हो जाता है। सरकारी क्षेत्र के विरोधी सदैव ऐसा ही तर्क देते हैं :—

श्री ज्योतिर्मय बसु : यदि स्टील आथारिटी आफ इन्डिया को घाटा होता है तो इसका भुगतान कहां से किया जाता है ? घाटे का भुगतान संचित निधि से किया जाता है। टाटा बन्धुओं को यदि घाटा होता है तो घाटे का भुगतान संचित नीधि से नहीं किया जाता'''।

श्री आर० वेंकटरामन : तो क्या इसलिए यह कर है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह एक कर है।

श्री आर० वेंकटरामन : मैंने कहा है कि मैं आपसे अर्थशास्त्र सीख रहा हूं'''।

श्री ज्योतिर्मय बसु : नहीं, उपभोक्ता पर यह एक भार है।

श्री आर० वेंकटरामन : आपने कहा था कि यह एक कर है'''(व्यवधान)।

श्री राम जेठलानी : सार रूप में उनकी बात सही है।

श्री आर० वेंकटरामन : आप न्यायाधीश नहीं है। आप केवल एक वकील हैं। मैं आप से कोई निर्णय नहीं ले सकता। आप अपनी बात प्रभावी रूप से कह रहे हैं।

मैं वर्ष 1950 में इस सदन में आया था और मेरे माननीय मित्र श्री भगत भी आए थे। उस समय हम दोनों एक ही दल के सदस्य थे उस समय हमें अर्थशास्त्र के छात्र समझा जाता था और भारतीय अर्थव्यवस्था में सरकारी क्षेत्र के लिए हम से महत्वपूर्ण योगदान की अपेक्षा की जाती थी। उस समय सरकारी क्षेत्रों में लोगों का विश्वास नहीं था। अब सरकारी क्षेत्र में मूल्य वृद्धि को एक कर बताया जा रहा है। यदि इस विषय को आगे ले जाया जाए तो यही परिणाम निकलेगा कि सरकारी क्षेत्र को उत्पादन करना चाहिए और वस्तुओं का विक्रय निःशुल्क करना चाहिए अन्यथा यह समझा जायेगा कि सरकार सरकारी क्षेत्र की वस्तुओं पर कर लगा रही है। यही अन्तिम निर्णय निकलेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हमने ऐसा कभी नहीं कहा है।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं आपके तर्क को निरर्थक प्रमाणित कर रहा हूं'''(व्यवधान)। सैद्धान्तिक रूप से जहां उत्पादन पर राज्य का पूर्ण एकाधिकार है और जहां राज्य जानबूझ कर

वस्तुओं का विक्रय मूल्य राज्यों के लिए संसाधन पैदा करने के उद्देश्य से उत्पादन लागत से अधिक रखता है वहां यह एक कर हो सकता है और समाजवादी देशों में ऐसा ही होता है। (व्यवधान) परन्तु मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां भी ऐसा नहीं है। वर्तमान सन्दर्भ में, हम पैट्रोलियम, नेपथा और उर्वरकों में राज सहायता देते हैं। कोयले में भी हमें घाटा हो रहा है। हमें प्रत्येक चीज में घाटा हो रहा है। (व्यवधान)। जब हम घाटे से बेचते हैं तब यह कर नहीं होता। हम बिक्री में राज सहायता देते हैं। अतः मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्रशासित वस्तुओं के मूल्य बढ़ाकर सरकार ने कोई कर नहीं लगाया है। आप बजट का अध्ययन करें और देखें कि क्या इन वस्तुओं से होने वाले लाभ से प्राप्त राशि को सामान्य बजट के लिए प्रयोग में लाया गया है। अतः मैं चाहता हूं कि आप इस बात पर विचार करें कि यह आलोचना उचित है अथवा अनुचित। उनसे ये कहा गया है कि ये कर नहीं है परन्तु एक भार अवश्य है। मैं इस बात का भी उत्तर देना चाहता हूं। यह एक प्राथमिक सिद्धान्त है कि उपभोक्ताओं को वस्तुओं तथा सेवाओं की उचित लागत वहन करनी चाहिए। यदि उपभोक्ता इस लागत को वहन नहीं करते तो अन्य लोगों पर इसका भार पड़ेगा। ऐसी अवस्था में यदि यह सरकारी क्षेत्र है तो इसको सरकार वहन करेगी और सरकार उन वस्तुओं पर कर लगाकर ही ऐसा कर सकती है। क्या यह उचित है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो इन वस्तुओं की खपत करता है और जिसने कभी रेलवे स्टेशन देखा ही नहीं और जो गांव में रहता है उस व्यक्ति की जो रेलवे का प्रयोग करता है सहायता करे ? क्या यह उचित है कि कोई व्यक्ति जो निर्माण के लिए इस्पात का उपयोग करता है वह उन व्यक्तियों के इस्पात के लिए सहायता दे जो बड़े-बड़े आलीशान मकान बनाने और कारखाने बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं ? क्या उस व्यक्ति को उन वस्तुओं की कीमत नहीं देनी चाहिए जो इन वस्तुओं का उपयोग करते हैं ? मैं आपसे पूछता हूं कि क्या यह उचित है ? प्रत्येक व्यक्ति अब यह कह रहा है कि आपको कीमतें अवश्य कम करनी चाहिए। लेकिन यदि इसकी कीमतें कम की जाती हैं तो उसका परिणाम क्या निकलेगा ? उत्पादन की लागत से कम मूल्य रखने का परिणाम यह होगा कि यह एक भार बन जाएगा। आखिरकार राज्य को पैसा कहीं और से नहीं मिलता है। यह गरीब लोगों से ही पैसा इकट्ठा करता है और अधिकांशतः उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क के तरीके से इसे इकट्ठा करता है। उत्पादन-शुल्क सबसे बड़ा शुल्क होने के कारण समाज के निर्धन वर्गों द्वारा काफी अधिक मात्रा में अदा किया जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि यहां भी आलोचना करना ठीक नहीं है। यह मेरा विचार है और इस सरकार का भी यह विचार है कि इन सभी वस्तुओं के प्रयोक्ताओं को और उन सेवाओं के लिए जिनका यह उपयोग करते हैं इसके लिए उचित मूल्य देना होगा तथा कीमतों को कम करके उन्हें किसी प्रकार का लाभ देने का प्रयत्न करने का अर्थ यह होगा कि उनकी कीमत उन गरीब आदमियों को देनी पड़ेगी जो हो सकता है इन वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग न करते हों।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इसीलिए.....।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसु जी, बीच में न बोलिए। पहले आप मेरी अनुमति लीजिए और तब बोलिए। यह ठीक नहीं है। 56 माननीय सदस्य पहले बोल चुके हैं और इस चर्चा में

भाग ले चुके हैं । क्या इन्हें उत्तर नहीं देना चाहिए । आप इनकी सहायता कीजिए । आप काफी वरिष्ठ सदस्य हैं ।

श्री आर० वेंकटरामन : मेरे मित्र श्री भगत ने भी बताया कि हमारे इस्पात की कीमतें 60 से 70 प्रतिशत बढ़ गई हैं । मैं नहीं जानता कि क्या यह सही है ।

श्री बी० आर० भगत (सीतामढ़ी) : मैंने कहा था कि कुछ मदों में ।

श्री आर० वेंकटरामन : वास्तव में नियन्त्रित मूल्यों में यह वृद्धि केवल 20 प्रतिशत है । कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो नियन्त्रित नहीं हैं और ऐसी वस्तुएं जो नियन्त्रित नहीं हैं बाजार की स्थिति के अनुसार शासित होती हैं ।

अतः श्री भगत ने उन वस्तुओं के बारे में आंकड़े देने की कोशिश की की जिनके नियन्त्रित मूल्यों में वृद्धि हुई है । मैं उसे सही करना चाहता हूं । नियन्त्रित मूल्य केवल 20 प्रतिशत बढ़े हैं लेकिन जो बाजार-मूल्यों से शासित होती हैं उनमें वृद्धि हुई है क्योंकि वे नियन्त्रित नहीं होतीं ।

अब मैं जिस बात को लेना चाहता हूं वह है बजट में घाटा । यह एक ऐसा विषय है जिस पर सभी सदस्य बोले हैं । महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा है, 1980-81 का बजट घाटा 2,500 तक सीमित रखा गया है और जब मैं वास्तव में वित्त विधेयक प्रस्तुत करूंगा उस समय मेरे पास मार्च तक के आंकड़े होंगे और तब मैं 1,975 से कम राशि देने में समर्थ होऊंगा । यह है उस सिद्धान्त को बताना चाहता हूं जिसे आधार बनाकर बजट तैयार किया गया है । श्री भगत का यह कहना सही था कि मुद्रा स्फीति की स्थिति में आपको एक कठोर बजट बनाना चाहिए न कि एक उदार बजट और यह कि मैंने उदार बजट बनाया है जो ठीक नहीं है । यह एक कोरा अर्थशास्त्री का विचार है । पिछले वर्ष भी वे सभी लोग जो मुझे सलाह दे रहे थे, कह रहे थे कि इतनी अधिक मुद्रा स्फीति होते हुए आप आयकर पर 10 प्रतिशत अधिभार छोड़ नहीं सकते छोटी छूट की राशि बढ़ाकर 12,000 नहीं कर सकते । आप ये भिन्न रियायतें नहीं दे सकते आदि ।

इसी सन्दर्भ में मैंने कहा था कि मुद्रा स्फीति से दो तरीकों से निपटा जा सकता है । एक तरीका है मांग प्रबन्ध का और दूसरा है पूर्ति प्रबन्ध का । मैं पूर्ति प्रबन्ध का तरीका अपना रहा हूं जिसमें वस्तुएं और सेवाएं अधिक मात्रा में उपलब्ध कराई जायेंगी ताकि देश में जो कठिनाई है उसे समाप्त किया जा सके । और जैसा कि मैंने कहा था, इसीलिए मैंने उत्पादन बढ़ाया है । इसी सन्दर्भ में मैंने यह कहा था कि यदि मेरा सिद्धान्त असफल रहता है तो मुझे खेद होगा ।

हालांकि पिछले वर्ष के जो परिणाम सामने आए हैं वे पूरी तरह से उत्साहवर्धक नहीं हैं परन्तु उनसे यह पता चलता है कि यदि मैं इसी सिद्धान्त को जारी रखूं तो सफलता मिल सकती है । यदि मैंने छूट की सीमा पिछले वर्ष 12,000 तक न की होती तो इस वर्ष 15,000 नहीं कर सकता था क्योंकि 8,000 से सीधे 15,000 करना एक बड़ा कदम होता । इसी प्रकार मैंने

पिछले वर्ष आय कर पर 10 प्रतिशत अधिभार को छोड़ न दिया होता तो इस वर्ष निमित कर पर 5 प्रतिशत की छूट न दी होती। यह पैकेज स्कीम मेरे दिमाग में है और इसे मैं प्रोत्साहन देना चाहता हूं। मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा उठाए गए प्रश्नों को बाद में लूंगा क्योंकि हम इस मामले पर आधार भूत मतभेद रखते हैं। यह एक पैकेज स्कीम है इसे मैं आगे लाना चाहता हूं। इसके अन्तर्गत पूर्ति प्रबन्ध को प्राथमिकता मिलेगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता इस प्रकार से बनी रहे कि अर्थव्यवस्था में अस्थिरता समाप्त हो जाए। महोदय, यहां मैं यह बताना चाहता हूं कि परिणाम सन्तोषजनक नहीं निकले हैं। अपने भाषण के दौरान मैं आंकड़े प्रस्तुत करूंगा।

मुझे प्रसन्नता है कि मेरे ही दल के दो साथियों—श्री कमलनाथ और प्रो० रंगा—ने बजट में इस पद्धति का समर्थन किया है। आप में से बहुतों को शायद यह पता न हो कि प्रो० रंगा हमारे देश में अर्थशास्त्र के कुछ सबसे पहले के विद्यार्थियों में से एक हैं। उन्होंने आक्सफोर्ड से एम० ए० की डिग्री प्राप्त की और जब मैं विद्यार्थी था तो मैं उनके, जब वे कालेजों में, विशेषकर मद्रास कालेज में, भाषण देते थे तो उनके शानदार आक्सफोर्ड उच्चारण वाली भाषा को सुना करता था। वह अर्थशास्त्र के ज्ञाता हैं और इसलिए उनके विचारों में काफी वजन है। मेरे विचार से यह उचित समय है जब मैं उठाये गये प्रश्नों के उत्तर दूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं किस तरीके से मुद्रा स्फीति का मुकाबला करने जा रहा हूं। ऋण नीति को इस तरह से समुचित किया जाएगा कि उत्पादन के लिए सभी सुविधायें उपलब्ध कराये जाने पर भी जमाखोरी, काला बाजारी और वस्तुओं को छिपा कर रखने के लिए ऋण नहीं दिया जाएगा। वाणिज्यिक लेन-देन की दरों को ऊंचा किया जाएगा, और उन्हें सीमित किया जाएगा, जब कि उत्पादकता के लिए ब्याज की दरें कम की जायेंगी और उदार बनाई जायेंगी। जैसा कि मैंने पहले कहा है, अर्थव्यवस्था में काफी अस्थिरता है और उसे मुझे समाप्त करना है। इस द्रव्यता को समाप्त करने के लिए मैंने धारक बांडों की योजना जारी की। अस्थिरता को समाप्त करने का कोई और तरीका नहीं है। यदि विमुद्रीकरण किया भी जाए तो भी अस्थिरता समाप्त नहीं होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली बार जब एक हजार रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था उसके बारे में हमारा अनुभव यही है। एक हजार रुपये के 150 करोड़ रुपये के नोटों में से लगभग 130 करोड़ रुपये के नोट प्रस्तुत किए गए थे और भुनाए गए थे। केवल 20 करोड़ रुपया ही सामने नहीं आया था। उससे भी कोई विशेष परिणाम सामने नहीं आए। हमारी सस्कृति में शत्रु को जीतने के चार तरीके हैं—साम, दाम, दंड, भेद। हम दूसरा तरीका अपना रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि इसमें सफलता नहीं मिलती तो हमारे पास तीसरा और चौथा तरीका सुरक्षित है।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : क्या ये स्थाई रूप से सुरक्षित हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : यदि आप ऐसा चाहें तो।

इसी के साथ श्री भगत द्वारा उठाया गया यह प्रश्न भी जुड़ा हुआ है कि जब सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को 74 करोड़ रुपए की हानि हुई है तो आप इन्हें योजना में 2300 करोड़ रुपये

का ऋण कैसे दे रहे हैं। मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूं कि लाभांश घोषित करने के लिए लाभ की घोषणा को संचालित करने के लिए कम्पनी कानून बना हुआ है। यद्यपि यह सरकारी क्षेत्र के निगम हैं फिर भी कम्पनी कानून द्वारा संचालित होते हैं। कम्पनी कानून के उपबंधों को लागू करते हुए "कर अदायगी के बाद" 74 करोड़ रुपये की हानि हुई है, किन्तु ये निगम मूल्य ह्रास और प्रतिधारित लाभ के द्वारा संसाधन उत्पन्न करते है। सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रम हानि नहीं उठा रहे हैं, कुछ को लाभ हो रहा है ; कुछ को हानि हो रही है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कौन-कौन से उपक्रम ?

श्री आर० वेंकटरामन : मुझे हैरानी है कि सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सभापति को इस बारे में मालूम नहीं है। मैं स्वयं हैरान हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इसकी मात्रा क्या है ?

श्री आर० वेंकटरामन : आप अल्पसूचना प्रश्न कीजिए, मैं उत्तर दूंगा। यदि यह मुझे अल्प सूचना प्रश्न भेजते हैं तो मैं उसे स्वीकार करूंगा।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय (आसनसोल) : तावत् शोभते मूर्ख्यं

आवत किंचित् नवाषतः।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं आपकी गलती बताना चाहता हूं और इसीलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मुख्य बात यह है कि यदि माननीय श्री ज्योतिर्मय बसु सरकारी उपक्रमों में प्रायः न जाएं तो उपक्रमों को लाभ होगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, यह आक्षेप है।

श्री वेंकटरामन : महोदय, हानि के बावजूद पिछले वर्ष प्रतिधारित लाभ और मूल्य ह्रास लगभग 15 सौ करोड़ रुपए का था। इस वर्ष हमने अनुमान लगाया है कि यह संसाधन 23 सौ करोड़ रुपए के होंगे। इसलिए ये विस्तार, नवीकरण, प्रतिस्थापन आदि के लिए अपने ही संस्थानों में पुनर्निवेश के लिए उपलब्ध होंगे। अतः ये संसाधन हैं। ये दो अलग-अलग अवधारणाएं हैं। इसीलिए मैं स्थिति को स्पष्ट करना चाहता था कि 74 करोड़ रुपये की हानि होने के बावजूद ।

श्री बी० आर० भगत : आप इस राशि को बढ़ाकर 23 सौ करोड़ रुपए किसलिए कर रहे हैं —क्या ऐसा मूल्य निर्धारण व्यवस्था के कारण है अथवा बढ़ती हुई कीमतों के कारण। मैंने कर की बात नहीं कही। वह अब बजट संसाधन के अन्तर्गत आता है। मैं कर अन्यथा राजस्व की बात कर रहा हूं।

श्री आर० वेंकटरामन : यह बजट संसाधन नहीं है। यह सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए एक आन्तरिक संसाधन है। मुझे आशा है कि आप दोनों के बीच को अन्तर समझते हैं। यदि मुझे बजट के लिए दस रुपए मिलते हैं तो वह बजट संसाधन है। लेकिन यदि यह सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के लिए आन्तरिक संसाधन है तो मैं इसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के लिए आन्तरिक संसाधन कहूंगा।

इस बात की आलोचना की गई है कि गैर-विकास संबंधी खर्च बहुत ज्यादा रखा गया है। यह बताया गया कि 1981-82 में गैर-योजना खर्च 15,100 करोड़ रुपये होगा जबकि 1980-81 में यह राशि 13,051 करोड़ रुपये थी। मैं इसका ब्यौरा दूंगा तो आप देखेंगे कि प्रशासनिक खर्च लगभग नगण्य हैं। दोनों में 2,049 करोड़ रुपए का अंतर है। इस राशि में से 'रक्षा' के लिए 600 करोड़ रुपया खर्च किया जाना है। मैं समझता हूं कि इस बात से सभी सहमत होंगे कि वर्तमान परिस्थितियों में रक्षा पर किये जाने वाले खर्च से बचा नहीं जा सकता। इसके अलावा हम खाद्यान्न उर्वरकों आदि के लिए भी राज सहायता देने जा रहे हैं। इस मुद्दे को मैं बाद में लूंगा। कोई भी व्यक्ति खाद्य और उर्वरक को रियायत दिये जाने का विरोध नहीं करेगा क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है और हमें लोगों को खाने के लिए अन्न उपलब्ध कराना है। यह राशि 426 करोड़ रुपए है। इसके अलावा विभिन्न प्रभारों पर 526 करोड़ रुपए का ब्याज दिया जाना है।

राज्यों को योजना वाह्य सहायता में 101 करोड़ रुपये की वृद्धि कर दी गई है और इस प्रकार इसकी कुल राशि 1653 करोड़ रुपये हो गई है। इस प्रकार अन्य करों में शुद्ध वृद्धि 396 करोड़ रुपये है। इससे यह धारणा बनती है कि योजनावाह्य क्षेत्र में 2000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय किया जा रहा है। किन्तु वास्तव में यह राशि केवल 396 करोड़ रुपये है और मेरा विचार है कि सदस्य यह नहीं कहेंगे कि योजना वाह्य व्यय अनुमान से बहुत अधिक है। तथा योजनावाह्य के सम्बन्ध में भी प्रमाणित इस धारणा को ठीक करना चाहता हूं कि पिछली योजना का व्यय वर्तमान योजना के दौरान योजनावाह्य व्यय कहलाएगा। इसी प्रकार वर्तमान योजना का व्यय अगली योजना के दौरान योजनावाह्य व्यय कहलायेगा और जिन्होंने अलग अलग मंत्रालयों में इस पर कार्यवाही की है वे इसको जानते हैं। इसलिए सम्पूर्ण योजना वाह्य व्यय प्रशासनिक अथवा व्यर्थका अथवा परिहार्य व्यय है।

मेरे माननीय मित्र, श्री बीजू पटनायक ने कहा है कि मैंने ग्रामीण निर्धनों के लिये एक कार्य नहीं किया है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। मैंने एक कार्य नहीं किया है किन्तु मैंने निर्धनों के लिए अनेक कार्य किये हैं। राष्ट्रीय ग्रामीम रोजगार कार्यक्रम ऐसा है जिसमें कार्यक्रम को राज्य और केन्द्र के बीच बांट दिया गया है इसमें केन्द्रीय सरकार ने 180 करोड़ रुपए तथा राज्य सरकार ने भी 180 करोड़ रुपये का अंशदान किया है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में भी केन्द्रीय सरकार 198 करोड़ रुपये तथा राज्य सरकार भी इतनी ही राशि का अंशदान करेगी। इसके अलावा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों संबंधी विशेष कार्यक्रम है

जिसपर 110 करोड़ रुपये व्यय किए जायेंगे । इसके अलावा 35,000 ग्रामों के पानी, पीने के पानी सप्लाई करने की ग्रामीण जल सप्लाई योजना है जिस पर चालू वर्ष में 110 करोड़ रुपये व्यय किए जायेंगे । इसके अलावा ग्रामीण निर्धनों के लाभ के लिए अनेक कार्यक्रम हैं । इसलिए मैंने कहा था कि ग्रामीण निर्धनों के लिए मैंने एक कार्य नहीं किया है वरन् अनेक कार्य किए हैं ।

अब मैं राज सहायता के प्रश्न पर विचार करूंगा । अधिकतर सदस्यों ने कहा है कि राज सहायता की राशि को कम किया जाना चाहिए । किन्तु मेरा विचार है कि वे यह नहीं समझते कि उनके कथन का क्या अर्थ है । खाद्यान्न पर 650 करोड़ रुपये की राज सहायता दी जाती है और यदि उसे पूर्णतया समाप्त कर दिया जाए तो गेहूं का मूल्य 34 पैसे प्रति किलोग्राम तथा चावल का मूल्य 64 पैसे प्रति किलोग्राम बढ़ाना पड़ेगा । मेरा विचार है कि यदि मैं अपने बजट में ऐसा प्रस्ताव करता हूं तो इस सदन में कोई भी सदस्य मेरा समर्थन नहीं करेगा ।

एक माननीय सदस्य : इसका कोई समर्थन नहीं करेगा वरन् केवल श्री ज्योतिर्मय बसु समर्थन करेंगे ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने अनेक चीजों को गहराई से देखा है ।

श्री रवीन्द्र वर्मा (बम्बई उत्तर) : जो मैंने कहा है वह वस्तु स्थिति है । राज सहायता का प्रबन्धकीय अकुशलता को संरक्षण देने के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए ।

श्री आर. वेंकटरामन : किन्तु अन्य सदस्यों ने यही कहा है । श्री रवीन्द्र वर्मा ने यह नहीं कहा था कि इसे कम किया जाना चाहिए किन्तु उन्होंने यह कहा था कि अकुशल प्रबन्ध के कारण राजसहायता नहीं दी जानी चाहिए । किन्तु अन्य अधिकतर सदस्यों ने कहा है कि राज-सहायता की राशि में अवश्य कमी की जानी चाहिए । श्री भगत भी यह कह रहे थे राजसहायता में कमी की जानी चाहिये ।

श्री बलीराम भगत (सीता मढी) : मैंने कहा था कि वित्त मन्त्री के विचारों तथा छठी योजना में समन्वय का अभाव है । छठी योजना में खाद्यान्न, उर्वरक तथा निर्यातों के संबंध में राजसहायता में 200 करोड़ रुपये की कमी की गई है जबकि वित्त मंत्री समग्र रूप से राज-सहायता की राशि को बढ़ाने की बात कह रहे हैं । मैंने यह बात कही थी । मैं खाद्यान्न के संबंध में राजसहायता रखने के पक्ष में हूं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : और निर्यात पर भी ।

श्री आर० वेंकटरामन : इस स्पष्टीकरण से मुझे प्रसन्नता हुई है । यदि वित्त मंत्री के सामने मुद्रास्फीति की मूल्यवृद्धि की समस्या इस बात की समस्या है कि समाज का बहुत बड़ा वर्ग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा हो तो क्या वह इस बात की चिन्ता करेगा कि योजना बिल से उनमें क्या सिखा है तथा देश के गरीब लोगों की क्या आवश्यकता है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह योजना विशेष पर आक्षेप है ।

श्री आर० वेंकटरामन : योजना आयोग जो उल्लेख करता है वह सिद्धांत रूप में होता है । सिद्धांतों को परिस्थितियों के संबंध में लागू करना होता है । सिद्धांतो को बिना सोचे समझे लागू नहीं किया जा सकता । तब कोई कह सकता है कि ऐसी स्थिति में आप एक कम्पयूटर रख सकते हैं ।

गुणावगुणों की जांच करने के पश्चात हमने राजसहायता जारी रखने का निर्णय किया था और हमने 650 करोड़ राजसहायता के लिए रखे हैं ।

दूसरी महत्वपूर्ण राजसहायता उर्वरक के संबंध में है । यदि उर्वरक के संबंध में राज सहायता को हटा लिया जाए तो यूरिया का मूल्य 2000 रुपये प्रति टन से बढ़कर 2700 रुपये प्रति टन हो जाएगा । क्या किसान तथा उनका प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य इससे सहमत होंगे । इस संबंध में कहा जा रहा था कि हम पैट्रोल का मूल्य अधिक लेते हैं । नाशथा का मूल्य भी अधिक है और उसके मूल्य को भी राजसहायता देकर कम रखते हैं और ये इस प्रकार यूरिया को 2000 रुपये प्रति टन के मूल्य पर विक्रय करते हैं जब कि बिना राजसहायता के उसकी उत्पादन लागत 2700 रुपये प्रतिटन होगी ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : निर्यात राज सहायता के संबंध में आपके क्या विचार हैं ।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं समस्याओं से बचना नहीं चाहता । कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो समस्याओं से बचना चाहते है किन्तु में ऐसा नहीं करता हूं ।

तीसरी राजसहायता नियति राजसहायता है और यह 400 करोड़ रुपये है । वास्तव में यह राजसहायता नहीं है यह वास्तव में उनके द्वारा दिये गये विभिन्न करों के संबंध में वापस की गई राशि है और यदि इसे नहीं दिया जाये तो उत्पादित पदार्थ का मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगिता नहीं कर सकेगा । इसे अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों की गणना करके तथा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य के संबंध में अपने उत्पादित पदार्थ के मूल्य की तुलना करके निर्धारित किया जाएगा । कुछ व्यक्तियों का विचार है आप निर्यात क्यों करते हैं । श्री ज्योतिर्मय बसु ऐसा कह सकते हैं ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि निर्यात बिलकुल नहीं किया जाना चाहिए । मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं । जब वे शासन में आ जायें तब वे अपने इस विचार को लागू कर सकते हैं । उनकी अपनी अलग विचारधारा है इसके लिए मैं उनका आदर करता हूं । मैं एक मित्र विचार-धारा के प्रति वचनवद्ध हूं । हमने चुनाव के समय एक चुनाव घोषणा पत्र लोगों के समक्ष पेश किया था जिसमें देश के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का उल्लेख था । इसलिए हमें निजी क्षेत्र को भी कुछ प्रोत्साहन देने होंगे जोकि मेरा विचार है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे उस सीमा के अन्तर्गत जो हमने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक अधिनियम 1969 तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम तथा अन्य का कार्य क्षेत्र निर्धारित

किया है । हमने उनके कार्य क्षेत्र को सीमित कर दिया है हमने उन्हें नियन्त्रित कर दिया है तथा विनियमित कर दिया है । उनको विनियमित करने के लिए हमने अनेक कानून पारित किए हैं । किन्तु इन्ही कानूनों के अनुसार तथा उनके लिए निर्धारित क्षेत्र के अन्तर्गत मेरा विचार है कि हमारा दल उसी के आधार पर पुन; शासन में आया है कि निजी क्षेत्र को अपनी अलग भूमिका अदा करनी है तथा उसके लिए उस क्षेत्र को पर्याप्त सुविधायें भी दी जानी चाहिए । जब आप इसे स्वीकार कर लेगें तो आपको ज्ञात होगा कि हमारा दल अपने कार्यक्रम में निरन्तर सक्रिय हैं । और यदि आप इसे स्वीकार नहीं करते तो आपको ज्ञात होगा कि हमारा दल इस संबंध में पूर्णतया असंगत है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिर हाट) : यह स्वतन्त्र पार्टी की विचारधारा है ।

श्री आर० वेंकटरामन : हो सकता है ; आप इसे किसी भी नाम से सम्बोधित कर सकते हैं । हमने इस चुनाव घोषणापत्र के आधार पर चुनाव लड़ा था । आप यह नहीं कह सकते कि जनता ने इसका समर्थन नहीं किया इसलिए मैंने अपने बजट में ऐसी अनेक सुविधायें दी हैं जिससे निजी क्षेत्र अपनी भूमिका अदा कर सकेगा । आप पूछ सकते हैं कि क्या दी गई विभिन्न सुविधाओं से कुछ परिणाम प्राप्त हुए हैं । मैं इस संबंध में कुछ आंकड़े प्रस्तुत करूंगा । श्री ज्योतिर्मय बसु मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं इसके द्वारा न केवल 1000 करोड़ रुपये प्राप्त कर सकूंगा । वरन् इससे भी अधिक राशि प्राप्त कर सकूंगा ।

एक माननीय सदस्य : काफी राशि विदेशों से प्राप्त होगी ।

श्री आर० वेंकटरामन : हमारी अर्थव्यवस्था में राजस्व की जो हानि होती है उसे रोका जाएगा और इससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार होगा ।

अब मुझसे पूछा गया है कि गत वर्ष के दौरान उन्हें तथा इस वर्ष के दौरान उन्हें क्या सुविधायें दी गई हैं । 1979 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने नए उपक्रमों को कुल 257 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की थी तथा 1980 में इसकी राशि 626 करोड़ रुपए है । इसी प्रकार 1979 में अदायगी 257 करोड़ रुपये थी तथा 1980 में यह 358 करोड़ रुपये थी ।

इससे मुझे लगता है कि हम ठीक दिशा में बढ़ रहे हैं और उद्योग उन्नति करेगा ।

मैं अब अखबारी कागज के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । अनेक सदस्यों ने कहा है कि अखबारी कागज पर कर लगाना शिक्षा पर कर लगाना है तथा इसका कुछ अन्य निहितार्थ है । मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं कि यह विचार मुझे समाचार पत्रों के ही मिला । इस संबंध में मैं किसी के नाम का उल्लेख नहीं करना चाहता । यह उचित नहीं है । इस बेक के समाचार पत्र में 20 पृष्ठ थे जिसमें 8 पेज में उसका परिशिष्ट था 12 पृष्ठ के समाचार पत्र का मुख्य भाग था उसके 5½ पृष्ठों में विज्ञापन थे तथा 2¾ पृष्ठों में असंगत बातें थी ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : नेशनल हेराल्ड ।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं चाहता हूं कि ऐसा होता। प्रतिवर्ष अखबारी कागज पर 150 करोड़ रुपये व्यय किए जाते हैं और उसकी राशि बढ़ती जा रही है मेरा विचार है कि हमारा देश इस भार को वहन नहीं कर सकता।

एक माननीय सदस्य : वे उस भार को वहन कर सकते हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : हम इस विदेशी मुद्रा के भार को वहन नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने सोचा है कि अखबारी कागज के उपयोग को कम करने का एक तरीका यह है, यदि आप इसे शिक्षा पर कर बतायें तो क्या 5 ½ पृष्ठ शिक्षा सम्बन्धी हैं जो हम अपने देश वासियों से प्राप्त करना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री इन्द्रजीत गुप्त विज्ञापन पर कर लगाना चाहते हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं जानता हूं मैं उस बात पर भी अभी चर्चा करूंगा। अनेक राज्यों ने इस सम्बन्ध में हमें लिखा है और उन्होंने राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भी मुझसे संविधान के अनुच्छेद 26 क के अन्तर्गत समाचार पत्रों के विज्ञापनों पर कर लगाने तथा उसकी राशि राज्यों को दे देने के लिए कहा था। यदि मेरा कोई निहित उद्देश्य होता तो मैं ऐसा कर लेता तथा सारा दोष उन पर मढ़ सकता था। किन्तु मेरा कोई निहित उद्देश्य नहीं था। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इसका केवल उद्देश्य विदेशी मुद्रा को बचाना है और लोग इसका कुछ और अर्थ लगाते हैं तो मैं कहूंगा "चोर की दाढ़ी में तिनका।"

मेरे पास छोटे समाचार पत्रों के बारे में भी बहुत बड़ी संख्या में अभ्यावेदन आये हैं मैंने लघु उद्योग के बारे में भी बहुत कुछ किया है पिछले बजट में भी और चालू बजट में भी और मैं लघु क्षेत्र के हितों की उपेक्षा नहीं करूंगा। मैं जब वित्त विधेयक प्रस्तुत करूंगा तब इसका ध्यान रखूंगा। मैं छोटे समाचार पत्रों का भी ध्यान रखूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : सूचना और प्रसारण मन्त्री ने सदन के बाहर इस बात का पहले संकेत दे चुके है।

श्री आर० वेंकटरामन : मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। मैंने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा है। मैंने केवल इतना कहा है कि मैं विचार करूंगा। आप भी ऐसा ही कहा करते थे। जब आप रेल मन्त्री थे तब मैं आपके पास गया था तथा कहा था "कि मैं मद्रास सिटी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं तथा सभी दैनिक यात्री कहते हैं कि आपने 'सीजन टिकट किराया' बढ़ा दिया है तब आपने कहा था "मैं विचार करूंगा ?"

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने किराये को कम करके आधा कर दिया था।

श्री आर. वेंकटरामन : मैं भी कुछ ऐसा ही करूंगा।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : समाचार को कम करके उन्हें आधा मत कर दीजियेगा ।

श्री आर. वेंकटरामन : अनेक छोटी छोटी बातें उठाई गई हैं । मैं सदन का बहुत आभारी हूं । उन्होंने मेरे प्रति जो सद्भाव रखा है उसके लिए मैं उनका आभारी हूं । और मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस पर विचार किया जाए ।

लेखानुदानों की मांगे (सामान्य), 1981-82

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं वर्ष 1981-82 के बजट सामान्य के सम्बन्ध में लेखानुदानों की मांगों को सभा के मतदान के लिए रखता हूं । प्रश्न यह है :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई मांग संख्या 1-107 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ तीन में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अत्यधिक राशियां भारत की संचित निधि से राष्ट्रपति को दी जायें" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए पेश किए गए लेखानुदान की मांग की रकम	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
	कृषि मंत्रालय		
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	53,08,000	
2.	कृषि	12,63,88,000	209,96,10,000
3.	मीन उद्योग	2,98,19,000	2,90,05,000
4.	पशु पालन और डेरी विकास	17,94,00,000	2,63,58,000
5.	वन	4,07,25,000	13,50,000
6.	सहकारिता	2,76,92,000	21,22,13,000
7.	खाद्य विभाग	110,06,37,000	8,59,62,000

1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
8.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	5,58,000	
9.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को अदायगियां	16,96,82,000	
	नागरिक पूर्ति मंत्रालय		
10.	नागरिक पूर्ति मंत्रालय	1,00,13,000	1,39,79,000
	वाणिज्य मंत्रालय		
11.	वाणिज्य मंत्रालय	30,52,000	
12.	विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन	76,66,09,000	10,39,67,000
13.	वस्त्रोद्योग, हथकरघा और हस्तशिल्प	53,40,34,000	8,40,33,000
	संचार मंत्रालय		
14.	संचार मंत्रालय	52,70,000	2,69,00,000
15.	विदेश संचार सेवा	3,5636,000	4,46,77,000
16.	डाक-तार-- कार्यकरण व्यय	159,46,35,000	
17.	डाक-तार-सामान्य राजस्व को लाभांश, प्रारक्षित निधि में विनियोग और सामान्य राजस्व से उधारों की वापसी	42,82,22,000	
18.	डाक-तार पर पूंजी परिव्यय	—	85,33,46,000
	रक्षा मंत्रालय		
19.	रक्षा मंत्रालय	26,13,07,000	17,48,93,000
20.	रक्षा सेवाएं—थल सेना	404,07,09,000	—
21.	रक्षा सेवाएं—नौ-सेना	49,87,58,000	—
22.	रक्षा सेवाएं—वायु सेना	165,30,83,000	—
23.	रक्षा सेवाएं—पेंशनें	47,19,28,000	—
24.	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	—	67,27,33,000

1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
	शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय		
25.	शिक्षा विभाग	3 ,90,000	—
26.	शिक्षा	46,51,13,000	2,07,40,000
27.	संस्कृति विभाग	2,46,68,000	—
28.	पुरातत्व विज्ञान	1,26,08,000	—
	ऊर्जा मंत्रालय		
29.	कोयला विभाग	17,27,42,000	110,64,17,000
30.	ऊर्जा विभाग	14,83,35,000	123,97,03,000
	विदेश मंत्रालय		
31.	विदेश मंत्रालय	25,73,27,000	4,78,51,000
	वित्त मंत्रालय		
32.	वित्त मंत्रालय	7,10,18 000	25,42,000
33.	सीमा शुल्क	6,86,25.000	2,87,50,000
34.	संघ उत्पाद शुल्क	9,84,25,000	—
35.	आय कर, सम्पदा शुल्क, धन कर और दान कर	10,19,85,090	—
36.	स्टाम्प	4,48,21,000	88,70,000
37.	लेखा परीक्षा	12,08,04,000	
38.	करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल	8,21,40,000	3,59,60,000
39.	पेंशनें	13,61,00,000	—
40.	अफीम और एल्कलाइड के कारखाने	25,55,31,000	18,95,000
41.	राज्य सरकारों को अन्तरण	368,28,93,000	—
42.	वित्त मंत्रालय का अन्य व्यय	63,59,09,000	87,98,58,000

1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
43.	सरकारी सेवकों, आदि को उधार	—	16,66,67,000
	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		
44.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	19,18,000	—
45.	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	31,34,14,000	11,86,21,0000
46.	परिवार कल्याण	28,53,69,000	16,000
	गृह मंत्रालय		
47.	गृह मंत्रालय	60,74,000	—
48.	मंत्रिमण्डल	26,94,000	—
49.	कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग	1,56,58,000	
50.	पुलिस	49,43,57,000	1,72,88,000
51.	जनगणना	6,84,18,000	—
52.	गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	62,56,91,000	23,61,08,000
53.	दिल्ली	35,44,01,000	24,98,95,000
54.	चण्डीगढ़	5,64,55,000	2,45,78,000
55.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	5,80,26,000	3,54,89,000
56.	दादर और नगर हवेली	59.21,000	83,64,000
57.	लक्षद्वीप	1,19,36,000	1,34,56,000
	उद्योग मंत्रालय		
58.	उद्योग मंत्रालय	62,06,000	
59.	उद्योग	7,23,22,000	57,71,10,000
60.	ग्रामोद्योग और लघु उद्योग	4,19,58,000	1,01,59,000
	सूचना और प्रसारण मंत्रालय		
61.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	16,87,000	

1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
62.	सूचना और प्रचार	4,26,29,000	24,70,000
63.	प्रसारण	14,47,07,000	5,69,75,000
	सिंचाई मंत्रालय		
64.	सिंचाई मंत्रालय	13,51,77,000	2,21,96,000
	श्रम मंत्रालय		
65.	श्रम मंत्रालय	16,21,000	
66	श्रम और रोजगार	12,11,60,000	2,12,000
	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय		
67.	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय	3,92,89,000	16,000
68.	न्याय प्रशासन	18,83,000	
	पैट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय		
69.	पैट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय	19,39,000	
70.	पेट्रोलियम और पेट्रो-रसायन उद्योग	17,06,52,000	34,09,69,000
71.	रसायन और उर्वरक उद्योग	74,15,17,000	47,48,01,000
	योजना मंत्रालय		
72.	योजना मंत्रालय	73,000	
73.	सांख्यिकी	2,98,11,000	
74.	योजना आयोग	92,90,000	
75.	ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय	75,12,67,000	12,25,88,000
	नौवहन और परिवहन मन्त्रालय		
76.	नौवहन और परिवहन मन्त्रालय	60,57,000	
77.	सड़कें	23,34,24,000	22,75,65,000
78.	पत्तन, दीपस्तम्भ और नौवहन	11,86,67,000	30,09,62,000

1	2	3	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
79.	सड़क और अन्तर्देशीय जल परिवहन	35,27,000	4,14,03,000
	समाज कल्याण मन्त्रालय		
80.	समाज कल्याण मन्त्रालय	7,93,23,000	15,61,000
	इस्पात और खान मन्त्रालय		
81.	इस्पात विभाग	2,56,72,000	93,45,90,000
82.	खान विभाग	11,54,78,000	36,16,17,000
	पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय		
83.	पूर्ति विभाग	4,53,000	
84.	पूर्ति और निपटान	1,58,10,000	
85.	पुनर्वास विभाग	4,38,64,000	1,43,82,000
	पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय		
86.	पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय	12,18,000	
87.	मौसम विज्ञान	2,95,63000	1,26,21,000
88.	विमानन	5,17,15,000	15,66,71,000
89.	पर्यटन	91,79,000	2,09,26,000
	निर्माण और आवास मंत्रालय		
90.	निर्माण और आवास मंत्रालय	24,61,000	
91.	लोक निर्माण	20,68,56,000	6,66,96,000
92.	जलपूर्ति और जल मल निकासी	19,57,50,00	
93.	आवास और नगर विकास	4,43,41,000	8,66,66,000
94.	लेखन सामग्री और मुद्रण	7,96,22,00	
	परमाणु ऊर्जा विभाग		
95.	परमाणु ऊर्जा विभाग	11,35,000	

1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
96.	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान, विकास और औद्योगिक परियोजनाएं	19,72,86,000	27,51,26,000
97.	न्यूक्लीय विद्युत योजनाएं	13,64,03,000	13,83,82,000
	इलैक्ट्रोनिक्स विभाग		
98.	इलैक्ट्रोनिक्स विभाग	2,36,34,000	1,50,67,000
	पर्यावरण विभाग		
99.	पर्यावरण विभाग	1,00,52,000	
	विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग		
100.	विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग	6,70 38,000	32,00,000
101.	भारतीय सर्वेक्षण	4,61,87,000	96,000
102.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को अनुदान	12,46,66,00	
	अन्तरिक्ष विभाग		
103.	अंतरिक्ष विभाग	9,70,62,000	15,77,61,000
	संसद, संसदीय कार्य विभाग, राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के सचिवालय और संघ लोक सेवा आयोग		
104.	लोक सभा	1,22,13,000	
105.	राज्य सभा	42,28,000	
106	संसदीय कार्य विभाग	4,30,000	
107.	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	1,07,000	

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1981

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1981-82 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों को निकालने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1981-82 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1981-82 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों को निकालने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : आज हम मांग संख्या 19, रक्षा मन्त्रालय और मांग संख्या 20 विशेषकर रक्षा सेवाएं-सेना 404,07,09,000 रुपये को देखते हैं अब मेरा विचार है कि इस बारे में काफी व्यापक रूप से चर्चा हो चुकी है और बहुत उत्तरदायी व्यक्तियों से इस प्रकार के आरोप प्राप्त हो रहे हैं कि खरीद कार्य पर बहुत अधिक पैसा व्यय किया जा रहा है। उदाहरण के लिए आरमर्ड कोर और हथियार तथा साज-सामान निदेशालय ने मई, 1980 में रक्षा मंत्रालय से विजयंत टैंकों के लिए 70 एस. एफ. सी. एफ. 600 की खरीद का प्रस्ताव रखा था। उनका यहां पर स्थानीय प्रतिनिधि है। इससे मुझे कोई अन्तर नहीं पड़ता। इस खरीद कार्य पर 15 करोड़ रु० खर्च होने थे। 19 दिसम्बर, 1980 को आर्मड कोर के कर्मचारियों ने हथियार और साज सामान निदेशालय को एक टिप्पण में यह सूचित किया कि एस. एफ. सी. एफ. 600 न खरीदे जाएं क्योंकि यह रात्रि में कार्य करने की दृटि से सक्षम नहीं है। फरवरी, 1981 में मैंने कहा था...* प्रधानमंत्री सचिवलय के संयुक्त सचिव (व्यवधान) मैंने नियम 353 के अन्तर्गत सूचना दी है (व्यवधान) मैंने नियम 352 के अन्तर्गत भी सूचना दी है। मैंने एक मामला तैयार किया है (व्यवधान)।

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस बारे में निर्णय देना है। (व्यवधान)*।

संचार मन्त्री (सी० एम० स्टीफन) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है (व्यवधान)* उन्हें बैठ जाने दीजिए। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है मेरे मित्र ने एक अधिकारी के नाम का उल्लेख किया है और आरोप लगाना आरम्भ कर दिया है। इस सम्बन्ध में सुस्पष्ट निर्धारित प्रक्रिया है। इस बारे में कई विनिर्णय हो चुके हैं और हमें उनका पालन करना चाहिए। इस बारे में नियम 353 है। 53 का परन्तुक भी है और नियम 352 भी है मैं केवल 353 की बात कर रहा हूं। सही तौर पर क्या प्रक्रिया होनी चाहिए। यह एक ऐसा मामला है, जिसके बारे में आपके पूर्ववर्ती अध्यक्ष महोदयों ने अनेक मामलों में बार-बार विनिर्णय दिए हैं। इस बारे में दो बातें है आपको सूचना दी जानी चाहिए जोकि उन्होंने दी होगी। वे ऐसा ही कह रहे थे। और फिर आपने मामला उठाने के लिए अनुमति दी होगी अन्यथा यह मामला नहीं उठाया जा सकता। केवल सूचना ही काफी नहीं बल्कि आपकी अनुमति भी··· ··।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अभी नहीं दी है।

श्री सी. एम. स्टीफन : मैं यही बात कह रहा था। आपकी अनुमति बहुत जरूरी है। अब यह स्थिति है।

> "नियम के अनुसार किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानि कारक या अपराधारूपक स्वरूप का आरोप नहीं लगाया जायेगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को उसकी पूर्व सूचना न दे दी हो और उसकी अनुमति न प्राप्त कर ली हो...।

मैं दोहरा देता हूं ···"अध्यक्ष महोदय को पूर्व सूचना न दे दी हो और उसकी अनुमति न प्राप्त कर ली हो।"

यह विनिर्णय काफी विस्तृत था। इसके अतिरिक्त,

> "·····परन्तु अध्यक्ष किसी भी समय किसी सदस्य को ऐसा आरोप लगाने से प्रतिषिद्ध कर सकेगा यदि उसकी राय हो कि ऐसा आरोप सभा की गरिमा के विरुद्ध है या ऐसा आरोप लगाने से कोई लोक-हित सिद्ध नहीं होता।"

इस नियम का प्रस्ताव करते समय अध्यक्ष महोदय ने नियम समिति की निम्नलिखित टिप्पणी पढ़ी थी :

> "···किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधारोपक स्वरूप का आरोप लगाना या मानहानि कारक वक्तव्य देना संसदीय वाद-विवाद संबंधी नियमों और यहां की गरिमा के विरुद्ध है और यदि इस प्रकार के आरोप किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध लगाए गए हों जोकि स्वयं उसका सभा में प्रतिवाद करने की स्थिति में नहीं है तो यह स्थिति और भी अधिक बुरी हो जाती है।"

*कार्यवाही सारांश में सम्मिलित नहीं किया गया।

यहां नाम का उल्लेख किया गया है। वह यहां उपस्थित नहीं है। वह अपने पक्ष में कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। इसके अतिरिक्त,

"सभा को एक ऐसा मंच नहीं बनाया जाना चाहिए जहां पर किन्हीं व्यक्तियों के आचरण और चरित्र को बदनाम किया जाये क्योंकि जिस व्यक्ति के विरुद्ध इस प्रकार के आरोप लगाये जाते हैं, वह व्यक्ति सभा में दिए गए किसी भाषण के विरुद्ध कुछ नहीं कह सकता***।"

तथा यह कि :

"जहां किसी भी सदस्य को सदन की जानकारी में ऐसा कोई मामला लाने का पूर्ण अधिकार दिया जाना चाहिए जिसके सम्बन्ध में समुचित रूप से जांच पड़ताल करने के बाद वह यह अनुभव करता है कि यह मामला प्रकट किया जाये, चाहे उसमें किसी व्यक्ति का चरित्र और प्रतिष्ठा ही अन्तर्ग्रस्त क्यों न हो उसे सार्वजनिक नैतिकता के हित में ..."।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं। मैंने इसे अच्छी तरह पढ़ लिया है।

श्री सी. एम. स्टीफन : "...और उच्च संसदीय शिष्टाचार के हित में उसे चाहिए कि वह इस प्रकार का मामला सामने लाने के अपने आशय के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय तथा सम्बन्धित मंत्री महोदय को पहले से सूचित करे।"

यहीं नहीं उसे आपको संतुष्ट करने के लिए सन्तोषजनक प्रमाण भी प्रस्तुत करने चाहिए कि **प्रथम दृष्टया** मामला बनता है। इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय स्वयं को इस बात से भी सन्तुष्ट करेंगे कि सम्बन्धित सदस्य ने उपयुक्त जांच पड़ताल करली है और अपने आरोपों की पुष्टि के लिए उसके पास **पृथम दृष्टया** प्रमाण है। मैं जो बात कह रहा हूं वह यह है कि केवल आपको सूचना देना ही काफी नहीं है यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस बात पर विचार करें कि क्या सदस्य ने जो आरोप लगाया है उसकी पुष्टि में **प्रथम दृष्टया** मामला बनाने के लिए पर्याप्त दस्तावेज हैं। इसके अतिरिक्त किसी समाचार पत्र की रिपोर्ट पर आधारित किसी आरोप के सम्बन्ध में सूचना देने की अनुमति नहीं है जब तक कि सभा पटल पर रखने वाला सदस्य अध्यक्ष महोदय को इस बात का पर्याप्त प्रमाण न दे दे कि यह आरोप वास्तविक तथ्यों पर आधारित है।

"इसके अतिरिक्त, एक अन्य विनिर्णय में अध्यक्ष महोदय ने बाहरी व्यक्तियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के बारे में कार्यवाही करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की है।

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(एक) किसी भी सदस्य को किसी बाहरी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाने की अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष महोदय और सम्बन्धित मंत्री महोदय को उसकी पूर्व सूचना देकर अध्यक्ष महोदय की पूर्व-अनुमति प्राप्त न कर ली हो। इस प्रकार की सूचना में सम्बन्धित व्यक्ति का नाम, उसके विरुद्ध लगाये गए आरोप तथा स्वरूप और कुछ ऐसा प्रमाण प्रस्तुत किया जायेगा, जिससे पता चलता हो कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

(दो) जहां कोई सदस्य अध्यक्ष महोदय की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना किसी बाहरी व्यक्ति के विरुद्ध कोई आरोप लगायेगा तो वह आरोप सभा के रिकार्ड का अंश नहीं होगा।"

जब यह विनिर्णय दिया गया था श्री अटल बिहारी बाजपेयी यहां थे और जब यह विस्तृत विनिर्णय दिया गया था तो उन्होंने यह मामला उठाया था। उन्होंने हिन्दी में बोला था। मैं यहां उनके शब्दों को उद्धत करता हूं :

"अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से कुछ ....."

अध्यक्ष महोदय : कमाल है, आज तो।

श्री सी. एम. स्टीफन : "... निवेदन करना चाहता हूं। आपने जो रूलिंग दे दी है वह हमको स्वीकार करनी है लेकिन अच्छा होता कि इस रूलिंग को देने से पहले आप सभी विरोधी दलों के नेताओं और सरकारी पक्ष के नेताओं को बुला लेते और चर्चा कर लेते।" इसके पश्चात अध्यक्ष महोदय ने अपना विनिर्णय दिया था। मैंने अभी उसे दोहराया है। (व्यवधान)। मैंने अभी इसे दोहराया है। यह वही बात है जिसकी सभा के नियमों में पहले ही व्यवस्था है। "मैं अभी यह बात सदन की जानकारी में ला चुका हूं और मैंने स्थिति अत्यन्त स्पष्ट कर दी है। मैं किसी भी सदस्य को अनुमति नहीं दे रहा हूं। (व्यवधान) कोई भी बात सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं होगी।"

यह प्रश्न नियम 353 के बारे में है। यानि 353 के परन्तुक के बारे में। श्रीमन्, आपकी भी जिम्मेदारी है।

इस परन्तुक में यह व्यवस्था है .....।

"परन्तु अध्यक्ष किसी भी समय किसी सदस्य को ऐसा आरोप लगाने से प्रतिषिद्ध कर सकेगा यदि उसकी राय हो कि ऐसा आरोप सभा की गरिमा के विरुद्ध है या ऐसा आरोप लगाने से कोई लोक हित सिद्ध नहीं होता।"

प्रश्न यह है कि जो व्यक्ति यहां नहीं हैं उन्हें बचाने की जिम्मेदारी हमारी है, इसलिए कुछ उपबन्धों की व्यवस्था की गई है। उन्हें अधिकार है और आपको यह पूछने का दायित्व

और अधिकार है कि आरोपों की पुष्टि में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की अच्छी प्रकार से जांच की जाये।

यह दस्तावेज अच्छी तरह पढ़ा जाना चाहिए। जब तक आप इस बात से सन्तुष्ट न हो कि आरोप के समर्थन में पर्याप्त प्रमाण दिया गया है, तब तक अनुमति नहीं दी जायेगी और जब तक अनुमति नहीं दी जाती, तब तक किसी भी व्यक्ति को कोई आरोप लगाने का अधिकार नहीं है। आपको केवल लिखकर दे देने से किसी व्यक्ति को आरोप लगाने का हक नहीं हो जाता। अनुमति उसके लिए पहली शर्त है और आपका यह समाधान अनुमति दिए जाने की पहली शर्त है कि आरोप के समर्थन में पर्याप्त प्रमाण है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपने आरोप लगाने की अनुमति दे दी है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अभी नहीं।

श्री सी. एम. स्टीफन : यदि आपने अनुमति नहीं दी है तो जो विनिर्णय अभी मैंने उद्धृत किया है उसके अनुसार उसके द्वारा सभा में कही गई कोई भी बात सभा की कार्यवाही के रिकार्ड में दर्ज नहीं की जायेगी।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : मैं व्यवस्था का एक प्रश्न उठाना चाहता हूं।

प्रश्न यह है कि जहां तक नियमों के बारे में श्री स्टीफन का अभिप्राय स्वयं व्यक्तियों से है, वह ठीक है। फिर भी, श्री स्टीफन ने यह नहीं बताया है कि जब श्री स्टीफन विपक्ष में थे, तब हमने कुछ व्यक्तियों के आचरण पर बहस की थी। उस समय प्रत्यतः मामला बनते हुए भी उस पर कोई विचार करना आवश्यक नहीं समझा गया था। मुझे खेद है कि इस समय मेरे पास उस निर्णय की प्रतिलिपी नहीं है। उदाहरणतया, श्री कान्ति देसाई के व्यवहार के मामले को श्री स्टीफन द्वारा रोज उठाया जाता था लेकिन अध्यक्ष महोदय ने उसे आवश्यक नही समझा था। उन्होंने कहा था कि जहां जनहित की बात हो, वहां हमें प्रचलित नियमों के सम्बन्ध में तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। इसलिए उस आधार पर यदि आप इस बात से सहमत है कि जनहित का मामला है तो स्टीफन आपसे जिस बात की अपेक्षा कर रहे हैं, वह आवश्यक नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : महोदय ···।

श्री सी० एम० स्टीफन : इन्होंने मेरा नाम लिया है ···।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं इसे नहीं मानता हूं।

श्री सी० एम० स्टीफन : इन्होंने मेरा नाम लिया है और यह बताया है कि मैंने क्या किया था। 1977 में एक प्रयास किया गया था। अध्यक्ष महोदय ने यह विनिर्णय किया था।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में समय दूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने श्री शकधर अथवा श्री कोल के विरुद्ध ऐसा कुछ नहीं कहा है। उन्होंने पुस्तक लिखी है। लोक सभा सचिवालय के सभी कर्मचारियों से इस सम्बन्ध में काम लिया गया था पुस्तक को अधिक मूल्य पर बेचा गया था। परन्तु यह सदन इस पुस्तक की विषय वस्तु को मानने के लिए बाध्य नहीं है।

श्री सी. एम. स्टीफन : निर्णय के बारे में आपका क्या विचार है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : उल्टे बांस बरेली को न ले जाइए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस बात का ध्यान है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हमें यह बात साफ-साफ समझ लेनी चाहिए कि केवल लिखित नियम तथा निर्देश ही इस सदन के सदस्यों पर लागू होते हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। इसके सम्बन्ध में मुझे ऐसे किसी निर्देश की जानकारी नहीं है नियम में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है :—

> "किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधारोपक स्वरूप का आरोप नहीं लगाया जायगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा सम्बन्धित मन्त्री को भी पूर्व सूचना न दे दी हो जिससे कि मन्त्री उत्तर के प्रयोजन के लिए विषय की जांच कर सके .... "।

मैं केवल आरोप लगा रहा हूं ताकि वे उत्तर के प्रयोजन के लिए विषय की जांच करने में सक्षम हो सकें। यदि श्री पाटिल अथवा श्री वेंकटरामन यह कहें कि जो कुछ श्री बसु ने कहा है, उसका कोई आधार नहीं है, तब जनता तथा इस सदन की दृष्टि में मेरी प्रतिष्ठा गिर जाएगी तथा मेरे लिए इतना ही दंड काफी है।

इसके पश्चात्, महोदय अन्य पैराग्राफ में यह लिखा है :

> "परन्तु अध्यक्ष किसी भी समय किसी सदस्य को रोक सकेगा ....।"

जी हां, आप रोक सकते हैं, परन्तु अनुमति लेना बिल्कुल ही आवश्यक नहीं है .... अध्यक्ष महोदय वकील रहे हैं, मैं नहीं जानता कि वे कितने बड़े वकील रहे हैं...।

> "परन्तु अध्यक्ष किसी भी समय किसी सदस्य को ऐसा आरोप लगाने से प्रतिषिद्ध कर सकेगा यदि —किसी अन्य अवस्था में नहीं —" उसकी राय हो कि ऐसा आरोप सभा की गरिमा के विरुद्ध है।"

महोदय यदि मैं सदन की प्रतिष्ठा के प्रति कुछ अपमान जनक शब्द कहता हूं, तब आप मुझे रोक सकते हैं ; अन्यथा नहीं।

मुझे ***के प्रति कोई द्वेष नहीं है। वस्तुतः मैं उन्हें जानता भी नहीं हूं। (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : अभी तक कोई नाम···(व्यवधान)।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने कहा कि मुझे *** के प्रति कोई द्वेष नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप यह कहिए कि "किसी के प्रति भी द्वेष नहीं है"।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे कुछ लोगों के प्रति ईर्ष्या द्वेष है, लेकिन मैं वो आपको बता नहीं सकता। महोदय, आप मेरे मुंह से ऐसी बातें कहलवाईए मत।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं मेरा यह आशय नहीं है @।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप मेरे मुंह से बातें कहलवाना चाह रहें है। मुझे कुछ लोगों के प्रति ईर्ष्या द्वेष है।

श्री मधु दण्डवते (राजापुर) : क्या यह कहना अपमानजनक है कि इन्हें किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं अपनी बात को घुमाफिराकर कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि मुझे किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है। वास्तव में, किसी की आलोचना करने में कोई खुशी नहीं होती। परन्तु जब मेरे पास विभिन्न जिम्मेदार व्यक्तियों से दस्तावेज प्राप्त हैं — मैं सामने बैठे अपने मित्रों को यह बताना चाहता हूं कि मुझे यह जानकारी स्वयं उनकी पार्टी के उन लोगों से प्राप्त हुई है, जो बहुत महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर रहे थे— मैंने श्री गनी खान चौधरी के विरुद्ध दस्तावेज प्रस्तुत किए थे, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैंने आपको अनुमति दी है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : दूसरी बात पंच फैसले के बारे में है। (व्यवधान) **।

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यह बहुत बुरी बात है। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं अत्यन्त बिनम्रतापूर्वक केवल यही कहना चाहता हूं कि आपके अधिकार नियम 353 में दिए गए अधिकारों तक ही सीमित है। कृपया आप श्री स्टीफन की धातों में न आएं। मैंने सभी औपचारिकताओं को पूरा कर दिया है।

*** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

@ अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप दोनों का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने शकधर तथा कौल की उस पुस्तक से उद्धरण नहीं दिया है जो 125-30 प्रतिशत डिस्काउन्ट पर मिलती है। मैंने उस रद्दी पुस्तक का उद्धरण नहीं दिया है। मैं नियम 353 का उद्धरण दे रहा हूं, जो कि इस सदन के लिए बाइबिल के समान है। यहां आपका अधिकार क्षेत्र नियम 353 तक ही सीमित है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे नियमानुसार ही कार्य करना है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यदि मैंने उन औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया है तथा आप की राय में यदि मैं सदन की प्रतिष्ठा के प्रति कुछ अपमानजनक शब्द कहता हूं, तो आप मुझे रोक सकते हैं। अन्यथा यह आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात होगी। यदि आपने किसी बैठक में कुछ निर्णय लिया है, यदि ऐसे विनिर्णय उपलब्ध हैं तो सत्तारूढ़ दल अथवा आपके सचिवालय का यह दायित्व है कि वे नियम समिति के समक्ष कार्यसूची प्रस्तुत करें तथा इन्हें नियम पुस्तिका में छपवाएं आप दोनों स्थितियों का फायदा नहीं उठा सकते — एक तो आप विनिर्णयों को गुप्त रखें और साथ ही साथ ये विनिर्णय परस्पर विरोधी भी हों। इससे कोई लाभ नहीं होगा। मैंने नियम 353 की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। अतएव मैं बोलना जारी रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय : विनिर्णय नियमों के अनुसार ही दिये जाते हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन : इन्होंने वर्ष 1977 की घटनाओं का उल्लेख किया है, जब मैं विपक्ष में था। तब एक प्रवास किया गया था। आपके आसन्न पूर्ववर्ती हेगड़े ने निम्नलिखित विनिर्णय दिया था :—

> "अध्यक्ष महोदय किसी सदस्य को तब तक समाचारपत्र का उद्धरण नहीं देने देंगे, जब तक कि वह सदस्य अध्यक्ष महोदय को प्रथम दृष्टय: संतुष्ट न कर दे कि समाचार में मन्त्री के विरुद्ध किसी प्रकार के मानहानिकारक या अपराधारोपक स्वरूप का आरोप नहीं लगाया गया है।"

यह विनिर्णय लोकसभा की दिनांक 23-12-1977 के वाद-विवाद में से है।

उसी दिन श्री साठे ने ऐसा करने का प्रयत्न किया था लेकिन उन्होंने कहा : जब तक आप मुझे इस बात से संतुष्ट नहीं कर देते कि यह प्रथम दृष्टय: मामला है, तब तक मैं आपको इसकी अनुमति नहीं दूंगा। तथा उन्हें अनुमति नहीं दी गई थी।

अध्यक्ष महोदय : श्री चरण सिंह के विरुद्ध।

श्री सी० एम० स्टीफन : जी हां, महोदय।

इस प्रश्न पर एक विनिर्णय है। यह विनिर्णय शकधर तथा कौल की पुस्तक से नहीं है। मैं अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय से उद्धृत कर रहा हूं :

इस संबंध में एक नितम भी है । कभी कभी वाद-विवाद की गरमागर्मी में आरोप लगा दिये जाते हैं । मैं सदस्यों से अपील करना चाहता हूं कि वे किसी का नाम न लें –जो इसका उल्लंघन करेगा, अध्यक्ष महोदय उसकी बात नहीं सुनेंगे ।''

इसके अतिरिक्त, श्री मावलंकर का विनिर्णय भी है : मैं समझता हूं कि वह महत्वहीन नहीं है ।

''यदि कोई सदस्य ऐसा कोई आरोप लगाना चाहता है तो उसे पहले अध्यक्ष महोदय से बात करनी चाहिए । अध्यक्ष महोदय को मामले के तथ्यों के बारे में संतुष्ट करने पर ही आरोप लगाया जा सकता है''''।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे पढ़ा है ।

श्री सी० एम० स्टीफन : ''''इस सदन के सभी सदस्यों का यह प्रयास होना चाहिए कि वे इस बात का ध्यान रखें कि इस प्रकार किसी का नाम लेकर कुछ कहने से प्रशासन की प्रतिष्ठा को आघात न पहुंचे तथा वाद-विवाद का स्तर नीचा न हो । सारी बात यही है ।''

श्री राम जेठमलानी (बम्बई उत्तरपश्चिम) : इस विषय से सम्बन्धित नियमों की व्याख्या दो मूल बातों को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए । पहली बात तो संविधान के अनुच्छेद 105 के अन्तर्गत है । इस अनुच्छेद के अन्तर्गत संसद में, इस सदन में, भाषण की स्वतन्त्रा को प्रमुख स्थान दिया गया है । निस्सन्देह यह स्वतन्त्रता नियमों तथा स्थायी आदेशों के अधीन है । लेकिन नियमों तथा स्थायी आदेशों का अर्थ इस तरह से नहीं लगाया जा सकता कि उनसे विधायिका में किसी संसद सदस्य की भाषण की स्वतन्त्रता को कम किया जा सके ।

इसके अतिरिक्त, भाषण की यह स्वतन्त्रता नियमों तथा स्थायी आदेशों के अधीन है । इस पत्र में कार्यालय ने बैठक की कार्यवाही सरांश का उल्लेख किया है ।...आपने किन बातों का उल्लेख किया है ? बैठक की कार्यवाही सारांश में संविधान के अनुच्छेद 105 के अन्तर्गत नियम तथा स्थाई आदेश नहीं आते हैं । अत: ये कार्यबाही सरांश केवल नैतिक प्रतिबन्ध तो लगा सकते हैं, लेकिन सम्भवतः किसी ऐसी समस्या विशेष को संसद में उठाने के किसी सदस्य के अधिकार में कमी नहीं कर सकते, जिसे वह उठाना चाहता है ।

दूसरी मूलबात राष्ट्रीय हित की है । यह बात राष्ट्रीय हित में है कि अधिकार प्राप्त लोगों के आचरण के बारे में मात्र संदेह होने पर भी सदन तथा जनता को इस बात की जानकारी दी जाए । मान लीजिए कि आप उस व्यक्ति से कार्य व्यवहार कर रहे हैं जो रक्षा विभाग के किसी अत्यन्त महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त है । यदि वह व्यक्ति रक्षा विभाग में प्रभारी है तो यह जनहित के लिए आवश्यक है कि उसके बारे में जरा से भी संदेह से इस सदन को अवगत कराया जाय तथा यदि संभव हो तो उस पर वाद विवाद किया जाए तथा अध्यक्ष महोदय उस सदस्य विशेष को

संदेह के बारे में उल्लेख करने से पूर्व निश्चित प्रमाण देने को नहीं कह सकते, इससे सारा उद्देश्य ही विनष्ट हो जाएगा । यदि उच्च पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों का आचरण नियमानुसार नहीं है, यदि उनके आचरण के बारे में जरा सा भी सन्देह है तो उसे व्यक्त किया जाना चाहिए । तब आप किसी सदस्य को सदन में यह मामला उठाने से पहले लिखित प्रमाण देने को नहीं कह सकते । मैं समझता हूं कि यह अव्यवहार्य है तथा इससे वाद विवाद के स्वातन्त्र्य का सारा उद्देश्य ही विनष्ट हो जाएगा । अतएव, यदि कोई सदस्य अपने विवेकानुसार तथा पूर्ण संयम तथा जिम्मेदारी बरतते हुए, जो सदस्य होने के नाते उसके लिए जरूरी है, इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि किसी विशेष सरकारी कर्मचारी के भ्रष्टाचार के बारे में सदन में वाद विवाद तथा उल्लेख होना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि अध्यक्ष महोदय को उस सदस्य पर अनावश्यक रोक नहीं लगानी चाहिए क्योंकि इससे राष्ट्रीय उद्देश्य तथा जनहित की हानि होगी, जिसमें वाक् स्वातन्त्र्य का महत्वपूर्ण स्थान है ।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मैं नियम 353 और उसकी व्याख्या के विषय में कुछ कहना चाहता हूं । नियम 353 के दूसरे पैरे में यह कहा गया है :

> "परन्तु अध्यक्ष किसी भी समय किसी सदस्य को ऐसा आरोप लगाने से प्रतिषिद्ध कर सकेगा । यदि उसकी राय हो कि ऐसा आरोप सभा की गरिमा के विरुद्ध है ---।"

अध्यक्ष महोदय : इसका पहले ही जिक्र किया जा चुका है ।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मैं आपको केवल यह याद दिलाना चाहता हूं कि इस सदन में 1952 से अब तक कभी भी...।

अध्यक्ष महोदय : इस पर मैंने रात भर विचार किया है ।

प्रो. मधु दंडवते : क्या किसी एक व्यक्ति की गरिमा की तुलना पूरे सदन से की जा सकती है । एक व्यक्ति की गरिमा पूरे सदन की गरिमा के समान नहीं हो सकती । इस विशेष मामले में देश के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों को सदन के विशेषाधिकारों और लोकतांत्रिक प्रथाओं का विरोध करते देखा गया है । उस व्यक्ति विशेष को भी यह सब नहीं किस्से करने दिया गया । इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस नियम की व्याख्या करते समय एक व्यक्ति की गरिमा और विशेषाधिकार से पूरे सदन की गरिमा की तुलना न करें ।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय राम जेठमलानी पर तरस आता है क्योंकि वे कहते हैं कि बिना प्रमाण बात करो । कैसे वकील हैं ये ?

श्री जर्नादन पूजारी (मंगलौर) : महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं । माननीय मंत्री श्री स्टीफन द्वारा व्यक्त विचारों का समर्थन करते हुए मैं एक अन्य नियम, नियम 352 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । संसद के सदस्य होने के कारण हमारी भी कुछ

सीमाएं हैं। सार्वजनिक हितों के कारण हम पर कुछ सीमाएं लगाई गई हैं। परन्तु फिर भी हम यही देखते हैं कि प्रतिदिन नियमों का अनुचित लाभ उठाया जाता है, केवल अनुचित लाभ ही उठाया जाता है वरन् उनका उल्लंघन भी किया जाता है...(व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : मैं कभी भी उल्लंघन की अनुमति नहीं देता।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं आपके ध्यान में केवल यही लाना चाहता हूं कि नियम 352 में कुछ महत्वपूर्ण सीमाएं निर्धारित की गई हैं। इस सदन का कोई सदस्य बोलते समय उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियों के आचरण पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसलिए हम किसी अधिकारी के आचरण पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह सब पढ़ और देख चुका हूं। मैंने सब नियम भी देख लिए हैं। इस मामले का मैं भली भांति अध्ययन कर चुका हूं—मैंने पूर्वोदाहरण उनके निर्णय भी देख लिए हैं। साथ ही मेरा एक वर्ष का अनुभव भी है। जिन व्यक्तियों ने सदन में आरोप लगाए हैं उनकी सहमति से मैंने यह नियम लागू किया है। इस प्रकार सब सदस्यों की, जिन्हें मैंने बुलाया था, उनकी सहमति से यह सब मैंने किया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वह बात भिन्न है।

अध्यक्ष महोदय : 12 मार्च 1981 को मुझे श्री ज्योयतिर्म बसु से दिनांक 11 और 12 मार्च, 1981 की दो सूचनाएं नियम 353 के अन्तर्गत प्राप्त हुई जिसमें कुछ अधिकारियों के खिलाफ आरोप लगाए गए थे। साथ ही दिनांक 11 मार्च, 1981 की एक सूचना, जो 12 मार्च को मिली, भी प्राप्त हुई, जो विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1981 संबंधी वाद-विवाद के दौरान कुछ मुद्दे उठाए जाने से संबंधित थी। उसमें भारत सरकार के कुछ अधिकारियों का नाम लेकर आरोप लगाया गया था। यह सरकारी क्षेत्र की एक कोयला कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक और चैयरमैन तथा कोयले की एक निजी कम्पनी से संबंधित थी।

इन नोटिसों की जांच नियम 353 की व्यवस्था के अनुसार की गई थी तथा इसका निर्णय उस बैठक में किया गया था जो पार्टियों और दलों के नेताओं के साथ 18 जुलाई 1980 को हुई थी और लोकसभा में आरोप लगाए जाने की प्रक्रिया से संबंधित थी। क्योंकि उस समय भी मेरे सामने ऐसी ही समस्या थी, यह बैठक तब हुई थी जब श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा ऊर्जा और कोयला मंत्री श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी के विरुद्ध कुछ गंभीर आरोप लगाए गए थे। उस बैठक में भी अध्यक्ष डा० एन० संजीवा रेड्डी द्वारा 31 मई 1967 को दिए गए तथा समय समय पर अन्य माध्यमों द्वारा दिए गए निर्णयों पर विस्तार से विचार किया गया था इन निर्णयों का यह आधार रखा गया था कि वह व्यक्ति जो अपनी स्थिति स्पष्ट करने में सक्षम नहीं है उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा जाना चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री महोदय उपस्थित नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : देखिए अन्य व्यक्ति भी यहां हैं । मेरे माननीय पूर्वाधिकारी ने सदन में कई मौकों पर यह विचार व्यक्त किया था :—

"मैं कई बार यह कह चुका हूं कि यह उचित नहीं है कि इस सदन का कोई भी सदस्य उन व्यक्तियों का नाम ले जो इस सदन में उपस्थित नही हैं और इसलिए उनके पास कोई साधन नहीं है कि वह इस सदन को तथ्य समझा सकें अथवा लगाए गए आरोपों का उत्तर दे सकें ।"

श्री ज्योतिर्मय बसु : रक्षा मन्त्री यहां उपस्थित हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वह उनका जिक्र कर रहे हैं जो व्यक्ति यहां उपस्थित नहीं है ।

"किसी सदस्य को सरकार की नीति की आलोचना करते हुए अपने विचार व्यक्त करने और ऐसे आरोप लगाने का अधिकार प्राप्त है जो उसके अनुसार भलीभांति प्रमाण पुष्ट हैं परन्तु अधिकारी विशेष का नाम लेकर उन्हें उन आरोपों से छोड़ना अनुचित है वैसा नहीं किया जाना चाहिए ।"

एक सदस्य के प्रश्न का उत्तर देते हुए तत्कालीन अध्यक्ष ने स्पष्ट किया :

"यदि सदस्य उस प्रकार आरोप लगाना चाहता है तो उसे पहले अध्यक्ष के पास आना चाहिए । अध्यक्ष के तथ्यों के बारे में संतुष्ट होने की स्थिति में ही यह आरोप लगाए जा रहे हैं ।"

अध्यक्ष ने इन निर्णयों को देखते हुए यह निर्णय किया गया था कि यदि कोई सदस्य आरोप लगाना चाहता है तो संबंधित सदस्य को निम्नलिखित बातें सुनिश्चित कर लेनी चाहिए :

(एक) सदस्य को अध्यक्ष और संबंधित मन्त्री को पर्याप्त अग्रिम सूचना देनी चाहिए ।

(दो) लगाए जाने वाले आरोपों का स्पष्ट विवरण दिया जाना चाहिए जिन्हें अपेक्षित प्रलेखों से पूरी तरह पुष्ट किया जाना चाहिए तथा सदस्य द्वारा अधिप्रमाणित किया जाना चाहिए ।

(तीन) सदस्य को सभा में आरोप लगाने से पहले जाँच करने के बाद पूरी तरह आश्वस्त हो जाना चाहिए कि इन आरोपों का संगत आधार है ।

(चार) लगाए गए आरोपों के लिए सदस्यों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए ; और

(पांच) सदस्यों को आरोपों का प्रमाण देने के लिए तैयार रहना चाहिए ।

18 जुलाई, 1980 को विभिन्न पार्टियों और दलों के नेताओं के साथ हुई बैठक में किए गए निर्णय और उसमें बनाए गए मार्गदर्शी सिद्धांत नियम 353 के अनुरूप हैं।

मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा दिए गए उपर्युक्त निर्णय और 18 जुलाई, 1980 को विभिन्न पार्टियों और दलों के नेताओं के साथ हुई बैठक में किए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए मेरे आदेश पर, कल शाम श्री ज्योतिर्मय बसु से अनुरोध किया गया था। (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : मैं नाम भी बताऊंगा : कृपया मेरे पास आइए'''उनसे अपने पत्र में उल्लिखित आरोपों के समर्थन में निम्नलिखित सूचना देने के लिए कहा गया है :

(एक) आवश्यक प्रलेखों द्वारा पूर्णतः आरोपों के आधार पर जो कि आपके द्वारा अधिप्रमाणित हों।

(दो) क्या आप जांच के बाद आश्वस्त हो गये हैं कि आपके द्वारा लगाए जाने वाले आरोपों का कोई आधार है ?

(तीन) क्या आप इन आरोपों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं ? कल रात मुझे श्री ज्योतिर्मय बसु का उत्तर मिला जिसमें उन्होंने मेरा ध्यान नियम 353 के उपबंधों की ओर दिलाया है और उस विषय पर आरोप लगाने के अपने अधिकार को बलपूर्वक दोहराया है। मुझे सदस्य को यह विश्वास दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि इस विषय के बारे में मेरा कोई पूर्वग्रह नहीं है। जैसा कि मैं उन्हें पहले ही बता चुका हूं उन्हें पहले से स्वीकृत प्रक्रिया का पालन करना चाहिए और आवश्यक प्रलेख आदि प्रस्तुत करने चाहिए और मैं मामले पर विचार कर सकूं और निर्णय दे सकूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, मुझे एक निवेदन करना है।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना निर्णय दे चुका हूं। यदि आप इसे चुनौती देंगे तो इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। यदि किसी और विषय में आपको कुछ कहना है तो आप शौक से कहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप मुझे यह फाइल दिलवा दीजिए। मैं प्रमाण दे दूंगा क्योंकि आप यह समझने की कोशिश कीजिए'''कि श्री उन्नीकृष्णन ''।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया मेरे पास आइए, आप का स्वागत है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री उन्नीकृष्णन ने कुछ आरोप लगाए थे जिन्हें आप सी. बी. आई. कक्ष संरक्षण दे रहा है'''(व्यवधान)।

श्री राम जेठ मलानी : अध्यक्ष महोदय, इस सभा में हमें आदमियों की आवाजें सुनने का अभ्यास है। कम से कम अ-मानवीय आवाजें तो रोकिए।

अध्यक्ष महोदय : आपने उसकी इजाजत क्यों दी ?...आप उसे रोक दीजिए (व्यवधान)। अपनी बात जारी रखिए।

श्री के० लकप्पा (टुमकुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक निवेदन करना है। मान लीजिए कि यह प्रलेखों का इस्तेमाल नहीं करते तो क्या आप कार्यवाही करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह विषय पर निर्भर करता है। मैं कुछ नहीं कर रहा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं अपनी बात फिर से शुरू करता हूं। मई, 1980 में आरमर्ड कोर और डायरेक्टरेट आफ वेपेन्स एण्ड इक्विपमेंट्स ने रक्षा मन्त्रालय के सम्मुख 70 एस. एफ. सी. एस. खरीदने का प्रस्ताव रखा (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : यह विषय पर बोल रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस पर रुपया खर्च होगा। रक्षा बजट में 15 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने किसी राशि की मंजूरी नहीं दी है। यह तो अभी···।

श्री आर० वेंकटरामन : महोदय मैं बताता हूं। यह लेखानुदानें उपयुक्त समय पर मांगें की जायेंगी। यह लेखानुदान है। (व्यवधान)।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री वेंकटरामन मुझे खेद है कि मैंने आपको परेशान किया आपने हमसे सेना के लिए 404,07,09,000 रुपए की स्वीकृति मांगी है। इसीलिए इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आपने किस तरह रुपया बहाया है और किस तरह आप लोगों को पैसा बनाने दे रहे हैं (व्यवधान)।

श्री आर० वेंकटरामन : यह सब क्या है ? इस सभा की यह पुरानी परम्परा है कि जहां तक लेखानुदान का प्रश्न है उसके·····।

अध्यक्ष महोदय : यह सभा के अनुभवी सदस्य हैं। इन्हें मालूम होगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री वेंकटरामन मूलतः बहुत कोमल स्वभाव के शांतिवादी मनुष्य हैं। मैं बिल्कुल दूसरी प्रकृति का हूं। इसलिए बाहर हम लोग एक हो सकते हैं परन्तु यहां सभा में सैद्धान्तिक रूप से हमारा मतैक्य नहीं हो सकता।

महोदय, प्रश्न यह है कि 19 दिसम्बर, 1980 को आरमर्ड कोर ने, जो 15 करोड़ रुपये के इस उपकरण का इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्टरेट आफ वेपेन्स एण्ड इक्विपमेंट्स को एक टिप्पण लिखा कि एस. एफ. सी. एस. 600 की खरीद नहीं की जानी चाहिए क्योंकि उनमें रात को काम करने की क्षमता नहीं थी। फरवरी, 1981 में संयुक्त सचिव ने आपके निर्णय के अनुसार जिनका नाम लेने की मुझे अनुमति नहीं है, जो कि प्रधानमन्त्री सचिवालय में काम कर रहे थे, रक्षा सचिव को अनुदेश दिया कि वे प्रयोगकर्ता निदेशालय की सिफारिशों पर ध्यान न देकर 70 सिस्टम और अतिरिक्त 80 सिस्टम के लिए ठेके को अन्तिम रूप दिलवाएं और हस्ताक्षर करवाएं।

महोदय, मैं आरोप लगाता हूं कि इस संयुक्त सचिव (ओ) को उपर्युक्त सचिवालय के संयुक्त सचिव से एक बिना हस्ताक्षर किया हुआ टिप्पण प्राप्त हुआ जिसमें डायरेक्टरेट आफ वेपेन्स एण्ड इक्विपमेंट्स सेना मुख्यालय से तुरन्त एस. एफ. सी. एस. 600 की फाइल मांगी गई थी। इस टिप्पण को आरमर्ड कौर को भेजा गया और फाइल प्रस्तुत की गई। और इस तरह सारा मामला साफ हो गया—प्रयोगकर्ता सेना अर्थात आरमर्ड कौर की आपत्ति के बावजूद 15 करोड़ रुपए पानी में बहा दिए गए।

दूसरा आरोप निरीक्षण महानिदेशालय के विस्तार के बारे में है। क्या मैं नाम ले सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं कोई नाम नहीं लिया जाएगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, मेरा आरोप यह है कि प्रेस में यह प्रकाशित हुआ है··· (व्यवधान) आप क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं*— समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि उन्हें प्रधानमन्त्री के स्पष्ट आदेश के अधीन कि सेवा काल नहीं बढ़ाया जाएगा-- फिर से कह रहा हूं नहीं बढ़ाया जाएगा—सेवा निवृत किया जाना था। फिर इन मेजर जनरल का सेवाकाल क्यों बढ़ाया जा रहा है और किसकी सिफारिश पर बढ़ाया जा रहा है ?

आरोप हैं कि ···(व्याधदन)।

एक माननीय सदस्य : यह एक धोखा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री जी को चाहिए कि वे मामले की जांच करके, सदन को वस्तुस्थिति से अवगत करायें। तब उस पर सदन निर्णय ले। मैं उन व्यक्तियों को नहीं जानता।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

मुझे इस पर आश्चर्य है, यदि श्री ** ने फाइल पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। क्योंकि मैं उन्हें एक इमानदार व्यक्ति समझता हूं। मेरा अभी तक यह विचार है कि वह एक इमानदार व्यक्ति हैं। उन्होंने इसे कैसे स्वीकृति दे दी ? यही संयुक्त सचिव रक्षा सम्बन्धी मामलों को भी देख रहे है। यही व्यक्ति, मेजर जनरल ** इस निरीक्षण महानिदेशक ने स्पष्ट रूप से बताया था कि उन्होंने सेवा काल में वृद्धि कराने के लिए घन दिया है·····।

अध्यक्ष महोदय : किसी भी नाम को रिकार्ड नहीं किया जाएगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम इस मामले को नियम समिति में ले जायेंगे। आप नियम समिति की बैठक बुलाएं। एक साल से इस समिति की बैठक नहीं हुई है।

उन्हें सेवा-काल में वृद्धि कराने के लिए 5 लाख 60 हजाह रुपये खर्चने पड़े। यह सब दिल्ली में हो रहा है। मेरे पास सत्तारूढ़ दल के लोग आ रहे हैं और मुझे बता रहे हैं कि इसे हमेशा के लिए समाप्त किया जाना चाहिए, कम से कस इस पर रोक तो लगायी ही जानी चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि कितनी राशि ली गई थी :

अध्यक्ष महोदय : क्या आपको इसकी जानकारी किसी अन्य स्रोत से भी मिली है ··· (व्यवधान)।

क्या आपको इस जानकारी का कोई नया स्रोत मिला है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं आपको बताऊंगा। आप डा०** से मिलिए। वह आपको बताएंगे कि मुझे इस सम्बन्ध में सूचना कहां से मिली। श्री पाटिल को ध्यान देने दीजिए। (व्यवधान) श्री पाटिल चाहते हैं ····· (व्यवधान)। मैं उनकी चालाकियों को जानता हूं। मैं श्री पाटिल से यह पूछना चाहूंगा कि क्या निरीक्षण-महानिदेशक 9 फरवरी को तथाकथित सरकारी दौरे पर लुधियाना गए थे। वहां उनकी मुलाकात श्री ** से हुई जो कि एक बड़े भारी सप्लायर हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया किसी का नाम न लें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने अपमानजनक कुछ भी नहीं कहा है। (व्यवधान) मैंने अपमानजनक कुछ भी नही कहा है। (व्यवधान) मैंने अपमानजनक कुछ भी नहीं कहा है। (व्यवधान)। मैंने किसी भी अपमानजनक शब्द का प्रयोग नहीं किया है। (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही अपने ··· निदेश दे चुका हूं। (व्यवधान)।

श्री के० लकप्पा : वह आपके निदेश की अवहेलना कर रहे हैं। (व्यवधान)।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सी० एम० स्टीफन : कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। (व्यवधान)।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने किसी के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा है। यहां नियम 313 कैसे लागू होता है *(व्यवधान)। अपमानवीय बस्ती से महोदय (व्यवधान) उन्होंने रैड़ीवाला कहा है। मैं ऐसा नही कर सकता। नहीं, नहीं मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं इससे सहमत नहीं हूं। (व्यवधान)।

मैंने उनके साथ झगड़ा न करने का समझौता किया हुआ है। निसन्देह ही वह एक गुप्त समझौता है। (व्यवधान)। मैं कहना चाहता हूं कि श्री वेंकटरामन को मुझ पर गुस्सा आ रहा है। उन्हें गुस्सा नही करना चाहिए, उन्हें गुस्सा आने पर मुझे दुख होता है। किसी भी व्यक्ति के गुस्सा आने पर मुझे दुख होता है। (व्यवधान) मैं चाहता हूं कि श्री पाटिल सदन को बतायें कि लुधियाना की इस फर्म द्वारा प्रतिवर्ष कितने मूल्य की सप्लाई की जाती है। विशेषकर टी 54 और टी 55 सोवियत टैंकों के लिए ट्रैकालेंग और टैंक भेदी मिशाइलों के लिए 120 मि. मी. और 105 मि. मी. के गोलों और फ्यूल की ढलाई के लिए। (व्यवधान) क्या मैं आपसे 5 लाख रु० और एक कार की मांग किए जाने के कारण जानना चाहते हैं। आप पूछ सकते हैं। मैंने सम्बधित व्यक्ति से इस बारे में पूछा था। उन्होंने कहा था कि 5 लाख रुपए नकद और 60,00 हजार रुपए एक कार के लिए। (व्यवधान) ऐसा हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय : क्या उन 5 लाख रुपयों से वे एक कार नहीं खरीद सकते थे ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : जी नहीं। उस क्षेत्र में यह परम्परा है।

श्री राम जेठमलानी : आपको निकटतम आंकड़ों की आवश्यकता होगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : निकटतम आंकड़े (व्यवधान)।

श्री जनार्दन पुजारी : अमरीकी मुद्दे सामग्री को देखते हुए यह एक बहुत ही अच्छा उपकरण है। इसमें धीरे-धीरे सुधार किये जा रहे। सी. पी. एम. के सदस्य ने अपनी नीति बदल दी है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह बहुत ही गलत बात है कि उन्हें मंत्री बनाया गया है। उनमें मंत्री के गुण विद्यमान हैं। (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : आप इस सम्बन्ध में मुझे अपनी सिफारिशों क्यों नहीं भेजते जिन्हें मैं आगे प्रेषित कर सकूं ?

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री ज्योतिर्मय बसु : नहीं, उन्हें कभी भी मन्त्री नहीं बनाया जाएगा। (**व्यवधान**)।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : उन्हें मंत्री पद नहीं मिल पाएगा। इससे उनके सारे अवसर समाप्त हो जाएंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वे सदन को इस सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करेंगे कि क्या इन्हीं संयुक्त सचिव महोदय, जिनके सम्बन्ध में मैं बात कर रहा हूं, ने रक्षा मन्त्री का उत्पादन करने के लिए ऐसी दो भट्टियों का आयात लाइसेंस दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, जिनका प्रयोग अब नितांत भिन्न प्रयोजन हेतु किया जा रहा है। हालांकि आमतौर पर भट्टी का आयात करने की अनुमति नहीं दी जाती। क्या आप हमें बतायेंगे कि एक अधिकारी, मेजर जनरल 16 फरवरी या उसके आसपास बम्बई क्यों गया था और क्या वह व्राइट व्रादर्स से मिला था जो कि कैरियर 58-ए के एक बड़े-भारी सप्लायर है तथा दोनों सप्लायरों से दर्शनी लेने के पश्चात कार्य सम्पन्न कर दिया गया था ?

मैं यह मालूम करना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि अधिकारी, मेजर जनरल के सेवा काल को बढ़ा दिया गया है और उसमें यह कारण बताया गया है कि यदि मेजर जनरल छः महीने और सेवारत रहते हैं तो वे मेजर जनरल की पेंशन पाने के हकदार हो जायेंगे। इसलिए उन्हें छः महीने और सेवारत रहने की अनुमति दी जाए ताकि वे पूरी पेंशन पाने के हकदार हो सकें। पेंशन में कितना अन्तर पड़ना था ? ब्रिगेडियर और मेजर जनरल की पेंशन में मात्र 60 रुपए प्रतिमाह का अन्तर है। परन्तु वस्तुस्थिति यह नहीं थी। वास्तविकता थी धन कमाना। क्या माननीय मंत्री जी सदन को इस बारे में जानकारी देने की कृपा करेंगे।

मुझे यहां कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ता जो कोयले के मामले में दक्ष हो। मैंने आपको 36.000 टन की बात बताई है। मैंने यह सिद्ध कर दिया है, और इसमें रंच मात्र भी सन्देह की गुन्जाइस नहीं है कि प्रत्येक परमिट के लिए नकद राशि ली गई थी। मेरे पास ऐसे आंकड़े हैं जिनसे यह ज्ञात होता है कि कम से कम 4 लाख टन कोयले के लिए अनियमित रूप से परमिट जारी किए गए थे। 'सी' ग्रेड कोयले की कीमत 50 रुपये प्रतिटन है, 'बी' ग्रेड की कीमत 100 रुपए तथा हार्ड कोक की कीमत 400 से 500 रुपए प्रति टन है। महोदय, आपके राज्य हरियाणा और पंजाब में जहां कि लघु उद्योग हैं, हार्ड कोक की कीमत 1200 रुपए प्रति टन है। इसीलिए परमिट लेने पर इतना रुपया खर्च हो रहा है।

मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 25000 टन 'बी' ग्रेड कोयले के लिए जोकि अत्यन्त मूल्यवान किस्म का कोयला है ** को परमिट नहीं दिया गया था।

श्री सी. एम. स्टीफन : फिर वे नाम ले रहे हैं।

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आरोप मत लगाइए । परमिट दिया गया था ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह कोई आरोप नहीं है ।

श्री सी. एम. स्टीफन : आप नाम क्यों लेते हैं ? इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने यह नहीं कहा कि उन्होंने आकर आपको कोई रिस्वत दी थी । आप क्यों परेशान हो रहे हैं । आप क्यों घबरा रहे हैं ।

यह कैसे किया गया ? मैं श्री ए. बी. ए. गनी खांन चौधरी को पत्र लिखता रहा हूं और वे मुझे बड़ी चतुराई से उन पत्रों का उत्तर भेजते रहते हैं ; यही मेरा तरीका है पत्र लिखते रहना और उत्तर प्राप्त करते रहना और एक दिन मैं एक पत्र पेश करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : आपने उन्हें चेतावनी दी है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह चेतावनी कैसे है ? इस पर मंत्री अथवा मंत्रालय के हस्ताक्षर हैं । वास्तव में यह पत्र ** से टेलीफोन प्राप्त होने पर ई. सी. आई. एल. के चेयरमैन/प्रबन्ध निदेशक ने यह पत्र जारी किया था ।

अध्यक्ष महोदय : किसी का नाम मत लीजिए ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं किसी का नाम नहीं लूंगा ; परन्तु इस प्रकार से यह गोरख धंधा चल रहा है ।

तीसरा मुद्दा पैट्रोलियम और रसायनों से सम्बन्धित है । फ्रेंच कसोर्टियम, जो कि रेजरवायर प्रणाली के लिए परामर्श देने की खातिर आया था, के कार्य काल को बढ़ा दिया गया है । ऐसा न केवल पारिश्रमिक देने के आधार पर किया गया है बल्कि एक बड़ा भारी समझौता हुआ है घर 'बसले' भेजा जा रहा है । महोदय क्या आप 'बसले' के बारे में जानते हैं, स्विटजरलैंड की बैंकिंग का मुख्य केन्द्र है । जब कभी भी मैं इस सम्बन्ध में बात करता हूं बसले का नाम मेरे कानों में गूंजता रहता है ।

अध्यक्ष महोदय : क्यों न हम एक बार वहां चलें ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं वहां गया था । पांच दिनों तक मैं बैंक के कमरों में नहीं घुस सका । मैंने बहुत कोशिश की । फ्रेंच कंसोर्टियम, बम्बई हाई के लोग 4 प्रतिशत तेल की मांग कर रहे हैं । क्या तेल है ? बाम्बे हाई में प्राप्त तेल अच्छी क्वालिटी का है, जिनमें मोम की

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

कम मात्रा है और सल्फर है ही नहीं। अन्तरराष्ट्रीय बाजार में उस तेल का मूल्य 42 डालर प्रति बैरल है जबकि घटिया किस्म का तेल 38 डालर प्रति बैरल की दर से बिक रहा है। उत्पादन तथा उस स्थान से तेल ले जाने पर कितना खर्च आता है? यह खर्च है 8 डालर प्रति बैरल, वे 4 प्रतिशत तेल लेना चाहते हैं जिसे एक समझौते के तहत वहां से ले जाया जायेगा और यह समझौता होगा विदेशों में राशि का भुगतान करना। मैं स्नाम प्रोगेटी की चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि यदि मैं उसकी चर्चा करता हूं तो उसके लिए मुझे 2 घंटे का समय चाहिए।

श्री वेंकटरामन, आप एक अच्छे व्यक्ति हैं परन्तु आपकी संगत बुरी है। मैं यह कह सकता हूं कि बैलों को गाय का मांस ले जाना पड़ रहा है। आप विधेयक पेश करते चलें और धन लेते रहिए। इस धन का अधिकांश भाग आपके इर्द-गिर्द के ही चट कर जाएंगे।

श्री आर० वेंकटरामन : महोदय, श्री ज्योतिर्मय बसु का समूचा भाषण गलतियों एवं अशुद्धियों से भरा पड़ा है। इस अवस्था में सरकार को इन मामलों पर विचार करने के लिए नहीं कहा जा सकता रिकार्ड के लिए मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो तथ्य प्रस्तुत किए हैं वे गलत हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह कैसे कह सकते हैं? आपकी टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए, मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि इस सदन की अवलोकन समिति को दस्तावेज भेजे जाएं। ऐसा तुल मोहन राम लाइसेंस घोटाले के मामले में किया गया था। *इन खरीदों से सम्बन्धित फाइलें सदन को उपलब्ध कराये जाएं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1981-82 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्ड-वार विचार करेंगे।

"कि खण्ड 2,3,4 और अनुसूची विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2,3,4, और अनुसूची को विधेयक में जोड़ दिये गये।

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है :

"खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक के अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए" ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

बंगलौर में मलयाली और तमिल विरोधी पोस्टरलगाये जाने का समाचार और बम्बई में हुई घटनाएं

श्री पी० जे० कुरियन (मवेलीकाश) : मैं माननीय मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"बंगलौर में लगाये गए मलयाली विरोधी और तमिलभाषी विरोधी पोस्टरों के समाचारों तथा बम्बई में दक्षिण भारतीयों के होटलों में कथित तोड़फोड़, जिससे सम्पत्ति का नुकसान हुआ है ।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : कर्नाटक सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 8 मार्च, 1981 को बंगलौर में कुछ कालेजों और सार्वजनिक बस्तियों में इस आशय के पोस्टर दिखाई दिए थे कि मलयाली और तमिल भाषी लोगों को एक सप्ताह के भीतर कर्नाटक राज्य से निकाल दिया जाय अन्यथा उनको पानी, बिजली और राशन से वन्चित कर दिया जाएगा तथा उनका सामाजिक बहिष्कार किया जायगा । राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि मामला 9 मार्च, 1981 को राज्य की विधान सभा में उठाया गया था । कर्नाटक के वित्त

मन्त्री ने ऐसे पोस्टरों के प्रदर्शन की निन्दा करते हुए कहा था कि राज्य में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने विधान सभा को यह भी आश्वासन दिया था कि राज्य सरकार द्वारा किसी अप्रिय घटना की रोकथाम करने के लिए सभी उपाय किए गए हैं। समस्त मामलों की राज्य के प्राधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है। राज्य सरकार विभिन्न भाषायी वर्गों के मध्य मैत्री पूर्ण सम्बन्ध बनाए रखने के सम्बन्ध में उत्सुकता से कार्य कर रही है और उस राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के मन में कोई असुरक्षा की भावना नहीं है।

2. जहां तक बम्बई में दक्षिण भारतीय होटलों और अन्य सम्पत्तियों के प्रति शिव सेना के तथाकथित रोष का सम्बन्ध है, महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त तथ्य इस प्रकार है :—

9-3-81 को शिव सेना और महाराष्ट्र एकीकरण समिति का एक मोर्चा जिसमें लगभग 50,000 व्यक्ति शामिल थे काऊंसिल हाल को ले जाया गया जहां राज्य विधान सभा की बैठक होती है। मोर्चे को राज्य सरकार से महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों के बीच सीमा विवाद का हल करने के लिए आग्रह करना था। मोर्चा लगभग सायं 6.00 को तितर-बितर हो गया। मोर्चे में भाग लेने वाले कुछ व्यक्ति जब तितर-बितर हो रहे थे तो उन्होंने कुछ दुकानों के साइनबोर्डों पर पत्थर फैंके, दीवारों के साथ लगे लकड़ी के स्टालों को तोड़ दिया और डा० डी० एन० रोड के फुटपाथ पर रखे फेरी वालों के खाली रैंकों को आग लगा दी। उनके एक अन्य दल ने विक्टोरिया टर्मिनल और चर्च गेट रेलवे स्टेशनों पर शो-केसों को हानि पहुंचाई और शो-केसों में प्रदर्शित वस्तुओं को हटाया। उन्होंने उप-नगरों में कुछ रेलवे स्टेशनों पर शो-केसों पर भी पत्थर फैंके और उन्हे कुछ हानि भी पहुंचाई। लूटी गई दुकानों में से एक दुकान दक्षिण भारतीय की थी।

3. राज्य सरकार ने सूचित किया है कि डा० डी० एन० रोड और विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर गडबड़ी के स्थानों पर पुलिस ने मोर्चे वालों पर जो ऐसी गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त थे हलका लाठी प्रहार किया। अब तक कुल 39 व्यक्तियों को बम्बई पुलिस ने शहर के विभिन्न भागों में गिरफ्तार किया है। इन घटनाओं के दौरान दो पुलिस अधिकारियों जिसमें एक अधीक्षक है, और 4 पुलिस कर्मचारियों को पथराव के कारण चोटें आई हैं। दंगे तथा लूटपाट के लिए भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत अपराध दर्ज किए गए हैं। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि शहर के सभी भागों में अमन बहाल कर दिया गया है।

4. मैं यह स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि सरकार भीड़ द्वारा गुंडागर्दी के इन प्रदर्शनों को गंभीरता से देखती है और बंगलौर में पोस्टरों का प्रदर्शन और गुमराह तथा समाजविरोधी तत्वों द्वारा बम्बई में गुंडागर्दी के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। सम्बन्ति राज्य सरकारों अर्थात कर्नाटक और महाराष्ट्र ने स्थिति से निपटने के लिए उचित और पर्याप्त कदम उठाए हैं और उठाती रहेगी।

प्रो० पी० जे० कुरियन : सबसे पहले मैं अध्यक्ष महोदय को यद्यपि वे इस समय यहां उपस्थित नहीं है, इस ध्यानाकर्षण-प्रस्ताव की अनुमति देने के लिए धन्यवाद देता हूं। यह एक बहुत

ही नाजुक तथा महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन मैं यह नहीं समझ पाया कि इसकी वरीयता में परिवर्तन क्यों किया गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस विषय को अन्य विषयों से कम महत्वपूर्ण समझा गया हो ? मैं दोपहर का भोजन भी नहीं कर सका और यहीं बैठा रहा। चलो कोई बात नहीं अब मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि वह मेरी बात को ध्यान से सुनें।

मैं कोई राजनैतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से यह मामला नहीं उठा रहा हूं; मुझे इस बात की जानकारी है कि सौभाग्यवश हिंसा करने वाले ये लोग कर्नाटक या बम्बई में अधिक सफल नहीं हो सकें हैं। लेकिन हम सब इस बात को जानते हैं कि हमारे देश को भाषायी तथा अन्य जातियों सम्बन्धी भेदभावों के कारण काफी नुकसान उठाना पड़ा है। बस्तुत: हमारे देश का विभाजन धर्म के नाम पर हुआ था। इसके अलावा हम देखते हैं कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में इस समय भाषा के आधार पर वर्ग संघर्ष चल रहा है। गुजरात में भी वर्ग संघर्ष चल रहा है। मुझे गुजरात के कुछ क्षेत्रों का दौरा करने का अवसर मिला था। वहां मैंने स्वयं देखा कि गुजरात में हरिजनों पर बहुत बड़े पैमाने पर अत्याचार हो रहे थे। अब यह स्थिति उत्तर-पूर्व तथा पश्चिमी क्षेत्रों में भी पैदा हो गई है। अब तक दक्षिण में ऐसी स्थिति नहीं थी लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि अब दक्षिण में भी यह आग फैलाने की कोशिश की जा रही है। चूंकि यह मामला उठाने से बंगलौर में लगाए जा रहे मलयाली व तमिल विरोधी पोस्टरों तथा बम्बई में जो कुछ हुआ, उनके करने वालों का अनावश्यक रूप से प्रचार होता इसलिए मैं यह मामला बिल्कूल भी उठाना नहीं चाहता था। लेकिन सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से यह मामला उठाने के लिए मुझे उन उत्तरदायी पदों पर काम करने वाले व्यक्तियों ने मजबूर किया है जिन्होंने इस सम्बन्ध में गैर-जिम्मेदाराना नजरिया पेश किया है।

महोदय, हमारे देश में भाषा के प्रश्न पर कभी संघर्ष नहीं हुआ था। लेकिन हम सब यह जानते हैं और मुझे यह अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि शिव-सेना ने यह हिंसा सातवें दशक के मध्य में शुरू की थी। उस समय एक ऐसे राष्ट्रीय नेता थे जो केरल में पैदा हुए थे तथा उनके कुछ सहयोगी उन्हें हराना चाहते थे; बम्बई में शिव-सेना को सातवें दशक के मध्य में बढ़ावा दिया गया था, यह एक वास्तविकता है। लेकिन इस बात को मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि देश के अन्य भागों और दक्षिण भाग विशेषकर कर्नाटक या केरल या तमिलनाडु में ऐसी भावनाएं नहीं थीं। आपको ज्ञात होगा कि केरल के मंत्री परिषद में एक कन्नड़ भाषी मंत्री भी हैं। कर्नाटक के मंत्री मण्डल में भी एक मलयाली भाषी मंत्री हैं। हमें इस बात पर गर्व है कि वहां ऐसे-ऐसे लोग मन्त्री पदों पर कार्य कर रहे हैं ...।

एक माननीय सदस्य : तमिलनाडु के मुख्य मंत्री।

श्री पी०जे० कुरियन : मैं इसका उल्लेख नहीं करना चाहता था। जहां तक मैं समझता हूं तमिलनाडु के मुख्य मंत्री के विरुद्ध उनके वंश के नाम पर प्रचार किया जा रहा है लेकिन वहां के लोग उस प्रचार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मैं यही बात कह रहा हूं: लेकिन वहां

इस प्रकार का प्रचार चल रहा है। कुल मिलाकर अन्य स्थानों की भांति वहां दक्षिण में विद्वेष की भावना नहीं है। लेकिन दुर्भाग्यवश राजनैतिक दल विशेषकर सत्तारूढ़ दल के लोग भाषायी तथा क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं:

मैं अब बंगलौर में पोस्टर सम्बन्धी मामले पर आता हूं: लेकिन इससे पहले दो घटनायें हुई थीं। एक घटना कर्नाटक के मुख्य मन्त्री द्वारा एक ऐसे मामले के बारे में आम सभा में घोषणा की जानी है जो समाप्त हो चुका था या जिसका अस्तित्व नहीं रहा था। उस मामले पर पहले ही विस्तार से विचार किया जा चुका था और वह मामला समाप्त हो चुका था। वह मामला केरल और कर्नाटक के बीच कलारगोड़ के सीमा-विवाद का मामला था। यदि मुख्य मंत्री के अपने कोई अलग विचार हों तो मुझे उन पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन उन्होंने तो दो राज्यों के बीच उस सीमा-विवाद की एक आम सभा में इस प्रकार से घोषणा की जैसे कि उन दो राज्यों के बीच वह सीमा-विवाद हमारे उस राष्ट्रीय सीमा-विवाद से भी अधिक महत्वपूर्ण हो जो हमें अभी निपटाना है। देश के सम्मुख अनेक अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण समस्याओं के होते हुए भी यह मामूली सी समस्या उठाई गई है।

दूसरे, हम सभी बंगलौर के सरकारी उपक्रमों में हुई हड़ताल के बारे में जानते हैं। मैं मामले के गुणावगुणों में नहीं जाऊंगा: मैं हड़ताल को न तो उचित ठहराऊंगा और न ही अनुचित ठहराऊंगा। मेरा यह उद्देश्य नहीं है। लेकिन कर्नाटक में सत्तारूढ़ दल ने भाषा के आधार पर कर्मचारियों को विभाजित करने का प्रयत्न किया था···(व्यवधान)* जी हां। जाति और भाषा के आधार पर ऐसा किया गया था। इन दोनों घटनाओं तथा सत्ताधारी दल द्वारा इन दोनों मामलों में अपनाये गए रुख से कुछ बातें स्पष्ट होती हैं। मैं इन मामलों में राजनीति में अन्तर्ग्रस्त नहीं करना चाहता। मैं राजनीतिक हित को ध्यान में रखकर नहीं बोल रहा हूं। मैं तो एक विस्तृत आधार पर यह बात कह रहा हूं। महोदय, मैं सत्ताधारी दल पर भी दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। कभी-कभी विपक्ष के लोग भी ऐसा करते हैं और मैं यह बात समझ सकता हूं कि विपक्ष के लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि सत्तारूढ़ दल ऐसा किस उद्देश्य से कर रहा है? यदि सत्तारूढ़ दल ही ऐसा करेगा तो देश की स्थिति क्या होगी? मुख्य मन्त्री ने इन सब बातों को बढ़ावा दिया और उन्होंने सीमा-विवाद सम्बन्धी एक ऐसा मामला उठाया जिसका अस्तित्व ही नहीं है। वे मामले को प्रकाश में लाए और सत्तारूढ़ दल के लिए समस्याएं पैदा कर दी। इसके अलावा विद्यार्थी यूनियन के अध्यक्ष जो सत्तारूढ़ कांग्रेस (आई) के सदस्य हैं ने भी एक वक्तव्य जारी किया है।

यह सब कुछ सत्तारूढ़ दल और कर्नाटक के मुख्य मन्त्री के प्रोत्साहन से ही किया गया है। इन सब बातों का परिणाम क्या निकला? इसका यही परिणाम निकला कि नेशनल स्टूडेन्ट्स यूनियन आफ इण्डिया, जोकि सत्तारूढ़ कांग्रेस (आई) के विद्यार्थी वर्ग का संगठन है, आगे आई और उसने बंगलौर नजर में पोस्टर लगाकर तामिल तथा मलयाली लोगों को यह चेतावनी दी कि वे एक सप्ताह के भीतर नगर को छोड़ दें अन्यथा उनकी बिजली और पानी की सुविधा कम

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

कर दी जाएगी तथा उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा और राशन बन्द कर दिया जाएगा। वहां ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं और यह सब कांग्रेस (आई) के विद्यार्थी वर्ग की यूनियन एन. एस. यू. आई. के अध्यक्ष के नाम से किया गया है। केवल इतना ही नहीं—मैं यह नहीं जानता कि किसी ने अध्यक्ष को उकसाया था या नहीं लेकिन उसने इस सम्बन्ध में देश के प्रधान मन्त्री, जिनके दृष्टिकोण पर मैंने कभी आपत्ति नहीं की और मैं समझता हूं जिनका दृष्टिकोण निर्विवाद रूप से सही रहा है, को भी लिखने का दुस्साहस किया है। उसने देश के प्रधान मन्त्री को यह लिखने का दुस्साहस किया है कि उन्हें कर्नाटक से केरल और तमिल लोगों को निकालने के लिए कदम उठाने चाहिए। मैं तो यह कह रहा हूं कि देश की यह कैसी दुर्दशा हो रही है ? मुख्य मन्त्री ने इन बातों को बढ़ावा दिया है। चूंकि मैं नहीं चाहता कि स्थिति और अधिक बिगड़े इसलिए मैं इस सम्बन्ध में टिप्पणियां नहीं करना चाहता। लेकिन यदि दूसरे पक्ष में बैठे हुए सदस्यों को किसी प्रकार का कोई संदेह हो तो मेरे पास वहां बांटे गए पैम्फलेट की एक प्रति है जिस पर श्री एफ० एम० खान, संसद सदस्य और एन. एस. यू. आई. के अध्यक्ष का नाम छपा है। मेरे पास एक पोस्टर भी है। उस पर एन. एस. यू. आई. के अध्यक्ष का नाम छपा है। यह कांग्रेस (आई) की यूनियन है। आप यह कहेंगे कि यह शरारत किसी और ने की होगी। मैं तो यही कहूंगा कि इस पर उनका नाम छपा है और यह पता लगाना आप का काम है कि यह शरारत किसने की है। यदि आप इस बात से इनकार करते हैं कि एन. एस. यू. आई. ने ऐसा नहीं किया है और कांग्रेस (आई) ने इसमें कोई भूमिका नहीं निभाई है तो यह पता लगाना आपका काम है कि आखिर यह किया किसने है। केन्द्र ने एक जांच आयोग बैठाया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो भी वहां जांच कर रहा है। चलिए उन्हें इस मामले में भी जांच करने दीजिए। मैं इस सम्बन्ध में कुछ और नहीं कहना चाहता। मैं स्थिति को और अधिक बिगाड़ना नहीं चाहता। मैं वहां लगी हुई आग में घी नहीं डालना चाहता। अब बम्बई की बात करता हूं, आप जानते हैं वहां क्या हुआ था। आपने अखबारों में पढ़ा होगा। बम्बई में बम्बई का मुख्य मंत्री, जो कि कांग्रेस (आई) का एक बड़ा नेता है—जो पहले कांग्रेस (आई) का सचिव भी था—इतना बड़ा आदमी जिसे राष्ट्रीय दृष्टिकोण रखना चाहिए—शिव सेना को बढ़ावा दे रहा है। आप जानते हैं उन्होंने वहां क्या किया है। कम से कम जब पुलिस में मामले रजिस्टर किए गए हों तो पुलिस को लोगों को गिरफ्तार तो करना ही चाहिए। वहां ऐसा नहीं हुआ। देखिए वहां सत्तारूढ़ दल कैसा रुख अपना रहा है ? आप इस समस्या से कैसे निपटेंगे ? इस समस्या को कैसे सुलझाएंगे ? इसको बढ़ावा किसने दिया है ? जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है बम्बई में तो यह समस्या पहले से ही है। गुजरात में भी यही स्थिति है और यह समस्या राजस्थान तक फैल गई है। क्या आप चाहते हैं कि दक्षिण में भी ये समस्याएं पैदा हों ? आप इनको बढ़ावा क्यों दे रहे हैं ? मैं और अधिक समय तक बोलना नहीं चाहता। मैं कुछ विशिष्ट प्रश्न पूछकर ही अपनी बात समाप्त करूंगा। हम आशा करते हैं कि प्रधान मंत्री सदन में आएं। यह एक महत्वपूर्ण मामला है और मुझे उम्मीद है कि सदन मेरी इस बात से सहमत होगा। समाचारपत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि एन० एस० यू० आई० कर्नाटक के अध्यक्ष ने लिखा है ....।

सभापति महोदय : अभी चार वक्ताओं को और बोलना है। 15.30 बजे गैर-सरकारी सदस्यों संबंधी कार्य होना है।

प्रो पी० जे० कुरियन : आपने वरीयता क्रम बदल दिया है। क्या यह मेरी गलती है ? इस प्रस्ताव को दोपहर 12 बजे लिया जाना था। कोई बात नहीं मैं केवल दो या तीन मिनट और बोलूंगा।

सभापति महोदय : अभी चार वक्ताओं को और बोलना है। 15.30 बजे और सरकारी सदस्यों संबंधी कार्य शुरू होगा।

प्रो० पी० जे० कुरियन : समाचारपत्रों में यह समाचार छपा था कि एन. एस. यू. आई. के अध्यक्ष ने कांग्रेस (आई०) के अध्यक्ष को तमिल तथा मलयाली लोगों के विरुद्ध एक पत्र लिखा है और चूंकि कांग्रेस (आई०) का अध्यक्ष इस देश का प्रधानमंत्री है इसलिए हमें इस बात के प्रति चिन्ता है तथा हम चाहते हैं कि वे सदन में आकर बताएं कि क्या उन्हें कोई ऐसा पत्र प्राप्त हुआ है और यदि हां तो उस पत्र के प्रति प्रधानमन्त्री की क्या प्रतिक्रिया है और वे कर्नाटक राज्य में हो रहे इस दुष्कर्म के लिए क्या कार्रवाई करेंगी ? यह मेरा पहला प्रश्न है। मैं प्रधानमन्त्री से अपील करूंगा कि वे कांग्रेस (आई०) दल की अध्यक्ष तथा देश की प्रधानमन्त्री दोनों ही रूपों से कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के अपनी पार्टी के नेताओं को सलाह दें कि वे इस प्रकार की घटिया राजनैतिक चाल न चलें जिनसे देश का भाषा, जाति और धर्म के नाम पर बंटवारा हो ?

मैं गृह मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह संबंधित राज्यों के मुख्यमन्त्रियों को यह लिखेंगे कि वे ऐसी बातों को बढ़ावा न दें। उदाहरणस्वरूप राज्यों के बीच जल विवाद तथा सीमा संबंधी विवाद हैं। क्या मुख्यमन्त्री स्वयं यह प्रतिज्ञा करेंगे कि वे गृह मन्त्री की सहमति के बिना किसी भी अन्तर-राज्यीय विवाद पर कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं करेंगे। वे सार्वजनिक घोषणाएं करने के स्थान पर विचार-विमर्श के लिए प्रयास करेंगे। मैं गृह मन्त्री से स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे इस संबंध में सभी मुख्यमन्त्रियों को पत्र लिखेंगे। दूसरे कर्नाटक और महाराष्ट्र में अल्प संख्यकों की सुरक्षा के लिए केन्द्र ने क्या कदम उठाए हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने अपने किसी तंत्र के माध्यम से कोई जांच कराई है, यदि हां तो सरकार ने उसके आधार पर कौन-कौन से कदम उठए हैं।

कांग्रेस (इ०) सरकारों द्वारा शासित इन दोनों राज्यों में भाषा और जाति के आधार पर अल्पसंख्यक लोगों को आप किस तरह से संरक्षण दे रहे हैं।

श्री योगेन्द्र मकवाणा : महोदय, माननीय सदस्य ने अपने सारे भाषण में यही कहा है कि वह न तो कोई राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं और न ही कोई आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि उनके सारे भाषण में यही कुछ है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : नहीं, मैं इसके लिए चुनौती देता हूं।

श्री योगेन्द्र मकवाणा : आपने कांग्रेस (इ०) पार्टी का उल्लेख किया है ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : यह तथ्यात्मक विवरण है ।

श्री योगेन्द्र मकवाणा : माननीय सदस्य ने कहा है कि दीवार पर कुछ पोस्टर चिपकाए गए थे । मैंने अपने वक्तव्य में भी इसका उल्लेख किया है । गुजरात में भी अनेकों ऐसी बातें कांग्रेस (इ०) के लिए कही गई हैं ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैंने गुजरात के बारे में नहीं कहा है ।

श्री योगेन्द्र मकवाणा : मैं तो केवल उदाहरण दे रहा था । कृपया थोड़ा धैर्य रखिए । मैं तो सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं कि एक छापा मारा गया था जिसमें विद्यार्थियों से कुछ पम्पलेट पकड़े गए थे जिसमें हरिजनों के नाम पर सवर्ण हिन्दुओं को भड़काया गया था । ऐसा बहुत से लोगों और बहुत सी पार्टियों द्वारा किया जा रहा है । कौन करते हैं भगवान जानें···।

प्रो० जे० पी० कुरियन : देश का गृह मन्त्री किस प्रकार ऐसा कह सकता है ।

श्री योगेन्द्र मकवाणा : आप सुन तो रहे हैं ।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : जब आपको ये मालूम नहीं है कि यह कौन करता है, तो यह कैसे मालूम होगा । आप कह रहे हैं कि मालूम नहीं है । आपको मालूम करना चाहिए ।

श्री योगेन्द्र मकवाणा : मैं तो सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं । गुजरात में डाक्टरों से यह चीज मिली थी जो साहित्य मिला है वह हरिजनों के नाम पर था और वह वास्तव में सवर्ण हिन्दुओं द्वारा जारी किया गया था । ये उन्हीं के द्वारा छापा गया था और हरिजनों के नाम पर उन्हीं के द्वारा प्रचारित भी किया गया था । इसी प्रकार से कर्नाटक में भी उन्होंने कांग्रेस (इ०) और एन. एस. यू. आई. आदि के नाम पर ऐसा किया था लेकिन उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया । बल्कि इसके विपरीत···· (व्यवधान) । कृपया मुझे सुनिये । मैंने उनके वक्तव्य में व्यवधान नहीं डाला । वह मेरे बोलने में व्यवधान क्यों डाल रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : जब सदस्य बोल रहे थे तो उन्होंने कोई टोका-टोकी नहीं की । उन्हें अपना जवाब पूरा करने दें ।

श्री योगेन्द्र मकवाणा : एन. एस. यू. आई. के प्रेजीडेंट ने एक सार्वजनिक वक्तव्य दिया है । उन्होंने खुले तौर पर इस बात से इन्कार किया है । उन्होंने बताया है कि इस पोस्टर में उनका कोई हाथ नहीं है । 12-3-81 के दक्कन हैराल्ड में यह छपा है और फिर 12 मार्च के कन्नड़ प्रभा अखबार में यह छपा है । उन्होंने यह कहकर अपनी स्थिति बिल्कुल साफ कर दी है

कि उनका इन पोस्टरों में कोई हाथ नहीं है। श्रीमन्, मैंने इसे प्रधानमन्त्री सचिवालय से और अपने पार्टी के दफ्तर आदि से इस बात की जांच की है। इस प्रकार का कोई पत्र न तो प्रधानमन्त्री सचिवालय में और न ही पार्टी के कार्यालय में कांग्रेस अध्यक्ष के नाम से आया है। ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। पहला प्रश्न जो माननीय सदस्य ने किया है वह उस पत्र के बारे में है और उसके बाद उन्होंने कहा है कि यदि वह पत्र मिला है तो सरकार का उस पर क्या रुख है और ऐसी ही बहुत सी बातें उन्होंने कहीं हैं। मैं कहता हूं कि ऐसा कोई पत्र ही नहीं आया। इसलिए यह प्रश्न ही नहीं उठता।

दूसरे, उन्होंने मुख्यमन्त्रियों द्वारा की गई सार्वजनिक घोषणा के बारे में कहा है। और अन्य ऐसे प्रश्न पूछे हैं। क्या मैं माननीय सदस्य को यह बता सकता हूं कि केरल और पश्चिम बंगाल में तथा तमिलनाडु के भी मुख्यमन्त्रियों ने कई बार कुछ सार्वजनिक घोषणाएं की हैं। मुख्यमन्त्रियों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। अलबत्ता हम राज्यों को सलाह दे सकते हैं लेकिन हम राज्य सरकारों को बाध्य नहीं कर सकते। हम मुख्यमन्त्रियों को बोलने अथवा न बोलने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। मैं माननीय सदस्य को यह भी विश्वास दिलाता हूं कि गृह मंत्रालय में साम्प्रदायिक एकता कक्ष भी है। जो इस प्रकार की बातों की देखभाल करता है। यह गृह मन्त्रालय में ही हैं जब भी कोई ऐसी घटना घटती है। तो वह इस प्रकार के सभी मामलों की देखभाल करता है और समय-समय पर राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित करता रहता है। अल्पसंख्यक आयोग भी है। भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक आयुक्त ये तीनों संगठन गृह मन्त्रालय में हैं। एक तो गृह मन्त्रालय में ही है। ये निगरानी कक्ष कहलाता है। दो अन्य संगठन भी वहां हैं। एक तो आयुक्त है और दूसरा आयोग है। वे भी इन सभी मामलों की जांच कर रहे हैं। जब कभी कोई घटना होती है, उनके पास शिकायत आती है और वे इसकी जांच करते हैं। वे ऐसे मामलों की जांच-पड़ताल करते हैं और फिर वे केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट भेजते हैं। इस प्रकार की एक रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी भी जा चुकी है।

अब महोदय तीसरा प्रश्न जो माननीय सदस्य ने किया है कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए किए गए उपायों के बारे में है। महोदय, मैं इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिला सकता हूं कि इस बारे में हम सभी राज्य सरकारों को बार-बार लिखते हैं। हम इन दोनों राज्य सरकारों को भी लिख रहे हैं कि वे भी इस मामले में अपेक्षित कार्यवाही करें।

प्रो० पी० जे० कुरियन : कृपया एक बात को स्पष्ट करिए मैंने एक प्रश्न पूछा था, उन्होंने उस पत्र के बारे में इन्कार किया है। मैं इसे मान लेता हूं। क्या इसका आशय यह है कि यह शरारत कोई और ही कर रहा है। मैंने एक प्रश्न पूछा है। मैं उनसे यह प्रश्न कांग्रेस (इ०) पार्टी के नेता के रूप में नहीं पूछ रहा बल्कि गृह मन्त्री के रूप में पूछ रहा हूं। यदि इससे इंकार किया गया है और यह कांग्रेस (इ०) अध्यक्ष के रूप में नहीं लिया गया था तो फिर ऐसा किसने किया ? क्या उन्होने इस मामले में कोई जांच की है ? क्या कोई ऐसी चीज की गई है ? यदि हां, तो क्या वह इस सदन को उस स्थिति से अवगत कराएंगे (व्यवधान)।

सभापति महोदय : कृपया शांत रहिए। वह इसका उत्तर दे रहे हैं (व्यवधान)*।

श्री योगेन्द्र मकवाणा : जहां तक इस पत्र का संबंध है मैं इसके बारे में बता रहा हूं। ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। जहां तक इन पोस्टरों का संबंध है, कर्नाटक सरकार ने 10 मार्च, 1981 को के. आर. पुरम थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 153क के अधीन फौजदारी का मामला 81 का संख्या 10 दर्ज किया है, वे इस मामले में जांच-पड़ताल कर रहे हैं। उन्होंने अपराध दर्ज किया है। वे इस मामले में कार्यवाही कर रहे हैं। यदि उन्हें अपराधी व्यक्तियों का पता लग जाता है तो वे उन्हें दंड देंगे।

प्रो० पी० जे० कुरियन : यह मामला किसके विरुद्ध है।

श्री योगेन्द्र मकवाणा : प्रिय मित्र, यह किसी के विरुद्ध नहीं है बल्कि ये मामला तो एक अपराध के विरुद्ध दर्ज किया गया है। यह अपराध किसी के द्वारा किया गया हो सकता है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : विशिष्ट रूप से मेरा प्रश्न राज्य में रहने वाले अल्पसंख्यक लोगों की सुरक्षा के बारे में है। क्या सरकार इस मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की सहायता से कोई जांच करने के लिए तैयार है।

सभापति महोदय : इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही साधारण है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय यह एक खास सवाल है अन्यथा इस विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव देने की क्या तुक है (व्यवधान)*।

(उपाध्यक्ष महोदत पीठासीन हुए)

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बहस पूरी नहीं की है। अभी इस पर कई सदस्य बोलने शेष हैं। उसके बाद माननीय मन्त्री महोदय को इसका उत्तर देना है। इस समय शाम के साढ़े तीन बज रहे हैं। साढ़े तीन बजे आप गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य ले रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें गैर सरकारी सदस्यों का कार्य साढ़े तीन बजे लेना पड़ा है। हमें ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बहस पूरी करने के लिए 6 बजे के बाद भी रुकना है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : ठीक है तो हम इसे 6 बजे के बाद उठा सकते हैं। संसदीय कार्य मन्त्री को अगले सप्ताह के कार्यक्रम के लिए कार्य सलाहकार समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : मुझे 6 बजे अगले सप्ताह की कार्य-सूची के बारे में विवरण देना है।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, गृह राज्य मन्त्री जी ने जो सदन को बताया है और उन्होंने जो जवाब दिया है उसको पढ़ने से तो उचित लगा लेकिन इन्होंने जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का उत्तर दिया है उससे ऐसा लगा है कि शायद ये वस्तुस्थिति को जानबूझ कर, दल के हित में नजरअन्दाज कर रहे हैं। यदि उनकी इस स्टेटमेंट को पढ़ें तो उसमें मंत्री महोदय ने कहा है कि यह मामला 9 तारीख को वहां कि विधान सभा में भी उठाया गया था। वहां के फाइनेंस मिनिस्टर ने इसका जवाब दिया था। अगर इसमें कांग्रेस आई के लोगों का हाथ नहीं था तो उन्होंने वहां इसका कंट्राडिक्शन क्यों नहीं किया ?

यह जो पेम्फलेट निकाला गया है उसमें मन्त्री का नाम नागभूषण करा दिया और प्रेजीडेंट का नाम दिया गया है। यह मामूली बात नहीं है। जब विधान सभा में यह प्रश्न आया होगा तो वहां के मन्त्री ने जानकारी जरूर की होगी। अगर थोड़ा सा भी इसमें डाउट होता तो वह वहां के सदन के पटल पर कह दिया जाता। लेकिन इस सारी रिपोर्ट को देखने के बाद कहीं पर यह नहीं लगता कि वहां के मन्त्री द्वारा वहां पर यह कहा गया हो कि इसमें कांग्रेस आई का हाथ नहीं है। इसलिए यह लाजमी हो जाता है कि इसमें उनका हाथ है।

यह मामला एक स्टेट में नहीं कई स्टेटों में हो रहा है। असम का मामला आपके सामने है। उसकी बुनियाद भी इसी आधार पर है। फिर यह मामला बंगलौर में चला। फिर बम्बई में चल रहा है। यह भाषायी आधार पर कमजोर लोगों को, पापुलेशन के आधार पर कमजोर लोगों के मन में दहशत पैदा करने वाला है। पूरे देश में इससे दहशत पैदा हो गयी है। इन सारी चीजों की निश्चित रूप से आपको जांच करवानी चाहिए।

इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा है कि गृह मन्त्री जी के जवाब में और स्टेट में जो वहां मन्त्री जी ने उत्तर दिया है दोनों में कंट्राडिक्शन है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पासवान जी, आप 6 बजे के बाद भी इसे जारी रख सकते हैं। अब हम गैर-सरकारी सदस्यों से सम्बन्धित मामलों पर विचार करेंगे।

गैर-सरकरी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

सत्रहवां प्रतिवेदन

श्री चिंतामणि पाणीग्रही (भुवनेश्वर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति के 17 वें प्रतिवेदन से जो 11 मार्च, 1981 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति के 12वें प्रतिवेदन से जो 11 मार्च, 1981 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुए।

———

खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने सम्बंधी उपायों के बारे में संकल्प

उपाध्यक्ष महोदय : यह सदन अब प्रो० सत्यदेव सिन्हा द्वारा 27 फरवरी 1981 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर और आगे विचार करेगा।

"इस बात को देखते हुए कि जनसंख्या का लगभग तीन चौथाई भाग कृषि पर निर्भर है और इसकी देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका है, यह सभा सरकार से सिफारिश करती है कि वह उर्वरकों, बीजों और कृषि उपकरणों के मूल्यों को कम करके, सिंचाई सुविधाएं प्रदान करके, किसानों को आधुनिकतम, तरीकों से अवगत कराके, उनकी उपज के लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करके तथा फसल और पशु बीमा योजनाएं आरम्भ करके उन्हें उचित प्रोत्साहन दे ताकि खाद्य उत्पादन में वृद्धि हो सकें।"

इस संकल्प के लिए आवंटित समय दो घंटे था और इसमें से एक घन्टा चवालीस मिनट बीत भी चुके है; अब केवल 16 मिनट शेष है। यदि हम इन चीजों पर समय बढ़ाते रहे —मैं कुछ नहीं कह रहा हूं— तो अन्य संकल्पों को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। लगभग दस सदस्य बोल चुके हैं। मेरा ख्याल है, हम मन्त्री महोदय से उत्तर देने के लिए कह सकते हैं।

श्री उत्तम राठौर (हिंगोली) : पिछली बार जब श्री नायडू ने बोलना शुरू ही किया था तो सदन स्थगित हो गया था। क्योंकि मैं उनकी सीट (कुर्सी) के पीछे बैठा हुआ हूं इसलिए कृपा करके मुझे केवल तीन ही मिनट बोल लेने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अच्छा, ठीक है।

श्री उत्तम राठौर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रो. सत्य देव जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, वह अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव द्वारा यह मन्शा व्यक्त की गई है कि इस देश की जो 75 फीसदी आबादी देहातों में रहती है, जिसका जीवन खेती पर निर्भर है, उनके जीवन-स्तर को सुधारने के लिए खेती के लिए इंसेंटिव देना बहुत जरूरी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि आज फर्टीलाइजर की कमी महसूस की जा रही है। इस बारे मेरा सुझाव है कि आज दिन-ब-दिन टैक्नालाजी बदलती जा रही है, तकनीक का विकास होता जा रहा है, तो क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि जिससे फर्टीलाइजर का उत्पादन सस्ता और अधिक हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मुझे कहनी है ए. पी. सी. के बारे में इसके बाद में जब डिस्कशन हुआ था तब राव साहब ने कहा था कि इसमें एक मेम्बर और लिया जाएगा और वह दक्षिण से होगा। सुनने में आया है कि किसी इकानामिस्ट को रखा गया है। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरा कहना यह है कि जो लोग काश्तकारों की जिन्दगी से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, उनके रहन-सहन को, उनके खर्चों को अच्छी तरह से जानते हैं, उनमें से कुछ लोगों को रखना जरूरी है। खासकर के ऐसे लोगो में से लिया जाना चाहिए, जिनका कल्टीवेशन ड्राई है। यदि ऐसा नहीं करेंगे और किसी ऐसे व्यक्ति को रखेंगे जिसकी जमीन इरीगेटेड एरिया में है तो वह उसी प्रकार की धारणा बनाकर बात करेगा, जो धारणा उसकी अपनी खेती के बारे में बनी है, उसी के अनुसार वह पूरे देश की खेती के बारे में सोचेगा, इससे नुकसान हो सकता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इसमें एक एग्रीकल्चर लेबरर और एक ड्राईफारमर्स का रिप्रजेंटेटिव रखना बहुत ही जरूरी है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार क्राप एण्ड कैटल का इन्श्योरेंस बहुत जरूरी है। आज खेती के साथ-साथ डेरी और पोल्ट्री का धन्धा शुरू करने के बारे में सोचा जा रहा है। ऐसे समय में अगर इन्श्योरेन्स स्कीम लागू नहीं की गई तो हो सकता है कि इन योजनाओं का लाभ काश्तकार न उठा सके। इसलिए मेरा निवेदन है कि कैटल और क्राप के लिए पूरे देश में इन्श्योरेन्स स्कीम लागू की जाए ताकि सभी लोगों को सहूलियत मुहैय्या हो।

एक बात और है, जिसके बारे में मैं कहना चाहूंगा और वह है रिस्क फैक्टर के बारे में। इसकी तरफ हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पर खेती ऊपर के पानी के भरोसे पर है, उनकी हालत आज बहुत खराब है। अक्सर तीन साल में एक साल ही मुश्किल से ठीक होता है और बाकी के दो साल बिल्कुल बदतर होते हैं और इन लोगों को किसी तरफ से स्पोर्ट नहीं मिलती है तो बड़ी मुश्किल होगी। इस वास्ते दिए फैक्टर की तरफ सरकार ज्यादा तवज्जह दे।

जहां तक प्राइस फिक्सेशन का सम्बन्ध है ए.पी.सी. की जो धारणायें प्राइसिस के बारे में हैं उनके बारे में मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। ए पी.सी. हमेशा ही जो कीमतें रिकोमेंड करती है उसके बाद देखा गया है कि गवर्नमेंट कीमतों को और बढ़ा देती है। इसका नतीजा यह होता है कि काश्तकार का माल बजाय हमारे गोडाउंज में आने के बाहर बिक जाता है। इसको टालने के लिए और काश्तकार सबसे पहले हमारे पास आए, आपको चाहिए कि आप काश्तकार को कुछ अच्छी कीमत दें ताकि जिन बीजों का मौनोपोली प्रोक्योरमेंट होता है या जिनका मौनोपोली

प्रोक्योरमेंट नहीं भी होता है, जैसे गेहूं है, कपास है वह हमारे द्वारा प्रासेस होकर तकसीम हो। ऐसा किया गया तो काश्तकार की हालत, देहात में रहने वाले की हालत, वहां लेबर की हालत अच्छी होगी और 75 परसेन्ट लोग जो देहातों में रहते है, उनकी जिन्दगी सुधर सकेगी।

मैं यह भी चाहता हूं कि देहातों तक पक्की सड़कें बनाई जाएं, ट्रांसपोर्ट के जरिए वहां पैदा किए गए, अच्छे मदरसे वहां खोले गए, हैल्थ स्कीम्ज वगैरह वहां चालू की जाएं। इलैक्ट्रिसिटी वगैरह को भी वहां फैलाया जाए ताकि ये लोग उसे लाभ उठा सकें और आने वाली पीढ़ियों को, अपने बच्चों को अच्छी तरह से तैयार कर सकें और नई जिन्दगी उनकी शुरू करा सकें।

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : महोदय मैंने सभी माननीय सदस्यों का वक्तव्य बहुत ध्यान से सुना है। और खेती पर आधारित लोगों और हमारे ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के कल्याण के बारे में उनकी चिन्ताओं में मैं भी उनके साथ हूं। यह संकल्प इन कठिनाईयों पर प्रकाश डालता है जो कृषकों और हमारे समाज के जो कमजोर लोगों द्वारा अनुभव की जा रही है, जो आमतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं।

महोदय, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में आय कम हैं। वहां के लोगों के जीवन स्तर को भी उठाना आवश्यक है। उनके पास शिक्षा और आरामदायक जीवन बिताने की सुविधाएं नहीं है जो कि एक स्वतन्त्र देश में होनी चाहियें।

माननीय सदस्यों द्वारा जो मुख्य प्रश्न उठाये गये हैं वे उन कीमतों के सम्बन्ध में हैं जो किसान को उसके उत्पादनों के लिए मिलनी चाहिए उन कीमतों के बारे में है जो उन्हें विभिन्न प्रकार के आदानों सिंचाई सुविधाओं और ग्राम्य अनेकों प्रकार की चीजों जिनका आमतौर से हमारी अधिकांश खेतीहर जनता से सम्बन्ध है, देनी पड़ती हैं। महोदय, इस में कोई सन्देह नहीं है कि इस देश में कृषि सबसे बड़ा उद्योग है। भारत एक कृषि प्रधान देश कहलाता है। और जब तक कि सरकार की तरफ से कृषि पर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता तब तक भारत सम्पन्न देश नहीं बन सकता ; ऐसा हमारा विश्वास है। हमारे उद्योग धन्धे भी कृषि पर आधारित हैं क्योंकि अधिकांश कच्चा माल कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है। महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया है कि सिंचाई सुविधायें बढ़ाई जायें। मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि सरकार कृषि भूमि के लिए सिंचाई की व्यवस्था करने की आवश्यकता के बारे में पूर्ण रूप से जागरूक है क्योंकि केवल सिंचाई से ही यह सम्भव हो सकता है कि हमारे कृषि उत्पादन में कुछ स्थायित्व लाया जा सके। अब इस बात को तेजी से अनुभव किया जा रहा है कि जो भी पैसा कृषि क्षेत्र में लगाया जाता है उसके परिणाम तेजी से सामने आते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए छठी पंच-वर्षीय योजना के हमारे परिव्यय का एक अच्छा-खासा हिस्सा कृषि, सिंचाई एवं ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए निर्धारित किया गया है।

यदि मैं भारतीय सदस्यों का ध्यान उस की गई प्रगति की ओर आकर्षित करूं तो मुझे आशा है कि सिंचाई के क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से अवश्य सन्तुष्ट हो जाएंगे। 1950-51 में, जब हमारी योजनाओं का श्रीगणेश हुआ तो हमारी सिंचाई सम्भाव्यता केवल 2.2 करोड़ हेक्टेयर से कुछ ही अधिक थी और आमदनी 5.6 करोड़ हैक्टेयर भूमि सिंचाई सम्भाव्यता प्राप्त कर भी चुके हैं। यह प्रगति दुगने से भी अधिक हो चुकी है। हमने अनुमान लगाया है कि इस देश में लगभग 11.3 करोड़ हैक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई सुविधायें उपलब्ध करायी जा सकती हैं हमने इसका 50 प्रतिशत तो प्राप्त कर ही लिया है। और हमारी योजना सन् 2000 तक एक योजना भी 11.3 करोड़ हैक्टेयर भूमि को सिंचित बनानेकी है। इस समय हमारा लक्ष्य लगभग 25 लाख हैक्टेयर भूमि को प्रतिवर्ष सिंचित बनाना है। और मुझे विश्वास है कि यह सिंचाई के लिए सर्वोच्च लक्ष्य है जो शायद ही किसी देश ने अपनी वार्षिक योजना में नियत किया है और इसकी प्राप्ति की हो।

मुझे आशा है कि भण्डारण के लिए हम कुछ और राशि की व्यवस्था कर लेंगे, क्योंकि हमारे यहां भूमि पर पानी की कमी नहीं है जो आज भी समुद्र में बह जाता है। यदि हम उस पानी का उपयोग सिंचाई के लिए कर सकें तो कोई कारण नहीं कि कृषि के मामले में भारत का स्थान विश्व में सबसे ऊपर न हो।

सबसे अधिक आवश्यकता कृषि अनुसंधान कार्य की है और हमारे किसानों के लिए अधिक उपज देने वाले अच्छी किस्म के बीजों की सप्लाई की है। इस देश में कृषि अनुसंधान संस्थाओं का बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है। हमारे कृषि विश्वविद्यालय भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देश में लगभग 21 कृषि विश्वविद्यालय हैं। कृषि के क्षेत्र में लगभग 38 राष्ट्रीय स्तर के संस्थान हैं जो बीज उत्पादन, अधिक उपज देने वाली बढ़िया किस्मों के बीजों के विकास, पानी की व्यवस्था, भूमि संरक्षण, सामाजिक वनिकी (उपवन व्यवस्था), पशुपालन, डेरी आदि के काम में लगे हुए हैं। इस देश में कृषि-विज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। सरकार जानती है कि जब तक हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का पूर्ण विकास नहीं होता तब तक हम यह नहीं कह सकते कि हमने स्वतंत्रता से वास्तव में कोई लाभ उठाया है जो हमें हमारे नेताओं और सभी वर्गों, जातियों के बलिदान से प्राप्त हुई है।

बीज-उत्पादन वर्ष प्रति वर्ष बढ़ रहा है। उर्वरकों के उत्पादन पर भी हम ध्यान दे रहे है। इस समय यहां 50 लाख टन से भी अधिक उर्वरकों की खपत हो रही है। जिनकी लगभग आधी मात्रा का देश में ही उत्पादन किया जा रहा है और बाकी का अब भी आयात किया जा रहा है। उर्वरकों के मूल्य बढ़ रहे हैं। बाहर से आयात भी मंहगा होता जा रहा है। और हमारे देश में कुछ बाधाएं हैं। जैसा कि माननीय सदस्य अच्छी तरह जानते हैं उत्पादन लागत बढ़ रही है। लेकिन इसके बावजूद सरकार लागत अधिकतर भारी सहायता के रूप में दे रही है ताकि किसानों को देश भर में एक समान दर पर उर्वरकों की सप्लाई की जा सके। आप जानते हैं, हाल में, एक निर्णय किया गया था कि उर्वरक सुदूर क्षेत्रों में भी एक समान दरों पर उपलब्ध होगा।

पहले दरें केवल रेलवे स्टेशनों के पास स्थित स्थानों के लिए ही नियत की गई थी। लेकिन अब जहां कहीं ब्लाक हैं, चाहे वे रेल से दूर हों, उर्वरक को सरकारी खर्च पर ले जाया जाएगा। और किसानों को समान दर पर सप्लाई किया जाएगा। बीज भी रियायती दरों पर सप्लाई किए जाते हैं। सरकार अच्छी किस्म के बीजों के उत्पादन पर काफी धन खर्च कर रही है।

अब यह बहुत अच्छी बात है कि किसानों को सिंचाई सुविधा लाभ कमाने के आधार पर नहीं दी जा रही है। नहरों से भी राज्य सरकारों को काफी घाटा होता है और नई परियोजनाओं में काफी पूंजी निवेश की आवश्यकता है। यदि बिजली तथा सिंचाई परियोजनाओं पर खर्च की जाने वाली धनराशि का हिसाब लगाया गया तथा सरकारी खजाने में राजस्व का हिसाब लगाया जाए तो पता चलेगा कि लागत की तुलना में राजस्व कुछ भी नहीं है। यह धन किसानों की भलाई के लिए और अन्ततः देश के हित के लिए खर्च किया जा रहा है। कल ही प्रधान मन्त्री दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में एक छोटा कृषि मेला देखने गई थीं। इससे पता चलता है कि हमारी प्रधान मन्त्री किसानों के कल्याण में कितनी रुचि ले रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप भी वहां की फोटो में बड़ी सी पगड़ी बांधे दिखाई दे रहे थे। आप किसी दिन यहां सभा में पगड़ी बांधकर क्यों नहीं आते।

राव बीरेन्द्र सिंह : यदि आपको अच्छा लगता है तो जब आप पीठासीन होंगे तो मैं जरूर पगड़ी बांध कर आऊंगा। मैं इसका ध्यान रखूंगा ...।

उपाध्यक्ष महोदय : पगड़ी सिर पर बहुत अच्छी लग रही थी।

राव बीरेन्द्र सिंह : प्रधान मन्त्री ने हमारे वैज्ञानिकों तथा किसानों की बहुत प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा यह हमारे किसानों की कड़ी मेहनत तथा उनकी लगन का परिणाम है कि भारत में कृषि उत्पादन में इतनी वृद्धि हुई है। जब 1979-80 में अकाल पड़ा था जो देश में सबसे भारी अकाल था, तब हमने इस बात की चिंता नहीं की कि सहायता कार्यों पर कितना धन खर्च किया जा रहा था। अकाल से प्रभावित क्षेत्रों में सहायता पहुंचाई गई थी। यह 1979 में पिछली सरकार के कार्यकाल में शुरू हुआ था। परन्तु हमने महसूस किया कि सहायता पर्याप्त नहीं थी। विभिन्न राज्यों में फिर से केन्द्रीय दल भेजे गए थे। इस सरकार ने अकाल से प्रभावित क्षेत्रों में पिछली सरकार के मुकाबले अधिक खर्च किया है। सभी स्थानों पर खाद्यान्न शीघ्रातिशीघ्र भेजा गया था। सेना ट्रेकों, रेलगाड़ियों द्वारा छोटे छोटे इलाकों में पीने का पानी भेजा गया था हवाई जहाजों से खाना नीचे गिराया गया था, और श्रीमन्, आप जानते हैं कि हमने बाहर से खाद्यान्न आयात किये बिना और अपने स्टाक में बहुत अधिक कमी किए बिना किस तरह से उस कठिन स्थिति पर काबू पाया था। हमें आशा है कि हम इस वर्ष होने वाली अच्छी फसल से अपने भंडार की पूर्ति कर सकेंगे। वर्ष प्रति वर्ष खाद्यान्न उत्पादन में होने वाली वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि यह सरकार किसानों के लिए जो कुछ कर रही है तथा जो कुछ करने की आशा रखती है उससे किसान संतुष्ट हैं। किसानों को विश्वास है कि सरकार उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित

करना चाहती है। अन्यथा, उत्पादन में यह वृद्धि संभव नहीं होती। 1950-51 में हमारे यहां गेहूं का कुल उत्पादन लगभग 60 लाख टन था और आज हमें 340 से 350 लाख टन गेहूं का उत्पादन होने की आशा है। यदि सब ठीक रहा तो सरकार द्वारा किए गए उपायों के अलावा किसानों के लिए भगवान की सहायता भी अधिक आवश्यक है। हमारे उपायों के बावजूद और वैज्ञानिक··· (व्यवधान)*।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बीरेन्द्र सिंह, हम पी० एल० 480 के अन्तर्गत अमरीका से भी गेहूं आयात कर रहे थे। (व्यवधान)*

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : जी हां, कुछ वर्ष पूर्व हम आयात कर रहे थे। हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं थे लेकिन सौभाग्यवश समय के साथ-साथ इस सरकार की नीतियों के कारण और ···(व्यवधान)।

श्री फूलचन्द वर्मा (राजापुर) : 77-78 में हमने एक्सपोर्ट किया।

राव बीरेन्द सिंह : 77-78 में तो आपने सब कुछ खो दिया। क्या था ? ···(व्यवधान)···· छोड़िए, 77-78 की बात आप याद दिलाते हैं तो बड़ी कोफ्त होती है। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : जब आपकी सरकार सत्ता में हो तो आप भी वह श्रेय ले सकते हैं।

श्री फूलचन्द वर्मा : आपको तकलीफ होना तो स्वाभाविक है। मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूं।

राव बीरेन्द्र सिंह : तकलीफ की बात नहीं है। सारे हाउस की उल्टी होने को हो जाती है जब आप 77-78 की बात करते हैं।

श्री फूलचन्द वर्मा : मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं। रिकार्ड पर यह बात है कि सबसे पहले 77-78 में हमने व्हीट एक्सपोर्ट किया। इससे पहले कभी नहीं हुआ। आपातकाल में भी नहीं।

राव बीरेन्द्र सिंह : श्रीमती इन्दिरा गांधी की दूरदर्शी और सुविचारित नीतियों के अनुसरण में 1966 के बाद से, जब कृषि अनुसंधान पर जोर दिया गया था, अच्छे किस्म के बीज किसानों को मिले हैं और हर योजना में कृषि उत्पादन दो गुना होता गया है। उनकी उपलब्धि यह है। जबकि हमने लगभग 13.20 करोड़ टन खाद्यान्न का लक्ष्य पूरा किया था, उनके दुर्भाग्य से या देश के दुर्भाग्यवश उनके छोटे से शासन काल में उत्पादन 10-90 करोड़ टन ही रह गया था। जब आप सत्ता में थे तो दो वर्ष में खाद्यान्न का उत्पादन 2.30 करोड़ टन कम हो गया था। (व्यवधान)*। आपकी यही उपलब्धी है।

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : उनका कहना है, यदि वे पांच वर्ष तक सत्ता में रहते तो वे इसमें सफल हो सकते थे (व्यवधान)। मैं आपकी सहायता कर रहा हूं।

राव बीरेन्द्र सिंह : ईश्वर महान है। वह इस देश को बचाना चाहता था। इस देश के लोग बुद्धिमान हैं। इस सरकार के सत्ता में आने के एक वर्ष के भीतर ही हमने एक और उपलब्धि हासिल की अकाल की स्थिति रहते हुए भी पिछले वर्ष हमारा खाद्यान्न उत्पादन लगभग 13.19 करोड़ टन हुआ। इस वर्ष हम इससे अधिक उत्पादन करना चाहते हैं। मैं अपनी बात अभी नहीं कहना चाहता। अच्छा ही होगा कि मैं अभी कोई आंकड़े न दूं कम से कम इनकी बुरी नजर तो नहीं लगेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : आंखें अच्छी, नजर बुरी।

राव वीरेन्द्र सिंह : आज हम चावल निर्यात करने की स्थिति में हैं। इस वर्ष हमने लगभग 5 लाख टन चावल निर्यात किया। कुछ वर्ष पूर्व कोई भी यह नहीं सोचता था। यह केवल श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार की नीतियों तथा जो ध्यान वह किसानों की तरफ दे रही है उससे इतनी उन्नति हुई है। किसान दिल्ली आए— पता नहीं, हो सकता है आप मुझसे सहमत न हों लेकिन उनकी संख्या 30 और 40 लाख के बीच थी।

श्री फूलचन्द वर्मा (राजापुर) : वे आये थे या लाये गए थे ?

राव बीरेन्द्र सिंह : वे कुछ मांगने नहीं आये थे और प्रधान मन्त्री ने कोई घोषणा नहीं की अन्यथा आप कह सकते थे कि उन्हें लाया गया है। वे आपको यह बताने आये थे कि देश के किसान आपके साथ नहीं हैं बल्कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के साथ हैं। वे केवल यही दिखाना चाहते थे, क्योंकि आप यहां वहां उनका शोषण करते रहे हैं और ऐसे स्थानों पर जहां वे अभी कुछ पिछड़े हुए हैं तथा जहां वे अभी तक इस सरकार की नीतियों के प्रभाव को पूर्णतः महसूस नहीं कर पाए हैं। चावल की उपज बढ़ी है। गेहूं की उपज बढ़ी है। इस योजना अवधि अर्थात 1984-85 तक हमारी योजना लगभग 15.40 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन करने की है। यदि किसानों को लाभकर मूल्य नहीं मिलेंगे तो क्या यह संभव हो सकता है। कुछ वर्ष पूर्व देश की जनता उन लोगों को मौका देना चाहती थी जो काफी लम्बे समय से केवल आलोचना ही करते रहे हैं। उन्होंने सोचा "देखते, हैं, आजमाने में कोई हानि नहीं है। कुछ वर्ष तक इन्हें भी कार्य करने का मौका दें।"

श्री जार्ज फर्नान्डीज : ये कितना समय और लेंगे ? ये असंगत बातें कर रहे हैं ...।

राव बीरेन्द्र सिंह : यदि मैं इस सरकार द्वारा किये गए काम की बात करूं तो यह असंगत है। लेकिन इन्होंने कभी कोई संगत काम नहीं किया। ये तो अपने प्रयासों को कार-गर बनाने में भी संगत नहीं थे और नहीं वे हमारे प्रयासों की आलोचना करने में कुछ संगत काम करते हैं।

श्रीमान् मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मैं तो यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हम इस बात के लिए बहुत दृढ़ निश्चयी हैं कि किसानों को लाभकर मूल्य मिलें, सस्ते और उत्तम उपादान, समय पर मिलें, बिजली-पानी कम मूल्य में या सस्ते दामों पर मिलें तथा उचित समय पर मिले। पिछले वर्ष, प्रधान मंत्री चाहती थी कि राज्यों में 70 प्रतिशत डीजल किसानों को दिया जाए ताकि गेंहूं की फसल उचित रूप से मिल सके। नहरों में सामान्य अवधि से अधिक अवधि तक पानी छोड़ा गया था। 60 प्रतिशत बिजली कृषि-क्षेत्र के लिए आरक्षित की गई थी। इस वर्ष भी ऐसा ही किया गया है। हाल ही में हमने गेहूं उगाने वाले राज्यों के मुख्य मंत्रियों को हिदायत दी हैं कि चाहे कुछ स्थानों पर 15 दिन तक के लिए उद्योग बंद करना पड़े, किसानों को बिजली दी जाए, ताकि वे इस नाजुक समय में अपनी खेती की सिंचाई कर सकें। किसानों को डीजल भी दिया जाता है। उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। मेरे मित्र श्री सेठी, पेट्रोलियम और रसायन मंत्री ने कहा है कि यदि मुख्य मंत्रियों को किसानों को उनकी फसल की सिंचाई आदि के लिए और डीजल देने की आवश्यकता हो तो वे कितने ही डीजल का प्रबंध कर सकते हैं। हम इस प्रकार किसानों की सहायता कर रहे हैं।

गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 13 रुपए निश्चित किया गया था। लेकिन प्रधान मंत्री ने मुख्य मंत्रियों को सलाह दी कि वे किसानों को यथा संभव अधिक मूल्य दें। प्रधान मंत्री ने 8.5 प्रतिशत वसूली सहित 16 रुपए देने को कहा था। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है, मेरे मित्र यह जानते हैं, कि गन्ना उत्पादकों को औसतन 22 और 23 और या 25 रुपए प्रति क्विंटल तक मूल्य मिल रहा है। इसकी तुलना उस समय से करिए जब किसानों का तथा काश्ति और आत्मकाश्ति नेता कहे जाने वाला व्यक्ति सत्ता में था और उस समय खेतों में ही गन्ना जला दिया गया था। आलू मंडियों में सड़ गए थे, गेहूं कई सप्ताह तक मंडियों में पड़ा रहा और उन्हें रखने के लिए बोरियां तक उपलब्ध नहीं थी। व्यापारी तथा क्रेता एजेंसियां किसानों को ठगने के लिए एक हो गए थे। लेकिन गतवर्ष हमारे सत्ता संभालने के तुरन्त बाद मैंने इस सभा में चुनौती दी थी और कोई भी माननीय सदस्य यह नहीं कह सका कि हमारे पिछले वसूली मौसम में जब गेहूं मंडी में आया था तो सारे देश में कोई भी शिकायत प्राप्त हुई हो और जहां यह कहा गया हो कि भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी या राज्य की श्रम एजेंसियों ने कहीं भी किसानों को लूटने का प्रयास किया या उन्होंने किसानों को उचित मूल्य नहीं दिए हों। हमने किसानों के हितों की इस तरह सुरक्षा की है।

प्याज के मामले में महाराष्ट्र में एक आन्दोलन हुआ था। महाराष्ट्र आन्दोलन का जिक्र बार-बार इस सभा में किया गया है। प्याज की खरीद सरकार के निदेश पर एन. ए. एफ. ई. डी. ने की थी। लाभकारी मूल्य दिए गए थे। पिछले वर्ष हमने 45 रुपए से 60 रुपए तक मूल्य पर प्याज की खरीद की थी। इस वर्ष हमने महाराष्ट्र सरकार की सहकारी एजेंसियों के साथ मिलकर 50 रुपये से 70 रुपये तक के मूल्य पर प्याज खरीदनी शुरू की है। हमें फिर यह अभ्यावेदन किया गया कि यह मूल्य ठीक नहीं था। महाराष्ट्र राज्य सरकारी सहकारी एजेंसियां और 'नाफेड' अब 65 रुपए से 75 रुपये तक के बीच के मूल्य पर प्याज खरीद रहे हैं। परन्तु

केवल एक फसल या एक वस्तु के लिए ही सरकार पूरी जिम्मेदारी ले सकती है। इसमें रुपया लगता है। पिछले वर्ष हमने प्याज की खरीद पर 6.2 करोड़ रुपये की राज सहायता दी। आलू भी खरीदने पड़ सकते हैं यदि उत्तर प्रदेश और आलू उपजाने वाले अन्य क्षेत्रों में कृषकों के लिए मूल्य अलाभकारी हो जायें। परन्तु महोदय, हमें इसके बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयत्न करना पड़ता है। कृषकों को भी यह नहीं सोचना चाहिए कि चाहे बाजार उस वस्तु से भरा पड़ा रहे और उन्हें प्याज उगाना ही सबसे अधिक लाभकारी रहे तो वे प्याज ही उगाते रहेंगे। यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि कम से कम जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं का इतनी मात्रा में उत्पादन न किया जायें जिनकी न तो खपत हो सके और न ही निर्यात किया जा सके। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इस बात को ध्यान में रखें। खाद्यान्नों के बारे में स्थिति बिल्कुल दूसरी है। हम खाद्यान्नों को बहुत बड़ी मात्रा में खरीदना चाहते हैं। महोदय मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि इस बार चावल की खरीद से मैं बहुत संतुष्ट नहीं हू। पिछले वर्ष लगभग 420 लाख टन चावल का उत्पादन हुआ-धान का नहीं और इसमें से हमने लगभग 40 लाख टन चावल खरीदा। इस वर्ष हम आशा करते हैं कि चावल की फसल लगभग 560 लाख टन होगी। पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 140 लाख टन अतिरिक्त फसल होगी परन्तु इसके बावजूद हम 50 लाख टन की भी वसूली नहीं की है।

एक माननीय सदस्य : आपके अनुसार इसका क्या कारण है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : हमारी कुल खरीद 45 लाख टन है।

श्री मुकुन्द मंडल (मथुरापुर) : भारतीय खाद्य निगम काम नहीं कर रहा है।

राव बीरेन्द्र सिंह : भारतीय खाद्य निगम हर जगह काम कर रहा है। मैं राज्यों से अनुरोध करता हूं कि वे सहयोग दें। मैं आपको कारण बताता हूं जैसा कि माननीय सदस्य ने जानना चाहा। यह इसलिए है कि भारत सरकार ने धान का मूल्य 105 रु० तय किया था। कुछ राज्यों ने प्रति क्विंटल 10 रुपये या 15 रुपए अपनी ओर से ही बढ़ा दिया, इसी कारण उन्होंने उस मूल्य पर कोई खरीद नहीं की है।

प्रो० एन. जी. रंगा (गुंटूर) : यह अच्छा हुआ है।

राव बीरेन्द्र सिंह : श्री रंगा यह अच्छा नहीं हुआ है। यह अच्छा तब होता यदि उन्होंने यह मूल्य दे कर उस मूल्य पर चावल और धान खरीदा होता। इसका नतीजा यह हुआ कि कृषक भारतीय खाद्य निगम को दोष देते हैं कि वह राज्यों द्वारा घोषित मूल्य क्यों नहीं देता और भारतीय खाद्य निगम भारत सरकार और मत्री मंडल के आदेश से अधिक मूल्य नहीं दे सकता। पंजाब और हरियाणा के कृषकों पर भी इसका असर पड़ा है। जाहिर है कि पंजाब और हरियाणा के कृषक सोचेगें कि 'ऐसा क्यों है कि मैं 105 रुपए पर बेच रहा हूं'।

प्रो० एन. जी. रंगा : उन्हें नहीं बेचना चाहिए।

राव बीरेन्द्र सिंह : उन्हें नहीं बेचना चाहिए ? फिर आप खाएंगे क्या ?

प्रो० एन. जी. रंगा : हां उन्हें नहीं बेचना चाहिए ।

राव बीरेन्द्र सिंह : फिर आप देश का पेट कैसे भरेंगे ?

प्रो. एन. जी. रंगा : आप गलत नीति अपनाते हैं ।

राव बीरेन्द्र सिंह : यह आपका मत हो सकता है परन्तु श्री रंगा, यदि हम आपकी नीतियों पर चलने लगें तो शायद हमारे पास कुछ भी न रहे (व्यवधान) । हमें संतुलन बनाए रखना है । हम विचलित होकर नहीं .... (व्यवधान) ।

प्रो० एन. जी. रंगा : आपको उसका लाभ उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए । हम इस स्थिति से आपस में निवट लेंगे । पंजाबी काफी गेहूं पैदा कर लेते हैं । (व्यवधान) ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रंगा यह गैर सरकारी सदस्यों का दिन है । आप अपने निजी विचार भी व्यक्त कर सकते हैं । उसमें कोई हानि नहीं है ।

राव बीरेन्द्र सिंह : इस देश में गेहूं पैदा करने वाले राज्य चावल भी पैदा करते हैं । यह कहना गलत होगा कि देश का दक्षिणी भाग चावल पैदा करने वाला है और उत्तर भाग गेहूं पैदा करने वाला । जो लोग जो देश के लिए चावल पैदा करते हैं वहीं गेहूं भी देते हैं । पिछले वर्ष हमने 58 लाख टन गेंहूं खरीदा । मैं अपने मित्रों को बताना चाहता हूं कि 58 लाख टन में से 42 लाख टन पंजाब से ही मिला । 11 लाख टन हरियाणा से मिला । देश के शेष राज्यों ने क्या दिया ? इस वर्ष 48 लाख टन चावल में से अकेले पंजाब से 24 लाख टन चावल मिला है क्या आप उसे गेहूं पैदा करने वाला राज्य कहेंगे या चावल पैदा करने वाला राज्य ?

प्रो. एन. जी. रंगा : आप चावल बेचते हैं और हम चावल खाते हैं ।

राव बीरेन्द्र सिंह : खैर, आप चावल खाते हैं तो मैं आशा करता हूं ...(व्यवधान) ।

प्रो. एन. जी. रंगा : हमें इस बात पर चर्चा नहीं करनी चाहिए ।

राव वीरेन्द्र सिंह : मैं तो आपसे यही अनुरोध कर रहा हूं कि आप चावल खाते रहिए तो हमें आराम रहेगा । अगर आप चावल खाते हैं तो हम खुश हैं । चावल खाते रहिए । फिर गेहूं मत मांगिएगा । फिर हम चैन से रहेंगे ।

राज्यों को उनकी पैदावार के आधार पर दक्षिण और उत्तर, पूर्व और पश्चिम कहकर अलग-अलग मानना गलत है । कुछ माननीय सदस्य भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए भिन्न-भिन्न मूल्यों

की मांग करने लगते हैं। केन्द्रीय एजेन्सी के लिए यह कैसे सम्भव है कि किसी एक वस्तु को पूरे देश से खरीद कर वह विभिन्न राज्यों के विभिन्न संगठनों द्वारा लगाये गये अलग-अलग हिसाब के आधार पर भेदक मूल्य का भुगतान करे। उत्पादन लागत के बारे में तो ऐसा है। यह सम्भव नहीं, क्योंकि यह स्थिति जिलों, खेतों और गांवों में भी पैदा हो जायेगी। (व्यवधान)।

प्रो० एन० जी० रंगा : हमें इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं नहीं जानता आप किस बात पर चर्चा करना चाहते हैं। आप मुझे बतायें तो सही मैं उसी पर बात करता हूं···(व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। (व्यवधान)।

राव बीरेन्द्र सिंह : निवेश, उचित मूल्यों पर कृषकों को सप्लाई, कृषकों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना, आई. आर. डी.; एस. एफ. बी. ए. मरुस्थल क्षेत्र कार्यक्रम, सूखाप्रवण क्षेत्र कार्यक्रम जैसे हमारे विकास कार्यक्रमों के माध्यम से गांवों में रहने वाले लोगों की दशा सुधारने के लिए हम उन पर बहुत खर्च कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले निर्धन वर्ग के लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाना है। मैंने अनेक बार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का विवरण दिया है। मैं उस पर और समय नहीं लूंगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि सरकार कृषि क्षेत्र की आवश्यकताओं से भली-भांति परिचित है। इस बार हमने अपनी योजना में उसे बहुत उच्च प्राथमिकता दी है। कृषि, ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई के लिए सबसे अधिक नियतन किया जायेगा। इसलिए मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वे सभा में इस संकल्प पर जोर न दें।

श्री मुकुन्द मंडल : कृषि श्रमिकों के न्यूनतम वेतन के बारे में आपका क्या विचार है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : राज्यों में कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित कर दिया गया है। अलग-अलग स्थानों पर इस बारे में अधिनियम बनाये गए हैं। आप मुझसे क्या कहलवाना चाहते हैं ?

श्री मुकुन्द मंडल : उन्हें लागू नहीं किया जा रहा है।

राव बीरेन्द्र सिंह : जहां भी उन्हें लागू नहीं किया गया है मैं उन राज्यों से उन्हें लागू करने के लिए कहूंगा।

कृषि श्रमिकों और भूमिहीन लोगों के प्रति सरकार की पूरी सहानुभूति है। हम भूमि सुधार कार्यक्रमों को तेजी से आगे बढ़ाने और उनके रास्ते से आने वाली रुकावटों को दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम कृषि श्रमिकों को भी ऊपर उठाना चाहते हैं क्योंकि इन कृषि श्रमिकों के बिना भारत में कृषि नहीं हो सकती। इसलिए हम उन पर अधिक ध्यान देते हैं। हम समझते

हैं कि ग्रामीण कृषकों का अधिक अधिकार है और कृषि क्षेत्र कृषि श्रमिक सबसे अधिक गरीब वर्ग में आते हैं उन पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। इसमें कोई सन्देह नहीं है। इस बारे में हमें कोई भ्रम नहीं है। सरकार इस बारे में किसी भी सुझाव पर पूरी तरह विचार करेगी। हम आशा करते हैं कि हमारी नीतियों से कृषि क्षेत्र में निरन्तर विकास होता रहेगा, क्योंकि भारत कृषि और कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रगण्य देशों में एक देश है। हमारी तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या और विश्व की दूसरे स्थान पर सबसे बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद सौभाग्य से हम बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा कर पा रहे हैं और अन्य जरूरतमन्द देशों को भी निर्यात करने के लिए कुछ अतिरिक्त खाद्यान्न जुटा लेते हैं।

मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इसे समझेंगे और सरकार को बढ़ावा देंगे तथा कृषकों की मदद करने में सरकार को सहयोग देंगे।

श्री बाला साहिब विखे पाटिल (कोपरगांव) : कृषि मूल्य आयोग में बारानी खेती के कृषकों का भी एक प्रतिनिधि होना चाहिए ताकि मूल्य सम्बन्धी नीति बनाते समय बारानी खेती भी ध्यान में रहे।

राव बीरेन्द्र सिंह : हम कृषि मूल्य आयोग पर अनेक बार चर्चा कर चुके हैं। फिलहाल कृषि मूल्य आयोग में कृषकों का केवल एक प्रतिनिधि है परन्तु इस सभा में सुझाव दिया गया है कि कृषि मूल्य आयोग के सदस्यों की संख्या बढ़ानी चाहिए। यह भी सुझाव दिए गए हैं कि इस में कम से कम एक सदस्य दक्षिणी भारत से होना चाहिए। इस सब को नोट कर लिया गया है। अब हम देखेंगे कि इसके बारे में क्या किया जा सकता है। इसके साथ ही हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि हम जब भी सदस्यों की संख्या बढ़ायें तो बारानी खेती के क्षेत्रों का प्रतिनिधि भी उसमें हो। परन्तु किसी राज्य में ऐसा कोई स्थान नहीं होता जहां सारा क्षेत्र या तो सूखा हो या फिर सारे क्षेत्र में सिंचाई सुविधा हो। इसलिए खेती तो खेती ही है।

श्री बाला साहिब विखे पाटिल : आर्थिक स्थिति में अन्तर होता है।

राव बीरेन्द्र सिंह : प्रत्येक कृषक की भूमि में कुछ हिस्सा सूखा होता है और कुछ हिस्से में सिंचाई सुविधा होती है। इसलिए इस बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० सत्यदेव सिन्हा, वे यहां नहीं हैं अब, पहले, सभा के मतदान के लिए संशोधन प्रस्तुत करता हूं। श्री आर. के. महालगी, वे भी यहां नहीं हैं। मैं श्री आर. के. महालगी द्वारा संकल्प में किए गए संशोधन सभा के मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं।

संशोधन सभा के मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बापू साहिब परुलेकर यहां नहीं हैं। मैं श्री बापू साहिब परुलेकर द्वारा संकल्प में जिए गए संशोधन सभा के मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं :

संशोधन सभा के मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं संकल्प सभा के मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि इस बात को देखते हुए कि देश की जनसंख्या का लगभग तीन चौथाई भाग कृषि पर निर्भर है और उसकी देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका है, यह सभा सरकार से सिफारिश करती है कि वह उर्वरकों, बीजों और कृषि उपकरणों के मूल्यों को कम करके, सिंचाई सुविधायें प्रदान करके, किसानों को आधुनिकतम खेती के तरीकों से अवगत कराकर उनकी उपज के लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करके तथा फसल और पशु बीमा योजनायें आरम्भ करके उन्हें उचित प्रोत्साहन दे ताकि खाद्य उत्पादन में वृद्धि हो सके ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

शिक्षित युवकों में व्याप्त बेरोजगारी को समस्या का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन करने सम्बन्धी संकल्प

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मूल चन्द वर्मा 12 घंटे का समय नियत किया गया है ।

श्री फूलचन्द वर्मा : (शाजापूर) मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली युवा-वर्ग की जीवन की चुनौतियों का मुकाबला करने योग्य नहीं बनाती, सम्पूर्ण आयोजन प्रक्रिया हमारी युवा शक्ति को रचनात्मक क्षेत्रों में सक्रिय बनाने में विफल रही है और छठी योजना अवधि में शिक्षित युवा वर्ग को रोजगार दिलाने के लिये दिशा निर्देश नहीं दिया गया है, यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह शिक्षित युवा वर्ग में व्याप्त बेरोजगारी की समस्या हल करने के लिए छः मास की अवधि में उपयुक्त उपाय ढूंढ कर उनका सुझाव देने के लिये एक राष्ट्रीय युवा आयोग का तुरन्त गठन करे ।"

उपाध्यक्ष महोदय, यह सर्वविदित ही है कि हमारे देश में जो आज बेरोगजारी की समस्या है, यह आजादी के समय से ही है किन्तु आजादी के बाद हमने आशा की थी कि विकास योजनाओं के माध्यम से गुणात्मक परिवर्तन आयेगा और हम इस समस्या पर काबू पा लेंगे । लेकिन ऐसा

हुआ नहीं दुर्भाग्य से पिछले 32 सालों के दौरान जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं बनी वे पंचवर्षीय योजनाएं इस समस्या को हल करने में समर्थ नहीं हुई और बेरोजगारी के आंकड़े सुरसा की तरह बढ़ते जा रहे हैं। आज रोजगार के अभाव में पढ़े-लिखे नौजवान सड़कों पर चप्पलें चटखाते हुए घूम रहे हैं।

वह दर-दर की ठोकरें खा रहा है, उसका असंतोष बढ़ रहा है और इस असंतोष की बढ़ोतरी से एक ऐसी स्थिति आ गई है कि वह किंकर्तव्यविमूढ़ हो गया है और यह स्थिति देश के विकास के लिए और प्रजातंत्र के लिए खतरनाक हो सकती है। रोजगार कार्यालयों में पंजीयन कराने वाले जो शिक्षित बेरोजगार हैं, उनकी बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए हमें यह मानना पड़ेगा कि विकास योजनाओं और उनकी संभावनाओं के बारे में सरकार जो बार-बार दावा करती है वह दावा खोखला है। वर्ष 1980 के जून माह में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या और पूर्व वर्ष के इसी माह में पंजीयत शिक्षत बेरोजगारों की संख्या में काफी अन्तर है। इनकी संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री द्वारा बार-बार यह दावा किया जाता है कि अर्थ व्यवस्था सुधर रही है, लेकिन किस परिमाण में सुधर रही है, उसकी मात्रा क्या है, इसकी गति क्या है, इसकी कोई सूचना सरकार के पास उपलब्ध नहीं है जब तक विकास की दर 10 प्रतिशत नहीं हो पाती है तब तक हम शिक्षित बेरोजगारों को काम नहीं दे पाएंगे, किन्तु आज अनुमान, अनुभव एवं हालत यह बताती है कि ऐसा होना संभव नहीं है और न ही विकास की दर 10 प्रतिशत या इससे ऊपर जाएगी। जब तक आर्थिक चिंतन एवं उसके तौर-तरीके में आमूल-चूल परिवर्तन नहीं किया जाता, तब तक पूर्ण रोजगार की संभावना या जो लक्ष्य रखे गए हैं वे मृग मरीचिका के समान ही आगे भागते जाएंगे और हम से दूर होते जाएंगे। सरकारी आंकड़े जो शिक्षित बेरोजगारों के बारे में दिए जाते हैं, वे विश्वसनीय नहीं हैं और उसका कारण यह है कि जो पढ़े-लिखे नौजवान हैं वे तो रोजगार कार्यालयों में जाकर नाम दर्ज करवा आते हैं और वही आंकड़े सरकार के पास हैं, लेकिन देहात में, कस्बे में जो नौजवान हैं, जो अंप्लाएमेंट-एक्सचेंज में नाम नहीं लिखाते हैं, वे आंकड़े सरकार के पास नहीं हैं और यही कारण है कि आर्थिक विशेषज्ञों के और सरकार के अनुभव काफी भिन्न हैं मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यदि हम इस दर को भी सही मान लें जो कि नेशनल सर्वे 1977-78 में दी गई है तब भी 28 प्रतिशत साक्षरता वाले हमारे देश के अंदर 25-30 लाख शिक्षित बेरोजगार हैं और यह अपने आप में एक गंभीर चिंता का विषय है। पिछले योजना-आयोग द्वारा यह संख्या सन् 1983 में 90 लाख तक पहुंच जाएगी, यह पिछले योजना आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है। इससे यह तथ्य उजागर होता है कि औद्योगिक प्रसार और आर्थिक विकास की स्थापना में कहीं न कहीं कोई बड़ी त्रुटि अवश्य है। शुरू से लेकर आज तक इसकी तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया गया और न ही कोई ढंग से प्लानिंग की गई। विशेषज्ञों की राय है कि जनसंख्या की बढ़ती हुई तीव्र गति को देखते हुए, जबकि हिन्दुस्तान में 33000 बच्चे प्रतिदिन जन्म लेते हैं तो यदि यह कहा जाए कि भारत में प्रतिवर्ष एक आस्ट्रेलिया जन्म लेता है तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे देश में लगभग 1 करोड़ 2 लाख जनसंख्या प्रतिवर्ष बढ़ जाती है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिवर्ष 35 लाख लोगों को रोजगार देने की

आवश्यकता होगी, रोजगार के अवसर सुलभ कराने की आवश्कता होगी। विडम्बना यह है कि एक ओर लोगों को रोजगार नही मिल रहा है और दूसरी ओर इंजीनियर सड़कों पर मारे-मारे फिर रहे हैं, लाखों लोग देश में बिना मकानों के रह रहे हैं, हजारों की संख्या में डाक्टक बेकार हैं। 13,700 डाक्टर देश में बेकार हैं। इंजिनियर 19500 बेकार हैं। हैं। ये 30 जून 1980 के आंकड़े हैं। एम० डी० और एम० एस० 1500 बेकार है। इंजिनियर 19500 बेकार है। उच्च शिक्षा प्राप्त इंजिनियर 400 बेकार हैं। एक ओर इंजीनियर डाक्टर बेकार हैं और दूसरी ओर लाखों लोगों को सिर छिपाने तक के लिए मकान नहीं है। लाखों करोड़ों लोगों को इलाज की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

दो तिहाई संख्या देश की अशिक्षित है इन्हें शिक्षित करने के लिए आपको प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या में वृद्धि करनी पड़ेगी क्या यह सब सरकार की अव्यवस्थित योजना एवं नियोजित अर्थव्यवस्था का दुष्परिणाम नहीं है ?

एम्प्लायमैंट एक्सचेजिज में शिक्षित बेरोजगारों के आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उससे आपको पता चल जाएगा कि शिक्षित बेरोजगारों की समस्या कितनी भयंकरतम है। आंकडों के अनुसार देश में मार्च 1971 में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 42.2 लाख थी। यह संख्या जून 1977 में बढ़ कर 1 करोड़ 24 लाख हो गई। इस प्रकार शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में—14.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। गैर सरकारी आंकड़े तो चौंका देने वाले हैं। उनके अनुसार 2 करोड़ 50 लाख शिक्षित बेरोजगार हैं। इसकी तुलना में अमरीका में इनकी संख्या 5.2 प्रतिशत है, यू० के में 3.3 प्रतिशत तथा जापान में 1.3 प्रतिश। केवल 196 / में छः महीनों के अन्दर 6.2 लाख नवयुवकों ने अपने नाम पंजीकृत कराए। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि देश में यह समस्या कितना विकराल रूप दिन प्रति दिन धारण करती जा रही है।

सदन में केन्द्रीय श्रम मंत्री ने 3 जुलाई 1980 को कहा था कि अप्रैल 1980 के अन्त में 1 करोड़ 48 लाख 43 हजार बेरोजगार है। यदि वर्षवार इन आंकड़ों को देखें तो आपको पता चलेगा कि इन में निरंतर वृद्धि होती गई है। जून 1978 में यह संख्या बढ़ कर 1 करोड़ 37 लाख हो गई। दिसम्बर 1979 में 1 करोड़ 43 लाख हो गई जिस में पुरुषों की संख्या 1 करोड़ 24 लाख थी और महिलाओं की 19 लाख। इसी प्रकार 30 जून 1980 को मैट्रिक पास 42 लाख 22 हजार लोग बेरोजगार थे और हायर सैकेन्डरी, इंटरमिडिएट 19 लाख 82 हजार लोग बेरोजगार थे। ग्रेजुएट 13 लाख 43 हजार 8 सौ बेकार थे। इंजीनियर 19500 और डाक्टर 13700 बेकार थे। पोस्ट ग्रेजुएट 9 लाख 14 हजार बेकार थे। एम० डी० और एम० एस० मैं अभी बता चुका हूं 1500 बेकार थे। उच्च शिक्षा प्राप्त इंजीनियर 400 बेकार थे।

उपाध्यक्ष महोदय, यह विडम्बना है कि इतने बड़े देश के अन्दर एम.डी., एम. एस., इंजीनियर और उच्च शिक्षा प्राप्त लोग बेकार हैं। इस देश का भगवान ही मालिक है मंत्री जी मेरे आंकड़ों को नोट करलें, राज्यों में शिक्षित बेकारों की क्या संख्या है वह भी मैं बता रहा

हूं। राज्यों में सबसे अधिक शिक्षित बेरोजगार अगर कहीं हैं तो वेस्ट बंगाल में हैं, वहां पर 21 लाख 99 हजार शिक्षित बेरोजगार हैं। बिहार में 21 लाख 69 हजार, यू० पी० में 13 लाख, आंध्र में 12. 98 लाख, केरल में 12.75 लाख, महाराष्ट्र में 11.23 लाख, तमिलनाडु में 11 लाख, असम में 3.27 लाख, गुजरात में 4. 36 लाख, हरियाणा में 3.29 लाख, जम्मू-कश्मीर में 54 हजार, कर्नाटक में 5.60 लाख, मध्य प्रदेश में 7,71 लाख, मणिपुर में 85 हजार, मेघालय में 10 हजार, नागालैंड में 4 हजार, उड़ीसा में 4.32 लाख, पंजाब में 4.14 लाख, राजस्थान में 3.32 लाख त्रिपुरा में 68 हजार।

इसी प्रकार केन्द्र शासित प्रदेशों के आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं, यह आंकड़े सब में शिक्षित बेरोजगारों के दे रहा हूं। दिल्ली में 2.92 लाख, चंडीगढ़ में 56 हजार, पांडिचेरी में 34 हजार, अन्डमान निकोबार द्वीपसमूह में 8 हजार, गोआ में 27 हजार, लक्षद्वीप समूह में 42 हजार और मीजोरम में 17 हजार।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं वह निश्चित रूप से यह बताते हैं कि हमारी योजना और जो विकास का क्रम है उसमें कोई भयंकर त्रुटि है जिससे बेरोजगारी के आंकड़े भयंकर रूप से बढ़ते जा रहे हैं और सरकार की सारी योजनाओं के बावजूद बेकारी की समस्या को कम करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए मैं मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं, अगर वह उन पर अमल करेंगे तो इस देश की भयंकर बेकारी की समस्या को हल करने में मदद मिलेगी। शिक्षित बेरोजगारों की समस्या राष्ट्रीय समस्या के समान है, इसको हल करने के लिए निम्नलिखित सुझाव देता हूं:

देश में शिक्षित बेरोजगारों की समस्या को हल करने के लिए 6 माह की अवधि में उपयुक्त उपाय ढूंढ़ने के लिए एक राष्ट्रीय युवा आयोग का तुरन्त गठन किया जाय। इसी प्रकार से नागरिकों के काम के अधिकार को संविधान में मौलिक अधिकारों में शामिल किया जाय जिससे प्रत्येक व्यक्ति को काम की गारंटी मिल सके। यह सवाल हमने इस सदन में बार-बार उठाया है बेरोजगार व्यक्ति को जब तक उसके योग्य काम का प्रबंध नहीं हो जाता तब तक उसे बेकारी भत्ता दिया जाय।

मध्य प्रदेश में हमने इस प्रकार का प्रयास किया था लेकिन···।

(श्री चिंतामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)।

लेकिन लोक सभा के चुनाव के बाद केन्द्र में कांग्रेस की सरकार सत्तारूढ़ हुई और उसने बदनीयती से मध्य प्रदेश में सरकार को बर्खास्त कर दिया, नहीं तो बेकारी का भत्ता शिक्षित बेरोजगारों को देने का जो निश्चय किया गया था, वह निश्चित रूप से उन्हें दे देते।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत : कहते ही कहते रहे।

श्री फूल चन्द वर्मा : हमारे ढाई साल इसमें से निकाल दीजिए, लेकिन जो 33 साल तक नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी का राज था, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। लेकिन मैं केवल इंदिरा जी को ही दोष नहीं दे रहा हूं।

मेरा अगला सुझाव है कि देश के अन्दर प्रत्येक ब्लाक स्तर पर रोजगार कार्यालयों की शाखाओं की स्थापना की जाये। इसका एक लाभ यह होगा कि देश के अन्दर जो एक बहुत बड़ी 80 फीसदी आबादी देहातों में रहती है, देहातों के पढ़े-लिखे नवयुवक शहरों में आकर रोजगार कार्यालयों में नाम नहीं लिखाते, अगर देहात में रोजगार कार्यालय की स्थापना हो गई तो वहां नौजवान लोग अपना नाम लिखा सकेंगे और बेरोजगारी के सही आंकड़े हमारी सरकार को मिल सकेंगे। अभी जो सरकारी आंकड़े दिये गए हैं, मैं समझता हूं कि यह झूटे आंकड़े हैं। अगर ब्लाक स्तर पर एम्पलायमेंट एक्सचेंज की स्थापना की जाएगी तो सही आंकड़े इस देश, सदन और जनता के सामने आयेंगे।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत : वह शाखाएं तो नहीं हैं जिसमें आप जांघिया पहनकर जाते हैं ?

श्री फूल चन्द्र वर्मा : आप उस शाखा में चले जाते तो आपका जीवन सुधर जाता, फिर आप इन्दिरा जी की जी-हजूरी नहीं करते ।

सरकार को बेकारी की समस्या हल करने हेतु एक स्पष्ट रोजगार नीति बनानी चाहिए, वर्तमान शिक्षा प्रणाली को रोजगार से सम्बद्ध करना चाहिए जिससे व्यक्ति को शिक्षा के दौरान, किस व्यवसाय में उसे जाना है, उसकी वह शिक्षा दे सके।

बड़े उद्योगों के स्थान पर लघु उद्योगों का भारी मात्रा में प्रचलन किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक योजना का भी विस्तार करना चाहिए। सभी राज्यों में बेसिक शिक्षा आवश्यक बनाने की दृष्टि से प्राइमरी विद्यालय खोलने चाहिएं, बड़े उद्योगों के साथ उनके साथ चलने वाली एन्सीलरीज को सुविधाएं देनी चाहिएं। उत्पादन में क्रमबद्धता लानी चाहिए। रोड रेल, विद्युतीकरण, समुद्र और वायु परिवहन की सुविधाओं को ठीक किया जाना चाहिए। हैंडी क्राफ्ट्स आदि का कार्य अगर हमने बड़ी संख्या में शुरू किया तो लोगों को उसमें बड़ी संख्या में लगाया जा सकेगा।

हरित क्रांति का नारा हमारी प्रधान मंत्री और हमारे कांग्रेस के भाई बड़े जोर से लगाते हैं लेकिन अभी यहां कृषि मंत्री महोदय अपना भाषण कर रहे थे, वह यह गुणगान कर रहे थे, कि हमने क्या किया है, लेकिन मैंने उनके बीच में इन्टरवीन भी किया था, उन्हें केवल आत्म स्तुति के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। जनता पार्टी ने जो काम किये भी हैं, उसमें सारी बुराई ही बुराई उन्हें दिखाई देती है। मेरा दावा है कि इस देश के अन्दर इन 33 सालों के अन्दर जो काम हुआ है, उसके मुकाबले ढाई साल के जनता पार्टी के शासन में,

चाहे वह केन्द्र में रही हो, या प्रान्त में रही हो, गावों के लिए जितना काम हुआ है, आज तक उतना कभी नहीं हुआ ।

श्री नवल किशोर शर्मा : इसीलिए गांव वालों ने आपको हरा दिया ।

श्री फूलचन्द वर्मा : यह आपके नम्बर 2 के पैसे ने हराया है । हरित क्रांति का जो नारा दिया गया था वह भोले भाले काश्तकारों को गुमराह करने के लिए दिया गया था । आज काश्तकारों की स्थित्ति यह है, उनका दुर्भाग्य है कि वे संगठित नहीं हो सकते है, वे गांवों में रहते हैं, अभी राव बीरेन्द्र सिंह चर्चा कर रहे थे कि 40-50 लाख किसान रैली के अन्दर आए, मैं बड़ी जवाबदारी के साथ आप से निवेदन करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अन्दर से जो काश्तकार यहां पर आए उसमें, काश्तकार मुश्किल से 20 परसेंट भी नहीं होंगे । सारे शहर के लोगों को आने जाने का किराया देकर और पचास-पचास रुपया देकर इस रैली में भीड़ इकट्ठी करने के लिए बुलाया गया था । इस तरह से ये चालीस पचास लाख लोग इकट्ठे किए गए । अभी भी लोग घर नहीं पहुंचे हैं ····(व्यवधान) ··· गुंडूराव जी का घेराव हुआ, यह भूले नहीं होंगे आप । ···(व्यवधान) ··· मैं हरित क्रांति की बात कर रहा था । मैं यह चाहता हूं कि अगर इस नारे को सफल करना है तो हमें किसानों के लिए बीज, खाद, कृषि सम्बन्धी दवाइयों का प्रसार, प्रचार और प्रयोग करने के लिए व्यापक रूप से लोगों को लगाने की योजना बनानी चाहिए । अगर हम ने इसमें लोगों को लगाया तो इस से एक ओर पैदावार बढ़ेगी, मंहगाई पर रोक लगेगा और शिक्षित बेरोजगारों को उसमें काम मिलेगा ।

अगला सुझाव मेरा यह है कि विदेशों में जो भारतीय जाते हैं, वह आपको मालूम है, ट्रैवेल एजेंसीज उनको व्लैकमेल करके और नौकरियों का लालच देकर ले जाती हैं, लेकिन आज वहां वे किस स्थिति में हैं, यह बताने की आवश्यकता नहीं है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि विदेशों में भारतीय एम्पलायमैंट एक्सचेंजों की स्थापना की जाय और उनके माध्यम से वहां उनको एम्पलायमेंट दिया जाय, इन से उन को सहयोग मिले तो इसका निश्चित रूप से हमें एक फायदा यह मिलेगा कि उनका वहां पर शोषण नहीं होगा और वे शोषण से बच सकेंगे ।

अन्त में मैं कहूंगा कि बेरोजगारों की समस्या हल करने के लिए आवश्यकता तो इस बात की है कि सरकार गम्भीरतापूर्वक विकास कार्यक्रम और आर्थिक नीति के विकेन्द्रीकरण की जो प्रक्रिया है उस को ऐसा रूप दे जिससे कि शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार की अधिक से अधिक गुंजाइश हो सके । इसके लिए वर्तमान शिक्षा पद्धति को देश की आवश्यकता के अनुरूप ढालना होगा ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करने से पूर्व एक यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस देश के अन्दर यदि सरकार शिक्षित बेरोजगारी की बेकारी को दूर करना चाहती है तो उसे निश्चित रूप से इस प्रकार की योजनाओं के अन्दर बिकास के साधन जुटाने पड़ेंगे और जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं उनकी सलाह को मद्देनजर रखकर एक ऐसी योजना बनानी पड़ेगी जिससे

कि इस देश की बेकारी को आने वाले समय में अच्छे ढंग से सुलझाया जा सके। इसी भावना के वशीभूत होकर मैंने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मन्त्री महोदय मेरे इस प्रस्ताव पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे और राष्ट्रीय युवा आयोग के गठन के बारे में इस सदन के अन्दर घोषणा करेंगे। आपको मैं धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली युवा-वर्ग को जीवन की चुनौतियों का मुकाबला करने योग्य नहीं बनाती, सम्पूर्ण आयोजन प्रक्रिया हमारी युवा शक्ति को रचनात्मक क्षेत्रों से सक्रिय बनाने में विफल रही है और छठी योजना अवधि में शिक्षित युवा-वर्ग को रोजगार दिलाने के लिए दिशा निर्देश नहीं दिया गया है; यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह शिक्षित युवा वर्ग में व्याप्त बेरोजगारी की समस्या हल करने के लिए छः मास की अवधि में उपयुक्त उपाय ढूंढ कर उनका सुझाव देने के लिए एक राष्ट्रीय युवा आयोग का तुरन्त गठन करे।"

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि संकल्प में,—

(एक) "कि वर्तमान" के पश्चात् "दोषपूर्ण एवं अव्यवहारिक" अन्तःस्थापित किया जाए।

(दो) "योग्य नहीं बनाती" के पश्चात् "तथा" अन्तःस्थापित किया जाये।

(तीन) "युवा वर्ग में व्याप्त" के पश्चात् "भयंकर रूप से फैली हुई" अन्तः स्थापित किया जाये।

श्री मुकुन्द मंडल (मथुरापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि संकल्प में,—

"आग्रह करती है कि वह" के पश्चात् "देश के प्रत्येक शिक्षित बेरोजगार युवा को 100 रुपए मासिक बेरोजगारी भत्ता देने सहित" अन्तः स्थापित किया जाये।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, मेरा यह कहना है कि संविधान के निदेश का सिद्धान्तन् में जो आर्टिकल दिया हुआ है, आर्टिकल 41, उसमें यह कहा है ;—

"राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के तथा बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अन्य अनर्ह अभाव की दिशाओं में सार्वजनिक सहायता पाने के, अधिकार को प्राप्त कराने का कार्यसाधक उपन्बध करेगा"।

आर्टिकल 41 की मन्शा और भावना का स्वागत तो हर एक व्यक्ति करता है। आज-कल बड़े-बड़े शिक्षा-शास्त्री, अर्थ-शास्त्री, विद्वान और मिश्र जी जैसे हमारे नेता हिन्दुस्तान के भविष्य के बारे में बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। मैं बीस साल से एक बात सुनता आ रहा हूं कि शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन करना चाहिए। "आमूल और चूल" क्या है, भगवान, जाने। सब ने एक शब्द रट लिया है: आमूल-चूल परिवर्तन। लेकिन यह करेगा कौन? डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन्, और उनके बाद सभी शिक्षा-शास्त्रियों, ने कहा है कि शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन करना चाहिए। लेकिन भगवान, जानता है कि देश में इतनी योजनायें लागू होने के बाद भी आज तक एजूकेशन में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है। शायद शिक्षा राज्य-मन्त्री किसी परिवर्तन की घोषणा करें।

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : जवाब स्टेट मिनिस्टर आफ लेबर देंगी, मैं नहीं दूंगी।

श्री मूलचन्द डागा : शिक्षा और रोजगार के विषय एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इस लिए ये दोनों एक जगह बैठ कर, विचार करके, उत्तर दे दें।

इस समय हाउस में जैसी उपस्थिति है, वह हम देख रहे हैं। लेकिन सौभाग्य की बात है कि एक बड़े विद्वान कुर्सी पर आसीन हैं। इसलिए यह अच्छा मौका है कि हम आपके सामने कोई बात कहें। शायद उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ जाये।

श्री फूलचन्द वर्मा : क्या उपस्थिति बढ़ाने के लिए मैं क्वोरम का प्रश्न उठाऊं?

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : मि० चेयरमैन, जब क्वोरम की बात रिकार्ड पर आ गई है ....।

सभापति महोदय : नहीं आई है। उन्होंने रेज नहीं किया है।

श्री फूलचन्द वर्मा : मैंने उठाई है।

श्री मूलचन्द डागा : लोग युवकों को कहते हैं कि तुम देश की आशा हो, देश का भविष्य तुम्हारे हाथों में है, सारे देश का भाग्य तुम्हारे हाथों में है। शिक्षा-शास्त्री या रोजगार मन्त्री जब युवकों में भाषण देने जायेंगे, तो कहेंगे कि सारे हिन्दुस्तान का जीवन और हिन्दुस्तान का भविष्य आपके हाथों में है।

एक माननीय सदस्य : आप भी वही कहते है।

श्री मूलचन्द डागा : जो युवक जिन्दगी में निराश हो चुके हैं, जिनमें निराशा और नाउम्मीदी व्याप्त है, जो हताश हो चुके हैं, उनके हाथों में हिन्दुस्तान का भविष्य कैसे अच्छा रहेगा? यह एक बड़ा गम्भीर प्रश्न है।

देश के लिए बकारी एक अभिशाप है और अगर हम लोगों ने इस अभिशाप का मुकाबला न किया, तो मैं नहीं कह सकता हूं कि हमारे देश का भविष्य क्या होगा। हमारे कानून मन्त्री भी आ गए हैं। कांस्ट्रीट्यूशन में हर एक आदमी को काम का अधिकार दिया गया है। वह अच्छी तरह से जानते हैं कि बेकारी एक अभिशाप है हिन्दुस्तान के लिए। अगर उन्होंने इस अभिशाप से बचने का कोई रास्ता नहीं निकाला, और बेकार लोगों की जो विशाल फौज तैयार हो रही है, उसको काम न दिया, तो देश में एक गम्भीर स्थिति पैदा हो जायेगी।

माता-पिता अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा अपने बच्चों की शिक्षा के लिए लगाते हैं। उसके बाद जब युवक जीवन की ड्योढ़ी में प्रवेश करता है, तो उसे निराशा और नाउम्मीदी मिलती है। ऐसे देश का भविष्य कितना उज्वल होगा, इस बात पर गम्भीरता से विचार करना होगा।

इसलिए जो संकल्प सदन में रखा गया है, उस पर गहराई से चिन्तन करने की आवश्यकता है। भारत सरकार के जितने मन्त्री बैठे हुए है, उनसे पूछिए कि उनके पास रोज जो सौ, डेढ़ सौ और दो सौ चिट्ठियां आती हैं, उनमें से कितनी बेकार लोगों की होती हैं। वे कहते हैं कि आत्महत्या कर लेंगे। आज हिन्दुस्तान में कई आत्महत्यायें होने का एक ही कारण है और वह है बेकारी। देहात में जो घटनायें होती हैं, उसका कारण है बेकारी। अपराध जो पढ़े-लिखे लोग करने लगे हैं, उसका कारण बेकारी है। यानि कि हमारी शिक्षा जाब-ओरिएन्टेड नहीं है। जब किसी से पूछा जाता है कि क्या कर रहे हो, तो जवाब मिलता है कि मैं आगे पढ़ रहा हूं, कालेज में इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे अपना समय गुजारना है। पन्द्रह साल मेहनत करने के बाद जब कालेज से बाहर निकलते हैं, तो वे अपने भविष्य को नहीं बना सकते, अपने भविष्य को नहीं निखार सकते, अपने भविष्य को सुन्दर नहीं बना सकते, क्योंकि हमारी शिक्षा जाव-ओरिएन्टेड नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि आदमी को पढ़ना नहीं चाहिए, शिक्षा तो आदमी के जीवन भर चलती हैं, जब तक आदमी संसार से उठ नहीं जाता है, तब तक शिक्षा उसके लिए आवश्यक है। अगर वह रोज नई किताब न पढ़े तो सोचना चाहिए कि उसके दिमाग में ताजगी नहीं है, वह बहुत पिछड़ा हुआ है। अभी एक आर्टिकल निकला था, जिसमें यह बताया था कि शिक्षा का, कालेज का डिग्रीज से कोई सम्बन्ध नहीं है। शिक्षा से हमारी मान्यता है कि एक व्यापक जीवन की शिक्षा द्वारा ही हम अपने देश का विकास कर सकते हैं, जिसमें हर एक आदमी उद्देश्यपूर्ण शिक्षा को प्राप्त करे। किसी लड़के से पूछा जाता है कि क्या कर रहे हो, साइन्स कर रहा हूं—देखते हैं क्या होगा, जो होगा सो होगा। जब उसकी नाव समुद्र में जा रही है और उसको मालूम नहीं है कि कहां जा रही है। जिधर हवा का झोका होगा उधर चली गई, तो, उसकी कोई मंजिल नहीं है। शिक्षा-शास्त्री कितने होंगे, जो कि भाषण देते हैं और मैंने एक बात देखी है कि ये शिक्षक यहां पर मन्त्री होकर आते हैं और कई राष्ट्रपति हो जाते हैं, क्योंकि राजनीति में उनको लाभ होता है, और वहां उनका अनादर होता है।

आजकल शिक्षा की हालत यह है कि अगर किसी का सबसे गिरा हुआ स्थान है तो शिक्षक का है। गांवों में पढ़ने वाला लड़का आज केवल चपरासी बन सकता है या क्लर्क बन सकता है,

लेकिन मार्डन स्कूल या पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाला लड़का कलैक्टर या आई० ए० एस० बन सकता है—यह शिक्षा की हालत है। मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि आई० ए० एस० का लड़का आई० ए० एस० बनता है, कलैक्टर का लड़का कलैक्टर बनता है, लेकिन गांवों में पढ़ने वाला लड़का चपरासी या क्लर्क बनेगा या चूंगी चौकी पर बैठेगा। यह शिक्षा कैसी है—न व्यावहारिक है, न रोजगार मूलक है, न आदमी के चरित्र का निर्माण कर सकती है, न आदमी को आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखा सकती है, न देश-प्रेम पैदा करती है। इसलिए यह शिक्षा नहीं है, केवल अक्षर-ज्ञान है, और वह भी अभी पूरा नहीं हुआ है। संविधान में लिखा हुआ है कि छः से ग्यारह साल के बच्चों को कम्पलसरी एजूकेशन दस साल के अन्दर देंगे, लेकिन दस साल बीत जाने के बाद भी वह शिक्षा पूरी नहीं हुई है। इसलिए इन्होने जो आंकड़े बताए थे, वे बिलकुल ठीक हैं और स्टेट-वाइज जो आंकड़ा बताया, उससे यह मालूम होता है कि 1966 से लेकर, जैसी कि मेरे पास फीगर्स हैं, संख्या बढ़ रही है। इनके रोजगार कार्यालयों के रजिस्टर के मुताबिक 1966 में 9 लाख 17 हजार बेरोजगार हैं और आज 1981 है, अब यह तकरीबन एक करोड़ से ऊपर है। अब सवाल यह है कि इसको दूर करने के लिए क्या तरीका निकाला जाए? इसके लिए एक ही तरीका हो सकता है—सबसे पहला काम तो यह किया जाए कि शिक्षा में परिवर्तन किया जाए तथा उद्देश्यपूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि कालिज में भरती हो जाओ, लेकिन उद्देश्य कोई न हो। हर आदमी को ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वह धंधे या रोजगार में लग सके, यदि ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले जमाने में बेकारों की एक बहुत बड़ी फौज खड़ी हो जाएगी और वे कुछ नेताओं के पीछे या राजनीतिक पार्टियों के पीछे नहीं रहेंगे, खुद आगे आजायेंगे। आज देश के अन्दर जो अनुसूचित जातियों के आरक्षण का सवाल है—यह क्यों पैदा हुआ है? आज वे बिना मतलब के झगड़ा कर रहे हैं, बिना कारण के जो हमारी मानी हुई नीति है, हमारे संविधान में जिसका उल्लेख है उसके विरोध में आवाज उठा रहे हैं और वे कुछ लोग अब राजस्थान की तरफ भी आ गए हैं।

इसलिए मैं चाहता हूं कि इस प्रस्ताव पर गम्भीरता से विचार किया जाए, कमीशन बैठाने की बात इन्होंने प्रस्ताव में कही है, लेकिन भाषण में कुछ नहीं कहा है। आज तक कई कमीशन बैठ चुके हैं, इस बात को सब जानते हैं। अन्दर ही अन्दर उपाय कोई नहीं ढूंढता, बातों से सब्ज-बाग दिखाने की कोशिश करते हैं। आजकल चलती का नाम गाड़ी है, हर एक आदमी गाड़ी को चलाता है, अगर हिम्मत करके हम शिक्षा में परिवर्तन करें उसको जाब-ओरिएन्टेड बनायें, तब हम बेकारी को रोकने में मदद कर सकते हैं।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत (अलमोड़ा) : अधिष्ठाता जी, हमारे विद्वान सदस्य ने···।

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : सभापति जी, क्या इधर के बेरोजगारों को भी मौका मिलेगा?

श्री मूल चन्द डागा : इनमें एक ये ब्राह्मण देवता हैं।

सभापति महोदय : आपने नाम नहीं भेजा ।

श्री नवल किशोर शर्मा : बेरोजगारों के रजिस्टर में नाम अपने आप आ जाता है ।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत : रजिस्टर में 8-10 बेरोजगार हैं ।

मैं निवेदन कर रहा था कि माननीय सदस्य ने जो संकल्प यहां पर प्रस्तुत किया है, उसके पक्ष में उन्होंने कई मुल्कों के आंकड़े यहां पर दिए हैं जहां बेरोजगारी है । उनमें उन्होंने उन मुल्कों को भी दर्शाया है जिनको आज डवेलप्ड कन्ट्रीज कहते हैं । जैसे अमरीका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान । यदि उनकी इस बात से ही हम अन्दाज लगायें तो यह बात सिद्ध होती है कि बेरोजगारी आज केवल हमारी ही राष्ट्रीय समस्या नहीं है, यह तो एक अन्तर्राष्ट्रीय समस्या बन कर रह गई है । सारे मुल्कों में, न केवल उन मुल्कों में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम को मानने वाले हैं, बल्कि किसी हद तक उन मुल्कों में भी जो सोशलिस्ट मुल्क हैं बेरोजगारी व्याप्त है । जिसके सम्बन्ध में मेरे दोस्त मंडल साहब अभी आपको बतलाने वाले हैं ।

(श्री हरीनाथ मिश्र पीठासीन हुए)

अब जहां तक हमारे देश का सवाल है, हमने आजादी के बाद इसको एक प्राथमिक समस्या मानकर—हमारे देश के जो योजना बनाने वाले लोग थे, इस देश को चलाने वाले लोग थे, मनीषि थे,—उन्होंने इस पर गम्भीरता से विचार किया और इस बात की कोशिश की गई कि हम कुछ ऐसी रोजगारमूलक योजनायें अपने देश में प्रारम्भ करें ताकि बेरोजगारी की समस्या का कुछ हल निकल सके । पंच वर्षीय योजनाओं के माध्यम से पंडित जी के नेतृत्व में और पंडित जी के बाद श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में इस दिशा में बड़े कारगर कदम उठाये गये । लेकिन जैसा कि सब लोग इस बात को जानते हैं जिस समय हम आजाद हुए उस समय हमारी स्थिति बहुत खराब थी ।

हमारे सामने बहुत सी समस्याएं थीं और जिन कारणों से बेरोजगारी बढ़ती है उस को दूर करने के उपाय किये गये थे लेकिन बेरोजगारी बढ़ती गई क्योंकि वे उपाय उस बेरोजगारी को दूर करने में उतने प्रभावशाली नहीं हो सके जितनी बड़ी बेरोजगारी की समस्या थी इसलिए इस समस्या का एकदम निदान नहीं कर पाए लेकिन सन् 1974 और 1975 में सारे देश में इस दिशा में कारगर कदम उठाए गए । उस समय हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने ऐसे लोगों के लिए ऐसे संसाधन पैदा करने की कोशिश की जिससे उनको रोजगार मिल सके । एप्रेंटिसशिप योजना के माध्यम से बेरोजगारी की समस्या को हल करने की कोशिश की गई । जहां जहां उत्पादन होता है, जिससे हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ती है उन जगहों पर अनुशासन कायम कर के उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की । यह आप सभी जानते हैं कि जब तक देश का उत्पादन नहीं बढ़ेगा और जब तक राष्ट्र की पूंजी नहीं बढ़ेगी, तब तक हम नये संसाधन नहीं खोज सकते और बढ़ती हुई बेरोजगारी को दूर नहीं कर सकते ।

मैं अपने विपक्ष के मित्र से केवल एक बात पूछना चाहता हूं। मुझे उनके संकल्प से कोई एतराज नहीं है, वह एक अच्छा संकल्प है और एक अच्छी समस्या की ओर उन्होंने इस सदन का और सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की है लेकिन केवल इसी से काम नहीं चल सकता। जिस तरीके से हमारा विपक्ष काम कर रहा है, जिस तरह से वे जगह जगह पर वे रेल रोको आंदोलन चला रहे हैं और कहीं पर मिलों में हड़ताल-करो आंदोलन चला रहा है, जिस तरह से वे देश में चक्काजाम कर के जगह जगह हिंसक आन्दोलन चला रहे हैं, इस तरह से जो प्रतिपक्ष काम कर रहा है, क्या इससे राष्ट्रीय आय बढ़ती है और क्या यह एक तरीका हो सकता है बेरोजगारी की समस्या को हल करने का ? यदि वे बेरोजगारी को एक राष्ट्रीय समस्या समझते हैं, तो मैं प्रतिपक्ष से एक अपील करूंगा और विशेष रूप से जार्ज साहब से यह अपील करूंगा कि वे अपने इन तरीकों को, जिनको उन्होंने 1974 के आसपास आजमाया था, उसको त्यागें और इस राष्ट्र के उत्पादन को बढ़ाने में, इस राष्ट्र के अन्दर अधिक पूंजी पैदा करने में सरकार की मदद करें। हमारे कल-कारखाने ठीक से काम करें, हमारे देश के अन्दर सर्वत्र शांति कायम रहे, उसके लिए हमारी सरकार जो कोशिश कर रही है, उसमें ये लोग हमारा हाथ बटाएं। मैं यह नहीं कहता कि विपक्ष हमारी आलोचना न करे। हमारी आलोचना वे जरूर करें लेकिन एक प्रजातांत्रिक तरीके से करें। इस सदन में भी करें और इस सदन के बाहर भी करें लेकिन ऐसे तरीके न अपनाएं कि कहीं रेल की पटरी उखाड़ो और कहीं मिलों के मजदूरों से कहें कि हड़ताल करो। मुझे उम्मीद है कि जार्ज साहब अपने इस भाई की अपील पर ध्यान देंगे और क्योंकि वे मुस्करा रहे हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि मेरी अपील उन पर असर कर रही है।

सभापति महोदय : जार्ज फर्नांडीस साहब का एक दूसरा प्रस्ताव है इस प्रस्ताव के बाद।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत : मैं इसी प्रस्ताव पर बोल रहा हूं और उसकी एक पृष्ठभूमि बता रहा हूं कि किस तरीके से बेरोजगारी की समस्या हल हो सकती है। विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य द्वारा संकल्प प्रस्तुत कर देने से ही यह हल नहीं होगी बल्कि व्यवहारिक तरीके से हमारे साथ सहयोग कर के यह हल हो सकती है।

सभापति महोदय : और भी बोलने वाले हैं, इसलिए आप सूत्र रूप में अपनी बात कह दीजिए।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत : सन् 1977 में लगभग 1 करोड़ लोग इस देश के अन्दर बेरोजगार थे लेकिन 3 साल के बाद और बावजूद इस बात के कि इन के नेता श्री मोरारजी देसाई ने यह कहा था कि हम 10 साल के अन्दर इस देश से बेरोजगारी दूर कर देंगे, इन दो-ढाई सालों में हमारे लिए वे करीब 1 करोड़ 36 लाख या 1 करोड़ 40 लाख बेरोजगार लोगों की लम्बी लिस्ट छोड़ कर गये हैं। बेरोजगारी को दूर करने के लिए जिन योजनाओं का श्री गणेश हमने किया था, उन सारी योजनाओं को या तो बिल्कुल छोड़ दिया और या कांग्रेस के विरोध के नाम पर उनको बदल कर रख दिया। उसके बाद सन् 1980 में जब हमारी पार्टी फिर सत्ता में आई, तो बेरोजगारी और दूसरी जो राष्ट्रीय समस्याएं हैं, जो चुनौतियां हमारे

देश के सामने हैं, राष्ट्र के सामने हैं उनको सामने रख कर, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमने छठी पंचवर्षीय योजना के माध्यम से सारे बिन्दुओं को छूने की कोशिश की है। जो जो कार्यक्रम बेरोजगारी को दूर करने में सहायक हैं, चाहे भूमिसुधार के माध्यम से हो, चाहे लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के माध्यम से हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी योजनाओं का श्रीगणेश करने के माध्यम से हो जो कि वहां पर लोगों को रोजगार दे सकती हों, शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दे सकती हों, उन सभी का समावेश छठी पंचवर्षीय योजना में, उसके ड्राफ्ट में किया गया है। मुझे यकीन है कि अगर हम एक अच्छा वातावरण देश में पैदा कर पाये और एक सहयोग के तरीके से हम सब लोगों ने काम किया तो निश्चित तौर पर हमें बेरोजगारी की समस्या को हल करने में मदद मिलेगी।

जनता पार्टी ने ऐसे काम किए हैं जिनसे इस देश को नुकसान हुआ है और सबसे ज्यादा जिस मामले में राष्ट्र को नुकसान हुआ है वह है जनसंख्या को नियंत्रित करने का प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को उन्होंने बहुत ही बदनाम करके रख दिया। एक तरफ हमारी जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है, अगर उसी तरह से बढ़ती रही तो हम उतने संसादन पैदा नहीं कर पायेंगे जितने कि उसको रोजगार देने के लिए जरूरी होंगे। इसलिए परिवार को नियंत्रित करने का जो हमारा प्रोग्राम है उस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। जब तक इस पर गंभीरता से विचार नहीं होगा तब तक हम निश्चित तौर पर उतने संसाधन पैदा करके इस बेरोजगारी की समस्या को हल नहीं कर पायेंगे।

शिक्षा के संबंध में आमूल चूल परिवर्तन करने की बात माननीय डागा साहब ने रखी और बड़े मजाकिया तरीके से रखी।

सभापति महोदय : यह चूल क्या है ?

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत : असल में आमूल और चूल एक ही विषय के दो पक्ष हो गए हैं। इस पर भी सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसी अपील के साथ मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वह इस बात पर गौर करे।

इस संकल्प में जो आयोग बिठाने की बात कही गयी है, उससे मुझे ऐसा लगता है कि जनता पार्टी को शायद आयोग बिठाने का शौक है। कभी उन्होंने शाह आयोग बिठाया, कभी जगमोहन रेड्डी आयोग बिठाया। इस कार्यक्रम में भी जो आयोग बिठाने की बात कही है उसके पीछे भी शायद उनका वही शौक काम कर रहा है। लेकिन इस संकल्प की जो भावना है, जिसकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है उस भावना के साथ मैं अपने को जोड़ता हूं और सरकार से आग्रह करता हूं कि वह बेरोजगारी को दूर करने पर गंभीरता से विचार करे।

श्री मुकुन्द मण्डल : मैं माननीय सदस्य श्री फूल चन्द वर्मा द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करता हूं जो कि बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु एक राष्ट्रीय युवा आयोग के गठन

से संबंधित है। मैंने एक संशोधन भी पेश किया है जिसमें प्रत्येक युवा बेरोजगार को 100 रुपये प्रतिमास बेरोजगारी भत्ता देने की मांग की गई है।

सभापति महोदय : इसका क्या अर्थ है ? क्या आयोग के सदस्य केवल युवा-वर्ग से ही होने चाहिए और क्या बेरोजगार ही आयोग के सदस्य होने चाहिए ?

श्री मुकुन्द मण्डल : यह जरूरी नहीं है। आयोग के सदस्य रोजगार प्राप्त व्यक्ति भी हो सकते हैं। यह एक गम्भीर समस्या है परन्तु आप इसे गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं। (व्यवधान)। प्रश्न यह है कि सरकार ही इस आयोग का गठन करेगी। मैं आयोग का गठन नहीं करूंगा। यह समस्या गम्भीर होती जा रही है। हमारे समाज, हमारे देश पर पूंजीपतियों और जमीदारों का शासन है। इसलिए, इस समाज में, हम बेरोजगारी की समस्या के समाधान की आशा नहीं कर सकते। जब तक भूमि का सही वितरण नहीं हो जाता, जब तक उचित भूमि सुधार लागू नहीं हो जाते, यह समस्या हल नहीं होगी। जब तक क्रांतिकारी सुधार नहीं लाए जाते तब तक यह समस्या रहेगी। आप बेरोजगारी की समस्या की बात करते रहे हैं आप कहते हैं कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो जाएगा। आपकी वर्तमान सरकार इस समस्या को हल नहीं कर सकती।

छठी योजना के दस्तावेज में कहा गया है :

> "वर्तमान उत्पादन दर पर, संगठित क्षेत्र छठी योजना के दौरान 40 से 50 लाख अतिरिक्त व्यक्तियों को नियमित रोजगार प्रदान कर सकते हैं। इसके बाद कृषि, लघु उद्योग क्षेत्र और अन्य असंगठित क्षेत्रों में भारी संख्या में व्यक्तियों को रोजगार मिल सकेगा। भारत दीर्घकालीन नीति के रूप में भारी संख्या में श्रमिकों के नियोजन के लिए द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों पर निर्भर कर सकता है परन्तु बेरोजगारी एवं अल्प-रोजगार की स्थिति से उत्पन्न क्षुब्धता को कम करने के लिए उचित अल्पकालीन उपाय किए जाने चाहिए।"

यह समस्या अत्यन्त गम्भीर है और यह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। मैं आपको बेरोजगार व्यक्तियों से संबंधित कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। 1975 में यह संख्या 93.2 लाख थी, 1977 में 109.2 लाख ; 1978 में 126.8 लाख ; 1979 में 143.3 लाख और 1980 में मई के अन्त तक यह संख्या बढ़ कर 149 लाख हो गई है। जब वर्तमान सरकार ने सत्ता संभाली थी, तब इस संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही थी। अब मैं समाचार पत्र से एक उद्धरण पेश कर रहा हूं। इसमें कहा गया है :

> "रोजगार कार्यालयों में दर्ज नामों को देखने से ज्ञात होता है कि 1980 के पूर्वार्द्ध में बेरोजगारी की हालत में तेजी से गिरावट आई है। केवल जून मास में ही दर्ज किए गए नामों की संख्या में 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि इसकी तुलना में गत वर्ष जून में 22 प्रतिशत की वृष्टि हुई थी।"

यह स्थिति है। समस्या बढ़ती ही जा रही है। मैं आपको इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकता क्योंकि आपकी नीति ही ऐसी है। आप बड़े जमीदारों की इच्छानुसार कार्य करते हैं। यदि आप उनका कहना नहीं मानेंगे तो आप सत्ता में नहीं रह सकते। हम आपकी समस्या को जानते हैं। जनसंख्या का सत्तर प्रतिशत गरीबी की रेखा से नीचे है और सरकार कहती है कि 49 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। हमारी 70 प्रतिशत जनता अशिक्षित है। वे अपने दस्तखत भी नहीं कर सकते। हमारी 30 प्रतिशत जनता ही शिक्षित है। मैं जानता हूं कि आप इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते परन्तु उन्हें कुछ राहत, कुछ सुविधायें तो दी ही जानी चाहिए। मेरे मित्र श्री पनिका पश्चिमी बंगाल के बारे में कह रहे थे। पश्चिमी बंगाल में रोजगार कार्यालयों मे दर्ज बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या लगभग 22 लाख है। ये आंकड़े हमने समाचार पत्रों से प्राप्त किए हैं। लगभग तीन लाख बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। आपको भी कम से कम···(व्यवधान)।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : आप भिखारी पैदा कर रहे हैं (व्यवधान)।

श्री मुकुन्द मण्डल : आप लोगों को छुरा घोंप रहे हैं। उन्हें समाज में अधिकार प्राप्त है। आप लोग विश्वासघात करते हैं। (व्यवधान)।

श्री राम प्यारे पनिका : आप उनका नैतिक पतन कर रहे हैं। (व्यवधान)।

श्री मुकुन्द मण्डल : हम कोई नैतिक पतन नहीं कर रहे हैं। सांविधानिक अधिकार है। आप उन्हें वह अधिकार नहीं दे रहे हैं। चूंकि सरकार रोजगार के अवसर प्रदान नहीं कर रही है। कम से कम हम उनके इस अधिकार को स्वीकार तो कर रहे हैं। हम उन्हें बता रहे हैं कि उनका अधिकार कानूनी और न्यायसंगत है। इसीलिए हम राज्य की सीमित क्षमता के भीतर बेरोजगारों को कुछ न कुछ दे रहे हैं।

मेरा मुद्दा यह है कि सरकार को कुछ बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। मैं संकल्प का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में निर्णय दें जिसके अनुसार सरकार बेरोजगार युवकों को कुछ सहायता दे सकेगी और बेरोजगार युवकों को सरकार से कुछ लाभ प्राप्त हो सकेगा।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : बेरोजगारों के सम्बन्ध में यहां यह प्रस्ताव आया है। इसके सम्बन्ध में मैं कुछ बातें निवेदन करना चाहता हूं। जनता पार्टी का जब शासन था तब श्री मोरार जीदेसाई प्रधान मन्त्री बने थे। तब उन्होंने यह कहा था कि मैं दस साल में देश से बेरोजगारी को मिटा दूंगा। लेकिन आंकड़े देखने से पता चलता है कि उनके ढाई साल के शासन में देश में जो शिक्षित या अशिक्षित बेरोजगार थे उनकी संख्या दुगनी से भी अधिक हो गई। यह नमूना है जनता पार्टी का जिसके पांच हिस्सों में बंट जाने के बाद भी जो माननीय सदस्य अभी बोल रहे थे वह भी एक अंग हैं। मैं एक नजीर पेश करना चाहता हूं। प्रौढ़ शिक्षा

का इन्होंने देश में इस प्रकार से संचालन किया जिसके लिए दो सौ करोड़ मंजूर हुए थे कि तमाम जितनी जांघिया पलटन है, जो जांघिया, काली टोपी पहनते हैं उन पर यह दो सौ करोड़ की सरकारी राशि खर्च कर दी गई जो बिलकुल नाजायज था और इस तरह से सारे देश में इन्होंने शिक्षित बेरोजगारों की संख्या को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। यह था नमूना इनके शिक्षा के प्रचार और प्रसार का। दो सौ करोड़ रुपया इन्होंने भारत सरकार का बेकार कर दिया, बरबाद कर दिया। अशिक्षितों को शिक्षित करने के नाम पर इन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जीवन यापन करने की कोशिश की। इस प्रकार की व्यवस्था इन्होंने देश में जनता पार्टी के शासन में कायम करने की कोशिश की। उसका नतीजा यह हुआ कि जिन अनपढ़ लोगों को हम शिक्षित करना चाहते थे और जिस प्रकार की योजना इस देश में प्रौढ़ शिक्षा की चल रही थी उसको जनता पार्टी ने नष्ट कर दिया और इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का पेट भरा उस पैसे से और भयंकर दुरुपयोग जनता पार्टी और आर० एस० एस० और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। यह हालत उन्होंने इस देश की की। आज जब शासन में नहीं हैं तब इनकी नींद खुली है कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है इसलिए इसको समाप्त करना चाहिए।

सभापति महोदय : आपका कहने का मतलब यह है कि नींद इनकी खुली, लेकिन देर से खुली।

श्री गिरधारी लाल व्यास : जब सारे देश को इन्होंने बरबाद कर दिया तब नींद खुली। हम अब उसको सुधार रहे हैं। परिवार नियोजन का कार्यक्रम इस देश में चला रहे हैं, हो सकता है कि उस समय हमारी कुछ गलतियां हो गई हों जिसका उन्होंने भयंकर दुरुपयोग किया। जहां पहले एक करोड़ 20 लाख लोग पैदा होते थे, इन्होंने परिवार कल्याण योजना चलाकर हर साल 2 करोड़ आबादी बढ़ाने का प्रबन्ध किया। यह देश को जिस प्रगति के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं उसका नमूना जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया। मेरा कहना है कि इस देश में शिक्षित बेरोजगारों को बढ़ाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी पर है जिसके पांच अंगों ने मिलकर देश को बरबादी के रास्ते पर ले जाने की कोशिश की। हमने जिस तरीके से इस देश को बनाया था उसको इन्होंने बरबाद कर दिया। सारा सोना खा गए, चांदी बरबाद कर दी। और अनाज की कैसी बरबादी की वह मैं बताता हूं। काम के बदले अनाज योजना के जरिए से हमारे देश के जितने सरपंच लोग थे जिन्होंने 32 साल तक देश को विकसित करने में योगदान किया उनको इन्होंने भ्रष्ट बना दिया और आज उन सरपंचों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो रही है। इस तरह की स्थिति जनता पार्टी ने इस देश में स्थापित की। यह है इनका नमूना। इनकी काली छाया देश से हट गई, काली टोपी देश से हट गई, जांघिया पलटन देश से हट गई जिसके कारण देश की जनता चैन की सांस ले रही है। हमें आशा है कि अब हम निश्चित तौर से आगे बढ़ेंगे और बेरोजगारी की समस्या को भी मिटायेंगे।

अब मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। एक सुझाव उन्होंने दिया जो काबिले तारीफ है, उसके अन्दर अन्तर केवल इतना है कि शिक्षा उतनी होनी चाहिए जिससे बेरोजगारी न बढ़े।

हमारे देश में कोई भी आदमी बी० ए०, एम०ए०, एम० एस, एम० डी० कर सकता है जो आदमी उस लायक नहीं है जो उस काम को नहीं कर सकता उस प्रकार के लोगों को ज्यादा पढ़ाकर बेरोजगारी की संख्या बढ़ाना ठीक नहीं है। केवल अनप्रोडक्टिव लोगों को बढ़ाना उचित नहीं है। आप अमरीका में देखिए कोई भी लड़का या लडकी मैट्रिक के बाद पढ़ाई नहीं करता। प्राइवेट तौर पर चाहे उच्च शिक्षा प्राप्त करे। उच्च शिक्षा कालेजों में और विश्वविद्यालयों में वही विद्यार्थी प्राप्त करते हैं जो अच्छे नम्बरों से पास होते हैं। लेकिन हमारे यहां रोज कालेज और विश्वविद्यालय खुल रहे हैं। उसके लिए आन्दोलन चलते हैं, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मेरे क्षेत्र में भी आन्दोलन करते हैं कि वहां यूनिवर्सिटी होनी चाहिए।

हमारे यहां कालेज होना चाहिए। जितने कालेज और यूनिवर्सिटीज आप खोलेंगे, उतनी बेरोजगारों की संख्या बढ़ेगी और इस देश में असंतोष के सिवाय और कोई चीज हम नहीं दे सकेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि मैट्रिक के बाद में लड़कों को जिस प्रकार की टैक्नीकल एजूकेशन लेने की उनकी इच्छा हो, उस तरफ मोड़ा जाए न कि बी० ए० और एम० ए० की तरफ बढ़ाया जाए। इस प्रकार की डिग्री प्राप्त करने के लिए कालेज और यूनिवर्सिटीज में जो लड़के जाते है, भीड़ लग जाती है वह किसी प्रकार का प्रोडक्टिव काम नहीं दे सकते हैं।

सभापति महोदय : भीड़ लगने का एक कारण तो यह भी है कि दिमाग हो या न हो, मां-बाप के पास धन है इसलिए लड़के पढ़ते जाएगे और बराबर जीवन भर छात्र ही रहेंगे। यह भी तो एक कारण है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : यह सारी बातों में नहीं है। मैं अपनी बात कह सकता हूं, मां-बाप के पास धन नहीं, मेरे पिता छोटे में ही मर गए, उसके बाद मैंने बी० ए०, एम० ए० पास किया और बेरोजगारों की संख्या बढ़ाई। वकालत भी पास की और काम शुरू किया, लेकिन वकालत बड़ी मुश्किल से धक्कमधक्का चलती रही। इसलिए आज जो स्थिति देश में पैदा हो रही है, मेरा कहना है कि इसे रोकिए। ऐसी शिक्षा चालू कीजिए जिससे टैक्नीकल आदमी तैयार हों। प्रशिक्षित लोग तैयार हों, इंजीनियरों का काम ज्यादा बढ़े, इन्डस्ट्रीज का काम ज्यादा बढ़े और इन क्षेत्रों में हम ऐसे लोग शिक्षित तैयार करेंगे तो उससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा और इस तरह से बेरोजगारों की संख्या भी कम होगी।

सभापति महोदय : जाब ओरिएन्टेड चाहते हैं आप ?

श्री गिरधारी लाल व्यास : इसलिए इस प्रकार का प्रावधान शिक्षा के क्षेत्र में होना चाहिए तब हम इसको दूर कर सकते हैं।

एक सुझाव उन्होंने दिया है, बेकारी भत्ते का। मैं इससे एग्री नहीं करता हूं। अगर आपने बेकारी भत्ता दिया तो आज जितने लोग काम करने वाले काम कर सकते हैं, वह बेकार हो जाएंगे, अफीमची की तरह घर बैठकर अफीम खाएंगे और देश के लिए काम नहीं करेंगे।

इसलिए बेकारी भत्ते का कोई काम नहीं है। मेरा सुझाव है कि जितने भी बेरोजगार लोग हैं, चाहे शिक्षित हों, अशिक्षित हों, उनकी एक फौज तैयार कीजिए और उसके जरिए अपने जिलों और प्रदेशों में चाहे पी० डब्लू० डी० का बर्क हो, इरिगेशन का बर्क हो, फारेस्ट या सायल कंजरवेशन या इंडस्ट्री का बर्क हो उस काम में इन लोगों को लगाइए। हमारे यहां अभी बहुत से काम अधूरे पड़े हुए हैं जिसकी वजह से हमारा देश और जिला विकसित नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार के क्षेत्रों में इनका उपयोग होना चाहिए। इसी प्रकार की फौज हमको बेरोजगारों की तैयार करनी चाहिए। लाखों की तादाद में जो बेरोजगार हैं, उनको अगर हम इस तरह तैयार करेंगे तो निश्चित तरीके से हम उनको रोजगार भी दे सकेंगे और हमारे देश का डैवलपमैंट का काम भी हो सकेगा। इस प्रकार की व्यवस्था की आज आवश्यकता है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज एम्पलायमैंट एक्सचेंज में निश्चित तौर से व्यवस्था ठीक नहीं है। हमारे लेबर डिपार्टमेंट की राज्य मन्त्री यहां बैठी हुई हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे देश में ऐसे एम्प्लायमेंट एक्सचेंज हैं जहां प्रतिक्रियावादी लोग एम्पलामेंट आफिसर बन जाते हैं, जो गरीबों की मदद करने के बजाय उनसे पैसा भी लेते हैं और जिन गरीबों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, जिनको आगे बढ़ना चाहिए, उनको वह बढ़ावा नहीं देते हैं बल्कि वहां पर जातिवाद, प्रान्तीय वाद और अन्य प्रकार की बातें हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनको जितनी एम्पलायमेंट मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल पाती है। इसलिए इसमें सुधार की आवश्यकता है।

हमारी सरकार को चाहिए कि हम इन सारी बातों को देखते हुए इस प्रकार की व्यवस्था करें कि जिसमें गरीबों को ज्यादा से ज्यादा सहायता, सहारा मिल सके। हम अपने देश में ऐसे कार्यक्रमों को भी ज्यादा प्रोत्साहित करें।

सभापति महोदय : अब समाप्त करें।

श्री गिरधारी लाल व्यास : इसमें बहुत टाइम है, सभापति महोदय।

सभापति महोदय : टाइम तो है, लेकिन दूसरा प्रस्ताव भी है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : दूसरा प्रस्ताव जरूरी नहीं कि आज ही लिया जाए।

सभापति महोदय : मिनिस्टर को भी इंटरवीन करना है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : दूसरा प्रस्ताव बाद में भी आ सकता है, अगले शुक्रवार को आ जायेगा।

यह इम्पार्टेन्ट चीज है, जिसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी सरकार को देनी है।

सभापति महोदय : समय की सीमा है, यह देखें।

श्री गिरधारी लाल व्यास : आधे घण्टे में यह सीमित नहीं होगा।

सभापति महोदय : जितने बोलने वाले हैं, और सदन को भी देख लीजिए, इससे ज्यादा इशारा समझ लीजिए।

श्री नवल किशोर शर्मा : सभापति महोदय, यह विषय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है।

सभापति महोदय : व्यास जी को बात कर लेने दीजिए। यह तो मैंने नहीं सीखा है कि एक साथ दो-दो व्यक्ति बोलते जायें।

श्री नवल किशोर शर्मा : मैं आपकी इजाजत से बोल रहा हूं, हुजूर।

सभापति महोदय : मैं उनको समाप्त करने के लिए कह रहा हूं, आपका अवसर आयेगा तो बोलियेगा।

श्री गिरधारी लाल व्यास : हमारे यहां गांवों के अन्दर विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा डेयरी डेवलपमैंट या अन्य प्रकार की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया जाय। मछली-पालन है, छोटे छोटे उद्योग धन्धे हैं जिन को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देकर लोगों को रोजगार धन्धे में लगा सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था वहां की जानी चाहिए।

आज कल कालेजों, यूनिवर्सिटीज और छोटे-छोटे सेकेण्डरी और हायर सेकेण्ड्री स्कूलों के अन्दर शिक्षकों में एक प्रकार की गुटबाजी है जिसके कारण हड़तालें होती हैं, लड़कों में असंतोष होता है और तोड़-फोड़ होती है। सब प्रकार की अव्यवस्था ऐसे स्थानों से पैदा होती है। इसलिए सरकार को इन बातों पर भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि वहां पर गुटबाजी की वजह से लड़कों में असन्तोष पैदा हो रहा है। उस को समय पर रोक लें तो निश्चित तरीके से बहुत बड़ा लाभ होगा। इसमें आर. एस. एस. के लोग ज्यादातर गड़बड़ी करते हैं। निश्चित तरीके से इनके ऊपर पाबन्दी लगनी चाहिए। जो शिक्षक स्कूलों और कालेजों के अन्दर आर. एस. एस का प्रचार-प्रसार करते हैं। उस प्रकार के लोगों के ऊपर रोक नहीं लगायी जाएगी तो यह व्यवस्था ठीक नहीं होगी।

पब्लिक स्कूल हमारे देश के लिए एक अभिशाप हैं। हमारे लड़के तो गवर्नमेंट के स्कूलों में पढ़ें जहां टाट-पट्टी भी नहीं है, कागज पेंसिल भी नहीं है और बड़े-बड़े अफसरों के लड़के पब्लिक स्कूलों में पढ़ें तो आई. ए. एस., आई. पी. एस. और फ़ारेन सर्विस में भी वही जाएंगे। हमारे लड़के तो पटवारी बनेंगे या क्लर्क बनेंगे। इसलिए स्कूलों की व्यवस्था ऐसी कीजिए जिसमें समान तरीके से सबको शिक्षा मिल सके। पब्लिक स्कूलों को कम से कम सरकार की तरफ से अनुदान क्यों देते हैं ? जब वहां पर बड़े-बड़े लोगों के लड़के पढ़ते हैं तो उन को अनुदान देने की आवश्यकता नहीं है। वह बन्द किया जाना चाहिए। इस पैसे से हम सरकारी स्कूलों को बढ़ावा दें, अच्छी शिक्षा का इंतजाम वहां करें, अच्छे शिक्षक रखें जिससे लड़के फलें फूलें। इस व्यवस्था को निश्चित तरीके से सरकार को सोचना चाहिए।

अनएम्पलायमेंट कम करने की कोशिश हमारी सरकार बराबर कर रही है । श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में हम ने पहले भी अनएम्पलायमेंट को कम करने की कोशिश की है और अब भी हमें विश्वास है कि इस देश में कोई यह काम कर सकता है तो वह श्रीमती गांधी ही कर सकती है। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि उनके नेतृत्व में अनएम्पलायमेंट की समस्या भी दूर होगी ।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : सभापति महोदय, 1975 और 1976 का जो साल था उस में बेरोजगारी की तरफ ध्यान दिया गया था और हमारी सरकार ने यह फैसला किया था कि जहां गरीब आदमी गांवों में रहते हैं, यह पढ़े लिखे बेरोजगारों की बात नहीं है बल्कि हिन्दुस्तान के सारे बेरोजगारों की बात है, बेरोजगारी की ऐसी समस्या हल करने के लिए जो खेती बारी करना चाहते हैं, उन को पांच-पांच बीघे के हिसाब से जमीन दी गई और यही नहीं हुआ, जो हमारे कारीगर लोग थे, गांवों में काम करने वाले लोग थे उनको मकान बनाने के लिए मफ्त जमीन दी गई, कर्जे दिए गए और सहायता दी गई जिससे अपना मकान बनाकर वे हिन्दुस्तान के एक पूरे नागरिक की तरह रहें । इस तरह का काम हमारी सरकार ने शुरू किया था । लेकिन बदकिस्मती हमारी यह रही कि 1977 में यहां ऐसी सरकार आ गई जो इस सब को समाप्त करने वाली सरकार थी । उसने क्या काम किया कि हिन्दुस्तान के लोगों को जो राहत मिल रही थी वह सारी चीज बन्द कर दी । आंकड़े आप के सामने पेश किए गए । जनता पार्टी की सरकार उसका नाम था । उसने इस देश के लोगों के साथ यह वादा किया कि हम दस साल के अन्दर सारी बेरोजगारी खत्म करेंगे, गरीब आदमियों का शोषण बन्द करवायेंगे । लेकिन यह आज आप की नजरों के सामने है, आप देखें कि कितने बेरोजगार आज हैं । जिनकी नुमाइन्दगी करने की बात ये करते हैं ऐसे कितने बेरोजगार लोगों को ये रोजगार दे पाये ? यह बात उन्होंने नहीं बताई । जब बेरोजगारों को भत्ता देने का सवाल आया, तो उनकी सरकार ने इन्कार कर दिया । माननीय सदस्य ने कहा कि उनकी राज्य सरकारों ने बड़ा काम किया । मैं बताना चाहता हूं कि उस समय जो भारत सरकार थी, उसने तो सारा पैसा कमीशन पर कमीशन बनाने में लगा दिया, और अगर राज्य सरकारों की हालत देखनी हो, तो मैं आपको हिमाचल प्रदेश की बात बताना चाहता हूं, जो एक पहाड़ी इलाका है। हिमाचल प्रदेश में श्री शांताकुमार की सरकार थी—निकर-धारियों की सरकार थी । उन लोगों ने सभी प्राविंस बांट लिए थे—मध्य प्रदेश में सकलेचा जी की सरकार, हिमाचल प्रदेश में शांताकुमार की सरकार । इस तरह राज्य सरकारें बांट कर वे चाहते थे कि बेरोजगारी को खत्म करना है, हिन्दुस्तान के लोगों को बेरोजगार नहीं रहने देना है ।

वहां एसेम्बली में सवाल आया, तो उन्होंने कहा कि हम बेरोजगारी भत्ता नहीं दे सकते ।

श्री फूलचन्द वर्मा : कहां ?

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : हिमाचल प्रदेश में, जहां की आप बात करते हैं, जहां राज नारायण जी गये थे। मध्य प्रदेश में सकलेचा जी तो अपनी बेरोजगारी को हटाने के लिए दिल्ली में बोली देने के लिए आ गये। सब ने अखबारों में यह पढ़ा है।

हिन्दुस्तान के लोगों को असल में अगर किसी ने रास्ता दिखाया है, तो हमारी पार्टी ने, कांग्रेस (आई) ने दिखाया है। हमारा विश्वास है कि जो हमारा नस्बुल-ऐन है, जो हमारा उद्देश्य है देश में बेरोजगारी को खत्म करने का···।

श्री फूलचन्द वर्मा : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री, श्री सकलेचा, के बारे में कहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक ऐसे व्यक्ति पर आरोप लगाया जा रहा है, जो जवाब देने के लिए हाजिर नहीं है। यह सदन की परम्परा नहीं है। (व्यवधान)।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : आप हर रोज आरोप लगाते हैं। अगर हम लगाते हैं, तो आप एतराज करते हैं। (व्यवधान)।

सभापति महोदय : क्या आपकी तरफ से इस तरह का आरोप नहीं लगाया जाता है। (व्यवधान)।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : जब श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार आई, तो हमने बीस-सूत्री प्रोग्राम के मातहत निर्णय लिया कि हर गरीब आदमी को, आदिवासी, हरिजन और गिरिजन को, जमीन दी जायेगी, जिनके पास मकान नहीं है, उन्हें मकान दिये जायेंगे, गांवों में जो गरीब लोग बसते हैं, उन्हें तालीम देने के लिए स्कूल खोले जायेंगे और उनके लिए एक अच्छा वातावरण बना कर उन्हें रोजगार पर लगाया जायेगा।

जनता पार्टी की सरकार ने तो मियां-बीबी को मास्टर-मास्टरनी और बाबू-बबुआइन के तौर पर भर्ती कर लिया था। उसकी जगह हमने निर्णय लिया कि एक परिवार में एक आदमी को रोजगार मिलेगा और इस तरह समाज आगे बढ़ेगा, रिटायरमेंट की उम्र भी कम की जाएगी, छंटनी की जाएगी, ऐसे लोगों को सरकारी नौकरियों में नहीं आने दिया जायेगा, जो एजीटेशन करके देश में गड़बड़ पैदा करना चाहते हैं। हिन्दुस्तान की असली क्रीम वे गरीब लोग है, जो पैदावार करते हैं। ये लोग उन्हें तबाह करना चाहते थे, जिससे देश का बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाये। इन लोगों की यह सोच आज भी हिन्दुस्तान में चल रही है।

मैं भारत सरकार और मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इस तरफ तवज्जुह देनी होगी। अगर मजदूरों को उठाना है, तो उनको हड़ताल की तरफ नहीं जाने देना होगा। जो लोग हड़ताल करवाते हैं, वे मजदूरों का शोषण करते हैं। अगर फैक्टरी या कारखाने में दस दिन के लिए हड़ताल होती है, तो मुल्क का प्रोडक्शन कम हो जाता है। प्राडक्शन कम होने से देश की नैया पार नहीं हो सकती है। ये लोग गैलरीज के लोगों को खुश करने के लिए कहते हैं कि हम गरीबों के लिए सब कुछ कर रहे हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस ने 1974-75 में रेल-मजदूरों की हड़ताल करवाई। जब जनता पार्टी की सरकार में वह मंत्री बने, तो वह कारखानों में मजदूरों को रोजगार नहीं दे पाये। आंकड़े हैं कि उन्होंने कितने रोजगार दिये।

जनता पार्टी की सरकार में श्री वाजपेयी को विदेश मन्त्री बनाया गया उन्होंने 45 कन्ट्रीज का टूर किया और हिन्दुस्तान का पैसा जाया किया। लेकिन वह कोई बात नहीं कर सके। उन्होंने यू. एन. ओ. में राष्ट्र भाषा हिन्दी में भाषण दिया, लेकिन वह यहां रोज हिन्दी अंग्रेजी बोलते हैं।

जब हमारे देश की यह हालत हुई, तो लोगों ने सोचा कि इस बेकार की फौज को, इस जनता पार्टी की सरकार को, हटा दो, और उन्होंने इन बेकार के लोगों को हटा दिया। आज जो हमारी सरकार बनी है, उस पर लोगों का विश्वास है। वह लोगों का काम करना चाहती है। उसने लोगों का काम किया है। इसी उद्देश्य को लेकर वह आगे बढ़ रही है।

मैं समझता हूं कि जहां तक फैमिली प्लानिंग का ताल्लुक था, ये लोग चाहते थे कि इसका मलिया-मेठ करेंगे, लेकिन फैमिली प्लानिंग से ही देश को आगे ले जाया जा सकता है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हम लोग एक दिन में एक नए मुल्क को जन्म दे रहे हैं, लेकिन आप लोग सोचते हैं कि हम इसका राजनीति में लाभ उठायेंगे, क्योंकि कांग्रेस वाले कानून बनाते हैं, तो इसका फायदा होता है। इसके साथ-साथ मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि इनका ख्याल है कि यदि हम फैमिली प्लानिंग को फिर उसी रूप में जिस रूप में हमने 1974-75 में किया था, करें तो इनका काम भी एजीटेशन करके हो जाएगा, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि हमने अपने देश की तरक्की करनी है तो हमें फैमिली प्लानिंग की तरफ भी ध्यान देना होगा।

जहां तक इन्होंने कमीशन की बात कही है, बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि ये तो कमीशन की सरकार की थी, सिर्फ कमीशन बनाना जानती थी, लेकिन इनका ध्यान अन-एम्प्लायमेंट की तरफ, बेरोजगारी की तरफ नहीं गया। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस तरफ ध्यान दें और हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में लोग बेरोजगार होते हैं, हमारे यहां रेलवे नहीं है, वहां पर कोई सीमेंट का कारखाना नहीं है, जिससे लोगों को रोजगार दिया जा सके। वहां पर उद्योग धन्धे लगाकर लोगों को रोजगार दीजिए, जिससे हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों के लोगों को ऊपर उठाया जा सके और उनकी तरक्की हो सके। हमारे लोग बार्डर पर देश की रक्षा करते हैं, लेकिन ये लोग यहां पर मजे करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ये मजदूरों के साथ नहीं है, बल्कि ये तो मजदूरों का शोषण करते हैं।

सभापति महोदय, मैं अब आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि घंटी बज चुकी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है, उसकी सही भावनाओं को हम ग्रहण करते हैं और जो बुरी है उसको दिल से निकाल दें। इसके साथ ही मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

सभापति महोदय : माननीय मन्त्री जी इसका उत्तर दें ।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हो गये ।

श्री नवल किशोर शर्मा : (दोसा) मैं इस संकल्प पर बोलना चाहता था ।

कुछ माननीय सदस्य : हम भी बोलना चाहते हैं ।

श्री नवल किशोर शर्मा : सभापति महोदय, यह बस्तु ही इम्पोर्टेंट विषय है ।

सभापति महोदय : यह कितना इम्पोर्टेंट है, यह उपस्थिति से ज्ञात हो रहा है । लेकिन यदि इतने उत्सुक हैं, तो मैं पहले श्री हन्नान को बुलाता हूं ।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : सभापति महोदय, मेरे माननीय मित्र ने इस सामान्य सदन में विचार किये जाने के लिए बेरोजगारी का मसला उठाया है । मैं इन बेकार के सुझावों से तंग आ गया हूं कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान कुछ इधर-उधर के उपाय कर देने से या शिक्षा पद्धति में सुधार करके अथवा किसी आयोग के गठन द्वारा किया जा सकता है । ये सामान्य किस्म के चार हैं । इनके आधार पर हम बेरोजगारी की समस्या के समाधान के संबंध में किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं ।

माननीय मन्त्री, श्री शिव शंकर, ने एक दिन अपने भाषण के प्रारम्भ में कहा था कि व्यक्तिगत रूप से वे वर्ग रहित समाज के पक्षधर हैं । सदन के बाहर वे मेरे विचार से सहमत होंगे परन्तु यहां पर वे मेरी बात से सहमत नहीं होंगे । माननीय सदस्य, श्री रावत भी सदन के बाहर मेरी बात से सहमत होंगे परन्तु सदन में नहीं । वे सदन के भीतर मेरी बात से सहमत होने का साहस नहीं करेंगे क्योंकि वे जमीदारों तथा बड़े व्यापारी घरानों का प्रतिनिधित्व कहते हैं । उन्हें चुनाव जीतने में उन लोगों से सहायता प्राप्त होती है । इसलिए उनके लिए यह सम्भव नहीं है कि वे यहां मेरे से सहमत हों । जो सुझाव मैं पेश करूंगा उसके सम्बन्ध में वे सदन से बाहर मेरे से सहमत होंगे । मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई भी इस समस्या के मूल के सम्बन्ध में नहीं सोच रहा है । इतने लोग बेरोजगार क्यों हैं ? योजना आयोग की रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि 49 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं । इसका अभिप्राय यह हुआ कि वे प्रति मास केवल 25 रुपए कमाते हैं । 35 करोड़ व्यक्ति केवल प्रतिमास 35 या 30 रुपए ही खर्चते हैं । वे अपनी आवश्यकता की वस्तुएं कैसे खरीद सकते हैं ? क्या हमारी जनता को प्रर्याप्त कपड़े मिल रहे है ? वे कपड़े नहीं खरीद रहे हैं । इसीलिए सूती कपड़ों की सैकड़ों मिले बन्द पड़ी हैं । लोगों की भोजन खरीदने की भी क्षमता नहीं है । दूसरी वस्तुएं तो वे खरीद ही नहीं सकते । उनका सारा पैसा केवल खाने पर ही खर्च हो जाता है । हमारी जनता की क्रय शक्ति का स्तर निम्नतम है । वे गरीबी की रेखा से नीचे जी रहे हैं ।

हम उद्योगिकृत धनी देशों का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं हैं । हम केवल अपनी वस्तुएं के निर्यात द्वारा ही अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सकते और न ही अपना विकास ही कर सकते हैं । हम विश्व बाजार के बड़े भाग पर नियंत्रण नहीं कर सकते ।

इसलिए, सर्वप्रथम, हमें देश के भीतर ही सम्पन्न बाजार बनाना चाहिए। मूल समस्या यही है। देश का बाजार दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को देहातों से निकाला जा रहा है। उनकी भूमि हमारे केवल 5% ग्रामीण धनी जमींदारों द्वारा हड़पी जा रही है। वे लगभग 46 प्रतिशत जमीन के मालिक हैं। इस कारण ग्रामीण क्षेत्रों में 30 करोड़ लोगों के पास जमीन नहीं है, वे कुछ कमा नहीं सकते। वे अपने घर को बढ़ा नहीं सकते और वस्तुएं खरीद नहीं सकते।

इसलिए इसका हल तो यही है कि जिन 5% प्रतिशत लोगों के पास 16 करोड़ एकड़ भूमि है उनकी भूमि का बिना कोई मुआवजा दिए अधिग्रहण कर लिया जाए। वह जमीन भूमि-हीन तथा गरीब लोगों में मुफ्त बांट दी जाए। यदि इन 30 करोड़ लोगों को जमीन मिल जाती है तो वे इसमें उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे। उत्पादन कुछ भाग वह स्वयं उपभोग करेंगे और कुछ भाग बाजार में बेच देंगे। इस प्रकार से इस समय जो कृषि उत्पादन कालाबाजारियों और भूमि-खोरियों द्वारा जमा कर लिया जाता है वह नगरों को मिलने लगेगा। यह कृषि उत्पादन बेचने से गरीब ग्रामीण लोगों को कुछ राशि मिलेगी जिससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। बाजार में 30 करोड़ लोगों को कपड़ा बेचा जायेगा उनके लिये उत्पादन के लिए सैकड़ों सूती कपड़ा मिलें खोलनी पड़ेंगी।

आज 20 करोड लोग जूते नहीं पहनते। वे नग्गे-पांव ही रहते हैं। यदि उनमें से हरेक व्यक्ति एक-जोड़ी जूते खरीदे तो आप देखेंगे कि उनकी आवश्यकता के जूतों के उत्पादन के लिए जूते बनाने वाली अनेक फैक्टरियां खोलनी पड़ेगी।

गरीब ग्रामीण लोग अपने बच्चों को घरेलू नौकरों के रूप में कार्य करने के लिए भेज देते हैं। यदि उनके पास उनके लिए भोजन और कुछ पैसा हो तो वे अपने बच्चों को स्कूलों में भेजेंगे। यदि हम विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच 30:1 का अनुपात मानें तो इन बच्चों को स्कूलों में जाने से 30 लाख शिक्षित नवयुवकों को रोजगार मिलेगा।

असली समस्या तो भूमि समस्या की है। बेरोजगारी का मूल कारण ही यही है।

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से केवल 75 परिवार हमारी पूंजी तथा अन्य साधनों के 60% प्रतिशत भाग पर नियंत्रण किए हुए हैं। इन एकाधिकारी घरानों को समाप्त किया जाना चाहिए। उनकी परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण किया जाना चाहिए। ऐसा करने से सरकार को काफी राशि प्राप्त होगी। सरकार उसे अच्छे कार्यों में विनियोग कर सकेगी। विदेशी पूंजीपतियों और बहु राष्ट्रीय कम्पनियों ने हमारे लोगों का शोषण करके और उन्हें लूटकर हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बरबाद कर दिया है। उनकी परिसम्पत्तियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिए।

गांवों में जमीदारों द्वारा किए जाने वाले शोषण, एकाधिकार वाली कम्पनियों द्वारा किए जाने वाले शोषण तथा विदेशी कम्पनियों द्वारा किए जाने वाले शोषण अर्थात इन तीनों प्रकार से होने वाले शोषण को समाप्त किया जाना चाहिए। तभी एक नई व्यवस्था कायम होगी। देश में

नए बाजारों का सृजन होगा। हमारे गरीब लोगों के हाथों में क्रय-शक्ति आयेगी और वे बाजार में खरीदारी कर पायेंगे। जब वे वस्तुएं खरीदेंगे तो नए कारखाने स्थापित होंगे। बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा। इसलिए इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। इसका तो केवल यही विकल्प है। मैं इस बात को नहीं मानता कि ये जमींदार, एकाधिकार वाली कम्पनियां देश के तथा देश में बेरोजगार लोगों के हितों की रक्षा करेंगे।

जैसाकि सत्तारूढ़ दल ने वादा किया है हमारी भी यही कामना है कि प्रत्येक परिवार को सहायता दी जाए और प्रत्येक परिवार के कम से कम एक युवा सदस्य को रोजगार दिया जाए। लेकिन हमें उनके इस वायदे में विश्वास नहीं है। वे तो काफी समय से लोगों को इसी प्रकार से बेवकूफ बना रहे हैं। हम नहीं जानते आखिर कब तक वे लोगों को इस प्रकार बेवकूफ बनाते रहेंगे। लेकिन आज के ढांचे में इस समस्या का कोई समाधान नहीं है, यह समस्या बनी रहेगी और अंततः एक दिन ऐसा आएगा जब भयंकर विस्फोट होगा। हम उस दिन का इन्तजार कर रहे हैं। उस दिन के आने में बस थोड़ा ही समय बाकी है।

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : सभापति महोदय, श्री फूलचन्द वर्मा ने जो रेजेलूशन रखा है, मैं उसके बारे में चन्द बातें कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि एक नेशनल यूथ कमीशन सेट-अप किया जाए, जोकि हमारे तालीमयाफ्ता नौजवानों को मुलाजमात देने में या जोब देने के लिए रिकमेन्ड करे लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसा कमीशन बनने से यह मसला हल नहीं हो सकता है। वह इसलिए नहीं हो सकता है कि जब तक हमारा जो सिस्टम आफ एजूकेशन है, इसको आप चेन्ज नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता और सिस्टम आफ एजूकेशन ओवरनाइट चेन्ज नहीं हो सकता है।

आप को यह तो पता ही है कि प्रेजेन्ट सिस्टम कोई सौ साल पुराना है। ईस्ट इंडिया कम्पनी ने जब भारत में कदम रखा, तो उनको यहां पर क्लर्कों की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जिस से उन क्लर्कों को ट्रेनिंग दी जा सके और रोजमर्रा का काम चलाया जा सके। तो यह सिलसिला अभी भी जारी है। लिहाजा मैं समझता हूं कि जब तक हमारा तालीमी निजाम जोब-ओरियेन्टेड नहीं बनेगा अजसरेनो, तब तक हमारा एम्पलायमेंट का मसला हल नहीं हो सकता। जब तक कोई ऐसी ट्रेनिंग न दी जाए स्कूल लेविल से लेकर ऊपर तक, जैसी ट्रेनिंग दूसरे फोरेन मुल्कों में बच्चों को दी जाती है और जैसा वहां पर तालीम का सिलसिला है, उसी तरह का सिस्टम यहां पर नहीं बनाया जाता कि बच्चों को शुरू से ही अपने इन्ट्रेस्ट की फील्ड में ट्रेनिंग दी जाए, तब तक इस में सुधार नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि सिर्फ नेशनल यूथ कमीशन को बनाने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। क्या होगा कि उस कमीशन में कुछ अफसर होंगे, कुछ एक्सपर्ट्स होंगे और वह कमीशन 6 महीने के बजाए एक साल लगा देगा और उसके बाद एक मोटी सी अपनी रिपोर्ट दे देगा और उसकी उस रिपोर्ट से कोई खास नतीजा नहीं निकल सकता। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि सरकार को हमारे तालीम के निजाम को ऐसे ढंग से बनाने के लिए सोचना चाहिए, जोकि जोब आरियेन्टेड हो। इस तरह की तालीम हमारे स्कूलों में, कालेजों में दी जाए, तो उससे हमारा

मसला हल हो सकता है। यह मैं समझता हूं कि एक दम से हमारे निजाम को बदला नहीं जा सकता है। इसके लिए भी टाइम चाहिए। लिहाजा जो प्रेजेन्ट सिस्टम है, उसमें जितने भी तालीमयाफता लड़के कालेजों से स्कूलों से और यूनीवर्सिटियों से निकलेंगे, उन सबको यह सरकार जोब नहीं दे पाएगी।

हमारे मुल्क में कभी ऐसा वक्त आयेगा जब हमारे मुल्क में हण्ड्रेड परसेंट एजूकेशन होगी। इसलिए किसी भी सरकार के लिए इतने बड़े मुल्क में सभी लोगों को जोब देना कभी मुमकिन हो ही नहीं सकता। लिहाजा मैं यही कहूंगा कि सरकार इस सिलसिले में तालीमी निजाम को बदलने के लिए कोई ऐसा तरीका सोचे जिससे कि हमारे तालीमयाफता नौजवानों को जोब ओरियेन्टेड तालीम मिले। आखिर में मैं यही कहूंगा कि नेशनल यूथ कमीशन से कोई मसला हल नहीं हो सकता है। इसलिए मैं इस रिजोल्युशन की मुखलिफत करता हूं।

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : सभापति जी, आज जो संकल्प सदन के सामने विचारार्थ है, यह संकल्प अपने आप में एक ऐसा महत्वपूर्ण संकल्प है जिस पर हमें दलबदी से ऊपर उठकर सोचना और विचारना पड़ेगा। यह सही है कि संकल्प प्रस्तुतकर्ता ने संकल्प में कमीशन की बात कही है लेकिन इससे तो मैं सहमत नही हूं। किन्तु इस सकल्प की जो मूल भावना है वह यह है कि इस देश में पढ़े-लिखे बेरोजगारों की संख्या दिन-प्रति दिन बढ़ती जा रही है और उन की समस्या का समाधान होना चाहिए। यह एक चिंता की बात है।

सभापति महोदय, बेरोजगारी पढ़े-लिखे लोगों की बढ़ रही है। इसके मूल में कारण यह नहीं है कि यह सरकार दोषी है या वह सरकार दोषी है। इसकी तह में कुछ दूसरे कारण हैं। पढ़े-लिखे लोगों की बेरोजगारी की तादाद क्यों बढ़ रही है ? एक तो सब से बड़ा कारण यह है कि हमारे देश में आबादी का विस्तार होता जा रहा है। उसके साथ साथ ही यूनिवर्सिटी, कालेज और दूसरी एजूकेशन का भी विस्तार होता जा रहा है। जब आबादी का विस्तार और शिक्षा का विस्तार दोनों साथ साथ हो रहे हैं तो फिर पढ़े-लिखे लोगों की बेरोजगारी बढ़ना स्वाभाविक है। यह तब तक बढ़ती रहेगी जब तक कि उनको रोजगार के उपयुक्त साधन नहीं दिए जायेंगे। उपयुक्त साधन देने में अनेक कठिनाइयां हैं। इस में साधनों की कमी हो सकती है, और चीजों की कमी हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई इसमें यह है, जैसा कि मेरे मित्र श्री नामग्याल कर रहे थे कि आज की जो हमारी शिक्षा पद्धति है वह वही है जिसकी कि अंग्रेजों ने नींव डाली थी। करीब करीब उसी ढर्रे पर यह शिक्षा-पद्धति चल रही है। यह शिक्षा पद्धति इस देश में बाबुओं को पैदा करती है। ऐसे लोग पैदा करती है जो व्हाइट कालर के धंधे करना पसन्द करते हैं, व्हाइट कालर जोब करना पसन्द करते हैं।

इसके मूल में एक और बात भी है कि इसके अन्दर डिगनिटी आफ लेबर नहीं है। इस डिगनिटी आफ लेबर के अभाव में इस देश के पढ़े लिखे आदमी में एक ऐसी हवा भर गई है कि वह हाथ से काम करने में शर्म महसूस करता है। यह देखा जाता है कि कुछ बड़े सेठ

साहुकार, बड़े अफसर, बड़े नेता एक छोटा-सा हेंडबैग भी अपने हाथ में ले जाने में शर्म की बात समझते हैं। अगर कलेक्टर होता है तो उसके हाथ से एस०डी० ओ०, एस० डी० ओ० होता है तो उसके हाथ से तहसीलदार और तहसीलदार होता है तो उसके हाथ से पटवारीउस का बेग ले लेता है•। एक अजीब हवा इस देश के अन्दर है और इसका कारण है कि देश के अन्दर डिगनिटी आफ लेवर का अभाव। पढ़ा लिखा आदमी हाथ से वह काम करने को तैयार नहीं होता है जिसमें हाथ खराब होते हैं। वह करने को तैयार नहीं है। काले कपड़े करने का कोई भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट तैयार नहीं है, 300 रुपये की नौकरी के लिए ठोकरें खाता रहेगा।

सभापति महोदय : जब अग्रिम बहस होगी, तब आप फिर बोलना।

सभापति महोदय : श्री केदार पांडे व्यापक टिकट चेकिंग अभियान के बारे में वक्तव्य देंगे।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बाद दिया जाएगा।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—जारी

बंगलौर में मलयाली और तमिल विरोधी पोस्टर लगाये जाने का समाचार और बम्बई में हुई घटनायें—जारी

सभापति महोदय : अब श्री पासवान ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलें।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि वहां पर सरकार और उसके मुख्य मन्त्री जो बयान दे रहे हैं और यहां पर मन्त्री महोदय द्वारा जो जवाब दिया जा रहा है, उन दोनों में अन्तर है। 'डेक्कन हेराल्ड' के उस दिन के एडीटोरियल को आप पढ़िए, उसके मुताबिक उन्होंने कांग्रेस (आई) के लोगों का नाम लिया, उसके नेताओं का नाम लिया और कहा है—

> "....यह केवल मूर्खतापूर्ण और अव्यवहारिक ही नहीं है अपितु इससे तो एक भाषायी वर्ग के लोग दूसरे भाषायी वर्ग के लोगों के खिलाफ हो जायेंगे...।"

इस प्रकार पूरा का पूरा विवरण इसमें दिया है। मेरा कहना है कि इस प्रकार की बात होती है और बंगलौर विधान सभा में सरकार द्वारा इसका खंडन नहीं किया गया। यह कितना सेंसेटिव और पेचीदा मामला है, इसको गम्भीरता से लिया जाना चाहिए। जितने भी बड़े-बड़े सिटी हैं, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, बंगलौर, ये तमाम जितने सिटी हैं यहां सब तरह के

लोग रहते हैं, सभी जातियों और भाषाओं के लोग रहते हैं। इन शहरों में जब इस तरह की बीमारी फैलेगी और आप फैलाने की अनुमति देंगे और इसके पीछे जाने-अनजाने रूलिंग पार्टी के लोगों का नाम लिया जाएगा तो जितने भी अल्प भाषा-भाषी लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उनका क्या होगा, यह विचारणीय प्रश्न है। इसलिए मैं कह रहा था कि एक तरफ तो सरकार नेशनल इन्टीग्रेशन की बात करती हैं और जब हमारी पार्टी या हमारी पार्टी के लोग उसमें सम्मिलित नहीं होते हैं तो हम पर तोहमत दी जाती है कि हम नेशनल इन्टीग्रेशन में सम्मिलित नहीं होते और दूसरी तरफ सरकार और उसकी पार्टी स्वयं ऐसे काम करती है, डिस-इन्टीग्रेशन पैदा करती है। आप आसाम के आन्दोलन को पूरे देश में फैलाना चाहते हैं। 8 तारीख को बंगलौर में शुरू होता है तो 9 तारीख को बम्बई में शुरू हो जाता है, बम्बई में शिवसेना द्वारा किया गया। इसलिए सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इसको गम्भीरता से लिया जाना चाहिए। सब से अधिक दुःख की बात यह है कि यह एक फैशन सा चल गया है कि जितने भी आन्दोलन होते हैं सबके पीछे किसी न किसी मन्त्री का हाथ क्यों हो जाता है। जितने भी आन्दोलन हुए, सब मे किसी न किसी मन्त्री के पीछे प्रश्न-चिन्ह लग गया। बंगलौर के मामले में पहले एक मन्त्री गए, उन्होंने हरिजनों को भड़काया, जब हरिजन उनके कहने में नहीं आए तो स्टीफन साहब गए और कहा कि सब ब्राह्मण एक झण्डे के नीचे आ जायें। जब वहां मामला हल नहीं हुआ तो तमिल-मलयालम की बात कह दी, तो इस तरह की बातें यहां पर की जाती हैं।

सभापति महोदय, जब मन्त्री महोदय जवाब दें तो एक बात मैं उनसे अवश्य जानना चाहूंगा और वह यह है कि 'शिवसेना' से आपका क्या सम्बन्ध है जबकि जहां तक हमारी जानकारी है कि जब भी शिव-सेना द्वारा कोई कार्यक्रम रखा जाता है, उसके बाद किसी न किसी की हत्या होती है या और कोई हिंसा होती है। अंतुले जी वहां पर मुख्य मन्त्री हैं। जब वहां पर किसान आते हैं, लाखों की संख्या में आते हैं तो उनको एड्रेस करने की उनके पास फुर्सत नहीं होती, लेकिन जब शिवसेना के लोग पहुंचते है तो उनको एड्रेस करने के लिए मुख्य-मंत्री पहुंच जाते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद आगजनी की घटना शुरू हो जाती है। आप तो जानते हैं शिव सेना फासिस्ट संस्था है। इसके जो प्रधान थे उन्होंने तो यहां तक कहा था कि नान-मराठी लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि यहां पर जो वेश्यायें हैं वे भी मराठी होनी चाहिए। यह उसकी विचारधारा है। कांग्रेस आई के नेता जाकर शिवसेना के लोगों को एड्रेस करते हैं। एड्रेस करने के बाद ये सभी घटनायें घटती हैं। आपको सोचना होगा कि क्या आप उन लोगों के विरुद्ध कोई एक्शन लेने में सक्षम हैं ? मैं समझता हूं नहीं हैं। आपके स्टेटमेंट का मंशा बिलकुल साफ था। आप में घबराहट थी। आप को लग रहा था कि यह चीज आपके खिलाफ जा सकती है, यह सब आप सोच रहे थे।

इस घटना को आप गम्भीरतापूर्वक लें। पोस्टर का जहां तक सम्बन्ध है यह ट्रू काफी है। "यह इस पत्र की सत्यप्रति है जो अध्यक्ष एन. एस. यू. आई. कर्नाटक ने प्रधान मन्त्री को भेजा था।"

इतना ही नहीं। सबसे बड़ी बात जो निकली है वह यह है कि असेम्बली में वहां डिबेट में यह कहा गया है कि 'डैकन हैरल्ड' के समाचारपत्र के सम्पादक के यहां लोग गए और कहा कि यह-यह समाचार छापो, एक सप्ताह में ऐसे-ऐसे नहीं होगा तो आपका राशन पानी सब काट दिया जाएगा। इन्कार करने प उसका घेराव किया गया, उसको धमकियां दी गई कांग्रेस आई के लोगों के द्वारा। यह मामला वहां उठा है, अखबारों में सारी चीज आई है।

श्री के० लकप्पा (टुमकुर) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह बात एकदम गलत है। कांग्रेस (आई) के लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया है। यह कांग्रेस (अर्स) तथा सी. पी. आई. (एम.) के लोगों द्वारा कांग्रेस (आई) के नाम से छापा जा रहा है।

सभापति महोदय : इस बात में तो कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामविलास पासवान : दस तारीख को 'डैकन हैरल्ड' में एडीटोरियल निकला था। मैं कोई अपने मन से नहीं कह रहा हूं। लकप्पा जी ने पढ़ा नहीं होगा।

श्री के० लकप्पा : महोदय, मैं अपने राज्य की सही स्थिति बता रहा हूं। किसी को समाचार पत्रों में छपी बातों पर एकदम विश्वास नहीं करना चाहिए।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य का यह कहना एकदम सही है कि अभी वह स्वर्णयुग नहीं आया है जब समाचार पत्रों में एकदम सही समाचार छपें।

श्री रामविलास पासवान : मैं आपकी भावना से सहमत हूं। प्रेस के अलावा यह मामला विधान सभा में उठ चुका है, किसी मन्त्री ने खंडन नहीं किया है।

सभापति महोदय : यहां भी बहुत से मुद्दों पर बहस होती है, विभिन्न विचार व्यक्त किए जाते हैं। किस निष्कर्ष पर आप पहुंचेंगे ?

श्री रामविलास पासवान : भारत सरकार के दो मन्त्री वहां गए थे, क्या यह सही है ? क्या यह भी सही है कि जातीय आधार पर आन्दोलन को तोड़ने के लिए, जातिवाद फैलाने के लिए, ब्राह्मण हरिजन के बीच फूट डालने के लिए गए थे ?

क्या यह भी सही है कि श्री अंतुले जो महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री हैं, जिस शिव सेना के द्वारा यह सारी कार्रवाई की गई है उसको जाकर उन्होंने एड्रेस किया था और भाषणों के बाद यह सारा मामला उठा और ये सारी घटनाएं घटीं ?

क्या यह भी सही है कि 'डैकन हैरल्ड' के न्यूज एडीटर का घेराव किया गया था, उसको धमकियां दी गई थीं ?

यह जो सारी घटना है जिसके सम्बन्ध में कुरियन जी ने कहा है कि मुख्य मन्त्री जी ने कहा है कि जहां ऐसी बात नहीं है, प्रधानमंत्री के सेक्रेटेरियट से अभी तक पत्र नहीं मिला है, यह

कह कर···आप बहुत बारीकी से निकल गए कि प्रधान मन्त्री की सेक्रेटेरियट से नहीं मिला है। जब कि हमारा चार्ज है कि उसने 5 तारीख को भेजा है, और आपकी तरफ के लोग कहते हैं कि वहां रिसीव नहीं हुआ है। लेकिन मैं मन्त्री महोदय से कहूंगा कि आपको मिला हो या न मिला हो, आपकी इन्टेलीजेंस के सामने, पुलिस के सामने यह पोस्टर छपा, और किस ने निकाला, किसने भेजा इसकी जवाबदेही आपकी है। तो क्या आप इस सम्बन्ध में सी० बी० आई० द्वारा जांच करायेंगे कि पर्चा कहां से निकला, किसने निकाला। तमाम देश में जो एक गलत वातावरण फैल रहा है कहीं जाति के नाम पर, कहीं भाषा के नाम पर, इसको सख्ती से रोका जाए। शिव सेना ने क्या कहा ? आपने तो कह दिया तमिल और मलयाली भाषा को अलग करो, और शिव सेना ने कह दिया कि साउथ इन्डियन को बाहर करो। इसी तरह से बिहार में आग फैलेगी कि फलां को निकालो। असम का मामला आपके सामने है। तो पूरे देश में किस तरह की विचारधारा आप लाना चाहते हो ? यह बहुत गम्भीर मामला है और इन सारी चीजों के लिए क्या आप पार्लियामेंटरी कमेटी नियुक्त करेंगे। आज देश में आग लग रही है कि कौन जिले में कौन रहेगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस सारे सेंसिटिव मामले के लिए कोई पार्लियामेंटरी कमेटी नियुक्त करेंगे और अध्ययन के लिए उसको वहां भेजेंगे ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : माननीय सदस्य ने वही बात दोहराई है जो पूर्व वक्ताओं ने कही थी। मैंने पूर्व वक्ताओं के उन मुद्दों का पहले ही उत्तर दे दिया था जो अब माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए हैं। मैंने डकन हैरल्ड से उद्धरण दिया था। पोस्टर में दिए गए नाम के बारे में एन० एस० यू० आई० के अध्यक्ष ने पूर्णतः खंडन किया है। उन्होंने बताया है कि उनका इसमें कोई हाथ नहीं है। राज्य सरकार ने राज्य की विधान सभा में पहले ही यह घोषणा कर दी है कि सभी भाषाओं के अल्पसंख्यकों को पूर्ण सुरक्षा दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि पोस्टर में उस पत्र की सत्य प्रति है जो प्रधानमन्त्री को लिखा गया है। मैं इस सम्बन्ध में पहले ही बता चुका हूं। कांग्रेस (आई) पर अनेक आरोप लगाये जाते हैं। मैंने गुजरात का भी उदाहरण दिया था। वहां सवर्ण हिन्दुओं से कुछ साहित्य मिला था। लेकिन उन्होंने आरोप हरिजनों पर लगाया था। इसलिए ऐसा तो होता ही है। कोई एक व्यक्ति किसी एक को बदनाम करना चाहता है। जैसा कि मैंने पहले बताया है राज्य सरकार मामले की जांच कर रही है। उन्होंने केन्द्रीय सरकार के दो मन्त्रियों पर आरोप लगाए थे तथा सदन में मैंने स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी है। जब श्री जार्ज फर्नान्डीस ने आरोप लगाया था तो एक मन्त्री ने स्थिति स्पष्ट कर दी थी। श्री शंकरानन्द ने स्थिति स्पष्ट कर दी थी। सदन में सरकार की स्थिति काफी स्पष्ट की जा चुकी है। जहां तक महाराष्ट्र के मुख्यमन्त्री के भाषण का सम्बन्ध है, इस प्रकार की बातें तो हमेशा होती हैं। जब ऐसे मोर्चा होता है तो मुख्यमन्त्री वहां जाते हैं और जब वहां कोई मांग की जाती है तो मुख्यमन्त्री उन्हें शांत करते हैं तथा मोर्चे के लोगों के समक्ष मुख्यमन्त्री के भाषण देने में कोई गलत बात नहीं है। यदि उन्होंने यह कहा है कि वह मामले पर केन्द्रीय सरकार से विचार-विमर्श करेंगे तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। जहां तक पत्र का सम्बन्ध है मैंने पहले ही कहा है कि इस प्रकार का कोई पत्र प्रधानमन्त्री या कांग्रेस अध्यक्ष को

नहीं लिखा गया है। जहां तक संसदीय समिति का सम्बन्ध है, मेरा विचार है कि इस मामले पर कोई संसदीय समिति बैठाने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी बताया है कि राज्य सरकार ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153 (क) के अधीन के० आर० पुरम पुलिस थाना, बंगलौर में 10 मार्च, 1981 को मामला दर्ज किया था कि उन व्यक्तियों का पता लगाया जाए जिनका इन पोस्टरों को निकालने में हाथ था तथा जो इसके लिए उत्तरदायी थे। राज्य सरकार ने इस मामले में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।

सभापति महोदय : क्या ये पोस्टर दिल्ली में लगे थे ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : ये पोस्टर बंगलौर में लगे थे। राज्य सरकार मामले की जांच करा रही है और इस सम्बन्ध में कोई संसदीय समिति नियुक्त करने की कोई जरूरत नहीं है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री रामविलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा था कि शिव सेना फासिस्ट आर्गेनाइजेशन है और उसका प्रीवियस रिकार्ड हत्या करवाने का रहा है, तो ऐसे आर्गेनाइजेशन में मुख्यमन्त्री का जाना और उसके बाद इस तरह की घटना घटना, इस सम्बन्ध में मैंने पूछा था।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैंने कहा कि ऐसे बहुत से प्रेसीडेन्ट्स हैं पहले भी जबकि चीफ मिनिस्टर गए थे, आपके शरद पंवार भी गए थे उसके पहले भी गए थे, चीफ मिनिस्टर नायक साहब भी गए थे और इन्होंने जो-जो मोर्चा निकाला है, उसको एड्रेस किया है। उसमें अकेले शिव सेना ही नहीं थी, महाराष्ट्र एकीकरण समिति के सदस्य भी थे। तो ऐसे लोगों को पैसीफाई करने के लिए चीफ मिनिस्टर का जाना, उसमें कोई गलत बात नहीं है।

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : महोदय, बंगलौर के लोगों की यह परम्परा रही है कि वे भाषायी अल्पसंख्यकों के साथ शांति और सौहार्द्य के साथ रहें। कर्नाटक विधान सभा में केवल विधायकों ने ही नहीं अपितु कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने यह बात एकदम स्पष्ट कर दी है। जहां तक पैम्फलेट बंटवाने और पोस्टरों, जो आज श्री जार्ज फर्नान्डीस और श्री पी.जे. कुरियन द्वारा दिखाए गए हैं, का सम्बन्ध है उन्होंने बताया है कि इनमें भाषायी अल्पसंख्यकों को बिजली तथा पानी की सप्लाई रोकने और तमिल तथा मलयाली परिवारों को कर्नाटक से बाहर निकालने की बात कही गई है। इस प्रकार के आरोप लगाए गए हैं। अब प्रश्न यह है कि इस सम्बन्ध में क्या अनुवर्ती कार्रवाई की जाए ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां भाषायी अल्पसंख्यकों के दिमाग फेरने के राजनैतिक प्रयास किए जा रहे हैं। क्या वे यह बता सकते हैं कि वहां किसी के साथ ऐसा हुआ भी है ? एक भी मलयाली या तमिल व्यक्ति को कर्नाटक से निकाला नहीं गया है। तमिल या केरल के लोगों की कालोनियों को बिजली या पानी की सप्लाई नहीं रोकी गई है। लेकिन फिर भी ऐसी आशंका की जा रही है कि वहां कुछ भी हो सकता है और वहां के लोगों की जान को खतरा है तथा उनका जीवन सुरक्षित नहीं है। मैं कहता हूं कि यह एक राजनैतिक

चाल है। अब प्रश्न यह उठता है कि मैं यह सब क्यों बता रहा हूं ? यह इस कारण से है कि श्री जार्ज फर्नान्डीस जैसे जिम्मेवार लोग इन पैम्फलेटों व पोस्टरों के वितरण-स्थल का पता लगा चुके हैं। यदि श्री जार्ज फर्नान्डीस यह कहते हैं कि ये एन० एस० यू० आई० ने छापे थे और श्री कुरियन यह कहते हैं कि ये कांग्रेस (आई) के लोग छाप सकते हैं तो हम भी समान रूप से यह कह सकते हैं कि यह कुचक्र श्री जार्ज फर्नान्डीस और श्री कुरियन द्वारा चलाया जा सकता है। (व्यवधान)।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : महोदय, मुझ पर आरोप लगाया गया है। मेरा नाम लिया गया है। मुझे स्थिति स्पष्ट करने के लिए अवसर जरूर मिलना चाहिए। (व्यवधान)।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : सदस्य आरोप लगा रहे हैं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : वह कहते हैं 'हो सकता है'।

उपाध्यक्ष महोदय : हो सकता है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यह एक आक्षेप है। मैंने यहां पोस्टर दिखाया है (व्यवधान)।

श्री मनोरंजन राम (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह) : उन्होंने तो केवल एक तर्क दिया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यह कोई तर्क नहीं है। यह तो सरासर आक्षेप है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री पुजारी के वक्तव्य का पालन कर रहा हूं, उन्होंने कहा है, "हो सकता है"। उन्होंने यह नहीं कहा है "यह है"।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : उन्होंने 'यह है' ऐसा नहीं कहा है। इसीलिए मैं यह कह रहा हूं कि यह एक आक्षेप है। वह कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है, "यह भी सम्भव हो सकता है।"

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं सदन में बैठा हुआ हूं और क्या मुझे इस समय खामोश रहना चाहिए, जब माननीय सदस्य यह कह रहे हों, "श्री फर्नान्डीस ने ऐसा किया होगा" मुझे अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही छप जाने के बाद यदि आप कोई व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहें तो आप अगले सोमवार को अध्यक्ष महोदय की अनुमति लेकर ऐसा कर सकते हैं। आपको इसका मूल पाठ भी देना पड़ेगा। इसकी हमेशा अनुमति दी जाती रही है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं आपके इस विनिर्णय के प्रति आभारी हूं।

श्री जनार्दन पुजारी : पिछले अध्यक्ष द्वारा, कर्नाटक के मुख्य मन्त्री के वक्तव्य के बारे में कुछ संकेत दिए गए हैं। यह बताया जाता है कि मुख्य मन्त्री के वक्तव्य के तत्काल बाद ही ये चीजें कर्नाटक में शुरू हुई।

कर्नाटक के मुख्य मन्त्री ने बताया है कि कैसर गौड, कर्नाटक का ही एक हिस्सा है। महाजन समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार भी इस बात को स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कैसरगौड कर्नाटक का अभिन्न अंग है। कर्नाटक के लोगों की भी यही इच्छा है कि कैसरगौड कर्नाटक का ही हिस्सा रहे न कि केरल का। इन पम्फलेटों के कथित वितरण के पश्चात क्या किया गया है ? इसके तत्काल बाद, केरल सरकार ने कर्नाटक के लोगों के विरुद्ध एक किस्म से युद्ध की घोषणा कर दी है। उन्होंने इसके लिए क्या किया ? इतना ही नहीं बल्कि मुख्यमन्त्री के वक्तव्य के बाद भी उन्होंने कर्नाटक के लोगों को बिजली की सप्लाई एकाएक बन्द कर दी। यह कार्य एकतरफा किया गया और ऐसा करने से पहले कर्नाटक सरकार से पूछा तक नहीं गया। पम्फलेटों के कथित वितरण के बाद, केरल सरकार ने 29 मछली पकड़ने की नौकायें भी जब्त कर लीं जिनमें 2 करोड़ रुपये की मछलियां लदी हुई थीं। वास्तव में, केरल सरकार ने कर्नाटक सरकार के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी है।

क्या मैं गृह मंत्री से पूछ सकता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार इस बारे में कुछ हस्तक्षेप करेगी और केरल सरकार से 2 करोड़ रुपये की मल्य की मछलियों सहित 29 मछली पकड़ने वाली नौकाओं को छोड़ने के लिए कहेगी। मैं केन्द्रीय सरकार से ऐसा करने का आग्रह कर रहा हूं अथवा वह केरल सरकार को बर्खास्त कर दे। यह मेरी सबसे पहली मांग है।

अब मैं बम्बई, महाराष्ट्र की स्थिति को लेता हूं जो अत्यन्त खेदजनक एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। वहां पर, शिव सेना के लोगों ने दक्षिण-भारतीयों को अपने आक्रमण का निशाना बनाया है। दक्षिण भारतीयों को वर्षों से सताया जाता रहा है, उनका अपमान किया जाता रहा है, उनकी सम्पत्ति लूट ली गई और नष्ट कर दी गई। शिव सेना के लोगों ने उन बेचारों पर सभी तरह के अत्याचार किए हैं। सिर्फ आपातकाल में ही यह अत्याचार कुछ समय के लिए रुका था। अब फिर से उन्होंने यह कार्य शुरू कर दिया है और इसके लिए वह यह तर्क देते हैं कि महाराष्ट्र के लोग कर्नाटक के बेलगांव और अन्य भागों की मांग कर रहे हैं। यहां भी मेरा निवेदन है कि महोदय, यह महाजन समिति की रिपोर्ट की सिफारिश है कि बेलगांव, बेदार का हिस्सा, धारवार का हिस्सा, कर्नाटक के हिस्से थे। यह तय कर दिया गया है। अब मैं तो महाजन समिति की रिपोर्ट के कार्यान्वयन की ही मांग कर रहा हूं। यहां पर सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कर्नाटक में यह लोग विशेषतः शिव सेना के लोगों की, न कि सभी महाराष्ट्रियनों की, कर्नाटक के लोगों के विरुद्ध शिकायत है। उन्होंने विशेष रूप से उडापी के मतदाताओं को निशाना बनाया है। वे लोग मेरे निर्वाचन क्षेत्र के हैं। उन्हें निशाना बनाया गया है। उन्हें उत्पीड़ित किया गया, उन्हें मानसिक यातनायें दी गईं, वे भय और आशंका के वातावरण में रह रहे हैं। इन लोगों के दिमाग में भय समाया हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन है कि क्योंकि बम्बई में कर्नाटक

के लोगों की कोई सुरक्षा नहीं है तो क्या सरकार शिव सेना के अध्यक्ष अथवा उसके सभापति श्री बाल ठाकरसे के विरुद्ध कोई सख्त कार्यवाही करने जा रही है। यदि यह अपेक्षित है तो महोदय, हमें उसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लेना चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उसकी गिरफ्तारी के बारे में कुछ सोच रही है ?

मेरा अन्तिम निवेदन यह है कि यदि दक्षिण भारत के लोगों और विशेष रूप से मेरे जिले के आदिवासी लोगों के लिए यदि कोई मुक्ति का साधन नहीं है तो जो अत्याचार किए गए हैं उनके बारे में गृह मन्त्री कम से कम एक केन्द्रीय जांच अथवा न्यायिक जांच तो करा ही सकते हैं।

श्री योगेन्द्र मकवाणा : महोदय, माननीय सदस्य ने एक भी सवाल नहीं पूछा है। अलबत्ता उन्होंने सुझाव दिए हैं। उन्होंने बताया है कि शिव सेना के लोगों ने वहां पर रह रहे दक्षिण भारत के लोगों की सम्पत्ति को लूटा है और उन पर हमले किए हैं। महोदय, मैंने राज्य सरकार से इसकी जांच की है और जो रिपोर्ट राज्य सरकार से मुझे मिली है उनसे पता चलता है कि सम्पत्ति को इस प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है और विशेष रूप से दक्षिण भारतीय लोगों की सम्पत्ति का। एक जलूस निकाला गया था और वह जलूस जब खत्म होने को था तो उन्होंने कुछ साइन बोर्डों पर पत्थर फेंके और कुछ दुकानों पर हमला किया गया। और ये सभी दुकान दक्षिण भारतीयों की नहीं थी।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : *

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं की जाएगी।

श्री योगेन्द्र मकवाणा : उन्होंने साइन बोर्डों पर पत्थर फेंके थे। विक्टोरिया···के शो केस तोड़ दिए।

श्री जार्ज फनन्डीस : *

उपाध्यक्ष महोदय : सिवाय श्री मकवाना के उत्तर के कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

श्री के० लकप्पा : *

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लकप्पा की टिप्पणी भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं की जाएगी।

श्री एन० गौजागिन (बाह्य मणिपुर) : महोदय, आपकी सूचना के लिए बंगलौर में कन्नाडीगज अल्पसंख्यक हैं।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री योगेन्द्र मकवाणा : यह कहना गलत है कि राज्य सरकार ने उन्हें कोई संरक्षण नहीं दिया है बल्कि इसके विपरीत उन्होंने 39 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और जिनको ज्यादा नुकसान पहुंचा है और जो ज्यादा घायल हो गए हैं वे दो पुलिस अधिकारी और सात पुलिस के सिपाही हैं। और तीन नागरिकों में से कोई भी दक्षिण भारतीय नहीं है। जैसा कि राज्य सरकार ने अनुमान लगाया है कि संपत्ति का नुकसान लगभग 50,000 रुपए का हुआ है। (व्यवधान) एक और चीज जो माननीय सदस्य ने पूछी है वह है महाजन आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के बारे में। हमने इस सदन में बार-बार यह कहा है और दूसरे सदन में भी यह कहा गया है कि जब भी कहीं सीमा विवाद सम्बन्धी कोई प्रश्न है और सीमा क्षेत्र से सम्बन्धित कोई विवाद है तो यदि दोनों ही राज्य सरकारें उसका शान्तिपूर्वक हल कर लें और यदि दोनों ही सरकारें आपस में सहयोग करें तो तभी केन्द्रीय सरकार के लिए उन सभी रिपोर्टों को कार्यान्वित करना सम्भव होता है अन्यथा उन्हें कार्यान्वित करना बहुत कठिन है।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह देश का दुर्भाग्य है कि एक प्रान्त के व्यक्ति दूसरे प्रान्त के व्यक्तियों पर वार करते हैं और हमला करते हैं। जहां तक हमारा अनुभव है लड़ाई सामान्य व्यक्ति नहीं करता है, तोड़फोड़ करने वाले व्यक्ति जो राजनीति में असफल हुए हैं और गुण्डे ही करते हैं, और उनकी मिली-भगत से ही होती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बंगलौर गया था, जिस दिन वहां पर एक रैली निकाली गई। पासवान जो चले गए, वे भी थे, जाफर शरीफ साहब भी थे, हम बंगलौर संसदीय राजभाषा समिति के दौरे पर मैसूर जा रहे थे। हमें यह था कि वहां पर किसान रैली है और हम आठ-दस संसद सदस्या चार-पांच कारों में जा रहे थे, इन पर हमला हो जाएगा और पत्थर बाजी होगी। हमने वहां पर एक ट्रक नहीं देखा, जब दूसरे दिन वापिस लोट कर आये तो रिपोर्ट मिली, लेकिन रास्ते में कोई किसान नहीं मिला, तो यह रैली की किसने ? वहां हमको एक ट्रक नहीं मिला, पता यह लगा कि हमारे जो भूतपूर्व, अब क्या कहूं श्री देवराज अर्स जी को, असफल राजनीतिज्ञ, पता नहीं क्या-क्या दावा करते थे, उनको हमारी अध्यक्षा के एक सैनिक, श्री गुण्डु राव जी, ने ऐसा पछाड़ा कि चारों खाने चित पड़े, तो वह व्यक्ति उन को परेशान करने के लिए, इस तरह की बहाने बाजी कर रहा था। उन्होंने वहां के शरारती तत्व और जो बेकार लोग घूमते हैं, उनको इकट्ठा करके वहां पर रैली निकाली और उसके बाद जो आन्दोलन चला, हड़ताल हुई, उसमें भी हमारे मार्क्सवादी और कांग्रेस देवराज के अर्स व्यक्ति थे, उन लोगों ने शरारती तत्वों को लेकर के वहां यह हड़ताल कराई और तोड़फोड़ भी करवाई।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक पोस्टर का ताल्लुक है, इस देश के अन्दर तीन ऐसे तत्व है—एक तो आर० एस० एस०, इन्होंने तो झूठे प्रोपगेंडे में गोबल्स को भी मात कर दिया है-दूसरे नक्सलवादी और तीसरे मार्क्सवादी और हमारे वहां बैठे हुए महारथी, पता नहीं क्या.क्या यहां पर नियम की बातें करते हैं और बाहर कानून को तोड़ने की बात करते हैं। काले धन को जब निकालने की बात आई तो कहने लगे छीना-झपटी करो, यह हमारे जार्ज साहब कहने लगे। हमारे

जो असफल राजनीतिज्ञ व्यक्ति है, ये गुण्डों का सहारा लेकर इस प्रकार की शरारतें करते हैं औ पोस्टर छपवाना और पत्रिकायें छपवाना आदि ।

इस संबंध में मैं आपको एक जीता-जागता उदाहरण, जो मेरे साथ बीता है, पेश करत हूं । मैं संसदीय राजभाषा समिति के दौरे पर बहार गया । अमरीका के अन्दर मेरे सम्बन्ध में ए न्यूज उड़ाई गई, वहां पर दीनदयाल उपाध्याय एक इन्टरनेशनल केन्द्र है, जनसंघियों का जिस भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं । उन लोगों ने वहां पर मेरे सम्बन्ध में एक ऐसी न्यूज उड़ाई कि आचार्य भगवान देव वहां शराब पीकर होटल में गिर गया । और मुझे लोगों ने उठाकर दूस होटल में ले गए । जिस भगवान देव ने बीसियों किताबें लिखीं व्यसनों के खिलाफ और तामस पदार्थों के खिलाफ । बीड़ी सिगरेट मैं नहीं पीता तो शराब का तो सवाल ही कहां हैं । वह प्रोपेगेंडा उसी दिन यहां दिल्ली के आर्गेनाइजर ने फोटो के साथ छापा तथा न्याय अजमेर में छपा और देश के जितने जनसंघी पेपर हैं, उनमें फोटो के साथ मेरी न्यूज छपी । अब उन्होंने कुछ पश्चा ताप किया है, लेनिक अभी भी पकड़ में हैं, मैंने तय नहीं किया है कि क्या करूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात बतलाता हूं- मैं गुजरात गया था, जहां पर ये दंगे और हुल्लड़ हो रहे हैं । मैंने वहां पर जाकर देखा कि एक "साधना प्रकाशन" है जो जनसंघियों और भारतीय जनता पार्टी का है, जिसके सम्पादक विष्णु भाई हैं, जिसका कार्यालय "रिलीफ सिनेमा" के सामने है, वहां से ऐसा साहित्य प्रकाशित होता है जिसको अलग-अलग प्रान्तों में भेजकर बगावत खड़ी की जा रही है । यह सही बात है— ये लोग गलत नामों से पत्रिकायें और पोस्टर छपवाकर कांग्रेस (आई) को बदनाम करते हैं । मैं पूछना चाहता हूं — क्या कोई व्यक्ति अपने ही घर में तोड़फोड़ कर सकता है, आग लगा सकता है ? यह न्याय का तकाजा है— कर्णाटक में कांग्रेस (आई) की हुकूमत है , महाराष्ट्र में कांग्रेस (आई) की हुकूमत है— क्या वे कभी चाहेंगे कि गुण्डों को प्रोत्साहन देकर अपने ही हाथों से अपने घर में तोड़फोड़ करायें, अपने प्रान्त में अराजकता पैदा करें। इस प्रकार की बातें यहां पर करना सदन को गुमराह करना है, पाप स्वयं करते हैं और उससे बचने के लिए इल्जाम कांग्रेस (आई) पर थोपते हैं। आज यह हालत है कि जो बड़े-बड़े गुण्डे हैं, जेब-कतरे हैं— जेब काट कर दूर से चिल्लाते हैं कि जेब-कतरा है पकड़ो, जेब कट गई, इस तरह से दूसरों को उल्लू बनाते हैं और जेब काट कर धीरे से खिसक जाते हैं । यही हालत आज हमारे विरोधी पार्टियों के नेताओं की है । यह स्वयं तोड़फोड़ करते हैं, झूठी पत्रिका छापते हैं, झूठे पोस्टर छापते हैं और कांग्रेस (आई) पर आक्षेप लगाते हैं । जिन की वहां पर हुकूमत है, वे कभी तोड़फोड़ नहीं कर सकते हैं इन की बातों में कोई सच्चाई नहीं है ।

लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा— जैसा हमारे गृह मन्त्री जी ने आश्वाशन दिया है कि उन शरारती तत्वों को नहीं छोड़ा जाएगा— मैं इस मौके पर अपने दोनों प्रान्तों के बहादुर मुख्य मन्त्रियों-श्री गुण्डूराव जी और श्री अनतुले जी-को बधाई देता हूं, जिन्होंने वहां पर सख्ती के साथ कदम उठाया है और किसी पर आंच नहीं आने दी है ।

अब जहां तक बम्बई का सवाल है— मैं बम्बई के सम्बन्ध में भी कह दूं। अभी कहा गया है कि इसमें भी कांग्रेस (आई) का हाथ था। मैं शिव सेना की बात को भी साफ कर दूं— शिव सेना के अध्यक्ष बाल ठाकरे, अकाली दल वाले, मार्क्सवादी और नक्सलवादी— इन तमाम तत्वों···जो अराजकता फैलानेवाले तत्व हैं··· की शान को यदि कोई ठिकाने लाई है तो वह श्रीमती इन्दिरा गांधी लाई हैं। वहां पर नगर निगम के अन्दर जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग शिव सेना के साथ मिलकर साठगांठ करके हुकूमत चलाते थे। इन्हीं लोगों ने इसको प्रोत्साहन दिया है। मुझे यह भी बताया गया है कि बाल ठाकरे आर. एस. एस. का स्वयं सेवक था, उन्ही की योजनाओं को लेकर, उन्हीं के गेरुवे झंडे को लेकर, शिवा जी को सामने रख कर, उसने आन्दोलन शुरू किया। यह आर० एस० एस० की देन है, पुराना आर० एस. एस. वाला है जो तोड़फोड़ कराता है। चूंकि वहां पर मोर्चे लगाते हैं, इसलिए हमारे मुख्य मन्त्री को वहां जाना पड़ता है, क्योंकि उनको वहां शांति स्थापित करनी होती है। वहां जो तोजफोड़ हुई है उसके सम्बन्ध में मैं गृह मन्त्री जी से कह दूं— आपने कहा है कि 50 हजार का नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है इसको आप देखिए, लेकिन में एक सुझाव देना चाहता हूं— जिन लोगों ने अपराध किया है, तोड़फोड़ की है, कानून को तोड़ा है और जो गिरफ्तार हुए हैं— यदि यह साबित हो कि वे गुन्डे हैं तो उन गुण्डों की सम्पति को जब्त करके जिनका नुकसान हुआ है उनके नुकसान की भरपाई कराई जाय। हम हुकूमत के कोष से क्यों दें ? उन गुण्डों की सम्पति को जब्त किया जाय और उस सम्पति से जिन का नुकसान हुआ है उन को तुरन्त मुआवजा दिलाया जाय। लेकिन इस बात में कोई तथ्य नहीं है कि कांग्रेस (आई) की तरफ से ऐसा हुआ है। ये सारी शरारतें विरोधी पार्टियों के लोग करा रहे हैं।

मैं गृह मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि अल्प-संख्यक लोगों की रक्षा करने की अलावबारी कांग्रेस (आई) ने ली है। श्रीमती इन्दिरा गांधी और उनके सैनिक कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे किसी भी प्रान्त में दूसरे प्रान्त के किसी भी कौम या भाषा के बोलने वाले व्यक्ति को परेशान किया जाय। क्या आप इस प्रकार के कदम उठाना चाहते हैं कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन को भरपाई हो सके और जिन लोगों ने तोड़-फोड़ की है उन से उस नुकसान को वसूल किया जाय।

श्री योगेन्द्र मकवाना : माननीय सदस्य ने जो बातें कहीं हैं, मैं उन से सहमत हूं। उनकी काफी बातों में सच्चाई है, लेकिन यह नहीं हो सकता है कि उनकी सम्पत्ति को जब्त करके उसमें से मुआवजा दिया जाय। मैंने कहा है -39 लोगों को एरेस्ट किया गया है, उन पर केसेज चलाये जायेंगे और जो हमारे कानून में लिखा हुआ है, इन्डियन पीनल कोड की धाराओं के मुताबिक जो भी दण्ड उनको दिया जा सकता है, वह दिया जायगा।

———

सभा का कार्य

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री रघबीर राय केसरी) : महोदय' आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि मार्च, 1981 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :

1. आज की कार्यसूची के बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार ।

2. विशेष वाहक बन्ध-पत्र (उन्मुक्ति और छूट) अध्यादेश, 1981 का अनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा तथा विशेष वाहक बन्ध-पत्र (उन्मुक्ति और छूट) विधेयक, 1981 पर विचार और पारित करना ।

3. मणिपुर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई घोषणा का अनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा ।

4. वर्ष 1981 82 के लिए मणिपुर बजट पर सामान्य चर्चा ।

5. मणिपुर राज्य से सम्बन्धित निम्नलिखित मांगों पर चर्चा तथा मतदान :

   (क) वर्ष 1981-82 के लिए लेखा अनुदानों की मांगे ।

   (ख) वर्ष 1980-81 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगे ।

6. दिल्ली सिख गुरुद्वारा (संशोधन) अध्यादेश, 1981 का अनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा तथा राज्य सभा द्वारा पास किये गए रूप में दिल्ली सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक, 1981 पर विचार तथा पारित करना ।

7. निम्नलिखित विधेयकों पर राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में विचार तथा पारित करना :

   (1) संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेन्शन (संशोधन) विधेयक, 1980

   (2) रामपुर रजा लाइब्रेरी (संशोधन) विधेयक, 1980

   (3) खुदा बक्श ओरियन्टल पब्लिक लाइब्रेरी (संशोधन) विधेयक, 1980

श्री ईरा अनबारासू (चिंगलपट्टू) : उपाध्यक्ष महोदय मैं उस घटना के बारे में विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा जो तमिलनाडु में मेरे निर्वाचन क्षेत्र चिंगलपट्टू में हुई है। (व्यवधान) ।

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री वी. वेंकट सुब्बय्या) : अब आप इस मामले को क्यों उठा रहे हैं (व्यवधान) ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्योंकि वह इसको भी शामिल करवाना चाहते हैं।

श्री पी. वेंकट सुब्बय्या : उन्होंने इसका कोई नोटिस नहीं दिया है (व्यवधान)।

श्री ईराअबरानासू : नोटिस दिया है। मैंने नोटिस दिया है।

एक हरिजन लड़की की हत्या के पीछे जो कहानी है उसको जानकर दिल दहल जाता है और वह घटना मदुरानटक्कम में हुई है। इस सदन में सभी मौजूद व्यक्ति इस पर चिंता प्रकट करें। जब हमें इस बात का पता चलेगा कि किस प्रकार एक युवा हरिजन लड़की का सर्वस्व केवल 500 रुपए में नीलाम किया गया। चौयूर कालोनी, मदुरांटक्कम, चिंगलपट्टू जिला, तमिनाडु की हरिजन लड़की के साथ बलात्कार किया गया और उसकी नृशंस हत्या की गयी। गरीबी से तंग वह मासूम हरिजन लड़की किसी रोजगार की तलाश में गयी थी और उसने एक विधायक की सहायता मांगी थी। विधायक ने उसको काम दिलाने का आश्वासन दिया था। उसका निजी सहायक उसे अपने घर ले गया और उसके चीखने चिल्लाने और निकल भागने के प्रयासों के बावजूद उसके साथ बलात्कार किया। जब वह लड़की उस विधायक और अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए चीखी चिल्लायी तो निजी सहायक ने क्षमा मांगी।

उपाध्यक्ष महोदय : मि० अनबारासू आपको उन व्यक्तियों के नाम नहीं बताने चाहियें। उन व्यक्तियों के नाम कार्यवाही वृतांत में शामिल किए जाने की अनुमति नहीं होगी।

श्री ईरा अनबारासू : और निजी सहायक ने यह आश्वासन दिया कि वह उसके साथ शादी कर लेगा। उसके बाद उस लड़की ने उसके साथ रहना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद उस विधायक के भाइयों ने भी उस बेचारी लड़की के साथ बलात्कार किया और उसके बाद उस लड़की की नृशंस हत्या करदी गयी। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : वह केवल इस मद को शामिल करवाना चाहते हैं। (व्यवधान)।

श्री ईरा अनबारासू : यह मद कार्यसूची में शामिल की जानी चाहिए क्योंकि मुझे डर है कि वह विधायक बहुत शक्तिशाली है और उसका हाथ इस मामले में है। उस हरिजन लड़की के साथ न्याय नहीं होगा। और इसके बावजूद वहां के प्रशासन में मुझे कोई विश्वास नहीं है। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया किसी का नाम मत लीजिए (व्यवधान)।

श्री ईरा अनबारासू : यह न्याय हित का मामला है। इस मद को शामिल कर लीजिये। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : अब इसे समाप्त करिए (व्यवधान)।

श्री ईरा अनबारासू : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इस बात पर जोर देता हूं कि भारत सरकार को उस शोकग्रस्त परिवार को कुछ क्षतिपूर्ति करनी चाहिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : दो प्रश्न ऐसे हैं जो मैं अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल करवाना चाहता हूं। पहले का सम्बन्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के उपयोग अथवा दुरुपयोग से है। क्योंकि मुझे यह विश्वास नहीं है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कोई वैध कानून है। यह अवैध कानून है और इसलिए इसका दुरुपयोग अनिवार्यरूप से दुरुपयोग कहा जायगा। इस कानून का विवेकहीन तरीकों से उपयोग किया जा रहा है। जिसे आप अच्छी तरह से जानते है। तमिलनाडु के एक माननीय सदस्य अभी अभी इसके बारे में एक चर्चा कर रहे थे। जहां इसका प्रयोग एक किसान श्री नारायण स्वामी नायडू के खिलाफ किया गया था। जब वे दिल्ली से अपने घर लौट रहे थे, वह हवाई जहाज में चढ़ने ही वाले थे कि उन्हें वहाँ पकड़ लिया गया और सीधे जेल ले जाया गया। उड़ीसा में भी एक हरिजन छात्र नेता बिष्णु दास को गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि वह उस कार्यवाही समिति का सभापति था जो छविरानी बलात्कार और हत्याकाण्ड के बारे में आन्दोलन कर रही थी। सबसे खराब और सम्भवत: सबसे ज्यादा मूर्खता-पूर्ण रूप से इस कानून का दुरुपयोग शंकर गुहा नियोगी नाम के एक युवक के खिलाफ किया गया। वह छत्तीसगढ़ क्षेत्र-दुल्ली राझरा लौह अयस्क खान का एक मजदूर नेता है। अब लगभग एक महीने से ऊपर हो चुका है वह व्यक्ति जेल में बन्द है और उसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है। नागरिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी एक पीपुल्स यूनियन नाम की एक संस्था है। इस संस्था ने दुल्ला राझरा में एक प्रतिनिधि मंडल भेजा था और जो उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की है उससे बहुत सी आश्चर्यजनक बातों का पता चला है। मैं आपकी अनुमति से इसे सभापटल पर रखना चाहता हूं अथवा इसे मंत्री महोदय को देना चाहता हूं। क्योंकि इसमें वे कारण बताए गए है, जिसके कारण इस व्यक्ति को गिफ्तार किया गया है। क्योंकि, अन्य बातों के साथ साथ, वह व्यक्ति उस क्षेत्र में शराब पीने वाले लोगों के खिलाफ एक आन्दोलन चला रहा था। उसमें वह लगभग 25000 लोगों को शराब पीने से मुक्ति दिलाने में सक्षम था और शराब के ठेकेदारों ने राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों के साथ सांठ गांठ करके शंकर गुहा नियोगी को गिरफ्तार करा दिया। मैंने 3 विशिष्ट मामलों का उल्लेख किया है। मुझे ऐसे 300 मामलों का पता है जिनमें लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हीं परिस्थितियों में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत जेल मे रखा गया है। क्योंकि इसका केवल यही कारण है कि अधिकारियों अथवा स्थानीय पुलिस अधिकारियों से उनका तालमेल है। भिण्ड में एक युवक के मामले में भी ऐसा ही किया गया है मैं गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री से यह अपेक्षा करूंगा कि वे इस मामले की देखभाल करें।

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम शामिल किया जाना है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यह अवैध कानून है। इसका हर जगह दुरुपयोग हो रहा है। इसका कोई लाभ नहीं है। इसलिए मैं इस मामले को अविलम्ब उठाना चाहता हूं। क्योंकि अनेक सीधे-साधे लोग, सामाजिक कार्यकर्ता समाज सुधार के लिए लड़ने वाले लोग उदाहरण के लिए,

25,000 आदिवासियों को शराब खोरी की आदत से छुटकारा दिलाया गया है ऐसी बातें हैं जिनके लिए शंकर गुहा नियोगी को बधाई दी जानी चाहिए। इसके बजाय इसे जेल में डाल दिया गया है। क्योंकि आबकारी (शराब) के ठेकेदार और स्थानीय सरकार के कर्मचारी तथा शासन के कुछ और लोगों को यह महसूस हुआ कि इससे उन्हें हानि हो रही है। वास्तव में यह सही है कि उन्हें हानि हो रही थी इसलिए मैं इस मामले को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में लाना चाहता हूं।

दूसरा मुद्दा यह है कि मैंने सदन में कल नियम 377 के अन्तर्गत एक विशेष बात की चर्चा की थी। ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक पीठ उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में स्थापित करने के बारे में है। मैं इस बारे में विधि मन्त्री से एक वक्तव्य की आशा कर रहा था लेकिन उन्होंने कोई बक्तव्य नहीं दिया। सोमवार, 16 मार्च, को उत्तर प्रदेश के सभी पश्चिमी जिलों में बन्द का आयोजन किया गया था। यह मांग बहुत समय से की जा रही है। लोग वर्षों से इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। पिछले एक महीने से इस क्षेत्र के सभी जिला न्यायालय काम नहीं कर रहे हैं। युवा वर्ग कामगार, और अन्य लोग जेलों में हैं क्योंकि कोई मजिस्ट्रेट ही नहीं है जो उनकी जमानत ले सके। मामलों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरठ जिला जेल जिसकी क्षमता 800 कैदियों को रखने की है वहां सिर्फ इस बात की वजह से अब 1100 से भी अधिक कैदी हैं क्योंकि मामलों की सुनवाई नहीं हो रही है और जिन्हें गिरफ्तार किया जाता है उनकी जमानत ही नहीं हो रही है। मैं विधि मन्त्री से तत्काल जानना चाहता हूं—नहीं, इसमें विधि मन्त्री के लिए कुछ नहीं है—कि वो इस मामले में कोई निर्णय करें तथा कल तक इसकी घोषणा कर दें। और हम सब को इस क्षेत्र में 16 मार्च, को होने वाले इस बंद से बचा लें। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह देखना है कि वे लोग जो इस समय जेलों में सड़ रहे हैं क्योंकि पश्चिमी जिलों की सभी अदालतें बन्द हैं, जेलों से बाहर आ जाएं और अपनी सामान्य गति विधियां शुरू कर दें। इन दोनों मामलों को अगले सप्ताह की कार्य सूची में शामिल किया जाएगा, ऐसी मुझे आशा है।

श्री जी० एम० बनातबाला (पोन्नानी) : श्रीमन्, मुझे सरकार के सामने एक महत्वपूर्ण बात रखनी है।

1 अप्रैल, 1981 से केवल ऐसे ट्रस्ट वक्फ आय-कर, तथा धन कर से छूट पाने के हकदार होंगे जिन्होंने अपनी निधियां, आयकर अधिनियम, 1975 में संशोधित, की धारा 13 (5) के साथ पठित धारा 13 (एक) के अनुसार, केवल विनिर्दिष्ट परिसम्पत्तियों में जमा की होंगी या निवेश की होंगी। विनिर्दिष्ट प्रकार की परिसम्पत्तियों में इक्विटी शेयर और अचल सम्पत्ति तथा वे निदेश शामिल नहीं होते जिससे आय के रूप में ब्याज मिलता है। इस प्रकार का निदेश मुसलमानों के धर्म के विपरीत है और मुस्लिम वक्फ मस्जिदों, मदरसों, इमामबाड़ों, आदि की परिसम्पत्तियों का इस प्रकार निदेश नहीं किया जा सकता। अतः देश के कानून तथा धार्मिक कानून में गम्भीर अन्तर है जिसके परिणामस्वरूप मुसलमानों में असन्तोष व्याप्त है। इसलिए, इस अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए ; और संशोधन होने तक इस विधि का 1 अप्रैल,

1981 से लागू किया जाना निलम्बित रखा जाना चाहिए। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि शीघ्र कार्रवाई करने के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है तथा उन हजारों मजदूरों से संबद्ध है जो जम्मू-कश्मीर राज्य में किश्तवाड़ा क्षेत्र में काम कर रहे हैं।

12 फरवरी को उड़ीसा सरकार ने जम्मू-कश्मीर राज्य को एक रिपोर्ट भेजी थी कि पांच मजदूर जिन्हें ठेकेदार उस क्षेत्र में सड़क निर्माण के काम करने के लिए ले गए थे मर गए थे और बहुत से मजदूरों को ठेकेदारों ने वहां जबरदस्ती रोक रखा है। ये ठेकेदार इन मजदूरों को जम्मू-कश्मीर में इस क्षेत्र में काम करवाने के लिए लाते हैं जहां कि रहना बहुत कठिन है तथा जहां बहुत अधिक बर्फ पड़ती है। ठेकेदार उन्हें 4 रुपये प्रतिदिन देते हैं।

आज 13 मार्च है। लेकिन अब तक उन पांच मृत मजदूरों के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। ठेकेदार मजदूरों को उड़ीसा से जम्मू-कश्मीर ले जाकर उनका शोषण कर रहे हैं। इसलिए मुझे आशा है कि कम से कम अगले सप्ताह तक सरकार को यह पता लग जाएगा कि उन पांच मजदूरों का क्या हुआ और उन्हें कोई मुआवजा दिया गया है या नहीं। 3000 मजदूर इन ठेकेदारों के जाल में फंसे हुए हैं। ठेकेदारों के गुण्डे उन्हें अपने राज्य में वापस नहीं जाने देते। मुझे आशा है कि अगले सप्ताह सभा को इन मजदूरों से सम्बन्धित सूचना मिल जाएगी।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, संसदीय कार्य मन्त्री जी ने अगले सप्ताह की कार्यसूची में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल किया है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे, जिन पर चर्चा किया जाना आवश्यक है, उनका उल्लेख नहीं हो पाया है। उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण विषय था, जिसको किसी कारणवश पीछे रख दिया गया है। वह विषय था कि हमारे प्रतिपक्ष के लोग जिस तरीके से सारे देश में आंदोलन का वातावरण खड़ा करके हमारे देश की प्रगति को रोकना चाहते हैं, उस पर चर्चा हो, लेकिन जैसा कि मैंने कहा है कि उसका नम्बर पीछे हो हो गया, इसलिए जिन चीजों को आपने अलाऊ किया है, उनका उल्लेख करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, पहली बात है, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना महान राष्ट्र नायक नेहरू जी के नाम पर इस उद्देश्य से की गई थी कि यह संस्था देश की एक अग्रगणीय शिक्षा संस्था के रूप में कार्य करेगी, लेकिन विगत कई वर्षों से यह विश्वविद्यालय विभिन्न राजनीतिक स्वार्थों के टकराव का अखाड़ा बन गया है। न केवल छात्रों में बल्कि अध्यापकों व कर्मचारियों में भी इस प्रकार के स्वार्थपरक गुट बन गए हैं, जिसके कारण इस विश्वविद्यालय का शैक्षिक वातावरण दूषित हो गया है।

इस विश्वविद्यालय के अध्यापकों का एक यूनियन जिसका नापाक गठबंधन एक अतिवादी संगठन के साथ है, उन लोगों द्वारा वहां के कर्मचारियों और छात्रों को अकारण परेशान किया जा रहा है, मारा-पीटा जा रहा है। पिछले दिनों कर्मचारियों की एक संस्था "पी. यू. एफ."

जिसके साथ सभी कर्मचारी हैं, उसके एक सदस्य, जो कि वहां पर चौकीदार है, को पीटा गया और इस घटना के फलस्वरूप कर्मचारियों व शिक्षा देने में विश्वास रखने वाले अध्यापकों व शिक्षा ग्रहण करने की भावना से विश्वविद्यालय आने वाले छात्र क्षुब्ध हैं व आतंकित हैं।

इस महत्वपूर्ण स्थिति के संदर्भ में जिस कारण विश्वविद्यालय का वातावरण तनावग्रस्त है, हाउस को शीघ्रातिशीघ्र विचार करना चाहिए और इस विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल करना चाहिए।

मान्यवर, आज सारी दुनिया जानती है कि जनता पार्टी के शासन की अधिकांश नीतियों के निर्णय राष्ट्र घाटी कर रहे हैं जिसका परिणाम आज भी सारे राष्ट्र को भुगतना पड़ रहा है। स्वर्ण नीलामी के बारे में नीति भी इसी प्रकार की एक राष्ट्रघाती नीति थी। इस संदर्भ में सारे देश का जन मानस उद्वेलित है। लोग जानना चाहते हैं कि इस नीति से राष्ट्र को कितना नुकसान हुआ है व किन किन व्यक्ति विशेषों के लाभ के लिए उस निर्णय को लिया गया। जनता की मांग व संसद के आग्रह पर 17 मई 1980 को कमेटी बनाई गई थी जिसकी रिपोर्ट आ गई है। उसमें जनता पार्टी के शासन द्वारा इस संदर्भ में बरती गई कई अनियमितताओं का जिक्र है जिसमें से कुछ मुख्य इस प्रकार है :

स्वर्ण नीलामी का जो निर्णय लिया गया उसकी स्वीकृति मंत्रिमडल से नहीं ली गई।

दूसरे नीलाम किया गया सोना वह सोना था जिसे हमारी मां बहनों ने 1962, 1965 और 1971 के विदेशी आक्रमण के दौरान रक्षा सेवाओं के लिए हथियार खरीदने के लिए अपने जेवर और गहने के रूप में दिया था। बार बार जनता पार्टी शासन के दौरान इस शंका को उठाने पर यह बताया गया कि यह सोना अन्य स्रोतों से जमा किया गया सोना है। इस नीलामी का दुष्प्रभाव ... रिजर्व बैंक के स्थाई स्वर्ण भण्डार पर नहीं पड़ेगा। लेकिन स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। स्वर्ण की इस भारी नीलामी के बावजूद सोने की कीमतें बढ़ी, स्मगलिंग नहीं रुकी जैसा कि जनता पार्टी के शासन में दावा किया गया था। स्वर्ण नीलामी का लाभ मात्र करीब एक दर्जन लोगों को हुआ जबकि जनता पार्टी शासन द्वारा बार बार कहा गया कि इसका लाभ साधारण स्वर्णकार को होगा।

यह जो रिपोर्ट है यह पुरी रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है। इसमें एक बहुत घातक कार्य का वर्णन है। मैं प्रार्थना करता हूं कि संसद कार्य मंत्री संसद की भावना को देखते हुए इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अगले सप्ताह विचार किए जाने का अवसर अवश्य प्रदान करें।

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : अगले सप्ताह विचार किए जाने के लिए मैं दो मुद्दे आपकी सेवा में रखना चाहता हूं। पहला मुद्दा यह है कि लगभग पूरे देश में बिजली का घोर संकट व्याप्त है। बिहार राज्य पर भी इसका भारी असर पड़ा है। किसानों को रोजाना चार घंटे भी बिजली नहीं मिल पाती है। बिजली संकट के कारण अभी से ही पेय जल का महान

संकट पैदा हो गया है। उद्योग पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है। अतः इसे विचार के लिए अगले सप्ताह की कार्यसूची में रखा जाना चाहिए।

दूसरे देश में करीब दस लाख बीड़ी मजदूर हैं। दिनोंदिन बढ़ती मंहगाई के कारण उनकी स्थिति अत्यधिक दयनीय हो गई है। उन्हे न तो उचित मजदूरी दी जाती है न मंहगाई भत्ता ही और न ही उनको बोनस दिया जाता है। प्राविडेंट फंड की भी उनके लिए व्यवस्था नहीं है। उन्हे सेवा कार्ड भी नहीं दिया जाता है और उनकी सर्विस की ही गारंटी है। इसलिए इस विषय को भी अगले सप्ताह की कार्य सूची में रखा जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब रेल मन्त्री वक्तव्य देंगे।

श्री जी. एम. बनातवाला : श्रीमन्, संसदीय कार्य मंत्री को क्या कहना है ? वे सभा को कम से कम कुछ आश्वासन तो दे सकते हैं।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : श्रीमन् यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं कुछ कहना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, आप कह सकते हैं।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : श्रीमन्, कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ बातें उठाई हैं और वे चाहते हैं कि वे बातें अगले सप्ताह की कार्य सूची में शामिल की जाएं। श्री जार्ज फर्नान्डीस ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम गैर कानूनी अधिनियम है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : अवैध अधिनियम।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : अवैध या जो भी कुछ हो, लेकिन यह प्रभुसम्पन्न संसद द्वारा पारित किया गया है और माननीय श्री जार्ज फर्नान्डीस भी इसके सदस्य हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैंने इसका विरोध किया था।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : आपने विरोध किया हो या न किया हो यह संसद का अधिनियम जो यह अधिनियम है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह देश का कानून है।

श्री पी. वेंकटसुब्बय्या : हां, देश का कानून है। चाहे ये मानें या न मानें।

श्रीमन्, जो मामले उठाए गए हैं मैं उन सभी पर नहीं जाना चाहता लेकिन जो उन्होंने कहा है मैं उसका उल्लेख करना चाहता हूं। यही मामला श्री बनातवाला के वक्फ की सम्पत्ति के बारे में है तथा अन्य सदस्यों ने भी कुछ मामले उठाए हैं।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की अलग पीठ के संबंध में श्री जार्ज फर्नान्डीस ने कहा है। इसे संबन्धित मन्त्रियों तक पहुंचा दिया जाएगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : महोदय, मैंने सदन में कोरम का प्रश्न उठा तो देता लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। इस समय इस सदन में केवल 14 सदस्य मौजूद हैं। मैं नियम 372 और 119 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। महोदय, मैं मान रहा हूं कि मन्त्री महोदय अपना वक्तव्य तैयार करके आए हैं"।

श्री जी. एम. बनातवाला : महोदय यदि वे यह कहते हैं कि केवल 14 सदस्य मौजूद हैं और यदि यह कार्यवाही वृतांत में शामिल किया जाता है तो फिर आपको कोरम बुलाना पड़ेगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : महोदय मैंने कहा है कि मैं इसको भी एक प्रश्न बना सकता था परन्तु यदि मन्त्री महोदय यह कहते हैं कि वह आज वक्तव्य नहीं देंगे तो मैं यह प्रश्न नहीं उठाऊंगा। मैं यह नहीं चाहता कि मंत्री महोदय वक्तव्य दें।

उपाध्यक्ष महोदय : सिर्फ इसी समय जब आप कोरम के बारे में व्यवस्था का प्रश्न उठायें ; लेकिन आप कोरम का प्रश्न नहीं उठा रहे हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : जी नहीं, लेकिन मैं यह आशा करता हूं कि मैं मंत्री महोदय को यह समझाने में सफल होऊंगा कि उन्हें अपना वक्तव्य नहीं पढ़ना चाहिए। महोदय, पहले तो हमें 15 मिनट पहले ही कार्य वृत की यह पूरक सूची मिली है। यह सदन आम तौर से 6 बजे तक बैठता है और 6 30 बजे आप कार्य सूची की यह पूरक सूची भेज रहे हैं कि मंत्री महोदय वक्तव्य देने जा रहे है किस नियम के अन्तर्गत मंत्री महोदय अब वक्तव्य देगे। मैं यह मान रहा हूं कि (व्यवधान) मैं यह मान रहा हूं कि मंत्री महोदय नियम 372 के अधीन वक्तव्य देगे। नियम 372 में यह दिया गया है :—

> "लोक महत्व के किसी विषय पर अध्यक्ष की सम्मति से मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जा सकेगा। किन्तु जिस समय वक्तव्य दिया जाए कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा।"

आपका निदेश 119 यह कहता है :—

> "यदि कोई सदस्य अपने भाषण के मध्य कोई पत्र अथवा दस्तावेज रखना चाहता है।"

> "नियम 372 के अन्तर्गत सभा में वक्तव्य देने के इच्छुक मंत्री को पहले से यह बताना होगा कि किस तिथि को उसका वक्तव्य देने का विचार है और अध्यक्ष की जानकारी के लिए उसे अपने वक्तव्य की एक प्रति भी लोकसभा के सचिवालय को भेजनी होगी।

दूसरे शब्दों में यदि मन्त्री महोदय के लिए अध्यक्ष को उस तारीख की जानकारी देना आवश्यक है जिस दिन वह अपना वक्तव्य विशेष देना है तो उसके लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह घंटा और मिनट भी बतायें। बल्कि वह उस तारीख को बता देगा जिस दिन वह अपना वक्तव्य देना चाहता है और उस वक्तव्य की एक अग्रिम प्रति भी अध्यक्ष को भेज देगा। मैं मद (9)क के बारे में यह मान रहा हूं कि मंत्री महोदय सघन टिकट चैकिंग ड्राइव के बारे में अपना वक्तव्य देंगे,

जो हाल ही उत्तरी रेलवे में किया गया था। जिसका हमने एक जिक्र किया था। कल सुबह प्रश्नोत्तरकाल के तत्काल बाद हमने आपके कनिष्ठ मन्त्री अर्थात उपमंत्री के बारे में सवाल उठाया था, जिनकी बड़ी भारी प्रतिष्ठा है और जो गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर गये थे। हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार उन्होंने एक रेलवे कर्मचारी को एक छड़ी से पीटा था। मंत्री महोदय यहां उपस्थित हैं। उन्होंने एकाएक उठकर यह कहा था कि उनके हाथ में छड़ी नहीं थी लेकिन उन्होंने इससे किसी को पीटा नहीं है और न वह किसी को पीटने के लिए थी।

समाचार पत्रों में इस बात की बड़ी सूक्ष्म रूप से चर्चा की गयी है कि रेलवे का एक कनिष्ठ कर्मचारी को वास्तव में पीटा गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : आप वक्तव्य पढ़ रहे हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : जी नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था के प्रश्न पर आप वक्तव्य नहीं पढ़ सकते।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : कृपया मुझे समझने की कोशिश करिये। जो कुछ मैं कह रहा हूं उसे सुनिये (व्यवधान) मैं यह कह रहा हूं कि हमारी इस बात को उठाने से मंत्री महोदय को वक्तव्य का संदर्भ भी आ रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप व्यवस्था के प्रश्न पर एक वक्तव्य दे सकते हैं ? आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : व्यवस्था के प्रश्न से मेरा मतलब क्या है ? व्यवस्था के प्रश्न से मेरा मतलब है हम प्रश्नोत्तर काल के तत्काल बाद ही इस सदन में कुछ प्रश्न उठाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप मंत्री महोदय ने सदन के समक्ष एक वक्तव्य देना उचित समझा है। इस मामले में मेरा निवेदन यह है कि उन्हें नियम और निदेश का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उन्हें 7.03 बजे सदन में नहीं आना चाहिये जब कि सदन में केवल 12 सदस्य मौजूद हैं और अब मंत्री महोदय भी चले गये हैं इसका मतलब यह है कि 12 सदस्य यहां मौजूद है।

श्री पी. वेंकटसुब्बय्या : मैं यहां हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : जी हां मैं जानता हूं। आप भी अगर चले जायें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे मालूम है कि आपको भी भूख लग रही है।

श्री पी. वेंकटसुब्बया : न तो मैं भूखा हूं और न मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं यहां हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आप अगर चले भी जायें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है मेरा निवेदन यह है कि मंत्री महोदय को इस समय वक्तव्य नहीं देना चाहिये। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय मेरे अनुरोध को मानेंगे और मुझ पर कृपा करेंगे, नहीं तो मुझे कोरम का प्रश्न उठाना पड़ेगा। और मैं कोरम का प्रश्न उठाना नहीं चाहता।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे धमकाने की कोशिश मत करिए ।

श्री जार्ज फर्नांन्डीस : मैं आपको धमकाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं । और न ही मैं किसी और को धमकाने की कोशिश कर रहा हूं । मेरा निवेदन है कि ऐसे मामले पर जिसमें रेलवे उप मंत्री द्वारा एक रेलवे कर्मचारी के साथ हिंसात्मक कार्यवाही की गयी है उस पर चर्चा के समय सदन में 12 सदस्य मौजूद हैं''' ।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न क्या है जिसे आप उठा रहे हैं ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : जी हां यह बहुत बैध प्रश्न है ।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत लम्बा भाषण मत दीजिए । नियम और निदेश का पालन किया गया है ।

श्री जार्ज फर्नांन्डीस : अब मैं कोरम का प्रश्न उठाता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसलिए मैं उनकी व्यवस्था के प्रश्न पर केवल निर्णय देता हूं कि जो व्यवस्था का नहीं है ।

श्री जार्ज फर्नांन्डीस : अब मेरा निवेदन यह है कि यहां कोरम पूरा नहीं है । सदन मे कोरम पूरा नहीं है । मैं कोरम का प्रश्न उठा रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या कोरम का प्रश्न उठा रहे हैं ?

श्री जार्ज फर्नांन्डीस : जी हां ।

उपाध्यक्ष महोदय : तो कोरम घंटी बजाइए'''कोरम पूरा नहीं है । सदन 16 मार्च दिन सोमवार को 11 बजे तक के लिए पुनः समवेत हो गया ।

7.08 म० प०

तत्पश्चात् लोकसभा सोमवार 16 मार्च, 1981/25 फाल्गुन, 1902 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

———